लोक सभा वाद-विवाद

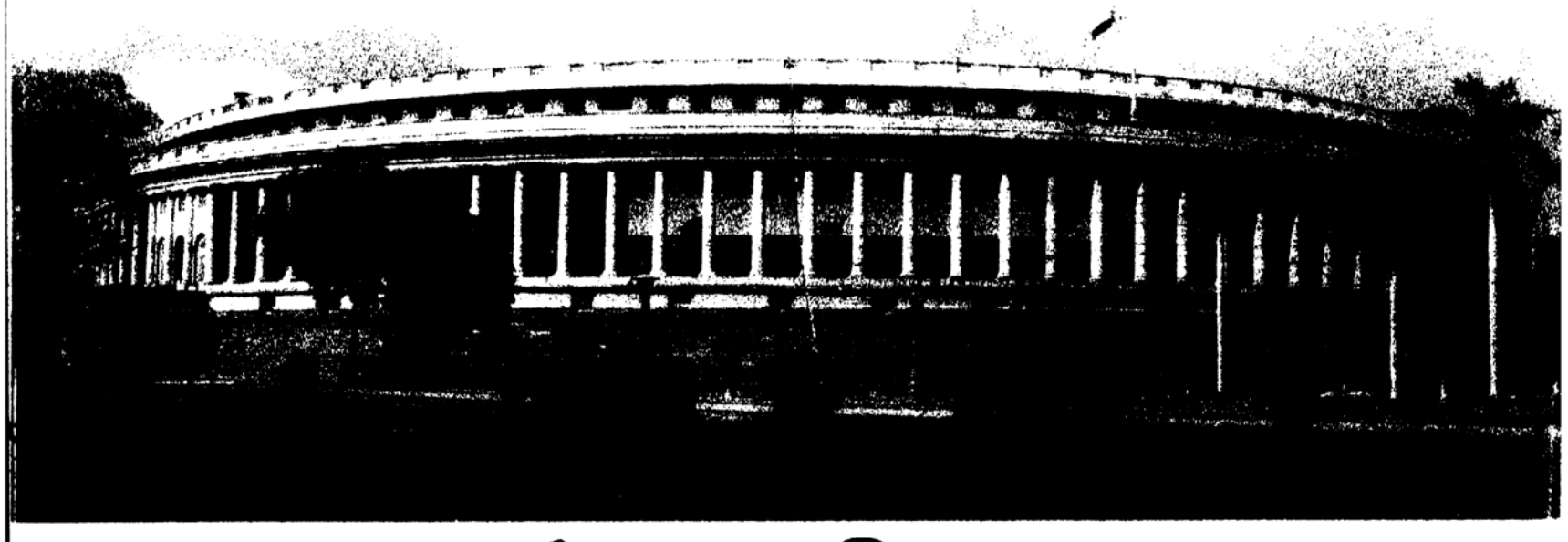
पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

26 से 30 अगस्त और 1 सितम्बर, 1997

4 से 8 और 10 भाद्र, 1919 (शक)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ
के अवसर पर विशेष बैठकें



Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पाण्डेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम. आर. खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री विद्या सागर शर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

श्री हरनाम दास टक्कर
सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री जगदीश चन्द चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

मूल्य : 1500 रु./-

© 1999 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोक सभा के छह दिन के एक विशेष सत्र में भाग लिया और विगत पांच दशकों के दौरान पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का प्रयास किया। ये क्षेत्र थे, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्यकरण, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां और संभावनाएं तथा मानव विकास की स्थिति।

सभा के इतिहास में पहली बार स्वयं माननीय अध्यक्ष ने चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 360 के अन्तर्गत सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया। उनका विचार था कि इस बार यह लड़ाई ''हमारी समृद्धि और गरीबी के बीच, संसाधन व्यवस्था के प्राचुर्य और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन के अभाव के बीच, शांति और सहनशीलता की हमारी संस्कृति और वर्तमान की हिंसा, असहनशीलता और भेदभाव की ओर बढ़ते हुए झुकाव के बीच हमारे आन्तरिक विरोधाभासों से मुक्ति के लिए होनी चाहिए।'' उन्होंने सदस्यों को आमंत्रित किया कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा करें। स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक की उपलब्धियों का जायजा लें, कमियों का आत्मलोचन करें और देश के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें।

सभा ने, लोक सभा में सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं की ओर से, विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार किया। यह प्रस्ताव लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 342 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

लोक सभा सचिवालय ने इस अवसर पर चर्चा को सुगम बनाने हेतु ''भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष'' नामक एक वृहत सन्दर्भ दस्तावेज प्रकाशित किया।

सभा की इन विशेष बैठकों से कई कीर्तिमान स्थापित हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि सभा का विशेष सत्र केवल एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। सभा ने इस प्रस्ताव पर 64 घन्टे और 29 मिनट चर्चा की जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। इस चर्चा में माननीय अध्यक्ष, प्रधान मंत्री और 9 मंत्रियों सहित सभा के 209 सदस्य बोले। चूंकि समयाभाव के कारण बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को मौका दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए 5 मंत्रियों सहित 103 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। इस चर्चा में कुल 312 सदस्यों ने भाग लिया जो सभा की कुल सदस्य संख्या (545) का 57.25 प्रतिशत था। सभापति तालिका के सदस्य श्री पी.सी. चाक्को ने 31 अगस्त, 1997 को 00.30 बजे से लेकर प्रात: 08.24 बजे तक लगातार 7 घन्टे 54 मिनट सभा में पीठासीन होकर नया इतिहास रचा।

चर्चाओं के दौरान सौहार्दपूर्ण तथा व्यवस्थित वातावरण बना रहा जो अपने आप में एक मिसाल है।

सभा ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें ''भारत के लिए कार्यसूची'' की रूपरेखा दी गई है।

लोक सभा सचिवालय ने इन बैठकों की कार्यवाहियों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में अलग-अलग विशेष खण्ड के रूप में प्रकाशित किया है।

मुझे आशा है कि इसके हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सांसदों, इतिहासकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सन्दर्भ-ग्रन्थ सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
अक्तूबर, 1997
आश्विन, 1919 (शक)

एस. गोपालन,
महासचिव

विषय सूची

[एकादश माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 26 अगस्त, 1997/4 भाद्र, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	2
अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन	3
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	16–25
श्री माधवराव सिंधिया	25–35
श्री शरद यादव	36–47
श्री सोमनाथ चटर्जी	47–55
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे	55–60
श्री चतुरानन मिश्र	60–69
श्री जगमोहन	69–76
श्री पी.आर. दासमुंशी	76–85
श्री चित्त बसु	85–90
श्री पी. कोदंड रमैया	90–95
श्री जार्ज फर्नान्डीज	95–107
श्री मेजर सिंह उबोक	107–113
श्री अनंत कुमार	113–117
डा. गिरिजा व्यास	117–122

अंक 19, बुधवार, 27 अगस्त, 1997/5 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	123
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*	
डा. गिरिजा व्यास	123–126
श्री चन्द्रशेखर	126–137
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	137–142
श्री सुन्दर लाल पटवा	142–149
श्री शरद पवार	150–158
श्रीमती गीता मुखर्जी	158–162
कर्नल राव राम सिंह	162–167
श्री कांशी राम	168–176
कुमारी ममता बनर्जी	177–185
श्री एन.वी.एन. सोमू	186–189
श्री जी.जी. स्वैल	190–194
डा. एम. जगन्नाथ	194–197
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	197–204
श्री नीतीश कुमार	205–212

विषय	कालम
श्री संतोष कुमार गंगवार	213–218
श्री एन.एस.वी. चित्यन	219–225
श्री सैयद मसूदल हुसैन	225–228
श्री अनंत गंगाराम गीते	229–232
श्री नवल किशोर शर्मा	232–240
श्री राम कृपाल यादव	240–245
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा	245–250
श्री लाल बिहारी तिवारी	250–253
श्री मनोरंजन भक्त	253–260

अंक 20, गुरुवार, 28 अगस्त, 1997/6 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	261
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव – *जारी*	
श्री पी.वी. नरसिंह राव	262–275
श्रीमती सुषमा स्वराज	276–286
श्री मुलायम सिंह यादव	287–305
श्री सुरेन्द्र सिंह	306–311
श्री शिवराज वी. पाटिल	312–330
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	331–348
श्री सत्यदेव सिंह	349–361
श्री कमरूल इस्लाम	361–367
श्री ई. अहमद	367–373
श्री शिबु सोरेन	374–377
डा. अरविन्द शर्मा	377–380
कुमारी उमा भारती	380–389
श्रीमती संध्या बौरी	390–393
श्रीमती मीरा कुमार	394–399
श्रीमती वसुन्धरा राजे	400–403
श्री पीताम्बर पासवान	404–407
श्री एल. बालारमन	407–412
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	412–415
श्रीमती रजनी पाटिल	415–419
श्री इलियास आजमी	419–425
श्री नवीन पटनायक	426–429
श्री सतपाल महाराज	429–431
श्री चमन लाल गुप्त	432–435
श्री सुरेश प्रभु	435–442
श्री सनत मेहता	442–448
श्री नील एलायसियस ओ'ब्रायन	448–450
श्री मानवेन्द्र शाह	450–454
डा. देवी प्रसाद पाल	454–459
श्री बादल चौधरी	460–464
श्री के.एस. रायुडू	464–470

विषय	कालम
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	470–474
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	475–479
श्री बृज भूषण तिवारी	479–482
डा. राम विलास वेदान्ती	482–485
श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी	485–488
प्रो. पी.जे. कुरियन	488–493
डा. जयन्त रंगपी	493–497
श्री आई.डी. स्वामी	498–502
श्री नारायण आठवले	503–505
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	506–508
श्री एस.के. कारवेंधन	508–510
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	511–514
श्री दिलीप सिंह भूरिया	514–516
प्रो. ओम पाल सिंह ''निडर''	517–522
श्री शिवानन्द एच. कौजलगी	523–524
श्री हंसराज अहीर	525–526
प्रो. आर.आर. प्रामानिक	527–531
श्री रमेश चेन्नित्तला	531–535
श्री पुण्डलिकराव रामजी गवाली	536–537
श्री लालमुनी चौबे	537–542
श्री सुकदेव पासवान	543–545
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	546–551
श्री डी.पी. यादव	552–554
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	555–558
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	559–561
श्री मंगत राम शर्मा	561–564

अंक 21, शुक्रवार, 29 अगस्त, 1997/7 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा	565
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*	
श्री राम विलास पासवान	567–577
डा. मुरली मनोहर जोशी	578–597
श्रीमती शारदा टाडीपारथी	597–600
श्री एस. बंगारप्पा	601–607
श्री तरित वरण तोपदार	607–613
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	613–619
प्रो. रीता वर्मा	619–630
श्री पी. उपेन्द्र	631–639
श्री मोहम्मद मकबूल डार	640–645
श्री वी.वी. राघवन	646–650
श्री भक्त चरण दास	651–654
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता	655–658
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	659–664
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	664–669
डा. के.पी. रामलिंगम	670–671

विषय	कालम
श्री समीक लाहिड़ी	672–675
श्री सत महाजन	675–679
श्री आनन्द मोहन	679–682
श्री ओ.पी. जिन्दल	683–685
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल	685–688
श्री मोहन सिंह	689–691
श्री ए.सी. जोस	691–695
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	695–698
श्री चन्द्रभूषण सिंह	699–701
श्री अनादि चरण साहू	702–706
श्री सी. नारायण स्वामी	706–710
श्री के.डी. सुल्तानपुरी	711–714
श्री पी.एस. गढ़वी	715–720
कुमारी सुशीला तिरिया	720–723
श्री सत्य पाल जैन	724–725
श्री के.एच. मुनियप्पा	725–728

अंक 22, शनिवार, 30 अगस्त, 1997/8 भाद्र, 1919 (शक)

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*

श्री देवेन्द्र बहादुर राय	729–737
श्री अब्दुल रहमान अन्तुले	737–751
श्री मधुकर सरपोतदार	751–762
श्री रूपचन्द पाल	762–769
श्री जोआचिम बक्सला	769–771
श्री सोहन वीर सिंह	772–781
श्री राजेश पायलट	781–790
श्री राजाभाऊ ठाकरे	791–797
डा. अरुण कुमार शर्मा	798–805
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	805–810
श्री पी.सी. चाक्को	811–816
श्री राम टहल चौधरी	816–820
श्री ए. सम्पत	820–827
श्री पी.सी. थामस	828–835
श्री उत्तम सिंह पवार	838–838
श्री इन्द्रजीत गुप्त	838–842
श्री नकली सिंह	842–846
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	847–852
श्री नवल किशोर राय	852–855
श्रीमती हैडविग माइकेल रीगो	855–856
श्री सुख राम	857–860
श्री हरिन्दर सिंह खालसा	860–862
श्री अजय चक्रवर्ती	863–865
श्री बुद्धसेन पटेल	866–868
श्री अमर रायप्रधान	869–871

विषय	कालम
श्री मनोज कुमार सिन्हा	872–876
श्री सुरेश कलमाडी	877–881
श्री सी. नरसिम्हन	881–884
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	885–888
श्री वी. प्रदीप देव	888–890
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	891–896
श्री पी. षण्मुगम	896–900
*श्री प्रदीप भट्टाचार्य	900–901
श्री सुरेश आर. जाधव	901–905
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	905–913
श्री लक्ष्मण सिंह	913–916
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	916–920
*श्री किशन लाल दिलेर	921–922
*श्री मोहन रावले	923–933
श्री गंगा चरण राजपूत	934–939
*श्री विजय गोयल	940–943
श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा	944–948
श्री कृष्ण	948–952
*श्री के. परसुरामन	953–955
चौधरी रामचन्द्र बैंदा	955–958
*श्री महेन्द्र बैठा	959–960
*श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा	960–962
डा. रामचन्द्र डोम	963–966
राजकुमारी रत्ना सिंह	966–968
श्री पी. नामग्याल	969–971
श्री एल. रमना	972–975
*श्री वीरेन्द्र कुमार	975–978
श्रीमती कमल रानी	978–981
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	982–983
श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया	983–985
श्री विजय हाण्डिक	986–989
*श्री अशोक प्रधान	989–997
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	997–999
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	999–1003
*श्री चन्द्रेश पटेल	1003–1005
श्री दत्ता मेघे	1005–1009
श्री तिलक राज सिंह	1009–1012
श्री राजीव प्रताप रूडी	1012–1017
श्री के.सी. कोंडय्या	1017–1020
श्री हन्नान मोल्लाह	1021–1025
*श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्त	1025–1028
श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर	1028–1031
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी	1032–1035
श्री शरत पटनायक	1036–1039
प्रो. अजित कुमार मेहता	1039–1043
डा. रमेश चन्द तोमर	1043–1045

विषय	कालम
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	1046–1050
डा. वल्लभभाई कथीरिया	1050–1054
श्री रामबहादुर सिंह	1055–1057
डा. बी.एन. रेड्डी	1058–1061
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	1061–1065
श्री राजू राणा	1065–1067
श्री सौम्य रंजन	1068–1072
श्री राधा मोहन सिंह	1072–1076
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी	1076–1077
श्री अंचल दास	1078–1080
डा. राम लखन सिंह	1081–1085
श्री पवन सिंह घाटोवार	1085–1088
श्री रामशकल	1089–1091
श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा	1091–1093
श्री आर.एल.पी. वर्मा	1093–1096
श्री नन्दकुमार सिंह चौहान	1097–1099
श्री सुरेन्द्र यादव	1100–1103
डा. अमृत लाल भारती	1104–1106
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	1106–1110
श्री शिवराज सिंह	1110–1116

अंक 23, सोमवार, 1 सितम्बर, 1997/10 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	1117
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव - *जारी*	
*श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	1118–1121
*श्री सनत कुमार मंडल	1121–1123
*वैद्य दाऊ दयाल जोशी	1123–1125
*श्री के.एस.आर. मूर्ति	1125–1135
*श्री जी.ए. चरण रेड्डी	1135–1139
*श्री आर. साम्बासिवा राव	1140–1142
*श्री पुन्नू लाल मोहले	1143–1145
*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	1145–1149
*श्रीमती पूर्णिमा वर्मा	1150–1154
*श्री लुई इस्लेरी	1154
*श्री हरिवंश सहाय	1155–1156
*जस्टिस गुमान मल लोढा	1156–1157
*श्री श्रीकान्त जेना	1158–1165
*श्री पवन दीवान	1165–1168
*श्री टी. गोपाल कृष्ण	1168–1169
*श्री हरिन पाठक	1169–1170
*श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह	1171–1172
*श्री पी.एम. सईद	1172–1177
*प्रो. रासा सिंह रावत	1177–1179

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विषय	कालम
*श्रीमती सुभावती देवी	1179–1180
*श्री सुखलाल कुशवाहा	1180–1182
*श्री एस.पी. जायसवाल	1182–1185
*श्री विश्वेश्वर भगत	1186–1188
*श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर	1189–1193
*डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	1193–1195
*श्री सिद्दय्या कोटा	1195–1197
*श्री जसवंत सिंह	1198–1204
*श्रीमती कान्ति सिंह	1204–1208
*डा. सी. सिल्वेरा	1209–1210
*श्री संतोष मोहन देव	1211–1217
*श्री के.पी. सिंह देव	1217–1224
*श्री आनन्द रत्न मौर्य	1224–1225
*श्री येल्लैया नंदी	1225–1230
*श्री मृत्युंजय नायक	1230–1233
*श्री भगवान शंकर रावत	1233–1236
*चौधरी तेजवीर सिंह	1236–1238
*श्री अनिल कुमार यादव	1239–1240
*श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला	1241–1242
*श्री बीर सिंह महतो	1243–1244
*श्रीमती केतकी देवी सिंह	1244
*श्रीमती सुमित्रा महाजन	1245–1246
*श्री छतर सिंह दरबार	1247–1248
*श्री जगतवीर सिंह द्रोण	1248–1250
*श्री अशोक शर्मा	1250–1251
*श्री प्रह्लाद सिंह	1251–1253
*डा. सत्यनारायण जटिया	1253–1255
*श्री एम. कमालुद्दीन अहमद	1256–1258
*श्री निहाल चन्द चौहान	1258–1260
*श्री कल्लप्पा आवाडे	1260–1261
*श्री विद्यासागर सोनकर	1262–1263
*श्री साई प्रताप अन्नाय्यागरी	1263–1265
*कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1266–1275
*श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1275–1276
*श्री गिरधारी लाल भार्गव	1276–1277
*स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी	1277–1279
*कुमारी शैलजा	1279–1284
*श्री टी.आर. बालू	1284–1288
*श्रीमती उषा मीणा	1288–1289
*श्री जयसिंह चौहान	1289–1290
*श्री दादा बाबूराव परांजपे	1291–1294
*श्री देवी बक्स सिंह	1294–1296
*श्री नन्द कुमार साय	1296–1297
*श्री कृष्ण लाल शर्मा	1298–1300

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

विषय	कालम
*श्री श्याम बिहारी मिश्र	1300–1302
*श्री भेरूलाल मीणा	1302–1304
*श्री छत्रपाल सिंह	1305–1306
*श्री माणिकराव होडल्या गावीत	1307–1309
*श्री चित्रसेन सिंकु	1309–1310
*श्री राममूर्ति सिंह वर्मा	1310–1311
*श्री श्रीराम चौहान	1311–1314
*श्री पद्मसेन चौधरी	1314–1315
*श्री चुन चुन प्रसाद यादव	1315–1317
*श्री ऑस्कर फर्नान्डीज	1317–1319
*श्री अशोक अर्गल	1319–1321
*श्री सौडे रमैया	1322–1324
*श्री अनिल बसु	1324–1325
*श्री नरेन्द्र बुडानिया	1326–1330
*श्री लाल बाबू प्रसाद यादव	1330–1331
*श्रीमती फूलन देवी	1331–1332
*श्रीमती शीला गौतम	1332–1334
*मुहम्मद शहाबुद्दीन	1334–1337
*श्री परसराम मेघवाल	1337
*श्री राजकेशर सिंह	1338–1339
*श्री गिरधारी यादव	1339–1341
*श्री मुनिलाल	1341–1343
*श्री तसलीमुद्दीन	1344–1345
*श्री विनय कटियार	1345–1347
*श्री छीतुभाई गामीत	1347–1350
*श्री वी. धनन्जय कुमार	1350–1351
*श्रीमती भगवती देवी	1351–1353
*कर्नल सोनाराम चौधरी	1353–1355
*श्री नामदेव दिवाथे	1356–1357
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	1357–1363
श्री धर्मभिक्षम	1363–1365
श्री सोमजीभाई डामोर	1365–1369
डा. बलिराम	1369–1372
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1372–1378
**श्री इन्द्र कुमार गुजराल	1379–1404
विदाई उल्लेख	1404–1406
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर "भारत के लिए कार्यसूची" के बारे में संकल्प—*स्वीकृत*	1406–1410
राष्ट्र गीत—राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई	1410
अनुबंध – *संकल्प, लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर सहित*	1411–1453
अनुक्रमणिका	1455–1474

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ लिखित अंश भी सभा पटल पर रखे।

शनिवार, 30 अगस्त, 1997/8 भाद्र, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजकर 8 मिनट पर समवेत हुई।

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए*]

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम चर्चा जारी करेंगे। श्री डी.बी. राय।



श्री देवेन्द्र बहादुर राय

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र बहादुर राय (सुल्तानपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम इस आजादी के लिये शहीद हुये सभी देशभक्तों का नमन करता हूं और जो आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूं।

इस आजादी को पाने से पहले और पाने के बाद हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया है। आजादी के समय हमने अपने आधे अंग को खो दिया और जब गणराज्य बनने की तैयारी कर रहे थे तो बापू को हमने खो दिया। देश की प्रगति के लिये हमने समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था और अब बेरोकटोक विदेशी पूंजी के आवागमन में हमने गांधीवाद का दर्शन खो दिया। कुछ लोगों को चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है कि हमने पचास वर्ष में हरियाली ही हरियाली पाई है लेकिन इसकी आड़ में मरुस्थल बढ़ रहा है, फैल रहा है, उसकी ओर हम कम ध्यान दे रहे हैं। शायद बहुत ज्यादा खुशी के अतिरेक में हम चल रहे हैं। यह सदन 90 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और विश्वास का स्थल है। हम पूरे देश की धुरी हैं और जैसा हम चाहते हैं, देश को उधर ही ले जाते हैं लेकिन जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हैं तो देश की जनता के साथ धोखा करते हैं और यदि उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप चलते हैं तो उनके प्रति अपना प्रेम और उनका ऋण प्रकट करते हैं।

सभापति महोदय, आप मानेंगे कि पहले जो सदन था, उसमें उत्तरोत्तर थोड़ी सी गिरावट आई है। हम में धैर्य और संकल्प का अभाव होता जा रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इसी सदन में पं. जवाहरलाल नेहरू के प्राईवेट सैक्रेटरी जॉन मथाई के विरुद्ध हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेषाधिकार का नोटिस दिया। पं. जवाहरलाल ने कहा कि जब किसी सांसद ने मोशन दिया है तो कोई भी हो, चाहे मेरा प्राइवेट सैक्रेटरी हो या और कोई हो, उनकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिये। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के नेता आमने-सामने बैठे हुये हैं और जब यहां से विपक्ष के नेता ने प्रधान मंत्री से कोई बात उठाई तो वे नाराज हो गये और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। गुस्से से कांपने लग गये। तो इस प्रकार का कार्य इस सदन में संसद सदस्य का नहीं है। उस समय पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखर ने इंटरवीन करके मामला शान्त किया। पं. जवाहरलाल नेहरू आज के प्रधान मंत्रियों से ज्यादा पापुलर थे और उन्होंने फिर भी संसदीय कार्य पद्धति के अनुसार सांसदों की भावनाओं का आदर किया। आज यदि देश को चलाना है तो पारदर्शिता के अनुरूप हमें चलना होगा, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। यदि आप सांसदों की इज्जत और प्रतिष्ठा की रखवाली नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा कौन सा सदन है या लोग हैं जो देश की प्रतिष्ठा का ख्याल करेंगे? मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। अभी 6 दिसम्बर, 1996 को दो दर्जन एम.पीज लखनऊ मेल से जा रहे थे, रास्ते में रेल एक्सीडेंट हो गया। उस गाड़ी में रेल के बड़े आफिसर बैठे थे लेकिन वे भाग गये। यह मामला यहां भी उठा और काफी शोरगुल हुआ लेकिन आज तक उस विषय में न रेल मंत्री ने कोई बात कही और न किसी अधिकारी ने कहा कि यह कैसे और क्यों हुआ और न इसके लिये दुख ही प्रकट किया। इसमें न केवल दो दर्जन एम.पीज की जान का खतरा था बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों की जान का खतरा था।

सभापति महोदय, पहले जनता कहती थी कि एम.पीज बेईमान हैं और पिछले एक महीने से यह पूछ रही है कि आप डेढ़-दो हजार रुपये में कैसे काम चलाते हो, कैसे सफेद कपड़ा पहनकर चलते हो। मैं यहां यह कहूं कि जितना पैसा हमें मिलता है, उससे ज्यादा तो धुलाई में पैसे खर्च हो जाते हैं। अब एक माह से मीडिया से जानकारी होने पर

जनता हमारे साथ सहानुभूति रखती है और हमें बेईमान नहीं कहती। महोदय, इस सदन में ही जवाहरलाल नेहरू चमके, जान मथाई का मसला सदन में उठा। यहीं पर एन.जी. रंगा थे, यहीं पर डा. लोहिया थे, आचार्य कृपलानी थे। यहीं पर हमारे नेता वाजपेयी जी बने, चंद्रशेखर जी बने। लेकिन आज हमें ठेकेदार बना दिया गया है, हमें बीडीओ बना दिया गया है। हमें एक करोड़ रुपया दे दिया गया है। आप जानते हैं कि 10 लाख रुपये में केवल 53-54 हैंडपंप लगते हैं जबकि हमारे यहां 1000 गांव हैं और हजारों हैंड पंप की मांग होती है। जब हम 54 हैंडपंप डालते हैं और 1000 गांव हैं, तो हम क्या करें? हम ठेकेदार नहीं हैं, हम बीडीओ नहीं हैं, हम इंजीनियर नहीं हैं, हम जिलाधिकारी नहीं हैं। यह हमारा काम नहीं है, यह ठीक नहीं कि आप हमें एक करोड़ रुपया देकर हमें बदनाम करें। मैं मांग करता हूं कि एक करोड़ रुपये को वापस लिया जाए। अगर देना ही है तो कम से कम पांच करोड़ रुपया दें ताकि हम कुछ काम तो कर सकें, नहीं तो इसको भी वापस ले लीजिए। हम इसके लिए चुनाव जीतकर नहीं आए हैं कि बीडीओगिरी करें। हम आए हैं कि भगवान करे हम जवाहरलाल नेहरू बनें, भगवान करे तो हम अटल बिहारी वाजपेयी बनें, भगवान करे तो हम प्रो. एन.जी. रंगा बनें। हम बीडीओ बनने के लिए नहीं आए हैं।

महोदय, यहां पर राजनीति में और चुनाव में क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं दिया है। लेकिन हर क्षेत्र में यदि हम बढ़े हैं तो हर तरफ कुछ गिरावट भी आई है। हम लोगों के पास सच बोलने का साहस क्यों नहीं है? 50 हजार रुपये आप हमें कार खरीदने के लिए देते हैं। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 25 अगस्त को जन्माष्टमी थी। हम देश की भावनाओं को भी नहीं समझा पा रहे हैं तो क्या करेंगे? 25 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी थी और बहुत सोच समझकर हमने 26 अगस्त से संसद का अधिवेशन रखा। असम, केरल, जम्मू, उत्तर प्रदेश और पटना आदि प्रांतों के जो सांसद हैं, अपने कृष्ण को केवल महापुरुष ही नहीं भगवान भी मानते हैं। वह गाय चराते-चराते इस देश के दिशा निर्देशक बन गए, राजनेता बन गए। उनके जन्मदिन को हमने ट्रेन में मनाया है। ट्रेन में हमने अपना व्रत तोड़ा। भूखे पेट रहकर हम पूरी 25 तारीख की रात भर यहां बैठे रहे । जिन लोगों ने सदन की तारीख तय की थी, क्या वे इस देश की भावनाओं को इतना भी नहीं समझ पाते, इस देश की परंपराओं को इतना भूल गए? महोदय हमने बहुत कुछ खोया है लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा।

हमारे लोकतंत्र का एक और अंग है न्यायपालिका। हम न्यायपालिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम आंख भी नहीं मूंद सकते। हम भगवान को कोसते हैं अगर हमारा काम नहीं होता, लेकिन न्यायपालिका के लिए कहते हैं कि मत बोलो। परन्तु न्यायपालिका के लोगों को भी समझना चाहिए कि उनके ऊपर भी 90 करोड़ लोगों की आंखें लगी हुई हैं। सभी बेवकूफ नहीं हैं, सभी मूर्ख नहीं हैं। सदन को भी सोचना चाहिए कि न्यायपालिका क्या कर रही है। जो उनके मन में आता है, वे वही कर रहे हैं। हम उनके ऊपर गर्व करते हैं लेकिन हमारा सिर नीचे झुकता है जब उनकी गलत बातों को सुनते हैं और उनकी परंपराओं को देखते हैं। मैं केवल एक उदाहरण न्यायपालिका के बारे में देकर अपनी बात खत्म करूंगा।

उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में एक वकील ने लोकहित की याचिका पेश की। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज और उनसे ऊपर के लोगों को अपनी कार के ऊपर लाल बत्ती लगाने का हक मिलना चाहिए। जिस कोर्ट में दस साल तक मुकदमे पेण्डिंग रहते हैं, उसी कोर्ट ने उसी दिन फैसला सुना दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज और ऊपर के लोगों की कार पर लाल बत्ती लगनी चाहिए और लाल बत्ती लग गई। इसमें जनता का क्या फायदा होना था?

एक और उदाहरण सुनें। एक साहब ने पेटीशन दायर की कि न्यायालय के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी जाए और उन्होंने उसी दिन फैसला कर दिया। महोदय, कहा जाता है कि घूस देने वाला और घूस लेने वाला बराबर का जुर्म करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जेल में महीनों रहे और जिन्होंने घूस दी वह आज सदन में आकर डेढ़-डेढ़ घंटा तक भाषण देते हैं। इसे देखना पड़ेगा। महोदय, इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल निष्पक्ष न्याय हो बल्कि दिखाई भी दे कि निष्पक्ष न्याय हो रहा है। हमारी न्यायपालिका जो महान है, परन्तु जिस कमी की ओर सब लोग इशारा करते हैं; यह भी सोंचे कि उसके अंदर कुछ खराबी आ गई है, तो उसको कैसे ठीक करें। क्या तरीका हो सकता है यह आप जानें।

कार्यपालिका एक वक्त बहुत अच्छी थी लेकिन उसमें भी गिरावट आई है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि गिरावट कैसे आई है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और देश-विदेश के प्रधान मंत्री और प्रेसीडेंट उनके दाह-संस्कार पर आये थे। फ्रांस के प्रेसीडेंट भी आये थे और सारे प्रतिनिधियों को उनके अपने दूतावासों में ठहराया गया था। फ्रांस के प्रेसीडेंट ने कहा कि मैं दिल्ली का दौरा करूंगा। सभापति महोदय, श्री पवार जी से मैं निवेदन करूंगा कि यह उन्हीं के जमाने के नेता के बारे में मैं बोल रहा हूं, जिनकी उनकी ओर से चर्चा रोज होती है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के दाह-संस्कार में शामिल होने के लिए फ्रैंच प्रेसीडेंट अपने दूतावास में ठहरे थे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की सड़कों और गलियों का दौरा करूंगा। सरकार का आदेश था कि कोई भी वी.आई.पी. बाहर नहीं जायेगा, बाहर खतरा है। लेकिन जब वह नहीं माने तो गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए सारी व्यवस्था करके उनको भेजा जाए। आई.पी.एस. बैच के एक अफसर की पी.आर.ओ. के रूप में ड्यूटी लगी थी। उसने बहुत मनाया। यहां के फ्रैंच एम्बेसेडर ने उनको मनाया। लेकिन वह नहीं माने, उनको ले जाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। आधे घंटे बाद वह लौट आये। उन्होंने कहा कि मुझे पेरिस वापस जाना है। मैं यहां नहीं रोकूंगा।

पता नहीं कल यह सरकार रहे या न रहे। राजीव गांधी जो पी.एम. बने हैं पता नहीं वह देश को बचा पायें या न बचा पायें। कल क्रांति भी हो सकती है। इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। उनके राजदूत ने कहा कि इस सरकार में कौन बैठा है इसकी चिंता आप न करें। यहां जो कार्यपालिका है वह इतनी सशक्त है कि इस देश को चला सकती है आप कोई चिंता न करे। कल कुछ नहीं होगा। तो ऐसी हमारी कार्यपालिका रही है। लेकिन आज कार्यपालिका को क्या हो गया है, जैसे-जैसे नेता चाह रहे हैं, वैसे-वैसे वे नचा रहे हैं और साथ ही साथ यदि कोई कमजोर नेता मिल गये, तो ये भी उसको नचा रहे हैं।

सभापति महोदय, आज एक सिपाही की या लेखपाल या किसी पोस्ट पर कोई भर्ती होती है तो उसके लिए पचास-पचास हजार रुपया लिया जा रहा है। एक गरीब ही सिपाही के रूप में भर्ती होगा और जब वह अपने बाप की जमीन बेचकर भर्ती के लिए पैसा देगा तो फिर जब वह ट्रेनिंग के बाद लौटेगा तो लाठी मारकर जनता से उतना पैसा वसूल कर लेगा। तब आप क्यों चिल्लाते हैं कि कार्यपालिका भ्रष्ट हो गई है। यह सोचिये कि क्यों भ्रष्ट हो गई है। खूब पैसा लिया जा रहा है, हर काम में पैसा लिया जा रहा है। इसलिए गहराई से सोचना पड़ेगा। आज तीन दिन से यह बात उठ रही है कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन हमारे कुछ साथी बार-बार उधर से इधर इशारा करते हैं कि राम का नाम मत लो, राम की राजनीति मत करो और साम्प्रदायिकता की आवाज देते हैं, जातिवाद का बखान करते हैं। मुझे केवल इतना ही कहना है कि राम तो हमारे रोम-रोम में बसे हैं। इस देश के कण-कण में बसे हैं। हम उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। लेकिन आप उन्हें भगवान का अवतार नहीं मानते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है मुस्लिम धर्म में भी उनको 14वां पैगम्बर माना गया है, लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई उन्हें अपनी राजनीति करने के लिए गलत निगाह से देखने की कोशिश करते हैं। श्री माधवराव सिंधिया जी ने इशारा किया था कि आप लोगों ने जो काम किया है, उसको हम पसंद नहीं करते हैं। आप उसको छोड़ दें। 6 दिसम्बर, 1992 को उन्हीं की सरकार थी।

सभापति महोदय : आपको 14 मिनट हो गये हैं।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : सभापति महोदय, आज हम पहले वक्ता हैं, बहुत दिनों से बैठे हैं। सिंधिया जी उस समय केबिनेट मिनिस्टर थे। 6 दिसम्बर की शाम को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। एक भी तत्कालीन मंत्री कह दे कि उस बैठक में उन्होंने चाय नहीं पी थी, नाश्ता नहीं किया था। ...*(व्यवधान)* आप ही ने शुरू किया था, मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। एक हवाई जहाज का टायर फटा, सिंधिया जी ने रिजाइन कर दिया। लेकिन 6 दिसम्बर की घटना पर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। उसे विवादित भवन नहीं मानते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया, जो हवाई जहाज के पहिये को उन्होंने दिया था। सभापति महोदय, श्री चतुरानन मिश्र जी ने कहा था कि अटल जी, आप मंदिर-मस्जिद का मुद्दा छोड़ दें, हमारे बुढ़ापे का ख्याल करें। मैं कहता हूं कि इस देश पर जो विदेशी आक्रमण हुआ है, जो उसके चिन्ह हैं, मिश्र जी उनको मिटा दें, हम उनके साथ हैं। जो इस देश में पैदा हुए हैं। जो इस देश के लिए जिंदा रहे हैं, इस देश के लिए मरे हैं, हम उनके साथ हैं। विदेशी आक्रान्ता का चिह्न मिटा दें, श्री मिश्र जी का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर के लिए हम नमन करते हैं।

वे हमारे हैं, हम उनके साथ हैं। अगर बर्मा में उनकी समाधि है तो हम उसकी इज्जत करते हैं लेकिन बाबर को हमेशा हम एक आक्रमणकारी मानेंगे। अकबर को अपना मानेंगे, बहादुर शाह जफर को अपना मानेंगे, दारा शिकोह को अपना मानेंगे लेकिन बाबर की कभी पूजा नहीं करेंगे क्योंकि बाबर ने इस देश पर आक्रमण किया था, इस देश को रौंदा था, यहां के गरीब और निर्दोष लोगों की गरदन काटी थी, लोगों की इज्जत, आबरू, आन-बान को लूटा था धक्का पहुंचाया था - आप भले ही कितना रोयें, उसके गीत गाएं हम बाबर को अपना नहीं मानेंगे। दारा शिकोह को अपना मानेंगे, बहादुर शाह जफर को मानेंगे। ...*(व्यवधान)* आपने बहुत बढ़िया कहा, आपने उसे सम्मान दिया ...*(व्यवधान)*

6 दिसम्बर को सभी जगह हमारी सरकार नहीं थी। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास में हमारी सरकार नहीं थी जबकि वहां से हजारों-लाखों लोग आए थे। आप रोकना चाहते तो उन सबको रोक लेते... *(व्यवधान)* मैं उसका विस्तार से जवाब आपको देता लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि उस 6-7 दिसम्बर की रात को पूरा देश बारूद के ढेर पर बैठा था, मैंने देखा था।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : आपने यह तो स्वीकार कर लिया कि 6 दिसम्बर की घटना आपने कराई, इसे आप स्वीकार कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : इसे आप स्वीकार कर रहे हैं, 6 दिसम्बर की घटना आपने कराई थी। ...*(व्यवधान)* चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए मैं अपना मुंह नहीं खोल रहा हूं। मेन गेट पर जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी दे रहा था, उसे एक साल में आपने ही छः बार प्रोमोशन दी थी। मैंने गोलियां नहीं चलाई।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : लेकिन एस.एस.पी. आप ही थे।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : मैं था, मैं शानो-शौकत से कह रहा हूं कि मैं एस.एस.पी. था लेकिन मैंने लाखों लोगों पर गोली नहीं चलाई। जलियां वाला बाग में 363 लोग मारे गए थे, अब उसकी क्षमा मांगने के लिए ब्रिटेन की महारानी आ रही हैं। मुझे गर्व है कि मैंने उस अवसर पर लाखों लोगों की जान बचाई। मैं चाहता हूं कि भगवान मुझे हजारों बार ऐसा मौका दे ताकि मैं लोगों की जान बचा सकूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उस तरफ देखकर बात मत कीजिए, वर्ना ट्रबल क्रिएट होगी। आप चेयर को एड्रैस कीजिए। आपने 17

मिनट ले लिए हैं, अब समाप्त कीजिए। चेयर के साथ को-आपरेट कीजिए।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : मैं कह रहा था कि 6 दिसम्बर को मुख्य गेट पर जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर था, इनके मुख्य मंत्री, इनकी सरकार ने एक साल में उसे छः प्रोमोशन दिए, उसकी सिस्टर और भतीजी की शादी में कई किलोमीटर पक्की सड़क बनाई, इनके मुख्य मंत्री और पूरी की पूरी कैबिनेट हैलीकॉप्टर से उसके गांव गई - क्यों गई - बताइए? उस पुलिस अधिकारी ने मुख्य द्वार पर क्या सुरक्षा की थी - जवाब दीजिए, पूरे सदन को बताइए। उस समय मुख्य मंत्री कौन थे : श्री मुलायम सिंह यादव थे। आज यहां जातिवाद की बातें उठाई जा रही हैं लेकिन वह अधिकारी भी श्री यादव की जाति का था।

मैंने उस रात की घटना को देखा है। अगर हमने और भाजपा ने न बचाया होता तो मुझे आप ऐसा कहने के लिए क्षमा करें कि उस समय देश में आग लग गई होती। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि मामला अदालत में पड़ा है इसलिए मैं यहां खुलकर नहीं बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)* यदि हम उस रात बचाव नहीं करते तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : चूंकि जातिवाद के नाम पर यहां अटैक हो रहा है मैं, वहां एस.एस.पी. था ...*(व्यवधान)* आज मैं एक सांसद हूं और अपने हाथ से रोटी बनाता हूं, बर्तन धोता हूं - इसका मुझे दुख नहीं है। आप सोचिए कि एक सांसद से आप क्या करना चाहेंगे ...*(व्यवधान)* आगे क्या करेंगे, फिर कहां से नेहरू पैदा होंगे, कहां से वाजपेयी और चन्द्र शेखर पैदा होंगे, कहां से प्रो. एन.जी. रंगा, एस.वी. कामथ और एन.जी. गोरे पैदा होंगे?

यहां जातिवाद की बातें कही जा रही हैं, हमें सम्प्रदायवाद समझाया जा रहा है। शायद हमारे साथी भूल रहे हैं कि श्री के.आर. नारायणन को प्रेजीडैंट बनाने में हमने समर्थन दिया था - किसने विरोध किया था, किसने श्री स्वैल नामक एक क्रिश्चियन को प्रेजीडैंट बनाने का विरोध किया था? हमने वाइस प्रेजीडैंट के लिए श्री बरनाला को प्रस्तावित किया था, किसने उसका विरोध किया था? क्या हमने एक दलित को देश का प्रेजीडैंट बनाने में सहयोग नहीं दिया? जिसे ये चाहते थे कि एक दलित चीफ मिनिस्टर न बने, हमने उसे चीफ मिनिस्टर बनाया ...*(व्यवधान)* जब आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं। आप सम्प्रदायवाद और जातिवाद की बात करते हैं...*(व्यवधान)* मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

आप तीसरी मंजिल पर जाइए। एक पार्टी का बोर्ड लगा है - लोक सभा में नेता कौन, अमुक यादव। राज्य सभा में नेता कौन - अमुक यादव के छोटे भाई अमुक यादव। मुख्य सचेतक कौन, अमुक यादव। यह स्थिति है। फिर यहां आप किसको भाषण दे रहे हैं कि जात-पांत न फैलाओं। आप तो खुद जात-पांत फैला रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सुभाष चन्द्र बोस किस जाति से थे। मैं नहीं जानता कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जाति क्या थी। इसी प्रकार से अखबारों में समाचार आता है कि अमुक नाम के हरिजन बालक की पेड़ से गिर कर मृत्यु हो गई। मैं समझता हूं कि क्या नाम ही काफी नहीं है। हरिजन शब्द क्यों लगाया जाता है?

सभापति महोदय : प्लीज समाप्त करिए।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमें क्या करना चाहिए। हमें परम्परा का पालन करना चाहिए। यहां हम जो कुछ भी कहें या कोई भी सांसद यहां पर जो भी मामला उठाए, उसके बारे में उसके पास लिखकर जाए कि वह काम हो सकता है या नहीं। यदि नहीं हो सकता है, तो भी उसे बताया जाए। हम यहां बोलकर चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता है कि जो हमने बोला है उसका क्या हो रहा है। वह काम होगा या नहीं होगा।

सभापति महोदय, आजादी से बहुत पहले हमारे देश का नाम "आर्यावर्त" था और तब इसमें बंगाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और अन्य देश शामिल थे। इसमें जम्बूद्वीप भी था और पूरे भूभाग को आर्यावर्त बोला जाता था। लेकिन "आर्यावर्त" से यह "भारत" हो गया और उस समय इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश आदि शामिल थे, लेकिन अब "भारत" से "इंडिया" हो गया। अब इसका भू-भाग बहुत सिमट गया। इसलिए मेरा फिर आग्रह है कि "इंडिया" से इस देश का नाम "भारत" किया जाए। यदि इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता हो तो वह भी हमें करना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब आप समाप्त करें 22 मिनट आप ले चुके हैं।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : सभापति महोदय, जनसंख्या पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। एक आदमी के एक या दो से बच्चे ज्यादा पैदा न हों चाहे वह अपने धर्म के अनुसार कितनी भी शादियां करें। संचार मंत्री मेरे सामने बैठे हैं। वे मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। श्री वर्मा की टोका-टोकी पर मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने आगे-पीछे और अगल-बगल में बैठने वालों को जरा देख लें। मेरा बार-बार एक ही आग्रह है कि एक आदमी से एक या दो बच्चे ही पैदा हों।

नागर विमानन मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : सभापति महोदय, इनके बगल में तो मैं ही बैठा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे एक ही बीबी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, श्री राय ठीक कह रहे हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन महोदय, जो ये कह रहे हैं कि "चाहे जितनी शादियां आदमी करें" यह कहकर महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र बहादुर राय : जी नहीं, मैं तो आप लोगों की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का समय दिया और अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने विशेष सत्र का आयोजन किया। सहयोग के लिए मैं सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं और यदि मेरी किसी बात से किसी भी माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें।



श्री अब्दुल रहमान अन्तुले

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान अन्तुले (कुलाबा) : सभापति महोदय, वास्तव में यह एक अत्यधिक महान और पावन अवसर है और इस अवसर को हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और फिर उसका आत्मनिरीक्षण करना होगा। क्या हम ऐसा करते हैं? कुछेक को छोड़कर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हम स्वतंत्र हो गए। श्री पी.वी. नरसिंह राव ने जिस बारीकी से स्वतंत्रता का विश्लेषण किया है, मैं उतनी सूक्ष्मता में नहीं जा सकता हूं। इस तरह से पूरा विश्व एक दूसरे पर निर्भर है। किन्तु क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? क्या हम अपनी दरिद्रता से मुक्त हो पाए हैं।

यदि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं तो हम स्वतंत्र भी नहीं है। क्या ज्यादातर गरीब भारतीय बीमारी, भूख और निरक्षरता से मुक्त हैं, नहीं। तो क्या हमें यह कहना चाहिए कि न तो हम मुक्त हैं और न ही आजाद तब हम वास्तव में क्या हैं हम किस श्रेणी में आते हैं? मैं इनका सहज ही उल्लेख कर रहा हूं। न ही मैं इन मुद्दों का समर्थन करता हूं और न ही इसका विरोध श्री पासवान ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया है। यहां प्रत्येक को अपनी मन की बात कहने की छूट है और उन्होंने वैसा ही किया। यह एक सामान्य सत्र नहीं है। यह एक विशेष सत्र है और संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम तथा संसदीय सम्मान और प्रतिष्ठा के अंतर्गत रहते हुए इसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं।

मैं आपसे एक पीठासीन अधिकारी के रूप में, तथा माननीय सभा से तथा अपने आप से, सभा के सदस्य एक नागरिक होने के नाते यह एक आसान सा सवाल करना चाहता हूं ''स्वतंत्रता क्या है?'' क्या इसी स्वतंत्रता को आप आजादी कहते हैं क्या यही हमारा लक्ष्य था या क्या इसका आशय गरीबों की स्थिति में सुधार और उनका उत्थान करना था। क्या स्वतंत्रता केवल उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है? गाधी जी के नाम को अनेक संदर्भों में उद्धृत किया जाता है लेकिन अनेक बार उन्हें संदर्भ से हटकर उद्धृत किया गया। गांधी जी ने कहा था, ''हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं।'' यह लक्ष्य शायद 1927 में निर्धारित किए गए थे ऐसा 1920 में, भारतीय राजनीति में गांधी जी के प्रवेश के कुछ वक्त बाद किया गया था। 1920 से 1947 के बीच अर्थात् 27 वर्षों के अंतराल, में हम आजाद हो गए तथा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन तब से अब तक पचास वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक विदेशी शक्ति से तो हमने अहिंसा द्वारा और किसी अन्य देश या राष्ट्र को कोई क्षति पहुंचाये बगैर हमने मात्र 27 वर्ष में ही आजादी पा ली थी लेकिन इन पचास वर्षों में हम अपने अधिकतर लोगों को उनकी मूलभूत चिंताओं से मुक्ति नहीं दिला पाये हैं। दूसरे शब्दों में क्या हमने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं? मेरे विचार से अभी हमने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य नहीं है, यह तो केवल साधन मात्र है।

भारत का संविधान बना देना ही हमारा लक्ष्य नहीं, यह तो मात्र साधन है। राज्य का चाहे कोई भी महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका हो, ये सभी साधन लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं। हमारा लक्ष्य हर गरीब के दुख को समाप्त करना उसकी आंख से आंसू पोछना है। क्या हमने इसमें सफलता पाई है। हमने अनेक क्षेत्रों में काफी तेजी से प्रगति की है। कोई भी व्यक्ति इसे नकार नहीं सकता है। लेकिन यदि नेहरूजी न होते तो हमारे पास वह आधारभूत उद्योग भी न होते जो आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक थे। हां, उनके बिना आर्थिक प्रगति की नींव नहीं रखी जा सकती थी। दूसरी ओर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमने आंकड़ों को देखा है ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार नहीं, हमारे अपने आंकड़ों के अनुसार 1947 में कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे थे और आज कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ''जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है यह सत्य है। लेकिन अनुपात वही बना हुआ है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए हम मात्र जनसंख्या वृद्धि को ही इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कोई भी परिवार कल्याण या दूसरे शब्दों में परिवार नियोजन के विरुद्ध नहीं है। किसी धर्म का यह मानना नहीं है कि परिवार नियोजन न करो, और उतने बच्चे पैदा करो जितने आप चाहते हो।'' समाज के किसी धर्म विशेष या ऐसे अन्य लोगों को इसके लिए बदनाम करना उचित नहीं है। क्या हम गरीब को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे वह परिवार नियोजन को अपना सके।

मैं बहुत ही कम समय के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहा। जनसंख्या नियंत्रण ऐसा मुद्दा था, जिस पर मैंने सबसे पहले ध्यान दिया। वहां मैंने यह देखा कि सैंकड़ों करोड़ों रुपये इस प्रयोजन हेतु दिए जाते हैं, यहां तक कि बाहर से भी धन आता है। गर्भनिरोधक खरीदना होता है। तथापि कितने लोग इसे खरीदते हैं। हम नहीं जानते वे कहां जाते हैं मैंने खुद, करीब दो दर्जन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दौरा किया क्योंकि वही वे स्थान हैं जहां से गरीब और जरूरतमंद को गर्भनिरोधक का वितरण किया जाता है। गरीब लोग उसे खरीद नहीं सकते। वे लोग जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता वे गर्भनिरोधक कैसे खरीद सकते हैं? हम जनसंख्या वृद्धि को कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब लोग परिवार नियोजन को अपनायें मेरे विचार से इसका यही अर्थ होता है लेकिन ऐसा कहना उसी प्रकार होगा जैसेकि मैंने एक गर्म आईसक्रीम को छू दिया। उन्हें यह खरीदने

के लिए संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए या इसे नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने भारत के एक भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसमें अधिकतर गैर-राजनीतिज्ञ शामिल थे, जिन्हें पता लगाना था कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए तथा इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि गर्भनिरोधक को पहले खरीदा जाए और फिर बाद में इसे अति गरीब लोगों तक उचित रूप से निशुल्क कैसे पहुंचाया जाए। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को इन सब बातों की जानकारी दी गई जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और इसकी अध्यक्षता के लिए सहमत हो गए। आचार संहिता को लागू किये जाने से पहले उस समय मैं मंत्री था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक उस समिति का गठन नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि मैंने उस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

एक मुद्दा जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह है कि अति गरीब लोगों को निशुल्क गर्भनिरोधक उपलब्ध कराया जाये। यदि ऐसा किया जाता है तो जनसंख्या को तत्काल नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इसकी देखरेख कौन करेगा? इस उद्देश्य के लिए हमारे देश में सैंकड़ों करोड़ रुपये आ रहे हैं। मेरे विचार से प्रतिवर्ष या दो वर्ष में एक बार करीब 100 या 200 करोड़ रुपये इसके लिए व्यय किए जाते हैं। यह धन कहां जाता है? जबकि जनसंख्या वृद्धि जोकि वास्तव में एक अभिशाप है, को नियंत्रित किया जाना है, हमें यह देखना होगा कि क्या हम स्थिति को संभालने की स्थिति में है अन्यथा गर्भनिरोधक मात्र एक कल्पना बनकर ही रह जायेगा।

हम अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र मानते हैं। मुझे भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर नहीं साबित करना है। भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र को धर्मनिरपेक्ष होना ही है। यदि लोकतंत्र को अन्य अर्थों में लिया जाता है तो यह लोकतंत्र नहीं रहेगा बल्कि भीड़ तंत्र हो जायेगा। चूंकि इस देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की गारंटी है। श्री मुलायम सिंह यादव को उस दिन ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी? तीन अनाथ बालिकाओं ने इसलिए जहर खा लिया क्योंकि उनकी विधवा मां उनके विवाह के लिए परेशान थीं। उन्होंने अपनी मां और भाई की चिन्ता को समाप्त करने के लिए जहर खा लिया। क्या गरीबी जहर खाने से दूर की जा सकती है। क्या अनुच्छेद-21 का यही अभिप्राय है। क्या हम उच्चतम न्यायालय से इस निदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता में उसे जीने का अधिकार, गरिमा और सम्मान से जीने का अधिकार शामिल है, क्या इसमें यह शामिल है कि जीवनयापन तो करें और मरने के लिए जहर न खायें। उन्हें जीने के लिए समर्थ बनाने का काम किसका है। हम हर कार्य के लिए जिसे भी कर सकते हैं और जिसे हमें करना चाहिए उच्चतम न्यायालय की ओर देख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया है। बहुत सी सामान्य बाते हैं। मैं आत्म कथाकार बनना नहीं चाहता। मैं इसे पसंद नहीं करता। मुझे अपने व्यक्तिगत अनुभव से दो तीन उदाहरण बताने हैं। इसके बाद मैं राजनैतिक और सरकार की स्थिरता के मुद्दे पर आऊंगा जो कि आर्थिक विकास सहित किसी भी प्रकार के विकास, स्वाधीनता और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए जरूरी है।

हम अपनी स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि स्वतंत्रता पाने के लिए कितने अनजान गरीब लोगों को जानें गंवानी पड़ी जी हां, हम जानते हैं, लेकिन इससे क्या? हम महानतम नेताओं महात्मा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरू और बड़े-बड़े नेताओं को जानते हैं। हमने इन बड़े-बड़े नेताओं के बारे में सुना है। लेकिन वास्तविकता क्या है। अकेले महाराष्ट्र में सैकड़ों गांव हैं जहां हजारों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। और संपूर्ण देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां लोगों ने ब्रिटेन के लोगों की गोलियों का मुकाबला किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान तक गंवा दी। क्या इस माननीय सभा में श्री ए.आर. अंतुले सहित कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है कि उसके पास उन लोगों के नामों की सूची है जिन्होंने अपनी जान गंवाई जिससे हम स्वतंत्र हवा में सांस ले सकें और इस सभा के सदस्य बने।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में, पहला कार्य जो मैंने करने के लिए सोचा वह यह था। मैंने प्रत्येक गांव के लोगों की सूची प्राप्त की जहां निवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलियों का सामना करना पड़ा और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपनी जान गंवा दी। मैंने यह निर्णय लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं सतारा जिले के बहुत ही छोटे से गांव में गया और कुछ स्वतंत्रता सेनानी श्रोताओं में बैठे थे। वे बहुत ही वृद्ध थे और मैंने उन्हें मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। सबसे वृद्धि जो मेरी एक तरफ बैठे थे मैंने उनसे पूछा "आप एक स्वतंत्रता सेनानी है। आपके यहां कितने व्यक्तियों ने जान गंवाई?" उन्होंने बताया, "इस गांव के नौ लोगों ने स्वतंत्रता के लिए जान गंवाई।" मैंने कहा, क्या दयनीय स्थिति है। मैं मुख्य मंत्री हूं। मैं यहां आया और तब उन आदरणीय वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने मुझे बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यहां नौ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने अपने आपसे प्रश्न किया "क्या मैं वास्तव में वहां बैठने का अधिकारी हूं जहां मैं बैठा हूं? क्या मैं स्वतंत्र भारत में सरकार के इस उच्च पद पर आसीन रह सकता हूं।"

मैंने वहां अपना भाषण यह कहते हुए शुरू किया कि कम से कम भारत के लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि इस गांव ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, वहां गांव के प्रवेश द्वार पर यह स्मारक बनाया जाना चाहिए ताकि इसे बाहर से ही देखा जा सके और प्रत्येक व्यक्ति यह कहते हुए अपना सिर झुका सके कि इस गांव का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है। मैंने वास्तुकला के क्षेत्र में शक्ति संपन्न व्यक्तियों और इसके विद्यार्थियों द्वारा प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कहा। एक स्वतंत्र समिति नियुक्त की गई और उन्होंने एक स्मारक का चुनाव किया जोकि बहुत सुंदर है। वह स्मारक उस गांव के प्रवेश द्वार पर लगाया गया है जिसके निवासी अंग्रेजों के हाथ मारे गए। यह एक स्तम्भ नहीं है बल्कि एक बहुत सुंदर भवन है जोकि गांव के प्रवेश द्वार पर संगमरमर से बना है। उस पर उन शहीदों के नाम खुदे है ताकि नई पीढ़ी उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा ग्रहण कर सकें। उन लोगों ने अपने ज़ीवन का बलिदान दे दिया है तब हम स्वतंत्र हुए और तभी मैं आज मुख्य मंत्री बना जिसके लिए हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं मुख्य मंत्री नहीं बन सकता था। हम यहां नहीं होते तो कोई भी प्रधान मंत्री न बना होता। श्री गुजराल जी ने प्रधान मंत्री बनने का सपना तक नहीं देखा होता यदि इन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर न किए होते। क्या यह उचित समय नहीं है कि स्वतंत्रता की

इस 50वीं वर्ष गांठ पर हम कम से कम उन लोगों के नामों की सूची तैयार करें जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। किसी व्यक्ति को प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं होता, ऐसी ही बात संबंधित परिवार के सदस्यों के साथ होती है। धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है लेकिन जीवन नहीं खरीदा जा सकता। हम नहीं जानते, कम से कम मैं नहीं जानता। मैं गलत अथवा अनजान हो सकता हूं। मुझे यह जानकर बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि महाराष्ट्र में पहला व्यक्ति जो शहीद हुआ, वह एक आदिवासी था। मैंने सूची देखनी शुरू की और जब मैंने पूरी सूची देखी तो मैं हैरान रह गया कि उसमें 99.9 प्रतिशत निर्धन व्यक्ति थे। वे सब निरक्षर थे और ग्रामीण निर्धन थे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। अपनी जान गंवाकर न केवल उसने अपनी कुर्बानी दी बल्कि उसके सारे परिवार ने जो उस पर निर्भर था उसकी भी यह कुर्बानी थी। उसके त्याग से संपूर्ण परिवार की हालत दयनीय बन गई फिर भी उन्हें खुशी थी कि क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब भी प्राणों की आहुति देने का प्रश्न उठता है, निर्धन ही ऐसा व्यक्ति होता है, जो सब में अग्रणी रहता है। महात्मा गांधी जी के आहवान पर देश से ब्रिटिश लोगों को भगाने के लिए देश के कोने-कोने से जो लोग आगे आए उनमें निर्धन अधिक थे। लेकिन जब स्वतंत्रता मिली तो इसका फल चखने वाले हम लोग है। इसका लाभ हमने उठाया। अत: अब यह उचित समय है कि हमें वास्तव में एक सर्वेक्षण करना चाहिए। मैं इस माननीय सभा भारत के लोगों की इच्छाओं को अभिव्यक्त करने वाले इस सर्वोच्च और प्रभुत्व प्राप्त निकाय से मांग करता हूं कि जो लोग राष्ट्रपिता के आह्वान पर अपनी इच्छा से स्वयं आगे आए और शहीद हुए, उनकी पहचान की जाए और उन पर आश्रित व्यक्ति यदि अभी जीवित हैं तो उनका विशेष ध्यान रखा जाये। हमें उनके नाम ज्ञात नहीं है। हमें यह भी मालूम नहीं है कि उनके परिवार किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है जिनका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वे गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं अमीरों का नहीं।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी उनसे सहमत हूं कि देश अमीर है लेकिन वहां के लोग गरीब हैं। ऐसा क्यों है हमने धन संचित किया है लेकिन प्रश्न यह है कि वह कितने लोगों के हाथों में गया है। क्या यह समान रूप से वितरित किया गया है। क्या हमने राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत पर ध्यान दिया है। क्या इसमें इस बारे में कोई अनुच्छेद नही है। श्रम क्या है। क्या उसे उद्योग के प्रबन्धन में भाग लेने के लिए कोई लाभ मिल रहा है। क्या उसकी इसमें कोई प्रभावकारी भूमिका है। मुझे केवल तीन सुझाव देने हैं।

मेरा पहला सुझाव यह है राष्ट्र के राजकोष से, गरीबों की दैनिक मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन व्यय किया जाए। मेरे विचार में एक बार हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के बाद देश की अखंडता पर ध्यान दिया जाए और हम अनेक जातियों, वर्गों, वर्ण और धर्म के बावजूद एक संयुक्त राष्ट्र बने। हमें मूलत: गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। हम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। लेकिन क्या सम्मान दे देना ही पर्याप्त है। क्या यह सम्मान उन भूखों का पेट भर पायेगा जो खाली पेट सो जाते हैं। जीवन की पांच मूल आवश्यकताएं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व और प्रेरणा से बुलाए गए जनवरी 1964 के कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशन में, जो कि उनका अंतिम अधिवेशन था, में जीवन की पांच मूल आवश्यकताएं बताई गई थीं। यह सभी को भलीभांति ज्ञात है। इन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं।

जनवरी, 1964 में एक संकल्प द्वारा विधिवत वचन दिया गया था कि 20 वर्षों में वे सभी भारतीय जो अभी भी दुर्भाग्यशाली हैं, जो अपेक्षित हैं, गरीब हैं उन्हें बीस वर्षों में जीवन की मूल आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जायेगी। मई 1964 में पंडित जी की मृत्यु हो गई। वर्ष 1964 बीत गया उसके बाद 1974 और 1984 भी बीत गया। अब हम 21वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़े हैं। क्या इस संबंध में कुछ किया गया है? दुर्भाग्यवश इस संकल्प के बाद पंडितजी नहीं रहे। लेकिन क्या उनका वचन महात्मा गांधी जी के स्वप्न से मेल नहीं खाता था? अत: जो भी हो, हमें सभी भारतीयों की मूल आवश्यकताओं को कम से कम 21वीं सदी के पहले दशक में अवश्य पूरा करना चाहिए। हमें अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति करनी है। इनका लाभ केवल संपन्न लोगों को ही होता है। यह उचित समय है जब संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन महात्मा गांधी जी के स्वप्न के अनुसार, मानवता के दृष्टिकोण के अनुसार जीवन की मूल आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले हम उनकी आवश्यकताएं पूरी करें, इसके बाद जो भी बचता है उसे अन्य क्षेत्रों पर खर्च किया जाएं। यह पहली चीज है जिसे करना किसी भी प्रकार कठिन नहीं है, हर हालत में यह राष्ट्र का पहला कर्त्तव्य है।

मैं एक अन्य उदाहरण दूंगा। ऐसे परिवारों को जिन्हें ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई देखने वाला नहीं है, उनकी देख-रेख कौन करेगा। पृथ्वी पर उनके लिए भगवान कौन बनेगा? क्या सरकार जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती? क्या यह निर्वाचित सरकार नहीं है? क्या यह देखना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं है कि कोई वृद्ध या दुखी जिसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है, स्वतंत्र भारत में उसकी देखभाल राज्य द्वारा की जाये? उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम स्वयं ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जैसी पेंशन क्यों न दें? हमने ऐसा महाराष्ट्र में शुरू किया है। यह संजय गांधी स्वावलम्बन योजना है। कोई इसे रोक नहीं सकता। इसे रोकने की कोशिशें की गई थी। परन्तु उन्हें समाज के रोष का सामना करना पड़ा और वे अपनी कोशिश में असफल रहे। मेरा ख्याल है कौशल और पसीने को राष्ट्र के धन में बदलने वाली एक बहुत ही आंदोलनकारी और उत्पादनकारी योजना "संजय गांधी स्वावलम्बन योजना" को समाप्त कर दिया गया था। ऋण के रूप में दो हजार पांच सौ रुपये बारह वर्षों में अदा किया जाने वाला ब्याज मुक्त ऋण, किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी सिफारिश तहसील स्तर पर समाज के चुने हुए असंदिग्ध निष्ठा वाले पांच निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा की गई हो। अगर वे कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को 500 रुपये या 1000 रुपये या 1500 रुपये या 2500 की आवश्यकता है तो उन्हें इतने रुपये दिए जाने चाहिए।

महोदय, अधिक समय लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। परन्तु ये यथार्थ हैं। ये छोटे लोगों की समस्याएं हैं। मैं एक छोटा आदमी हूं। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। मैं ऐसे बड़े काम नहीं कर रहा हूं जो मेरी पहुंच के बाहर हैं, जो मेरी कल्पना के बाहर हैं। परन्तु मैं केवल उन्हीं यथार्थपूर्ण मामलों की बात करूंगा जिनको पूरा किए जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार से प्रजातांत्रिक भारत में, ये प्राथमिकता वाली मदें हैं। वास्तव में यही राष्ट्र की कार्यसूची है।

मुझे मुख्य मंत्री के पद से त्यागपत्र दिए हुए दो/तीन वर्ष हो गए हैं। श्री दाइमा मराठवाड़ा में जालना में रहते हैं। वे मेरे समय में विधायक थे। यह मेरे मुख्य पद से हटने के दो/तीन वर्ष बाद हुआ था। जब मैं जालना गया - वे उस समय विधायक थे। मैंने कहा, यह ''संजय गांधी स्वावलम्बन योजना'' लागू होने के बाद किस तरह काम कर रही है? वे बोले, ''महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चाहे स्कीम के अंतर्गत यह कहा गया है कि पहले दो वर्षों के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद ऋण के रूप में दी गई राशि दस वर्षों के अंदर आसान किश्तों में बिना ब्याज के वापिस की जाएगी।'' परन्तु वे बोले : एक वर्ष के अंदर इन मोचियों, हस्तकारों और छोटे लोगों ने भुगतान कर दिया था तथा इस अवधि में 95 से 97 प्रतिशत वसूली हुई जबकि कुछ भी भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बैंक घोटाले के साथ तुलना करके देखिए। कितने हजार करोड़ रुपये बड़े, धनी और लखपतियों को दिए गए थे। कितना धन लिया और बरबाद किया गया है? मैं नहीं जानता उसका क्या हुआ? मैंने केवल बैंक घोटाले, एक समिति तथा उसके बाद किसी प्रकार की जांच के बारे में सुना है। परन्तु मैं नहीं जानता कि इस समय मामला कहां अटका पड़ा है। इस तरह कितने हजार करोड़ रुपये बर्बाद हुए हैं? अगर वही धन दिया जाता - गरीब आदमी ज्यादा नहीं चाहता - अगर आप उसके हाथ में एक लाख रुपये देते हो तो वह अवाक रह जायेगा। वह यह भी नहीं जानता कि इसका क्या करें क्योंकि उसने एक लाख रुपयों के बारे सुना भी नहीं। उसकी आवश्यकता 1500 रुपये या 2000 रुपये या 2500 रुपये की है। यह सरकार कोई स्कीम क्यों नहीं बनाती?

मध्याह्न 12.00 बजे

अगर विभिन्नत घोटाले में अंतर्ग्रस्त धन अलग रखा जाता है तो कुशल और अकुशल मजदूर को पसीने की कमाई से उसके परिवार को तो लाभ होगा ही साथ ही देश के लिए सम्पदा सृजन भी होगा। प्रत्येक तहसील में, सभी दलों द्वारा तथा गैर दलीय आधार पर पांच व्यक्तियों के नामों का सुझाव दिया जाना चाहिये। सर्वसम्मति से चुने गये उस पांच व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाये। ऐसी स्कीमों का मत प्राप्ति के लिये उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र का कर्तव्य है और हमें इसे कर्तव्य का निर्वाह करने की भावना से करना चाहिए। ऐसी समितियों के लिये सभी दलों को आपसी सहमति से कुछ व्यक्तियों के नाम सुझाने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है ये व्यक्ति ईमानदार प्रतिष्ठावान होने चाहिये और इनमें से अधिकांश राजनीति से बाहर के हों। उन्हें यह सुझाव देना चाहिए कि अमुक-अमुक व्यक्तियों को ऋण दिये जाएं : फलां-फलां राशि के ऋण दिये जाने चाहियें। और उसी आधार पर ऋण दिये जायें।

महोदय जब मुझे मुख्य मंत्री की शपथ दिलाई गई थी, तो मेरा एक सपना था कि 1985 में जब मैं अगले चुनाव का सामना करूंगा तो तब तक ऋण की यह राशि 2500 रुपये से 25,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन मुझे डेढ़ साल में ही त्याग पत्र देना पड़ा यह एक अलग मामला है। उसके बाद स्कीम ही बन्द हो गई थी। यह स्कीम आदिवासियों के लिये भी नहीं रही, चंद्रपुर जिले में, मैंने मुख्य मंत्री के रूप में कहा था कि अगर पांच साल बाद आकर मैं आपसे वोट मांगता हूं और अगर कोई भी कहता है कि एक भी व्यक्ति खाली पेट सो रहा है तो कृपया मुझे या मेरी पार्टी को वोट न दें। मुझे यहां रहने या बैठने का कोई अधिकार नहीं है जहां मैं बैठा हूं। अपने भाषण में मैंने यह कहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि यह लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं है।

परन्तु इसके लिये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे अंदर इच्छाशक्ति नहीं है। महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि कौन क्या कहता है। जब भी मैं अपना मुंह खोलता हूं और सच बोलता हूं तो कोई विवाद होता है। अपने पूरे जीवन में मैं विवादों के भंवर में ही रहा। अगर आज भी ऐसा होता है तो मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैंने 12 जनवरी, 1982 को त्यागपत्र दिया था। 1981 के दिसम्बर महीने में मैंने श्री आई.जी. पटेल से मुलाकात की थी जिन्होंने कहा था गरीब किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण माफ नहीं किया जाना चाहिए। जिन्होंने ऋण लिया है, उनके दादाओं और उनके पिताओं ने भी ऋण लिया था। परदादा का परदादा भी ऋण से दबा हुआ था। उनके पोते और पोतों के पोते भी ऋण से दबे रहेंगे। वे अपनी साख खो चुके हैं। वे सहकारी बैंकों या तथाकथित राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। भारतीय रिजर्व बैंक के तात्कालिक गवर्नर, श्री आई.जी. पटेल ने कहा, ''हमने कोई धार्मिक संस्थान नहीं चलाया है। हमने कोई अनाथालय नहीं खोला है और हम इसे अनाथालय नहीं बनने देंगे।'' मैंने मुख्य मंत्री के रूप में इस सदन में कहा था कि श्री आई.जी. पटेल कोई सर्वोच्च मंत्रीमंडल नहीं है। वे सर्वोच्च मुख्य मंत्री नहीं हैं। मैंने कहा, ''जब महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री कोई निर्णय लेता है तो वह अंतिम निर्णय होता है। यदि मुझे त्यागपत्र देना होगा तो मैं इस मुद्दे पर त्यागपत्र दूंगा परन्तु मैं न ही अपनी बात से मुकरूंगा और न ही पीछे हटूंगा।'' आखिर ऋणों को माफ करने का निर्णय लिया गया। कब? 1981 में मैंने श्री आई.जी. पटेल को आमंत्रित किया था और वे सहमत हो गए थे। मैंने कहा था कि सरकार की तरफ से मैं ''स्वावलम्बन स्कीम'' के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण का एक लाख रुपये तक भुगतान करने की गारंटी देता हूं। अगर विद्यार्थी इंजीनियरिंग कालेज, तकनीकी संस्थान से उत्तीर्ण होकर बाहर आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। हम कहते हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या रोजगार की ही बात करें? हम उन्हें छोटे व्यापारी या उद्योगपति की तरह अपना काम शुरू करने के लिए ऋण क्यों नहीं दे सकते?

कल, डा. मुरली मनोहर जोशी ने कार्य कौशल के बारे में कहा था कि यह भारतीयों के खून में है। कुशल लोगों की उंगलियां अंग्रेजों द्वारा काट दी गई थीं। इस प्रकार कौशल खो गया। अब हम उस विशेष कौशल का कैसे शोषण कर रहे हैं? वास्तविक कौशल जन्मजात होता है। हम यह क्यों नहीं कह सकते कि आप एक लाख रुपये ले लीजिए और अपना उद्योग लगाइए, अपने पैरों पर खड़े होइए; किसी अन्य की सेवा न करें; देश की सेवा करें। अब समान ब्याज दर क्यों है? जो 1 करोड़ रुपये लेता है उसके लिये भी वहीं ब्याज दर है। अगर ऋण 1 लाख रुपये का है तो उस पर भी वही ब्याज दर देनी पड़ती है। अगर यह 10,000 करोड़ रुपये है फिर भी वही ब्याज की दर है। जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपया मिलता है वह हजारों रुपये कमाता है। जो व्यक्ति

10,000 करोड़ रुपये या 10 करोड़ रुपये या 100 करोड़ रुपये पाता है वह 10 से 100 करोड़ रुपये तक कमाता है। हम 1 लाख रुपये का ऋण क्यों नहीं दे सकते, अगर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो पूर्वोक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार ही बैंक उन्हें ऋण दे न कि अधिकारियों की समिति की सिफारिश पर। महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वे चाहें तो इन्हें लागू कर सकते हैं। वास्तव में यह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वह ब्याज का भुगतान करने की राज्य सरकार की गारंटी के साथ उन्हें एक लाख रुपये तक का ऋण दें/स्वीकृत करें जिनके लिए समिति ने सिफारिश की है।

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक धोखाधड़ी है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। वरिष्ठ व्यक्ति अपने कनिष्ठ व्यक्ति से काम करवा लेता है, जो भी वरिष्ठ चाहता है वह फाइलों पर लिख देता है। क्योंकि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की धमकी है। अगर वह उसके अनुदेश नहीं मानता तो उसका भविष्य खराब हो जाता है। मैं कुछ सचिवों को जानता हूं, सभी को नहीं, परन्तु कुछको, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जो फाइलों पर केवल अपने हस्ताक्षर करते हैं। मुझे यह कैसे पता चलेगा कि सचिव ने अपना दिमाग भी लगाया है या नहीं; पढ़ा भी है या नहीं, मैं जानता हूं कि भारत सरकार कैसे चल रही है। पूरा नोट निचले स्तर से आता है। अगर ए.सी.आर. का काम - मैं ''काम'' इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सचिव कहता है, ''आप इस तरह कीजिए, आप दूसरी तरह नहीं कर सकते; अगर आप किसी और तरह से करते हैं, तो आपकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट खराब हो जाएगी और ''उच्च'' अधिकारी के काम में रूकावट आएगी।

यदि अधीनस्थ अधिकारी दिए गए निदेश से भिन्न नोट देने का साहस करता है तो परिणाम यह होता है कि उसकी पदोन्नति रोकी जा सकती है और किसी न किसी बहाने उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कदम भी उठाया जा सकता है। अत: भारत सरकार को जो पहला कदम उठाना चाहिए वह यह है कि विशेषकर शोषित वर्ग या गरीब अथवा एक ईमानदार, सच्चे सही अधीनस्थ अधिकारी और सरकारी सेवारत व्यक्ति के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी कार्य-कुशलता बढ़ाने के हित में कोई नई तरह का ढंग ईजाद करना चाहिए। ताकि समाज के निचले वर्ग के और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले वर्ग के सपने पूरे हो सके। ए.सी.आर. दूसरे ढंग से तैयार की जाए, जैसे अंग्रेजों के जमाने में तैयार की जाती थी वैसे न तैयार की जाए।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : यह कैसे तैयार की जाती है?

श्री अब्दुल रहमान अन्तुले : आप ए.सी.आर. को हटा दीजिए। आप एक समिति जैसे पी.ए.सी./पी.एस.सी. गठित कीजिए। उसे कार्य-निष्पादन देखने दीजिए और ए.सी.आर. तैयार करने दीजिए सब कुछ ए.सी.आर. पर निर्भर करता है। हर वर्ष ''अतिउत्तम'' मिलता रहे तो पदोन्नति सौ प्रतिशत होती है। यह सब सापेक्ष संतुष्टि पर निर्भर करता है। यदि मैं सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव हूं तो मेरे से निचले दोनों व्यक्तियों को मेरी सनक का शिकार होना ही है। चूंकि यह मेरे अनुभव पर आधारित है अत: मैं राष्ट्र के हित में यह सुझाव दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, अंतुले जी इतनी देर से बोल रहे हैं और आपने इनको एक बार भी नहीं टोका है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मुझ पर दोष लगा रहे हैं। अध्यक्षपीठ पर दोषारोपण मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : आपकी तरफ से भी बहुत से माननीय सदस्य आधा-आधा एक-एक घंटा बोले हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे पता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति महोदय माननीय सदस्य का यह बहुत अच्छा सजेशन है और मैं समझता हूं कि कोई पार्टी पोलिटिक्स नहीं है। *...(व्यवधान)* इसलिए इन्हें थोड़ी-देर और बोलने का समय दिया जाए *...(व्यवधान)*

श्री जी. वेंकटस्वामी (पेद्दापल्ली) : सभापति महोदय, यह वीकर सैक्शन के लिए बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण सजेशन है *...(व्यवधान)* ऐसी चीजों से दिल जलता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : स्वामी जी, आप काम्पलीकेंशनस मत कीजिए

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान अंतुले : मैं अपने अनुभव पर आधारित सुझाव दे रहा हूं। मैं हवा में ही सुझाव नहीं दे रहा।

सभापति महोदय : श्री अंतुले, कृपया समय की सीमा का ध्यान रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, हर पार्टी के माननीय सदस्य बहुत-बहुत देर तक बोले हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान अन्तुले : पर किसी के विरुद्ध नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अंतुले, कृपया समय सीमा का ध्यान रखें।

...(व्यवधान)

नागर विमानन मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : महोदय, हम सब नए-नए मंत्री बने हैं। वे जो कुछ कह रहे हैं सभी के लिए लाभप्रद है। उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बार-बार व्यवधान पैदा करके आप समय नष्ट कर रहे हैं। वे वरिष्ठ नेता है। मैं उन्हें भी समय सीमा का ध्यान रखने को कह रहा हूं ...

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री वेंकटस्वामी, वे नहीं मान रहे। श्री अंतुले आप कृपया अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री अब्दुल रहमान अंतुले : यह सब सुझाव जो मैं दे रहा हूं वे अनुभव पर आधारित हैं। मेरे अधिकांश सहयोगी इस बात से सहमत होंगे कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आत्मनिष्ठ संतुष्टि पर आधारित होती है और आत्मनिष्ठा को निष्पक्ष एवं अपक्षपातपूर्ण मानदण्ड नहीं माना जा सकता जिससे कि मेधावी परिश्रमी एवं निष्ठावान अधिकारी को पदोन्नत करने या दंडित करने का आकलन किया जा सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परिवार कल्याण विभाग में ऐसे कई मामले मेरी जानकारी में आये तो मैंने जनवरी, 1996 में निर्देश जारी किया कि उन अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो मंत्री के रूप में मुझे प्रस्तुत की जाती है और उन अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो कार्य पद्धति के अनुसार अथवा तथा पूर्वदृष्टांतों के अनुसार मुझे प्रस्तुत नहीं की जाती, वे सब मुझे दिखाई जाएं। किन्तु तत्कालीन सचिव ने मेरे द्वारा मंत्रालय के कार्यभार से मुक्त हो जाने तक इन्हें मुझे प्रस्तुत नहीं किया। मैंने इस विषय पर तत्कालीन मंत्रिमंडलीय सचिव को एक नोट भेजा और उससे इसकी चर्चा भी की। उस नोट की एक प्रति प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव को भी भेजी, परन्तु उस पर कार्यवाही नहीं हुई।

जब तक ऐसे नहीं किया जाता और जब तक संसद इस पर प्रस्ताव पारित नहीं कर देती कि इस पद्धति से वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की प्रणाली बंद की जाए, तब तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। यह सुझाव तो बहुत मामूली लग सकता है परन्तु इससे सरकारी कर्मचारियों, हजारों लाखों विशेषकर कमजोर वर्ग की जिन्दगियां जुड़ी हुई हैं। मैं अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के लोग कम हैं परन्तु इसका नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ता है।

मेरा आखिरी सुझाव यह है। मैंने कहा है कि मैं केवल सूझाव दूंगा, परन्तु फिर भी वे इतने उतावले और असहिष्णु क्यों हो रहे हैं? मुझे बिल्कुल यह समझ नहीं आता। मेरे ध्यान में कोई व्यक्ति विशेष नहीं था या कोई समुदाय विशेष नहीं था मुझे केवल देश के हित का ही ध्यान था।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात खत्म कीजिए। आप अपनी आखिरी बात कहिए।

श्री अब्दुल रहमान अन्तुले : इन पचास वर्षों में हमने यह अनुभव कर लिया है कि स्थिरता तभी तक रही जब तक शासन व्यवस्था महान विभूतियों के हाथों में थी। जब नेहरू जी थे, तब स्थिरता थी। इंदिरा जी के शासन काल में भी स्थिरता ही थी। केवल हां, आपात स्थिति इसका अपवाद रही, जिसके पश्चात् स्वयं इंदिरा जी और उनकी पार्टी चुनाव हार गई थी। परन्तु क्या संविधान लिंकन के विचारों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। संविधान बनाते समय न केवल लिंकन जैसी बड़ी हस्तियों को ध्यान में रखना चाहिए अपितु निक्सन जैसी हस्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आप उदाहरणार्थ देखिए आज गुजराल जी प्रधान मंत्री है। मैं उनका शुभ चाहता हूं। परन्तु बहुत से लोगों का मत है कि सरकार बड़ी मुश्किल से अस्तित्व में बनी हुई है। कहने का मतलब है कि यदि इस क्षण वे सत्ता में हैं तो उन्हें इस बात का भरोसा नहीं कि शाम तक वे सत्ता में रहेंगे कि नहीं। और अगर शाम को सत्ता में है तो यह निश्चित नहीं कि अगली सुबह वे सत्ता में होंगे कि नहीं। जब तक देश में स्थिरता नहीं होगी तब तक वे देश की प्रगति, शोषित वर्ग, करोड़ों लाखों की जनसंख्या की प्रगति की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे? उनका अधिकत्तर समय यथासंभव अधिकाधिक समय सत्ता में टिके रहने के प्रयासों में व्यतीत होता है।

जब मोरारजी भाई की सरकार गिरी और तत्पश्चात् चौधरी चरण सिंह की सरकार भी गिर गई तभी मैंने अपनी छोटी सी आवाज उठाई कि हमें संसदीय लोकतंत्र प्रणाली जो कि सहीं मायनों में संसदीय लोकतंत्र पद्धति भी नहीं है, को छोड़कर स्थिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली को अपना लेना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे पास समय बहुत कम है। अन्यथा मैं इंग्लैंड के संसदीय लोकतंत्र और भारत में वर्तमान तथाकथित संसदीय प्रणाली के अंतर को अपने दायरे में स्पष्ट करता। वहां मुख्य कार्यशासक अधिकारी अपने दायरे में स्वतंत्र होता है, जबकि यहां मुख्य कार्यपालक अपने कार्यों के निर्वहन में स्वतंत्र नहीं होता। मैं इस बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा परन्तु हमारी लोकतंत्रीय पद्धति ऐसी है जिसमें संसदीय प्रणाली की खामियां तो सभी हैं परन्तु गुण कोई नहीं है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में एक निर्धारित परिसीमा में राष्ट्र का सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए और जनता ने उसे जो अधिकार दिये हैं, उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र होता है। अत: मेरा विनम्र सुझाव यही है कि हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपना लें। चाहे वह अमरीकन प्रणाली की तरह हो, चाहे वह फ्रैंच प्रणाली के अनुरूप हो, चाहे जर्मन प्रणाली के अनुकूल हो, या हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप, इन सबका मिला-जुला मिश्रण हो, चाहे वह हमारी प्राचीन प्रणाली जैसा हो परन्तु वह ऐसा हो जो इस

देश की धरती की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, इस देश की हवा के अनुकूल हो और हमारी प्राचीन परंपराओं, प्रथाओं और संस्कृति के सार के साथ मेल खाता हो। चार्ल्स दे गाल के सत्ता में आने से पूर्व मानडीस फ्रांस के आखिरी प्रधान मंत्री थे। कुछ ही महीनों के अंतराल में 6 प्रधान मंत्री बदले गए। वह अव्यवस्था वाला समय था। फिर फ्रांसीसी लोगों को 'दि गाल' को आमंत्रित करके व्यवस्था उसके सुपुर्द करनी पड़ी। केवल तभी फ्रांसीसी प्रणाली में स्थिरता आई। क्या हम इससे कोई सबक नहीं सीख सकते? यदि हम अपने या दूसरों के अनुभव से कुछ नहीं सीखना चाहते तो हम यहां विचार-विमर्श किस लिए कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अब वह समय आ चुका है। संविधान के निर्माताओं ने संविधान सभा में दिये गये अपने भाषणों में यह कहा था कि हम इस संविधान से भावी पीढ़ियों को सदा के लिए नहीं बांध सकते। यह बात कही गई है। यदि आप वाद-विवादों का अध्ययन करें तो आप यह पायेंगे। बहुत समय पूर्व जब मैंने ''एपोंइटमैंट आफ ए चीफ जिस्टिस'' पुस्तक लिखी थी, उन्हीं दिनों मैंने संविधान सभा के वाद-विवाद को पढ़ने का प्रयास किया था।

मैं सोचता हूं यह महावीर त्यागी जी थे - मैं उनका नाम इसलिए भूल गया था क्योंकि उस समय के अधिकांश दिग्गज संविधान सभा के सदस्य थे और अधिकांश सदस्यों ने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा प्रत्येक बीस या पच्चीस वर्षों के बाद संविधान को नया रूप दिया जाए और समयानुसार स्वीकार किया जाए। संविधान के भाग के रूप में दल-बदल कानून की समस्या क्या है? क्या यह सांसदों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए नहीं है। क्या यह रुक गया है? तीन सदस्यों वाले दल में भी दल बदल होते हैं। इस प्रकार राज्य स्तर पर 1966-67 में और केन्द्र स्तर पर 1978-89 में ''आया राम गया राम'' के साथ दल-बदल का प्रारम्भ हुआ। संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? छह दर्जन बार से अधिक। लेकिन इससे स्थायित्व नहीं आया है। मुख्य कार्यकारी के प्रत्यक्ष निर्वाचन में संशोधन करने से स्थायित्व आयेगा। लेकिन स्थायित्व लाने के लिए संशोधन करना क्या अपमानजनक है? क्या इस प्रकार के संशोधन को हम स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल मानते हैं? इसलिए हमें वही करना चाहिए राष्ट्र को जिसकी आवश्यकता है। हमें संविधान को बाइबिल या ईसा मसीह के सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। यह मनुष्य द्वारा निर्मित है और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार बदला जाना चाहिए। यह गरीबी के विकास का साधन और राष्ट्र की सेवा के लिए होना चाहिए। संविधान सम्प्रभु नहीं है - यह कहने के लिए क्षमा करें। संप्रभु एक व्यक्ति है, एक निर्जीव वस्तु नहीं, एक पुस्तक कहिए चाहे यह भारत का संविधान ही हो। एक पुस्तक सम्प्रभु नहीं हो सकती है। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, न्यायालय जिस प्रकार व्याख्या करता है वही इसकी इच्छा है। यह मनुष्य की व्याख्या पर आधारित है। भारत के लोग सम्प्रभु हैं और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो उनके प्रतिनिधि भी हैं। दूसरों की भांति मैं भी न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें संविधान के निर्माताओं ने बिना कारण व्याख्या की। सन् 1984 में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायधीशों जिनमें से मैं कुछ को जानता हूं, ने न्यायालय में मौखिक रूप से असम्बद्ध टिप्पणियां की थी कि ''मैं जो कुछ करता हूं वही कानून और संविधान है।'' यह पूर्णरूप से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो यह क्या संविधान के स्वरूप और कानून व्यवस्था और प्रजातंत्र के लिए उचित है? भारत के लोग सर्वोच्चता की भावना के स्थान पर इकट्ठे नहीं होते हैं और अपने विचार व्यक्त नहीं करते। इसलिए वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। वे लोग उस प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में पुनः कुछ स्पष्टीकरण है जो मेरे विचार से मेल नहीं खाते हैं। भारत के सम्प्रभुता सम्पन्न लोग अपनी सम्प्रभुत्ता को सावधानीपूर्वक चुने गये प्रतिनिधि को देते हैं - जो एक निश्चित अवधि के लिए उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे वे आवधिक प्रतिनिधि मानते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उससे जवाबदेही नहीं मांग सकता है। यहां तक कि न्यायपालिका भी उनसे जवाबदेही नहीं कर सकती। इस परिप्रेक्ष्य में वे सम्प्रभुत्ता सम्पन्न नहीं हैं। न तो न्यायपालिका और न ही पुस्तक अर्थात् भारत का संविधान सम्प्रभुत्ता सम्पन्न है केवल भारत के लोग सम्प्रभुत्ता सम्पन्न हैं जो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से परिवर्तन ला सकते हैं। स्थायित्व लाने के लिए वर्तमान प्रणाली में संशोधन के मामले में जनमत होना चाहिए और यह आवश्यक भी है।

इसे दूसरे रूप में देखें तो एक व्यक्ति सम्प्रभुता सम्पन्न है या व्यक्तियों का समुदाय सम्प्रभुत्ता सम्पन्न है या भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का एक समूह सम्प्रभुत्ता सम्पन्न है। इसलिए संविधान संप्रभुत्ता सम्पन्न नहीं है क्योंकि हम इसे छू नहीं सकते हैं। यदि एक सम्प्रभुत्ता सम्पन्न होता है तो क्या प्रतिदिन इसमें संशोधन अथवा प्रस्ताव का गिर जाना कैसी बातें होती।

अब हमें यह मालूम नहीं है कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इस प्रकार हम अनुमानों के आधार पर संविधान का कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं स्वतंत्रता के पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर एक आह्वान करना चाहूंगा। इस सभा को एक संविधान सभा में परिवर्तित कर दें और संविधान में एक उपबंध जोड़ दें कि देश का मुख्य कार्यपालक व्यस्क मताधिकार, आम सहमति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए और वह उस समय तक कार्य करेगा जब तक कि वह निक्सन जैसा कोई कार्य न करे जिसके लिए निक्सन पर महाभियोग लगाया था, अथवा जब तक उसकी अवधि न पूरी हो जाए।

इसलिए मेरा अंतिम सुझाव है कि यदि स्थायित्व नहीं है तो प्रजातंत्र नहीं है। इसके बिना प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का भी कोई अर्थ नहीं है। महात्मा गांधी का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा।

मैंने केवल कुछ सुझाव ही दिए हैं। मैं कुछ सुझाव और देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आपने जो समय मुझे दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।



श्री मधुकर सरपोतदार

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : इस विशेष संसदीय सत्र की पूर्व संध्या पर वाद-विवाद में भाग लेने के लिए जो अवसर दिया गया उसके लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की आजादी के पचास साल पूरे होने पर स्पैशल पार्लियामेंट का सैशन बुलाया। हमें कुछ सब्जैक्ट मैटर दिए गए। उनके ऊपर सोचने और अध्ययन करने के बाद बहुत से माननीय सदस्यों को अपने मत व्यक्त करने का मौका मिला। समय को देखते हुए यह तय हुआ था कि यदि किसी पक्ष का अगर कोई नेता है तो उसे 40 मिनट का समय दिया जाएगा और दूसरे सभी सदस्यों को दस मिनट का समय सभागृह में अपने विचार रखने के लिए दिए जाएंगे। मैं चार दिन से यहां बैठा हूं। मैं देर रात तक भी बैठा। मैंने यहां एक बात यह देखी सांसद अपने विचार व्यक्त करने के तुरन्त बाद यहां से उठ कर चले जाते हैं और वापस नहीं लौटते। यह डैमोक्रेसी का कौन सा तरीका है? मुझे इस बात का पता नहीं। यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए तो यह भी सोचना चाहिए कि यदि अन्य लोग बोलते हैं तो हमें भी उनकी बात सुननी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं परसों 12 बजे तक बैठा। उस समय 10-15 सांसद बैठे थे। ...*(व्यवधान)* इस पार्लियामेंट के सैशन में सबसे बड़ा ऑबजैक्ट यही है जिस के लिए हमारे विपक्ष के नेता ने हमें एक खत दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस संसद की गरिमा को बढ़ाना है तो हमें तीन बातों पर सोचना होगा। हाउस की गरिमा तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे। देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए भी अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जिन्होंने यहां खत दिया, उसका मैं स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी की तरफ से जो कुछ भी सुझाव दिए गए, उन पर हम अमल करते हैं। दो-चार ऐसे मौके आये जब हमें वैल में जाना पड़ा। हम इसे टालने की कोशिश करते हैं। मैं सबजैक्ट पर आते समय यह कहूंगा, सभापति जी, यहां पर स्पीकर साहब ने जो भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण था लेकिन उसने एक बात जो बड़ी किताब में बताई गई है कि हमें जो आजादी मिली, वह नॉन-वायलेंस से मिली, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अच्छा हुआ अभी अन्तुले जी ने बोल दिया कि बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुरबानी दी। इसका मतलब यह हुआ कि वायलेंस हुआ। इस आजादी की लड़ाई में बहुत से लोग बर्बाद हो गये, फैमलीज़ बर्बाद हो गईं यानी संघर्ष करना पड़ा। केवल सत्याग्रह करने से आजादी नहीं मिली। हमारे यहां मराठी में एक कहावत है: 'रणवीणा स्वातंत्र्य कोणा मिलनि'। इसका मतलब यह है कि जब तक आप लड़ते नहीं तब तक आप क्या पाओगे? डा. बाबा साहेब अम्बेडकर को भी लड़ना पड़ा। ऐसा नहीं कि वे लड़े नहीं। बहुत सारे लोगों द्वारा झगड़ा होने के बाद कुछ हुआ। यह दुनिया की रीत है। जब तक बच्चा रोता नहीं, तब तक मां भी उसे दूध नहीं पिलाती है। संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा अंग है। वह जब तक चलता रहेगा, तब तक हम प्रगति कर सकते हैं अन्यथा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम स्वयं संतुष्ट नहीं हैं।

सभापति जी, हमें 1947 में आजादी मिली। मुझे याद है कि आजादी मिलने के तुरंत बाद कश्मीर पर हमला किया गया था। हमारी सेनाओं को उसका मुकाबला करना पड़ा। 50 साल बाद भी क्या मौका आया कि आज भी हम अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं और कश्मीर में फिर हमला हो गया है। क्या वजह है कि हमारे नौजवानों को यहां कुरबानी देनी पड़ी? आजादी के समय भी हमारे नौजवानों को कुरबानी देनी पड़ी थी। वहां वे लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिये उनकी बात कर रहे हैं। वहां बातचीत चल रही है लेकिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि रोज़ ही गोला-बारी हो रही है। इसका कारण हम लोगों को खोजना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस पुस्तिका में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में दस हज़ार लोग मारे गये हैं, ये कौन थे? अभी श्री मुलायम सिंह यादव ने वहां एक बात बताई कि घर की गरीबी की वजह से तीन लड़कियों को खुदकुशी करनी पड़ी। वे स्वयं उनके घर होकर आये और मदद दी है। इसका उल्लेख अन्तुले जी ने भी किया। यह बुरी बात जरूर है, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिये। क्या नौजवानों के परिवारों को कोई पूछने के लिये गया? क्या वे निरपराध और गरीब लोग नहीं थे? आप देखेंगे कि रोज़ ही नार्थ ईस्ट में बार्डर पर लोग मारे जाते हैं। कश्मीर और असम में देखिये कि लोग मारे जा रहे हैं। ये किसलिये मारे जा रहे हैं? उनके लिये यहां कोई चर्चा करने वाला नहीं है और न कोई आंसू ही बहाता है। मैं यहां पिछले एक साल और 4 महीने से देख रहा हूं कि जो बात यहां चलती है, उसको ठीक ढंग से सुनता हूं। इसलिये कहता हूं कि इसके प्रति हम लोगों को ख्याल करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में कानून व्यवस्था की बात चल रही है, उसको हम लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। उसमें चाहे महाराष्ट्र हो, असम हो, पंजाब हो, दिल्ली हो या कोई दूसरा राज्य हो। इनके अंदर लोग मारे जाते हैं। जब किसी क्रिमिनल को गोली लगती

है और मारा जाता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि जब निहत्थे और गरीब आदमी को मारते हैं तो सोचते नहीं है। इसलिये हम लोगों को कानून और व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा।

सभापति जी, हमारे देश में ब्राउन शुगर और अफीम आती है जो हमारी सोसायटी को बर्बाद करने वाली है। हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिये कि आज आजादी का बड़ा अच्छा मौका है, यदि इसके लिये रास्ता ढूंढेंगे तो उनका रास्ता बंद हो जायेगा। यदि वह इस समय और सोसायटी में नहीं पकड़ा जायेगा तो यह देखने की जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। इसलिये यह कभी टाल नहीं सकते। सभापति जी, ऐसा नहीं कि पचास सालों में हमने कुछ तरक्की नहीं की। मैं यह बिल्कुल नहीं मानता। 45 साल कांग्रेस पार्टी ने राज्य किया। उसमें कुछ अच्छे काम हुए और कुछ बुरे काम हुए। जो अच्छे काम हुए उनको हमें मानना पड़ेगा। गर्व की बात है कि पाकिस्तान को तीन बार हमारी सेना ने परास्त किया। सेना के जो नेता हैं और हमारा जो शासन उस समय था, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन कोई भी हमलवार अगर हम पर हमला करेगा तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे, ऐसा संदेश दुनिया में गया। आगे भी कोई हमला करे तो हम तैयार हैं। वहां पर ऐसे सब शस्त्र जमा हो रहे हैं, हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक अखबार में पढ़ा था। जो जानकारी मेरे पास है वह भी चिन्ताजनक है। हमारी सुरक्षा के बारे में क्या लिखा था–

> ''विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सामरिक परिवेश के अनेक नये समीकरण बनने लगे। संघर्ष की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। परमाणु अप्रसार संधि को लागू करने के बारे में भेदभावपूर्ण नीतियां अपनायी जा रही हैं। हमारे पड़ोसी देशों में हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान परमाणु हथियार चोरी-छिपे विकसित करता है और अनेक लड़ाकू विमान, टैंकर और रक्षा आयुध का भंडार जमा करने में जुटा हुआ है। चीन संयुक्त राष्ट्र और अन्य परमाणु संपन्न देशों की बार-बार चेतावनियों के बावजूद उन्हें अंगूठा दिखाते हुए परमाणु परीक्षण जारी रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसे विशाल आकार-प्रकार के देश के लिए भी यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि हम भी उसका ख्याल करें।''

ऐसा एक अखबार में लिखा हैं। उनका मैं नाम भी ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी होशियार रहना पड़ेगा और हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम वौयलेन्स नहीं करेंगे। हम लोग अहिंसा के माध्यम से पूरे देश को मजबूत रखेंगे। महात्मा जी ने भी कहा है कि जब अहिंसा के माध्यम से कुछ काम नहीं बनता तो उसका हथियार से भी जवाब देना पड़ेगा। अगर राष्ट्र पर संकट आएगा तो उसका मुकाबला हमें करना होगा।

अपराह्न 12.27 बजे

[श्री पी.सी. चाक्को *पीठासीन* हुए]

सभापति जी, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह पहला काम हमारे देश में अच्छा हुआ था। इसके अलावा हमारे यहां साइंस ने भी बहुत तरक्की की है। कल डा. जोशी जी ने बताया कि हमारे साइंटिस्ट बहुत आगे पहुंचे हैं, आसमान तक पहुंचे हैं और स्पुटनिक की तरह उन्होंने आर्यभट्ट बनाया। पृथ्वी, अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र बनाने में हमें कामयाबी मिली है। इसलिए यह कहना कि हमने तरक्की नहीं की, यह अच्छा नहीं होगा।

अनाज उत्पादन के मामले में हमारे देश के किसानों ने बहुत अच्छा काम किया। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, सौफ्टवेयर उद्योग और अन्य तंत्र-ज्ञान जो लोगों ने बनाया उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं।

[हिन्दी]

उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने स्टील प्लांट लगाए और बड़े उद्योगों में भी कामयाबी पायी है। उनकी हालत आज क्या है यह बात दूसरी है, लेकिन ऐसे उद्योगों में हमने स्टील बनाया जिस पर हमें गर्व है। हम लोगों ने शुरू से तरक्की की और हमेशा तरक्की करते रहेंगे। लेकिन जहां हमने कुछ तरक्की की है, वहां कुछ खराबियां भी हुई हैं। ये खराबियां कौन सी बातों में हुई हैं? पहली बात यह है कि पौलिसी ऑफ द नेशन' के नाम पर हमारे देश की कोई स्थिर पौलिसी नहीं है। हम आज तक डिसीजन लेते हैं और कल उनको बदल देते हैं।

[अनुवाद]

जहां तक पूरे विश्व का संबंध है। संपूर्ण देश के लिए एक निश्चित नीति बनानी चाहिए लेकिन अब तक हमने एक निश्चित नीति नहीं अपनायी है।

[हिन्दी]

यह हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि नेहरू जी चले गए, इंदिरा जी चली गईं और शास्त्री जी भी गए। प्रधान मंत्री बदलते गए। अटल जी प्रधान मंत्री बन गए, लेकिन आप सब लोगों ने उनको अछूत समझकर 12 दिन बाद उनसे प्राइम मिनिस्टरशिप ले ली। आपकी पौलिसी गलत है। अछूत मैंने जानबूझकर बोला है। अब मैं मेजोरिटी की बात पर आता हूं। यदि आप सोचते हैं कि मेजोरिटी किसको बोलते हैं, तो वह मुझे पता है। एक प्रोग्राम पर आप एक साथ हो जाते तो मैं मानता कि आप लोगों की मेजोरिटी थी। लेकिन मतलब के लिए आपने मेजोरिटी बनवाई, जिसका कोई अर्थ नहीं है। यदि मेजोरिटी की सरकार बनी होती तो देवेगौड़ा जी यहां से अभी नहीं जाते। आपने देवेगौड़ा जी को पकड़कर राजनीति से निकाल दिया। अब श्री गुजराल जी का मौका है। बेचारे काम नहीं कर पाते हैं। पता नहीं कौन कहां

से गद्दी खींच ले। अभी अंतुले जी ने बोला कि यहां पर जो नेतृत्व होता है उसको यह भरोसा नहीं है कि आज सुबह इधर हैं, शाम को रहेगा कि नहीं। यदि शाम को इधर हो तो दूसरे दिन रहेगा या नहीं। अमरीका जा रहे हैं, पता नहीं अमरीका से वापस आने तक यहां पर क्या हो जायेगा। ऐसी हालत में कोई भी नेता बने, वह क्या कर सकता है। कोई कितना भी होशियार नेता हो, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ राजनीति में आगे बढ़ते हो, यूनिटी करते हो तो भरोसा भी दिला दो कि हमने सपोर्ट दी है, आप पांच वर्ष तक वहां पर पंतप्रधान रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन देश की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप लोग सोचंगे तो ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं होना चाहिए। इसमें देश का और देश के साथ बहुत सारे गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है। आपको उसका भी ख्याल करना होगा। हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी चीज नहीं हुई और वह यह है कि जो नेशनल फीलिंग डेवलप होनी चाहिए, वह नेशनल फीलिंग डेवलप नहीं हुई।

[अनुवाद]

हम राष्ट्रीय भावना वाले लोग नहीं हैं।

[हिन्दी]

मौका आता है तो वे नेशनल हैं और मौका नहीं है तो नेशनल नहीं हैं।

[अनुवाद]

यह परमावश्यक है कि लोगों के मस्तिष्क में राष्ट्रीय भावना का विकास करे। यह आवश्यक है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, उसके बाद में करप्शन का सवाल आता है। 45-50 साल में पूरा राज करप्शन का बन गया। अभी कौन करप्ट है उस पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। सारी दुनिया जानती है और जब तक मुझे कोई पर्सनल जानकारी नहीं हो तब तक किसी को क्रिटीसाइज करना ठीक नहीं है। अखबार में बहुत बातें आती हैं। मैं रोजाना पढ़ता हूं। हर व्यक्ति और एम.पीज़. रोजाना पढ़ते हैं। अखबार में आ गया इसलिए उसको करप्ट कहें तो ठीक नहीं होगा। उसका कुछ इलाज होना आवश्यक है और करप्शन को यहां से हटाने की आवश्यकता है। यह मैं बोलना चाहता हूं। मैं चेन्नई का इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रहा था उसमें यह लिखा था—

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री के कार्यालय में केन्द्रीय जांच ब्यूरों के 149 मामले लंबित पड़े हैं। जब तक प्रधानमंत्री इनके लिए अपनी सहमति नहीं देते ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

[हिन्दी]

तो मैं यह कहता हूं कि यदि हमारे प्रधान मंत्री ऐसी बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहते हैं और कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको 149 मैटर्स को क्लियर करना चाहिए। बाद में हम लोग नई लड़ाई शुरू करेंगे नहीं तो लड़ाई करने की बात कहने से कोई फायदा नहीं है।

सभापति महोदय, यहां पर सेक्युलर वर्ड की बहुत बातें होती हैं। सेक्युलर वर्ड अपने मतलब के लिए हर व्यक्ति यहां पर यूज करता है। और सेक्लूयर वर्ड बोल दिया। मैं डिक्शनरी में ढूंढ रहा था कि उसकी मीनिंग मुझे मिल जाता। मुझे नहीं लगता कि हमने सेक्युलर की बात कभी सोची। हमारे संविधान में प्रोविजन है, उसका हमें आदर करना पड़ेगा। इसलिए हम जरूर कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अंतुले जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, हम लोगों ने कभी उनका विरोध नहीं किया। सामने बैठे हैं, चाहे तो पूछ लें। एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन हमने उनके खिलाफ काम नहीं किया। प्रोग्रामों और कामों के बारे में उनके साथ झगड़ा किया। जैसा अंतुले जी के खिलाफ किया वैसा ही शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ भी किया। उनके साथ हाउस में भी झगड़ा किया। जो कोई सत्ता में आता है जब तक हम लोग अपोजीशन में हैं तो झगड़ा करना हमारा काम है। अगर हम लोग सत्ता में जायेंगे तो जो विपक्ष होगा वह हमारे साथ झगड़ा करेगा। यह तो डेमोक्रेसी की नीति है। उसमें कोई गलती है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो हम लोगों में जातीयता कहां हैं? मेरे पास पांडित जवाहर लाल नेहरू का एक लैटर है। तकदीर से मुझे यह लैटर मिल गया और मिलने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को, खासकर कांग्रेस वालों को पढ़कर सुना दूं, इसलिए मैं वह लैटर लाया हूं। क्योंकि यहां पर सांप्रदायिकता की बहुत सारी बातें चलती हैं। यह सांप्रदायिकता क्या होती है इस पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस समय क्या कहा था वह मैं आप सबको बताना चाहता हूं। यहां पर जातिवाद के बारे में, हम लोगों की चर्चा की गई। मैंने कल राम विलास पासवान जी का भाषण अच्छी तरह सुना था। मुझे नहीं मालूम उनके मन में क्या है लेकिन कुछ दिन पूर्व उन्होंने सभी एस.सी. एस.टी. के एम.पीज. को खाना खाने के लिए बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया क्योंकि मैं एस.सी. एस.टी. नहीं हूं—आपको जवाब देना चाहिए। वैसे तो आप जातिवाद की बातें करते हैं लेकिन आपके व्यवहार में क्या है? यदि आपने खाना खाने के लिए बुलाना था तो सबको बुलाते, अंतुले जी, पवार साहब तथा दूसरे लोगों को सबको बुलाते। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसे काम क्यों आप करते हैं। प्रधान मंत्री जी ने सबको बुलाया था।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : नैक्स्ट टाइम सबको बुलाएंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : यहां राम विलास जी जातीयता की बातें हमेशा करते हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा है।

श्री राम विलास पासवान : जब मैं आपको बुलाता हूं, उस समय एस.सी., एस.टी. के मैम्बर्स को नहीं बुलाता हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : लेकिन सबको अलग-अलग क्यों बुलाते हैं—आपके दिल में यह भावना क्यों है कि यह एस.सी. है, वह एस.टी. है या अदर दैन एस.सी., एस.टी. है—ऐसी भावना आपके दिल में क्यों है? एक बार मैंने पहले भी बोला था। अगर आप नेताओं

को बुलाते हैं तो सब नेताओं को बुलाइए, किसी एक को क्यों? ऐसी भावना दिल में नहीं रखनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : क्योंकि सारे देश में न्यूज जा रही है इसलिए कोई मिस-अंडरस्टैंडिंग न हो, मैं क्लियर कर दूं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं हकीकत बोल रहा हूं, कोई मिस-अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : यहां जितने माननीय सदस्य हैं, सबको मालूम है कि मैं स्टेट-वाइज बैठक बुलाता हूं, जोनल-वाइज बैठक बुलाता हूं, जो एस.सी., एस.टी. फोरम हैं, उसकी बैठक बुलाता हूं। मैं अपने आप नहीं बुलाता बल्कि जब वे आग्रह करते हैं तो उस बैठक में सभी को इन्वाइट करता हूं। इस सदन में ऐसा कोई मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जो यह कह सके कि राम विलास ने हमें नहीं बुलाया। हम स्टेट-वाइज, जोनल-वाइज और फोरमवाइज बैठकें बुलाते रहते हैं जिससे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है।

श्री मधुकर सरपोतदार : ऐसी आपकी नीति है, लेकिन मुझे आज तक कोई इन्वीटेशन नहीं मिला, यह पक्की बात है।

श्री राम विलास पासवान : आप तीन बार हमसे मिले हैं, महाराष्ट्र के बारे में, इन्क्लूडिंग श्री शरद पवार।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह हमारी नीति नहीं है। मैं आपका ध्यान तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के उस पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने 8 अक्तूबर, 1962 को एक व्यक्ति को लिखा था। उसका एक अंश यहां पढ़ देता हूं, उसकी एक प्रति मेरे पास है:—

[अनुवाद]

आपका 1 अक्तूबर का पत्र मेरे पास है। यह पूर्णतया सच है कि भारत में सभी प्रकार की विध्वंसक शक्तियां सक्रिय हैं और जातिवाद एक अवांछनीय रूप से जारी है। कांग्रेस भी इन कुरीतियों से ग्रसित है। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए मैं आपको कारगर उपाय नहीं बता सकता हूं। हमें कुरीतियों का सामना करना है और इससे बाहर निकलना है। इन कठिनाईयों से निपटने के लिए वर्तमान में मेरे मस्तिष्क में कोई विशेष क्रान्तिकारी उपाय नहीं है।

[हिन्दी]

ऐसा जातिवाद के बारे में उन्होंने लिखा था। उस समय से आज तक जातिवाद है। जब तक हम दिल से नहीं सोचते कि हमें जातिवाद को खत्म करना है, तब तक जातिवाद जाने वाला नहीं है चाहे आप यहां कुछ भी कहें।

राम विलास जी के अलावा, श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने टीपू सुल्तान के बारे में, हैदर अली के बारे में, अन्य लोगों के बारे में बातें कहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हिस्ट्री को ठीक ढंग से पढ़ें और सोंचे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने उस समय जो कुछ किया, उसका भी जरा ख्याल करें।

[अनुवाद]

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं कर्नाटक का हूं। यह टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने सम्पूर्ण भूमि श्रृंगेरी शारदा पीठ को दे दी। वह महान धर्मनिरपेक्ष राजा थे।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने उन दो भाषणों का संदर्भ लिया है जो यहां दिये गये। हमारे मराठा लोग जो उन लोगों के साथ एक बार नहीं अनकों बार लड़े ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : मराठों की बात छोड़ दीजिए....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं कन्नड़ तमिलों या मराठा तमिलों की बात नहीं कर रहा हूं। वह एक राजा थे।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने कभी इस बात को यहां नहीं उठाया। अगर कुछ माननीय सदस्य यहां रैफरेंस न देते तो मैं जवाब भी नहीं देता। यहां एक बात मैं राम विलास जी को और बताना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कि आप हिन्दू धर्म को मानते हैं या नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं और न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कल माननीय रेल मंत्री श्री पासवान जी ने बोलते समय गणपति महाराज और समुद्र मंथन एवं अन्य के बारे में कुछ रैफरेंस दिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया बोलने से पहले सत्यता का पता कर लीजिए।

श्री राम विलास पासवान : जो मैंने कल कहा, वह बहुत सोच-समझ कर कहा है। यदि आपको इसमें कोई शंका हो, तो हमारे यहां बुजुर्ग नेता बैठे हैं, उनसे पूछा जा सकता है। उसमें एक भी शब्द यदि गलत हो, तो मुझे बताइए।

श्री मधुकर सरपोतदार : उसके बारे में तो आपको अलग से मिलकर बता दूंगा कि आपने कहां गलत बोला था। कल आपने पानीपत की लड़ाई और बाबर की लड़ाई तथा इब्राहीम खान के बारे कहा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मराठा एम्परर की सेना में वह एक अच्छा सेनानी था, वह मैं मानता हूं। *(व्यवधान)*

सभापति जी, हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न वेषभूषा होते हुए भी हमारा देश एक है और हमें इस देश में एक राष्ट्र के नागरिक के नाते रहना है। हमने भी बालासाहेब ठाकरे जी ने जो शपथ उस दिन दिलाई वह ली। हमारा सबसे पहला कर्तव्य राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। यदि देश को जरूरत पड़े तो हमें

अपनी जान कुरबान कर देनी चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं। देश हमारा आदर्श होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। मैं उनमें से कुछ की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनमें सबसे पहली समस्या आबादी की है। पापुलेशन के ऊपर हमें हर प्रकार से कंट्रोल रखना होगा। आज इसकी बहुत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

लेकिन इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। इसे और किसी दूसरे प्रकार से नहीं लेना चाहिए।

[हिन्दी]

इस देश में कामन सिविल कोड बनाना होगा, लेकिन पापुलेशन कंट्रोल के लिए पूरे देश की एक भावना होनी चाहिए क्योंकि यदि पापुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, तो कुछ वर्षों में ही हम चीन से आगे निकल जाने वाले हैं। इसलिए अपने देश में पापुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें कोई न कोई पालिसी एडाप्ट करनी चाहिए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय हित में हम इसे स्वीकार करते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबी को समाप्त करने के लिए हमें पूरा जोर लगाना चाहिए। आजादी सैलीब्रेशंस के लिए जो मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि यदि आप आजादी की पचासवीं वर्षगांठ को अच्छी तरह से मनाना चाहते हैं, तो हमें गरीबों के पास जाना चाहिए और उन्हें रोशनी देनी चाहिए, पानी देना चाहिए, उन्हें घर देना चाहिए। यदि गांवों में गरीबों की झोंपड़ियों का अंधेरा हम दूर कर सकें, तो आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाया जाना सार्थक हो जाएगा। मानव भ्रूण की हत्या जिसके बारे में मैंने पहले बोला था, हमारे देश के अंदर जिस ढंग से मानव को मारा जाता है, इन्नोसेंट लोगों को जिस ढंग से मारा जाता है, उसको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए।

[अनुवाद]

क्योंकि मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

जब तक हम इंसान की इज्जत नहीं करेंगे तब तक यह हालत बढ़ती रहेगी। कभी कम नहीं होगी।

सभापति महोदय, अब मैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बारे में कहना चाहता हूं। हम लोग यहां पर महिलाओं के बारे में रोजाना बात करते हैं। मुझे याद है 12 सितंबर 1996 की। उस समय मैंने यहां खड़े होकर क्या कहा था। कल यहां पर मुलायम सिंह जी खड़े होकर बोले कि इस सदन का ऐसा कोई सांसद नहीं है, जो इस बारे में हमारे पास नहीं आया हो। मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं उनके पास नहीं गया। तब मैं उठकर कहने वाला था, लेकिन ये जब बात कह रहे थे, तो उसी समय मैंने इनको टोकना अच्छा नहीं समझा। मुलायम सिंह जी, उस दिन भी आप ताली बजाने के मूड में थे, लेकिन मौका नहीं मिला।

[अनुवाद]

वे इस सभा में वाद-विवाद किये बिना इस संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित कर देना चाहते थे। इस कठिन परिस्थिति में ऐसा पहला व्यक्ति था जो इसके विरोध में खड़ा हुआ। उसके बाद, श्री जी.एम. बनातवाला सचेत हुए और मेरा समर्थन किया। हम तीन लोगों को ही यह श्रेय प्राप्त है जिन्होंने वाद-विवाद किये बिना विधेयक को पारित करवाने का विरोध किया।

[हिन्दी]

इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं को संरक्षण देने की आवश्यकता है। जो बलात्कार होते हैं, रोज नए-नए तरीके से उनका शोषण होता है, उसको रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए हम पूरी कोशिश करें। क्योंकि हमारी महिला सुरक्षित है, तो हमारा देश सुरक्षित है। यदि हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे देश पर बहुत सारी आपत्तियां आ सकती हैं। इसलिए महिलाओं को प्रोटैक्शन देना और बाद में महिला आरक्षण की बात करना मैं ठीक समझता हूं। उसके बारे में मेरी राय कोई अलग नहीं है। उस दिन वहां पर पवार साहब मेरी बगल में बैठे हुए थे। मुझे जो कुछ कहना था, वह मैंने उनके सामने इस हाउस में कहा था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आप अपने सुझाव बताएं। आपको दिया गया समय पूरा हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : सभापति महोदय, दूसरा मुद्दा क्रिमिनलाइजेशन है। क्रिमिनलाइजेशन हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। क्रिमिनलाइजेशन चाहे पोलिटिक्स में हो, देहात में हो, शहर में हो या तमाम बस्तियों में हो, अपना पेट भरने के लिए जो दूसरे की जान लेने जैसा धंधा करते हैं, उनको किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर रोकने की क्षमता हमारे शासन को देश में रखनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं।

तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे देश में विपक्षी पार्टियां बहुत बढ़ रही हैं। उनकी तादाद लोक संख्या के माध्यम से बढ़ रही है। उसके लिए कोई कानून बनाना चाहिए जिससे एक ढंग के रहने वाले सभी पक्ष एक साथ आगे बढ़ सकें। ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू होने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है।

[अनुवाद]

वह है इस देश में बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण, नवयुवक विभिन्न धंधे कर रहे हैं। वे विभिन्न प्रकार के उपाय और उन्होंने सभी प्रकार के गैंगों में भाग लेना आरम्भ कर दिया है। वे आज गैंगस्टर बन गये हैं क्योंकि उनके जीवन यापन के लिए कुछ नहीं है। उन्हें दिन भर में एक बार भी भोजन नहीं मिलता है।

[हिन्दी]

हमारे देश के अंदर युवकों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है जो कि हमारी ताकत है। इस ताकत को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए लेकिन हम लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। हम क्या स्टेटमैंट ला रहे हैं। कुछ लोग न्यू एटोमेशन ला रहे हैं, नये उद्योग ला रहे हैं लेकिन सब आटोमेटिक है। वहां पर लोगों को काम करने की उम्मीदें बहुत कम हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए भी कुछ रास्ता निकालने की आवश्यकता है। इन सारी बातों के बाद मैं खासकर एक ही बात कहना चाहता हूं। हमारे देश की जो समस्या है, वह आपके दस्तावेज में लिखी हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाने वाले हैं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। हाउस में हमेशा इस पर बात होती रहती है लेकिन इस पर कोई भी सीरियसली नहीं सोचता। इस पर ''वायलेंस एंड टेरेरिज्म'' नामक हैडिंग लिखा हुआ है। इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है, उसकी मैं दो-तीन लाइनें यहा उद्धृत कर रहा हूं:—

[अनुवाद]

सन् 1992 में जम्मू और कश्मीर में हिंसा के कारण 10,000 से अधिक लोगों ने प्राण गवाये। यह पाकिस्तान द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ। जम्मू में इस प्रकार की हिंसा हो रही है और रेलवे, विद्युत पारेषण लाइनों और राजमार्ग आक्रमण के निशाने बनाये गये हैं।

[हिन्दी]

बहुत बुरी बात है। इसके लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारा देश मजबूत है और हम देशान्तर की समस्याओं को हल करने के लिए आपस में बैठ सकते हैं और रास्ता निकाल सकते हैं। यदि हमारा देश सुरक्षित नहीं है तो इन बातों को करने का मौका हमें नहीं मिलेगा। उस चेप्टर के अंदर बहुत सारी प्राब्लम्स दी हुई हैं। कल बात करते समय मैंने जरूर बोला था।

[अनुवाद]

कि हमारी पुस्तिका एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमें सौंपी गयी है। यह केवल पढ़ने के लिए ही नहीं है। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अपना दिमाग लगाएं और सभी गंभीरतापूर्वक इसके बारे में सोचें और इस समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय निकालें। इस विशेष सत्र का अर्थ है कि इस माननीय सभा में साथ-साथ आयें और सभी समस्याओं पर चर्चा करें और उसके बाद एक साथ बैठकर जाति, समुदाय और धर्म पर ध्यान दिये बिना कुछ समाधान निकालें।

[हिन्दी]

हरेक व्यक्ति का रिलीजन होता है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने रिलीजन में जन्म न लिया हो।

[अनुवाद]

इस पूरी सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष हो।

[हिन्दी]

जो सेक्युलर सेक्युलर करके कहते हैं। हमारे जीवन का जो प्रवास है वह अलग ट्रेक पर लेकर नहीं जाना है। जिस ट्रेक से हमें जाना है और जो आपने अच्छी लाइन डाली है, उसके अंदर कोई एक्सीडेंट न हो जाये, उसका ख्याल करें।

[अनुवाद]

हमें मिलकर काम करना है। हमें साथ-साथ चलना है। हमें साथ-साथ आगे बढ़ना है और हमें स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती की पूर्व संध्या पर इस महान राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करना है।

सभापति महोदय : श्री रूपचंद पाल को बोलने के लिए बुलाने से पहले मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहूंगा कि अभी लगभग 93 सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है। यदि हम सुबह 5.30 बजे तक भी बैठें तो मुझे नहीं लगता कि चर्चा आज पूरी हो जायेगी। इसलिए आपकी अनुमति से मैं नवें मिनट और दसवें मिनट में चेतावनी स्वरूप एक घंटी बजाऊंगा ताकि आप अपनी बात समाप्त करें।

दल के नेताओं को छोड़कर अन्य सदस्य अपनी बात 10 मिनट में पूरी कर लें।



श्री रूपचन्द पाल

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : माननीय सभापति महोदय, हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के इस खुशी के अवसर पर, यह माननीय सभा राष्ट्रीय जनजीवन की परिस्थितियों पर चर्चा कर रही है। अनेक माननीय सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा तीन भूतपूर्व प्रधान मंत्री पहले ही बोल चुके हैं। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करना चाहिए जोकि हमने पिछले पांच दशकों में हासिल की हैं। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पिछले पांच दशकों

में हमने क्या किया तो हमें यह सोचकर निराशा होती है कि जो हम हासिल करना चाहते थे वह बिल्कुल नहीं कर पाये। मेरे पास नवीनतम सार्वभौमिक मानव विकास रिपोर्ट है जो यह बताती है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विशेषकर कि पिछले पांच वर्षों के दौरान हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहे हैं बल्कि हम गर्त में धंसते जा रहे हैं। यह नवीनतम रिपोर्ट है।

माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं लेकिन इस महान अवसर पर यह सभा अपने कर्त्तव्य को निभाने में असफल रहेगी, यदि हम यहां राष्ट्र के समक्ष जो महान चुनौतियां हैं उनका उल्लेख नहीं करेंगे। भारतीय संघ में राजनीतिक तथा भावात्मक एकता प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना कि भौगोलिक एकता रखना कठिन था। इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है।

यदि हमें आने वाले दशकों के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित करना है तो हमें इन चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा और राष्ट्रीय एकता के सभी पहलुओं सम्प्रदायवाद और अलगाववादी तत्वों द्वारा उत्पन्न किये गये ख़तरे जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा। मुझे यह जानकर निराशा हुई थी कि दस्तावेज में साम्प्रदायिकता, हर प्रकार की साम्प्रदायिकता के अभिशाप का शायद ही कहीं उल्लेख किया गया है। मैं पिछले पांच-छह वर्षों के वाद-विवाद को देख रहा था, साम्प्रदायिकता जैसे अभिशाप पर चर्चा करने में इस सभा का काफी समय लग गया है। अब जबकि हमें आने वाले दिनों के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित करना है, हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए संबंधित उपायों का उल्लेख करना होगा, उन्हें ढूंढना होगा और इस संबंध में सुझाव देने होंगे जिससे हम अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा और संरक्षा कर सकें और इसे सुदृढ़ बना सकें।

महोदय, मुझे यह जानकर निराशा हुई कि हमें दिए गए दस्तावेज तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए आरंभिक भाषण में एक गंभीर खामी है। अभी हाल ही में जब हम वित्त बजट पर चर्चा कर रहे थे तो वित्त मंत्री ने एक नई योजना की घोषणा की थी जिसे वी.डी.आई.एस., जिसे आय की स्वैच्छिक घोषणा कहा जाता है। आज कुछ संकेत दिए गए हैं कि इस योजना का भी वही हाल होगा जैसा कि पिछले 11 अवसरों पर हुआ है। महोदय, काला धन, बिना लेखा-जोखा वाला धन और समानांतर धन राष्ट्र के आर्थिक जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन इसका दस्तावेज तथा भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि हालांकि हमारे वरिष्ठ नेता भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने काफी लम्बे भाषण दिए हैं, सुझाव दिए लेकिन शायद वे इस अभिप्राय का उल्लेख करना भूल गए।

महोदय, राष्ट्रीय एकता तथा काले धन के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है जिनमें एक क्षेत्र है उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार। यह विषय राष्ट्र के कार्यक्रम में था। जनता इस विषय से चिन्तित है। उच्च स्तर पर शायद ही कोई आत्मनिरीक्षण किया गया है। यदि हमें आने वाले वर्षों के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित करना है तो हमें उसका उल्लेख करना चाहिए। राजनीति में अपराधीकरण की समस्या एक बात है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्र इस गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। आने वाले दिनों के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कोई संकल्प करना है तो इसका एक महान चुनौती के रूप में उल्लेख करना चाहिए।

महोदय, मैं आज राष्ट्र के समक्ष जो अनेक अन्य गंभीर समस्याएं हैं, उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इन महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में पहले ही अनेक सुझाव दिए जा चुके हैं। मैं अपने आपको चार मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा वे क्या हैं? इन सबका राष्ट्र के विकास के साथ संबंध है। सम्पन्नता की ओर अग्रसर होने की योजना बना रहे किसी राष्ट्र के लिए अपने संसाधनों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास वृहत प्राकृतिक संसाधन हैं और हमारे पास मानव श्रम पूंजी रूपी संसाधन भी पर्याप्त हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जनसंख्या की समस्या से निपटना निश्चय ही अत्यन्त आवश्यक है लेकिन यदि कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या को सही तरीके से विकसित किया जाए तो आज इस ज्ञान पर आधारित समाज में मानव रूपी पूंजी चमत्कार कर सकती है।

मेरे कुछ सहयोगियों तथा कुछ माननीय सदस्यों ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर चर्चा की है और सुझाव दिए हैं। मैं उन सबको नहीं दोहराऊंगा। मैं उनमें से किसी पर भी चर्चा नहीं करूंगा। महोदय, हम जैव विविधता के क्षेत्र में अत्यंत सम्पन्न हैं और इससे 60-70 बिलियन रुपया अर्जित किया जा सकता है।

आज मैं केवल एक सप्ताह पहले की बात का उल्लेख कर रहा हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हमारे वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है और हल्दीचूर्ण की घाव भरने की क्षमता के संबंध में अमेरिका की चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे देश ने पेटेंट का अधिकार हासिल किया है। यह एक मामूली जीत लगती है लेकिन भारतीय अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा अनेक वैज्ञानिकों ने इस संबंध में यह निष्कर्ष निकाला है कि यह एक महत्वपूर्ण जीत है। जिस चीज को हम नीम के मामले में प्राप्त नहीं कर सके, उसे हमने हल्दी के संबंध में प्राप्त कर लिया है। इससे क्या पता चलता है। हम जैव विविधता के क्षेत्र में संपन्न हैं। हमारे पास सैकड़ों हजारों किस्म के पेड़-पौधे तथा जड़ी बूटियां हैं जिनको यदि हम जैव प्रौद्योगिक ज्ञान के माध्यम से धन में बदल सकें तो हम विश्व के सम्पन्नतम देशों में एक हो सकते हैं। लेकिन हमने अभी अपनी बुद्धि का उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन कुछ विकसित देश, विशेषकर कि संयुक्त राज्य अमरीका ने अभी तक 1993 के जैव विविधता समझौते की पुष्टि नहीं की है।

अपराह्न 1.00 बजे

इसके साथ-साथ जैव सम्पदा की चोरी जारी है। हमारे जैसे अन्य देश अपने-अपने देश के कानून के अनुसार दावे कर रहे हैं। उनका कानून यह है कि यदि कुछ जानकारी व्यवहार में है तो इसके पेटेंट की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन हमारे मामले में उनका कहना है कि प्रलेखन तथा प्रस्तुतीकरण करना होगा। सैंकड़ों तथा हजारों पौधों

और जड़ी-बूटियों का ज्ञान केवल जनजातीय लोगों के जनजीवन तथा परम्परा में देखने को मिलता है। उनका प्रलेखन करना एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम उनका प्रलेखन नहीं कर सकते। वियतनाम में ऐसा किया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव उसका उल्लेख कर रहे थे। चीन में तथा अनेक अन्य एशिया के देशों में भी ऐसा किया गया है। लेकिन आज तक हम पेटेंट ज्ञान के संबंध में बहुत पीछे हैं। अनेक लोग पेटेंट का अर्थ नहीं समझते। ऐसी स्थिति में उत्पाद पेटेंट को हमारे ऊपर लागू किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे सीबा गाएगी, हिन्दुस्तान लिवर, होस्ट इत्यादि, मैं कुछ का ही उल्लेख कर रहा हूं हमारे जर्मप्लाजम का विश्लेषण कर रहे हैं। उनके पास उनको परिवर्तित करने की जैव प्रौद्योगिकी है जिससे वे काफी लाभ कमा रहे हैं। वे इन सभी अनुसंधानों के प्रतिफल को बांट नहीं रहे हैं।

वैज्ञानिकों द्वारा एक सुझाव मिला है। मैं सुझाव को सभा में प्रस्तुत कर रहा हूं। ताकि इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। बिना किसी विलम्ब के एक पेटेंट मिशन स्थापित किया जाना चाहिए। एक विशेषज्ञ समिति से काम नहीं चलेगा। शीघ्र अति शीघ्र एक पेटेंट मिशन स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है। मैं यह सुझाव देता हूं कि शीघ्र अति शीघ्र पेटेंट मिशन स्थापित होने दीजिए क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संपदा को हमारे देश के आर्थिक जीवन के लाभ के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।

मै विश्व के एक महान वैज्ञानिक श्री एम.एस. स्वामीनाथन के भाषण में से केवल दो वाक्य पढ़ना चाहूगां। पौधों, पशुओं, मछलियों तथा सभी जीवों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए जैव विविधता मूलभूत आवश्यकता है। जैव विविधता जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को सामग्री भी प्रदान करता है। आने वाले सौ वर्षों में आने वाला विज्ञान लोगों के आर्थिक जनजीवन को निर्धारित करेगा। जबकि विकासशील देश अधिकतर सार्वभौमिक जैव विविधताओं का घर हैं, जैव विविधताओं को आर्थिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए औद्योगिक देश जैव प्रौद्योगिकी का भंडार हैं।

मैं दूसरा सुझाव देना चाहूंगा। आम भाषा में इसे प्रतिभा का पलायन कहा जाता है। हमारे देश में काफी बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, कम्प्यूटर इंजीनियर, डाक्टर हैं। आईआईटी, भौतिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से काफी संख्या में यह लोग विदेशों को जा रहे हैं। इस बारे में अनेक अध्ययन किए गए हैं। वे क्यों जा रहे हैं? क्या वे केवल पैसे के लिए जा रहे हैं अथवा कोई अन्य बात है। नहीं, वे हमारे देश में अवसर की कमी और आधारभूत ढांचे की कमी के कारण जा रहे हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में उन्हें वह नहीं मिल रहा है जो वह पाना चाहते हैं।

प्रतिभा के पलायन द्वारा देश को कितनी हानि हो रही है? हानि का अनुमान लगाने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं।

मैं केवल दो प्राक्कलनों का उल्लेख कर रहा हूं। कई अध्ययनों में 20 वर्षों की कालावधि के दौरान भारतीय प्रतिभा-पलायन के कारण भारत को 10 से 20 अरब अमरीकी डालर तक की हानि का प्राक्कलन किया गया है। 20 वर्षों में अर्थात् 1966 से 1986 तक भारत को 20 अरब अमरीकी डालर की हानि हुई है। एक और अध्ययन हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि समृद्ध देश विकासशील देशों को सहायता उपलब्ध कराते हैं, परन्तु प्रतिभा पलायन के रूप में वे जो हमसे लेते हैं वह उनके द्वारा दी गई सहायता से कहीं अधिक है।

क्या हम इस प्रक्रिया को उलट नहीं सकते हैं? जब मैं चीन गया था तो मुझे काफी लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला था। चीन में अपने वैज्ञानिकों को न केवल पारम्परिक क्षेत्रों में अपितु अद्यतन वैज्ञानिक क्षेत्रों में वापस बुलाने के लिए एक व्यापक नीति को अपनाया गया है। उनमें राष्ट्रीयता की प्रबल भावना है। अप्रवासी चीनी वैज्ञानिकों के साथ अपना धन लेकर वापस लौट रहे हैं और अपने ज्ञान तथा अन्य सभी चीजों का निवेश कर रहे हैं। क्या हम एक ऐसी नीति नहीं बना सकते हैं? क्या हम आने वाले दशक के लिए एजेंडा नहीं बना सकते हैं? विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिक वापस लौटना चाहते हैं। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि पिछले सप्ताह एटी एण्ड टी के प्रमुख कम्प्यूटर इंजीनियरों में से एक वापस टाटा फण्डामेंटल रिसर्च में लौट आया है।

उस ओर के एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि इस समय सी.वी. रमन, श्री जगदीश चन्द्र बोस, श्री सत्येन्द्र बोस जैसे वैज्ञानिक क्यों नहीं होते हैं? हमारे पास अपनी प्रतिभाएं हैं। ब्रिटेन में दूरसंचार क्रांति एक बंगाली इंजीनियर द्वारा लायी गयी थी। वह एक महिला थीं। वे गीता दीदी की सम्बन्धी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति की सम्बन्धी हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप और कई अन्य देशों में हैं।

कुछ दिन पहले मैंने माननीय संचार मंत्री को बताया था कि एक बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कम्पनी को बिना किसी निविदा के अपनी वायरलैस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी को भारतीय बाजार में प्रयोग में लाने का अवसर दिया जा रहा है। वायरलैस इन लोकल एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि अन्ततः हमारी ग्रामीण दूरसंचार की तत्काल आवश्यकता का हल प्रदान करती है। मैंने यह पूछा था कि मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रयोग का क्या हुआ? क्या आप तैयार हैं? आप उनसे क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? माननीय मंत्री ने कहा था: ऐसी बात नहीं है, मैं इस मामले पर विचार करूंगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि दो दिन बाद ही मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की वायरलैस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी दूरसंचार विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई। केवल यही नहीं आज यह समाचारपत्रों में आया है कि चीन मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इस प्रौद्योगिकी में रुचि दिखा रहा है जो कि चीन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है और वह उसे अपनाने के बारे में विचार कर रहा है। यह है हमारी प्रतिभा। परन्तु प्रतिभाएं बड़ी मात्रा में नहीं उभर रही हैं। विज्ञान की शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। वैज्ञानिक दृष्टि को समुचित ढंग से सिखाया नहीं जा रहा है। अंधविश्वास, मिथक पुरातन विचारधारा ये सारी चीजें उपस्थित हैं।

श्री डी.पी. चटर्जी की पुस्तक ''प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी'' का उल्लेख किया गया था। यह विश्लेषण क्या है? यह दर्शाता है कि भारत में आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों बातें हैं परन्तु वैज्ञानिकों की आवाज धर्मतंत्र और ब्राह्मणों की व्यवस्था में दबा दी गई

थी। यह खो गई थी। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया या चुरा लिया गया था। लेखक ने सामग्री को इकट्ठा किया और यह बताया कि प्राचीन भारत के लोगों के जीवन में विज्ञान किस प्रकार उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था जितनी कि ग्रीक, यूनानी और कुछ अन्य प्राचीन सभ्यताओं में निभाता था। फिर भी इस समय प्रतिभाएं उभरकर नहीं आ रही हैं। प्रतिभाशाली छात्र प्रबंधन, वाणिज्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं जिसमें वे ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। अत: वैज्ञानिक संस्कृति के आधार स्तम्भों को विद्यालयों में ही रखा और विकसित किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रासंगिक और सार्थक नीति की आवश्यकता है।

मैं अपने प्रख्यात वैज्ञानिकों के नामों की लम्बी सूची दे सकता हूं, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रलोभन देकर अपने पास बुला लिया गया। यह एक विशेष भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का सामान्य मामला नहीं है, जिसने एक संवेदनशील क्षेत्र में कार्य किया था, वह बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ किस प्रकार सम्पर्क स्थापित कर पाया? कानूनी कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। 'सी-डॉट' के साथ क्या हुआ है? मैं भी राजीव गांधी से सहमत नहीं था। मैं उनके कई विचारों और कार्यों से भी सहमत नहीं हूं।

'सी-डॉट' प्रौद्योगिकी के संबंध में, उन्होंने वास्तव में देश के लिए एक कल्याणकारी कार्य आरम्भ किया था। परन्तु पिछले कुछ महीनों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 'सी-डॉट' से कई वैज्ञानिकों को छीन लिया गया। यही बात केन्द्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान के बारे में भी सत्य है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बहुराष्ट्रीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा छीन लिया गया है। हमारी एक नीति होनी चाहिए जिसमें कि बहुराष्ट्रीय और विदेशी कम्पनियां हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को फिर से छीन न सकें। वैज्ञानिकों को सम्मान, प्रतिष्ठा और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि वे अपने अनुसंधान कार्य को जारी रख सकें। मैं समझता हूं कि हमारे देश में अत्यधिक दक्ष और प्रतिभावान विद्यमान हैं। उन्हें हमारे स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास कार्य में लगाया जाना चाहिए। मैं प्रांतीयता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जहां कहीं भी सम्भव हो स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि हमें कोई भी प्रौद्योगिकी नहीं प्रदान करेगा। प्रौद्योगिकी के लिए दूसरों पर निर्भर होने की अपेक्षा हमें इसे संचित करने का प्रयास करना चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव। यह ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसको यहां पढ़ा जाए और उस पर वाद-विवाद किया जाये। आगामी दिनों में हमें इसे किसी भी प्रकार से क्रियान्वित करना होगा। हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? इसे कई तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है। परन्तु हर बार यह प्रश्न उठेगा कि धन कहां से आएगा। वर्तमान सरकार में एक गलत अभिधारणा चल रही है। हमें जो दस्तावेज दिया गया है वह हमारे देश में दी जाने वाली अनुदानों से सम्बन्धित है, इसमें उल्लिखित है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो भी प्रावधान करते हैं उन्हें राजसहायता समझा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी न केवल देश के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन को बदलती है अपितु लोगों के आर्थिक जीवन को भी परिवर्तित करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश को राजसहायता नहीं माना जाना चाहिए।

मैं एक अन्तिम सुझाव देना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि दूसरे भी बोलना चाहते हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका समय नहीं लेना चाहता हूं। अब मैं जल संसाधनों के बारे में बोलना चाहूंगा। श्री शरद यादव और श्री नरसिम्हा राव इसका उल्लेख पहले कर चुके हैं। हिमालयी जलविद्युत के रूप में हमारे पास अनन्त संभावनाएं हैं। जो लोग नार्वे जैसे स्काण्डीनावियन देशों को जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि उनके पास उत्तरी समुद्र में काफी तेल संसाधन हैं जिन्हें वे बेचते हैं। परन्तु अपने देश में वे केवल पनबिजली का उत्पादन और प्रयोग करते हैं, हमारे देश में पांच दशकों का समय गुजरने के बाद भी हमने इस विशाल ऊर्जा स्रोत के बारे में नहीं सोचा है। जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे पीने के अतिरिक्त अन्य कई उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया और उपयोग में लाया जा सकता है। कोई मुझे बता रहा था कि हमारे देश में सैंकड़ों बहुउद्देशीय, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। परन्तु 1951 से आज तक केवल एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना को पंजाब में पूरा किया गया है। इन परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनाओं के मामले में लागत पहले ही 500 गुणा, 600 गुणा और 1000 गुणा बढ़ चुकी है।

परन्तु सिंचाई के बगैर हम कृषि शक्ति कैसे बन सकते हैं? शायद हम अपनी नाभिकीय ऊर्जा का विकास करेंगे किन्तु उसमें भी आप एक स्तर तक जा सकते हैं और उन लोगों से आगे नहीं जा सकते हैं, जिन्होंने काफी पहले यह कार्य शुरू कर दिया था और जिन्हें ऐसे कई क्षेत्रों में फायदे मिले हुए हैं। परन्तु कृषि में संभावना बनी हुई है। हमारे पास अपने जल संसाधन हैं, परन्तु आज तक हमने उनके उपयोग के बारे में नहीं सोचा है।

कभी-कभी हम अपनी तुलना एशिया के उन्नत देशों के साथ करते हैं। हम उन्हें अपने सम्मुख आदर्श के रूप में रखते हैं। हमें कम से कम कुछ तो उनसे सीखना चाहिए। अपने लोगों को उत्पादक कामों में लगाकर, उन्हें शिक्षित कर, उन्हें कार्य कुशलता प्रदान कर और उन्हें भूमि देकर, जल संसाधनों का प्रयोग करने का अधिकार देकर, सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया में भाग लेने का समुचित अधिकार देकर हम उन देशों से उस समय से भी पहले आगे जा सकते हैं जितनी की हम कल्पना करते हैं।

मैं समाप्त कर रहा हूं। भारत एक विशाल और महान देश है। जैव-विविधता, जल संसाधनों और मानव पूंजी के रूप में इसमें अनन्त संभावनाएं हैं। आगामी दिनों में यदि हमें राष्ट्र के लिए कोई एजेंडा तैयार करना है तो हमें इन तीनों विशाल क्षेत्रों को ध्यान में रखना होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री जोआचिम बक्सला बोलेंगे।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : श्रीमान् हम 16 सदस्य हैं। हमें समय नहीं दिया जा रहा है। क्या हम यहां केवल गणपूर्ति के लिए हैं या किसलिए हैं?

सभापति महोदय : प्रोफेसर यह निर्णय आपको लेना है कि आप किसलिए यहां हैं। इसका निर्णय आप लेंगे। मुझ से प्रश्न मत पूछिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा। मेरे सामने नामों की सूची है। भा.ज.पा. और रा.स.पा. को छोड़कर सभी दलों ने आबंटित समय ले लिया है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : हमारे समय का क्या हुआ?

सभापति महोदय : आपके लिए कोई अलग समय आवंटित नहीं किया गया है। आपका दल सत्ता दल का भाग है। आपको माननीय अध्यक्ष महोदय से विचार-विमर्श करना होगा।

अब श्री जोआचिम बक्सला बोलेंगे।



श्री जोआकिम बक्सला

[हिन्दी]

श्री जोआकिम बक्सला (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आज स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो विशेष सत्र का आयोजन हमारे अध्यक्ष ने किया है, सर्वप्रथम मैं अपने अध्यक्ष का उसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमें मालूम है कि इस अवसर पर हम लोग भारतवर्ष के कोने-कोने में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों के भवनों को बिजली की रोशनी से सजा कर रंगारंग समारोह के माध्यम से, अपने सार्वजनिक भाषणों से, प्रदर्शनियां सजा कर अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। स्वाधीनता के 50 वर्ष बीतने के बाद इस विशेष सत्र में हमारी सरकारों ने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल कीं और उनकी कमियां कहां-कहां रहीं, इस पर लेखा-जोखा लेने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं।

महोदय, इस अवसर पर मैं अपने सभी माननीय सदस्यों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो लेखा-जोखा का कार्यक्रम हम लोगों ने 50 वर्ष बाद शुरू किया है, मेरे विचार से अच्छा होता अगर हमने यह प्रक्रिया इसके पहले भी की होती तो जो उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की हैं उन उपलब्धियों को हमारी आम जनता जानती और उन्हें संतोष मिलता।

तो नौजवानों के मन में हताशा की भावना नहीं होती। जिन उपलब्धियों को हमने प्राप्त किया है उनके लिए हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जहां-जहां हम लोग विफल हुए हैं उन विफलताओं को सुधारने का भी हम लोगों को वक्त मिल जाता। लेकिन जो काम हमने नहीं किया उस पर पछताना कैसा, अब तो हमें जो काम आगे भविष्य में करना है, सुधार लाने के लिए जो कदम हमें आगे बढ़ाने हैं, वे कैसे मजबूती से आगे बढ़ें, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए।

शिक्षा के विषय में विशेष काम करने की आवश्यकता है। जहां-जहां पिछड़े लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो चाय-बागान में, खेत में, खलिहानों में, कारखानों में काम करते हैं, उनकी दुर्दशा के विषय में अगर हमने पहले से समीक्षा की होती तो आज हम उन्नति के पथ पर काफी आगे बढ़े होते। आज उनकी हालत पहले जैसी है।

हरित-क्रांति करके समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन जिनकी बदौलत हम यह हरित-क्रांति कर पाए हैं, जो श्रमिक हैं, आम आदमी है, खेतिहर मजदूर हैं वे आज भी खाली पेट सो जाने के लिए मजबूर हैं। हमारी वितरण प्रणाली दोषमुक्त नहीं है और इस अकुशल प्रणाली की वजह से हमारे मजदूर और श्रमिक पानी पीकर सो जाते हैं।

आज हम आजादी की स्वर्ण-जयंती मना रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हमने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त की है। लेकिन जिन्होंने यह अनाज पैदा किया, जिन्होंने हमें यह कहने का हक दिया कि हमारा देश अनाज पैदा करने में आत्मनिर्भर हो गया है, उन्हीं लोगों को हम इसमें हिस्सेदार बनाने में पीछे रहे हैं।

आज जब हम अपनी जनसंख्या की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर है। निरक्षर होने के बावजूद भी जब-जब आवश्यकता पड़ी, इसी निरक्षर जनता ने सत्ता में बैठे लोगों को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया है। इस दृष्टि से, राजनीतिक तौर पर हमारे ये निरक्षर लोग जागरूक हैं। अगर इन निरक्षर लोगों के स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखा होता, उन्हें पीने का पानी दिया होता, उन्हें शिक्षित किया होता, तो आज देश उन्नति के पथ पर ज्यादा अग्रसर होता।

इस विशेष सत्र में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि हम किस-किस क्षेत्र में पीछे रहे हैं और किन-किन क्षेत्रों में हमने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसके समाप्त होने के बाद हमारा दायित्व और बढ़ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस दायित्व को पूरा करने के लिए, देश को तेजी से आगे ले जाने की दिशा में जो-जो कार्य हमें करने हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। हमारी जो गरीब जनता है जिसको दो टाइम का भरपेट खाना नहीं मिलता है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, जिसके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं है, उसको हम अधिक से अधिक सुविधा देकर, अपने दायित्व और कर्तव्य का सही तरीके से पालन करने में सफल हो सकें—यही मेरी कामना है।

आज जो लोग सत्ता में हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा। मैंने सांसदों को रात भर बैठकर सुना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सत्ता

में बैठे मंत्रियों के भाषण सुने। उनके अधिकांश मंत्रियों का भाषण बहुत अच्छा और जोशपूर्ण रहा। उनके भाषणों को सुनने के बाद मुझे लगा कि इस बार अवश्य ही इस विशेष सत्र के बाद जो संकल्प लिया जाएगा, उससे देश की बड़ी समस्याएं हल होंगी। सत्ताधारी पक्ष जिस के पास आज सारा दायित्व है, वह आने वाले समय के भविष्य के बारे में सोचे और उसके कार्यान्वयन में जुट जाए। वह कार्यसूची के अनुसार देश की उन्नति में और तेजी लाने की कोशिश करें। विशेषकर हमारे पिछड़े वर्ग के लोग आज भी यह कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता तो मिली है और हम स्वर्ण जयन्ती का जश्न भी मना रहे हैं लेकिन गोसाई गांव के आदिवासी अभी भी बेघर हैं। हमें उनकी ओर नजर डालनी चाहिए। उनका कहीं उल्लेख नहीं होता। उनके लिए आज तक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश होती है तो उनका पूरा परिवार पूरी रात तरपाल के नीचे रहता है। वे कारखानों में काम करते हैं, चाय बागानों में काम करते हैं। जो श्रमिक हैं, वे खेतों में काम करते हैं । जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी में झुलसते हुए काम करते हैं। बारिश पड़ने पर भीग कर काम करते हैं और जाड़ा होने पर ठिठुर कर काम करते हैं। अनाज पैदा करने में उनका हाथ सबसे ज्यादा है लेकिन हमने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पचास साल में उनकी तरफ हमारी नजर नहीं गई। यदि नहीं गई है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चर्चा खत्म होने के बाद जो संकल्प लिया जाए, उसमें इस बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों में हमें जो उपलब्धियां मिली हैं, उनका केवल उल्लेख न करते हुए बल्कि जहां हमारी नाकामयाबी रही, विफलता रही, उनको प्राथमिकता देकर दूर करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मुझे मालूम है ''विफलता सफलता का आधार स्तम्भ है।'' हमें जो भी विफलताएं मिलीं, उन विफलताओं को आगामी सालों में दूर करना चाहिए। इसके बाद आजादी की 100वीं जयन्ती मनायी जाएगी। उसे देखने का और उसकी चर्चा में भाग लेने का हमें मौका नहीं मिलेगा। आज हमारी युवा पीढ़ी टी.वी. के माध्यम से हमें देख रही है। उनको जो हताशा लालकिले में झंडा फहराने के समय हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण से हुई, आप उनकी आशा को अब आप पूरा करके दिखा दें। आप हमारी नई युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करिए जिससे वे सही रास्ता अपना सकें। उन्हें अच्छे दिशा निर्देश देने का काम करिए ताकि सौ साल की जयन्ती जब नई पीढ़ी मनाए तो हमारा गुणगान करें। हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हम सोमवार को इस सत्र के समापन पर जो संकल्प एडॉप्ट करने वाले हैं, वह कठोर हो और देश को नई दिशा दे। हम इसके माध्यम से युवा पीढ़ी और आम जनता को एक संदेश देंगे। हमें अपनी विफलताओं पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें आशा रखनी होगी।

सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देने से पहले एक अनुरोध आपसे अवश्य करना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी के माध्यम से जो प्रक्रिया हम लोगों ने की है कि 50 साल के बाद हम समीक्षा कर अपनी कमियों का लेखा-जोखा कर रहे हैं, एक निश्चित समय के अंतराल में ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिये कि इस प्रकार से समीक्षा होनी चाहिये ताकि हमें मालूम हो कि हम किस क्षेत्र में गति देने में विफल रहे हैं और किस क्षेत्र में ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।



श्री सोहनवीर सिंह

श्री सोहनवीर सिंह (मुजफ्फरनगर) : सभापति महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी। साथ ही इन्हें भी नमन करता हूं जो राजनीति में रहे, अन्य क्षेत्रों में रहे और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सन् 1965, 1971 की लड़ाई में शहीद होने वाले सैनिकों के प्रति और उनके परिवारों के प्रति अपना सिर नमन करता हूं जिन्होंने देश को बचाने के लिये अपने प्राणों की आहुति दी। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की अस्मिता और स्वाभिमान के लिये एक लम्बे समय तक संघर्ष किया।

सभापति महोदय, स्वाधीनता की लड़ाई में जो लोकतंत्र हमें मिला, उसे 50 साल हो गये हैं। यह बड़े गर्व का विषय है कि आज देश का यह एक सर्वोच्च सदन है जिसमें एक ऐसा सदस्य है जिसकी सभी तारीफ करते हैं। चाहे वह व्यक्ति घर जाकर करता हो या बैडरूम में करता हो लेकिन 50 साल के लोकतंत्र में एक सदस्य ऐसा है जिसको तारीफ करते हैं, यह गर्व की बात है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात 50 साल पहले के इतिहास से शुरू करता हूं और कोशिश करूंगा कि जिन विद्वान सदस्यों ने अपनी बात यहां रखी है, उन बातों को न दोहराऊं। इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के नाम पर हुआ जोकि कपटपूर्ण बंटवारा था। इस देश की जनता के साथ बहुत बड़ा कपट किया गया। महात्मा गांधी इस बात को समझते थे कि हिन्दू और मुसलमान एक मां-बाप के बेटे हैं और सगे भाई हैं। लेकिन सत्ता लेने वालों को इतनी जल्दी थी कि देश का बंटवारा दोषपूर्ण ढंग से हुआ। उस समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बने तथा 1971 में बंग्लादेश बना। देखते ही देखते पाकिस्तान में हिन्दू और हिन्दुत्व की होली जलाई गई, बंग्लादेश में होली जलाई गई कि सब देखते रह गये। लेकिन भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि जो पहले सत्ताधारी दल था, उसको उन मुसलमानों का, जो डरे और सहमे हुये हैं, लम्बे समय तक अपना वोट बैंक बनाना था। चूंकि

बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, धर्म के नाम पर जमीन बांटी गई थी। उसमें ईमानदारी नहीं बरती गई थी तो इस प्रकार सत्ताधारी दल उनके वोट बैंक का सहारा लेकर चलता रहा। हमारा सौभाग्य है कि हमें लौह पुरुष सरदार पटेल जैसा व्यक्ति मिला जिसके फौलादी इरादों ने 600 रियासतों को मिला दिया। वह सरदार पटेल बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। किसानों के मसीहा बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। लौह पुरुष सरदार पटेल की बदौलत उस समय की सत्ताधारी पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही। सत्ता में नेहरू परिवार चलता रहा, लेकिन इस देश को हमेशा के लिए सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया। सरदार पटेल हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने के साथ ही 'किसान' नाम का शब्द भी इस देश के अखबारों से गायब हो गया और इस देश के नेताओं के मुंह से गायब हो गया। इस देश की लोक सभा में किसानों पर कभी डिबेट नहीं होती थी। बहुत लंबे समय बाद जब 1977 में कांग्रेस का राज पलटा और जनता पार्टी की सरकार बनी तब चौधरी चरण सिंह के कारण इस देश के अखबारों में किसान का नाम आना शुरू हुआ। 1979 में बोट क्लब पर किसानों की बहुत बड़ी रैली हुई और उसमें किसानों के अधिकारों के प्रति यहां के राजनीतिज्ञों को जागरूक किया और उन्हें बाध्य किया कि किसान के बारे में कुछ सोचें। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसानों के बारे में कुछ करना पड़ेगा। नागपुर अधिवेशन में चौधरी चरण सिंह अगर नेहरू जी का विरोध न करते तो देश में कोआपरेटिव फार्मिंग लागू हो जाती और जैसे रूस भूखा मर रहा है, उसी प्रकार यहां के सौ करोड़ लोग आदमी को ही खा जाते जबकि यहां रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। छोटे कद के नेता होते हुए चौधरी चरण सिंह ने पंडित नेहरू का विरोध किया और कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया। इसकी वजह से देश के किसानों का हित हुआ और देश का हित हुआ। बंग्लादेश की एक महिला तसलीमा नसरीन ने एक उपन्यास 'लज्जा' में लिखा है कि वहां हिन्दुओं के साथ किस तरह वहां ज्यादती हुई। यहां भी मुस्लिम आरक्षण के लिए बहुत जोर-जोर से आवाज उठने लगी है। बहुत बड़े-बड़े नेता भी इस बारे में कहने लगे हैं। हर पार्टी मुस्लिम आरक्षण मांगना शुरू कर रही है। मैं इस बारे में क्या कहूं। इस देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनको स्वर्ण जयंती के अवसर पर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ...*(व्यवधान)* मैं इनको कुछ नहीं कह रहा हूं। रक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण जयन्ती के साथ इन चीजों का तालमेल नहीं बैठता है। यह दुख की बात है कि यहां से ऐसी डिबेट चली जैसे पार्टी का घोषणापत्र पढ़ा जा रहा हो, जैसे कि देश में मुसलमानों ने ही बहादुरी का काम किया हो और मुस्लिम आरक्षण की बात कही गई। रक्षा मंत्री जी को यहां जवानों की बात करनी चाहिए थी, शहीदों की बात करनी चाहिए थी। पहला परमवीर चक्र जिस जवान को मिला वह एक जाट सिक्ख था। आप उन जवानों को स्वर्ण पदक दिलवाने की बात करते, अशोक चक्र दिलवाने की बात करते जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं।

महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से आता हूं। वहां जिन किसानों के पास चार-पांच एकड़ जमीन है वह कड़ी मेहनत करते हैं। वहां जाकर आप देखें। ...*(व्यवधान)* रक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि मैं पहली बार चुनकर आया हूं। आप बहुत बड़े मंत्री हैं और आप बार-बार मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : सभापति जी, यह स्वर्ण जयंती वर्ष है इसलिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, वरना मैं अभी बोलकर इनको नंगा कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब एक साथ नहीं बोल सकते। सभी एक समय में नहीं बोल सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दाऊ दयाल जोशी जी बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, रक्षा मंत्री जी जो बोल रहे हैं वह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। जब ये यहां पर सदन में बोल रहे थे और यहां से निकले तो मुसलमान सदस्यों से गले मिले और कहा कि क्या कोई मुसलमान बोलेगा, मैं मुसलमानों के कितना पक्ष में बोला हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जोशी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत हो गया। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : श्री जोशी, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय, कृपया एक बात समझ लीजिए। कृपया हमें उत्तेजित करने वाली भाषा का प्रयोग न करें।

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मैं अपने स्थान पर खड़ा हूं। श्री सोहनवीर, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा एक अनुरोध है। कृपया इस प्रकार की उत्तेजित करने वाली भाषा का प्रयोग न करें। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया है। आप अपनी बात बिना कुछ ऐसा कहे, जो कि उत्तेजित न करने वाला हो, कह सकते हैं।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : जो आप कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आपको बोलने की अनुमति नहीं है। अब केवल श्री सोहनवीर बोलेंगे।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : इस प्रकार बोलने का क्या लाभ है?

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : मैंने श्री जोशी को बोलने की अनुमति दी है। इस समय आप क्यों बोले? मैं पहले ही एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे चुका हूं। ऐसा नहीं किया जा सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : श्री जोशी, आपको बोलने का समय दिया गया था।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : श्री जोशी, आपको बोलने का समय दिया गया था।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : जब मैं यहां खड़ा हूं तो कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। कृपया आप इस प्रकार की चर्चा न करें। मेरा अनुरोध है कि कृपया इस सत्र के महत्व और उसकी गम्भीरता को समझें। वरिष्ठ सदस्य भी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने अनुरोध किया है कि कृपया सत्र की गम्भीरता को समझें। इस प्रकार के उल्लेख से उत्तेजित हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। जब श्री मुलायम सिंह यादव ने इस बात का उल्लेख किया, तो श्री दाऊ दयाल जोशी को इस पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। इस प्रकार की चर्चा जिसका कोई अंत नहीं है, पर हम चर्चा नहीं कर सकते। कृपया पीठासीन अधिकारी को सहयोग दें। कृपया इस प्रकार की चर्चा पुनः न दोहराएं।

श्री सोहनवीर, आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, आप उनको कहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जोशी, कृपया इस प्रकार की टिप्पणी न करें।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : मेरा किसी से व्यक्तिगत कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम तो चौधरी चरण सिंह के वारिस हैं। हमने किसी पर कोई जोर-ज्यादती कभी नहीं की। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि न तो हम किसी से डरते थे और न किसी से डरेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आपको कुछ और बातें कहनी है, तो कृपया आप उन्हें कहें। अन्यथा मैं बोलने वालों की सूची में से अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : सभापति जी, मैं सच्चाई कहूंगा। सच्चाई कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बड़ों का सम्मान करता हूं। मैं कोई असम्मानजनक शब्द नहीं कहूंगा। लेकिन सच्चाई मैं जरूर कहूंगा। सभापति जी, श्री वी.पी. सिंह, श्री सुलेमान सेट तथा कुछ दूसरे हमारे भाई हैं जिनके पास मुसलमानों की तरक्की का कोई फार्मूला नहीं है। आरक्षण किसी जाति की तरक्की का फार्मूला नहीं हो सकता— इसे सबने देख लिया है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि किसी भी कीमत पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था चाहे 10 लाख आदमी मरते या 50 लाख आदमी मरते। मैंने उनके विचार कई मीटिंग्स में सुने हैं, 1972 से लेकर जब तक वे जिन्दा रहे, यही कहते रहे। तब से मैं बराबर उनके संसर्ग में रहा हूं। वे कहते थे कि किसी भी कीमत पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। उनके विचारों को मैं आज फिर इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

सिर्फ दो चीजें हैं, जिनके आधार पर हम इस देश की गरीबी और अल्पसंख्यकों की गरीबी दूर भगा सकते हैं और इस संबंध में हमें कठोर निर्णय नहीं कठोरतम निर्णय लेने होंगे, उनमें से एक है पूरे देश में समान शिक्षा हो। चाहे दिल्ली हो, राजपुर हो, इटावा हो, कन्याकुमारी हो, हर प्राइमरी स्कूल में एक जैसा स्लेबस होना चाहिए। किसानों, मजदूरों और दूसरे तबकों के बच्चे दिल्ली में आते हैं लेकिन यहां उन्हें किसी स्कूल में एडमीशन नहीं मिलता क्योंकि यहां के स्कूलों में कुछ खास वर्ग के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है। मेरा सुझाव है कि पूरे देश में समान शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है। यहां सरकार के सारे मंत्री मौजूद हैं, वे मेरे सुझाव पर गम्भीरता से ध्यान दें क्योंकि आप भी किसानों के हितैषी हैं, मजदूरों के हितैषी हैं।

मेरा दूसरा सुझाव है कि देश में बढ़ती आबादी रोकने के लिए भी हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। वर्तमान परिवार-कल्याण मंत्री से मेरी इस बारे में बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि कठोर निर्णय संभव नहीं है लेकिन मैंने कहा कि आप दो बच्चों का प्रावधान करा दीजिए, बहुत से स्वास्थ्य मंत्री यहां आए, भले ही आप यहां कम समय रहें, यदि आप आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ऐसा निर्णय लेती हैं तो देश आपको याद करेगा। उनका कहना था कि इसके लिए फंड्स कहां हैं? मैंने उनसे कहा कि आबादी रोकने के संबंध में हम सब एकमत हैं, आपको देश-हित में कठोर निर्णय लेना चाहिए और इसके रास्ते में जितनी बाधाएं हैं, उसके लिए चाहे एक लाख आदमी मरे, दो लाख आदमी मरे, लेकिन स्वर्ण जयंती के अवसर पर ऐसा कठोर निर्णय लेना जरूरी है।

मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूं, मुझे पहली बार समय मिला है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर, यहां सुभाष चन्द्र बोस की चर्चा आई और एक कमेटी भी बनी। उस वक्त डिस्कशन यह चल रहा था कि गांधी और नेहरू के साथ-साथ सुभाष चन्द्र बोस का भाषण भी होना चाहिए और उनके भाषण के अंश शामिल कर लिए गए जिसकी सबने तारीफ की, इसे हम सबने देखा। सुभाष चन्द्र बोस ने क्या कहा था—उन्होंने एक ही झटके में जातिवाद और धर्मवाद को ढहा दिया था। उनके मुंह से सिर्फ दो ही शब्द निकले थे—जय हिन्द। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो राष्ट्रवादी हों, जातिवादी न हों, धर्मवादी न हों बल्कि सच्चे माने में राष्ट्रवादी हों। ...*(व्यवधान)* मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

अब मैं दो शब्द अपराधियों के बारे में कहूंगा क्योंकि आज हमारी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। बेटे के मरने पर बाप गवाही के तौर पर इस्तेमाल होता है, बाप एफिडेविट देता है, बाप के मरने पर बेटा एफिडेविट देता है और बेटे के मरने पर मां एफिडेविट देती है लेकिन आज सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. और एविडैंस तीनों की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में सोचा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* उसके साथ-साथ हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे कई नेता अपराधिक जगत से जुड़े हैं, उनके पास बहुत धन है, बाहुबल है और वे किस तरह संसद को प्रभावित करते हैं, विधान सभाओं को प्रभावित करते हैं।

सभापति महोदय : अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री सोहनवीर सिंह : यह संसद एक गंगोत्री है, जहां से ईमानदारी की शुद्ध धारा निकलनी चाहिए। विधान सभाएं जमनोत्री है। इन दोनों संस्थाओं से ईमानदारी की धारा निकलनी चाहिए। हम संसद सदस्यों को प्रतिवर्ष कुछ पैसा मिलता है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस समय सदन में शिवराज पाटिल जी नहीं हैं, उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया था। इस पैसे का 80 प्रतिशत भाग गांवों के विकास पर लगता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वे स्वयं कहते थे कि यहां से भेजे एक रुपए में से गांवों तक पहुंचते-पहुंचते 17 पैसे रह जाते हैं। मेरा सुझाव है कि लोक सभा क्षेत्र-वाइज स्कीमें बनाई जानी चाहिएं और वह पैसा स्थानीय सांसद की अध्यक्षता में खर्च हो। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा क्योंकि आज अफसरशाही हमारे विकास का तमाम पैसा निगलती जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने व्यवधान का समय निकालकर 16 मिनट ले लिए हैं। इसलिए कृपया अब एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : सभापति महोदय, यहां पर माननीय शरद यादव जी बैठे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कुछ सांसदों ने यहां पर पानी के बारे में जाति के बारे में भाषण दिए। आज स्थिति यह है कि छोटे-छोटे लोग नेता बन गए हैं। आज देश में जाति के नाम पर बहुत नेता पैदा हो गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जाति टूटनी चाहिए और जाति तोड़ने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए। इसके लिए सब लोगों को जनभावना से, दलगत भावना से ऊपर उठकर, इसको सपोर्ट करना चाहिए और यह जो जातिवाद है, वह ध्वस्त होना चाहिए।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र में एक नेता की मूर्ति के गले में जूतों की माला पहना दी गई, उसके ऊपर कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया और उसके कारण कितने ही लोगों की जानें चली गईं। इसलिए यह जातिवाद की भावना समाज और देश से समाप्त होनी चाहिए। यदि कश्मीर से कन्या कुमारी तक हिसाब लगाएं तो कितने ही नेताओं की मूर्तियां लगी हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं आप दोपहर के बाद बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं किसानों की बात कह कर समाप्त करूंगा। किसानों ने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : सभापति महोदय, सरदार पटेल को बहुत कम मौका मिला। सरदार पटेल चाहते थे कि किसानों की तरक्की हो। उन्होंने किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पंजाब के मुख्य मंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल, किसान हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरो सिंह शेखावत, किसान हैं। दिल्ली के मुख्य मंत्री, श्री साहिब सिंह वर्मा, किसान हैं। हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसीलाल, किसान हैं और 21 सितंबर, 1997 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने वाले श्री कल्याण सिंह भी किसान हैं।

सभापति महोदय, यहां पर किसानों की बात चल रही है। चौ. चरण सिंह ने किसानों के लिए जो कार्य किए थे और उनका किसानों के लिए जो सपना था, वह पूरा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज देश की आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर हम ऐसा कार्य करें और ऐसा निर्णय लें जिससे किसान को शुद्ध बीज, खाद, दवाई और बिजली पूरी मात्रा में मिलने की गारंटी हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं पानी के बारे में बोलना चाहता हूं। शरद यादव जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तिफाक करता हूं कि पानी का सदुपयोग हमारे देश में अभी तक नहीं हुआ है। हमने पानी के सदुपयोग के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए हैं। फैक्ट्रियों से जो प्रदूषित जल नदियों में जा रहा है, उसको दूर करने के लिए यदि हम पानी का रीसाइक्लीनिंग कर सकें, तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। इसके बारे में कुछ प्रयास दिल्ली में शुरू किया गया है।

सभापति महोदय, बेरोजगारी का सवाल देश के सामने बहुत विकराल रूप में है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि को संपन्न करो। कृषि संपन्न होगी, तो कृषक संपन्न होगा और जब कृषक संपन्न होगा, तो बेरोजगारी दूर होगी। आज हमारे देश में देख लीजिए पंजाब में कृषक संपन्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषक संपन्न है, वहां बेरोजगारी इतनी नहीं है। बिहार से वहां लोग आकर काम करते हैं। बिहार में कृषि कमजोर है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। देश में कृषक को संपन्न कीजिए, बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि देश के लैवल पर इस कार्य के लिए एक अध्ययन दल बनना चाहिए जो हमेशा प्रदेशों के कृषकों को संपन्न करने के लिए कृषि संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता रहे और उन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव और उपाय बता सके।

सभापति महोदय, अब मैं देश के रक्षा सैनिकों के बारे में कुछ बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। 1947 में देश में लोगों में यह भावना थी कि देश का हर नौजवान सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने में गौरवान्वित अनुभव करता था। हर माता-पिता का सपना था कि उसका बेटा सेना में जाए। हर बहन का सपना था कि उसका भाई सेना में जाए, लेकिन आज हमारे देश में क्या हाल है। सेना में छोटे से लेकर बड़े पदों तक देख लीजिए हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। आज कोई सेना में जाने का नाम नहीं लेता है। इसलिए देश की आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर मेरा आग्रह है कि सेना के वेतनमान अच्छे होने चाहिएं। आज सेना में न वेतन अच्छा है और न सम्मान उतना है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सेना के लिए एक अलग वेतन आयोग हो जिसका अध्यक्ष सेना का ही सेवानिवृत्त जनरल हो। सेना के वेतन के लिए आई.ए.एस. अधिकारी को निर्णय का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा और सेना के लोगों का वेतन अच्छा कर दिया जाएगा, तो देश में सेना के लिए फिर वही जज्बा पैदा हो जाएगा, जो पहले था और हर आदमी सेना में जाकर देश सेवा करने का इच्छुक होगा।

स्वर्ण जयंती के अवसर पर यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उन सबको देखना चाहिए कि कम से कम इसके इतिहास की, इसकी संस्कृति की और इसके भूगोल की रक्षा होनी चाहिए। बंगलादेश कट चुका है, पश्चिमी पाकिस्तान कट चुका है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। विस्तार में मत जाइए। विषय बहुत व्यापक है।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.55 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.03 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.03 बजे पुनः समवेत हुई

[**श्री नीतीश कुमार** *पीठासीन हुए।*]

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति संबंधी प्रस्ताव–*जारी*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : आप तो बड़े उदार हैं।

सभापति महोदय : इसमें कोई शक नहीं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : मैं चार रोज से प्रयास कर रहा हूं, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मुझे बोलने का मौका देने की कृपा करें।



श्री राजेश पायलट

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस ऐतिहासिक सैशन में मुझे बोलने का मौका दिया और स्पीकर साहब का और पोलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स का, जिन्होंने यह फैसला किया कि आज हम 50 साल की आजादी के बाद बैठें और आत्म-चिन्तन करें कि कहां हम कमजोर रहे, कहां हम ठीक चले और ठीक चलने के लिए आगे किस मजबूती से चलें।

मैं उन सौभाग्यशाली नागरिकों की पंक्ति में, गिनती में हूं, जिन्होंने आजादी के फल खाये और आजादी का सुख देखा। उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की कुरबानी पर, उन लोगों की कुरबानी पर जो सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन हमारी पीढ़ी जो आज स्वतंत्रता के फल को पा रही है, मैं उन सौभाग्यशाली नागरिकों में से हूं। उससे ज्यादा उस राजनैतिक परिवार से सम्बन्धित हूं, जिस राजनैतिक परिवार ने, राजनैतिक पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के साथ मिलकर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सहयोग करके उस सल्तनत को देश से उठाया, जिसकी उम्मीद बहुत कम की जाती थी। उन 1947 से पहले के दिनों का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और किस हालात में लड़ते थे, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी जिसका मैं सदस्य हूं, हमारी जिन हालात में उन दिनों मदद की और वह देश के साथ जुड़ी। आजादी के बाद आज पचास साल में जो विकास हुआ या कहीं खामियां रहीं, मेरे साथी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी बोले हैं, उन्होंने मंजूर किया है कि जो विकास हुआ है वह भी कांग्रेस की नीतियों से हुआ हो, जहां कमियां रही हैं, हम हिम्मत से कहते हैं कि कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन कांग्रेस की नीतियों से देश आगे बढ़ा है।

आजादी के बाद कदम उठाए गए। यह हमारी पार्टी में हिम्मत थी जिसने सामंतवादियों के साथ कदम उठाए। मैं राजस्थान से चुनकर आता हूं, जोशी जी अभी यहां नहीं हैं, उन्हें भी मालूम है, जब हम ढाणियों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पहले स्वतंत्र पार्टी राजस्थान में हुआ करती थी, जिसके राजे-महाराजे सदस्य हुआ करते थे। वे बैठे रहते और गांव के लोग, झोंपड़ियों वाले लोग वोट मांगने आया करते थे कि हमें वोट दो। पहले वहां राजा-महाराजाओं को हुकुम कहा जाता था, लेकिन हमारी पार्टी की मदद से भी अब ये लोग वहां की ढाणियों के लोगों को हुकुम कहते हैं और कहते हैं कि हुकुम हमें वोट दो। यह प्रजातंत्र की बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस के प्रयास से हुई।

हरित क्रांति आई। गांवों में तरक्की हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रिवी पर्स खत्म हुआ। ऐसे मोटे-मोटे काम जो कांग्रेस के इतिहास में हुए हैं, मैं उस परिवार के सदस्य के रूप में फख्र से कह सकता हूं, ये कदम ऐसे उठाए जिन्होंने इस देश की हालत बदलने में बहुत हद तक मदद की।

मैं 14 अगस्त, 1947 के सभी बुजुर्गों के भाषण पढ़ रहा था। मुझे खुशी हुई, दो-तीन दिन से यहां मैंने जिन भाइयों के भाषण सुने और उन्होंने सब चीजों से ऊपर उठकर देश के बारे में क्या किया जाए, इस पर अपने विचार रखे।

मैं अपने विचार दो भागों में बांटकर आपके बीच में कहूंगा। एक है कि 1947 से 1997 तक हम लोग क्या कर पाए, कहां पीछे रहे, क्यों पीछे रहे, क्या करना चाहिए। दूसरा भाग है प्रजातंत्र, और उसमें गिरावट क्यों आई। इन दो विचारों को मैं अपने विचारों में कहना चाहूंगा। सभी भाइयों ने अपने विचार सभी विषय पर रखे हैं। 1947 में देश आजाद हुआ। हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं है। सभी लोगों ने कहा कि तरक्की हुई है, हर विभाग में, हर सेक्टर में हम आगे बढ़े, लेकिन गांव और विकास की जो हालत 1947 में थी,

अगर देखा जाए तो हालात में सुधार हैं, लेकिन उस अनुपात में हालत नहीं सुधरी, जिस अनुपात से हम सुधार सकते थे या गांव को सुधार सकते थे। 1947 में जो किसान की हालत थी, वह सुधरी, यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं सुधरी। लेकिन जिस अनुपात से उसको ऊपर उठना चाहिए था, वह हम नहीं उठा पाए। हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे थे।

आजादी के बाद जब देश में पहली बार बजट पेश हुआ तो उस समय कृषि को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए जिसके लिए 14.5 प्रतिशत राशि कुल बजट की आबंटित की गई। क्योंकि देश में उस वक्त नेता लोग महसूस करते थे कि देश की आबादी में से 70-80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। उस समय 85 फीसदी लोग गांवों में थे, 10-15 फीसदी लोग शहरों और कस्बों में रहते थे। इसलिए गांवों का उठना जरूरी है और शहरों तथा कस्बों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया गया। इसलिए करीब 15 प्रतिशत कुल बजट का पैसा कृषि के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ दिया गया। आज 1997-98 का बजट देखें, आज यह राशि कुल 4 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसके बावजूद किसानों की मेहनत से, मजदूरों की मेहनत से और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से किसानों ने मेहनत की और जहां पहले 50 मिलियन टन अनाज पैदा होता था, आज 190 मिलियन टन पर हम पहुंच गए हैं। यह किसानों, मजदूरों की मेहनत से हुआ। हमारे वैज्ञानिक जो भी उनके पास थोड़े-बहुत स्रोत या रिसोर्सेज थे, उनसे किसानों की मदद की।

हमें खुशी है जब 1947 में हम आजाद हुए। उस समय किसानों के लिए साइंस की बहुत कम मदद थी। आज कृषि के 29 विश्वविद्यालय हो गए हैं, 46 कृषि रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। लेकिन जितना ध्यान कृषि पर देना था, उतना नहीं दे पाए। आज भी भारत में इतनी साइंटिफिक सहायता के बाद जो चावल पैदा होता है, वह 17 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदा होता है, जो विकसित देश हैं, चीन में आप देखें वहां 35 क्विंटल पर हेक्टेयर में चावल होता है। गेहूं 1947 में हमारे यहां बहुत कम पैदा होता था, लेकिन आज के दिन 20 मिलियन टन पर हेक्टेयर में पैदा होता है और चीन में करीब 30 मिलियन टन पर हेक्टेयर और जर्मनी में 68 मिलियन टन पर हेक्टेयर में पैदा होता है। इतना फर्क अभी भी हमारे किसान की मेहनत में है और उन लोगों के प्रोडक्शन में है। यह क्यों हुआ? क्योंकि हमारा किसान तो मेहनती है लेकिन आज उसका इतना साथ नहीं दिया जा रहा है। भाई अंतुले जी ठीक बोल रहे थे। यह सही है कि आज गांव और शहर का फर्क बढ़ता जा रहा है। 1947 में इतना फर्क नहीं था। उसी तरीके से अमीरी और गरीबी में फर्क बढ़ता जा रहा है। 1947 में गांव और शहर में फर्क कम था लेकिन आज सुविधाओं का फर्क बढ़ता जा रहा है, इसलिए आज हमें गांवों के विकास के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर 85 फीसदी जनता जो गांवों में रहती है, अगर उनको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकेगा। आज हम यह नहीं कहते हैं कि हमारा देश ऊपर उठ गया है। जब तक किसान, जब तक गांव की जनता ऊपर नहीं उठती है, तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश ऊपर उठ गया है।

आज भी 60-70 बीघे जमीन वाला किसान शाम को रोटी सब्जी से खाना नहीं खा सकता है। जिस तरीके से वह गुजारा कर रहा है, वह ही जानता है। एक फसल आती है तो उसके बाद अगली फसल पर गुजारा चलता है। अगली फसल के लिए पहले से सोच लेता है कि अगली फसल पर अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा, बेटे को पढ़ाऊंगा, मकान पक्का करवाऊंगा। फिर उधार लेकर अगली फसल की इंतजार में उसका गुजारा चलता है। हम महसूस नहीं करते हैं कि आज किसान जब गन्ना लेकर मिल में जाता है तो उसका गन्ना तोलने के बाद उसे एक चिट पकड़ा दी जाती है कि आपका गन्ना इतना क्विंटल आया। एक साल तक उस पर्ची को बक्से में संभालकर रखे रहता है। उस पर्ची को वह नोट की तरह गिनता है कि यह मेरा नोट है। उसे कीमत उस दिन नहीं मिलती जिस दिन वह अपना गन्ना मिल में देकर आता है। कीमत उसे साल या डेढ़ साल बाद मिलती है कि सरकार ने गन्ने का भाव यह तय किया है और इसके अनुसार इतनी कीमत है। उसे उस पैसे पर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाता। वह दस रुपया खर्च करके दस बार मिल में जाता है तो किसान की यह हालत है। मैं सदन के सामने यह दुखपूर्ण बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 85 फीसदी देश की जनता आज भी इस हालत से गुजर रही है। आज हमें खुशी है कि हम आजादी की स्वर्णजयन्ती मना रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान जब तक उन गांव के लोगों की तरफ, किसानों की तरफ नहीं जाएगा तब तक हम अपने किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली नहीं ला सकते और देश को भी खुशहाल नहीं बना सकते।

अंतुले जी ठीक कह रहे हैं कि आज बैंकिंग सिस्टम इस देश का देख लीजिए। इस देश में 67000 बैंक हैं जिनमें से 30000 शहरों और कस्बों में हैं तथा 37000 गांवों में हैं। जहां देश की 85 फीसदी आबादी रहती है, वहां तो 37000 है और कस्बों और गांवों में 30000 है। जब पैसे का बंटवारा होता है तो सौ रुपए में से 25 रुपए तो 85 प्रतिशत में बटता है और 75 रुपया पन्द्रह प्रतिशत में बटता है। इतना अंतर आज भी हमारे देश के अंदर है जिसे हमें दूर करना होगा। यह भावना और जजबात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वर्मा जी, जरा धीरे-धीरे बात कीजिए। बात करनी है तो लॉबी में जाकर कीजिए।

श्री राजेश पायलट : अमीरी और गरीबी का फासला अगर कम करना है तो गांव और शहर का फासला कम करना होगा। हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो इस फासले को दूर करें। राम विलास पासवान जी ने ठीक कहा था जब वह कल बोल रहे थे कि जिस दिन नीति और नीयत का फर्क कम हो जाएगा, देश का विकास उस दिन रफ्तार पकड़ने लगेगा। नीति और नीयत जब तक एक नहीं होगी तब तक ऊंचे पदों पर किसानों और मजदूरों के परिवारों के बच्चे पढ़-

लिखकर उन कुर्सियों पर नहीं पहुंच जाते जो कुर्सिया देश की नीतियों को लागू करती हैं। देश की भावना तब जाकर जुड़ेगी।

मैं भाई अशोक जी के क्षेत्र जैसलमेर, राजस्थान में गया था। उन दिनों ड्रॉट आ गया था। वहां मैंने एक लेबर से पूछा कि आपको कितने पैसे मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि सत्रह रुपए मिलते हैं। मैंने कहा कि साढ़े सत्रह रुपए का कानून है। आपको कम कैसे मिलते हैं? मैंने अफसर को बुलाया कि इनको सत्रह रुपए क्यों मिलते हैं, उन्होंने कहा कि नीचे पूछता हूं और बात हैडमैन तक पहुंच गई। उसने कहा कि मैंने पानी पिलाने के लिए एक आदमी एक्स्ट्रॉ रखा हुआ है, उसको पैसा देता हूं और इसलिए मैं सब के पचास-पचास पैसे काट लेता हूं। मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है। इस पर मेरे सामने कैम्पा कोला, किशमिश और फल आ गए। वे साथ लेकर चल रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि मिनिस्टर साथ चल रहा है। मैंने कलेक्टर से पूछा कि इसका बिल कहां से देंगे? इस पर उन्होंने कहा कि इतनी तो मेरी डिस्क्रेशनरी पॉवर हैं, मैं दे सकता हूं। एक मिनिस्टर के लिए डिस्क्रेशन हो सकता है लेकिन गरीब आदमी के लिए पचास पैसे का डिस्क्रेशन आज नहीं ले सकते हैं। यह भावना बदलनी पड़ेगी। यह भावना जभी बदली जाएगी, जब इस भावना के लोग नीतियों को लागू करने वाली कुर्सियों पर बैठने लगेंगे। तब देश का विकास होगा। अगर गरीब परिवार का बालक बैंक का मैनेजर बनेगा तो गरीब आदमी के कपड़े देखकर वह उसे बैंक से वापस नहीं भेजेगा। वह उसे बुलाएगा कि आपकी तकलीफ क्या है? लेकिन आज हालत दूसरी है। आज लम्बी गाड़ी वाला बैंक जाता है तो बैंक मैनेजर बाहर निकलकर आता है और पहले ही चपरासी को कह देता है कि साहब आ रहे हैं, उनके लिए चाय अंदर ले आना।

जब गरीब आदमी जाता है, तो उसके साथ वह बर्ताव नहीं होता है। गरीब आदमी भैंस खरीदने के लिए 8-10 हजार रुपए कर्जा लेता है और अगर उसकी किश्त टूट जाती है, तो उसके घर पर छः बार जीप दौड़ा देते हैं। गरीब आदमी के घर उस दिन जाते हैं, जब उसके घर पर रिश्तेदार आए हों और वह भी इसलिए कि आज तो वह कहीं न कहीं से इज्जत का ख्याल कर पैसे दे देगा। जब तक यह भावना हमारी रहेगी, तब तक हम उस नीयत को नीति के साथ नहीं जोड़ पायेंगे। मुझे दुःख है, इससे गांव का और शहर का फासला बढ़ता रहेगा और जब तक यह फासला बढ़ता रहेगा, तब तक हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा।

महोदय, मैंने विदेशों के दौरे किए हैं। आप किसी विकासशील देश में जायें और गांव में रात को रुक जाइए, तो आपको स्थिति का पता चलेगा। आज टोनी ब्लेयर क्यों छुट्टी बिताने गांवों में जाता है, क्योंकि वहां पर हर तरह की सुविधायें हैं। हर चीज की सुविधा गांवों में हैं, जो सुविधायें शहरों में हैं। जब हम सरकार में थे, तो हमारी सरकार ने गावों में टेलीफोन की सुविधा देने के काम शुरू किए थे। हमने हर पंचायत में टेलीफोन लगाए। मुझे खुशी है कि बेनीप्रसाद वर्मा जी उस काम में लगे हैं और पूरा कर रहे हैं, लेकिन गांव आज भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज भी अधिकारी लोग गांवों में टेलीफोन ठीक करने के लिए थोड़ा कम जाते हैं। शहरों में तो दस बार पूछते हैं कि आपका टेलीफोन ठीक है, लेकिन गांवों में नहीं जाते हैं। आज गांवों में संचार का विकास, रोड का विकास नहीं है। आज भी हम 60 प्रतिशत गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ पाए हैं। हर दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह बिन्दू होता है कि हम गांवों को सड़क से जोड़ देंगे, लेकिन फिर भी हमारे गांव सड़कों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज गांवों में हैल्थ सैन्टर्स नहीं है, आज गांवों में शिक्षा नहीं है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक सुझाव रखा था, जब हम सरकार में थे, हम हर ब्लाक स्तर पर एक ऐसा सैन्टर खोल दें, जहां होस्पिटल भी हो, जहां कालेज भी हो, जहां आई.टी.आई. सैन्टर भी हो, जहां टेलीकॉम सैन्टर भी हो और साथ ही एक बड़ी दुकान हो, जिसमें दवाई से लेकर हर चीज उपलब्ध हो। अगर ऐसा होता है, तो लोग फिर गांवों से शहर की तरफ नहीं आयेंगे। लेकिन आज हालत गांवों की दूसरी ही हो गई है। गांवों में किसानों के साथ क्या नहीं हो रहा है। पचास साल की आजादी के बाद भी गांवों में किसानों से जो जमीन ली जाती है, वह कोड़ियों के भाव पर ली जाती है। कोड़ियों के भाव पर लेकर हमारी डी.डी.ए. और जी.डी.ए. उस जमीन को डवेलप करके दो हजार रुपए गज के हिसाब से बेचते हैं। एक किस्सा गाजियाबाद के किसान का है। उसकी जमीन एक्वायर की गई। उसकी जमीन एक्वायर की 105-110 रुपए गज के हिसाब से और उसको कहा गया कि एक प्लाट भी दे देंगे। उसको प्लाट 500-700 रुपए गज के हिसाब से दिया गया। अपनी पीढ़ियों की जायदाद को कोड़ियों के भाव बेच कर वह अपने हाथ से 550 रुपए गज के हिसाब से जमीन को खरीद रहा है। हमें इस प्रकार की नीतियों को बदलना पड़ेगा। किसानों की वह जमीन करोड़ों रुपयों की बिक सकती थी, कोड़ियों के भाव बिकती है और शाम को उसके घर में फिर चूल्हा नहीं जलता है। पीढ़ियों की जायदाद, पीढ़ियों की जमीन जाती है, उसके दिल में खुशी होती है, लेकिन उसके दिल में आग भी लगी होती है कि उसकी जमीन जिन्दगी भर के लिए चली गई। इसलिए मैं आज सदन में प्रार्थना कर रहा हूं, जब तक किसान और मजदूर नहीं उठेगा, तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। यह तभी हो सकता है, जब नीति और नीयत में फर्क खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा, यह तभी हो सकता है, जब हम नीति और नीयत के साथ नीतियों में भी बदलाव करें।

अब मैं प्रजातंत्र और व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि हमें आजादी मिली और आजादी मिली, तो वह पीढ़ी सत्ता में आई, जिस पीढ़ी ने देश की स्वतंत्रता में साथ दिया। जिन्हें आजादी की कीमत का पता था और जिन्होंने अंग्रेजों के कोड़े खाए थे। महोदय, आप 1947 की स्पीच को पढ़ें, तो उसमें सब भाइयों के, सब बुजुर्गों के जज़बात थे और उनको देश से लगाव था। नीतियों के मामले में आपस में मतभेद हो सकते थे, पार्टी की आइडियोलोजी में फर्क हो सकता था, लेकिन देश के लिए सबकी भावना एक हो जाती

थी। एक ऐसी भावना, एक ऐसा कल्चर आजादी के बाद देश में पैदा हो गया था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वह पीढ़ी खत्म हो गई और उसके बाद ऐसी पीढ़ी आई, जिसने स्वतंत्रता युद्ध नहीं देखा, स्वतंत्रता संग्राम नहीं देखा। यह पीढ़ी जब पदों पर आई, तो भावनाओं में बदलाव आ गया। आज असल बात यह है, जब देश आजाद हुआ, तो लोगों को शक था कि आजादी कैसे संभाल पायेंगे। मुझे खुशी है कि देश ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे देश में आज भी प्रजातंत्र कायम है। हमारे प्रजातंत्र के तीन स्तम्भ हैं – लैजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जिक्यूटिव। ये तीनों स्तम्भ हमारे मजबूत रहे हैं। आज अंतुले जी ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा, 1947 के बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी मजबूत थी। मैं जब होम मिनिस्ट्री में रहा और मुझे कश्मीर एफेयर्स का इन्चार्ज बनाया गया, तो मैंने फाइलों के नोट्स पढ़े हैं। मिस्टर मैनन के नोट्स सरदार पटेल जी के नाम और सरदार पटेल जी के नोट्स मि. मैनन के नाम थे। ये उस वक्त होम सैक्रेटरी थे। उनको पढ़ने से लगता था कि दोनों के विचार स्वतंत्र हैं और देश की भलाई के लिए उसमें झलक है। लेकिन आज उसमें गिरावट आई है और मैं उसमें कसूर लैजिस्लेचर का मानता हूं। लेजिस्लेचर में गिरावट आई, उसमें क्यों गिरावट आई? अगर ये तीनों स्तंभ मजबूत रहते, अगर पोलिटिकल करेक्टर देश का मजबूत रहता। फिल्टर डाउन दोनों पर होता है, इसमें ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव प्रभावित होती है। आज अंतुले जी एसीआर का जिक्र कर रहे थे, लोग एसीआर से डरते हैं। जब पोलिटीकल करेक्टर स्ट्रांग था तो एसीआर की परवाह नहीं हुआ करती थी और न कभी एसीआर गलत हुआ करते थे, सब एसीआर सही हुआ करते थे। लेकिन पोलिटीकल करेक्टर इतना मजबूत था कि उससे एग्ज़ीक्यूटिव, ज्यूडिशियरी दोनों प्रभावित थीं।

महोदय, आज दुख की बात है कि हमारे पोलिटीकल करेक्टर में गिरावट आई है। मैं तो कहूंगा कि 50 साल के बाद हमें फिर से देखना पड़ेगा। आज सारे देश में खोखलापन महसूस हो रहा है, आम आदमी महसूस करता है कि मेरे देश में कमजोरी क्यों आई, कैसे आई और अब ये कैसे दूर होगी? आज आम आदमी का भरोसा नुमाइंदों पर नहीं रहा। हमारी क्रेडीबिलिटी गिरी हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम देश के साथ और जनता के साथ धोखा करेंगे। क्रेडिबिलिटी गिरी है और इसको सुधारने के लिए हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। अपने आप में सुधार के लिए मैं महसूस करता हूं कि जब तक पोलिटीकल करेक्टर, इनडिविजुअल करेक्टर इतना रिफलेक्टिव नहीं होगा तब तक हम देश को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लीडरों के व्यक्तिगत करेक्टर से लोग प्रभावित होते थे लेकिन आज वह बात खत्म हो गई है। मुझे याद है महात्मा गांधी जी की पौत्री सुमित्रा कुलकर्णी जी जिक्र कर रही थीं कि एक बार महात्मा गांधी जी बिहार गए तो उनके पास कांग्रेस के लिए कुछ फंड आए। शाम को फंड को गिना कि कितने पैसे आए हैं, बताओ। उन्होंने गिना और बता दिया कि कितने पैसे आए हैं। उसको सुबह बैंक में जमा करने के लिए भेजा। जो पैसे ले गया था उसने तीन पाई कम जमा कराई। गांधी जी ने कहा कि तीन पाई कहां गई तो उसने कहा कि साहब, या तो गिनती में गलती हो गई या कहीं और रह गई। गांधी जी ने कहा कि मैंने अपने मुंह से कह दिया था कि इतनी पाई है। आप नहीं महसूस करते हैं, इसमें मेरा भी कसूर है, मैं कल पूरे दिन उपवास रखूंगा। तीन पाई के लिए गांधी जी ने उपवास किया। यह गलती क्यों हुई? लोगों ने दान दिया और हम उसको नहीं संभाल पाए। जब गांधी जी ने तीन दिन उपवास किया, जिसने गलती की थी उसने भी दो दिन उपवास किया। उसने कहा कि गलती मेरी थी और गांधी जी ने उपवास किया। ऐसा चरित्र, ऐसा रिफलेक्शन जब पब्लिक में होगा तभी हमारी क्रेडीबिलिटी बढ़ेगी? जब तक हम त्याग की भावना नहीं लाऐंगे तब तक हम पोलिटीकल करेक्टर स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक माहौल में एक कमजोरी आई थी, हम कहते रहे कि जो ऊंचे पदों पर हैं उन्हें अपने पद छोड़ देने चाहिए, जब कभी उनकी तरफ कोई शक और उंगली उठे। लेकिन साथ ही साथ यह भी ख्याल करना चाहिए कि जो ऐसा त्याग कर दे तो पोलिटीकल पार्टियों को उनकी तरफ देखना भी चाहिए कि जिन्होंने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? अगर वह ठीक है या गलत है तो हमें उन्हें उसके अनुसार उस पोजिशन में बिठाना भी चाहिए, जिससे आगे कोई इनिशियेटिव ले। जैसा आज चल रहा है ऐसे में पोलिटीकल रिवेंज एक-दूसरे के चल जाते हैं और कभी-कभी गलत चार्ज भी एक-दूसरे के खिलाफ लगा कर हम राजनीतिक वातावरण को बिगाड़ते हैं। जब तक राजनीतिक क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तब तक हमारे दोनों विंग, चाहे ज्यूडिशियरी हों या एग्जीक्यूटिव हो वो कमजोर होते चले जाएंगे।

महोदय, आज हम अधिकारियों की बात करते हैं लेकिन यह भी देखें कि अधिकारी किस हालात में काम कर रहे हैं? आज अधिकारियों के ऊपर हम कितना इंटरफियरेंस करने लगे हैं। आज अधिकारियों के लिए सलैक्शन में भी कितना पोलिटीकल इंटरफियरेंस होने लगा है। पहले ब्यूरोक्रेसी विंग हुआ करता था लेकिन अब जो केबिनेट सेक्रेट्री है वह जिसकी मर्जी पोस्ट करे, जिसकी मर्जी लाए हमें तो काम लेना है। दुख की बात है कि जब मिनिस्टर होकर हम यह कहने लगे हैं कि फलां को ले आओ, ज्वाइंट सेक्रेट्री को, डिप्टी सेक्रेट्री को वहां लगवा दो, उसको वहां लगवा दो। आफिसरों पर निशान लगने लगे हैं कि यह आफिसर तो फलां नेता के साथ है, यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर देश ऐसे चलता रहा तो एक दिन हम सारे सिस्टम को खत्म कर देंगे। कोई भला आदमी ऊपर नहीं उठ पाएगा, कोई ईमानदार आदमी ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि हर आदमी को लालच होता है। हर आदमी कभी-कभी ह्यूमन विकनेसेस में गलती कर जाता है। हर आदमी सोचता है कि मैं इनके साथ रहूंगा तो मैं दिल्ली पांच साल रह सकता हूं। अगर ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो ब्यूरोक्रेसी को इनडिपेंडेंट रहने देना चाहिए लेकिन उसको इनडिपेंडेस तब मिलेगी जब पोलिटीकल करेक्टर स्ट्रांग होगा, कोई वेस्टेड इंटरस्ट उधर नहीं जाएगा। मैं बार-बार पोलिटीकल करेक्टर के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है। देश में वोट का राज है। अगर वोट का राज नहीं होता तो और सिस्टम हो सकता था। वोट के राज

में पॉलिटिकल पावर सबसे ऊंची है। जब तक पॉलिटीकल पावर शुद्ध नहीं होगी, उसमें त्याग और ईमानदारी की भावना नहीं आएगी और हम शीशे की तरह नहीं हो जाएंगे जिसे हम वहां खड़े होकर देख सकें तब तक हम वह क्रेडेबिलिटी वापस नहीं ला पाएंगे। जब तक वह नहीं आएगी, मुझे इस बात का दुख है कि इससे दोनों विंग कमजोर होते जाएंगे और जितनी कमजोरी आज है, अगर यह रोक नहीं पाए तो देश के भविष्य की एकता पर निशान लग सकता है। अगर दोनों विंग स्ट्रांग होते तो क्या दिसम्बर 1992 और अक्तूबर 1994 का हादसा इस देश में होता? हमारे बीच में कोई विंग तो रहता लेकिन दोनों में कमजोरी थी, दोनों बचते रहे, उसने कहा वह देखेगा और दूसरे ने कहा वह देखेगा। देश के सामने एक उदाहरण हो गया जिसे कोई इतिहास से मिटा नहीं सकता है।

दुख होता है, मेरे भाई इसका बुरा न माने। पंडित नेहरू जब एक बार इंडोनेशिया गये थे तो वहां हमारे एक मुसलमान भाई ने कहा कि आपके देश में मुसलमानों के साथ ऐसा होता है। पंडित नेहरू गुस्सा हो गये और उन्होंने कहा कि मेरे देश में कितने मुसलमान हैं और आपके देश में कितने मुसलमान हैं यह आपको पता है। आपके देश में जितने मुसलमान हैं उतने मेरे एक प्रांत में रहते हैं। मुझे भाषण मत दीजिए, मैं अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखना जानता हूं। ये भावना तब आ सकती है, तब कोई उनकी भावना पर उंगली नहीं उठा सकता था। आज तेरे-मेरे की बात होती है। सवाल मंदिर-मस्जिद का कभी नहीं था। आज मैं लंदन से दो दिन की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से आ रहा हूं। एक समझदार आदमी को जवाब देना भारी होता है अगर इंसानियत से और सच्चाई से वह जवाब दे। ऐसे हादसे देश में नहीं होने चाहिए जिससे एक आदमी को जवाब देना भारी हो जाए और यह तभी हो सकता है जब हमारे तीनों विंग – न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मिलकर काम करें। मैं आभारी हूं इलेक्शन कमीश्नर का जिन्होंने कल एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि क्रिमनल्स को और करप्शन में संलिप्त लोगों को चुनाव में भाग लेने का मौका वे नहीं देंगे। मैं थोड़ा सा सदन का ध्यान राधाकृष्णन जी की एक स्पीच की ओर दिलाना चाहता हूं। उस वक्त डा. राधाकृष्णन फिलॉस्फर थे। जब वे पहली बार 1947 में बोले तो उनके दिमाग में आज से 50 साल पहले भी यह बात थी–

[अनुवाद]

> ''स्वतंत्र भारत का आकलन इस प्रकार से किया जाएगा कि इसने आम आदमी के हित में भोजन, कपड़ा, मकान और सामाजिक सेवाओं को कैसे प्रदान किया। जब तक हम ऊंचे पदों पर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करते, भाई-भतीजावाद को समाप्त नहीं करते, सत्ता का आकर्षण, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को नहीं छोड़ते, जिसने हाल ही के समय में इस देश के नाम को मिट्टी में मिला दिया है, हम प्रशासन में कार्यक्षमता का स्तर ऊंचा करने और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में समर्थ नहीं हो पाएंगे।''

[हिन्दी]

यह सारांश उनके दिमाग में 50 साल पहले था और अगर यही पूरा हो जाए तो देश के सामने कोई बीमारी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे दो सुझाव हैं। एक तो यह कि यहां जो रेजोल्यूशन पास होंगे, वे टाइम-बाउंड हो जाएं। ऐसा न हो कि रेजोल्यूशन पास हों और हम 10-20 साल तक उनकी सुध न लें कि 50 साल के बाद हम जो बैठे थे उसमें क्या डिस्कस हुआ था और क्या निष्कर्ष निकले थे। इसलिए वे टाइम-बाउंड हो जाएं और एक कमेटी जरूर बन जाए जिसमें सारी राजनीतिक पार्टीज़ का एक-एक नुमाइंदा हो जिससे हम यह महसूस करें कि 50 साल तक जो हमने काम किया, उसको सुधारने के लिए हमने कदम उठाए और उसकी समीक्षा बराबर होती रहे। जब दुबारा 50 साल के बाद लोग मिलें तो वे यह न सोचें कि हमने यहां बैठकर टाइम बर्बाद नहीं किया था बल्कि अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं और उनके ऊपर कदम भी उठाए थे। इसलिए एक कमेटी बने और उसके लिए एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए।

सभापति जी, दूसरा मेरा सुझाव यह है कि गांव-गांव में हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनकी कहानियां जब सुनने को मिलती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या-क्या उनके मन में गुजरी है, आजादी के लिए उनके मन में क्या पीड़ा थी। वे हमें ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल ही और उपलब्ध हैं। 5-10 साल बाद इनमें से बहुत से लोग हमारे बीच नहीं रहेंगे। उनके संस्मरणों को एक किताब के रूप में प्रकाशन की इजाजत सरकार दे। उनको छूट दी जाए कि वे अपनी किताब छापकर दें और सरकार उसका खर्चा दे देगी। अगर ऐसा प्रकाशन होगा तो वह हमारे नौजवानों के लिए एक सबक के रूप में रहेगी। हम सब एम.पीज. मिलकर उनको छपवाएं। उनको गांव, जिले की लाइब्रेरियों में रखा जाए। इसके साथ ही हम आज ही एक फैसला कर लें कि एक मैमोरियल हरेक उस गांव में बने जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही रहे हैं, जिससे आने वाले 50 सालों तक उनकी याद ताजा रहे और हम उन चीजों को न भूल जाएं जिनके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थीं।

आखिरी सुझाव मेरा नौजवानों के लिए है। आज हमारी नौजवान पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर सोच में है कि उनका भविष्य क्या होगा? वे आगे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं और जैसा जार्ज फर्नान्डीस ने कहा कि जब तक हम राइट टू वर्क, काम का अधिकार देने जैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे और यह नहीं सोचेंगे कि नौजवान हमारे भविष्य की आशा हैं और ऐसी पॉलिसी फ्रैम नहीं करेंगे जिससे नौजवानों को संतोष हो, तब तक नौजवानों को हम कोई सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए रेजोल्यूशन मैं नौजवानों के लिए ऐसा कोई कदम आए जिससे वे देश की उन्नति और विकास में लग सकें। देश के विकास में लगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सब का बहुत आभारी हूं। मेरे जो जजबात थे, वे मैंने आपके बीच रखें वे देश के भले के लिए और अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए हैं।



श्री राजाभाऊ ठाकरे

श्री राजाभाऊ ठाकरे (यवतमाल) : सभापति महोदय, इस देश को आजाद हुए 50 साल हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। हमने इन पचास सालों में क्या खोया, क्या पाया, इसकी समीक्षा के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया है। मेरे जैसे नए सांसद को इस विशेष अधिवेशन में बोलने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूं। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। ग्यारहवीं लोक सभा में 282 नए सांसद चुनकर आए हैं। ये सांसद साधारण फैमिली और समाज से आए हैं। वे इस लोक सभा का सही मायने में प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविकता यह है कि इस विशेष अधिवेशन में नए सांसदों को अपने विचार रखने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए था। जो पार्टियों के बड़े-बड़े नेता हैं, जो पुराने सांसद हैं, वे तो बोलते ही जा रहे हैं। ऐसा हम 15 महीने से देख रहे हैं। इस लोक सभा में अभी तक तीन प्रधान मंत्री बने।

सभापति महोदय : आपने इस पर डेढ़ मिनट बरबाद कर दिए हैं। आप असली बात बोलिए।

श्री राजाभाऊ ठाकरे : यह 15 महीने से बोलते ही जा रहे हैं। हम यह देख रहे हैं। यह विशेष अधिवेशन है। यहां पार्टी से हट कर बात करनी चाहिए थी क्योंकि पार्टी के विचार सारी दुनिया जानती है। पार्टी के नेता पार्टी के विचारों से हट कर ज्यादा बोल नहीं सकते। जैसा कि वाजपेयी जी ने विशेष तौर पर बताया कि सदन में क्या बात करनी चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए? चन्द्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी, अन्तुले जी और राजेश पायलट जी पार्टी से हट कर बोले। ऐसे सांसद और बड़े नेता पार्टी से हट कर बोले। वही बोलने के लिए हम सब इस विशेष अधिवेशन में इकट्ठे हुए हैं। 11वीं लोक सभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। किसी पार्टी के विचार इस देश के मतदाताओं ने मान्य नहीं किए। आज कोई पार्टी बहुमत में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ सालों में किसी पार्टी को बहुमत मिलने भी नहीं वाला है। यह वास्तविकता है। ऐसी स्थिति में किसी पार्टी के विचारों को अछूत नहीं माना जाना चाहिए। पहले समाज में अछूतता थी। अब पॉलिटिक्स में अछूतता आ गई। इतने बड़े पैमाने पर भाजपा के जो सांसद चुन कर आए, वे कैसे चुन कर आए? लोकशाही में लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा। उनको आप अछूत कब तक मानोगे? उनको भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा तभी यह राज अच्छी तरह से चल सकेगा।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यहां वोट की राजनीति से प्रेरित होकर भाषण दिए जाते हैं। हमारे वोट कैसे मजबूत हों, इसमें ही सभी लगे रहते हैं। वोट की राजनीति से हट कर यहां बात करनी चाहिए क्योंकि वक्त आ चुका है। हम लोग विकास की बातें करते हैं। 50 साल में क्या विकास हुआ? विकास हुआ या नहीं हुआ ऐसा मैं नहीं जानता? जैसा कि अभी राजेश पायलट जी ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में उनके क्या विचार हैं? मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूं। मैं गांधी जी और विनोबा जी के आश्रम रहा हूं। वहां मेरा बचपन बीता है। गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद क्या ऐलान किया था? उन्होंने कहा था कि हर किसी को रोजी, रोटी और मकान मिलेगा और हर वर्ष के लोगों को न्याय मिलेगा। यह स्वतंत्रता के वक्त गांधी जी द्वारा दिया गया आश्वासन था। उस वक्त लोग स्वतंत्रता के आन्दोलन में गए। ऐसा हमारे पिताजी और दूसरे लोग बताते हैं कि यह आश्वासन दिया गया था। क्या वह आश्वासन 50 साल में पूरा हो गया? यहां ऐलान होता है कि दूसरी स्वतंत्रता के लिए अभी लड़ना है। स्वतंत्रता के समय पहले जो वायदे किए गए, वे ही पूरे नहीं हुए। लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। किनको मिल रहा है? गांधी जी के स्वतंत्रता आन्दोलन में जो लोग गये थे, उनको नहीं मिला तो फिर यह दूसरा स्वतंत्रता का मतलब मुझे समक्ष में नहीं आया। इस स्वतंत्रता का क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया। इस स्वतंत्रता का क्या मतलब है? यहां बैठे हुये नेता लोग बोलते हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चन्द्र शेखर कहते हैं कि हमारे देहात में जो 95 प्रतिशत लोग रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, यह बात सच है। फिर स्वतंत्रता किसको मिली? केवल 5 प्रतिशत लोगों को मिली है लेकिन जो 95 प्रतिशत हैं, वे अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। जिनको स्वतंत्रता मिली इनमें राजनेता, उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स और पूंजीपति हैं। देहातों में रहने वाली 95 प्रतिशत जनता अभी भी गुलाम हैं। जब आपने 95 प्रतिशत लोगों को न्याय नहीं दिया तो इस स्वतंत्रता का क्या मतलब है? उसका क्या फायदा है? पहले आप वहां तक पहुंचाईये, तब आप दूसरी स्वतंत्रता का ऐलान करें।

सभापति महोदय, देश में विकास हुआ है, लेकिन किसका हुआ है? सभी इस बात को जानते हैं कि यहां से एक रुपया स्वीकृत होता है लेकिन देहात में सिर्फ 10 पैसे पहुंचता है। राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था। वास्तविकता यह है कि इस देश में जो पूंजी लगी है, कुछ कमीशन को छोड़कर बाकी बाहर के देशों में चली गई है। यहां पर लोगों का विकास होना चाहिये था। यहां तो उन 5 प्रतिशत लोगों के लिये 90 प्रतिशत रुपया खर्च किया गया है। ऐसा नहीं कि इस देश में विकास नहीं हुआ है। जिन तक पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिये था, वहां तक पहुंचा नहीं। क्या योजनायें गलत थीं? नहीं, उनमें से कुछ सही थी लेकिन उनका विकास क्यों नहीं हुआ? मेरे विचार से उसके चार कारण रहे हैं– पापुलेशन, शिक्षा का अभाव, ब्यूरोक्रेसी और एनवायरमेंट। जब तक पापूलेशन पर कंट्रोल नहीं किया जाता, कितना भी आप विकास कर लीजिये, उस तक नहीं

पहुंचेगा। इस पापूलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाये? हम दो और हमारे दो के नारे से हम 33 करोड़ से 100 करोड़ तक आ पहुंचे। यदि इस नारे पर ठोस कार्यवाही की जाती तो कुछ संभव था।

सभापति महोदय, इस विशेष अधिवेशन में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सब को अपने धर्म के अनुसार विचार रखने की स्वतंत्रता है। यदि धर्म के आधार पर न्याय मिलेगा तो यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र में न्याय नहीं मिलता। जिस देश में कई धर्मों के लोग रहते हों, वहां ऐसा कानून बनाया जाये, यह संभव नहीं। देश की प्रगति नहीं हो सकती है। इस बात को सामने रखकर इस देश में ऐसा नियम बनाना चाहिये। इस सदन में एक ठोस निर्णय लेने की क्षमता है लेकिन उसके लिये इच्छा शक्ति होनी चाहिये। जैसाकि मैंने पहले कहा कि हम दो और हमारे दो, इस नारे को देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू करना चाहिये, तभी पापूलेशन पर कंट्रोल किया जा सकता है वरना नहीं।

सभापति महोदय, इस देश में हम लोग शिक्षा के लिये बहुत सोचते हैं लेकिन देहातों तक शिक्षा पहुंचती नहीं। महिलायें अशिक्षित हैं, उनके लिये कोई ठोस कार्यक्रम बनाईये ताकि सब शिक्षित हो जायें। अब ब्यूरोक्रेसी की बात आती है। मैंने इसे नज़दीक से देखा है। आज आप सत्ता में हैं, कल हम आ सकते हैं और परसों कोई और आ सकता है। जब तक आप ब्यूरोक्रेसी के नियमों में परिवर्तन नहीं करेगे, चाहे कितनी पालिसीज़ बना लें, जनता तक नहीं पहुंच सकती हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो ब्यूरोक्रेट्स गुलामी करते थे, उसे स्वतंत्रता मिलने पर दहेज के रूप में पाया है। उनके वही विचार हैं, वही पौलिसीज़ हैं, काम करने का उनका वही तरीका है। महीनों, सालों फाइलें पड़ी रहती हैं और उन पर कोई ऐक्शन नहीं होता है। इस पर सोचना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे लाइन पर लाया जाए। जो सांसद यहां पर चुनकर आए हैं, क्या हम इस देश के रूलर हैं? क्या हमारी कोई सुनता है? कलेक्टर और तहसीलदार भी एक सांसद की बात नहीं सुनता है यह फैक्ट है। 15 लाख लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको जब तक इस सरकार में शामिल नहीं करेंगे, उसको कुछ अधिकार नहीं देंगे तो वह सांसद क्या करेगा? इस पर कहते हैं कि संसद का काम पौलिसी बनाना है। लेकिन वह पौलिसी प्रौपर इंप्लीमेंट होती है या नहीं, इस पर कौन ध्यान देगा? उसमें आप सांसद को शामिल नहीं करेंगे? सांसद को अधिकार नहीं देंगे कि जो नियम बने हैं वह ठीक से इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं? सांसद को कुछ अधिकार देना चाहिए ताकि ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल रहे। इसमें बदलाव आना चाहिए।

एक बात है ऐनवायर्नमेंट की। ऐनवायर्नमेंट के नये-नये कानून बने। जो विकसित राष्ट्र थे, उनका विकास हो चुका। हर गांव में रास्ते बन गए, इरीगेशन के लिए डैम बन गए। जो इनीशियल इनफ्रास्ट्रक्चर होता है वह सब वहां हो गया है। आज पचास साल बाद भी हमारे देश में देहातों में जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। हर सांसद चुनाव में जनता से वायदा करता है कि हम चुनकर आएंगे तो तुम्हारे गांव को सड़क देंगे। पांच साल ऐसे ही निकल जाते हैं, मगर सांसद सड़क नहीं दे पाते हैं। पर्यावरण के जो नियम हैं, फौरेस्ट ऐक्ट 1980 की वजह से रास्ता नहीं बना सकते। पचास साल में देहात के लोगों को रास्ता नहीं दे सके तो क्या देंगे?

यहां किसान की बात चल रही है। कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यह सभी बोलते हैं और हम डेढ़ साल से सुन रहे हैं। हमारे यहां छोटे-छोटे किसानों के लिए सरकार ने क्या किया और क्या करने जा रही है? क्या कोई एक कंप्लीट पैकेज अब तक आप किसानों के लिए लाए हैं? सिर्फ वोट मांगने के वक्त आपको किसान चाहिए। किसान की भलाई के लिए कुछ करना है तो उनको कंप्लीट पैकेज दीजिए, टुकड़ों में बटा हुआ पैकेज नहीं चाहिए। वह पैकेज कैसा होना चाहिए? वह पैकेज ऐसा होना चाहिए कि जो भी टेक्नोलौजी हो वह आखिरी किसान तक पहुंचे। हमारे देश में टेक्नोलौजी बहुत है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पूरी टेक्नोलौजी किसान तक पहुंचनी चाहिए। किसान जब प्रोडक्शन करता है तो उसको खेती के लिए पानी चाहिए, जिसके लिए आपको डैम बनवाने चाहिए। किसान की खेती पर जो भी खर्चा होता है, उसको ध्यान में रखकर किसान को उसकी उपज का दाम मिलना चाहिए। तब किसान को काम करने का इंटरस्ट आएगा। उसके बिना वह काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद किसान का जो भी उत्पादन होता है, उसको स्टोर करने के लिए अच्छे गोदाम होने चाहिए। इन सबकी प्लानिंग करते हुए जो छोटा किसान है, जो देहातों में रहता है, उनको मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए। स्टोर के बाद प्रोसेसिंग प्लांट का हर गांव में निर्माण करना चाहिए और इसके बाद उसके प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे इसका भी इंतजाम होना चाहिए। अगर इस देश की बेकारी दूर करनी है जिसके लिए बहुत लोग बोलते हैं, बड़े-बड़े कारखाने बनाते हैं, उन बड़े-बड़े कारखाने बनाने से बेकारी दूर नहीं हो सकती। वह सिर्फ इलेक्शन के वादे हो सकते हैं। अगर बेकारी दूर करनी है तो कृषि प्रधान देश में जहां 80 प्रतिशत जनता देहातों में रहती है, उनको ध्यान में रखकर इस देश की प्लानिंग होनी चाहिए और इस देश की प्लानिंग करते हुए देहात से आए हुए लोक प्रतिनिधियों को उसमें शामिल करना चाहिए जिनको मालूम है कि देहातों की क्या समस्याएं हैं। यहां प्लानिंग कमीशन में कौन बैठता है? यहां आई.ए.एस. अफसर हैं जो कभी गांव में नहीं गए और जानते नहीं कि देहातियों को क्या तकलीफ है? वह बैठकर देहात की प्लानिंग करते हैं। उनके ऊपर किसके संस्कार हैं? उनके संस्कार भारतीय संस्कृति के संस्कार नहीं है। इस देश के देहात के रहने वालों से उनको कुछ लेना-देना नहीं है और इसलिए जो भी प्लानिंग होती है वह प्लानिंग गरीब और किसान को मद्देनजर रखकर नहीं होती है, पूंजीपतियों को सामने रखकर इस देश की प्लानिंग होती है। इसलिए

50 साल बाद के बाद भी इस देश की बेकारी बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। सभापति महोदय, अगर इस देश की बेकारी को दूर करना है तो जो प्लानिंग है वह छोटे किसान और गांव को सामने रखकर करनी चाहिए तभी कुछ राहत मिलेगी।

मैं आखिर में एक बात बोलता हूं, क्योंकि ज्यादा बोलने का समय नहीं है। महात्मा गांधी जी का नाम बार-बार आता है। महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिन तक राज किया है। लेकिन महात्मा गांधी से आपने क्या लिया है। महात्मा गांधी एक पंचा पहनकर पूरे देश में घूमते थे। अभी पायलट जी ने बोला है कि महात्मा गांधी ने दो-तीन दिन तक उपवास किया था। इसी तरह से देश के नेताओं में त्याग की भावना का होना बहुत जरूरी है। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है। चूंकि इस दुनिया में अगर सबसे सस्ता कुछ है तो वह दूसरों को उपदेश देना है, चूंकि वह सस्ता है और दूसरे को ही उपदेश देते हैं। अगर सचमुच इस देश को आगे ले जाना है तो जो नई पीढ़ी इस देश में है उस पीढ़ी के सामने अगर कोई आदर्श निर्माण करना है तो सभी पार्टियों के नेताओं को खुद में त्याग की भावना लानी चाहिए। यहां पर बोलते हैं कि शर्म की बात है कि 50 साल की स्वतंत्रता के बाद भी अटल जी को प्रस्ताव रखना पड़ता है कि इस देश की गरिमा वापस लाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। वैल में नहीं आना चाहिए, हो-हल्ला नहीं मचाना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में 50 साल की स्वतंत्रता के बाद यह प्रस्ताव रखना पड़ता है कि सदन की गरिमा वापस लाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। मैं यह बोलना चाहता हूं कि मैं नया सांसद था। मैं भाजपा का हूं, मैं डिसिप्लिन से रहता हूं। लेकिन हमें पीछे बैठने वालों को बोलने का मौका नहीं मिलता। जो हो-हल्ला मचाते हैं, वेल में आते हैं, उनको चेयर बोलने के लिए कहती है। तो हमें भी ऐसा लगा कि हो-हल्ला मचाने से अगर चांस मिलता है तो हमने भी एकाध बार हो-हल्ला मचा दिया और ताज्जुब की बात यह है कि मैंने जो एक दिन हो-हल्ला मचाया तो मुझे भी बोलने का चांस मिल गया और आप कहते हैं कि सदन की गरिमा वापस लाइये। गरिमा को वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले पार्टियों के जो बड़े नेता बैठे हैं, उन्हें खुद में डिसिप्लिन लाना चाहिए। क्योंकि सदन के सभी सदस्यों के लिए नियम एक ही हैं। लेकिन ये तो बोलते ही जाते हैं। अटल जी खड़े होते हैं तो बीच में टोका-टोकी होती रहती है। यह सदन विचारों के आदान-प्रदान के लिए है। लेकिन हमने देखा है कि जब हम अपनी कांस्टीटुएंसी में जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या तुम्हारा मछली बाजार है। तुम वहां पर हमारे प्रश्न क्या रखते होगे।

सभापति महोदय : आपको 18 मिनट हो गये हैं, अब आप खत्म कीजिए।

श्री राजाभाऊ ठाकरे : मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एक कड़वा सच बोल रहा हूं कि इस देश के नौजवानों को अगर कोई संदेश देना है तो आप सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को खुद में डिसिप्लिन और त्याग की भावना लानी चाहिए। तभी यह संभव है। नहीं तो भाषण तो बहुत सुनते हैं, बहुत करते हैं। पहले मान्यता थी कि 'जैसा राजा, वैसी प्रजा' उस तरीके से हमें चलना चाहिए। हमें जो करना है वह सब कुछ मिलाकर करना है। क्योंकि इसके बाद किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने वाला नहीं है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं जनता से चुनकर आया हूं। जनता क्या कहती है, जनता के मन में क्या है, यह मैं जानता हूं।

सभापति महोदय, यहां पर मुसलमानों के बारे में बात होती है। मुस्लिम और दलितों के नेता यहां बैठे हैं। स्वतंत्रता में अगर किसी कम्युनिटी का नुकसान हुआ है तो वह मुस्लिम कम्युनिटी का हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी के इतने नुकसान पर उनके नेता कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वोट की राजनीति है। उनको फैमिली प्लानिंग कराने के लिए आप नहीं बोलोगे। जबकि मुसलमानों के घरों से मेरे बहुत नजदीक के ताल्लुक हैं। वे क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं—वह बात नहीं है। .... *(व्यवधान)* क्या उनका स्तर वहां तक पहुंचा?

सभापति महोदय : आप कितनी देर और बोलेंगे?

श्री राजाभाऊ ठाकरे : बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

सभापति महोदय : दो मिनट, दो मिनट करते-करते आपने 20 मिनट ले लिए। आप अनुशासन पर बोल रहे हैं। पहले आपने कहा मेरी मेडन स्पीच है लेकिन साथ में यह भी कहते हैं कि मैं बोल चुका हूं। मेडन स्पीच सुनकर मैंने आपको छोड़ दिया।

श्री राजाभाऊ ठाकरे : मेरी बात दो मिनट में खत्म हो जाएगी।

सभापति महोदय : फिर मेडन स्पीच क्यों बोलते हैं?

श्री राजाभाऊ ठाकरे : अगर मुस्लिम समाज का विकास करना है तो पहले सभी मुस्लिम नेताओं को मिलकर सोचना चाहिए कि उनमें पौपूलेशन कंट्रोल कैसे आए।

मेरे बहुत से मित्र दलित हैं। यहां दलित नेता बोलते हैं कि पहले लोगों ने गलतियां कीं, हमारे ऊपर अन्याय हुआ—उनकी बातें सच हैं, गलत नहीं है लेकिन दलितों के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है, वह क्यों होना चाहिए—क्योंकि हम उन्हें ऊपर लाना चाहते हैं—लेकिन आजादी के 50 साल बाद आज उस रिजर्वेशन का फायदा कौन उठा रहा है—जो दलित एक बार कलैक्टर बन गया, उसके 5-6 लड़के सर्विस में आ जाते हैं, बाकी दलित जो गरीब हैं, देहातों में रहते हैं, उनको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिल रहा—इस तरह दलितों को कैसे फायदा पहुंचेगा? आप ऐसा कानून बनाइए कि केवल एक बार ही रिजर्वेशन का फायदा एक फैमिली को मिलेगा, बाकी उसी समाज

के दूसरे लोगों को मिलेगा—तभी दलित ऊपर आ सकते हैं अन्यथा वही हाल होगा, जैसे हमारे यहां सामन्तशाही तैयार हो गई थी—पहले बाप पटेल बना, फिर उसका लड़का पटेल बन गया, बाद में उसका लड़का पटेल हो गया। वैसा ही वर्ग दलितों में भी तैयार हो जाएगा—यदि बाप कलैक्टर तो उसका एक बेटा आई.ए.एस. ऑफिसर, दूसरा बेटा तहसीलदार आदि। अगर इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आप सोचते हैं तभी देशहित में, इस विशेष अधिवेशन के माध्यम से हम सब लोग जो यहां इकट्ठा हुए हैं, यहां होने वाली बहस से कुछ निकाल पायेंगे।

सभापति महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं। यदि दो-दो मिनट करके एक माननीय सदस्य 22 मिनट तक बोलना चाहते हैं तो सारी रात बैठने के बाद भी लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। सबसे लम्बी सूची बी.जे.पी. की है। इसे आप ध्यान में रखिए। यदि हम यहां से कंट्रोल करते हैं तो आप बैंच से बोलते हैं, खुद यहां आकर भी पूछते हैं कि मेरा नम्बर कब आएगा? इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिए?

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : इससे बेहतर है कि आप चेयर से कंट्रोल कीजिए।

सभापति महोदय : वही मैं कह रहा हूं। चेयर को कंट्रोल करने दीजिए लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता।

श्री नकली सिंह : आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : यदि नकली सिंह जी मानने को तैयार हैं तो सभी सुनेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आपका नम्बर आएगा तो आप बोलिए। आप देखिए कि राजेश पायलट जी ने अपनी बात कितनी देर में खत्म की 25 मिनट से भी कम समय उन्होंने लिया। राजेश जी कितनी बार लोक सभा में आ चुके हैं, इसे भी आप ख्याल में रखिए।

श्री अरुण शर्मा।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : आप ऐसा कर दीजिए कि 15 मिनट से ज्यादा समय जो भी मैम्बर ले, उसका शेष अंश रिकार्ड पर न जाए। सभी दलों के नेता एक घंटा बोलें। हम पिछले चार दिनों से यहां आकर बैठे हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, किसी भी हालत में अब 15 मिनट से ज्यादा कोई एक्सीड नहीं करेगा। पहली घंटी 10 मिनट बाद बजा दी जाएगी और 15 मिनट से ज्यादा किसी भी हालत में समय नहीं मिलेगा।



डा. अरुण कुमार शर्मा

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह विशेष अधिवेशन जिस उद्देश्य से बुलाया गया है वह है इस बात के लिए आत्म-निरीक्षण करना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने क्या पाया है तथा हम क्या प्राप्त नहीं कर पाये हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं आशा करता हूं कि इस अधिवेशन से देश का कुछ भला होगा। इस समय हमारे देश की प्रमुख समस्या राष्ट्रीयता की है।

हममें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है हालांकि स्वतंत्रता के उपरांत जिस संविधान को हमने स्वीकार किया था उसमें इसकी परिकल्पना की गई थी। उस दिन अपने उद्घाटन भाषण में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस सदन के कुछ दृश्यों की तुलना मछली बाजार से की जा सकती है। हमें विश्लेषण करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हममें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। हम इस सदन में भी किसी मानदंड का अनुसरण नहीं करते। इतने सारे मानदंड बनाए गए हैं परन्तु हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि विश्व में हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है परन्तु हमारी प्रवृत्ति व्यवहार्यता अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने की है।

यही कारण है कि हम कोई राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं कर पाए हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बनाए गए हमारे संविधान में इसकी परिकल्पना की गई थी जिसका इस देश में अनुसरण किया जा रहा है। मैं यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि संविधान के लिए सम्मान नहीं है, तो राष्ट्रीय एकता नहीं होगी तथा भारत ज्यादा समय तक अखंड नहीं रह पायेगा। मैं अपने दावे को उचित सिद्ध कर सकता हूं। हमारा संविधान मूलत: एक संघीय प्रकार का संविधान था। परन्तु स्वतंत्र भारत में वास्तविक संघवाद स्वीकार नहीं किया गया।

5 जुलाई, 1947 को सरदार पटेल ने सुझाव दिया कि लगभग 600 रियासतें केवल सुरक्षा, विदेशी मामले एवं संचार के मामलों, जिन विषयों में देश का आम हित शामिल है, में भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर सकते हैं। अन्य मामलों में वे स्वायत्त अस्तित्व बनाए रख सकते थे। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 'फेडरल' अथवा 'फेडरेशन' शब्द संविधान में कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सके। संविधान

सभा में प्रस्तुत भारतीय संविधान के ज्ञापन में 'फेडरेशन' शब्द का प्रयोग किया गया था। परन्तु डा. बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्वाधीन प्रारूपण समिति ने 'फेडरेशन' शब्द का लोप कर दिया तथा उसके स्थान पर 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा।

जो बात मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क में देश के सभी सुदूर क्षेत्रों का विकास करना था। उन्होंने सोचा कि केन्द्र शक्तिशाली होना चाहिए ताकि केन्द्र द्वारा संसाधन जुटाये जा सकें तथा अविकसित क्षेत्रों में वितरित किए जा सकें। परन्तु स्वतंत्रता के पचास वर्षों के उपरान्त हम देखते हैं कि संसाधनों का वितरण केवल विकसित क्षेत्रों में ही किया जा रहा है तथा अविकसित क्षेत्र अधिक पिछड़े बन गए। ऐसी क्षेत्रीय विषमता के कारण ही राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं हो सकी। इन राज्यों के लोग अब महसूस करते हैं कि उन्हें वंचित रखा गया है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा उन्हें देश के अन्दर बड़ी राष्ट्रीयताओं के अधीनस्थ के रूप में देखा जा रहा है। इसी कारण केन्द्र के विरुद्ध इतनी अधिक शिकायतें इकट्ठी हो गई हैं। इन क्षेत्रों के लोग महसूस करते हैं कि केन्द्र सरकार अपने व्यवहार में अभी तक उपनिवेशी है तथा उन्हें वंचित रखा जा रहा है एवं शोषित किया जा रहा है। वे महसूस करते हैं कि संसाधनों का उपयोग केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही किया जा रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

असमिया में एक कहावत है ''जूर जर मुलुक तर'' जिसका अगर अंग्रेजी में अनुवाद किया जाये तो अर्थ होगा 'पीपल हू हैव मोर स्ट्रेंग्थ प्रिवेलेज गोज़ टू दैम।' जिन लोगों के पास ज्यादा शक्ति है सुविधाएं उन्हीं की हैं। इसका क्या अर्थ है? समस्त वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों को केन्द्र में केन्द्रित करके सुविधाएं उन राज्यों को दी जा रही हैं जिनके अधिक संख्या में सदस्य इस सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सत्तारूढ़ दल के हैं। इसी कारण क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। गोवा, मिजोरम तथा नागालैंड जैसे छोटे राज्यों, जिनके केवल एक-एक सांसद हैं, को इस सदन में अपने विचार भलीभांति प्रकट करने का मौका नहीं दिया जाता है। एक ऐसा भी राज्य है जहां के इस सदन में 80 से अधिक सासंद प्रतिनिधित्व करते हैं। इस राज्य की तुलना उन राज्यों से नहीं की जा सकती जिनका केवल एक सांसद यहां प्रतिनिधित्व कर रहा है।

सभी राष्ट्रीय दलों में आलाकमान प्रणाली है; हमने इस सदन में देखा है कि वरिष्ठ सदस्य अथवा जो लोग प्रसिद्ध हैं को अन्य लोगों के मुकाबले बोलने का अधिक अवसर मिलता है। मैं पिछले चार दिनों से यहां बोलने के लिए इंतजार कर रहा था परन्तु मुझे अभी तक मौका नहीं दिया गया क्योंकि मैं एक बहुत छोटे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, हमारे दल की संख्या बहुत कम है और इसलिए हमें बोलने का कम अवसर मिलता है। अब क्या हुआ। यही समय है जब कि देश के प्रत्येक भाग में क्षेत्रीय दल बन गए हैं। राष्ट्रीय दलों के मामले में केवल कांग्रेस के पास ही कुछ राज्य हैं जहां यह शासन कर रही है। वामपंथी दल तीन राज्यों में शासन कर रहे हैं, बी.जे.पी. केवल एक राज्य मुख्यत: राजस्थान में शासन कर रही है, जनता पार्टी तथा आर.जे.डी. एक-एक राज्य में शासन कर रहे हैं। शेष सभी राज्य दलों के गठबंधन द्वारा चलाए जा रहे हैं अथवा क्षेत्रीय दलों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके क्या परिणाम हैं तथा क्या कारण हैं? यह जनता के आदेश के कारण है जो अब वास्तव में संघीय भारत चाहते हैं। हम किन्हीं भी मानदंडों का अनुसरण करें हममें राष्ट्रीय भावना नहीं है क्योंकि सारी सुविधाएं संभ्रांत वर्गों को ही चली जाती हैं।

अत: हमारे संविधान द्वारा यह बाध्य कर दिया जाना चाहिए कि सभी राज्यों को संघीय स्वशासन प्राप्त हो। इस संबंध में मैं सदन के विचारार्थ निम्नलिखित विचारों का सुझाव देना चाहता हूं।

प्रथमत:, देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीयता को एक स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता के साथ भारतीय संविधान को पूर्णतया नए सिरे से तैयार किया जाये ताकि इसे एक पूर्ण संघीय संविधान बनाया जा सके। संविधान की इस पुनर्रचना के द्वारा मुद्रा, संचार, रक्षा तथा विदेशी मामलों को केन्द्र पर छोड़कर राज्यों को पूर्ण रूप से शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए।

दूसरे राज्य सभा में राज्यों के आकार तथा जनसंख्या पर ध्यान दिए बिना सभी राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

एक और बात जिस पर मैं यहां बल देना चाहता हूं वह यह है कि दुहरी राष्ट्रीयता विषय पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। राष्ट्रीय बहस द्वारा केवल ऐसी ही प्रणाली प्रारंभ करने पर ही देश की संप्रभुता तथा अखंडता को वास्तविक रूप से बनाये रखा जा सकता है।

संभवत: केवल भारत ही ऐसा देश है जिसके पास अपने नागरिकों की सूची नहीं है। इस आधुनिक युग में भी हमारे पास हमारे नागरिकों की सूची नहीं है। हम नहीं जानते कि कौन कहां से आया है। यदि किसी से पूछो तो वे कहते हैं कि वे भारत के नागरिक हैं और इसी प्रकार असम में भी यही समस्या है। बंटवारे के बाद से ही, भारत के पूर्वी भाग में दूसरे देशों से लाखों लोग आए हैं और अधिकतर ने असम में रहना शुरू कर दिया। हमारे पास नागरिकों की सूची नहीं है और अब हर कोई आता है और कहता है कि वह भारत का नागरिक है। जब हमने पहचान की प्रक्रिया शुरू की तो यह कहते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक हिन्दू अथवा मुसलमान अथवा ईसाई अथवा चकमा जैसे बौद्ध धर्मी भी हो सकते हैं। किन्तु यही शोर-शराबा होने लगता है। क्यों? हम देश में भारतीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। भारत में असमी समुदाय भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है। हमें पूरी सुरक्षा नहीं मिल रही है, चूंकि अधिकाधिक लोग चुपचाप आकर असम में

बस गए हैं। असम के नाम की अवधारणा आज सटीक नहीं बैठ रही है, यद्यपि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। अब जब गैर-असमिया भाषी लोगों की संख्या कुछ विदेशी लोगों के कारण बढ़ रही है और हमारी घट रही है तथा जब हमारा संविधान हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, तो वहां का युवक हथियार क्यों नहीं उठाएगा। यही कारण है कि शायद केन्द्र सरकार को इसी महाद्वीप में कुछ एक गुटों से बातचीत करनी पड़ रही है और पुन: समझौते करने पड़ रहे हैं। क्यों? समझौते विदेशों के साथ किए जाते हैं, कुछ एक गुटों या राज्यों के साथ नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं, वर्तमान संविधानिक ढांचा और असम के लिए बनाए गए बहुत से कानून भी हमारी पहचान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय : आप 12 मिनट ले चुके हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा : सभापति महोदय, समय की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। किन्तु मैं कुछ विशेष सुझाव दे रहा हूं।

सभापति महोदय : इसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करें।

डा. अरुण कुमार शर्मा : मैं एक अवसर प्राप्त करने के लिए पिछले चार दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूं।

हमारी एक समुचित शासन व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों एक क्षेत्र विशेष के लिए हर बार कानून बनाए जाते हैं। असम के लिए आई.एम.डी.टी. अधिनियम बनाया गया था। यह केवल असम के लिए लागू है। यह देश के अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं हैं? अप्रवासी निष्कासन अधिनियम, 1950 केवल असम के लिए बनाया गया था। विशेष शस्त्र शक्ति अधिनियम (स्पेशियल आर्मस पावर एक्ट) केवल असम के लिए बनाया गया था। इतने सारे अधिनियम अकेले असम के लिए बनाए गए थे। संविधान की छठी अनुसूची को स्वीकार करते समय आदिवासियों को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया गया था। कश्मीर को एक अलग तरह का संविधान और अलग तरह का दर्जा दिया गया था। हमारे संविधान में अन्य बहुत सी विशेषताएं हैं जिनको पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों, जाति पंथ, संप्रदाय का लिहाज किए बिना प्रत्येक समुदाय, दलित वर्गों और जातीय समूहों को समुचित रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा सके। यदि वर्तमान व्यवस्था चालू रहती है तो कुछ और उपराष्ट्रीयताओं में आक्रोश फैलेगा क्योंकि वे कभी भी संसद में अपनी बात नहीं रख पायेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए। आपके लिए एक मिनट बचा है।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा : मेरा सुझाव है कि एक अन्य संविधान सभा होनी चाहिए क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि हमें इसे दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की तरह लेना चाहिए और प्रत्येक स्वतंत्रता आन्दोलन के पश्चात् एक और संविधान को स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक संविधान सभा गठित की जाती है। यह मेरा तर्क है कि हमें एक अन्य संविधान सभा की बात करनी चाहिए और इस पर दुबारा बहस होनी चाहिए। जब असम में विदेशियों के मामले पर आंदोलन शुरू हुआ था तो वह जय प्रकाश नारायण द्वारा शुरू किये गए आंदोलन के बाद पहला शांतिपूर्वक गांधीवादी आंदोलन था। एक ही दिन में दस लाख लोगों ने गुआहाटी में सत्याग्रह किया। असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए किन्तु उसे लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वह शांतिपूर्वक किया गया आंदोलन था। प्रत्येक व्यक्ति जिसने हथियार उठाया है उसका ख्याल रखा गया। जो यहां अधिक चिल्ला सकता है उसे अधिक सुना जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि देश में नागरिकों का पूर्ण राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। हमें इस बात का भी रिकार्ड रखना चाहिए कि कौन आया है। अन्यथा सीमा के उस पार से अन्य देशों द्वारा गुप्त रूप से चलाया जा रहा आक्रमण जारी रहेगा। सीमा पार से लोग आ रहे हैं और मतदाता सूची में मतदाता के रूप में नाम दर्ज करवाते जा रहे हैं और हमारी राजनीति की दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। आप जानते है कि असम में और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ अन्य भागों में सीमा पार से आने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जा रहे हैं किन्तु नियमानुसार उन्हें यह हक नहीं है। अब ऐसा समय आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि में अपने भाग्य और राजनीतिक भविष्य का फैसला नहीं कर सकते हैं। त्रिपुरा और कुछ अन्य क्षेत्र इस बात के गवाह हैं कि वहां विदेशी लोगों की संख्या मूल निवासियों से कहीं अधिक हो गयी है। अब ऐसा कौन सा प्रावधान है जो उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा?

जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों की अत्यधिक संभावना है। यह देश में उपलब्ध कुल जल संसाधनों का 33 प्रतिशत है। यदि इस 33 प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग किया जाये तो हम 55,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं जिससे न केवल हम देश की आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे बल्कि विद्युत का निर्यात भी कर सकेंगे। ऐसा केवल योजना आयोग के कारण नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में विद्युत की कमी है।

योजना आयोग एक अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय है। संविधान में वित्त आयोग की तरह इसका प्रावधान नहीं किया गया है। योजना आयोग के माध्यम से सभी मौद्रिक संसाधन जो राज्यों से प्राप्त होती हैं उन्हें कतिपय क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है। सभी देनदारियां राज्यों पर थोप दी गईं। केन्द्र ने एक-एक करके सभी संसाधनों को अपने हाथ में ले लिया है। सभी वित्तीय संसाधनों को एकत्र कर लिया गया और फिर यहां इन्हें केन्द्रीय मंत्रियों के स्वविवेक के आधार पर संवितरित कर दिया गया। योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधान मंत्री, मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री और कुछ अन्य लोग करते हैं। योजना केन्द्र में बनाई जाती है लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं पर इनका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए विकास में क्षेत्रीय असंतुलन पनपा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही 17 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

आपके बोलने से पहले ही यह फैसला हुआ कि आउटर लिमिट 15 मिनट होगी, अब चेयर क्या कर सकती है?

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा : इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमने असम में विदेशियों के मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया था तो हमें ''राष्ट्र विरोधी'' कहा गया था। आज भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को ''राष्ट्र विरोधी'' समझा जाता है। मेरा यह ठोस सुझाव है कि हमें देश के कोने-कोने में सच्ची भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना चाहिए। सभी नागरिकों को, सभी क्षेत्रों को और सभी समुदायों को समान दर्जा दीजिए। विकास हेतु समान अवसर दीजिए। विसंगति क्यों हैं? महाराष्ट्र के सदस्यों को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं उनकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। मुम्बई सहित सभी महानगरों ने अंग्रेजी शासन से बुनियादी सुविधाएं विरासत में प्राप्त की थीं। चूंकि उनके पास बुनियादी सुविधाएं थीं, इसलिए सभी निवेश नहीं किए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। वहां कोई संचार व्यवस्था नहीं है। वहां कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर काम करने को तैयार नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां निवेश नहीं करना चाहता। केंद्र सरकार अर्थात् योजना आयोग वहां इसलिए निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र पर चीन ने 1962 में आक्रमण किया था। दिल्ली में अधिकारियों ने यह सोचा कि अगर उन्होंने वहां निवेश किया होता तो वह सब कुछ चीन ने छीन लिया होता। इसी आशंका के कारण वहां निवेश नहीं किया गया।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1962 में इस सभा में कहा था कि: ''असम के लोग मेरे दिल के करीब हैं।'' हमारी सुरक्षा नहीं की जा सकी। भारतीय सेना भाग गई। मुद्रा जला दी गई। सौभाग्यवश, चीन की सेना वापस चली गई। अब यह कहा जाता है कि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्र विरोधी कौन हैं? जिन लोगों ने देश को बर्बाद किया है, वे हैं राष्ट्र विरोधी। हम सभी राष्ट्रवासियों से ज्यादा राष्ट्रवादी होना चाहते हैं। यही भावना हमें विरासत में मिली है। अब इस प्रकार की भावना समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैल रही है। अब वह समय आ गया है जब हमें असम के नागरिकों को और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के साथ समान न्याय करना होगा। हमारा राष्ट्र विश्व के विकसित देशों का मुकाबला करने जा रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इस स्थिति में भी नहीं हैं कि वे देश के कुछेक कम विकसित राज्यों की भी बराबरी कर सकें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप वाइंड-अप करिये, आपको 20 मिनट हो गये हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा : अगर 50 वर्ष बाद भी यह स्थिति है तो क्या कदम उठाए जायेंगे? 50 वर्ष बाद उनके साथ क्या न्याय किया जायेगा? इसीलिए, हमारे संविधान में उचित परिवर्तन करना होगा।

सभापति महोदय : कृपया मेरे साथ न्याय करें, अब कृपया समाप्त करें।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय, मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के साथ न्याय किया जायेगा। समाप्त करने से पूर्व मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक विदेश नीति है जिसे हमने अपनाया है। पिछले पचास वर्षों के दौरान इसका उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया है। विदेशियों के पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गोरी-चमड़ी वाले विदेशी पर्यटकों को असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई।

हमें अलग-थलग कर दिया गया है। इसके साथ-साथ हमने लाखों अवैध विदेशियों को सीमा पार से अपने देश में आने की अनुमति दी है। बंगलादेश और भूटान द्वारा विद्रोही गतिविधियों का समर्थन किया जा रहा है। बंगलादेश बनवाने में किसने सहायता की? एक देश को दूसरे देशों के मामले में क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने अपने आप को श्रीलंका के मामले में क्यों शामिल किया और इसका क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम यह निकला कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों में कटुता है तथा वे हमारी ईमानदारी पर संदेह करते हैं। इसी प्रकार, बंगलादेश हमारे साथ व्यापार करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। वे यह आशंका करते हैं कि हमारा एक बड़ा देश है और हम उनको दबा देंगे तथा उनके साथ धोखा करेंगे। समग्र स्थिति विपरीत हो गयी है। अत: सही मायने में राष्ट्रीय सौहार्द और पड़ौसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए।

सभापति महोदय : आप कब समाप्त करेंगे?

डा. अरुण कुमार शर्मा : यदि मैंने कोई असंगत बात कही है तो आप इसका उल्लेख कर सकते हैं।

सभापति महोदय : जी नहीं, यह किसने कहा है?

डा. अरुण कुमार शर्मा : मैं राष्ट्रीय हित में एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें हमारे यहां विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सी.एम.आई.ई.) ने 31.3.94 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार और गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा राज्यवार किए गए निवेश के बारे में जनवरी, 1996 में आंकड़े प्रकाशित किये हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार और इसके उपक्रमों द्वारा वित्त वितरण की विसंगतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

आज भेदभाव इस हद तक किया जा रहा है कि निवेश के लिए महाराष्ट्र को तीस हजार करोड़ रुपये जबकि गोआ जैसे राज्य को केवल नवासी करोड़ रुपये तथा सात उत्तर-पूर्वी राज्यों को केवल एक हजार चार सौ छयालीस करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई। वर्तमान प्रणाली के रहते हम भेदभावों को अभी समाप्त नहीं कर सकते।

प्रशासन की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां एक भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग है जो राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों में होते हैं। यहां भी भेदभाव बरता जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस संवर्ग में एक-तिहाई नियुक्तियां प्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य

विशेष से होनी चाहिए। लेकिन 1989 से एक भी आई.ए.एस. अधिकारी असम से नहीं आया है। केवल एक अधिकारी था जिसने असम भेजे जाने का अनुरोध किया था किन्तु उसे नहीं भेजा गया। इसी नियम के अधीन अन्य बहुत से अधिकारियों को उनके गृह राज्य में नियुक्ति के लिये चयन का अधिकार दिया गया। जब तक आई.ए.एस. अधिकारी हमारे अपने नहीं होंगे, जैसा कि नियमों और संविधान में दिया गया है, हम अपने राज्य की सहायता किस तरह कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आप इस बारे में श्री वैश्य से बात कर सकते हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा : महोदय यहां तक कि विदेशी निवेश..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, आप पहले ही पच्चीस मिनट ले चुके हैं। यह बहुत ज्यादा है। कृपया अब समाप्त करें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको केवल अंतिम वाक्य कहने की अनुमति दे सकता हूं।

डा. अरूण कुमार शर्मा : ठीक है, महोदय।

हमने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी शिकायतें व्यक्त कर दी हैं। हम एक मजबूत भारत चाहते हैं। लोगों में एक सुदृढ़ राष्ट्रीय भावना होनी चाहिये। अमरीका ने 300 वर्ष पूर्व संघीय संविधान अपनाया था जिसे वे आज तक जारी रखे हुए हैं। हमारे वर्तमान संवैधानिक ढांचे में कुछ दोष होने के कारण ही सभी समस्याएं और शिकायतें उत्पन्न हुई हैं। इसी के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विषमताएं उत्पन्न हुई हैं जिसके कारण आज एक देश के रूप में रहना हमारे लिए कठिन हो रहा है। संसार के विकसित देशों के साथ स्पर्धा करने के लिए हमें देशवासियों में यह भावना पैदा करने के लिए कि हम सब एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं, इसके लिए हमारे संविधान को पूर्णतया पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए।



श्री बची सिंह रावत 'बचदा'

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय सभापतिजी, 26 अगस्त 1997 को प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसके अंतिम दौर से यह पूरा सदन गुजर रहा है।

विभिन्न विषयों की चर्चा यहां पर हुई। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई। मेरा मानना यह है और जैसा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मधु दंडवते जी ने एक जगह उल्लेख किया था कि योजना और उसकी धनराशि राजनैतिक दवाबों में और राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते हुए इसका संतुलन बिगड़ा है और कई स्थानों पर योजना की धनराशि अधिक मात्रा में पहुंची है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की पूंजी का विनिवेश करके खड़ा किया गया, वही आधारभूत ढांचा जिसको हम नैचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी उपेक्षा की गई। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जो पूरी की पूरी हिमालय बैल्ट थी, इसमें इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए और हाईड्रो पॉवर प्रोजेक्ट्स के लिए पर्याप्त रूप से आधारभूत ढांचा प्राकृतिक रूप में उपलब्ध रहा है। प्राकृतिक रूप से उपलब्धता के कारण जहां हम इलैक्ट्रॉनिक्स के लिए कह सकते हैं कि शीतल जलवायु, और धूल रहित क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों का उपयोग राष्ट्र और उद्योग की स्थापना के लिए किया जा सकता था लेकिन वह वंचित रहे क्योंकि उनके क्षेत्र का इतना अधिक प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं रहा था। इसी तरीके से हाईड्रो पॉवर प्रोजेक्ट्स लग सकते थे लेकिन बार-बार दो-चार बांधों की स्वीकृति के बाद यह मान लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्र की सम्पदा का, इस आधारभूत ढांचे का दोहन हो सकेगा जबकि मंझले और छोटे बिजलीघरों को लगाने की आवश्यकता थी और इसने रीजनल इम्बैलेंस को जन्म दिया। इससे लोगों के लिए रोजगार की कमी हुई। लोगो में यह महसूस किया गया कि छोटे-छोटे राज्य बनाए जाएं, उद्यम खड़े किए जाएं। इसके कारण अलग राज्यों की मांग स्थान-स्थान पर उठी और कई राज्य बने। लेकिन उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल क्षेत्र आज भी बार-बार मांग करने के बावजूद भी राज्य की शक्ल नहीं ले पाया है। हाल ही में अटल जी ने 11 अगस्त 1997 को सदन में यह मामला उठाया था कि किस तरह से बाहर लोगों के मन में एक प्रकार का आक्रोश पनप रहा है और इसमें और कितना विलम्ब लगेगा? स्पीकर साहब संगमा जी ने उस दिन यह कहा जिसको मैं यहां पर कोट करता हूं:

[अनुवाद]

> ''मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इन वादों को पूरा करने में एक वर्ष से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे।''

[हिन्दी]

11 अगस्त के बाद 15 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर लाल किले से जो भाषण दिया, उसमें इस बात को दोहराया कि हम बहुत जल्दी इस वादे को पूरा करने जा रहे हैं। 28 अगस्त को बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में हुआ है जिसमें प्रधान मंत्री जी से उनके निवास पर जब हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें मैं स्वयं मौजूद था लेकिन कोई ठोस आश्वासन उनकी ओर से नहीं आ पाया। कब तक इस मामले में प्रतीक्षा

की जाए? यह एक ज्वलंत प्रश्न है, इसलिए पीठ से यह निर्देश दिया गया कि अब यह रीजनल इश्यू नहीं है बल्कि यह कमिटमेंट है, यह नेशनल इश्यू है। सदन को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इस बारे में अपनी राय बनानी चाहिए और जब सरकार की तरफ से इस चर्चा में स्टेटमेंट आए तो महोदय, 14 अगस्त की रात्रि को हमें एक पुस्तिका मिली—''भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष।'' इस पुस्तक के पृष्ठ 18 पर उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड जैसे क्षेत्रीय आन्दोलन देश में शान्ति भंग कर रहे हैं। मैं पूरे उत्तराखण्ड और उत्तरांचल की जनता की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की शांति भंग की जाए या हिंसा का सहारा लिया जाए, इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ है, अपनी जायज मांगों को लेकर, इतने दमन और अत्याचार के बावजूद। क्या मुजफ्फरनगर की घटना का वर्णन करना फिर आवश्यक होगा? इन सबके बावजूद और सैन्य बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी लोगों ने अपने पर संयम रखा है और संविधान के प्रति आस्था रखी है। मेरा अनुरोध है कि उत्तराखण्ड के बारे में जो इस पुस्तिका में उल्लेख है, उस उल्लेख को हटाया जाए, तो हमारे उपर बड़ी कृपा होगी।

संसद के प्रति मैं थोड़े से विनम्र शब्दों में अनुरोध करना चाहूंगा। हमारी संसद सार्वभौम है और उससे देश को अपेक्षा है। चार दिन के बाद, आज पाचवें दिन सदन में बहस चल रही है और इस बहस को देश की जनता एक टक होकर देख रही है। क्या वजह है कि आज से दो दिन पूर्व चुनाव आयोग से निर्णय आता है कि अपराधी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। हम आज तक इस बारे में कानून नहीं बना पाए हैं। हम सबने उनकी प्रशंसा अवश्य की और कहा कि उन्होंने फैसला दिया है कि अपराधी संसद और विधान सभाओं में चुनाव लड़कर नहीं आ सकेंगे। हम जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं और न्यायालय के फैसले आते हैं, तो क्या हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई अन्य संवैधानिक संस्था, इसके बारे में फैसला दे। हम इस बारे में निर्णय क्यों नहीं लेते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

अब मैं भ्रष्टाचार के संबंध में एक विधेयक का उल्लेख करना चाहूंगा। 20 दिसम्बर, 1996 को मैंने इसी सदन में मंत्रियों, संसद सदस्यों और सिविल कर्मचारियों द्वारा उनकी अर्जित आय से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया था। अपनी आय की घोषणा होनी चाहिए, जिससे सारे देश को पता लग सके कि उनकी कितनी आय है, कितनी सम्पत्ति अपने पास रखे हुए हैं और अपने कार्यकाल के दौरान अनोपार्जित आय कितनी बढ़ी है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यह विधेयक सरकार की ओर से आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यह प्रावधान है। मैं वहां विधायक रह चुका हूं। वहां अपने एसैट्स तीन-तीन महीने में डिक्लेयर करने होते हैं, एक फारम भरना होता है। यह व्यवस्था यहां नहीं है, मेरे विचार से यह व्यवस्था होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत है, इसलिए उसके संबंध में और अधिक कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपका ध्यान एक दूसरी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, एक ज्वलन्त समस्या के रूप में। चर्चा के रूप में यह समस्या हम लोगों के बीच में आई है और वह समस्या है, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का बहुत बड़ा खतरा। जनसंख्या नियंत्रण को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से या वोट के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और हम अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। देखने से हमें ऐसा आभास मिलता है। क्या वजह है कि हम आज तक जनसंख्या नियंत्रण विधेयक नहीं ला सके हैं? बार-बार इसकी चर्चा होती है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मेरे द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्तुत किया गया था और माननीय सदस्यों ने उस पर बहस भी की थी। यह आवश्यक है कि प्रिवैंटिव एक्शन होना चाहिए और इसको रोका जाना चाहिए। लोग जनसंख्या नियंत्रण करें, छोटा परिवार रखें। जो छोटा परिवार रखें, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको रियायत दी जानी चाहिए। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण एकांगी रूप से विधेयक के रूप में नहीं लाया जा सकता है। इस विधेयक के साथ-साथ मैंने एक दूसरा विधेयक भी प्रस्तुत किया था। अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत देश के भीतर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और समान विवाह-समान विवाह विच्छेद विधेयक भी मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लोक सभा में 20 दिसम्बर, 1996 को। लेकिन इस पर हमारे मुस्लिम लीग के माननीय सदस्यों की ओर से आपत्ति की गई और कहा गया कि यह हमारे पर्सनल लॉ, शरीयत में दखल देने वाला विधेयक होगा। मैं युनाइटेड फ्रंट के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पृष्ठ 4 का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें लिखा है—

[अनुवाद]

> ''विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की वैयक्तिक संहिता में परिवर्तन लाने के लिये यह आवश्यक है कि उस परिवर्तन को लाने के लिये संबंधित संप्रदाय में मतैक्य हो।''

[हिन्दी]

लेकिन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने नहीं किया। वे सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल के मुकदमे में यह निर्देश दिया था कि सरकार आए और एफिडेविट दे। सन् 1995 में फैसला हुआ था, जून 1996 तक एफिडेविट दें कि क्यों नहीं इतने वर्ष बीतने के बाद यह जो कॉमन सिविल कोड है इसमें सरकार के द्वारा इसके लिए विधेयक लाया जा रहा? यानी हम हर चीज के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर देखेंगे। हमें बहुत अपेक्षा थी, बहुत उम्मीद थी कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट यह करेगी लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम इसको फोर्सीबली लागू नहीं करना चाहते और यही चीज उन्होंने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दी थी हम फोर्सीबली लागू नहीं करेंगे, कंसेसस बनाएंगे, लेकिन कंसेसस कैसे बनेगी? कंसेसस तभी बनेगी जब यहां पर उसकी चर्चा हो। यदि उसमें देखा जाए कि सिर्फ समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों को कोई आपत्ति है, अपना कोई

एतराज दाखिल करना है तो उसको सलैक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है लेकिन बिना यूनीफार्म और कॉमन सिविल कोड के जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। अगर हम एक ओर चार-चार पत्नियों की छूट चाहें और एक तरफ चीन का उदाहरण दें कि एक बच्चा होना चाहिए, पत्नी चार हों और बच्चा एक हो तो इसको कौन कैसे तय करेगा, इस बारे में गंभीर विचार की आवश्यकता है।

महोदय, अनेक मुस्लिम देशों ने एक पत्नी का कानून बनाया है। वहां कानून का पालन हो रहा है तो यहां कैसे नहीं हो रहा है, यह बात बहुत ही विचारणीय है और यह गंभीर विषय है। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान पुनः दूसरी ओर ले जाना चाहता हूं, एक एक्ट के बारे में बड़ी चर्चा हुई। वह एक्ट है—फॉरैस्ट कंजरवेशन एक्ट, 1980, 1977 में भारत के संविधान में संशोधन करके 41(ए), यह अनुच्छेद इसमें शामिल किया गया।

[अनुवाद]

पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वन और वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करना—राज्य देश में पर्यावरण में सुधार और संरक्षण तथा वन और वन्य प्राणियों के जीवन की सुरक्षा का प्रयास करेगा।

[हिन्दी]

हम सब समर्थक हैं कि वनों की रक्षा होनी चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए लेकिन इस एक्ट में पर्वतीय क्षेत्र का जो जनजीवन था, आदिवासी लोगों का जो जनजीवन था उसके प्रति कभी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे इसके प्रतिबंध इस तरीके से लागू किए गए कि जो आम निवासी जंगलों पर निर्भर करता था, वह पर्वतीय क्षेत्र में लकड़ी से, पत्ती से, घास से, चारे से धीरे-धीरे वंचित हो गया। यहां तक कि 1995 में एक रिट पेटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है—टी.एन. गोड्डा बर्मन बनाम यूनियन गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, उसमें 12 दिसम्बर, 1996 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाता है और उसमें बाधित कर दिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई आरा मशीन नहीं होगी, यहां तक कि जंगल में प्रवेश भी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के लिए छूट दे दी गई कि उनके जो परमिट और लाइसेंस हैं उसके आधार पर उनको लकड़ी मिलेगी लेकिन उत्तरांचल उस दिन राज्य नहीं था तो उसके लिए कोई पैरवी करने वाला सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। 40 हजार क्यूबिक मीटर लकड़ी, जो कि अंग्रेजों के समय में फोरेस्ट सेटलमेंट के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि तुम्हारा यह हक है, तुम्हारा यह अधिकार है लेकिन उस अधिकार को रोक दिया गया और कहीं से कोई पैरवी राज्य सरकार की ओर से, जहां उस समय राष्ट्रपति शासन था, नहीं की गई। नतीजा यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में बिना लकड़ी का मकान नहीं बन सकता। ...*(व्यवधान)* यह जो फैसला आया यह सरकार की ओर से नहीं हुआ। कहीं देख-रेख नहीं हुई। मुझे स्वयं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गुहार करनी पड़ी। एक हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सूखी लकड़ी के लिए 7 मई को यह फैसला दिया है उसमें छूट मिली है। हमने सरकार से मांग की थी कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो 1815 की सिटोली की संधि नेपाल के साथ अंग्रेजों ने की थी उसमें जो वायदे किए गए और फोरेस्ट सेटलमेंट में रिकोग्नाइज किए गए वह मिलने चाहिए, अन्यथा हमारा घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है।

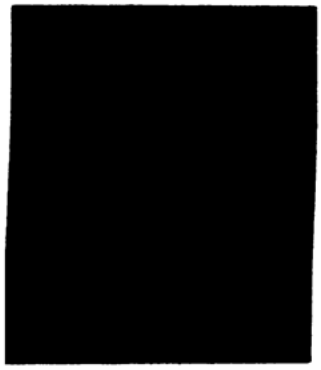
अपनी ओर से विधेयक में दो संशोधनों के माध्यम से मैंने सरकार का ध्यान फॉरैस्ट कंजरवेशन एक्ट की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार की ओर से कोई पैरवी दिखाई नहीं देती है। यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए कैसी विडम्बना होगी।

कल हमारे पूर्व मंत्री महोदय ने पी.डी.एस. की बड़ी प्रशंसा की है कि हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, दस किलो अनाज आधे रेट पर दे रहे हैं और देश के भीतर इस बारे में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन हमने ही नहीं बल्कि उड़ीसा, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र के लोगों ने उसका घातक परिणाम भोगा है। आज नयी प्रणाली के कारण लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। खाद्यान्न का अकाल, खाद्यान्न की कमी सारे देश के अंदर परिलक्षित होकर सामने आई है। इसके कारण स्वयं प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि वे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने जा रहे हैं और माननीय नेताओं से भी विचार-विमर्श करेंगे और पी.डी.एस. पर सदन में बयान देंगे। लेकिन सदन में यहां पी.डी.एस. की प्रशंसा की जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर आदि-आदि बातें हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह विषय भी उल्लेख किये जाने योग्य है और मैं चाहता हूं कि इस पर खुला विचार हो। हम लोग जो अपने को स्मृतियों पर विश्वास करने वाला कहते हैं, रूल ऑफ द डे पर विश्वास करने वाला कहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे के सारे कानून बनें। जनता को भी अपेक्षा है कि जो जरूरी है वे कानून संसद में पेश किए जाएंगे और जहां-जहां कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा।

अंत में यह कहते हुए कि हमारी जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं और हम लोग जिस सोच के हैं:—

इदं न मम:
राष्ट्राय् स्वाहा:

यह जो कुछ है, यह मेरा नहीं है। यह सब कुछ राष्ट्र का है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री पी.सी. चाक्को

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुंदपुरम): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

जैसा कि मेरे आदरणीय मित्र ने कहा, मेरा नाम भी प्रतीक्षा सूची में था और मैं तीन दिन से पंक्ति में लगा था। इतनी प्रतीक्षा करने के बावजूद मैं सोचता हूं कि यह एक प्रकार का विशेषाधिकार है जो कि किसी संसद सदस्य के जीवन में कभी-कभी आता है और देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती वर्ष मनाते हुए संसद की इस चर्चा में भाग लेने का अवसर भी किसी-किसी सदस्य को मिलता है। यह वास्तव में गौरवपूर्ण है।

इस अवसर पर मैं अपने कुछ विचार इस सम्माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद किये बिना और उन्हें नमन किये बिना आरम्भ करना किसी भी सदस्य के लिये उचित नहीं होगा। इस अवसर पर हम अपने उन महान नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन लाखों ज्ञात और अज्ञात शहीदों का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी जिससे हम आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। मैं ऐसे शहीदों को प्रणाम करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने यह निर्णय लिया था कि स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ बनाने का सबसे उचित तरीका यही है कि हम इस तरह का एक सत्र रखें। इस संबंध में सभी के अलग-अलग मत थे लेकिन अपने तीन दिन के अनुभव के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने का यही तरीका सबसे अधिक उचित और सही तरीका है। एक विचारोत्तेजक भाषण देकर अध्यक्ष जी ने सदन में इस चर्चा का सूत्रपात किया और मैं अध्यक्ष महोदय को उनके द्वारा दिये गये सुझावों के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि यह कहा गया है कि आत्मनिरीक्षण ही इस सत्र का उद्देश्य है।

महात्मा गांधी ने कहा था "इस देश की स्वतंत्रता का जश्न देश के शहीदों को याद करके तथा अपने आप को फिर से देश की गरीब जनता के प्रति समर्पित करके मनाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का उत्सव मनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है।" उनके कथन के अनुरूप ही हमने यह विशेष सत्र आत्मनिरीक्षण के लिये ही समर्पित किया है।

दलगत विचारधारा से थोड़ा अलग हट कर एक सदस्य ने यहां एक बात उठायी थी कि नेता या सदस्य का यह कहना कि वह दलीय भावना से ऊपर है, हो सकता है उचित न हो। किन्तु मैं सोचता हूं कि किसी भी सदस्य के जीवन में ऐसे अवसर कभी-कभी ही आते हैं जब वह दलीय भावना या पार्टी सचेतक के आदेश से अलग हट कर स्वतंत्र रूप से अपने मन की बात कह सके। मेरा ख्याल है कि यह ऐसा ही एक अवसर है।

एक या दो बातों, जिनके संबंध में मैं अपने विचार इस सम्माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, पर चर्चा करने से पूर्व मैं विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस सदन में तीन सुझाव प्रस्तुत किये जिन्हें सदन के सभी सदस्यों ने ध्यान से सुना और समझा। मैं हृदय से उनके सुझावों का स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है कि इस चर्चा की समाप्ति पर यह सदन कोई न कोई घोषणा प्रस्ताव या संकल्प अवश्य पारित करेगा। उन्होंने तीन साधारण से सुझाव दिये हैं किन्तु ये इस सदन के स्तर में सुधार के लिए मील के पत्थर साबित होंगे।

जब हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो भारत में संसद और विधायिकाओं के बारे में बहुत से विचार अभिव्यक्त किये जा रहे हैं। भारत में कुछ विधान मण्डलों की बैठकें तो मुश्किल से केवल एक या दो महीने के लिये ही होती हैं। हम भी बहुत कम अवसरों पर एकत्र हो पाते हैं। लोक सभा में भी हम कोलाहलपूर्ण और शोरगुल वाला वातावरण देखते हैं, जिसे वाजपेयी जी द्वारा दिये गये सुझावों की सहायता से कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। संसदीय शिष्टाचार मर्यादा और गरिमा तो होनी ही चाहिये जो कि आज लुप्त होती जा रही है। इस सदन के सदस्य होने के नाते यदि हम इस प्रकार की स्थितियों के प्रति सजग नहीं हो सकते और स्तर में आ रही गिरावट को समझ कर उसे दूर करने के लिये सही उपाय नहीं कर सकते, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा।

मुझे भारत की न्यायपालिका में बैठे हुए एक गैर-जिम्मेदार न्यायाधीश की एक टिप्पणी याद आती है, जिसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। उन्होंने इस सम्माननीय सदन की तुलना मछली बाजार से की थी। मैं उसका विरोध करता हूं। किन्तु साथ ही बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम भी गैर-जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करते हैं। इन सुझावों को स्वीकार कर हम संसद और पूरे भारत की विधान सभाओं के गिरते हुए स्तर को फिर से ऊपर उठा सकते हैं और भावी पीढ़ियों के लिए एक सीख दे सकते हैं।

जब हम अपने पिछले पचास वर्षों पर दृष्टिपात करते हैं तो जैसाकि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि हम अपने इस देश में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना कर सके हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। जब 1947 में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो उस समय इस सभा में बैठे सभी दलों की समान राय नहीं थी। सभी दल 1947 का जश्न नहीं मना सके थे। कुछ दलों का विचार था कि स्वतंत्रता नहीं मिली है। इसलिए तिरंगा फहराने के बजाय उन्होंने काले झंडे फहराने का आह्वान किया था। ऐसा हुआ था। मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं। किन्तु आज सभी दल समान रूप से यह अनुभव करते हैं कि भारत के इस स्वर्ण जयन्ती

समारोह के अवसर पर एक हो जाना चाहिए चाहे राजनैतिक दलों के बीच कोई भी वैचारिक मतभेद क्यों न हों। हममें कोई बात समान है जो किसी निश्चित आयोजना के बिना स्वत: ही सामने आ रही है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि अथवा अच्छी बात है जो मैं इन समारोहों की पृष्ठभूमि में देखता हूं।

जब हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे, तब भी मतभेद थे और दूसरे विश्व युद्ध के समय जब देश में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' चल रहा था, नेताओं को पकड़ा गया था, और इस देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा दमन चक्र चलाया जा रहा था, उस समय भी विचारों में मतभेद था। उन्होंने कहा कि जो लड़ाई चल रही थी, वह जनता की लड़ाई थी, इसलिए हमें ब्रिटेन के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहिए और हमें ब्रिटेन की सहायता करनी चाहिए। यह विचार भी इस देश में था। उस समय भी भारत में लोगों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता थी। मैं कुछ अप्रिय बातों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। किन्तु आज भारत राजनैतिक प्रयोगों की एक प्रयोगशाला है। यहां अनेक भूतपूर्व मंत्री भी बैठे हुए हैं। यहां पर बहुत ही वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी भी बैठे हुए हैं, जोकि इस सरकार में एक मंत्री हैं। इससे हमारे लोकतंत्र के लचीलेपन का पता चलता है। चाहे किसी दल ने इस देश पर 45 वर्षों तक राज किया हो अथवा किसी दल ने 13 दिन तक इस देश पर राज किया हो, हमारे यहां पर अनेक पूर्व मंत्री मौजूद हैं। वे भी इस सम्पूर्ण व्यवस्था के अंग हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सभी संकोच समाप्त हो रहे हैं और हम इस व्यवस्था के साथ समायोजन कर रहे हैं। इस तरह से हम सभी को अपना योगदान करके अपनी इस व्यवस्था में सुधार करना होगा। इस प्रकार की राजनैतिक समझ उत्पन्न हो रही है।

यहां पर कुछ सुझाव दिए गए थे। त्रिशंकु संसद, जहां किसी दल का बहुमत नहीं होता है, भारत में विद्यमान स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती है। महोदय जैसाकि आप भली भांति जानते हैं, संभवत: अगले चुनाव, जिसमें अधिक समय नहीं है, में भी त्रिशंकु संसद आ सकती है। इस प्रकार की स्थिति का क्या उपचार है? यह चर्चा का विषय है, संभवत: जिसके संबंध में हम सभी को इस समय विचार करना है। हमें परिपक्वता से काम लेना चाहिए। हमें समझबूझ होनी चाहिए। हम सभी राजनैतिक दलों को चाहे वे सत्ता पक्ष में अथवा विपक्ष में हों अथवा किसी भी दल के हों, इस देश की आर्थिक और अन्य नीतियों के बारे में किसी तरह की एक न्यूनतम सहमति होनी चाहिए। हमें अल्पमत सरकार को भी चलाने का प्रयास करना चाहिए। यह संसद इस देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारन्टी है। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था, ये अशिक्षित लोग हैं, ये लोकतंत्र नहीं चला सकते, इनके लिए वयस्क मताधिकार उपयुक्त नहीं है। किन्तु वास्तव में क्या हुआ है? अनेक देशों में लोकतंत्र चरमरा रहा है। यदि हम भारत की तुलना में विभिन्न पड़ोसी देशों को देखें, हम देखते हैं कि वहां पर सैनिक शासन हैं। पूर्व-शासकों को मारकर नये शासक सत्ता में आ रहे हैं। हम कई स्थानों पर इस प्रकार का रक्तपात और दमनपूर्ण शासन देखते हैं। हमारी सीमा से थोड़ी ही दूर पर म्यांमार अथवा अन्य अनेक देशों में आज भी लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारा देश गरीब लोगों का देश है किन्तु हम अपने लोकतंत्र को बनाये रख सकते हैं। भारत के निर्धन लोग विशेषरूप से उत्तर भारत के लोग जो पढ़-लिख भी नहीं सकते हैं वही लोग इस देश के लिए निर्णय लेते हैं, कि इस देश के लिए क्या अच्छा है। यही इस देश की महानता है। पश्चिमवासी किसी भी तरीके से भारत की आलोचना करें लेकिन चाहे हम निरक्षर ही क्यों न हों, हम समग्र विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर सकते हैं कि हम सक्षम हैं, किन्तु जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय के भाषण में कहा गया है कि निरक्षरता और राजनैतिक चेतना दो अलग-अलग बातें हैं। यह हम समग्र विश्व के समक्ष सिद्ध कर चुके हैं। निरक्षर होते हुए भी भारत के लोग यह सिद्ध कर सके हैं कि वे इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने और उसे चलाने में पूर्णतया सक्षम हैं।

यहां पर अनेक उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं किन्तु हमने भारत में अकाल की स्थिति पर काबू पाया है। मैं यह दावा उस दल, जिसने इस देश पर अनेक वर्षों तक शासन किया है, का एक अंग होने के कारण नहीं कर रहा हूं। मैं विनम्रता के साथ इस सभा के समक्ष निवेदन कर रहा हूं कि यदि हम इससे सीख नहीं ले पाते हैं तो हम अन्याय करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे वरिष्ठ सदस्य वर्ष 1942-43 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल के साक्षी हैं। उनको यह याद होगा, यहां तक की उसका स्मरण करने मात्र से ही कष्ट होता है। बंगाल के उस अकाल में बीस से तीस लाख लोग मारे गये। आज यहां उस तरह की स्थिति नहीं है। आज भी हम समाचार पत्रों में देखते हैं सोमालिया, मोजाम्बिक, अंगोला तथा इथियोपिया और विश्व के अन्य बहुत से देशों में लोग भुखमरी से मर रहे हैं या अकाल की स्थिति विद्यमान है परन्तु हम ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं। बहुत पहले नहीं बल्कि अभी कुछ समय पूर्व भी, चीन में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें चीन में करीब 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई परन्तु वे भी उससे उबर सके। ऐसी ही स्थिति वहां भी थी जहां कि हम हाथ में कटोरा लेकर बड़े देशों से अपने खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। हमें पी.एल.-480 और विभिन्न अन्य शर्तें याद हैं। हम उनकी शर्तों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तथा विभिन्न देशों से अन्न प्राप्त करते थे। इस प्रकार की स्थिति बहुत सी जगह रही। परन्तु हम उस स्थिति से उबरने में समर्थ रहे हैं।

मैं अपनी उपलब्धियों अथवा अन्य बातों के विस्तारों में नहीं जा रहा हूं। मुझे केवल एक बात कहनी है, जोकि इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में है।

परन्तु, महोदय, इसके बाद हमारी उपलब्धियां जो भी हैं हम उन लक्ष्यों के साथ न्याय नहीं कर सके हैं। महोदय, वर्ष 1991 में एक अवसर आया था, इसी सभा में वाद-विवाद हुआ था, और मतभेद भी थे, मुझे याद है कि वर्ष 1991 में जब श्री पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री थे और भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश का शुभारंभ हुआ था, जब उदारीकरण की नयी आर्थिक नीति आई थी उसकी काफी आलोचना हुई। उस समय भी उस मुद्दे पर मैंने सभी दलों से अपील की थी। हमारे विचार भिन्न होते हुए भी आर्थिक सुधारों पर हमारी किसी न किसी तरह की सहमति होनी चाहिए। आज, भारत में उन्हीं आर्थिक सुधारों को अपनाया गया है। परन्तु हमारे समाज पर इन आर्थिक सुधारों का क्या असर हुआ है? हमें ईमानदारी से उसका आकलन करना चाहिए। यही एक मात्र बात है, जिसे मैं अन्त में कह रहा हूं।

महोदय, मुझे इस मुद्दे को संक्षेप में स्पष्ट करने के लिए कुछ और मिनट का समय दिया जाए। वर्ष 1991 में जब हमने इसकी शुरुआत की तब हमने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना अनिवार्य है। हमने सोचा था कि संभवतया यही एकमात्र समाधान है। आज भी मेरा विश्वास है कि हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और उदार बनाना होगा। हमें विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना होगा लेकिन सरकार की नीति क्या होनी चाहिए? उद्योग भवन में लाईसेंस राज विद्यमान था। विनिकरण से वास्तव में लाभ हुआ है। मुझे विश्वास है कि आज हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है कि उद्योग भवन लाईसेंस राज का केन्द्र नहीं है। लाईसेंस राज समाप्त हो गया है। यह अच्छा है। परन्तु इस तरह की स्थिति में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? मैं बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का वाक्य उद्धृत करता हूं।

> "हस्तक्षेप भिन्न होना चाहिए, न कि कम। राज्य को उत्पादक क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में होना चाहिए। हम सभी कृषि, उद्योग, बैंकिंग में समाजवाद के प्रति अनजाने में झूठा प्यार दिखाते हुए यहां पहुंचे हैं। यह भीड़ लगाने की बात नहीं है। यदि राज्य उत्पादक क्षेत्रों में अपने सभी संसाधन और ऊर्जा का उपयोग करता है तब गैर सरकारी क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में निवेश नहीं करेगा क्योंकि वे अधिक लाभप्रद नहीं हैं, वे दीर्घकालिक हैं और निजी क्षेत्र वहां नहीं आएंगे।"

भारत में, आज हम देखते हैं कि विदेशी निवेश आमंत्रित करने के बाद, हमारा अनुभव यह रहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने में शायद ही कोई विदेशी निवेश किया गया हो। हमारे पत्तनों के विकास के लिए बहुत ही कम धनराशि विदेशों से आई। इस प्रकार की स्थिति से पता चलता है कि विकास को नजर अन्दाज करना इस देश के लिए जोखिम वाला काम है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र का विकास करना सरकार का दायित्व है। इसलिए सभी दलों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिये और यदि आपसी सहमति हो तो मैं समझता हूं हमारी व्यवस्था में जो भी उतार-चढ़ाव आयेंगे, संभवत: उससे देश को नुकसान नहीं होगा। हमें इस तरह की स्थिति विकसित करनी चाहिए।

इसलिए जो आर्थिक नीति वर्ष 1991 से चल रही है सभी दलों को उस पर सहमत होना चाहिए। सभी दलों की बराबर की सहमति नहीं हो सकती। लेकिन, किसी बात पर एक आम सहमति हो सकती है। हमने कोका-कोला के विरुद्ध अनेक आन्दोलन देखे हैं। हमने बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध भी अनेक आन्दोलन देखे हैं। लेकिन हमारे निर्धन लोगों को कौन से सामाजिक अवसर दिए जाने हैं? इस देश में किस प्रकार का सामाजिक विकास अथवा मानव संसाधन संबंधी विकास किया जाना चाहिए। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या है? ऐसी चीजों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस प्रश्न पर व्यापक सहमति ही भविष्य की गारन्टी है। यह नीति नहीं होनी चाहिए कि व्यर्थ की बातों के साथ-साथ मुख्य मुद्दे को भी छोड़ दिया जाये। जब कभी आर्थिक नीतियों पर चर्चा की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि वे इससे सहमत नहीं हैं शायद, इस प्रकार का दृष्टिकोण, हमारी मदद नहीं करेगा। भारत के लिए क्या अच्छा है? विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किस प्रकार के उदारीकरण, किस प्रकार के एकीकरण की आवश्यकता है? सरकार को अपना ध्यान किस पर देना चाहिए? हमारे सरकारी निवेश तथा दुर्लभ संसाधनों का निवेश कहां किया जाना चाहिए? यदि इस प्रकार के मुद्दों पर व्यापक सहमति हो जाती है तो यह अच्छा होगा। यह देश प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने, संसदीय प्रणाली को मजबूत और साफ-सुथरी बनाने, संसदीय संस्थाओं के उच्च स्तर को बनाये रखने तथा इस सबके साथ-साथ भविष्य में आर्थिक नीति के संबंध में एक सहमति बनाने का कार्य करने जा रहा है।

इस सभा के राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों के समग्र स्थिति के प्रति इसी प्रकार की राजनीतिक समझ की अपेक्षा की जाती है। भारत के लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। हमें सभी तरह के भेदभाव और अन्य बातों से ऊपर उठना चाहिए और देश के लोगों को यह दिखाना चाहिए कि हम भारत को बेहतर बना सकते हैं और देश के लोगों को बेहतर प्रशासन दे सकते हैं। हमें इस वायदे के बारे में सत्य निष्ठापूर्वक करना चाहिए तथा इसे पूर्णतया कार्यान्वित करना चाहिए।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।



श्री राम टहल चौधरी

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव पर चर्चा की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय ने दी और उस पर चर्चा हो रही है और इन चार दिनों में जो चर्चा हो रही है, सही मायनों में लगता है कि लोग काफी गम्भीर हैं और कुछ करना चाहते हैं और इन 50 वर्षों में क्या किया, क्या नहीं किया, उस पर काफी गम्भीर चिंता लोगों ने व्यक्त की है। इसमें खासकर इन चार मुद्दों पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं जिसमें कृषि, शिक्षा, भ्रष्टाचार विज्ञान और तकनीकी, परिवार कल्याण, चुनाव सुधार और न्यायालय आदि पर भी चर्चा हुई है।

सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा तीन-चार दिनों में हम लोगों का आचरण लोगों ने टी.वी. में देखा होगा, अगर इसी तरह का आचरण बरकरार रहे और अपनी जगह से अपनी बातों को हम कहें और देखें तो सुधार के मामले में हमारी यह पहली सफलता कही जा सकती है; ऐसा हम समझते हैं। नहीं तो जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा और लोग भी कहते हैं कि आप लोग वहां बिल्कुल मछली बाजार की तरह से अपनी बात को कहते हैं या आचरण करते हैं। इसलिए स्थिति आज ऐसी हो गई है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, खासकर हम अपनी बात कहते हैं कि कोई हमसे पूछता है कि आप क्या करते हैं तो हमें

सांसद कहलाने में भी शर्म आती है। जो स्थिति हम लोगों की बनी हुई है, इस बात को सभी लोग महसूस करते हैं और इसी को साफ करने के लिए यह गहन चिंतन यहां पर हो रहा है कि हम कैसे अपनी छवि बनायें।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि भ्रष्टाचार सुरसा की तरह से मुंह बाये हुए आगे बढ़ रहा है और अगर हम इसको रोक नहीं पायेंगे तो हम समझते हैं कि विकास आदि के बारे में जो चिंता हम कर रहे हैं वह बिल्कुल व्यर्थ है। कई लोगों ने बार-बार हाई कोर्ट की चर्चा की। मान लीजिए चाहे कार्यपालिका हो, चाहे सरकार हो, चाहे राजनेता लोग हों, ये अगर अपने काम को सही ढंग से करते तो हम समझते हैं कि न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। आज तो स्थिति ऐसी है कि नाली भी बनानी हो तो न्यायपालिका आदेश देती है तब नाली बनती है। सड़क बनानी हो तो न्यायालय आदेश देगा तब सड़क बनेगी। तो लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और न ही कोई तंत्र है जो कि गरीबों की समस्या को देखकर उनकी मांगों को पूरा करना चाहता है और न ही कोई देखने वाला है। इसलिए सब कहते हैं कि सब काम न्यायपालिका द्वारा हो रहा है। इसलिए हम अपने कामों को देखें या जो काम हमें करने हैं, जो सरकार को करने हैं, जो राजनेताओं को करने हैं, कार्यपालिका को करने हैं, अगर ये अपने काम करें तो न्यायपालिका में किसी को जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। हर छोटी-छोटी बात के लिए आज लोग न्यायपालिका में जाते हैं, वहां से कोई आदेश होता है तो कोई काम होता है। आज हमारा ऐसा चरित्र है और सरकार का यह हाल है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि उच्च पदों पर बैठे हुए लोग चाहे वे मंत्री हों, प्रधान मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो, अगर उनके मुंह से कोई बात निकलती है और वह काम नहीं होता है, वह गलत होता है तो उसका पूरे समाज पर बुरा असर पड़ता है और लोग यही कहते हैं कि जब बड़े लोग झूठ बोलते हैं और लोगों को ठगते हैं तो अगर हमने थोड़ा सा झूठ बोला तो गलती कर दी तो कौन सा पाप किया। इस तरह से ऊपर से जो भ्रष्टाचार चला है वह नीचे तक आ गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। कई राज्यों ने सत्ता पाने के लिए चुनाव जीतने के लिए घोषणा की, असेम्बली में और जगहों पर भी यह घोषणा की जो गरीबों और किसानों का दस हजार रुपये तक ऋण है, वह हम माफ करेंगे। यह घोषणा करके उन्होंने वोट प्राप्त किये और गद्दी पर बैठे और नतीजा यह है कि आज उन गरीबों की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है। कभी-कभी हमें शर्म लगती है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने एक हजार रुपये कर्ज लिया था, वह बढ़कर 20-25 हजार रुपये हो गया है और हमारे यहां तो कितने लोग जेलों में बंद हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

वह कहां से देगा? यदि ऐसी ही स्थिति रही, हम खुद शराब पीएं और दूसरों को उपदेश दें कि शराब मत पीओ, हम खुद घूस लें और दूसरों से कहें कि घूस मत लो, खुद झूठ बोलें और दूसरों से कहें कि झूठ मत बोलो - इसका असर क्या होगा? आज तक यही सब होता रहा है और मैं चाहता हूं कि अब इस पर हमें ध्यान देना होगा तभी हम समाज और देश के लिए सच्चे मानों में कुछ कर सकते हैं।

यहां कृषि की बातें बहुत होती हैं, हम बराबर सुनते हैं। सभी तरफ से कृषि के मामले में आंसू बहाए जाते हैं, यहां तक कि सरकार में बैठे लोग भी आंसू बहाते हैं। कभी हमें शक होता है कि जब सरकार में बैठे लोग ऐसी बातें करते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं तो कुछ होगा लेकिन कृषि को सुधारने के लिए कदम कौन उठाएगा? कृषकों को पहले जो सुविधाएं मिलती थीं, अब उन सबको बंद कर दिया गया है। पहले किसानों को खाद, बीज वगैरह में सबसिडी मिलती थी, वह भी बंद हो गई है। खेतों में काम आने वाली दवाएं सस्ती दर पर मिलती थीं, वे भी बंद हो गई—इस तरह सब कुछ बंद करके आप क्या करना चाहते हैं। इन सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, किसानों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए थी लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए। आज किसान अपने खेत से जो कुछ पैदा करता है, आवागमन के साधन न होने के कारण, सड़कें स्कूल न होने के कारण, उसे नुकसान उठाना पड़ता है। मैं अपने क्षेत्र की बात जानता हूं, दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा होगा जहां 6 महीने बरसात में लोग टापू में रहते हैं, बहुत मामूली खर्च करके चलते हैं। कहीं पुल-पुलियां नहीं हैं, उनके लिए पैसा नहीं है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए नाजायज तरीके से खर्च हो रहे हैं, बंदरबांट हो रही है। किसानों और गरीबों की बातें तो की जाती हैं लेकिन उनके हित में नहीं सोचा जाता। लोग किस हालत में अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह वनांचल या झारखंड कहलाता है जहां न बाढ़ आती है, न आग लगती है। हम लोग बराबर कहते आए हैं कि मेरे जैसे क्षेत्र में एक बार यदि आप कुछ निर्माण करते हैं, पुल-पुलिया बनाते हैं, रोड़ बनाते हैं तो वह हमेशा के लिए काम आएगी। आवागमन के साधनों के अभाव में किसान अपनी पैदावार को बाजार तक नहीं ले जा सकता जिसके कारण पांच रुपए का सामान उसे दो आने, चार आने में बेचने को मजबूर होना पड़ता है, यदि नहीं बिकता तो वह उसे फेंक देता है। वही हाल सिंचाई सुविधाओं का है। हमारे यहां सिंचाई सुविधा इस समय बिल्कुल ठप्प हैं, चाहे लिफ्ट इरीगेशन हो या दूसरी व्यवस्था हो जबकि उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर उसे ठीक नहीं किया जाता जिससे सभी योजनायें बेकार पड़ी हैं। यदि सिंचाई की सुविधा आप दे देते हैं, आवागमन की सुविधा दे देते हैं, रोड़ और बिजली की व्यवस्था करा देते हैं तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी क्योंकि लोगों को काम मिल जाएगा मगर इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता।

जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, इसकी चर्चा बार-बार होती है और स्वयं सभापति जी ने कहा है कि हमारे यहां स्कूल बिल्डिंग नहीं है, स्कूल बिल्डिंग है तो वहां टीचर नहीं है, यदि टीचर भी हैं तो वे स्कूलों में जाते नहीं—इसे देखने वाला कोई नहीं है, किसी को कोई डर या भय नहीं है। बिना डर और भय के शासन नहीं चल सकता।

आज क्या हो रहा है कि बनिये की दुकान की तरह हर चीज बिकती है, मैंने स्वयं देखा है। एक लिस्ट बनी हुई है कि अगर अमुक जगह जाओगे तो इतना देना पड़ेगा, किसी पद पर ट्रांसफर चाहते हो तो इतना देना पड़ेगा। जब तक इसे बंद नहीं किया जाएगा, तब तक हम राजनेता कहलाने वाले लोग पदाधिकारियों से चंदा मांगना बंद नहीं करेंगे, अगर जुलूस निकले तो पदाधिकारियों से सहयोग मांगेगे और कहेंगे कि पैसा इकट्ठा करके लाओ, गाड़ी का इन्तजाम करो, खाने का इंतजाम करो, ऐसा होता रहेगा फिर आप लाख यहां सोचते रहिए, किसी भी काम में सुधार नहीं होगा।

आज भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। गरीब लुटते रहे हैं और लुटते रहेंगे। शिक्षा की बात भी हमने कही।

जहां तक परिवार नियोजन का प्रश्न है, जब तक सही मानों में हम सब लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे, वैसे हम सब एकमत हैं कि

परिवार छोटा होना चाहिए, आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, फिर कोई ऐसा रास्ता निकालिए, लोगों को कुछ भय दिखाइए कि अगर वे छोटा परिवार नहीं रखेंगे, परिवार कल्याण नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें पैनल्टी देनी होगी। आप उन पर रोक लगाने के उपाय कीजिए। उन्हें डर दिखाइए कि नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जब तक ऐसा नहीं होगा, आप कितने भी ढोल बजाते रहिए, अखबार और टी.वी. पर प्रचार करिए, उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे गम्भीरता से लेते हुए, बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए जब तक कुछ कारगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, हमने अपने ही क्षेत्र में देखा है और लोगों को अपने-अपने क्षेत्र का भी अनुभव होगा कि चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है। चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है। यह पैसा कहां से आता है। यह पैसा गरीबों का ही होता है, जो नाना प्रकार के भ्रष्टाचार करके उनसे सरकारी पदाधिकारियों और नेताओं द्वारा लूटा होता है। यह वही धन है, जो चुनाव में खर्च होता है। इस धन का प्रयोग करके गरीबों का वोट भी ले लिया जाता है और चुनाव लड़ लिया जाता है।

सभापति महोदय, चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के बारे में कुछ घोषणाएं की हैं वे अच्छी हैं। उनसे कुछ सुधार तो होगा, लेकिन मेरा आग्रह है कि हम लोग व्यापक चुनाव सुधार के नियम बनाकर देश से चुनावों में होने वाले भ्रष्टाचार को दूर करें। जब चुनावों में भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो फिर इस पर अपने आप अंकुश लग जाएगा। जब हम बबूल का पेड़ लगाएंगे और उससे आम जैसे मीठे फल की आशा करेंगे, तो यह कैसे संभव होगा। जब चुनावों में भ्रष्टाचार करके जीतेंगे, तो फिर भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले चुनाव सुधार होने चाहिए।

सभापति महोदय, चुनाव सुधार में मेरा एक आग्रह तो यह है कि चुनावों में सुधार के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि सब लोग अपने-अपने पैंफलेट बांट दें और एक मंच बनाया जाए जिस पर चुनाव लड़ने वाले सभी लोग अपनी-अपनी बात कह दें और जनता उनमें से अपना चुनाव करें। किसी को न साइकिल देने की जरूरत है और न जीप देने की जरूरत है। जब तक चुनाव से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, तब तक देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं तो बहुत अनुशासित आदमी हूं और बहुत ही कम बोलता हूं, लेकिन चूंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिए आपकी घंटी की मर्यादा का पालन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मेरा काम घंटी बजाने का है। आपका काम बोलने का है।

श्री राम टहल चौधरी : सभापति महोदय, हम समझते हैं और अनुशासित हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर आज जो इस विशेष सत्र में बहस हो रही है इसमें बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं जिनको सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। इनसे देश की जनता भी प्रसन्न होगी, लेकिन बोलने के साथ-साथ इनके ऊपर अमल भी होना चाहिए। तभी हम इस बहस को सार्थक कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं अंत में इस बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिन बातों के ऊपर सदन में चर्चा हुई है इनको आगे के 50 सालों में अमल करने की बात न करके इनके ऊपर कल से ही अमल करने की पहल आरंभ कर देना चाहिए। चाहे फिर वह कोई सरकारी विभाग हो या राजनीतिक कार्यालय। जब तक देश में इन पर अमल नहीं होगा, तब तक देश सुधर नहीं सकता है। इस पर अमल करने से देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।



श्री ए. सम्पत

[अनुवाद]

***श्री ए. सम्पत** (चिरायिंकिल): महोदय, मैं पंक्ति में था, परन्तु मेरे वरिष्ठ साथियों ने मुझे इंतजार करने के लिए कहा।

सभापति महोदय : महोदय, मैं समझता हूं आप मलयालम में बोलेंगे।

श्री ए. सम्पत : जी हां, महोदय, न तो अंग्रेजी मेरी पितृ भाषा है और न ही हिन्दी मेरी मातृभाषा है। इसलिए महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपनी सुमधुर मलयालम में बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं उस पीढ़ी का हूं जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई है। मेरी पीढ़ी के लोगों का हमारे देश की आज़ादी के लिए रक्त बहाने तथा प्राणों की आहुति देने वाले उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं तथा उन भाग्यशाली माताओं से कोई ताल्लुक नहीं रहा जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। शायद, इस सदन में अधिकांश ऐसे ही लोग हैं। परन्तु हम ऐसी ही महान कथाओं को सुनकर बड़े हुए हैं जिनके कारण हमें गर्व होता है कि हमने विश्व के ऐसे महान देश में जन्म लिया।

महोदय, मैं इस देश के दक्षिणी भाग, केरल से हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन एक सदस्य की हैसियत से इस माननीय सदन में प्रवेश करूंगा और मलयालय में इस प्रकार भाषण दूंगा। महोदय, स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो एक तरफ हमें उन महान व्यक्तियों के गर्व, आशाओं व आकांक्षाओं का पता चलता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि उनमें से कुछ आशाएं आशंका में परिवर्तित होती जा रही हैं और हमारा नेतृत्व भी उसके समक्ष असहाय हो जाता है। महोदय, मैं युवाओं और उनकी समस्याओं - विशेषकर सबसे विकट समस्या बेरोजगारी तथा संस्कृति के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों के हो रहे ह्रास पर स्वयं को समय-सीमा में रखते हुए कुछ शब्द कहना

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चाहूंगा। मैं इस सभा का ध्यान हमारी राज्य व्यवस्था में आ रही बुराइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, हमारे संविधान में, जो कि 1950 में लागू हुआ था, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूरी तरह नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। परन्तु, इतने वर्षों के पश्चात् भी जबकि हमारे देश को प्रभुता सम्पन्न गणतंत्र बने लगभग आधी शताब्दी हो चुकी है इस बात से हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या आजादी के समय की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। महोदय, वैसे भी जब कभी कुछेक विक्षोभकारी आंकड़ों संबंधी उन प्रश्नों का एकमात्र उत्तर भारत में मिलेगा क्योंकि यह पूछे जाने पर कि किस देश में अशिक्षितों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत का नाम लिया जायेगा और किस देश में बेरोज़गारी सबसे अधिक है तो यह भी भारत का ही नाम आएगा, ऐसे ही महोदय दहेज संबंधी हिंसा में मरने वाली औरतों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? इसका उत्तर भी हमारा भारत है। किस देश में कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है? वह भी हमारा भारत हैं, किस देश में सबसे अधिक संख्या में बच्चे अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए अमानवीय तथा खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं? इसका उत्तर भी हमारा भारत है। महोदय, क्या हम इन समस्याओं को नहीं सुलझा पायेंगे। यह सही है कि पिछले 50 वर्षों में हमने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं इससे सहमत हूं। हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमने लोहा तथा इस्पात के उत्पादन में विशेष उपलब्धि हासिल की है। हमने कुछ बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने में सफलता पायी है। मैं इन तथ्यों को नकार नहीं सकता। परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी उपलब्धियों के बावजूद हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। महोदय, हमें यह बात याद रखनी चाहिए। मुझे तथा इस देश के नेताओं को भी यह सब याद रखना चाहिए। मुझे इस देश के नेताओं को समकालीन मलयालम कवि, कदम्मानित्ता की कविता की प्रसिद्ध एक पंक्ति के माध्यम से एक संदेश देना है:

''यू शुड रेमेम्बर हाऊ डू यू बिकेम यू''

''कुरथी'' नामक शीर्षक कविता का नायक पूछता है:

''डिडंट यू बर्न एंड ईट
माई ब्लैक चिल्ड्रन
डिडंट यू प्लक आऊट देयर
फुल आईज़''

मैं ये सभी प्रश्न इस देश के नेताओं से पूछ रहा हूं। महोदय, मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया। लेकिन हमारी व्यवस्था में आज जो नौतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसे मैं एक लोक प्रतिनिधि होते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं उस राज्य से आया हूं जहां महाकवि वल्लाथल रहते थे, जिन्होंने हमें यह बताया है:

''हीयरिंग द नेम आफ इंडिया
युअर हार्ट शुड स्वैल विद प्राईड
हीयरिंग द नेम आफ केरल
ब्लड शुड बोयल इन युअर वेन्स''।

मैं देश के उस भाग से आया हूं जहां श्री नारायण गुरू रहते थे, जिन्होंने यह उपदेश दिया :—

''मानव की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर'' परन्तु हम आज इस देश में क्या देख रहे हैं? चारों तरफ हिंसा की राजनीति, अपने आधिपत्य की राजनीति, दमन की राजनीति व्याप्त है। क्या यह हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है? क्या हमारी व्यवस्था दोषपूर्ण नहीं है? यहां तक कि हमारा राष्ट्रगान भी ''अनेकता में एकता'' के आदर्श को प्रस्तुत करता है। परन्तु वास्तव में हम क्या देखते हैं? क्या हम पर भाषा तथा संस्कृति थोपने के भरसक प्रयास नहीं किए जाते हैं? क्या हम सांस्कृतिक अधिनायकवाद का शिकार नहीं हैं? हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि जब हमारे पड़ौसी देशों में प्रजातंत्र सैनिक शासन द्वारा रौंदा गया, उस समय हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने सभी संकटों से उबर कर सभी चुनौतियों का सामना किया। अनेक कठिनाईयों के बावजूद प्रजातंत्र का बना रहना अपने-आप में एक महान उपलब्धि है। हमारा लोकतंत्र इतिहास के कुछ अत्यंत अंधकारमय दौर को भी पार कर आज अपना अस्तित्व बनाये हुए है। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हमारे लोकतंत्र को कभी कोई गंभीर समस्याओं और चुनौतियों का सामना ही नहीं करना पड़ा। 1975 में घोषित आंतरिक आपातकाल हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। 1992 में जब पवित्र मस्जिद को धर्म के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया था तब हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा था। हमें यह सब भूलना नहीं चाहिए। मैं विनम्रता से एक बात पूछना चाहूंगा। क्या स्वतंत्रता के बाद कभी महात्मा गांधी ने एक बार भी संसद के इस केन्द्रीय कक्ष में कदम रखा था? हमारे नेता तथा सांसद महात्मा गांधी के नाम की कसमें खाने से कभी नहीं चूकते। संसद भवन में प्रवेश करते हुए हम महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष श्रद्धा से झुक जाते हैं, जिनका सिर स्वयं दु:ख से झुका हुआ है। यही नहीं, संसद भवन से निकलते हुए भी हम उस महान मानव को नमन करते हैं।

हमारा देश ऐसा देश है जहां निर्दयता से राष्ट्रपिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस महात्मा को, जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता प्राप्त की थी स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद भी जीवित नहीं रहने दिया गया। हम इस नृशंस कार्य के लिए अपने आपको कभी माफ नहीं कर सकते। गत 50 वर्षों में अपने धर्म निरपेक्षवाद को मिलने वाली धमकियों का सामना करते हुए तथा हमारे प्रजातंत्र के मूलभूत मूल्यों के लिए अन्य चुनौतियों का सामना करते हुए क्या हम इस देश के युवाओं की समस्याओं का सही तरीके से समाधान कर पाए हैं? हमारी आधी जनसंख्या युवाओं तथा बच्चों की है। जब भी हमारी समस्याओं का समाधान करने का प्रश्न उठाया जाता है तो जवाब में हमेशा की तरह हमारी राष्ट्रीय विकास के आंकड़े दिए जाते हैं। मुझे एक सरल सा प्रश्न पूछना है। क्या वृद्धि विकास बराबर है? जी, नहीं, क्या वृद्धि, समृद्धि के समान है? जी नहीं। विकास और प्रगति के अमूर्त और मूर्त दो पक्ष हैं। वे मूर्त और अमूर्त परिसम्पत्तियों से मिलकर बने होते हैं। महोदय, आओ हम विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के निवेश के अनुपात को देखें। मैं इस सदन में कई माननीय सदस्यों द्वारा पहले कही गई कई बातों को दोहराना नहीं चाहता। परन्तु महोदय, आप विचार करें कि

केरल को प्राप्त होने वाला केन्द्रीय सरकार का निवेश या सहायता महाराष्ट्र या गुजरात को दी गई राशि के लगभग बराबर है या नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं कि क्या यह हरियाणा या पंजाब को दिए गए शेयर के बराबर है? क्या मेघालय को कुछ मिला था? या मिजोरम को कुछ दिया गया था? बहुत से राज्यों को इस पूरी अवधि के दौरान नजरअंदाज किया गया है। महोदय, यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी विदेशी मुद्रा का काफी बड़ा भाग मेरे राज्य के उन 10 लाख से अधिक लोगों का योगदान है जो विदेशों में मेहनत करते हैं। इनमें अधिकांशत: केरल के लोग हैं जो हमारे देश में धन भेजते हैं। परन्तु महोदय, केरल में बैंकों में ऋण जमा का अनुपात क्या है? यह राष्ट्रीय औसत से भी 12 प्रतिशत कम है। यह 30 प्रतिशत जितना कम है। बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसा नहीं है। परन्तु जिन बैंकों के पास ऋण देने के लिए धन की कमी होती है उन्हें घोटालों के लिए धन देने में किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ता। यहां तक कि भविष्य निधि और पेंशन निधि जोकि गरीब लोगों की है, जिसे उन्होंने अपनी पसीने की कमाई से थोड़ा सा बचाया है उस धन को शेयर बाजार में लगाया जाता है ताकि आर्थिक अपराधी घोटाले कर सकें। पिछले सत्र में माननीय वित्त मंत्री ने मेरे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया था। मेरा प्रश्न यह था कि 1990 में उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद से गत छह वर्षों में बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामले हुए हैं। बड़े घोटालों को छोड़कर हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में फंसी हुई काफी बड़ी रकम अर्थात् 2500 करोड़ रुपया है। उन्हीं बैंकों के पास उन गरीब बेरोजगार युवकों के लिए निधियां नहीं होतीं जो स्वरोजगार के लिए उनके पास कर्ज लेने जाते हैं। इस तरह, इस देश के गरीब कामगारों की खून-पसीने की कमाई से की गई बचत को आर्थिक अपराधियों द्वारा लूटा जा रहा है जिन्हें व्यंग से घोटालेबाज कहा जाता है। महोदय, क्या यह हमारे प्रजातंत्र पर एक धब्बा नहीं है।

जब इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं तो मैं इस सदन में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे देश में रोजगार की वृद्धि दर केवल 1.8 प्रतिशत है जबकि बेरोजगारों की वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत है। यह बड़ा अंतर यह बताता है कि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ रही है। विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत काम पाने के इच्छुक लोगों की कुल संख्या 4 करोड़ से अधिक हो गई है। इस अनुमान में, जिन क्षेत्रों में रोजगार कार्यालय नहीं हैं और जिन लोगों ने रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया, उनको शामिल नहीं किया गया है। काम के इच्छुक इन 4 करोड़ लोगों में से कम से कम 2 करोड़ लोग शिक्षित तथा सुयोग्य हैं। उनमें अधिकांश स्नातक हैं। ये आंकड़े हमारे देश में मानव संसाधनों के कम उपयोग को दर्शाते हैं। परन्तु फिर भी हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तथा लम्बे भाषण देने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं।

हम अपने देश में ही विद्यमान कुछ कानूनों का उदाहरण लें। हमारे कुछ कानून हमारे देश की महिलाओं के साथ न्याय नहीं करते। हमारे देश के कुछ भागों में ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को पुश्तैनी सम्पत्ति में उनका अधिकार नहीं देते। कई राज्यों के नियमों के अनुसार बेटी को अपनी पैतृक सम्पत्ति में से कोई हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश की यह प्रथा और परम्परा रही है कि महिलाओं को देवी माना जाता है और उनकी मां और देवी के रूप में पूजा की जाती है। परन्तु महिलाओं को घरों में गुलाम बनाकर रखने का कटु सत्य इस परम्परा के बिल्कुल विपरीत है। अर्थशास्त्र में एक कहावत है।

> ''जब हाउस वाइफ पत्नी बन जाती है तो सकल राष्ट्रीय आय कम हो जाती है।''

महिलाओं के दुख से संबंधित कुछ ज्वलंत मुद्दों के संबंध में हमें पूरी गंभीरता से विचार करना होगा। हमारी महिलाएं, विशेषकर उत्तर भारत के गांवों की महिलाएं, अभी भी अनपढ़ हैं। उनके बच्चों का स्वास्थ्य और उनके लिए पोषक भोजन अन्य गंभीर मामला है। ये सभी मामले बहुत गंभीर हैं। हमारा देश इन समस्याओं की कब तक अनदेखी करता रहेगा? यही सही समय है जब हमें महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने, उन्हें राजनैतिक रूप से सक्षम बनाने और उन्हें इस देश के प्रशासन में अपना जायज हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित तथा सक्षम बनाने के पूरे प्रयास करने चाहिए। इस संसद को इस ऐतिहासिक जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। महिलाओं को राजनैतिक रूप से शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए तथा उन्हें प्रशासनिक प्रक्रिया में समान भागीदारी दी जानी चाहिए। महिलाओं को राजनीति में लाने में क्या बुराई है? महिलाओं के साथ सत्ता बांटने में क्या बुराई है? महोदय, इस संबंध में, मुझे कुछ ऐसा कहना है जो केरल से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। हमारे राज्य में देश में पहली बार जिला परिषद् अधिनियम लागू किया गया था। देश में पहली बार केरल में महिलाओं को शासन में उनका उचित हिस्सा दिया गया था तथा महिलाएं जिला परिषद की सभापति बनी। मैं देश के उसी भाग से हूं। महोदय नियमों को बदलना होगा। कई दशक पूर्व कुमारान असान, एक सुप्रसिद्ध मलयालम् कवि ने एक गीत गाया था। महोदय, मुझे उन शब्दों को दोहराने की अनुमति प्रदान करें जो कुमारान असान ने इस खराब प्रणाली के लिए गाए थे:

> ''थ्रो अवे दोज रूल्स
> लेस्ट अलोंग विद दोज रूल्स
> शुड बी थ्रोन अवे''

महोदय, हम स्वतंत्रता संग्राम से क्या अर्थ लगाते हैं। क्या यह आंदोलन एकायामी पद्धति वाला था? जी नहीं। एक झरने में बहने वाली एक धारा की तरह था तथा विभिन्न झरनों के एक नदी में बहने की तरह था तथा विभिन्न नदियों के उस बड़े महासागर में मिलने की तरह था। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इस बड़े महासागर की तरह था। महोदय, हमारे देश तथा विदेशों में विभिन्न स्थानों, विभिन्न गांवों नगरों तथा शहरों में विभिन्न आदर्श, विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न दर्शन, विभिन्न संघर्ष तथा विभिन्न आंदोलन थे। हिंसक और अहिंसक विभिन्न उपायों तथा रणनीतियों को अपनाते हुए एक बड़े महान लक्ष्य के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, हमारी मातृभूमि को उपनिवेशवाद

के चंगुल से छुड़ाने के लिए लोग विभिन्न झंडों के नीचे इकट्ठे हुए थे। ऐसा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। यह एक बहुआयामी आंदोलन था जिसने विभिन्न विचारधाराओं तथा विभिन्न तरीके अपनाने वाले लोगों को इकट्ठा किया था। केरल में पुनापरा-व्यालार संग्राम और कई ऐसे संग्राम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भाग थे। स्वतंत्रता संग्राम एक जैसा या एकायामी नहीं था बल्कि विविधीकृत तथा बहु-आयामी था। स्वतंत्रता संग्राम पर किसी पार्टी या क्षेत्र का एकाधिकार नहीं था, यह लोगों के समूह विशेष का ही मामला नहीं था। यह किसी खास विचारधारा या सिद्धांत का राजनैतिक घोषणा पत्र नहीं था। इसने कभी कोई विशेष तरीका या पद्धति नहीं अपनाई थी। यह कहना कि स्वतंत्रता आंदोलन पर किसी विशेष विचारधारा या लोगों के विशेष समूह का अधिकार था, भारत के इतिहास का अपमान होगा। महोदय, मैं इस माननीय सदन से यह कहना चाहता हूं कि जब हम उन महान योद्धाओं को याद करते हैं जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया था तो हमें उनकी इच्छाओं और भावनाओं, उनके आदर्शों तथा उनके सपनों को पूरा करना चाहिए। हमें उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने, उनके सपने बांटने तथा उनके आदर्शों से वचनबद्ध रहने की कोशिश करनी चाहिए नहीं तो भावी पीढ़ी हमें यह कहेगी कि हमने देश को धोखा दिया है। हमें भावी पीढ़ी यह न कहे कि हम एक ऐसी पीढ़ी रहे हैं जो इतिहास के साथ न्याय नहीं कर सके और अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह थे। इस महान देश को बचाना होगा। महोदय, हमें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमें यकीन है कि यह देश अगले पचास वर्षों तक बचा रहेगा। यदि हमारे देश की प्रगति की यही दिशा रही तो क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष भी मनाएगा? जो लोग गिद्ध और भेड़ियों की भांति देश का शिकार करने की प्रतीक्षा में हैं उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारी संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। क्या हम अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ दूरदर्शन पर अश्लीलतापूर्ण दृश्यों को देख सकते हैं? केबल टी.वी. किस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है? कितने ऐसे कार्यक्रम हैं जिसे परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर देख सकते हैं? ये सब अहितकर वस्तुएं हैं और मनोरंजन के नाम पर हमारी सांस्कृतिक पहचान के विनाश का अभियान चला रही हैं। हमारे पास तन ढ़कने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है। महोदय, हमारे पास तन ढकने के लिए तो कपड़ा नहीं है और महिलाओं को सौंदर्य प्रतियोगिता के नाम पर नंगा किया जा रहा है। क्या इससे भी ज्यादा शर्मनाक कोई बात होगी? जब हमारे पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है तो वाशिंग मशीन के उत्पादन को बढ़ाने जैसी बड़ी-बड़ी बातें क्यों करते हैं? जब इस देश में हजारों लोगों को एक वक्त का भोजन नहीं मिलता है तो हम केंटकी चिकन पर संगोष्ठियां क्यों आयोजित करते हैं? जब अधिकांश बच्चे दवाई के अभाव में दम तोड़ देते हैं तो हम आइस-क्रीम का उत्पादन बढ़ाने की बात क्यों करते हैं? हम इस की परस्पर विरोधी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते जिनकी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब तक सामाजिक न्याय से हमारे लोगों को सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तब तक हम अच्छी विकास दर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने कुछ विकास दर हासिल की है लेकिन वह विकास दर समान स्तर की नहीं थी। यदि इस विकास दर का कुछ अर्थ है तो सभी को उचित न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को समान न्याय और समान गरिमा, समान कार्य के लिए समान पारितोषिक मिलना चाहिए क्योंकि वे सभी इसी देश में पैदा हुए हैं उनके जीवन और भाग्य के लिए उनको धिक्कारा नहीं जाना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में हजारों ऐसे किशोर और बच्चे हैं जो परिस्थितिवश अमानवीय और संकटपूर्ण स्थिति में कार्य करने को बाध्य हैं। बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी खदानों में तथा पटाखे बनाने वाली कम्पनियों में विस्फोटक स्थिति में कार्य कर रहे हैं। हम उन्हें स्कूल में नहीं पाते जहां उन्हें होना चाहिए। क्यों? यदि वे स्कूल जाएंगे तो उनके परिवार की रोजी-रोटी नहीं चलेगी। यदि वे पटाखे बनाने वाली कम्पनियों में जाते हैं तो उन्हें मजदूरी में दो रुपये मिलते हैं जिससे वे अपने परिवार को पालने में सहायक होते हैं। ये बच्चे ऐसी जगह काम करते हैं जहां कोई यदि अनजाने में बीड़ी का छोटा सा टुकड़ा फेंक दे तो ऐसा विस्फोट हो सकता है जिसमें ये बच्चे फाइलों की भांति जलकर राख हो जाएंगे। यह काल्पनिक बात नहीं है। महोदय, यह हमारे महान देश के अनेक भावी नागरिकों की वास्तविक स्थिति है।

महोदय, मैं अपनी बात को लम्बा नहीं करना चाहता हूं। महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महोदय, मैं श्री नारायण गुरू, वक्कम कादर, ए.के. गोपालन, वी.के. कृष्णा मेनन, कुमारन आसन, वल्लाथोल और कई अन्य महान व्यक्तियों की भूमि का हूं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक आन्दोलनों का नेतृत्व किया। मेरे क्षेत्र में अनेक समाज सुधारक हुए हैं जो अनेक सामाजिक क्रांतियों के सूत्रधार बने जिनके परिणामस्वरूप वंचित लोगों को न्याय मिला। यह भूमि उन शहीदों की है जिन्होंने अच्छे कार्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वे भारत की एकता के लिए एकजुट होकर लड़े। जब त्रावणकोर के भूतपूर्व दीवान श्री सी.पी. रामास्वामी अय्यर और उनके मित्रों ने स्वतंत्र त्रावणकोर की वकालत की तो ये नेता और उनके पक्षधर संयुक्त केरल और संयुक्त भारत के समर्थक रहे। इस सभा में केरल के उत्तर कसारगोड से लेकर दक्षिण तिरुवनंतपुरम तक के बीस सदस्य, संयुक्त केरल के लोगों के प्रतिनिधि हैं। हम उन लोगों के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने संयुक्त केरल और संयुक्त भारत के लिए खून बहाया। महोदय, हमें उन पर गर्व है। महोदय, हम इस सभा में बैठकर उपलब्धियों और गलतियों की समीक्षा कर रहे हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गलती करना मानव का स्वभाव है। महोदय, केवल भ्रूण और मृतक ही गलतियों से परे हैं। हम गलतियां करते हैं और महसूस होने पर उन्हें

सुधारते हैं। मुझे विश्वास है कि इसके लिए हम लोगों को बहुत अधिक दृढ़ता की आवश्यकता है। राष्ट्र के रूप में भी हमें गलतियों को पहचानने और आगे बढ़ने से पहले उनमें सुधार लाने में समर्थ होना चाहिए, उदारीकरण हर बात का समाधान नहीं है। उदारीकरण को हर समय एक चाल, बहाना और जादुई छड़ी के रूप में नहीं प्रयोग करना चाहिए। उदारीकरण से देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उदारीकरण से बुनियादी सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। महोदय, हमें उन ब्रेकडाउन और असफलताओं की जांच करनी चाहिए जो पिछले छह वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में घटित हुई। विद्युत उत्पादन की कमी का सीधा संबंध हमारी बुनियादी सुविधाओं में गिरावट से है जो हमारी भावी प्रगति को अवरुद्ध करती है। संसद इन महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकती है। सांस्कृतिक आंक्रमण पर अंकुश न रखने की प्रवृत्ति का प्रभावी ढंग से विरोध किया जाना चाहिए। हमें स्वयं यह सोचना चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है तथा किसकी नहीं। मलयालम में एक कहावत है जिसका अर्थ लगभग यह है : ''हाऊ ऐवर स्वीट दि डिजर्ट मे बी इट शुड नोट बी सर्वड इन डरटी वैसल''। आप जो चीज दे रहे हैं वह कितनी ही अच्छी क्यों न हो किन्तु उसकी अच्छाई उस समय समाप्त हो जाती है जब उसे किसी गंदे कटोरे में प्रस्तुत किया जाता है। एक और कहावत है जिसका अर्थ है कि ''एक बूंद जहर एक कप दूध को भी प्राणघातक बना देता है।''

इसलिए, महोदय, इस संसद का उत्तरदायित्व है कि इस देश के सतत् और स्थायी विकास को सुनिश्चित करे। यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीन स्तम्भ हैं, तों मैं एक बात दोहराना चाहूंगा कि नियमों में परिवर्तन करना होगा। कानूनों को फिर से बनाना होगा। हमारे संविधान के तीसरे अध्याय में कुछ मौलिक अधिकार बताये गये हैं लेकिन इन मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार और रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में यह कहना कि हमारा गणतंत्र प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक है, पर्याप्त नहीं है। यदि वास्तव में यह प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, यदि इन शब्दों में व्यक्त भावना को मूर्तरूप प्रदान करना है तो हमें निरक्षरता और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। यह कितने दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात् भी हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उस भाषा में अपने हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता है जिस भाषा में वह अपने माता-पिता को संबोधित करता है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा के अधिकार और रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया जाए और इस प्रकार देश के नवयुवकों के साथ न्याय करें। मैं इस सभा के वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पर वे गम्भीरतापूर्वक विचार करें। यह हमारे नवयुवकों को सक्रिय करने की दिशा में प्रारम्भिक कदम होगा और इससे उनका काम करने में विश्वास दृढ़ होगा, विश्व में इस महान लोकतंत्र की न्याय की महान जीवन्त शक्ति और अटल भावना भी बलवती होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पी.सी. थामस, आप भी मलयालम में बोल रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है?



श्री पी.सी. थामस

***श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा) : जी हां, महोदय, मलयालम में ही बोलूंगा। मैंने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के मुबारक मौके पर मलयालम में बोलने का तीन दिन पहले नोटिस दिया था जो केरल के उत्सवों के मौसम ओनम के साथ ही आया है। मुझे लगा कि केरल की खुशहाली के इस महापर्व में मेरा यह दायित्व है कि मैं इस माननीय सदन में मलयालम की सुंदरता और संगतता को उजागर करूं। परन्तु मुझे यह जानकर बहुत दु:ख भी हुआ और आश्चर्य भी कि मलयालम में दिए गए भाषणों के भाषान्तरण के लिए लोक सभा सचिवालय में एक भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया। मुझे लगा कि आज तो मुझे मलयालम में ही बोलना चाहिये और यह भी कि केरल के सभी सदस्यों को मलयालम में बोलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निर्धारित समयावधि में केवल संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। महोदय, मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद हमने जिस लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया था उसके प्रभाव और सफलता को जांचने और उसका विश्लेषण करने का यह सही अवसर है। यह एक ऐसा अवसर है जब ऐसे करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं जिन्हें यह लगता है कि इस देश के नेतागण बोलते अधिक हैं और काम कम करते हैं। संसद का विशेष सत्र तभी सार्थक और संगत बनेगा यदि हम लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं और समस्याओं को जानने और महसूस करने का ईमानदारी से प्रयास करें तथा उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और शिकायतों के निवारण के लिए ठोस कार्य योजनाएं और कार्यक्रम बनाएं। सदन चलाने पर प्रति मिनट 7000 रुपये व्यय होता है। इस तरह आठ सौ कर्मचारी दिन रात सभा कक्ष में और संसद परिसर में काम कर रहे हैं। इतने विशाल और धन तथा मानव संसाधन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीले सत्र को एक निरर्थक प्रयास बन कर नहीं रह जाना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरी राय में केवल कोई संकल्प पारित कर देना पर्याप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक सर्वदलीय समिति बनाई जानी चाहिए जो इस विचार-विमर्श के दौरान

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अभिव्यक्त विचारों और सुझावों को छांटे और संहिताबद्ध करें। मेरा यह भी सुझाव है कि समिति इस विचार-विमर्श और सुझावों के फलस्वरूप तैयार किए गए कार्यक्रमों को लागू करने में समर्थ हो, इस खातिर इसे संवैधानिक वैधता भी प्रदान की जाए। यह समिति बैठकें बुलाए और इस विशेष सत्र में बहस के दौरान सामने आए विचारों पर चर्चा करे और एक रिपोर्ट तैयार करे जिसे संसद के पटल पर रखा जाए। यह रिपोर्ट भावी कार्यक्रमों के आधार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह यह विशेष सत्र विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने में सार्थक हो सकता है और प्रभावशाली कार्यान्वयन द्वारा इसे निम्नतम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है।

सभापति महोदय, हमारी लोकतंत्रीय पद्धति किस हद तक सफल हुई है? इस प्रणाली की सफलता को नापने का मापदंड वह परिवर्तन है जो इस देश के 90 करोड़ लोगों के जीवन में हुआ है। इस समस्त विचार-विमर्श के दौरान हम इस प्रश्न पर बहस करते रहे कि देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में हम कितने सफल हुए हैं? मैं इसी विषय पर संक्षेप में सदन में अपने विचार रखना चाहता हूं। जब हमारे लिए लोकतंत्रीय शासन पद्धति चुनी गई थी तब स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं और उनके पीछे चलने वाली जनता के कुछ सपने थे। भारत के उन महान सपूतों की इच्छाओं और आकांक्षाएं उनके बलिदान और स्वतंत्रता की भावना सबका एक ही लक्ष्य था और वह था भारत के लिए लोकतंत्रीय शासन पद्धति का चयन। परन्तु हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र की उस महान भावना को आगे बढ़ाने में कहां तक सफल हुए हैं? हां, हम बहुत से क्षेत्रों में सफल हुए हैं। हमने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। हमारे पूर्वजों के हृदयों में जो सपने और अथाह आशाएं उमड़ी थीं हम उनको पूरा करने में सफल रहे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की थी। कुछ क्षेत्रों में हमारी गणना विश्व के अग्रणी देशों में होती है। हमारे यहां बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक हुए है। खाद्य, उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हमने विकास का एक लम्बा सफर तय किया है। परन्तु इस सबके बावजूद यह संदेहास्पद है कि हमने अपने देश के समृद्ध संसाधनों का उचित उपयोग किया है। देश के प्राकृतिक समृद्ध संसाधनों का उपयोग या तो बहुत कम हुआ है या बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने इंगित किया है हमारा देश बहुत समृद्ध है परन्तु हमारे देशवासी बहुत निर्धन है। हमारे देश की केवल आधी जनसंख्या ही गरीबी की रेखा के ऊपर जीवन यापन करती है। लगभग इतनी ही जनता साक्षर है। इन क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम राहत की सांस लें इससे पहले हमें अधिकांश जनता की कठिनाईयों को दूर करने में तथा उन लोगों को ज्ञान का प्रकाश देने में जिन्हें लिखना और पढ़ना नहीं आता है बहुत लम्बा रास्ता तय करना है। इस संदर्भ में मुझे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। हमारे लोकतंत्रीय ढांचे के निर्माताओं का आदर्श यह था कि भिन्न संस्कृतियों, लोगों तथा राज्यों को, जो एक ही देश में पनप रहे हैं, एक ही छत के नीचे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए साथ-साथ काम करने, विकास का लाभ सभी में बराबर बांटने और इन राज्यों को भिन्न-भिन्न शरीरों में भी एक दिल के रूप में राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा करने में अपना योगदान करने के लिए तैयार किया जाए। इसका आशय प्रत्येक को सत्ता, प्रशासन और विकास कार्यों में उनका हिस्सा देना था। यह सच है कि हम इसमें काफी हद तक सफल रहे हैं परन्तु मुझे नहीं लगता कि हम एक मजबूत केन्द्र और संतुष्ट राज्यों के लक्ष्य को प्राप्त कर पाये हैं। केन्द्र में मजबूत सरकार का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि केन्द्र मजबूत है जबकि राज्यों का संतुष्ट होना इसकी पहली शर्त है। यदि राज्यों को संतुष्ट करना है तो उन्हें केन्द्र से अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी पूरी प्रणाली को पुर्नव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि एक मजबूत केन्द्र सुनिश्चित किया जा सके जो देश के समृद्ध संसाधनों को राज्यों में और राज्य निचले लोकतांत्रिक निकायों में बराबर-बराबर बांटे। शक्तियों के हस्तांतरण का कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति होगी जहां प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थानीय निकाय और प्रत्येक राज्य को महान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के प्रति अपनेपन तथा उत्तरदायित्व की भावना होगी। हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली को सफल तभी कहा जा सकता है जब शक्ति और संसाधन ऊपर से निचले स्तरों तक बंटे। ऐसी स्थिति में हमारी राजनीति के कई स्तर है जो एक दूसरे के सम्पूरक हैं और इस तरह से वे एक मजबूत केन्द्र की रचना में सहायक होते हैं और मजबूत केन्द्र, राज्यों की मदद करता है तथा फलस्वरूप मजबूत राज्य अपने अंतर्गत आने वाले स्थानीय निकायों जहां इस देश का प्रत्येक नागरिक सीधे शासन में सम्मिलित होता है को मदद करता है। पंचायती राज का महान सपना अभी पूरा किया जाना शेष है। मुझे लगता है कि यह हमारी बहुत बड़ी असफलता है। पंचायती राज्य के आदर्श को साकार करने के लिये हमें अभी लम्बी दूरी तय करनी है।

केन्द्र में मजबूत सरकार हो, इसके लिए बहुत से परिवर्तन करने होंगे। वर्तमान केन्द्र सरकार की हालत हम सबको पता है। सरकार के भविष्य के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पायेगा। यह भी संदेहास्पद है कि मजबूत सरकार है भी या नहीं। मुझे खुशी है कि इतने अधिक राजनीतिक दलों को शासन में भागीदार बनने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों की भावनाएं और आकांक्षाएं यहां प्रतिबिम्बित होती हैं। परन्तु कोई भी यह नहीं कह सकता कि यहां मजबूत और स्थिर सरकार है। अत: यह आम विचार-विमर्श का विषय है कि वांछित परिवर्तन कैसे लाए जाएं। शायद हमारे संविधान में व्यापक परिवर्तनों की आवश्यकता है। शासन की एक वैकल्पिक पद्धति जिस पर बहुत कम विचार-विमर्श हुआ वह है राष्ट्रपति शासन पद्धति। भारत के संदर्भ में इस प्रणाली की सरकार की सम्भाव्यता और प्रभावकारिता पर विचार किया जाना अभी बाकी है। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति जो राज्य और सरकार का अधिपति होता है, चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है इस पद्धति को स्थिति के अनुसार अपनाने वाले रूप के अंतर्गत मतदाता सीधे राज्य सरकारों के प्रमुखों को चुन सकते हैं। राज्य विधान सभाओं में जनप्रतिनिधि की वर्तमान पद्धति, जो साथ-साथ चल सकती है, जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। विश्व में अन्यत्र विद्यमान राष्ट्रपति शासन पद्धति और इस देश में संतोषजनक रूप में

परिपक्व हुई लोकतंत्रीय संस्थाओं का यह स्वस्थ मिश्रण, चूंकि निर्विवाद रूप से दोनों को मिलता है। अत: स्थिरता की प्राथमिकता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के ज्वलन्त प्रश्न को सुलझा सकता है।

मुझे विश्वास है कि एक दिन हम सभी को मिलकर शासन की इस वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सफलता का यह मतलब नहीं है कि भारत में भी यह सफल रहेगा। अत: मेरा मानना है कि संसद में इस मुद्दे पर हमें एक निष्पक्ष और खुली चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, वर्तमान व्यवस्था में एक ओर हमारी उपलब्धियां हैं तो दूसरी ओर असफलताएं भी हैं। सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। सत्तापक्ष में चाहें जो भी कितनी भी अवधि के लिए हो रहे हों, उन्हें इस तथ्य को स्वीकारना चाहिए। हमारे देश में घोटालों की सूची काफी लम्बी है। बैंक घोटाले, चीनी घोटाला, चावल घोटाला, पेट्रोलियम घोटाला, हवाला घोटाला, बंगाल में पी.एल. घोटाला आदि। बंगाल से कुछ और घोटाले सामने आये हैं। लोकतंत्र की प्रगति के लिए जब तक हम निष्ठा और लगन से कार्य नहीं करेंगे तब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे। इसका एक मुख्य कारण वर्तमान चुनाव प्रणाली है। जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह उचित समय है जब चुनाव प्रणाली में सुधार लाया जाये, अनेक चर्चाओं के बावजूद चुनाव सुधार की दिशा में हम कोई सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये हैं। शायद सरकार द्वारा उम्मीदवारों को चुनाव हेतु धन उपलब्ध कराने से इसका कुछ सकारात्मक परिणाम निकल सके।

अपराह्न 5.35 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए*]

अब चूंकि एक मलयाली भाषा के ज्ञाता पीठासीन हुए हैं इसलिए मैं अपनी बात विस्तार में न कहते हुए, सब महत्वपूर्ण मुद्दों का ही उल्लेख कर इसे शीघ्र समाप्त करूंगा। महोदय, मैं कह रहा था कि यदि हम अपनी शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो हमें अपनी वर्तमान शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने होंगे। शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये हमें निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करने होंगे। चुनाव सुधार पर होने वाली चर्चाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभरकर हमारे सामने आएगी वह है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को कैसे कम किया जाए। चाहे राजनीतिक दल बड़ा हो या छोटा ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे बड़े उद्योगपतियों और अन्य लोगों से, जिनका उन पर अवांछित प्रभाव होता है, धन लेते हैं। यह एक अवांछनीय स्थिति है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि हम इसे शीघ्रता से समाप्त करने में असफल रहते हैं तो इससे देश में प्रत्यक्ष रूप से न सही छद्म रूप से "मनिबैग" लेने-देने की प्रवृत्ति चल पड़ेगी। मेरा कहने का आशय यह नहीं है कि सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने से ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राज्य द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने से राजनीतिक जीवन को अनुचित निर्भरता, पक्षपात, अनुचित अनुग्रह और इससे उत्पन्न भ्रष्टाचार जैसे दोषों से मुक्त किया जा सकेगा। इस संबंध में अनेक चर्चाएं की गई हैं और अनेक निर्णय लिए गए हैं। लेकिन हम उनमें से किसी को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाए।

महोदय, मैं एक अन्य बात का उल्लेख करके अपनी चर्चा समाप्त करूंगा क्योंकि समय की कमी से मैं अवगत हूं। यह हमारी बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित है। बुनियादी सुविधाओं के अन्तर्गत सड़क का विकास भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों की कुल लम्बाई 1,65,000 किलोमीटर है। हम इसका अपने इस विशाल देश के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करने में असफल रहे हैं तथा एक समान वितरण भी सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं। यह विदित है कि औद्योगिक विकास के लिए अच्छी सड़कें एक पूर्वापेक्षित आवश्यकता है। यह भी सच है कि औद्योगिक विकास होने पर ही रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। इसलिए, सड़कों के विकास के लिए और अधिक धन आवंटित किए जाने हेतु एक नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। माननीय भू-तल परिवहन मंत्री ने समय-समय पर यह सूचित किया है कि धन के अभाव में सड़क विकास के लिए धन का एक समान वितरण करना कठिन हो जाता है। इसके लिए हमें विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर ध्यान देना होगा। कभी-कभी हमें इस क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य निजी क्षेत्र को भी सौंपना पड़ सकता है। इसके लिए हमें सहकारी क्षेत्र और लोगों की भागीदारी पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। चाहे जो भी उपाय ढूंढ़ने हों, हमें सड़क विकास पर पूरा-पूरा ध्यान देना होगा। यह सुझाव मैंने एक दिन भू-तल परिवहन मंत्री से बातचीत के दौरान भी दिया था। मैंने उन्हें भारत की सड़कों के निर्माण में रबड़ के प्रयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने का सुझाव भी दिया था। वास्तव में, भारत में हम रबड़ का उत्पादन करते हैं किन्तु हमारी सड़कों में रबड़ का प्रयोग नहीं होता। कनाडा में रबड़ का उत्पादन नहीं होता है लेकिन वहां की सड़कें रबड़ की हैं। अमेरिका में भी रबड़ का उत्पादन नहीं होता किन्तु वहां भी रबड़ की सड़के हैं। फ्रांस, इटली के अलावा अन्य यूरोपियन देशों में भी रबड़ की सड़कें हैं। सड़कों को रबड़ का बनाना एक नई आधुनिक तकनीक है रबड़ सड़कों के निर्माण पर होने वाला व्यय आरम्भ में सामान्य सड़कों से अधिक हो सकता है। लेकिन यह लागत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी क्योंकि जब हम इसके टिकाऊपन पर ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि यह किसी और सड़क की तुलना में तीन गुना अधिक समय तक चलती है तो थोड़ी बहुत ज्यादा लागत खास मायनें नहीं रखती। सरकार के व्यय में कमी और दूरगामी फायदे के साथ-साथ देश को एक अच्छी और टिकाऊ सड़क मिल पाएगी। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रबड़ की सड़क निर्माण के मामलों पर अविलम्ब विचार करें।

मैं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में एक-दो बातें कहना चाहूंगा उनमें से एक रेलवे है। यह सच है कि हमने रेलवे के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हमारी रेलवे 140 वर्ष पुरानी है। उस संदर्भ में

हम कई राष्ट्रों से बहुत आगे हैं। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि 90 करोड़ जनसंख्या वाले इस विशाल देश में रेलवे को समान रूप से नहीं पहुंचाया गया है। हम अपनी लगभग 62,000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइनों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से पहुंचाने में असफल रहे हैं। रेल मार्गों के वितरण अनुपात की जांच करने से पता चलता है कि इसका राष्ट्रीय औसत 13,500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है जबकि कुछ राज्यों में यह अप्रत्याशित रूप से कम है। केरल जहां का मैं रहने वाला हूं, का औसत राष्ट्रीय औसत से अत्यधिक कम है, अर्थात् 28000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रेल लाइनें उपलब्ध हैं। यह दुख की बात है कि हम इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में समान वितरण से कोसों दूर हैं।

विद्युत के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अभी हमें बहुत कुछ करना है। छोटी परियोजनाओं और लघु विद्युत उत्पादन एककों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विद्युत की कमी छोटी-छोटी परियोजनाओं से शीघ्र दूर की जा सकती है। लेकिन केन्द्र सरकार ने अनेकों बार कहा है कि इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए धन उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार राज्यों के लिए उचित रूप में धन आवंटन करने में असफल रही है।

महोदय, मैं एक-दो बातें कृषि के संबंध में भी कहना चाहता हूं। यद्यपि हमने कृषि क्षेत्र में काफी प्रगति की है तथापि विभिन्न क्षेत्रों में कृषि कार्यों से जुड़े अभी भी हजारों किसानों को अनेक कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। केरल के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले इलायची उत्पादकों की दुखद स्थिति से मैं इस सभा को अवगत कराना चाहता हूं। इलायची एक ऐसा उत्पाद है जिससे हमारे देश को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन अब इलायची की कीमत में इतनी गिरावट आ गई है कि उत्पादकों का जीना दूभर हो गया है। यह दुख की बात है कि उन उत्पादकों की समस्याओं और कठिनाइयों को केन्द्र सरकार की जानकारी में उचित रूप से लाये जाने के बाद भी केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर पाई है। किसानों की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार की असमर्थता ठीक नहीं है। रबड़ की कीमतों में गिरावट के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे खुद भी याद नहीं कि यह मामला मैं कितनी बार यहां उठा चुका हूं।

एक और आवांछनीय पहलु कुछ ऐसे कृषि उत्पादों से संबंधित है जिन्हें देश के कुछ विशेष भागों में पैदा किया जाता है और जिनके साथ देश के अन्य कृषि उत्पादों की तुलना में भेदभाव किया जाता है। कतिपय क्षेत्रों के कृषि उत्पादों के प्रति विशेष रूचि दिखाई जाती है। केरल के कृषि उत्पादों के प्रति सदैव ही भेदभाव की नीति अपनाई जाती रही है। केरल में होने वाले कृषि उत्पादन वहां के किसानों की मजबूरी बन गए हैं क्योंकि ये उत्पाद देश के अन्य भागों में पैदा नहीं होते हैं। उन उत्पादों का सेवन देश के सभी भागों में किया जाता है। लेकिन जब उन किसानों को संरक्षण देने की बात उठती है तो सरकार उस ओर ध्यान न देने की अघोषित नीति अपनाए हुए है। रबड़, इलायची और कॉफी के क्षेत्र में दुख और मुसीबत ही मुसीबत है। लेकिन केन्द्र सरकार उन किसानों के, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, की ज्वलंत समस्याओं के समाधान में पूर्णतया असफल रही है। यह भी दुख की बात है कि अब विदेशों से इलायची आयात करने की बात की जा रही है तथा इलायची की तस्करी पहले ही शुरू हो चुकी है। हम तस्करी को रोकने में असफल रहे हैं।

महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा समुद्री उत्पादों के निर्यात के बारे में है। समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात भारत के लिए गौरव की बात है। यह क्षेत्र, जो कि हमारे विदेशी मुद्रा कोष में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है अब खतरे का सामना कर रहा है। इसे केन्द्र सरकार के ध्यान में भी लाया गया है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र पर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया है। यदि हम इस क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं और यदि हम यूरोप के देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाना चाहते हैं तो एक प्रतिनिधिमंडल इन देशों में जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में उन लोगों को शामिल करना चाहिए जो कि समुद्री उत्पाद निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। महोदय, यदि इस सूची में कोई संसद सदस्य नहीं होगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं है और उस प्रतिनिधिमंडल को उन देशों में जाकर बातचीत करनी चाहिए और इस क्षेत्र में उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए गंभीर प्रयत्न करने चाहिए और इसे पुन: पहले जैसी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र को इसका पहले सा गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए अर्थपूर्ण कार्य करें।

अपराह्न 5.43 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*]

महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं इस सभा में सभी को ओनम की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे बहुत खुशी होती यदि मैं सभा में आप सबको ओनम त्यौहार की मिठाई ''पायासम'' खिला सकता लेकिन अभी उस त्यौहार में बहुत समय है। पौराणिक समय में समृद्ध केरल पर राज्य करने वाले राजा महाबली के महिमापूर्ण शासन की प्रशंसा में प्रचलित गीत इस तरह है:

''ड्यूरिंग द रेन आफ मवेली
ऑल ह्यूमंस वेदर एलाइक
नो लाई, नोर डीसीट
नौट ए फिगमेंट ऑफ
फाल्सहुड''

लेकिन अब हमारे शासक, ''मवेली'' जैसे नहीं हैं और न ही सभी मानव समान हैं। यदि इन चर्चाओं से हम महाबली राज्य के कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने में थोड़ी भी मदद करें, जिसमें सभी मानव प्रेम तथा उच्च मानवीय गुणों से जुड़े होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम

कुछ अर्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं। महाबली के शासन की विशेषताएं थीं, कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं है और असत्य का लेशमात्र भी नहीं।'' यदि हम वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखें तो क्या हम झूठ और कपट के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं।

महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। पहले मैं राजनीति में महिलाओं को अधिकार दिए जाने के मुद्दे पर तथा उदारीकरण के मुद्दे पर अपना भाषण समाप्त करना चाहता था। श्रीमती गीता मुखर्जी के पीठासीन रहते हुए मैं उस विषय पर और अधिक बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरा यह दृढ़ मत है कि महिलाओं को सत्ता में उनका अधिकार और सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में उनका स्थान दिया जाना चाहिए। हमारे देश को पिछले 50 वर्षों के अनुभवों से सबक लेना चाहिए और नयी शक्ति तथा नये विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम उसके लिए कार्य करें और प्रार्थना करें।



श्री उत्तम सिंह पवार

[हिन्दी]

श्री उत्तम सिंह पवार (जालना) : सभापति महोदया, मैं सबसे पहले संगमा जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह विशेष सत्र बुलाया। लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि लोक सभा की पहली सीढ़ी जब हम चुनकर आते हैं तो हमसे लिखवा लिया जाता है कि हमने कितना खर्च किया है तो वहां हम पहला झूठ बोलते हैं। इस बात को सारे सांसद जानते हैं कि हम वहां पहला झूठ बोलते हैं जब हम लिखकर आते हैं कि हमने चार लाख से नीचे खर्चा किया है। पहली सीढ़ी पर ही हम झूठ बोलते हैं।

आज हम कहां जा रहे हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आजादी के 50 सालों के बाद भी जब हम आज अपने को देखते हैं तो पाते हैं कि हम दूसरे देशों के मुकाबले हर क्षेत्र में पीछे हैं। कोई कहता है कि गर्व के साथ कहो ''मेरा भारत महान'', लेकिन दुर्भाग्य से हमारी स्थिति इतनी खराब हुई है कि आज हमें बुरा लगता है जब कोई एन.आर.आई. किसी आर.आई. से अपने को ज्यादा समझता है। हम कहां जा रहे हैं यह नहीं जानते हैं। हमारे जितने भी सांसद यहां बैठे हैं क्या वह बताएंगे कि हम सही मायने में विचार कर रहे हैं या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति, राजनीति की जगह है लेकिन संसद देश को चलाने के लिए होती है। मुझे नहीं लगता है कि इस तंत्र का इस संसद में इस्तेमाल होता है। आज तक सरकार कैसे चलती है मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। एक सिस्टम बनाया जाता है जैसे मंदिरों में भीड़ होती है और कोई आदमी शिकायत करता है कि मंदिर में जूतों की चोरी हो रही है तो कलैक्टर एक पेशकार इस काम के लिए लगा देता है कि तुम ध्यान रखना कि कोई आदमी जूते चुराकर न ले जाए। अब पेशकार जो भी मंदिर में जाएगा उससे जूते नीचे उतरवाएगा, तब दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाने देगा। लेकिन एक भक्त बिना चप्पल पहनकर मंदिर चला जाता है तो पेशकार कहता है कि यहां जूते उतारिये तब मंदिर में दर्शन को जाना। वह आदमी कहता है कि मैं तो जूते पहनकर ही नहीं आया हूं। पेशकार कहता है कि यह मेरी गलती नहीं है, आप पहले जूते यहां उतारें फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। बात कलैक्टर तक जाती है तो कलैक्टर कहता है कि यह आदमी सही कह रहा है, जब यह जूते पहनकर आया ही नहीं तो उतारेगा क्या। इसे दर्शन के लिए जाने दीजिए। पेशकार कहता है कि मैं तो इसे छोड़ दूंगा लेकिन जब यह दर्शन करके वापस आयेगा और दूसरों के जूते पहनकर जाएगा तो मेरी तनख्वाह में से पैसे मत काटियेगा।

यह कहा जाता है कि यहां हर चीज बिकती हैं। मुझे याद है जब मैं नौवीं कक्षा में पढ़ता था तो बहस चलती थी कि विद्या श्रेष्ठ है या धन श्रेष्ठ है। दस लोगों ने कहा कि विद्या श्रेष्ठ है:—

विध्यम् त्वमच् नृपतम् स्वमच,
नैव तूल्यै कदाचनम्,
स्वदेशी पूज्येने: राजा,
विध्वाना: सर्वत्र पूज्यते।

ऐसा हमें सिखाया गया है कि विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन आज 50 साल की आजादी के बाद भी हमारी शिक्षा नीति क्या है? आज हालत यह है कि अगर इंजीनियर बनना है तो 40-50 हजार रुपये डोनेशन दीजिए, मैडीकल में एडमीशन के लिए एक लाख रुपया दे दीजिए। हमारे देश का किता बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मुम्बई में ऐसे स्कूल हैं जहां प्राइमरी में एडमीशन के लिए एक से दो लाख रुपये डोनेशन के देने पड़ते हैं। क्या हमें जो पढ़ाया गया था कि विद्या श्रेष्ठ है या लक्ष्मी श्रेष्ठ है। अगर सरस्वती की कीमत लगायी जाती है तो उसे हम सब सांसद देखते हैं। यहां सरकार के जितने मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जैसे डिफेंस में क्वालिटी देते हैं, वैसे एजुकेशन में भी दीजिए। आज अगर कोई क्षेत्र नैगलैक्टिड है तो वह शिक्षा का क्षेत्र है। मैं उससे भी आगे जाकर एक शब्द कहूंगा कि आज जो ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, वे कौन बन रहे हैं? सिर्फ 4-5-10 मैट्रोपॉलिटन सिटी के लड़के बन रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज देहात का कोई लड़का डिप्टी कलैक्टर को छोड़िए, अफसर नहीं बन पाता। गृह मंत्री जी मुझे बड़ा खेद है कि हमारे देहात का लड़का कांस्टेबल की लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाता है। इसमें उसकी बुद्धि का कोई दोष नहीं है। हम जिस तरह की शिक्षा ग्रामीण विभाग के लोगों को दे रहे हैं क्या हमारी सरकार उस ओर ध्यान देगी? इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का डर है कि आने वाले समय में हमारे पास जो ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, वे विदेश से शिक्षित होकर आएंगे और आई.ए.एस. बनेंगे। हिन्दुस्तान में वह स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। आज हर चीज का यही हाल है। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री

कौन सी कही जा रही है? एजुकेशन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां जो बैलेंस शीट सबमिट होती है, वह सही नहीं होती है। आप भी बिजनस मैन है और मैं भी बिजनस मैन हूं। मैं भी इंडस्ट्री चलाता हूं। क्या बैलेंस शीट सही होती है? उसमें एडजस्टमैंट होती है। जब हम छूट देकर शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसे कहां तक गेक पाएंगे? आज संविधान में संशोधन की जरूरत है। 50 वर्ष के बाद संशोधन की जरूरत महसूस होना यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। ....*(व्यवधान)* मैं यह तो नहीं कहता हूं कि संशोधन लिखना है या नहीं लिखना है?

आज हम इनफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। हम बहुत से प्रदेशों में घूमे भी हैं। हम यूरोप, कोरिया, जापान जाते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं। आज हमने क्या मंगाया है? मर्सीडीज कार, सिएलो कार। क्या उनके लिए कोई रोड है? उनको चलाने की कोई सुविधा है? मैंने 1985 में इंडस्ट्री एसोसिएशन में यह कहा था कि हमारे देश को कलर टी.वी. की जरूरत नहीं है। हमारा पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे वीक है। आज देश में रेलवे की क्या हालत है? मुझे दुख होता है कि मैं जब सांसद होने के नाते किसी को रिजर्वेशन के लिए चिट्ठी देता हूं तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यह हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत है। बसों की हालत आप जानते हैं। हम कार क्यों चलाते हैं? क्योंकि हम सभी समय पर पहुंचना चाहते हैं। इसकी तरफ आप देख नहीं रहे हैं। आज अगर आप पूंजी को देखेंगे तो उसकी बुरी हालत पाएंगे। मैंने आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. सारे बड़े-बड़े बैंकों से यह कहा है कि जिस क्षेत्र को 50 परसैंट बैंक से मिलना चाहिए था, उसको 12 से 15 परसैंट फाइनैन्स किया जा रहा है। जब हम इस पर बोलते हैं तो हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज हर चीज में करप्शन है। हम सब कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए। किस तरीके से करप्शन इस देश से दूर होगा? मुझे नहीं लगता कि वह दूर होगा। अगर उसे दूर करना है तो एकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। हम सब यहां बैठे हैं। हम एकाउंटेबल हैं क्योंकि हमें फिर जनता के पास जाना है और वोट मांगना है। जो ऐसा करते हैं क्या उनके ऊपर आपने एकाउंटेबिलिटी फिक्स की है? जो भी आई.ए.एस. अफसर बैठे हैं वे करप्शन में लिप्त हैं। मुझे वह देख कर दुख होता है। मैं महाराष्ट्र स्टेट टूरिज्म का चेयरमैन था। जिस आदमी ने कभी टूरिज्म का बिज़नैस नहीं किया और जब मैं टूरिज्म कारपोरेशन का चेयरमैन था तो सबसे पहले मैंने देखा कि वह साढ़े दस करोड़ रुपये के घाटे में है। इस प्रकार सरकार का धंधा घाटे में चलता रहता है। मैंने अफसरों से पूछा तो बताया गया कि 46 प्रतिशत सैलेरी में पैसा जाता था। जिस आदमी ने कभी कोई बिज़नैस नहीं किया, उसे एक कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया। आज एअर इंडिया में एक करोड़ रुपये का पर डे घाटा हो रहा है। इसलिये सरकार को कोई धंधा नहीं करना चाहिये।

सभापति महोदया, जो पैसे से चलता है, उसे व्यापार कहते हैं, जो धक्के से चलती है उसे कार कहते हैं, जो देर से आती है, उसे तार कहते हैं और जो ईश्वर के भरोसे चलती है, उसे सरकार कहते हैं। यह हालत आज हमारे देश की हो गई है।

सभापति महोदया, जैसाकि मैंने कहा कि हमें न कलर टी.वी. की जरूरत है और न ही सैटेलाईट की जरूरत है। हमें न तो कम्प्यूटर्स की जरूरत है और न ही सैलूलर की जरूरत है। यदि जरूरत है तो इनफ्रास्ट्रक्चर की। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? देश में 10 साल बाद बिजली की क्या हालत होने वाली है, कभी सोचा है? हमें एक सौ बारह हजार मेगावाट बिजली लगाने की जरूरत होगी और बिजली इतनी महंगी हो जायेगी कि श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी जैसे लोग खरीद पायेंगे, यह मुझे नहीं लगता है तो देहातों के लोग कैसे बिजली खरीद पायेंगे?

सभापति महोदया : प्लीज कनक्लूड। इतने आदमी बोलने वाले हैं, ज़रा को-आपरेट करें।

श्री उत्तम सिंह पवार : मैं नया मैम्बर हूं और पहली आपरच्युनिटी मिली है। सभापति महोदय, मैं खुद मानता हूं कि देश के सामने बहुत सी समस्यायें हैं। मैं जून में कोरिया में एक पापूलेशन कांफ्रेंस में गया था। सबसे पहले मुझसे कहा गया कि हिन्दुस्तान में भी पापूलेशन की प्राब्लम है। यहां पर इतनी सारी चर्चायें हुई हैं और इसको एक महत्व का ईशू मानता हूं लेकिन शिक्षा के बाद। हमें पापूलेशन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जब तक हम इसके बारे में कोई एकाउंटेब्लिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहां बहस को रिकार्ड करने जा रहे हैं, उसके रिकार्ड की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है जो स्पीकर्स यहां बोले हैं, उनकी बात पर अमल किया जायेगा? अगर इसके ऊपर अमल किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल हिन्दुस्तान के लिये अच्छे साबित हो सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री इन्द्रजीत गुप्त

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : सभापति महोदया, मैं इस तथ्य के प्रति पूर्णत: जागरूक हूं कि अनेक सदस्य पिछले तीन या चार दिन से बोलने के लिए अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मेरा कुछ मिनटों से अधिक समय लेने का इरादा नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं अपने शब्दों पर अडिग रहता हूं अथवा नहीं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक मंत्री हूं अथवा अपने दल का नेता हूं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस सभा में पिछले 34 अथवा 35 वर्ष से हूं। मेरे अनेक मित्र कह रहे थे कि यह बहुत हैरानी की बात है कि मैं यहां बैठा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं।

इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ अवश्य कहना चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

मैं सबसे पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सत्र को बुलाने की पहल करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं नये सदस्यों, विशेषकर कि उन सदस्यों जिन्होंने मेरे विचार में इस चर्चा में भाग लेकर इस सभा की विश्वसनीयता को बनाए रखा है, का धन्यवाद देता हूं। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है। मुझे विश्वास है कि पूरा देश जो कि पिछले अनेक वर्षों से इस सभा को कार्य करते हुए देख रहा है अब पुन: आश्वस्त महसूस करेगा कि वर्तमान सदस्यों द्वारा इस सदन की मर्यादा, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं कहूंगा कि हम अब इस लम्बी चर्चा के समापन की ओर आ रहे हैं—हम जो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, वह निकलना चाहिए? कुछ निष्कर्ष अवश्य निकलना चाहिए। अच्छे भाषण दिए गए हैं। बहुत ठोस और विद्वतापूर्ण भाषण दिए गए हैं। यहां देश की अनेक महत्वपूर्ण और मूल समस्याओं पर चर्चा की गई है। यहां अनेक अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन मुझे जो प्रश्न चिन्तित कर रहा है, वह यह है कि इस सारी प्रक्रिया का अन्तिम परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम क्या है?

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने आरम्भिक भाषण में निर्वाचन प्रणाली और प्रशासन में आ रही बुराईयों का सही आकलन किया है। उन्होंने अनेक अन्य मुद्दों के साथ-साथ लोक कार्यकर्ता, चाहे वे जो भी हों, के उत्तरदायित्व और लोक जीवन के स्तर, लोक जीवन में उनकी छवि जैसे अनेक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया है। मैं समझता हूं यदि हम चर्चा के अन्त में कुछ ठोस उपाय, कुछ ठोस क़दम नहीं उठायेंगे तो पिछले तीन दिनों में माननीय सदस्यों द्वारा किए गए अधिकतर प्रयत्न बेकार जायेंगे। अत: संक्षेप में मैं जो कहना जा रहा हूं, वह यह है मैं अपने आपको दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा, जो मेरे विचार में पूरे देश में लोगों, चाहे वे जो भी हों, धनी अथवा गरीब, चाहे वे इस दल अथवा उस दल से संबंध रखते हों, को अशान्त कर रहे हैं।

लोगों को क्या बात परेशान कर रही है? निश्चय ही यहां पिछड़ापन, गरीबी, अल्प विकास, भुखमरी, निरक्षरता, शिक्षा की कमी आदि चिरस्थायी समस्यायें हैं। यहां अनेक समस्यायें हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण अथवा राजनीति का अपराधीकरण दो ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे समाज और सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से कैंसर की तरह फैल गई है। हमें इस बात को स्वीकार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। लोग प्रतिनिधियों से जिनको उन्होंने इस सभा में भेजा था, जानना चाहते हैं कि वे इस संबंध में क्या करना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा है, जो हम कर सकते हैं अथवा लाचार होकर अपना हाथ पटक दें और कहें कि कुछ भी करने को नहीं है अथवा क्या हम साधारणतया यह कहें कि हमें कानून पर निर्भर करना होगा? हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है।

देश में कई कानून हैं परन्तु ये कानून हमारे सार्वजनिक जीवन में हो रही अत्याधिक अवनति और पतन को नही रोक पाये हैं। क्या हम यह कहें कि हमें केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर निर्भर करना चाहिए, जिनमें निश्चय ही, पुलिस का ही अधिक संबंध है, जो कि कुछ मानकों तथा मानदंडों के अनुसार अपने कर्त्तव्यों को निभाने के लिए वचनबद्ध लोगों को व्यावसायिक निकाय माना जाता है। क्या हम यह कहें कि हमें केवल पुलिस तथा कानून पर निर्भर करना पड़ेगा? मैं नहीं समझता कि आजकल कोई इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होगा।

अत:, महोदया, मैं एक संकल्प का प्रस्ताव रख रहा हूं। मैं नहीं जानता कि सदस्यगण सहमत होंगे अथवा नहीं, मैं नहीं जानता कि माननीय अध्यक्ष महोदय सहमत होंगे अथवा नहीं लेकिन मैं विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि अंत में एक ऐसा संकल्प पारित करने की कोशिश करनी चाहिए जो इस सम्पूर्ण वाद-विवाद को सार्थकता प्रदान करेगा और इस समस्या, जिसका मैंने उल्लेख किया है, से निपटने के लिए प्रभावी, संयुक्त तथा एक होकर कदम उठाने के लिए संसद सदस्यों, चाहे वह जिस भी दल से संबंध रखते हों के सामान्य दृढ़ निश्चय और सामान्य संकल्प का संकेत देगा।

मैं एक संकल्प, एक अत्यंत छोटा संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे परिवर्तित किया जा सकता है, मुख्य बात यह नहीं है। इसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसे संशोधित किया जा सकता है और इसमें यदि आप चाहें तो, कई बातें जोड़ी भी जा सकती हैं, परन्तु जो विचार, मुख्य विचार, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि: "हम, देश के सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य, एततद्वारा सत्यनिष्ठा से संकल्प करते हैं और इस सभा को और इसके द्वारा देश को स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में यह वचन देते हैं कि सर्वप्रथम किसी भी भावी चुनावों, चाहे वो लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधायिका या अन्य निकायों जैसे जिला परिषदों, पंचायतों या नगर निगमों के चुनावों में यह बात सभी पार्टियों को संबोधित करते हुए कह रहा हूं ऐसे किसी चुनाव में खड़े होने के लिए हमारी संबद्ध पार्टियों से किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पिछले दस वर्षों के दौरान किसी आपराधिक मामले में दोषी है या दोषी पाया गया था या किसी आपराधिक मामले में उसका चालान या अभियोग-पत्र जारी किया गया था या पुलिस के आपराधिक रिकार्ड में शातिर बदमाशों की सूची में है या रहा है या अन्यथा स्थानीय समुदाय में आपराधिक तत्व या असामाजिक तत्व के रूप में सार्वजनिक रूप से कुख्यात रहा है।

दूसरी बात, उपरोक्त प्रयोजनार्थ, भ्रष्टाचार के मामलों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें भी असामाजिक गतिविधियों और आपराधिक गतिविधियों के आपराधिक मामलों की तरह ही माना जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे बताया कि इस बात में यह खतरा है कि ऐसे व्यक्ति जिनको दोषी पाया गया या जिनके विरुद्ध अपराधों के गम्भीर आरोप थे, जोकि भ्रष्ट आचरण या भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं थे या जोकि अपने आप में आपराधिक अभियोग नहीं थे, वे भी समस्या में पड़ जायेंगे यदि पुलिस यह निर्णय लेती है कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की जाए कि उन्होंने कुछ राजनीतिक

आन्दोलनों में हिस्सा लिया था, जिससे कि कानून का तकनीकी रूप से उल्लंघन होता है।

ऐसे अपराधों के संबंध में जोकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक आन्दोलनों से संबंधित हों, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि हम ऐसा किस प्रकार कर पाएंगे और इस वर्ग से इन्हें किस प्रकार अलग रख सकते हैं।

तीसरी बात, केन्द्र और राज्यों को उपरोक्त बातों तथा चुनाव सुधारों से संबंधित अन्य पहलुओं के लिए उपयुक्त विधान शीघ्रातिशीघ्र लाना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदया, उनकी अनुमति हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सिद्धांतत: मेरे वरिष्ठ साथी, और यदि मुझे उन्हें एक मित्र कहने का गौरव प्राप्त है तो, ने जो कुछ भी कहा है, सिद्धान्तत: मैं उससे अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से सहमत हूं। यह उनके शब्द हैं और सैद्धान्तिक रूप से यह हमें स्वीकार्य है। परन्तु जहां तक पदावली और शब्दावली इत्यादि का संबंध है यह एक व्यापक मामला है और इसे उनके साथ, उनकी पार्टी और माननीय अध्यक्ष के साथ बाद में सुलझाया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : धन्यवाद। मैं श्री जसवंत सिंह का उनकी प्रतिक्रिया के लिए आभारी हूं।

मैं आगे एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का निर्णय या निर्देश—मैं नहीं जानता कि वह क्या है—जो कि कल समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था और ऐसे व्यक्तियों को अयोग्य ठहराए जाने के संबंध में है, जो दोषी पाए गए परन्तु यह कि वे अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं गए हों यदि ऐसा हो तो उन्हें माफ किया जा सकता है, तो चुनाव आयोग का यह निर्णय या निर्देश गम्भीर शिथिलताओं और त्रुटियों से युक्त है। मैं उस प्रकार के फार्मूले को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसाकि मैंने कुछ देर पहले कहा था, मैं एक विशेष और भावनापूर्ण अपील सभा से कर रहा हूं, केन्द्र सरकार के एक मंत्री की हैसियत से नहीं अपितु इस प्रतिष्ठित सभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होने के नाते मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि अपने सत्यनिष्ठ निश्चय के संकेत में, इस संकल्प को स्वीकारने में दलगत भावना और राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठे और माननीय अध्यक्ष महोदय की अपील की प्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा करें।

यहां पर हम स्वयं के अतिरिक्त किसी और पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम किसी अन्य एजेंसी या राज्य या सरकार के किसी अन्य साधन का ध्यान, आपराधिकता और भ्रष्टाचार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमारी सहायता हेतु, आकर्षित नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्वयं पर आश्रित हैं। प्रत्येक पार्टी और प्रत्येक पार्टी के नेता को लोगों के सामने खड़े होने में समर्थ होना चाहिए और इस संबंध में एक घोषणा करनी चाहिए कि जहां तक मेरी पार्टी का संबंध है, मैं सत्यनिष्ठा से राष्ट्र और जनता को यह वचन देता हूं कि भविष्य में होने वाले चुनावों में मेरी पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं करेगी जो इन उपबंधों की परिसीमा में आता हो।

यदि नेता ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और इसका निर्वाह करने में असफल रहते हैं तो हमें जनता और जनता की जागरूकता पर विश्वास करना होगा। ऐसी पार्टियों या नेताओं से जवाब मांगें और उनकी खिंचाई करें और इस प्रतिज्ञा में अंतर्निहित भावना को मूर्तरूप प्रदान करें।

महोदया, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं बस यही कहना चाहता था। जैसाकि श्री जसवंत सिंह ने कहा, मैं किसी भाषा विशेष या पदावली या ऐसी किसी बात पर जोर नहीं दे रहा हूं, जिसे बदला जा सकता है। परन्तु इस पूरी बात के पीछे की मूल भावना, विचारधारा को, मैं समझता हूं, यदि सभा में सामान्य रूप से प्रतिक्रिया मिलती है, तो मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगा।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदया, मैं सभा के अनुभवी सदस्यों में से एक के रूप में, न कि एक मंत्री के रूप में, श्री इंद्रजीत गुप्त द्वारा दिए गए सुझाव की प्रशंसा करता हूं। पिछले तीन दिनों से सभी राजनीतिक पार्टियों में कशमकश चल रही थी जिसमें हम एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और जिसका मूल भाग, जो कुछ श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा कहा गया, उसमें निहित है। जहां तक शब्दावली का संबंध है उसमें कुछ परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं।



श्री नकली सिंह

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : चेयरमैन साहिबा, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण समय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी बात दो चरणों में प्रस्तुत करता हूं। पहला चरण होगा—पचास साल की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर उन वीर शहीदों को नमन करने का, उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर लोग जो देश की आजादी के लिए लड़ते-लड़ते शहीद हो गए उनके लिए मेरे मन में और आपके मन में बहुत सम्मान है।

बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से
मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से

ऐसे उन अमर शहीदों को जिनमें बहुतों के नाम गिनाए जा सकते हैं उनके नाम किताबों में हैं, लेकिन बहुत से वीर ऐसे हैं जिनके नाम

किताबों में भी नहीं हैं। ऐसे सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रफी अहमद किदवई साहब और खान अब्दुल गफ्फार खां साहब, ऐसे सब लोगों को हम नमन करते हैं।

मित्रो, बहुत से लोग आजादी की लड़ाई में भस्म हो गए, लेकिन उनके नाम किताबों के पन्नों में नहीं हैं, किसी की जुबान पर नहीं है।

भूमि के रजकण सितारे सभी आकाश के
बुंदिया बरसात की कोई गिन सके
किन्तु भारत के सपूतों की यशोगाथा बड़ी
है अपरिमित, अनंत, अन्तहीन मणियों की लड़ी

वीरों की यशोगाथा को कोई गिन नहीं सकता।

चेयरमैन साहिबा, आज तो हम लोग इस खुशी के माहौल में रह रहे हैं, लेकिन इस आजादी को दिलाने के लिए न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने घरों के दीपक बुझ गए, कितनी बहनों के भाई शहीद हो गए और कितनी बहनों के सुहाग चले गए। क्या आज हम वीर शहीदों का सम्मान करते हैं। हमें आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि शहीदों की बेइज्जती करने की स्थिति हमारे देश में क्यों पैदा हुई। हमें अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या हम आज शहीदों का उतना सम्मान करते हैं जितना होना चाहिए। जिस देश में शहीदों का सम्मान नहीं होता, उस देश में शहीद पैदा होने बंद हो जाते हैं। आज हम यह देख रहे हैं कि शहीदों के जो स्टैच्यू हैं उनकी रक्षा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम स्टैच्यू के पास एक सिपाही भी खड़ा कर देते हैं फिर भी हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि हममें देश भक्ति का अभाव हो गया है। हम लोग देश भक्ति को नहीं अपना पा रहे हैं। देश भक्ति वह चीज होती है जो मनुष्य को उसके राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु उकसाती है। उसको प्राण देने के लिए तैयार करती है। देश भक्त केवल वह होता है—

सूरज करता नहीं दोस्ती तारों से अंधियारों से
पानी करता नहीं दोस्ती शोलों से अंगारों से
शेर मिलाता हाथ नहीं कभी जंगल के सियारों से
राष्ट्र भक्त समझौता करते नहीं कभी गद्दारों से

चेयरमैन साहिबा, हम लोग गुलामी के दिनों को देखते थे उसके बाद देश आजाद हुआ लेकिन हमने आजादी के बाद देश को, देश के नौजवानों को क्या दिशा दी। गुलामी के वक्त पैदा हुए, हाकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद। ध्यान चंद और उनके भाई रूप सिंह दोनों हाकी में खेलते थे। जैसे ही रूप सिंह ने बर्लिन में हाकी के पहले ओलम्पिक में पहला गोल दागा, वहां के राष्ट्र नायक हिटलर ने फौरन कहा कि बर्लिन में एक सड़क रूप सिंह के नाम से बना दी जाए और बर्लिन में रूप सिंह रोड बनाया गया। ध्यान चन्द सिपाही था। हिटलर ने यह कहा कि अगर तुम मेरे देश में होते तो मैं तुम्हें सेना में कम से कम लैफ्टीनेंट जनरल का पद देता। इस बात से परेशान होकर अंग्रेज हुकूमत ने उनको बाद में मेजर बनाया। आज हम खेलों की दुनिया के मानचित्र में कहां हैं। यह हमें देखना चाहिए और अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। गुलामी के जमाने में रुस्तमे जवां गामा इस देश में पैदा हुए थे। आज खेल में क्या स्थिति है, यह आप देख रहे हैं। क्यों नहीं नौजवानों को दिशा दी गयी? मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारा नौजवान भटका हुआ है और वही नौजवान अपराध कर रहा है। वही नौजवान रूदन कर रहा है। जिस देश के नौजवान भटक जाते हैं, जिस समाज के नौजवान समस्याओं से जूझने से कतराते हों, जिस देश के नौजवान जोखिम उठाने से डरते हों, हिचकते हों, उस देश में पलायनवाद की स्थिति आया करती है और पलायनवाद की स्थिति अंततोगत्वा राष्ट्र को पराधीनता की ओर धकेला करती है। इसलिए इस स्थिति को आप रोकिये और हमारे नौजवानों को दिशा दीजिए।

मैं चेयरमैन साहिबा की इजाजत से सभी माननीय सदस्यों के सामने यह कहना चाहता हूं कि हमें इस देश की उन्नति आर्थिक रूप से करनी है। बहुत सी बातें हो गयीं। करप्शन की भी बातें होती हैं। अखबार वाले लिखना बंद कर दें। जुबान भी बंद कर दी गयी। हर घर-घर में चर्चा है कि हाकिम अच्छा वह जो लेकर काम कर दे। क्या स्थिति पैदा हो गयी है? क्या हम लोग भ्रष्टाचार से लड़ नहीं रहे हैं? ईमानदारी से नहीं लड़े। यह स्थिति क्यों पैदा हुई है? स्थिति यह पैदा हो गयी कि इस देश का जो आर्थिक तरक्की का मूल मंत्र है, वह नहीं अपनाया है। इस देश की तरक्की का प्रयास किसान की तरक्की से नहीं जोड़ा गया। हम उत्तर प्रदेश से आये हैं और उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत पैदा होता है। पहली बार सन् 1967 में उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव बढ़ा था। कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा था, केवल साढ़े 13 रुपये क्विंटल सरकारी भाव था लेकिन खांडसारी के अंदर बढ़ते-बढ़ते 30 रुपये क्विंटल तक चला गया। उस समय मैंने देखा कि गांव में मजदूर की मजदूरी ढाई से तीन रुपये मिलती थी जो कि बिना किसी रुकावट के बढ़ते-बढ़ते 15 से 20 रुपये तक हो गयी। अचानक इतना उछाल हुआ क्योंकि जब किसान की जेब में पैसा आयेगा तो उसके मजदूर की जेब में भी पैसा आयेगा। उससे कुम्हार, कहार, सुनार, दुकानदार आदि सबकी जेब में पैसा आयेगा और गांव के लोग फिर शहर चलेंगे। शहर के अंदर जायेंगे तो मोटर साईकिल वाले की मोटर साईकिल बिकेगी, लोहे वाले का लोहा बिकेगा, कपड़े वाले का कपड़ा बिकेगा, भट्ठे वाले की ईंट बिकेगी, डाक्टर की दवाई बिकेगी और वकील की वकालत भी चलेगी क्योंकि गांव के लोग झगड़ते भी ज्यादा हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि शहर वालों की खुशहाली गांव वालों की खुशहाली में छुपी हुई है और गांव वालों की खुशहाली किसान की खुशहाली में छुपी हुई है। इसलिए किसान को बहुत बड़ी मात्रा में सबसिडी देनी चाहिए। जो बड़े सम्पन्न देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह उसमें भी सबसिडी दी जाती है। सबसिडी से हमें नहीं चूकना

चाहिए। यह वह किसान है जो इस देश की आबादी का 80 प्रतिशत है। यह वह किसान है जिसके बेटे इस देश की फौज में लद्दाख और नेफा की रक्षा के लिए बर्फीली चट्टानों का पहरा देते हैं। यह वह किसान है जो मतदाता भी 80 फीसदी है। यह वह किसान है जो अन्नदाता और प्राणदाता भी हैं।

यह देश कृषि प्रधान देश है। किसी जमाने में कहते थे कि—

"उत्तम खेती मध्यम बान,
निखत चाकरी भीख निदान।"

निखत चाकरी जो थी, वह उत्तम चाकरी हो गयी। वे नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं इसलिए आप किसानों का मनोबल बढ़ायेंगे तो वह इस देश की कायापलट करके रख देगा। एक जमाना था जब स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सन् 1965 की लड़ाई में आह्वान किया था। उस समय अमरीका से केवल पी.एल. 480 के तहत गेहूं आता था। अमरीका ने धौंस पट्टी दी थी कि लड़ाई बंद करो नहीं तो हम तुम्हें अनाज नहीं देंगे। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश का आह्वान किया कि देशवासियों तुम भूखे रहकर काम करो और आपको याद होगा कि रविवार के दिन होटल और ढाबे बंद रहा करते थे क्योंकि वह असली भारत माता के सपूत धरती से जुड़े हुए थे। वह प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की आवाज थी और उस समय किसान ने करवट ली और इस देश में किसान ने हरित क्रांति लाकर दिखाई। आज हम लोग गेहूं के मामले में स्वावलम्बी हो गये हैं। आप किसान को प्रोत्साहन दीजिए। किसान वह चीज है जिसकी रग-रग में देशभक्ति है। सभी लोग देश भक्ति से ओत-प्रोत हैं लेकिन किसान इस देश का पर्यायवाची है और किसान की बहबूदी इस राष्ट्र की बहबूदी है।

मैं आखिर में ज्यादा न कहते हुए चूंकि हमारे नेता जी ने कहा था और यह कायदे की बात है कि हमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। हम यह मानकर चलते हैं कि यदि हम लोग वास्तव में बेईमानी को मिटाना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को मिटाइये। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उन सबके नाम गिनाना जरूरी नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं। आज उनका क्या हाल है? वह उस पैसे का क्या करेंगे? मैं एक बात कह दूं क्योंकि मैं बहुत लोगों से उम्र में छोटा हूं और कई लोगों से उम्र में बड़ा भी हूं और कई का भाई भी हूं। मैं तो केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि पैसे में सब कुछ नहीं है। पैसे से लड़का मिल सकता है मगर बेटा नहीं मिल सकता। पैसे से नौकर मिल सकता है मगर सेवक नहीं मिल सकता। पैसे से औरत मिल सकती है मगर पत्नी नहीं मिल सकती। फिर इस पैसे का क्या मतलब है? पैसे से अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छी दवाई तो ईमानदारी से भी मिलती है। जिनके यहां से बोरियों भरे, कट्टे भरे रुपये निकले, आखिर उनका क्या हाल हो रहा है? यह हरिशचंद्र का देश, किसी जमाने का ईमानदार देश, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का देश, इसमें आज क्या हो रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान देश क्यों हो गया। जिस हरिशचंद्र के बारे में यह कहते थे—

चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार,
दृढ़ श्री हरिशचंद्र को, टरे न सत्य विचार।

आज पब्लिक को नेताओं की जुबान पर विश्वास नहीं रहा। किसी जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुरशाह ज़फ़र की मज़ार पर खड़े होकर कहा था। जिस समय बहादुरशाह ज़फर को अंग्रेज ने गिरफ्तार किया तो उस समय यह शेर पढ़ा गया था—

दमदमे में दम नहीं
खैर मानो जान की
ए ज़फर ठंडी हुई
शमशीरें हिन्दुस्तान की।

तो उसने कहा था-

गाजियों में बू है
जब तलक ईमान की
तख्ते लंदन तक चलेगी
तेगे हिन्दुस्तान की।

आज क्या हो रहा है। आज चुनावी नेता है, चुनाव जीतना जानता है। जो आने वाले समाज की सोचता है, वह राष्ट्रहित की सोचता है। आज तो नेता इतने जहरीले हो गए हैं कि उसके पास जाने की तबियत नहीं होती। आज तो नेता को यदि धोखे से सांप भी काट ले तो सांप चला जाएगा लेकिन नेता नहीं जाएगा।

एक सांप ने एक नेता को डसा
नेताजी मजे में सांप चल बसा।

मैं कहना चाहता हूं कि आखिर देश ने खोया क्या और पाया क्या। पाया भ्रष्टाचार, पाई दुनियाभर की अनेक बुराइयां, नेताओं का विश्वास कम हुआ है और यदि एक वाक्य में कहा जाए तो राष्ट्रीय चरित्र खोया है। नैशनल करैक्टर हमारे पास नहीं रहा है। नैशनल करैक्टर की जरूरत है। आप चाहे कुछ भी योजना बनाएं, कोई सरकार बनाए, एक से एक अच्छी योजना लागू करें लेकिन उसका इम्प्लीमैंटेशन नहीं हो पाएगा जब तक हमारे समाज में नैशनल करैक्टर नहीं होगा। इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं मात्र इतना निवेदन करता हूं कि हर पार्टी में बहुत अच्छे-अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छी उनकी विश्वसनीयता है। सब सदस्य मिलकर स्वर्ण जयंती के इस स्पैशल सैशन के माध्यम से एक योजना तैयार करें कि कुछ भी करेंगे लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में राष्ट्रीय चरित्र को नहीं गवाएंगे क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है, हम बाद में हैं।

हम दिन चार रहें न रहे
तेरा वैभव अमर रहे मां।



डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदया, मैं चार दिन से दिन-रात तपस्या कर रहा हूं और अब समय मिला है।

[अनुवाद]

महोदया, माननीय अध्यक्ष महोदय के इस नवीन विचार से शुरू की गई इस नई प्रणाली से समग्र राष्ट्र मंत्रमुग्ध हो गया है जिसे प्रत्येक सदस्य ने बड़े जोश-खरोश के साथ अपनाते हुए, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है।

मैं तेलुगू में कुछ कहना चाहूंगा। जिसका अर्थ यह है कि महान देशभक्तों ने अंग्रेजों द्वारा डाले गए गुलामी के बंधन को काटने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें आजादी प्रदान की जिसके लिए मैं नतमस्तक हूं।

मैं तेलुगू में आगे कहना जारी रखना चाहूंगा जिसका अर्थ है:

अनेकों महान देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और अपना यौवन भारत माता के चरण-कमलों में अर्पित कर दिया और लाल किले पर झण्डा फहराया तथा स्वतंत्रता प्राप्त की जिसके लिए हम सब उनके समक्ष नतमस्तक हैं। हमें अपनी राजनीतिक सम्बद्धता को भुलाकर इससे उत्साहित और प्रेरित होना चाहिए।

एक बात और है।

"भारत देश, आर्थिक विकास, नोकुत्ताया, संघटना: निरुपमाला: सन्जिवेश: न द्वितीया:"

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन पचास वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों और जीवन की विभिन्न गतिविधियों में की गई प्रगति शानदार और अद्भुत है और इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि इन पचास वर्षों में गरीबी और बेरोजगारी और युवकों में कुण्ठा भी इतनी ही भयावह रूप से बढ़ी है। इसका हल क्या है?

[हिन्दी]

मजाक की बात नहीं है।

हमें सुनना चाहिए और राष्ट्रीय मूल भावना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें छोटी-छोटी बातों पर हमेशा उलझना नहीं चाहिए।

परन्तु मुख्य बात यह है कि प्रगति के बावजूद हम आज भी ऐसी दुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, जैसे कि पीने के पानी की आवश्यकता है, कपड़े की जरूरत है, आश्रम की आवश्यकता है और इन सब बातों का हम अनुभव करते हैं और हमारी आंखों में आंसू भर आते हैं। भाषण की बात नहीं है।

इन सबका क्या हल है? इसे कैसे कर पाएंगे? यही प्रमुख प्रश्न है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि 1947 में हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी। आज यह 96 करोड़ है।

सारा सदन इस बात से सहमत है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारी प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी को बधाई देना चाहता हूं जो इस समय यहां नहीं हैं। एक महिला मंत्री के रूप में उन्होंने पुरुषों को प्रेरणा दी कि हमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए आगे आना चाहिए। इस बात के लिए मैं उन्हें वास्तव में बधाई देता हूं।

दूसरी ज्वलंत समस्या क्या है? अभी तक अनेक वक्ताओं ने बोला किंतु किसी ने भी इस मुद्दे के संबंध में कुछ नहीं कहा। मैं यह बात कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, सांप्रदायिकता और जातिवाद के अतिरिक्त एक और मूलभूत समस्या कैंसर रोग की भांति बढ़ गई है। और वह है दफ्तरशाही जो देश की अति ज्वलंत समस्या है। आप किसी भी कार्यालय में जाइए। कागजात एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेजे जाते हैं। सभी विभागों में यही स्थिति है। हमें दु:ख हो रहा है। हम क्या देखते हैं कि कागजात छ:-छ: महीने पड़े रहते हैं और कोई उन्हें हाथ तक नहीं लगाता है। इस प्रकार की दफ्तरशाही सभी विभागों में सभी स्तरों पर व्याप्त है। जनता को सोचना चाहिए कि वे इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करें। आप इस बात को गंभीरतापूर्वक लीजिए।

उदाहरणार्थ, मैंने उन लोगों के विचार भी सुने जिन्हें उत्साह था और जो विदेशों में रहने वाले हमारे अपने भारतीय लोग हैं, जो विदेशों में रहते हैं और यहां आना चाहते हैं और यहां पूंजी लगाकर उद्योग आरंभ करके लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। अब वे कहते हैं कि हम आपके देश में नहीं जाना चाहते हैं। कागजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में दो महीने लगते हैं और लोग एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं। मान लीजिए कि तीन विभाग वित्त विभाग, विधि विभाग और उद्योग विभाग हैं और प्रत्येक विभाग का सचिव अलग-अलग बात करता है और कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ती, कुछ भी नहीं होता है। अत: हम सभी दलों से कह रहे हैं कि यह एक मूलभूत समस्या है। मैं श्री जसवंत सिंह से निवेदन करता हूं कि वह इस विषय पर विचार करें। उन्हें इस विषय में अपने दल से भी विचार-विमर्श करना चाहिए। भविष्य में दफ्तरशाही को समाप्त किया जाए। इसका उन्मूलन किया जाए। भावी 50 वर्षों में हमें महसूस करना चाहिए कि राष्ट्र, जनता और संविधान को आधुनिक दर्शन में बदल दिया जाए ताकि 21वीं शताब्दी का यह प्रतीक बने।

महोदया, मैं अब और पांच मिनट बोलूंगा।

अगला मुद्दा यह है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विभिन्न संकटों, समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद हम लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें और इस देश में गणतंत्र कायम रख सके। हमें इस बात का गर्व है। परन्तु, दुर्भाग्यवश यदि आप राजनीतिक दलों के दर्शन, अनुभूति, विचार और प्रारंभ को देखें तो यह पूरी तरह से अलग है। एक कहता है सा-रे-गा-मा तो दूसरा कहता है ई-सा-रे-ग-गा। राजनैतिक नेता मानते हैं कि यदि एक दल एक बात कहता है तो दूसरा दल इसे स्वीकार नहीं करेगा चाहे यह सही है या गलत। हमें अपने दृष्टिकोण में रचनात्मक होना चाहिए। हमें आपस के मतभेदों को भूलना चाहिए। किसी भी मुद्दे को हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमें केवल उसी का पालन करना चाहिए जिस से देश का भला हो। हमें इकट्ठा रहना चाहिए और यही पूरे सदन और पूरे देश के लिए एक सूत्री फार्मूला होना चाहिए। मैं यह बात इस अवसर पर कहता हूं।

एक और अति महत्वपूर्ण मुद्दा आवास से संबंधित है अर्थात् रोटी कपड़ा और मकान तथा अच्छी सड़कें। आप समाचार-पत्र देखिए। रोज दुर्घटनाएं होती हैं।

[हिन्दी]

वह मर गया है। वह हास्पिटल में है।

[अनुवाद]

कुछ नहीं हो रहा है। आज हम तेल का आयात करते हैं, किन्तु तेल व्यर्थ हो रहा है क्योंकि अच्छी सड़कें नहीं हैं। हमारे देश में बहुत सा तेल और अनेक खनिज हैं। देश समृद्ध हैं किन्तु जनता गरीब हैं क्योंकि हम अपने संसाधनों का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। जिसके लिए हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे पास अनेक प्रौद्योगिकी-विद हैं जिन पर हमें गर्व है। किन्तु हमारे देश में इनका उपयोग नहीं होता है; वे पूरे विश्व में फैले हुए हैं।

हमारा एक सूत्रीय तंत्र है कि गरीबी-उन्मूलन कैसे किया जाए, किस प्रकार रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार पेय जल और सामान्य जनता को शिक्षा जैसी न्यूनतम सुविधाएं दी जाएं।

[हिन्दी]

यह बोलना बहुत आसान है, लेकिन कैसे मिलता है?

[अनुवाद]

मेरा यह प्रश्न है। जब तक आप व्यावहारिक और रचनात्मक नहीं होंगे आप समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं। रोज भाषण दिए जाते हैं और झगड़ें होते रहते हैं केवल भाषण देने से कुछ नहीं हो सकता है।

आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या है? सीधी सी बात है। हमारे पास धन नहीं है और हम इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। आप हमारे उद्योगों के निर्माण हेतु पूरे विश्व को यहां आने और पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं। हम एक-दूसरे पर अविश्वास क्यों करें? हम इकट्ठे बैठें। हम अपने देश को नहीं बेचते हैं। हम देश की गरिमा और प्रभुसत्ता खोये बिना अपने देश का विकास कर सकते हैं। अत: आर्थिक सुधारों के रूप में आधारभूत ढांचे, उद्योगों और अन्य कई प्रकार के विकास के लिए हम जनता को आमंत्रित करते हैं। आप अपने खनिजों, तेल और खानों के दोहन के लिए उनसे प्रौद्योगिकी चाहते हैं।

अत: मेरा प्रथम सुझाव यह है कि इस राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें राजमार्गों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई नगरों को 11 पत्तनों से मिलाया जाना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए हमें धन की आवश्यकता है और धन हमारे पास है ही नहीं। दफ्तरशाही के कारण बाधा आती है। पांच वर्ष से विभिन्न संस्थान आर्थिक सहायता करने को तैयार हैं किन्तु कुछ भी नहीं हो रहा है। इस कारण हमें बहुत दु:ख हो रहा है।

[हिन्दी]

दु:ख होता है आंख में पानी आता है, अगर देखें तो।

[अनुवाद]

अत: मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आने वाले 50 वर्षों में हम आत्मा और प्रेरणा को इस प्रकार राष्ट्र को समर्पित करें कि मानव विकास होना चाहिए।

दूसरी बात, सभी दलों को किसी भी नेक कार्य के लिए संगठित होना चाहिए। जिस समय महान व्यक्तियों ने भारत के संविधान की रचना की, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसी समय सरकार अस्थिर होगी और राजनीतिक स्थिरता होगी। अब तो ऐसा ही है किंतु हम इसका समाधान नहीं करते हैं और इसका कोई अंत नहीं है। लोगों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और संविधान में इस प्रकार संशोधन करना चाहिए ताकि कम से कम भविष्य में राजनीतिक स्थिरता हो।

मेरा अगला सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम शिक्षा नहीं दे पाएं जो संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत हमें अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करनी है, परन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक का प्रस्ताव किया। मैं वर्तमान सरकार का आभारी हूं कि इसने 20,000 करोड़ रुपये देकर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना स्वीकार किया है जिसके लिए कैबिनेट ने भी स्वीकृति दी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसमें कार्य किया। मैं सरकार का आभारी हूं। यह संसद लोकतंत्र का आधुनिक मंदिर है।

[हिन्दी]

यह बहुत पवित्र है।

[अनुवाद]

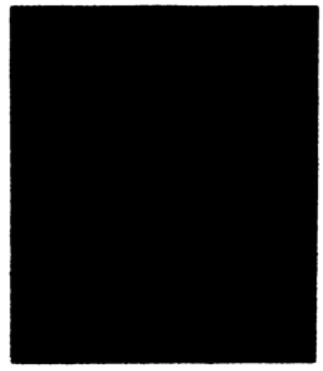
यदि आप यहां आखें बंद करके बैठेंगे तो आप को शक्ति की एकाग्रता प्राप्त होती है। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है।

मैंने स्वामी विवेकानंद पर एक फिल्म का हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्माण किया है। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले शिकागो में धर्मगर्जना की। उन्होंने समस्त विश्व को वशीभूत किया। उन्होंने ही विश्व भर को यह संदेश दिया कि भारत विकास, भारत संस्कृति, भारत सम्प्रदाय, भारत आध्यात्मिक विकास अद्भुत समान है, असाधारण है। उन्होंने विश्व को यह बताया। जब तक रवि शशि इस संसार में हैं, पूरे राष्ट्र को महान आत्मा स्वामी विवेकानंद को याद करना चाहिए। मैं इस महान व्यक्ति पर फिल्म बनाकर अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। हाल ही में इस फिल्म के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर तैयार हो गए हैं। आज मैं इस फिल्म को इस संसद को समर्पित करता हूं जो कि लोकतंत्र का आधुनिक मंदिर है।

अत: मैं, आने वाले 50 वर्षों में हमें विश्व के सभी भागों में संसाधन और आधुनिक प्रौद्योगिकी इस देश में लाने की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें इस प्रकार की धारणा नहीं बनानी चाहिए कि देश भ्रष्ट है। यह सही है कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में भ्रष्टाचार है। हमको दुख होता है। किन्तु सभी भ्रष्ट नहीं हैं। इस देश में ईमानदार लोग भी हैं, प्रतिबद्ध लोग भी हैं, दृढ़ विश्वास के लोग भी हैं, निश्चय के लोग भी हैं और समर्पित लोग भी हैं। हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि हम बैंकों में, संस्थाओं तथा अन्य कार्यालयों में जाएं, वहां सभी लोग हतोत्साहित हैं और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। वह समझता है कि हमको क्या जरूरत है?

[अनुवाद]

महोदया, भविष्य में इस राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का सुझाव देता हूं। हम एक नये युग का सूत्रपात करते हैं। चलिए हम अपने अतीत को भूल जाएं और उसे क्षमा करें। ऐसे प्रशासन, सरकारी अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों को नया जीवन प्रदान करें जो भ्रष्ट नहीं हैं। किंतु कुछ भ्रष्ट लोग भी तो होंगे। अत: हम गंभीरतापूर्वक ध्यान दें और देखें कि किस प्रकार भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त की जाए। अन्यथा सभी हतोत्साहित होंगे। हमें उन लोगों को नैतिक समर्थन देना चाहिए जो इस राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध हैं। आओ हम सभी इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सपना साकार करें जहां कोई बेरोजगार न हो और न ही कोई पेयजल और अन्य आवश्यक जरूरतों से वंचित हो। यह सही है कि हम अगले 50 वर्षों तक जीवित नहीं रह सकते हैं लेकिन हमें ऐसा काम करना है कि विश्व में इस देश की प्रतिष्ठा भव्य, शानदार और अद्वितीय हो।



श्री नवल किशोर राय

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदया, इस विशेष अधिवेशन में आज़ादी के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो बहस प्रारम्भ हुई है और यहां पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह चर्चा काफी समय से चल रही है। सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार विस्तार से सदन में रखने का काम किया है। पचास वर्ष में भारत आगे बढ़ा है। हमने सभी क्षेत्रों में विकास जरूर किया है। हम आपके सामने इस सदन में कुछ बिन्दुओं पर जिनमें हमने विकास किया है, उसकी चर्चा करना चाहते हैं। 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन 50.8 मिलियन टन था जो 1997 में बढ़कर 198.1 मिलियन टन हो गया है। उसी प्रकार से 1950-51 में 22.56 मिलियन हेक्टेअर में सिंचाई थी जो 1997 तक बढ़कर 79.9 मिलिटन हेक्टेअर हो गई है। उसी प्रकार से 1950-51 में औद्योगिक उत्पादन 18.3 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 302.2 प्रतिशत हो गया है। चीनी का उत्पादन जो 1950-51 में 1.13 मिलियन टन था, वह अब बढ़कर 15.45 मिलियन टन हो गया है। इस्पात के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 1950-51 में इस्पात उत्पादन 1.04 मिलियन टन से बढ़कर अब 21.04 मिलियन टन हो गया है। विद्युत के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। 1950-51 में विद्युत उत्पादन 1,700 मेगावाट था, अब बढ़कर 8,330 मेगावाट हो गया है। इसी प्रकार से इस देश में नेशनल हाई-वे जो 1950-51 में 2200 कि.मी. थे, अब बढ़कर 17000 कि.मी. हो गए हैं। 1955-56 में हमारे देश में विद्यालयों की संख्या 312,000 थी, अब बढ़कर 836,000 हो गई है। विकास निश्चित हुआ है। पचास वर्षों में हमें जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, उतनी प्रगति हम नहीं कर पाए हैं, परन्तु प्रगति की है। प्रगति की गति पर चिन्ता नहीं है, परन्तु प्रगति की गति के बजाए हमारी प्रगति में जो असन्तुलन है, उस पर चिन्ता गम्भीर है। जिस प्रकार से असन्तुलन दूर होना चाहिए, वह दूर नहीं हुआ है। भूतपूर्व प्रधान

मंत्री, स्व. राजीव गांधी, ने स्वयं इसी सदन में कहा था कि गांवों में किसी भी योजना का दस फीसदी ही पैसा जाता है। इसको देखकर बहुत असंतोष होता है। यह मैं कह चुका हूं कि पचास साल में विकास हुआ है, हम विकास की ओर बढ़े हैं, लेकिन असंतुलित विकास हुआ है। मैं इस बारे में सरकार की एक सैम्पल रिपोर्ट 1991 की उद्धृत करना चाहता हूं। उसके हिसाब से बिहार में 3,858 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है, पंजाब में 14,188 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है, हिमाचल प्रदेश में 7,784 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है, मध्य प्रदेश में 5,845 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है और उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, में 5,331 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है। इसी प्रकार से यदि हम विश्व के प्रमुख देशों में प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें, तो भारत में 340 डालर, सिंगापुर में 26,737 डालर, हांगकांग में 23,000 डालर, ताईवान में 13,000 डालर है। इस प्रकार हम दुनिया के पैमाने पर देखें, तो इन पचास वर्षों की प्रगति को देखते हुए पीछे हैं। यह बात मैं आपके माध्यम से इस सदन में इस चर्चा में लाना चाहता हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में 80 फीसदी आबादी लगी हुई है। वर्ष 1950-51 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 52 फीसदी है, जो वर्ष 1997 में घटकर 26 फीसदी रह गई है।

सभापति महोदया : आप आंकड़ों को देने के बजाए, अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री नवल किशोर राय : मैं आपके आदेश का सर्वप्रथम पालन करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मैं आपको यह सुझाव इसलिए दे रही हूं क्योंकि आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : महोदया, मैंने अभी आपके सामने प्रगति के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनके माध्यम से मैंने सदन का ध्यान खींचा है। आपने कनक्लयुड करने के लिए आदेश दिया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से दो-तीन सुझाव रख कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सदन में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी चिन्ता व्यक्त की गई है। देश की आबादी में निरन्तर वृद्धि हो रही है। फैमिली प्लानिंग, फैमली वैलफेयर की विभिन्न भारत सरकार की योजनाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, परन्तु 32 फीसदी परिवारों में ही फैमिली प्लानिंग हो पाई है। नियंत्रित परिवार रखने वालों को सरकार पुरस्कार देना चाहती है और हम पचास साल में 32 फीसदी परिवारों को ही पुरस्कार दे पाए हैं और इसमें भी हम सफल नहीं हुए हैं। आप चीन की स्थिति देखें, वहां पर जो परिवार नियंत्रित नहीं होते हैं, उनकी सुविधायें बन्द कर दी जाती हैं। जो नियंत्रित परिवार से आगे बढ़ते हैं, उनको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं। यह मेरा पहला सुझाव है।

सभापति महोदया, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो एनवायरमेंट का सवाल है, पर्यावरण का सवाल है, इस क्षेत्र में हम काफी पिछड़ गए हैं। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था तो 31.5 फीसदी कुल भूमि का वन हमारे यहां था जो अब घट कर सरकारी आंकड़े हिसाब से 19 फीसदी रह गया है। अभी जो वन मंत्री हैं उन्होंने पिछले दो हफ्ते पूर्व बयान दिया कि 11, साढ़े 11 प्रतिशत वन हैं जब कि वैज्ञानिकों का मत है कि जब तक वन नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा। ये जो सारी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, ये सारी बाढ़ और सूखा के कारण से हुई हैं। मोहन धारिया कमेटी की अनुशंसा को देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 20 हजार करोड़ रुपए की राशि सरकारी और गैर-सरकारी अपने देश में वन लगाने में खर्च करनी चाहिए लेकिन यह नहीं हो रहा है। इस वर्ष में बजट में लगभग एक हजार करोड़ रुपए की राशि दी गई है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि संकल्प लेने के समय यह इस संकल्प में शामिल होना चाहिए और हर हालत में 20 हजार करोड़ रुपये की राशि वन लगाने में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में खर्च करनी चाहिए। जबकि सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट है कि अपने देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में ईंधन से, लकड़ी से, खाद से, सभी चीजों से, वनों से 40 हजार करोड़ रुपए की राशि की प्रत्येक वर्ष आय होती है तो जहां से हमें 40 हजार करोड़ रुपए की आय होती है उस पर 20 हजार करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष लगाना बिल्कुल जायज है। यदि हम 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो वह बढ़ती जाएगी।

महोदया, अंत में मेरा यह कहना है कि युवकों के बीच में 25 करोड़ के आस-पास की आबादी है जो साक्षर है, कम साक्षर है, बिना पढ़े-लिखे हैं और कुछ पढ़े-लिखे विद्वान हैं। उनकी ऊर्जा का स्वतंत्रता के आंदोलन में उपयोग हुआ, उसके बाद संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में उपयोग हुआ। इस प्रकार से सभी लड़ाईयों में और सभी कामों में युवकों की ऊर्जा का उपयोग होता है परन्तु युवकों के लिए कोई सम्यक नीति नहीं है, जो नीति है वह अधूरी है। इसलिए एक नयी युवा नीति बने, उसे इसी संकल्प में शामिल किया जाए और संकल्प लेकर नयी युवा नीति बनाने का काम समय-सीमा के अंदर सदन करे तथा युवा नीति बनाने के लिए एक युवा परिषद का गठन किया जाए जो लोकतांत्रिक पद्धति से जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और गांव स्तर पर गठित हो। युवा परिषद को संविधान में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस पर नीचे से ऊपर तक चर्चा करके अपने लिए तथा युवकों के लिए एक युवा नीति बनाएं। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने का काम करें। सरकार उन्हें इतने अधिकार दे कि वह इम्पलीमेंट कर सकें। इम्पलीमेंटेशन का अधिकार हो, रिकोमेंडेशन का नहीं। अब तक जो समितियां बनी हैं उन समितियों

में रिकोमेंडेशंस के अधिकार देते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा जिस वर्ग का होता है वह 15 वर्ष से 40 वर्ष के उम्र वालों का खपत होता है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमारा कहना है कि यह जो संकल्प बने उसमें निश्चित रूप से नयी युवा नीति बनाने का काम यह सदन करे और उसमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। .....*(व्यवधान)* उसमें यह फैसला हो, उसमें समय-सीमा के अंदर नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक पद्धति से युवा परिषद का गठन हो।

वही युवा-परिषद नयी युवा-नीति बनाए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। साथ ही नि:शुल्क शिक्षा पद्धति और अनिवार्य शिक्षा पद्धति तथा समान शिक्षा पद्धति लागू करने का काम करें। यही अनुरोध करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया और मेरी पूरी बात गौर से सुनी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।



श्रीमती हैडविग माइकेल रीगो

[अनुवाद]

श्रीमती हैडविग माइकेल रीगो (नामनिर्दिष्ट) : माननीय सभापति महोदया इस सभा को संबोधित करने के लिए जो सम्मान दिया जा रहा उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

मैं इस अवसर पर इस महान देश को, दिवंगत नेताओं को और वर्तमान नेताओं को अभिनन्दन करती हूं। मैं बालिकाओं के संबंध में कुछ बातें जो बड़ी चिंता की और अन्यायपूर्ण हैं, को रिकार्ड में दर्ज कराना चाहूंगी।

स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् महिलाओं को जीवन-यापन, किये गये समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन, न्याय और कार्य की मानवीय दशाओं के संबंध में संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक गारंटी के बावजूद, लिंग भेद की समानता एक सपना ही लगती है। हमारा सामाजिक ढांचा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को अनुचित मानता है क्योंकि महिलाओं को जन्म से कमजोर और सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में अपने कर्त्तव्य पालन में अक्षम मानता है, जबकि महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं इन सभी क्षेत्रों में कर्त्तव्य पालन में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए देखें, तो कृषि क्षेत्र में लगी श्रम शक्ति का पचास प्रतिशत महिलाएं हैं फिर भी यह सत्य है कि कृषि प्रौद्योगिकी के लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंचते हैं। आज भी गांवों और शहरों में पुरुष प्रधान ढांचा विद्यमान है। महिलाओं की अशिक्षा ही हमारी प्रगति में बाधक है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण, मैं समाज के गरीब वर्ग और उपेक्षित बच्चों के संबंध में, मैं इस सभा से अनुरोध करती हूं कि, सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए गंभीर प्रयास करें ताकि महिलाओं की नयी पीढ़ी अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को जानें और योग्यतानुसार समाज में स्थान प्राप्त करें और जीवन साथी की सहायता करें।

सौ वर्ष पहले, राजाराम मोहन राय, विद्या सागर, स्वामी विवेकानन्द और बाद में महात्मा गांधी जैसे हमारे समाज सुधारकों ने महिलाओं, विधवाओं और बालिकाओं के आंसू पोंछने के लिए अथक परिश्रम किया। पति, पिता, राजनीतिज्ञ, संसद सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और धर्माधिकारियों ने बालिकाओं के लिए क्या किया है? इस असहनीय दासता से निकालने के लिए वे क्या योजनाएं बना रहे हैं? मैं सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इसे अपना प्रमुख कर्त्तव्य मानें। यह एक सच्चाई है कि जिन देशों ने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया उनकी विकास दर तेजी से बढ़ी है। अधिक शिक्षित महिला अधिक योग्य पुरुषों, महिलाओं और बालिकाओं का निर्माण करती है। कुरीतियों, विशेषकर वे व्यक्तिगत अधिकार जो सामाजिक रीति-रिवाज के विरुद्ध हैं, को ठीक करने के लिए एक नये कानून की आवश्यकता है। बालिकाओं को अपराध और शोषण से बचाना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कठोर कानून होना चाहिए। समाज में समान प्रतिष्ठा और समान भागीदारी ही समानता है। महिलाओं के प्रति समान दृष्टिकोण, समान आदर, समान विचार और समान अवसर ही समानता है।

अपराह्न 7.00 बजे

माता-पिता घरों में समान रूप से अपने उत्तरायित्वों का निर्वहन करें और बालक और बालिका को समान दर्जा दें ताकि घरों में भी बालिकाएं सामाजिक-आर्थिक गुलामी से मुक्त रहें।

महोदया, मैं अपने संसद सदस्य साथियों से आग्रह करती हूं कि बालिकाओं को अनैतिक देह व्यापार से बचाने के लिए नये कानून बनायें। दहेज विरोधी कानून लागू करें और इन सबसे ऊपर दाण्डिक संहिता में संशोधन करें ताकि भारत की महिला संसद में हमारी सहायता से एक नये रूप में, उठ सकें तभी हमारे प्रयत्न सार्थक होंगे, जबकि हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, महिलाएं गर्व से हमारा सिर ऊंचा कर सकती हैं और भारतीय सकारण अपने महान प्रजातंत्र पर गर्व कर सकते हैं।



श्री सुख राम

[हिन्दी]

श्री सुख राम (मंडी): महोदया, मैं सबसे पहले स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के शुभ अवसर पर जो विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं। इन चार दिनों में बहुत बड़े-बड़े महत्व के प्रश्न उठाए गए। मैं कई वर्षों से इस सदन का सदस्य रहा हूं। मैंने इतनी अच्छी सद्भावना के वातावरण में और इतने अच्छे वातावरण में कभी पिछले वर्षों में इस लैवल की चर्चा नहीं देखी। मैं एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ जहां इस सदन का ध्यान नहीं गया वह है, हिमालय की इकॉलोजी, मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिमालय जिस में नार्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं, नॉर्थ वैस्ट है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू-कश्मीर है, और यू.पी. के पहाड़ हैं, उनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अपराह्न 7.01 बजे

[श्री चित्त बसु *पीठासीन हुए*]

वहां तेजी मे जंगल कटे हैं। वहां सॉयल इरोजन बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत वर्षों पहले विश्वनाथ जी ने एक आर्टिकल लिखा था कि जिस तरीके से सॉयल इरोजन हिमालय में हो रहा है, अगर उसको नहीं रोका गया तो उत्तरी भारत 70 वर्षों के बाद डैजर्ट बन जाएगा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।

भाखड़ा डैम 1962 में बना था। वह 200 करोड़ की लागत से बना था। उससे 200 करोड़ की आय प्रति वर्ष हो रही है लेकिन सॉयल इरोजन की वजह से उसकी आयु आधी रह गई है। इससे सारे देश को नुकसान हो रहा है। अगर आप हिमालय को बचाना चाहते हैं, जहां देश की अपार सम्पदा है, पनबिजली की बड़ी क्षमता है, जो सारे देश को समृद्धशाली बना सकता है, उसको आप बचाएं। जहां तक बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स की बात है, मिनी और माइक्रो हाइडल प्रोजैक्ट की बात है, वहां ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जब मेरे पास नॉन-कनवैंशनल एनर्जी का महकमा था, उस समय मैंने 50 फीसदी सबसिडी देने का निर्णय लिया था। इसमें चाइना ने बहुत बड़ा काम किया। हम इसके द्वारा गांव को सस्ती बिजली दे सकते हैं। दियार का जंगल आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। वह हिमालय में मिलता है। उसके वृक्ष को पक्का होने में डेढ़ सौ वर्ष लगते हैं लेकिन सर्दी से बचने के लिए आधे घंटे में लोग उसे काट देते हैं। अगर उसको बचाना है, ढाई करोड़ आबादी हिमालय में रहती है, वह खतरे में है लेकिन देश भी खतरे में है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र के मिनी एंड माइक्रो हाइडल को बहुत प्राथमिकता दी जाये। मेरा दूसरा सुझाव है कि ब्लाक लैवल के लिये गैस एजेंसी हिमालय क्षेत्र के लिये मिलनी चाहिये। जब तक खाना बनाने के लिये लकड़ी कटती है या जब तक उसके लिये विकल्प नहीं देंगे तो जंगल नहीं बच सकते हैं। मेरे पास जब योजना विभाग था तो उस समय मैंने एक सुझाव दिया था और लगभग यह तय हो गया था कि हिमालय के लिये एक ईको डेवलपमेंट अथारिटी बनाई जाये जिसमें चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर और उसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों। बाकी जो संबंधित मंत्री हैं, वे उस अथारिटी को देखेंगे। जो वहां पर सारे इको फ्रेंडली कारखाने लगे और जब बी.जे.पी. की हिमाचल प्रदेश में सरकार थी तो सीमेंट कारखाने के लिये लाइसेंस दिया गया। इस मौके पर इसका विरोध किया गया था। इस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस का विरोध किया था। जब खुद सत्ता में आये तो बीमारी के बाद शिमला नहीं पहुंचे और रास्ते में ही सीमेंट इंडस्ट्री के लिये एम.ओ.यू. साईन कर दिया। अब वह अच्छा हो गया, क्यों अच्छा हो गया मुझे पता नहीं है। यह नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय, यहां पर बहुत से विषय हैं लेकिन समय की कमी के कारण एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिये कम्युनिकेशन सिस्टम जरूरी है। यह अच्छा और मजबूत होना चाहिये। कम्युनिकेशन में सड़कें हैं, रेलवे है, सिविल एविएशन है, टेलीफोन है। जब मेरे पास 1993 में यह महकमा था, यह मैटर ऑफ रिकार्ड है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं कि 47 वर्षों में 57 लाख टेलीफोन इस देश में लगे लेकिन मैंने तीन वर्षों में 52 लाख टेलीफोन लगाये। इन तीन वर्षों में साढ़े छः हजार करोड़ रुपये की आमदनी देश के लिये पैदा की जिसका उल्लेख पूर्व वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपने लास्ट भाषण में किया था। हमारा देश टेलीकम्युनिकेशन जैनरेट करने में दूसरे नम्बर पर आया है मगर विधि की विडम्बना देखिये कि मेरे खिलाफ केस रजिस्टर्ड होता है कि मैंने डेढ़ करोड़ रुपये की रियायत का फायदा पहुंचाया है। चलिये, यह तो कोर्ट का मामला है, इसमें कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इस देश को साढ़े छः हजार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया, यह मेरा फर्ज था और मैंने किया। मैं इस बारे में कुछ और नहीं कहना चाहता। मैं अभी तो अनअटैच्ड मैम्बर हूं लेकिन बाहर एक पार्टी का अध्यक्ष भी हूं। मैं मल्टी-नेशनल कम्पनीज़ के बारे में *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे निर्देश दिया है जोकि सभी माननीय सदस्यों के लिए है। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री सुख राम : अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अन्य सदस्यों ने पन्द्रह मिनट से बीस मिनट तक का समय लिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह उनकी इच्छा है कि दस मिनट से अधिक कोई भी सदस्य न बोले। मुझे आशा है कि सदस्यगण पीठासीन अधिकारी को सहयोग करेंगे।

श्री सुख राम : महोदय, मैं उनका पालन करूंगा।

[हिन्दी]

अभी यह कहा गया कि मल्टीनेशनल कम्पनीज़ को नहीं आना चाहिये। मगर जब तक आपके इनफ्रास्ट्रक्चर पर फौरेन और डोमेस्टिक इनवेस्टमेंट नहीं आती, यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। टेलीकम्यूनिकेशन्स हाइली कैपिटल एण्ड टेक्नोलॉजी इनटेन्सिव इंडस्ट्री है। इसके लिए सबसे बढ़िया टेलीकम्यूनिकेशन पौलिसी बनी थी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में और उसका कार्यान्वयन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जिसमें इक्विटी के कोई मल्टीनेशनल आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता अगर आपकी पोलिटिकल विल है। मुझ पर बहुत जबर्दस्त दबाव पड़ा कि मल्टीनेशनल की 51 प्रतिशत इक्विटी जब तक नहीं होगी तो यह इनवेस्टमेंट नहीं होगी। मगर मैं 25 प्रतिशत कह रहा था। बहुत से ऐसे हालात हुए जब मैंने 52 प्रतिशत डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए माना और दूसरा आठ स्टेटों के लिए जो बेसिक टेण्डर आए, उसमें मुझ पर दबाव पड़ा कि इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बड़े-बड़े राष्ट्रों के दबाव मुझ पर पड़े। मगर मैंने उनको रिजेक्ट किया। 8000 करोड़ रुपये के बजाय 25000 करोड़ रुपये इस देश को आए। यहां पर मिस्टर ब्राउन भी आए और मुझे कहा गया कि एम.ओ.यू. साइन करना है और एम.ओ.यू. साइन करने में आधा कर्नाटक और आधा तमिलनाडु। मैंने कहा मैं यह नहीं करता। इसका मतलब यह था कि हमें 15000 करोड़ रुपये का नुकसान होता।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं ट्रांसपेरेन्सी के बारे में। चार महानगरों में सेल्यूलर के लाइसेन्स देना मेरे प्रीडिसेसर की नीतियां थीं। मैंने उसमें कौमा, फुल स्टाप भी नहीं बदला, मगर डेढ़-दो साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। मैंने सारे देश को सेल्यूलर के लाइसेन्स दिये मगर एक भी केस कोर्ट में नहीं गया। इससे पता चलेगा कि कितनी ट्रांसपेरेन्सी थी।

सभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं तो हमेशा कांस्पिरेशी का शिकार रहा। 1987-88 में जब मैं खाद्य व आपूर्ति का मिनिस्टर था, उस समय इस देश में कितना भयंकर सूखा पड़ा था। उसका भी मैंने मुकाबला किया। एक दाना भी बाहर से नहीं लाए। उस मौके पर भी मुझ पर इल्जाम लगा। कुछ दोस्तों ने कहा कि शुगर स्कैण्डल हो गया। जब कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, मैं पार्टी का सदस्य था, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री थे। उस मौके पर तय हुआ कि इनका कोई कुसूर उसमें नहीं है। *...(व्यवधान)*

आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन एक साल में नहीं बनता, दो-चार या दस साल में नहीं बनता। सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत समय लगता है और मैं इस माननीय सदन से एक बात की दरख्वास्त करना चाहता हूं कि षड्यंत्र के माध्यम से किसी के सार्वजनिक जीवन को बरबाद मत करिये। *...(व्यवधान)* यह आपको तब मालूम होगा जब आप उस हालात से गुजरे हों। जनता आपके साथ है या नहीं यह आने वाला समय बताएगा और जो लांछन मुझ पर लगे हैं, उससे तो मेरा जीवन मुक्त होगा। यहां दूसरे मित्रों पर भी बहुत से लांछन लगे हैं मगर अदालत में ही वह तय होगा। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि किसी के सार्वजनिक जीवन को बदनाम मत करिये। मैं इस माननीय सदन से कहना चाहता हूं कि अगर सही मायनों में आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो हर सांसद, हर मंत्री अपनी संपत्ति का ईमानदारी से ब्यौरा दे और एफिडेविट दे कि इसके अलावा मेरी कोई जायदाद नहीं है, नहीं तो मतदाताओं को गुमराह करने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी एक अनाउंसमेंट करेंगे।

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : सभापति महोदय, चूंकि सदन की बैठक देर रात तक चलेगी, इसलिए माननीय सदस्यों, अधिकारियों और सभा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। उनको इसके लिए आमंत्रण है। कमरा नं. 70 में माननीय सदस्यगण, वरीय पदाधिकारी और प्रेस के लोग आमंत्रित हैं और कमरा नं. 73 में बाकी लोग आमंत्रित हैं। भोजन का समय सवा आठ बजे से होगा।



श्री हरिन्दर सिंह खालसा

[अनुवाद]

श्री हरिन्दर सिंह खालसा (भटिंडा) : महोदय, सर्वप्रथम मैं उस सच्चाई, जिसके बारे में मुझसे पहले कई सदस्य बोल चुके हैं, पर गर्व का अनुभव करता हूं कि हमने स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे कर लिये हैं। हमें इस सच्चाई पर वास्तव में गर्व है कि हमारे यहां वह प्रजातांत्रिक चरित्र है जिसकी हमें अपेक्षा है। हमने कुछ उपलब्धियां अर्जित की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1947 में भारत सुई बनाने में भी सक्षम नहीं था।

मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि हम इस सच्चाई के बारे में अनावश्यक बातें न करें। 1947 में या उसके पूर्व, हम केवल गुलाम थे। हम उपनिवेशवादियों से उस प्रकार के विकास की आशा भी नहीं करते हैं। 1947 के बाद, स्वाभाविक रूप से हमने अपने नेताओं से कुछ चमत्कार की आशा की। कुछ हद तक उन्होंने चमत्कार किया। लेकिन यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी 38 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। गरीबी का मानक हमने ही निर्धारित किया है।

कुछ लोग कहते हैं कि भारत एक अमीर देश है लेकिन वहां गरीब लोग रहते हैं। हां, भारत अमीर था और यहां गरीब रहते थे। लेकिन अब मेरे विचार से भारत और गरीब हो रहा है और केवल पांच प्रतिशत भारतीय अमीर हो रहे हैं। भारत भी गरीब हो रहा है तथा गरीब और भी गरीब हो रहा है। केवल पांच प्रतिशत व्यक्ति ही अमीर हैं।

उन पचास वर्षों के दौरान जहां तक राजनीतिक प्रशासन की बात है तो इसमें कमजोरी आई है। कम से कम कुछ कमजोरी तो अवश्य आई है। जहां तक पंजाब राज्य का प्रश्न है तो इसके लिए संघर्ष करना है। पंजाब की जो स्थिति उभरकर आई, उसमें राज्य विकृत हो गया। कोई भी व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं था। दूसरी गलती, जिसका कई वरिष्ठ सांसदों ने उल्लेख किया है, वह है आपातस्थिति लागू किया जाना। मैंने स्वयं आपातकाल की स्थिति देखी है। उस समय मैं एक राजनयिक था। उन दिनों मैं विदेश सेवा में था। हमें एक पत्रकार की ओर से आमंत्रण मिला था जिस पर उस समय सत्तारूढ़ दल की कोई विशेष कृपा नहीं थी। सत्तारूढ़ दल तक यह जानकारी पहले ही पहुंच गई थी। मैं उस समय विदेश मंत्रालय के हॉस्टल में था और बिजली चली गई थी। जब भी वहां कोई शोर होता तो हम यह समझते कि पुलिस हमें पकड़ने आ गई है। उस समय ऐसा वातावरण था। वह दूसरी गुलामी थी।

मैं केवल यही आशा और प्रार्थना करता हूं कि देश में ऐसे नेता कभी न आयें जो अपनी समझ के अनुसार आपातकाल में जकड़ने की सोचें। ऐसा पहली बार हुआ जबकि हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मलिन हुई। हमारे वश में कुछ भी नहीं था। आपातकाल के नाम पर जो कुछ किया गया, उससे बचाने वाला कोई नहीं था।

एक और गलती, जिसका मेरे दल के नेता, श्री बरनाला जी ने भी उल्लेख किया है, वह थी 1984 की घटनाएं। आपने केवल अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शैतान पैदा कर दिया और जब वह शैतान आपको ही खाने को दौड़ा तो आपने उसे खत्म कर दिया। लेकिन इसके दौरान आपने सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग, जो कि जनसंख्या का केवल 1.5 प्रतिशत है और जो उनकी स्वयं की मतगणना के अनुसार कुछ भी नहीं है, के सर्वाधिक पवित्र स्थल को गिरा दिया। यह किसने किया? यह उन लोगों ने किया जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ खाते हैं।

मैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं समझ पाया हूं। मेरे विचार से यह गलत नाम है। संभवत: वे विश्व को यह बताना चाहते थे कि वे धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं बरतेंगे और यह कि वे किसी एक धर्म के पक्ष में अथवा दूसरे धर्म का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन यह कहना कि हम धर्मनिरपेक्ष हो गये और इसे प्रस्तावना में शामिल करना, यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें, तो एक तरह से असंगत बात है।

साम्प्रदायिक क्या है और धर्मनिरपेक्ष क्या है? वह व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष है जो विश्व के कार्यों के साथ संबद्ध है और धर्म में विश्वास नहीं करता अथवा जो मठ में नहीं रहता अथवा पुरोहित नहीं है उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसी प्रकार, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धार्मिक विश्वासों में अविश्वास दिखाना अथवा धार्मिक शिक्षा का विरोध करना। उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं।

इसका एक अन्य अर्थ भी है जो पूर्णतया एक भिन्न अर्थ है अर्थात् ऐसा कुछ जो शताब्दी अथवा युग के बाद होता है। अब विश्व के किसी भी शब्दकोश में धर्मनिरपेक्षता का ऐसा कोई अर्थ नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सकें। मुझे ''सांप्रदायिकता'' शब्द केवल इसलिए कुछ गलत नहीं दिखाई देता कि इस शब्द का यहां अवमानना के साथ कई बार प्रयोग हुआ है। इसलिए साम्प्रदायिकता अब एक अपशब्द बन गया है। साम्प्रदायिकता क्या है? यह समाज के साम्प्रदायिक संयोजन का एक सिद्धांत है। समुदाय क्या है? मैं यह मानता हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय अपनी जानी-मानी तरकीबों से उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। यही एक गलती है। आयोजना करने, गरीबों तक पहुंचने के लिए नीति तैयार करना काफी कठिन कार्य है। यह काम बहुत ही कठिन है। मानो कुछ दांवपेंचों और तरकीबों का सहारा लेना काफी आसान हो। आप केवल तरकीबों से लाखों लोगों का पेट नहीं भर सकते। इसके अलावा, जनसंख्या के बारे में, राजनीति के आपराधीकरण के बारे में और विकेन्द्रीयकरण के बारे में भी चर्चा की गई है। मेरे विचार से, यदि इस देश को प्रगति करनी है, यदि हम चाहते हैं कि यह देश वास्तव में तेजी से विकास करे तो यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जाये। प्रत्येक भारतीय के मन में यह भावना होनी चाहिए कि जहां तक देश का संबंध है, शासन चलाने में उसकी कुछ भागीदारी है। ऐसा वह केवल तभी महसूस करेगा अथवा करेगी जब सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जाये। हम आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करने में असफल रहे हैं। हम अपनी अनेकों नीतियों में भी असफल रहे हैं। ऐसा भी एक समय था जब इन सबका राष्ट्रीयकरण करने लिए एक मंत्र दिया गया था। यह कहा गया था कि यह ठीक से कार्य नहीं करता, इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण करना होगा। मानो राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयता बन गई हो। 45 वर्षों के बाद अचानक हमने एक और मंत्र निकाला अर्थात् उसका निजीकरण करने का। अब यदि हम चाहते हैं कि यह राष्ट्र अगले पचास वर्षों में वास्तव में प्रगति करे, तो इन सभी मंत्रों का उच्चारण इस देश को नहीं बचा सकता। हमें विगत से कुछ सीखना होगा।



श्री अजय चक्रवर्ती

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती बड़ी धूमधान से मना रहे हैं लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उन शहीदों और क्रांतिकारियों को उचित महत्व नहीं दिया गया है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए भिन्न-भिन्न रूप से कार्य किये। शहीद खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी के तख्ते पर चढ़ गये। शहीद भगत सिंह, राजगुरू, चन्द्रशेखर, मास्टर सूरज सेन, प्रीतिलता वेड्डडर जैसे अनेकों अन्य शहीद हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गये थे। केवल इतना ही नहीं, हजारों-हजारों क्रांतिकारी, जिन्हें अंडमान में सेल्यूलर जेल में बंद किया गया था, को झूठे मुकदमे चलाने के बाद आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके कार्यों को महत्व नहीं दिया गया है। उनके कार्यों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। भारत सरकार को राष्ट्र के समक्ष उनके बलिदानों पर प्रकाश डालना चाहिए। केवल उनके ही नहीं बल्कि पंजाब की गदर पार्टी, आर्मसिलन समिति, अविभाजित बंगाल की युगांतर पार्टी और भगत सिंह के नेतृत्व में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठनों की भूमिका पर भी राष्ट्र के समक्ष प्रकाश डाला जाना चाहिए। उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने जीवन का तथा इससे भी अधिक का बलिदान किया है।

महोदय, इस सम्मानित सभा में चर्चा किए जा रहे विषय पर विभिन्न राजनैतिक दलों के अनेकों सांसदों ने अपनी-अपनी बात कही है। मैंने बड़े ध्यान से उनके भाषण सुने हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय का भाषण भी सुना था और मैं यह समझता हूं कि उनके भाषण में इन विषयों के संबंध में व्यापक रूप से विचार व्यक्त किए गए हैं।

मैं, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक स्थिति और यहां चर्चा किए जा रहे अन्य संबद्ध मामलों के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मेरे विचार से लोकतंत्र का अर्थ है अधिकारों, समस्याओं, आर्थिक विकास, बेरोजगारी आदि विषयों तथा निरक्षरता समाप्त करने के संबंध में जनता की आवाज उठाना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनकी सामाजिक आवश्यकताओं के व्यवस्थापन के लिए उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व करना। लेकिन संसद, राज्य विधान-सभाओं और स्थानीय निकायों जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का वर्तमान ढांचे के अंतर्गत लोकतंत्र का वर्तमान नियमों, प्रक्रियाओं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों के कारण प्रभावशाली ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि मतदाताओं की अधिकतम संख्या को नजरअंदाज करते हुये 25 से 30 प्रतिशत वोट पाने वाले दल देश अथवा राज्य पर अर्थात् 70 प्रतिशत मतदाताओं पर शासन करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में यह भी बताया है कि पिछले कुछ चुनावों में कुल मतदाताओं में से 60 प्रतिशत मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 40 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह उनमें इसके बारे में चेतना के अभाव को ही दर्शाता है। यद्यपि 60 प्रतिशत मतदाता अपना वोट डालते हैं, तथापि 25 से 30 प्रतिशत तक वोट पाने वाले उम्मीदवार क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या पर विचार करते हुए—अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि बन जाते हैं। इसीलिए, मेरे विचार से नये कानून बनाकर अथवा वर्तमान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके संसद और राज्य विधान सभा जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से मतदाताओं के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यदि चुनाव में उम्मीदवारों की बजाय राजनैतिक दलों को अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाने की अनुमति दी जाती है तो संबंधित राजनैतिक दल विधान मंडलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं। तब, संसद और राज्य विधान सभाओं में उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व होगा। वे विधेयकों और संकल्पों पर संसद और राज्य विधान सभाओं में विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक भाषण दे सकते हैं।

विभिन्न वक्ताओं के भाषणों में उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक फैले भ्रष्टाचार का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम, हमें चुनावों में भ्रष्टाचार पर रोक लगानी होगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए चुनाव सुधारों की तात्कालिक आवश्यकता है। किसी राजनैतिक दल के उम्मीदवार द्वारा चुनाव में किया जाने वाला व्यय राज्य अथवा केन्द्र अथवा राज्य और केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाना चाहिए। यह भी आरोप लगाया जाता है कि कुछ राजनैतिक दल—मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता—बड़े घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से काफी अधिक अंशदान ले रहे हैं। निश्चित है कि वे बिना किसी लाभ अथवा ब्याज के अंशदान का भुगतान नहीं कर सकते। निसंदेह यह कहने में मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी इस प्रकार के कार्य नहीं करती है। यदि राज्य चुनाव का खर्च वहन करता है तो उस मामले में भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है।

बहुत से वक्ता सदन के वरिष्ठतम सदस्य पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं और हमारे नेताओं ने इस संबंध में एक संकल्प प्रस्तुत किया है। हमारे माननीय सदस्यों जैसे श्री जसवंत सिंह, श्री संतोष मोहन देव और बहुत से अन्य सदस्यों ने उसका समर्थन किया है। मैं भी उस संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं। राजनीतिज्ञों और संसद के सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि राष्ट्र के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। बहुत से सदस्यों ने महात्मा गांधी का उल्लेख किया है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हम विलासिता का जीवन जीने के आदी हो रहे हैं। हमें राष्ट्र के समक्ष सादा जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि लोगों को भी उत्साहित किया जा सके।

हम जानते हैं कि प्रत्येक चुनाव में खून खराबा होता है। वहां मतदान केन्द्रों पर कब्जा, हेराफेरी, मतपेटियों को छीने जाने की घटनाएं होंगी। मैं जानता हूं कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में लोग मतदान केन्द्रों पर कभी नहीं गए हैं अथवा उन्हें अपना मत देने के लिए नहीं जाने दिया जाता है और कुछ लोग बलपूर्वक मतदान केन्द्रों पर कब्जा करके और मतपेटी पर छापा मार कर उनके स्थान पर उनकी ओर से स्वयं मतदान करते हैं। हमारे यहां यही लोकतंत्र है। लोग लोकतंत्र में अपना विश्वास खो रहे हैं। मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि लोग संसद सदस्यों के आचरण को देखकर हताश हैं।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष के भाषण में इसका भी उल्लेख किया गया है कि हम सदन में शोर करते हैं और यह कि सदन में अनुशासन नहीं रखते। हम अनावश्यक हल्ला-गुल्ला करते हैं और प्रैस तथा मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यक्ष पीठ की ओर दौड़ते हैं। यदि मैं किसी विषय पर बोल रहा हूं मेरे भाषण को मुखपृष्ठ पर नहीं छापा जायेगा किन्तु यदि मैं अध्यक्षपीठ की ओर जाता हूं और अनुशासनहीनता दिखाता हूं जोकि संसद सदस्य के लिए अशोभनीय है तो अगले दिन वह समाचार पत्र में मुखपृष्ठ पर प्रकाशित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया सदस्य की अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित कर रहा है और इस प्रकार लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठने के लिए वे जिम्मेदार हैं। लोग संसद सदस्यों और राजनीतिज्ञों की हरकतों को देखकर हताशा महसूस करते हैं।

इसलिए हमारा यह कर्त्तव्य है कि विश्वास और प्रतिष्ठा हासिल करें और संसद की मर्यादा को बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि सभी पार्टियों के नेता आपस में मिलकर बैठेंगे और सर्वसम्मति से संकल्प को स्वीकार करेंगे ताकि पूरे देश में यह संदेश जाये कि हम अपने देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री तिलक राज सिंह (सिधी) : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आपकी यह कैसी प्रक्रिया है, हमारा किसी का नौवां स्थान है तो नौवां स्थान आठवां होता है या 14वां या 15वां चला जाता है? दो दिन बाद उसका नाम ही गुल हो जाता है कि बोलने का नम्बर मिलेगा या नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी पार्टी के प्रमुख सचेतक से पूछें।

[हिन्दी]

आप चीफ व्हिप से बात कर लीजिए।

श्री तिलक राज सिंह : हम लोग बैठे हैं, परसों से बैठे हैं, कल भी सारी रात बैठे तो क्या इस प्रकार से नम्बर ही गुल होता रहेगा?

सभापति महोदय : आप अपनी पार्टी के चीफ व्हिप से बात कर लीजिए।

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर (सतारा) : सभापति महोदय, पार्टी के लीडर से तो बात करेंगे ही, लेकिन पार्टी के जरिये जो नाम दिये गये हैं, वहां से नाम नीचे ऊपर कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में सूचित कर दें?



श्री बुद्धसेन पटेल

श्री बुद्धसेन पटेल (रीवा) : माननीय सभापति महोदय, आजादी के 50 साल के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह जो विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं।

आजादी के पहले इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और जब अंग्रेज इस देश में रहते थे तो भारतवासियों के साथ सौतेला व्यवहार करते थे, भारतवासियों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझकर उनके साथ व्यवहार करते थे, लेकिन ऐसा सौतेला व्यवहार करने वाले अंग्रेजों को पूरे भारत की धरती के सारे लोग इकट्ठे होकर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया। 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ और आजादी को 50 साल का समय बीत गया। आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो 400 लोगों को फांसी हुई थी और उन 400 लोगों में से 365 अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोग थे, जिन अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने फांसी के तख्ते पर झूलकर इस देश को आजादी दिलाई थी। इस देश में 50 साल के बाद उन अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आज जो इस देश के स्वाभिमानी मुस्लिम हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने कुरबानी दी, खून बहाया, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। 1947 में मुस्लिम इस देश में 35 फीसदी नौकरियों में थे, लेकिन आज की तारीख में एक फीसदी हो गये। इसकी वजह क्या थी, क्या मुस्लिम समाज के लोगों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया, क्या मुस्लिम समाज के लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मुसलमान इस धरती के मूल निवासी हैं, इसलिए उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया और जो-जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन सारे लोगों के साथ इस देश के 50 साल के बीच में सौतेला व्यवहार किया गया। इस देश का मुसलमान, जिसने 800 वर्ष तक इस देश में शासन किया हो, आज उनके समाज की 90 फीसदी औरतें बीड़ी बनाने का काम करती हैं, सिर पर टोपी रखकर चूड़ी बेचने का काम करते हैं, लेकिन इस देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने कभी भी उनकी ओर पलटकर नहीं देखा।

दूसरी तरफ इस देश का जो मूल निवासी स्वाभिमानी समाज सिख था, सिख समाज के लोगों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ने में खून बहाया, कुरबानी दी थी, फांसी के तख्ते पर झूले थे, लेकिन इस देश में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। 1984 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई तो पूरे भारत की धरती पर कोने-कोने में, चाहे रीवा में हो, चाहे दिल्ली में हो, भारत के किसी कोने में रहने वाला यदि

सिख है तो उनके घर उजाड़े गये, उनकी मां, बहन, बेटियों की इज्जत लूटी गई। यदि उनके सिर पर पगड़ी है तो उनका कत्ले आम किया गया, लेकिन इस सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने कभी उनकी ओर पलटकर नहीं देखा, कभी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, कभी उनको न्याय नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ इस देश के जो राष्ट्रपिता हैं, जिन्हें हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, इस देश के लोगों को गर्व है, उन्होंने इस देश की आजादी दिलाने में अहम् भूमिका निभाई, जिनको इस संसार के लोग मानते हैं, लेकिन इस देश में 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उच्चकोटि के ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की तो किसी दूसरे ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई, इस देश में यह सौतेला व्यवहार किया जाता है।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यदि इस देश में रहने वाले सौ लोग हैं और सौ रोटियां हैं तो 1-1 रोटी हर इन्सान को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा इस देश में नहीं होता है। जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश का प्रधान मंत्री बनाया था, लेकिन इस देश की सौतेली नजर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधान मंत्री बनने से रोका। यह कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल, तुम पिछड़ी जाति के हो, यदि देश के प्रधान मंत्री बन जाओगे तो इस देश में वर्ग संघर्ष हो जाएगा। आज की तारीख में जब पिछड़ी जाति का आदमी आगे आता है, तो इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये पिछड़ी जाति के और शूद्र लोग आगे बढ़ रहे हैं, इससे देश में वर्ग संघर्ष हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। इसलिए इस देश में जातिवाद कायम हो रहा है।

जब पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के प्रधान मंत्री बने, उनके जमाने में उनकी कौम का आदमी, ब्राह्मण समाज का आदमी 3 फीसदी नौकरी में था, लेकिन आज की तारीख में 62 प्रतिशत है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कभी पलटकर नहीं देखा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण दिया था, लेकिन वह उनको नहीं मिला। 52 प्रतिशत पिछड़ी जाति और साढ़े 12 प्रतिशत अल्पसंख्यक, कुल मिलाकर साढ़े 62 प्रतिशत ऐसा समाज इस देश में चौराहे पर खड़ा है। वह फुटबाल की तरह है। जैसे मैदान में फुटबाल को 11 आदमी इधर से लात मारते हैं और 11 आदमी उधर से लात मारते हैं, इसी तरह ये लोग कभी इधर जाते हैं और कभी उधर जाते हैं। उनके बारे में कभी नहीं सोचा गया। उनके बारे में सोचना चाहिए।

इस देश में सारा काम जाति के नाम पर होता है। जातिवाद के नाम पर साम्प्रदायिकता है, जातिवाद के नाम पर आतंकवाद है। यदि इस देश में उग्रवाद है तो वह जातिवाद के आधार पर है। यदि इस देश के प्रधान मंत्री ने कलम चलाई है, पंडित नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ने यह कलम जातिवाद के आधार पर चलाई है। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिए 15 फीसदी हैं। इन लोगों के पास देश की 87 प्रतिशत नौकरी है, 94 प्रतिशत जमीन है और 97 प्रतिशत उद्योग हैं। लोग कहते हैं कि गरीबी को बढ़ावा न दो। जब पंडित नेहरू देश के पहले प्रधान मंत्री बने थे तो देश में 10 फीसदी लोग गरीब थे, आज की तारीख में 35 से 40 प्रतिशत लोग गरीब हैं। गरीब इसलिए हैं कि 15 फीसदी लोगों के पास 97 फीसदी पूंजी है। यहां 460 लोग इसी 85 प्रतिशत समाज के हैं। ये सभी राजनैतिक पार्टियों से आए हैं। मैं इन सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा, जिस तरह से इस देश में जनसंख्या है, जातिवाद है, उसी के आधार पर हर राजनीतिक दल से बराबर के लोगों को टिकट मिलना चाहिए। यदि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो जो यहां छोटे लोग, पिछड़ी जाति के लोग गांवों में पड़े हैं, वे पड़े ही रह जाएंगे।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया। बाबा साहेब की मंशा थी कि इनकी जनसंख्या के बराबर देश में भागीदारी बने। वे तो संविधान लिखकर चले गए। परंतु संविधान को चलाने वाले लोग, जो जातिवादी लोग थे, भेदभाव करने वाले लोग थे, गैर बराबरी मानने वाले लोग थे, उन्होंने आज की तारीख तक पचास साल के बाद भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कोटा पूरा नहीं किया। यह कब पूरा होगा, पता नहीं है। इस देश के संविधान की मंशा कब पूरी होगी, पता नहीं है। संविधान में समता, बंधुत्व, न्याय का संदेश दिया गया है। इसके बिना कोई काम नहीं होता है। लेकिन हकीकत में सारा काम मनु स्मृति के आधार पर होता है। जो महाराज मनु ने मनु स्मृति लिखी थी आज से तीन हजार साल पहले, उसी के अनुरूप सारा काम हो रहा है। यहां मंदोदरा का कानून चलता है। पर्दे के बाहर तो बाबा साहेब का संविधान चलता है, लेकिन पर्दे के पीछे मनु स्मृति का इन लोगों का संविधान चलता है। ये सारे लोग जात-बिरादरी से पले हुए हैं। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो जाति-पात को नहीं चाहते हों। इन सबके खून में जात-पात भरा हुआ है। आज इस देश में जो बातें हो रही हैं, वह जातिवाद के आधार पर हो रही हैं। जब सारी बातें जात-पात के आधार पर हैं, तो इस देश से जात-पात को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब हम लोग जात-पात को खत्म करने की बात करते हैं, तो हमें जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कहा जाता है। जो इस देश में खून पसीना बहाने वाले लोगों को माल-पुए जातिवाद के नाम पर खाते रहे हैं वे कहते हैं तुम यह गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस देश के सिंहासन पर बैठे हुए वे लोग हैं, आज जो आईएएस की नौकरियों में बैठे हुए लोग हैं। अस्सी फीसदी में से 15 फीसदी लोग जो अस्सी फीसदी नौकरियों, उद्योगों और सारी जगहों में बैठे हैं, ये सारी ऊंची जाति के लोग हैं। छोटी जाति के लोगों की उपेक्षा की गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां अपराधीकरण के बारे में बहुत बड़ी बातें कहीं गईं, सभी सदस्यों ने अपराधीकरण के बारे में कहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपराधी व्यक्ति दोषी नहीं होता है, आप अपराध को नहीं रोकते हैं। आप लोग सभी माननीय सदस्य और नेता जो यहां बैठे हुए हैं, आज सुबह का पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पिछड़ी जाति, आदिवासी और चमार की लड़की लुट गई। लेकिन यह कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण की लड़की लुट गई। इसकी वजह क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर मुझे बहुत आक्रोश है।

आजादी के पचास साल बीत गए हैं जो हमारी मां-बहनों और बेटियां गांव में लुटती गईं, वे धरती पर खून-पसीना एक करके धन कमाती हैं और वे निर्जल रहती हैं, बेज्जत होती हैं। जिनके ज्यादा वोट हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।



श्री अमर रायप्रधान

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

भारत सरकार और राज्य सरकारों की पहल पर 15 अगस्त को स्वर्ण जयंती समारोह पूरे देश में मनाये गये थे। किन्तु साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 15 अगस्त, 1947 ही वह दिन था जब भारत दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ था। यह भी सही है कि उसी दिन 15 अगस्त, 1947 को कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक हमारे देश के फैलाव का निर्णय हुआ। भारत हमारी मातृभूमि है, किन्तु उस दिन भारत मां की रीढ़ टूट गई थी। उसके बाद, आप आशा नहीं कर सकते कि भारत भारत की तरह उन्नति करेगा। हां, यह भारत का विभाजन था।

मैं इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यही सही है कि अकेले मुस्लिम लीग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मेरे कांग्रेसी मित्र इससे इंकार नहीं कर सकते। हिन्दू महासभा नहीं है। हिन्दू महासभा के मित्र भी इससे इंकार नहीं कर सकते कि वे भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

तत्पश्चात् इन पचास वर्षों में क्या हुआ? रक्तपात हुआ। पूरे देश में दो हजार साम्प्रदायिक दंगे हुए और एक लाख मारे गए। शरणार्थी भारत में यहां वहां से आ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चिय ही मैं सीधे तौर पर कह सकता हूं कि महात्मा गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

उस तरफ बैठे हमारे साथियों ने इस देश को बहुत क्षति पहुंचायी। उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़कर भारतीय संस्कृति को नष्ट किया है।

अभी भी ऊरी क्षेत्र में गोलीबारी जारी है। इसके लिए विभाजन ही जिम्मेदार है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि महात्मा गांधी इसके लिए जिम्मेदार है।

मैंने हरिजन पत्रिका में लिखे महात्मा गांधी के एक लेख को पढ़ा है। उन्होंने हरिजन पत्रिका के प्रकाशक श्री देसाई को कहा था कि "मैं अब बहुत थक चुका हूं मैं बहुत कमजोर हूं और मैं असहाय हूं।" क्योंकि यह एक आरोप है। ये प्रिय नेता सत्ता के बहुत भूखे थे। वे शासन की कुर्सी पर बैठना चाहते थे। यह जानी मानी बात है। विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जरूर जानते होंगे कि महात्मा गांधी 15 अगस्त, 1947 को यहां नहीं थे। क्यों? वह कलकत्ता में थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री वल्लभ भाई पटेल और श्री राजगोपालाचारी ने संदेशवाहक भेजे, किन्तु वह यहां नहीं आए। किन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि यह इतिहास का दूसरा भाग है। हम उसे नहीं भूल सकते। हम आजादी की लड़ाई की नहीं भूल सकते।

वर्ष 1857 में मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई अन्य लोगों के साथ जो कुछ हुआ वह श्री पवार जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। खुदीराम सत्येन, कनाई, विनय बादल दिनेश और मास्टर सूर्य सेन ने अपना जीवन न्यौछावर किया था। हम भगत सिंह को नहीं भूल सकते। चन्द्रशेखर आजाद को हम नहीं भूल सकते। हम असफकुला को नहीं भूल सकते। हम मतांगिनी हाजरा और उन सभी लोगों को जिन्होंने 1942 के आन्दोलन में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, नहीं भूल सकते। हम जय प्रकाश नारायण, अरूणा आसफ अली और पटवर्धन के भी संघर्ष को नहीं भूल सकते। हम उनका बलिदान नहीं भूल सकते। हम आई.एन.ए. के सिपाहियों को नहीं भूल सकते।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने यह उद्घोष किया था "कामरेड, दिल्ली चलो" ये शब्द नेताजी के थे। आजकल कुछ नेता चिल्ला रहे है। मैं नहीं जानता कि इस आह्वान की सार्थकता क्या है। यदि कहीं कोई भगवान है तो उन नेताओं को भगवान ही बचाए जिन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली चलो का आह्वान किया था। दिल्ली चलो का आहवान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का था। उन्होंने वह आह्वान किया था। वह आह्वान क्या था? "कामरेड इस लम्बे रास्ते पर, आप भूखे रहेंगे, मैं रोटी का एक टुकड़ा देने की हालत में नहीं हूं। आपको प्यास लगेगी, मैं आपको पानी की एक बूंद भी नहीं दे सकता, किन्तु मैं वायदा करता हूं यदि आप मुझे खून देंगे और अपनी जान न्यौछावर करेंगे तो मैं आपको आजादी दूंगा।"

महोदय, यही वही दल है जो उस समय स्थापित किया गया था। इसलिए हम भारत के 15 अगस्त के विभाजन के विरुद्ध थे और इसका विरोध किया था। हमें जेल भेजा गया था। हमारी फारवर्ड ब्लाक पार्टी के सभी नेता जेल भेज दिए गए थे। मैं उस समय केवल स्कूली लड़का था। मुझे भी जेल भेजा गया। वह इतिहास है। इसलिए कृपया इसे अन्यथा लेने का प्रयत्न न करें।

महोदय, हमें इतिहास का समुचित ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यदि हमें हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन का ज्ञान नहीं है, तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता, जो इन पचास वर्षों में देश से आपने समाप्त कर दी है, शेष नहीं रहेगी। कृपया इसे अन्यथा न लें। यह कैप्सूल इतिहास नहीं है जो जमुना पार्क के निकट है। इतिहास एक सत्य है।

हमें जानना चाहिए कि इतिहासकार रमेश मजूमदार राजनैतिक इतिहास और स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिए क्यों

सहमत नहीं थे। उन्होंने उस पद से त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्या कारण है? उन्होंने कहां, मैं एक परिवार का इतिहास नहीं लिख सकता। "यदि वह भी लिखना चाहते हैं, तो वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का इतिहास लिखेंगे, जिसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति नामित किया गया होता। यह नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक से निदेश था कि यह पद डा. राजेन्द्र प्रसाद और उसके समर्थकों को मिलना चाहिए। क्यों?

1971 में शेख मुजिबुर रहमान बंगलादेश में नहीं थे। तो भी बंगलादेश के लोगों ने अपने इतिहास में लिखा कि शेख मुजिबुर रहमान बंगलादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही तस्वीर बहुत से अन्य देशों की है।

रात्रि 8.00 बजे

किन्तु यहां अलग बात है। ऐसा क्यों है? एस.ए. मलिक के नेतृत्व में आई.एन.ए. 14 अप्रैल, 1944 को मोइरंग पहुंचे और उन्होंने वहां भारतीय झंडा फहराया। आजाद हिन्द सरकार को 22 देशों ने मान्यता दी थी। उन्होंने अंडमान और निकोबार, मणिपुर और नागालैंड पर कब्जा कर लिया था।

हमें इतिहास दुबारा से लिखना पड़ेगा। यदि हम इतिहास दुबारा नहीं लिखते हैं तो हम हमारे युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। यदि किसी देश में देशभक्ति की भावना खत्म हो जाती है तो वहां कुछ नहीं होगा और सब कुछ खत्म हो जायेगा। इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि सरकार को स्वतंत्रता संग्राम का वास्तविक इतिहास दुबारा लिखने के लिए आगे आना चाहिए।

पिछले 50 वर्षों के दौरान लगभग 1,50,000 लोग, जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मुख्य भूमि पर नहीं आ सके। यह बंगलादेश द्वारा पूरी तरह घिरा हुआ था। वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। वे जंगलराज में समय काट रहे थे। आपने उन लोगों के लिए क्या किया है? वे भारतीय हैं। वे हमारे भाई बहन हैं? उनके लिए कोई विद्यालय नहीं है; कोई अस्पताल नहीं है; कोई पंचायत नहीं है; और वहां कोई विधायक अथवा संसद सदस्य नहीं है। वे बंगलादेश के लोगों की दया पर हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमने अनेक समझौते अथवा करार किए हैं जैसे नेहरू—नून करार; इन्दिरा - मुजीब-उर-रहमान करार; इन्दिरा-इरशाद करार और नरसिम्हा राव - खालिदा करार। तथापि पिछले 50 वर्षों के दौरान उन करारों का कोई परिणाम सामने नहीं आया है। इसलिए, कृपया यह न भूलें कि वे हमारे भाई-बहन हैं। वे भारत के नागरिक हैं। क्या उनके प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? मेरे विचार से इस देश के आठ प्रतिशत लोग मुसलमान हैं। क्या उनके प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? कृपया इन लोगों के लिए कुछ करें।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।



श्री मनोज कुमार सिन्हा

[हिन्दी]

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाज़ीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जरा ठहरिए। मुझे कुछ मिस्टेक हुई है, माफ कर दीजिए। स्पीकर साहब का निर्देश है कि श्री फातमी को पहले बोलने दिया जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यह मेरे लिए संभव नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मनोज कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उस इलाके से आता हूं जहां के लोगों ने सन् 1947 में नहीं बल्कि सन् 1942 में आजादी हासिल की थी। 18 और 19 अगस्त को गाजीपुर और बलिया के लोगों ने अंग्रेजों का झंडा हटा दिया था और हिन्दुस्तान का तिरंगा लहराने का काम किया था। इसलिए इस अवसर पर बोलते हुए मुझे उत्साह और प्रसन्नता हो रही है लेकिन जब मैं सोचता हूं तो मुझे अटल जी की एक कविता ध्यान में आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि–

"15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है,

सब सपने सच होने बाकी हैं,
रावी की शपथ अधूरी है।"

यह रावी की शपथ क्या थी? 26 जनवरी, 1929 को रावी के तट पर पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लोगों को

शपथ दिलाई गई पूर्ण स्वराज की और रावी के तट पर ली गई शपथ इंग्लैंड की टेम्ज़ नदी पी गई।

अधूरी आजादी हमें हासिल हुई। आजादी के 50 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा हुई है। मैं नहीं कहता कि उपलब्धियां नहीं हुई हैं, निश्चित रूप से उपलब्धियां हुई हैं। लेकिन अनेक सपनों को फिसलते हुए भी इन 50 वर्षों में हमने देखा है। इन 50 वर्षों में हमने जो कुछ हासिल किया है उसके मूल्यांकन का क्या आधार हम तय कर सकते हैं। क्या गांधी के सपनों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए या आजादी के समय जो मूल्य थे उनके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए या संविधान के जो नीति-निर्देशक तत्व हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन तय किया जाये। ये कुछ बिंदु तय किए जा सकते हैं जिनके आधार पर इन 50 वर्षों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। संविधान के निर्माताओं की भावनाएं भी कसौटी बनाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श पर विकास की प्रगति को आंका जा सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी के सपनों के आधार पर इन 50 वर्षों का लेखा-जोखा करना बेमानी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी को तो तभी भुला दिया गया जब देश आजाद हुआ था। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। हमारे मित्र कह रहे थे कि जब दिल्ली में तिरंगा फहराया जा रहा था उस समय महात्मा गांधी नौआखाली की गलियों में नंगे पैर चल रहे थे। उस समय वे कांग्रेस पार्टी के लिए अप्रासंगिक हो गये थे। कांग्रेस सत्ता की राजनीति में लिप्त हो गयी थी। अगर उस समय लोगों ने गांधी का रास्ता अख्तियार किया होता तो आज 50 साल बाद गांधी का इतना नाम लेने की आवश्यकता ही न होती। देश का रास्ता कुछ और हुआ होता। ध्यान रहे कांग्रेस की उसी कार्य-समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव भी पास हुआ था। गांधी जी उससे बहुत मर्माहत हुए थे, लेकिन वे मौन रहे। मैं समझता हूं कि उनका मौन ज्यादा मुखर था। देश के लोगों को समझ नहीं आया था कि आखिर गांधी मौन क्यों रह गये। इसलिए आज जब यह बहस यहां बार-बार हो रही है तो मुझे प्रसन्नता है कि अनेक ऐसे विषयों पर यहां चर्चा हुई है। लेकिन इन 50 वर्षों का लेखा-जोखा बड़ी ईमानदारी से करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि परिवर्तन जो शब्द है वह प्रथम-पुरुष एक-वचन का शब्द है। अच्छे भाषण देना और सिद्धांत बताना एक बात है और उन्हें आचरण में उतारना दूसरी बात है। अगर उन्हें आचरण में न उतारा जाए तो मैं समझता हूं कि भाषण कोरी बकवास रह जाएगा। परिवर्तन शब्द स्वयं में प्रथम पुरुष एक-वचन का शब्द है यानि जो मैं कहता हूं उसे खुद अपने आचरण में ढाल सकता हूं या नहीं ढाल सकता हूं। यदि हमारे देश के लोगों में यह भावना पैदा हो जाए तो इस देश में कोई कमी नहीं है। हमारे पास अपार भंडार और लम्बी सांस्कृतिक विरासत है और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता पर भी हम गर्व कर सकते हैं। अभी इस देश को एक लम्बा रास्ता तय करना है। जैसाकि वाजपेयी जी ने कहा कि 50 वर्ष किसी राष्ट्र के लिए कोई बहुत लम्बा काल नहीं होता है। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में निश्चित रूप से यह एक बड़ा कालखंड नहीं तो छोटा समय भी नहीं है।

संविधान में जो नीति-निर्देशक तत्व हैं उनको इसका आधार बनाया जा सकता है। आजादी की लड़ाई में जिन सिद्धांतों का निरुपण महात्मा गांधी ने किया था उनको किसी न किसी रूप में संविधान में स्थापित करने का प्रयास हमारे लोगों ने किया, हमारे नेताओं ने किया। इन नीति-निर्देशक तत्वों के संबंध में जब हम विचार करेंगे तो पहले की सरकारें इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास करती थीं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस आधार पर होता था और नीतिगत वक्तव्य इस सदन में उसी आधार पर दिये जाते थे। उनमें इस बात का ख्याल किया जाता था। लेकिन आज सरकारें लगातार उनको भूलती जा रही हैं। उस दिशा में अगर कांग्रेस पार्टी चली होती, परिवर्तन की धारा में कांग्रेस आगे बढ़ी होती, तो मैं समझता हूं कि अच्छा नतीजा निकला होता। लेकिन अब चर्चा होने लगी है कि यह मॉडल फेल हो गया है। मैं समझता हूं कि मॉडल तो ठीक है लेकिन हम उसे रास्ते पर ठीक नहीं चले थे, इसलिए मंजिल पर नहीं पहुंच सके। यह मेरी अपनी समझ है। आजादी के 50 वर्षों के बाद के मूल्यांकन का एक तरीका हो सकता है। हम देखें कि समाज में आपसी सहयोग की भावना बढ़ी है या घटी है, भाईचारा बढ़ा है या घटा है, एक साथ मिलकर कितनी देर तक हम काम कर पाते हैं, यह भी इसका आधार हो सकता है। पिछले दिनों में मैंने देखा कि इस भावना को बढ़ावा नहीं मिला और नारों की राजनीति ने जन्म लिया। हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि "वोट हमारा राज तुम्हारा" नहीं चलेगा। आज इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह से नारों से इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। जिन लोगों के मन में दलितों और पिछड़ों के लिए पीड़ा है, सदन में बैठे हुए चाहे किसी जाति के लोग हों सभी की यह भावना है जो एक उद्देश्य से राजनीति में आए हैं कि समाज से वंचित लोग, पिछड़े लोग जो कि सुविधाओं से वंचित रहे हैं, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि असत्य को पार कर, इस तरह के नारे देकर देश के दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने इनका कल्याण किया, ऐसे लोगों ने इस तरह के नारे नहीं लगाए थे। उन्होंने वास्तव में काम किया था। कुछ नेताओं द्वारा जो गलत नारे लगाए जा रहे हैं, वे देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने वाले हैं। वे इस तरह के नारे नहीं लगाएं। हम भी चाहते हैं कि जो हमेशा वंचित रहे, उनको समान अवसर मिले, जिन को न्याय नहीं मिला, उन्हें न्याय मिले। अगर वे सामाजिक तनाव बढ़ाने का काम

करेंगे तो देश की एकता और अखंडता पर बहुत बड़ी चोट होगी जिस की भरपाई आगे आने वाले समय में देश नहीं कर पाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जाति और संकीर्णता के नाम पर भावनाएं भड़का कर सामाजिक चेतना जगायी नहीं जा सकती। निश्चित रूप से इन 50 वर्षों में आदमी अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ है। वह चाहता है कि कुछ पाया जा सके। सरकारी तंत्र में इस तरह की व्यवस्था इस देश में अभी कायम नहीं हो सकी है। जो इसमें सहायक हो सके, उसे करने की आवश्यकता है।

भारत में तीन प्रकार की समस्याएं हैं—एक अंग्रेजी जमाने की विकृतियां हैं, दूसरी राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की और तीसरी इस देश की रोजमर्रा की समस्याएं हैं। हमें उनसे निपटना है। इस क्षेत्र में पूरा काम राष्ट्र को करना है।

जैसा कि मैंने बताया कि जज्बातों के आधार पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, यदि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समाज में निराशा फैलेगी और वह देश के लिए खतरनाक साबित होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि बुनियादी समस्याओं पर चर्चा की जाए। मैं इस पर लगातार चार दिन से भाषण सुन रहा हूं। बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षा नीति और रोजगार के सवाल पर चाहे किसी पार्टी का कोई नेता हो—चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या उधर के लोग हों, उनके मौलिक विचारों में भौतिक अंतर दिखायी नहीं दिया। सभी लोग चाहते हैं कि जनसंख्या का निवारण हो, पूरे देश के लोगों को साक्षर बनाया जा सके, सभी को रोजगार मिल सके। आज इस तरह के नारों की क्या आवश्यकता है? हमारी एक विरासत रही है। उस विरासत के अन्तर्गत, उस परम्परा के अन्तर्गत इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में अगर हम आगे बढ़ सके तो यह विशेष अधिवेशन सफल साबित होगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी यह कहेगी कि लगातार चार दिनों तक भाषणों का दौर चला, सभी ने अच्छे भाषण दिए लेकिन कुछ नतीजा निकल नहीं सका।

मैं केवल एक बिन्दु की ओर इशारा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आज देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। आजादी के मूल्य ओझल हो रहे हैं, सामाजिक मान्यताएं विकृत हो रही हैं, उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार तेजी से हो रहा है और इसका असर समाज के लोगों पर विपरीत ढंग से पड़ा है। राष्ट्रीय एकता, समानता और सर्वधर्म समभाव हमारे सामाजिक जीवन के मूल्य रहे हैं। इन पर ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। गलत ढंग का दोषारोपण करना ठीक नहीं है। पिछले दिनों मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इस ढंग से राजनीति में महारथ हासिल कर ली है हर बात के लिए सिद्धांत गढ़ लेते हैं। मैं पहली बार इस सदन में आया हूं। एक वर्ष में मैंने दो सिद्धांत देखे एक सिद्धांत था चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा को अलग रखो और वह आने न पाए। इसी सदन में दूसरा सिद्धांत देखा यह था कि चाहे कुछ हो जाए देश को चुनाव से बचाया जाए। क्या आप इससे देश का भला कर पाएंगे? सिद्धांत बनाने और जामा पहनाने की कला में ये लोग इतने निपुण हैं कि उसकी व्याख्या करने में मैं समय बरबाद नहीं करूंगा। मैं समझ रहा हूं कि आप घंटी बजाने वाले हैं।

हम आर्थिक क्षेत्र में गलत रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। इसके भयंकर परिणाम सामने आने लगे हैं। कथित उदारीकरण की नीति भ्रम पर खड़ी है। भ्रम इस बात का है कि विदेशी कम्पनियां हमारे विकास के लिए धन लगाएंगी। सत्य बात यह है कि विदेशी कम्पनियां यहां मुनाफा कमाने आएंगी। सारी दुनिया का यह अनुभव है। भारत इसका अपवाद नहीं हो सकता। हमारे जो नेता सरकार में बैठे हैं वे धीरे-धीरे देश को गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। उनकी नासमझी का नतीजा देश भुगत रहा है। विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हम योजनाओं के लिए ही नहीं रोजमर्रा के खर्च के लिए भी कर्ज लेते जा रहे हैं। यह जो सिलसिला चला है। 1990-91 के आते-आते विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर हम ज्यादा निर्भर हो गए। एक भयावह स्थिति उभर रही है। पिछले पांच वर्षों में जितने उद्योग विदेशी हाथों में चले गये हैं, वह रफ्तार की घंटी देश के लिये खतरे की घंटी बनने वाली है और आपकी घंटी से मैं बचने वाला नहीं हूं, इसलिये एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। मुझे आशंका है कि कही देश आर्थिक गुलामी में न फंस जाये। इसका दूसरा पहलू और भी भयावह है क्योंकि विषमता बढ़ती जा रही है, लोग हताश हो रहे हैं और निराशा बढ़ रही है। विदेशी पूंजी के आधार पर खड़ी हुई वैभव की इमारत को लोग उजाड़ने का संकल्प न ले लें। हमारा भारत देश एक पुराना देश है। यहां की लोकतांत्रिक परम्परायें कोई नई नहीं हैं। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक संख्या, गणना, समिति और सभा सभी हमारे यहां पर प्रचलित शब्द थे। यह सब हम लोगों ने किया है, किसी से नहीं लिया है। सदियां पुरानी पंचायत प्रणाली कहीं न कहीं हमारे यहां कायम रही है। इन खतरों से पार पाने का रास्ता कितना भी प्रतिगामी क्यों न हो, मैं समझता हूं कि लोगों के मन में राष्ट्रीय अस्मिता के लिए गौरव पैदा किया जाये, यह अत्यंत आवश्यक है। एक नया विश्वास जगाया जाये, यह चेतना फैलाई जाये कि हम निरीह और बेबस राष्ट्र नहीं हैं। यदि हम यह कर पाये तो मैं समझता हूं कि शायद अच्छी दिशा में देश चलेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री सुरेश कलमाडी

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे): सभापति महोदय, धन्यवाद।

भारत की स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष के अवसर पर, जहां तक मानव संसाधन विकास का संबंध है, देश की स्थिति का आकलन करने का यह अच्छा अवसर है। मानव संसाधन में निवेश एक राष्ट्र का निवेश है। महोदय, डिजराइली ने कहा था कि एक राजनीतिज्ञ की अगले चुनाव पर नज़र होती है किन्तु एक राजनेता अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है। इसीलिए मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से, 50 वर्षों के बाद, मानव संसाधन विकास की स्थिति का आकलन करने का यह अच्छा समय है।

आज, मैं खेलों के बारे में बोलना चाहता हूं क्योंकि खेल राष्ट्रीय गौरव के द्योतक हैं। जब एशियाई खेलों अथवा ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तब बड़ा शोर मचता है। देश का शीश शर्म से झुक जाता है। इसीलिए हमें खेलों को अलग आधार से लेना होगा क्योंकि खेल ही राष्ट्रीय गौरव के द्योतक हैं। खेल राष्ट्रीय एकता के भी प्रतीक हैं। जाति और धर्म पर विचार किए बिना, सभी खिलाड़ी एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। हमें खेलों को क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए इसका यह भी एक कारण है। खेलों से शरीर और दिमाग स्वस्थ बनते हैं और इसलिए ही खेलों का महत्व है।

राजीव गांधी ने ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया था और जिसके कारण खेलों के बजट में सात गुणा वृद्धि संभव हुई थी। स्वर्ण जयंती वर्ष में, यह वास्तव में आत्म विश्लेषण करने का समय है। खेल परिदृश्य के बारे में बात की जानी चाहिए। एक सौ करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश खेलों में बुरी तरह से पिछड़ रहा है। मेरे विचार से इसके बारे में विचार करने का समय आ गया है। जब हम एशियाई खेलों अथवा ओलिम्पिक खेलों में कोई पदक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तभी शोर मचता है। उसके बाद, हम स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत कम प्रयास करते हैं। इस निराशाजनक स्थिति के लिए किसे दोषी ठहराया जाए? हम सभी को, चाहे विद्यालय के अध्यापक हों, जो पर्याप्त समय नहीं देते हैं, प्रधानाचार्य, जो खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं देते हैं, माता-पिता जो अपने बच्चों को शाम के समय खेल के मैदान में जाने की अनुमति नहीं देते हैं और उन्हें अधिक से अधिक किताबें देते हैं अथवा सरकार, जिसने खेलों के लिए कुल बजट का केवल 0.0001 प्रतिशत ही आवंटित किया है, दोषी ठहराया जाना चाहिए। जर्मनी जैसे अन्य देश खेलों के लिए अपने कुल बजट का चार प्रतिशत आवंटित करते हैं।

उद्योग, चाहे निजी क्षेत्र में हैं अथवा सरकारी क्षेत्र में, उतने खिलाड़ियों को अपने संगठन में शामिल नहीं करते हैं जितने की इन्हें करने चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न खेल परिसंघों को खेलों में अधिक से अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक उत्तरदायी होना चाहिए। इसके संबंध में कोई संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को स्वयं अपनी कुशलता बढ़ानी चाहिए। इसीलिए हमारे देश में खेलों के निम्नस्तर के लिए हम सभी दोषी हैं।

महोदय, हमारे देश में क्रिकेट अधिक खेला जाता है। क्रिकेट विश्व के केवल सात देशों में खेला जाता है। जबकि ओलम्पिक खेल, चाहे यह फुटबाल हो अथवा स्वदेशी खेल जैसे कबड्डी अथवा खो-खो हों, अनेक देशों में खेले जाते हैं। किन्तु उन्हें सम्पूर्ण समर्थन नहीं मिलता है। हमें अपने दूरदर्शन और प्रेस मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना होगा। अभी क्रिकेट की एक सीरीज पूरी हुई है तथा दूसरी शुरू होने वाली है। दूरदर्शन दिन के समय क्रिकेट का खेल सीधे दिखाकर और रात के समय उसके मुख्य अंश दिखाकर, पूरे दिन केवल क्रिकेट ही दिखाता है। इसीलिए हमारे देश के युवा ओलिम्पिक खेलों, जो समग्र विश्व में खेले जाते हैं, के बजाये क्रिकेट को ही महत्व दे रहे हैं। ऐसा केवल इसी देश में हो रहा है। अत: कुछ संयुक्त प्रयास करने होंगे। निश्चित रूप से यह एक सामाजिक लक्ष्य है।

महोदय, हम न तो चीन की प्रणाली का पालन करते हैं जहां वे 10 वर्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, न अमेरिकी प्रणाली का जिसमें खेलों का निजीकरण किया गया है। हमें खेल प्रशिक्षण के लिए आठ वर्षीय कार्यक्रम शुरू करना होगा और हमें कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना होगा। हमें इस देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय खेल प्राधिकरण और विभिन्न अन्य खेल परिसंघों की भूमिका निर्धारित करनी होगी। दुर्भाग्यवश, भारतीय खेल प्राधिकरण आज एक सफेद हाथी के समान है। भारतीय खेल प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन स्टेडियम अलग-अलग किये जा रहे हैं। उनका खेल आयोजनों के बजाय बारात ठहराने तथा शेयर बाजार खोलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इन स्टेडियमों के किराये इतने अधिक हैं कि खिलाड़ी इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार बजट नहीं दिया जाता है। एशियाई खेलों के दौरान बनाये गए स्टेडियम आज जीर्णावस्था में हैं और इन स्टेडियमों का केवल 25 प्रतिशत ही उपयोग किया जाता है।

महोदय, यह समय भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने का भी है। यहां तक कि "टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज" जो इस प्रयोजनार्थ लगाई गई थी, ने भी यही चाहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण की अधिकांश योजनाओं को समाप्त कर दिया जाए और आधारभूत सुविधाएं जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखभाल करने हेतु

अपेक्षित हैं जुटाई जाए। विदेशी प्रशिक्षकों को इस देश में लाने की जरूरत है। खेल-कूद संबंधी दवाओं की जानकारी की आवश्यकता है। तत्पश्चात् ही यह देश विश्व के खेलकूद मानचित्र में आ पाएगा। पिछली बार एशियाई खेलों की तैयारी के लिए बीस करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी परन्तु यह धन तब प्राप्त हुआ जब एशियाई खेल समाप्त हो गए। मैंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया था कि वह कम से कम 30 करोड़ रुपये समय पर एशियाई खेलों से पूर्व दें, ताकि हमारे देश की टीमें बाहर जा सकें और वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग ले सकें। 80 करोड़ रुपये के बजट में से हमें अपनी राष्ट्रीय टीमों को विभिन्न खेलों हेतु प्रशिक्षण के लिए मात्र दो करोड़ रुपये ही मिले। जबकि चीन सहित दूसरे अन्य सभी देश अपनी राष्ट्रीय टीमों पर अपने बजट का लगभग 50 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इस विसंगति को समाप्त किया जाना होगा।

अब मैं इस वर्ष 16 जुलाई को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की बात करता हूं। ये दिशा निर्देश कठोर हैं। ओलम्पिक चार्टर के अनुसार खेल संघों की स्वायत्तता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब हम उदारीकरण के युग में हैं, यह आश्चर्यजनक है कि सरकार कठोर दिशानिर्देशों को ला रही है। वे खेल संघों के चुनाव में सरकार का एक प्रतिनिधि चाहते हैं। ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं होता है। खेल संघ सभी जगह स्वतंत्र हैं। सरकार द्वारा संघों की देखभाल की जानी चाहिए उनकी सहायता तथा उनको कुछ धनराशि दी जानी चाहिए।

महोदय, आज हमारे देश में खेलकूदों के गिरते स्तर के लिए खेल संघों पर दोष लगाया जाता है। इसके लिए राजनीतिज्ञों पर भी दोष लगाया जाता है और यह कहा जाता है कि संघ देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। परन्तु संघों को सरकार से कोई धनराशि नहीं मिल रही है। वे स्वयं ही धन जुटा रहे हैं। हमारे देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिज्ञों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। खेलों का आयोजन करने के लिए राजनीतिज्ञ धन जुटा रहे हैं। एक राजनीतिज्ञ, जिसने खेल विभाग में कार्य किया है, ने कहा है कि खेलों के लिए और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए तथा हमारी टीमों को विदेशों में प्रशिक्षण पाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। मेरा कहना है कि देश में खेलों को बढ़ावा देने में राजनीतिज्ञों ने बहुत अधिक दिलचस्पी ली है। श्री शरद पवार के कारण कबड्डी को एशिया में स्थान मिला तथा श्री प्रिय रंजन दास मुंशी के प्रयासों से फुटबाल को एशिया में स्थान मिला। जब श्री दास मुंशी मंत्री थे, उन्होंने विदेशों से और अधिक खेल सामग्री लाने के लिए आयात संबंधी नियमों में छूट दी। जब श्री के.पी. सिंह देव सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे तो उन्होंने दूरदर्शन पर खेलों के प्रसारण को प्राथमिकता दी।

श्री जगदीश टाइटलर और श्री वी.के. मल्होत्रा ने जूडो और तीरन्दाजी को बढ़ावा देने में काफी कार्य किया। इस तरह से राजनीतिज्ञों ने बहुत अधिक कार्य किया। यद्यपि राजनीतिज्ञों की आलोचना करना फैशन बन गया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में अधिकाधिक राजनीतिज्ञों को खेलों को सहायता देनी चाहिए। श्री संतोष मोहन देव प्रखर खिलाड़ी हैं और अधिक खिलाड़ियों को राजनीति में आना चाहिए। देश में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हमें और अधिक राजनीतिज्ञों की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि यह बहुत ही आवश्यक है।

ओलम्पिक एसोसिएशन ने जारी किए गए दिशानिर्देशों को नहीं माना है। राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में फेडरेशन, ओलम्पिक एसोसिएशन और भारत सरकार के बीच बातचीत की जरूरत है। संघों को हमारी खेल नीति का आधार होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय खेल नीति में घोषणा की है कि वे 100 करोड़ रुपये की एक निधि बनायेंगे। मेरा मानना है कि सरकार ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। मुझे वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने सभा में वायदा किया है कि निजी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित करने और आधारभूत सुविधाओं पर किया गया व्यय कर से मुक्त होगा। उन्होंने पहले ही एक समिति का गठन कर दिया है और मुझे विश्वास है कि यह खेल कूद के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएगी। अन्यथा हम 25 करोड़ रुपये अथवा 70 करोड़ रुपये या 80 करोड़ रुपये से कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, यह बजटीय आबंटनों का 0.0001 प्रतिशत बैठता है। इसलिए इनके प्रायोजन के माध्यम से धनराशि बड़ी मात्रा में आनी चाहिए। यह खेलों के लिए आवश्यक है।

महोदय, खेल राष्ट्रीय गौरव के द्योतक हैं। जब तक कुछ कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे और खेलों के लिए धनराशि नहीं उपलब्ध कराई जाएगी, तो इसका कोई भविष्य नहीं होगा। हर ओर उदारीकरण की बात है और खेलों के क्षेत्र में भी उदारीकरण होना चाहिए। दूरदर्शन, स्टार टी.वी. तथा अन्य चैनलों पर इन ओलम्पिक खेलों का प्रसारण होना चाहिए। उन सभी से मेरी यह अपील है। मैं चाहता हूं कि खेलों की सहायता करने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योगों को आगे आना चाहिए। हर एक उद्योग को कम से कम एक खेल को प्रायोजित करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं और आठवीं योजना के आधार पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, विदेश भेजते हैं और उनको खेल संबंधी औषधियां देते हैं तो इससे देश में खेलों की दिशा में परिवर्तन आएगा और यह उद्योग के लिए भी अच्छा होगा। हम निगमित खेलों को शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हैं। यदि उद्योग प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को रोजगार नहीं देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे।

अपना भाषण पूरा करने से पूर्व मैं सशस्त्र बलों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सशस्त्र बलों को भी खिलाड़ियों की देखभाल करनी चाहिए। वे खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनको खिलाड़ियों की देखभाल करने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए।

जब आप जनशक्ति की बात करते हैं, तो भारतीय सशस्त्र बलों और पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के बीच अन्तर है। हम हमेशा मशीनों की बातें करते हैं। परन्तु जनशक्ति के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में प्रतिभाशाली युवक सशस्त्र बलों में शामिल हो रहे हैं जबकि भारत में ये एम.बी.ए., भा.प्र. सेवा तथा भा.पु. सेवा में जाते हैं। इसलिए इस बारे में कुछ करने की आवश्यकता है। जब हम मानव संसाधन की बात करते रहे हैं तो सशस्त्र बलों में भर्ती इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए।

महोदय पिछला समय भूल कर आगे बढ़ने का समय आ गया है हम चुनौतियों को स्वीकार करके एकजुट होकर कार्य करें, चाहे यह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, माता-पिता, बच्चे और शिक्षक, कोई भी हों। हमें सभी स्कूलों, कालेजों में खेलकूद अनिवार्य कर देना चाहिए। हमें यह परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है और भारत विश्व में एक खेल शक्ति बन सकता है।



श्री सी. नरसिम्हन

*श्री सी. नरसिम्हन (कृष्णागिरि) : सभापति महोदय, भारतीय स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती के समारोहों के अवसर पर सदन के इस विशेष अधिवेशन के दौरान हमारे समक्ष विचार-विमर्श के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिस कड़े संघर्ष एवं परिश्रम से इस देश ने आज़ादी और प्रजातंत्र हासिल किया है उसको बरकरार रखने हेतु क्या रक्षोपाय किये जायें। सारा विश्व और भारत के लोग हमें इन विषयों पर चर्चा करते हुए देख रहे हैं। हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना है ताकि यह देश आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सके। इस देश का हर नागरिक तथा प्रत्येक मतदाता देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन के प्रत्येक सदस्य द्वारा यहां दिए गए योगदान पर बहुत ध्यान से गौर कर रहा है। यह सच है कि वे प्रतिनिधियों से सही उत्तर की आशा करते हैं। लेकिन जिन्होंने हमें निर्वाचित किया तथा चुनावों में जिताया, उनके लिए हम क्या करते हैं? अब जबकि हम 50 वर्ष पार कर चुके हैं, तो इन वर्षों में हम कठिनाइयों तथा आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए क्या करते रहे हैं? सभी सदस्यों के साथ-साथ देश के लोग भी यहां पर हर रोज होने वाली चर्चाओं के अन्त में इनका निष्कर्ष जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कार्य करना चाहिए। हमें देश को एक समृद्ध युग में ले जाने के लिए सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु निरंतर तथा निर्भय होकर कार्य करना होगा तथा स्वतंत्रता के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करके देश की जनता तक पहुंचाना होगा। इसी बात पर हमारे जन नायक थीरू मूपनार ने भी काफी जोर दिया है और वह इस सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय खोजने पर बल देते रहे। हमें एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना होगा, हमें तमिलनाडु को समृद्ध बनाना होगा, हमें जाति व धर्म की सीमाओं से ऊपर उठना होगा, हमें लोक-जीवन में ईमानदारी लानी होगी, हमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना होगा। यही हमारे दल का लक्ष्य और उद्देश्य हैं। यही हमारी तमिल मानिला कांग्रेस के उच्च सिद्धांत है। हम काफी लम्बे समय से अपने दल के इन आदर्शों पर निरन्तर बल देते रहे हैं। महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती ने लिखा था,

"वी वुड ईवन हैव द वर्ल्ड डूमड
ईवन ईफ ए सिंगल मैन लेफ्ट आउट स्टारवड
देयर शुड बी प्लैन्टी फोर ऑल
वी विल वर्क इट विद अवर फोर्स

ये विचार महान राष्ट्रीय कवि सुब्रह्मण्यम भारती के थे।

स्वाधीनता के 50 वर्षों बाद हम आज यहां इस सम्माननीय सदन में एकत्रित हुए हैं। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि क्या हम उस कवि के स्वप्नों को साकार कर सके हैं। मैं इस सदन में उपस्थित सभी नेताओं और सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर गहराई से विचार करें कि क्या हमने अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी है। भले ही हमने अरबों रुपयो की लाखों योजनाएं बनाई हों परन्तु हमें यह बात महसूस करनी चाहिए कि करोड़ों की यह राशि जो कि इस देश की कई करोड़ जनता के लिए थी, न तो उन पर खर्च की गयी और न ही यह राशि लक्षित लोगों तक ही पहुंची है। लगभग $2^1/_2$ करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। लगभग 17 करोड़ लोगों को पीने का पानी भी सुलभ नहीं है। लगभग 25 करोड़ लोग शिक्षा से वंचित हैं और अशिक्षित हैं। अनेकों योजनाओं पर जो करोड़ों रुपये व्यय किए जाते हैं, वे वास्तव में जनता तक नहीं पहुंचते हैं। हमारी जनसंख्या जो कि 1947 में $33^1/_2$ करोड़ तक थी, 1997 में बढ़कर लगभग 96 करोड़ हो गई। हमारा देश जो 1970 में मानव संसाधन विकास क्षमता के मामले में 82वें स्थान पर था, अब 196वें स्थान पर आ गया है।

सभापति महोदय मैं बाध्य होकर आपके विचारार्थ एक मुद्दा रखना चाहता हूं। हमारी जनसंख्या में हो रही चौंकाने वाली वृद्धि जो कि हमारी प्रगति में बाधक सिद्ध हो रही है, को रोका जाना चाहिये। हमें किसी जाति अथवा समुदाय में कोई विभेद किए बिना इस जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा। हमें इस संबंध में अपनी नीतियां बनानी होंगी तथा लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। हमें हिन्दू और मुसलमान, सिख और ईसाई में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें इसे जीवन की एक शैली के रूप में लेना चाहिए। हमारे बहुत से नेताओं तथा सहयोगियों ने, जो पहले बोल चुके हैं, उन्होंने अमरीका, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और आर्थिक रूप से सम्पन्न अन्य देशों का जिक्र किया था। परन्तु वे एक बात का जिक्र करना भूल गए कि केवल यहां ही वास्तव में प्रजातंत्र विद्यमान है। दूसरे देशों में यह केवल नाम मात्र के लिए ही विद्यमान है। वहां यह अनेक दबावों तथा प्रतिबन्धों से घिरा है। मुक्त प्रजातंत्र केवल यहां इस देश में ही विद्यमान है लेकिन साथ ही प्रजातंत्र का यहां गलत अर्थ भी लगाया जाता है। इसी कारण जिस प्रकार के सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तन हम चाहते थे, हम उन्हें लाने

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में असफल रहे हैं। हम आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी पिछड़ गए हैं। प्रारम्भ से ही हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते रहे हैं। जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी के समय से ही लाइसेन्स राज के बहिष्कार के साथ ही हमने अनेकों योजनाओं को उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया, फिर भी हम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में पिछड़ गए। हमें विचार करना चाहिए कि इन सब वर्षों में हम वह सब हासिल क्यों नहीं कर सके जो कि सर्वाधिक सम्पन्न देश अमरीका, जिसकी जनसंख्या भारत से कम है और चीन जिसकी जनसंख्या भारत से अधिक है, कर पाए हैं। हमें इस बात पर सोचना चाहिए। मैं समझता हूं और मेरा कर्त्तव्य भी है कि मैं इस सभा से अनुरोध करूं कि कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम उठाये जायें जिससे देश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो। भले ही हम जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की बात करे और इस संबंध में योजनायें बनायें तो उस समय भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में हमारे पास सर्वाधिक मानव शक्ति मौजूद है। हमारे यहां शत-प्रतिशत साक्षरता होनी चाहिए। सबके लिए शिक्षा हमारा आदर्श होना चाहिए। हमें और अधिक ऐसी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करनी चाहिए जो कि मजदूरों के हित में हों और अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित कर सकें। जनसंख्या के अनुपात में ही रोज़गार के अवसर सृजित किए जाने चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में की गई प्रगति को कृषि से जोड़ा जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो नये आयाम हमने हासिल किये हैं उनका फायदा कृषि के विकास में किया जाना चाहिए। सभी दलों को एकजुट होकर एक जाति तथा वर्ग रहित समाज की स्थापना के लिए, जोकि भ्रष्टाचार मुक्त हो, कार्य करना चाहिए। हमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दलितों तथा पिछड़े वर्गों, कृषि मजदूरों, औद्योगिक दलालों तथा व्यापारिक समुदायों की कठिनाइयों तथा परेशानियों को दूर करने में सहायता करनी चाहिए। हम इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं की बात करते हैं। हम उनके जीवन की राह में आने वाले उपेक्षा तथा सुविधाओं के अभाव के बारे में उनकी शिकायतों को सुनते। वह आजादी जो कश्मीर से तमिलनाडु तक रहने वाले लोगों की एकता के कारण मिली थी उसे असली जीत में परिवर्तित किया जाना चाहिए। हम सब को एकजुट होकर जनता के उत्थान के लिए आगे आना चाहिए। महात्मा गांधी ने सब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पर बल दिया था। हमें स्वयं पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि क्या हमने विकास की गति को बढ़ाया है और फिर हमें लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

जहां तक इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, हम देखते हैं कि गांवों में राशन की दुकाने भी नहीं हैं तथा ग्रामीणों के पास राशन कार्ड नहीं हैं। गांवों में हम अभी भी देखते हैं कि सड़क, जल-मल सुविधाएं, पीने का पानी, बिजली तथा पर्याप्त भोजन हासिल नहीं है। हम यह सब चीजें देख रहे हैं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन 50 वर्षों में इन सुविधाओं की अपर्याप्तता के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। हम इन असंख्य समस्याओं से कब पार पाएंगे। हम भारत के बहुत से स्थानों में बस एवं रेल सुविधाओं की कमी के बारे में बात करते हैं।

जब हम नदी-जल विषय की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह राजनीतिज्ञों के हाथों का एक खिलौना है। कुछ कहते हैं कि कावेरी हमारी है। कुछ कहते हैं कि गंगा हमारी है। चाहे वे इस जल में डूब क्यों न जायें परन्तु वे इन नदियों के जल को पड़ोसी राज्यों के साथ बांटने को तैयार नहीं हैं। सभी राजनीतिज्ञों को सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं सभी राजनीतिज्ञों पर इस बात के लिए दोषारोपण करूंगा कि हम देश की जनता तथा अपने लोकतंत्र के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहे हैं।

नौकरशाही तथा कार्यपालिका से जुड़े राजनीतिज्ञों को एक नई कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए तथा जनता की स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें फिजूलखर्ची से बचना चाहिए तथा अनावश्यक नियंत्रणों को हटाना चाहिए। जो कोई भी जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में आगे आये उसे ही इस देश का प्रथम देशभक्त समझा जाना चाहिए। इसके बाद जो कोई भी इस देश में लघु उद्योग क्षेत्र में उद्यम स्थापित कर उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था के संवर्द्धन के लिए आगे आये उन्हें राष्ट्रवादी समझा जाना चाहिए। सरकारी योजनाएं लघु उद्योग क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। लघु उद्योग रोजगार सर्जन तथा निर्यात से होने वाली आय के अर्जन में अधिक योगदान देते हैं। सरकार को लघु उद्योग ईकाइयों स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें बड़े उद्योगों को स्थापित करने में भी नहीं हिचकना चाहिए बशर्ते कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि पर्यावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण पर उनका प्रभाव न पड़े। हम सभी मुद्रास्फीति के बारे में बात कर रहे हैं। इसे हमेशा हमारे औद्योगिक उत्पादन से जोड़ा जाना चाहिए। आज हमारी मुद्रास्फीति की दर 3.75 के स्तर पर है। परन्तु हमारा औद्योगिक उत्पादन स्थिर हो गया है अथवा एक प्रकार से अवरुद्ध हो गया है। शेयरों की कीमतें गिर गई हैं। निवेशकर्ता हिचकिचा रहे हैं। हम ज्यादा विदेशी निवेश की आशा रखते हैं। परन्तु हमें घरेलू निवेश को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। हमारे योग्य वित्त मंत्री माननीय पी. चिदम्बरम द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के जरिये इसका पुनर्निर्माण करने के लिए जो आर्थिक उपाय किए गए हैं, वह हम सबके आशानुरूप होने चाहिए। उनके द्वारा घोषित की गई वी.डी.आई.एस. (स्वैच्छिक आय घोषणा योजना) जैसी योजनाएं काले धन को बाहर लाने में मदद करेगी। भ्रष्टाचार केवल राजनीतिज्ञों में ही नहीं है, यह सरकारी अधिकारियों में भी व्याप्त है। आज कल कुछ भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। हम समझते हैं कि केवल बच्चे ही भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। हमें इस ज्वलन्त समस्या के समाधान के लिए दिल और दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए। सोमवार को जब हम इस सत्र का समापन करेंगे तब मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विचार-विमर्श के दौरान सदन में व्यक्त किए गए सभी प्रकार के विचारों के आधार पर हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार लाने का संकल्प करेगी। हमें अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित कार्यवाही की जाये। हमें महात्मा गांधी से लेकर महान नेताओं तक के हमारे संस्थापकों के सपनों को साकार करना चाहिए।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस करना चाहिए, हमें जाति, समुदाय, भाषा इत्यादि से पैदा होने वाले अपने सारे मतभेदों को भुलाकर एक नए आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहिए। आइए हम एक गतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं।



श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : श्रीमान सभापति जी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं और मैं इसका गर्व करता हूं कि मैं झांसी और ललितपुर क्षेत्र से आया हूं। झांसी वह ऐतिहासिक स्थान है जहां महारानी लक्ष्मीबाई ने आजादी की ज्योति जलाई थी और समूचे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी थी।

श्रीमान सभापति जी आजादी की एक और लड़ाई लड़नी है। लड़ाई का स्वरूप देश की सामाजिक और आर्थिक आजादी होना। यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश में छुआछूत, भुखमरी, जन्म तथा जाति के आधार पर बड़े व छोटे की दूषित अवधारणा बनी हुई है। यह अवधारणा हमारे देश की संस्कृति की विकृति की परिचायक है। इसकी लड़ाई लड़नी होगी। सामाजिक समता आज का राज धर्म बन गया है। इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। एक सावधानी बरतनी होगी कि सामाजिक समता के नियमों में नफरत पैदा न होने पाये। सामाजिक समता का भवन सामाजिक ममता की नींव पर खड़ा करना होगा। इसमें परस्पर भाईचारे की भावना बनी रहे, समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, एकता और व्यवस्था में समाज के सभी वर्षों को सम्मानजनक और पारदर्शी साझेदारी मिल सके आदि यह आज राजनीति में बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, आज हमारा देश तब तक स्वावलम्बी और आत्म निर्भर नहीं बन सकता है जब तक वह कर्ज मुक्त नहीं होगा और हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, हर खेत को पानी नहीं मिलेगा। इसका दूसरा पहलू भी है कि विदेशी कर्जा और स्वदेशी कर्जा देश के ऊपर 7 हजार करोड़ लेने के बाद और आठ पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद, 42 वर्षों तक एक दल का बहुमत से राज रहा, स्थायी सरकार रही। लेकिन आज देश के अंदर 70 फीसदी पानी की व्यवस्था नहीं है। 50 हजार नौजवान प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है। पचास लाख बच्चे प्रति वर्ष कुपोषण के कारण अंधे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 42 वर्षों तक इस देश के अंदर गलत नीतियां, गलत नियोजन, गलत परम्परायें और ऊचें पदों पर बैठे हुए लोगों के अंदर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के रहते देश में विकास संभव नहीं है और जब विकास संभव नहीं तो रोजगार संभव नहीं। रोजगार संभव नहीं तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा और पैसा नहीं तो नारेबाजी से गरीबी दूर नहीं हो सकती। गरीबी के रहते लोगों का पिछड़ापन, उनकी गरीबी, उनकी भुखमरी, उनकी अशिक्षा, उनकी बीमारी का इलाज संभव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, राजनीतिक चिंतन आज गलत दिशा में बढ़ रहा है। इस सदन में ऐसे भी नेताओं ने भाषण दिये हैं जो अपराधीकरण से आज सत्ता के गलियारे में आये हैं। आज सदन के अंदर उन्होंने यह संकल्प लिया है और जनता उनकी कथनी और करनी को देखेगी। मुझे विश्वास है कि आज जिस प्रकार से राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है, उसके बारे में सदन में बहुत बड़ी चिन्ता हुई है। जिस प्रकार का संकल्प या जिस प्रकार की कथनी और करनी निभाने के लिए इस सदन में एक गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो अगर हम लोग अपने जीवन के अंदर इसका पालन करेंगे तो निश्चय ही राजनीति अपराधीकरण से दूर होगी।

मान्यवर, मैं एक और बात कहूंगा कि अपराधीकरण की स्थिति आज उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर सबसे ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यपालिका यानी प्रशासन व्यवस्था में अपराधियों को राजनीतिक दबाव के कारण या उनकी बेईमानी की नीति के कारण संरक्षण देना है। मैं पुन: इस बात की ओर जोर देना चाहता हूं कि कार्यपालिका को संविधान के साथ अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। उसके अंदर ईमानदारी आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। अगर प्रशासन के अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति का अपराधीकरण कभी नहीं हो सकता है।

मान्यवर, मुझे एक बात की बड़ी चिन्ता है। अभी देश ने बहुत बड़ी भूल की है। नारे तो हमने लगाये हैं और आज भी हम नारे लगे रहे हैं कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव, गली और गलियारे से है। यह केवल नारे में ही लिपट कर रह गया है। जब तक हम इस दिशा में नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब गांव उठेगा तभी देश उठेगा क्योंकि भारत की आबादी का 85 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। जब किसान के हाथ मजबूत होंगे तभी कुछ हो पाएगा। किसान के हाथ तब मजबूत होंगे जब सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, उसे बाजार में उचित दाम मिलेगा। जब बाजार में उचित दाम मिलेगा तो किसान की क्रयशक्ति बढ़ेगी और जब किसान की क्रयशक्ति बढ़ेगी तो वह बाजार में जाएगा, जब बाजार में जाएगा तो हमारे कल-कारखाने चलेंगे। आज लघु, कुटीर उद्योगों के खत्म होने का मुख्य कारण यह है कि किसान की क्रयशक्ति बने हुए माल को खरीदने की नहीं है क्योंकि देश की आबादी 85 प्रतिशत किसानों की है। इसलिए सरकार को आदर्श बनाना पड़ेगा कि गांवों की खुशहाली देश की खुशहाली है। जब तक गांवों में बसने वाले किसानों की क्रय शक्ति नही बढ़ेगी तब तक इस देश में लघु उद्योग मजबूत नहीं हो सकते और जब लघु उद्योग मजबूत नहीं होंगे तो हमारे नौजवानों को काम नहीं मिलेगा और बेकारी दूर नहीं होगी।

मैं आज सदन में उपस्थित सभी नेताओं से एक बात और कहना चाहता हूं। हमने सभी नेताओं के भाषण सुने हैं। मैं पिछली तीन लोक सभा से आ रहा हूं। देश की क्षेत्रीय विषमता, क्षेत्रीय असंतुलन आज कलंक बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर बुंदेलखंड, बिहार के वनांचल, की आबादी केरल, पंजाब, हरियाणा से भी डेढ़ गुनी है। आज वहां क्षेत्रीय विषमता इस प्रकार की है कि न शिक्षा है, न चिकित्सालय हैं, न पढ़ने की कोई व्यवस्था है, न रास्ते हैं, न उद्योग हैं। आज वे पिछड़ेपन और गरीबी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वहां पर लोगों को सालभर दो पहर की रोटी नहीं मिलती। क्षेत्रीय विषमता को मिटाने के लिए मैं आज यहां पर मांग कर रहा हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाए। वह छः महीने में अपनी रिपोर्ट दे और उसके आधार पर छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हो। क्या कारण है कि आज पंजाब भुखमरी का शिकार नहीं है? हरियाणा में विकास हो रहा है, केरल में 100 प्रतिशत शिक्षा है, वहां नौजवान बेकार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल और बिहार का वनांचल आज किस प्रकार से पिछड़ेपन और गरीबी का शिकार है। मैं आपके माध्यम से आज सदन में यह कहना चाहता हूं कि यदि इस बहस को सार्थक बनाना है तो सार्थक बनाने वाले बिन्दुओं में एक बिन्दु यह भी जोड़ा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा जो छः महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। यदि छोटे-छोटे राज्य बनाए जाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मैं जानता हूं कि आप घंटी बजाने वाले हैं। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे आज वह घड़ी याद आ रही है जब लखनऊ में देश के नेता श्रीमान चरण सिंह का मैंने भाषण सुना था। मैं एक विद्यार्थी था। जनेश्वर मिश्र जी यहां मौजूद हैं। मैंने विश्वविद्यालय में भी इनके कई भाषण सुने हैं। आज वे मंत्री पद पर हैं। उन्होंने देश की दशा को बहुत अच्छी प्रकार से समझा है। लेकिन आज वे मौन हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सदन में बैठकर अपने कहे हुए शब्दों को वे पूरा करके दिखाएंगे, नहीं तो राजनीति से कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। मैं इस विश्वास के साथ चौधरी चरण सिंह के शब्द सदन में दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि "प्राथमिकता कृषि को देनी चाहिए ताकि कुटीर उद्योग धंधे और हस्तशिल्प छोटे-मोटे धंधे, उद्योग और अंत में भारी भरकम उद्योगों का देश में महत्व होना चाहिए। जब तक देश में कृषि और कच्चे माल का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और श्रमिक कृषि को अपनी बोझ से कम नहीं करेंगे, ताकि वे कृषितर उद्योगों में लग सकें, जिससे कि कृषि श्रमिक (मजदूर) के रहन-सहन में तरक्की कर सकें।"

यह देश के आर्थिक ढांचे का रास्ता है और अभी तक देश के अन्दर से गरीबी इसलिए नहीं जा सकी है, क्योंकि इन्होंने 85 प्रतिशत गांवों में रहने वाले किसानों की ओर किसान मजदूरों की क्रय-शक्ति को नहीं बढ़ाया है। आज वह गरीब का गरीब है। देश आज खुशहाली चाहता है। लेकिन देश के अन्दर केवल 25 प्रतिशत आबादी ने इस नीति के अन्दर खुशहाली को पाया है, इसलिए इनको ऐसा आर्थिक तंत्र बनाना पड़ेगा कि गांव से पूंजी सरकारी खजाने से आये और फिर चलो गांव की ओर और जब तक गांव की ओर चलने की आर्थिक नीति नहीं बनेगी, हमारे कोरे भाषण रहेंगे और यह आर्थिक चर्चा सार्थक नहीं होगी।

इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।



श्री वी. प्रदीप देव

[अनुवाद]

श्री वी. प्रदीप देव (पार्वतीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वतंत्रता के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में सम्मानित सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया और वास्तव में यह मेरे जैसे व्यक्ति का सौभाग्य है जो स्वतंत्रता के दूसरे दशक में पैदा हुआ था।

आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलूंगा जिसमें मेरी गहरी रूचि है अर्थात भारत की अशिक्षित जनता के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा, जैसा कि सभी जानते हैं किसी भी समाज के विकास की कुंजी है। शिक्षा स्वस्थ शरीर के विकास के लिए आवश्यक भोजन तथा विटामिनों की भांति किसी भी व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात मुझे यह देखकर आज दुःख होता है कि मेरे देश की ग्रामीण जनता जहां स्वस्थ रहने के लिए प्रयास कर रही है वही उनके पास मानसिक विकास हेतु बहुत कम अवसर है। मेरे विद्वान मित्र तथा साथी मुझे अवश्य इस बात पर मेरा समर्थन करेंगे कि जब तक मेरे देशवासियों का शिक्षा के अभाव में बौद्धिक विकास नहीं होगा तब तक उन्हें भ्रामक सूचनाओं से छला जाता रहेगा। किसी भी देश के लोकतंत्र में कैसे परिपक्वता आयेगी यदि वहां बहुसंख्यक लोग स्वतंत्र रूप से कभी अपने मन मस्तिष्क स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते?

सबसे बुरी स्थिति हमारी महिलाओं की है। सामाजिक जागरूकता के अभाव में ग्रामीण भारत में अधिकांश महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा

तक के मूलभूत अधिकार से भी वंचित रखा जाता है। बहुत से ऐसे परिवार महसूस करते हैं कि शिक्षा समय की बर्बादी है। ऐसे परिवारों के बच्चों से काम करवाया जाता है। अथवा उन्हें घरेलू कार्यों में लगा दिया जाता है ताकि वे इसके जरिए आर्थिक योगदान कर सकें। चूंकि इन प्राथमिक विद्यालियों में व्यवस्था एवं अध्यापकों की स्थिति बहुत खराब है, अत: वे बच्चों को प्रेरित तथा आकर्षित करने के लिए बहुत कम कार्य कर पाते हैं। यही बच्चे हमारे देश के भविष्य है। क्या हम इस संसद में चुप बैठे रह सकते हैं जबकि हमारे देश का भविष्य स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी आंशिक रूप से विकसित होकर अंधेरे में गुम हैं।

किसी भी जन कार्यक्रम में तब तक कुछ हासिल करना कठिन है जब तक व्यक्तियों को प्रेरित करने तथा संसाधनों को जुटाने के तौर तरीके और साधन, निचले स्तर के लोगों के अनुकूल होने के साथ अभिनव न हों। पारंपरिक दृष्टिकोण तथा साधनों से क्रांतिकारी परिणाम हासिल नहीं होंगे। गांवों के स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना होगा और स्थानीय संस्थाओं को इस प्रकार से ऊर्जावान बनाना होगा ताकि वे स्थानीय स्तर पर क्रांतियां लाए। यदि ऐसा प्रत्येक गांव में होता है, तो यह एक राष्ट्रीय क्रांति होगी। हमें अत्यंत सूक्ष्म और निचले स्तर पर क्रांति लाने के लिए काम करना होगा। स्थानीय लोगों को स्कूलों को चलाने के अपने स्वयं के आदर्श स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। निचले स्तर की योजना तर्कसंगत रूप में अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि वर्तमान योजना का स्वरूप पूरी तरह से भिन्न होना चाहिये। यह भी समझ लेना चाहिए कि निचले स्तर की योजना का अर्थ है कि स्थानीय लोगों को स्थानीय योजनाओं और कार्यक्रमों में और प्राथमिक स्कूल, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों जैसे कार्यक्रमों में उनको उत्तरदायी बनाना है।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि एकीकृत सेवाओं के साथ सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का महत्व उल्लेखनीय है। इस बात को मान लेना चाहिए कि बच्चों के घर में और स्कूल के बीच सांस्कृतिक खाई में पर्याप्त अंतर है। जब तक इस खाई को नहीं पाटा जाता है तब तक स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पांच वर्ष की अवधि तक बच्चे अध्ययन जारी नहीं रख पायेंगे। बाल्यावस्था की देखभाल और विद्यालयी शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उचित और स्थायी बदलाव के लिए उचित कार्यक्रम है। दुर्भाग्यवश भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जाने के पूर्व के कार्यक्रमों का कोई अस्तित्व नहीं है।

महोदय, ईमानदारी से इस सम्माननीय सभा के माध्यम से सरकार को मेरा सुझाव है कि 'सभी के लिए शिक्षा', विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए। महोदय, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो राज्य को चाहिये कि प्रत्येक बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू और कार्यान्वित करें।

योजना, प्रबंधन और संसाधन जुटाने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाना चाहिये।

स्थानीय तर्कसंगता और क्षमतानुकूलता को सुनिश्चित करने के लिए आवास, अध्यापकों की भर्ती, पाठ्य-सामग्री आदि जैसे सभी क्षेत्रों में कम लागत वाले विकल्प पता लगाने होंगे।

सकारात्मक रवैया और अध्यापकों के बीच सामाजिक सेवा भावना को बढ़ाने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुन: अनुस्थापन करना होगा ताकि वे सामाजिक उत्तरदायित्व से काम करें। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां की भारी जनसंख्या सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हो, केवल शिक्षण विधाओं में प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा। अध्यापकों को स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा।

बाल्यावस्था की देख-भाल और शिक्षा कार्यक्रमों का, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर, पिछड़े बच्चों के लिए, उनकी मांगों और प्राथमिक शिक्षा के अनुरूप पर्याप्त पुन: अनुस्थापन करना होगा।

स्थानीय समुदायों के माध्यम से और अधिक कल्पनाशील कार्यक्रम लागू करने होंगे तथा भौतिक परिवेश और पाठ्य विषयों दोनों में अध्यापकों को स्कूलों को आकर्षक बनाना होगा।

विश्वविद्यालय प्रशिक्षण का महत्व अर्जित ज्ञान में इतना नहीं है जितना कि वैज्ञानिक आदतों के विकास में। छात्रों को ज्ञान से मत, तथ्य से सिद्धांत में भेद करना सीखना चाहिये, साक्ष्य का जायजा लेने में सक्षम होना चाहिये, संगत तर्क-वितर्क करना चाहिये तथा विरोधी के विचारों की सही जांच करनी चाहिये।

अंत में, मैं इस सम्माननीय सभा में शिक्षा के प्रतिपाद्य विषय के बारे में कहना चाहूंगा जिसके बारे में हमारे माननीय नेतागण पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही प्राय: बल देते आ रहे हैं। इस सभा में केवल भाषणों से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यरूप से और विशेषकर आदिवासी भारत में कोई लाभ नहीं होगा। मैं भारत के सभी अविकसित आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता हूं। जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता है वह शिक्षा है जोकि क्षमतानुकूल और व्यवहार्य है। कान्वेंट और पब्लिक स्कूलों को अभी भी विशेष स्थान प्राप्त है और मुझे संदेह है कि इन स्कूलों के पाठ्यचर्या में संस्कृति और भारतीय मूल्य प्रणाली को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को घर-घर पहुंचाने की आवश्यकता है जो लोगों में शिक्षा में जागरूकता लाये। यदि हम ग्रामीण जनता की बुनियादी, क्षमतानुकूल और भारतीय शिक्षा द्वारा विकास करते हैं, तो समाज में विभाजन, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयां जिनको दूर करने के बारे में हमारे माननीय प्रधान मंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पहले ही बल दे चुके हैं। सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार और राष्ट्रीय जागरूकता का कोई लाभ नहीं है जब तक कि लक्षित जनसंख्या अशिक्षा के कारण कुछ नहीं समझती है। हमें स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के अवसर पर यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जहां भारत की सच्ची आत्मा निवास करती है, अपनी उस, ग्रामीण जनता के लिए अर्थपूर्ण शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान की ज्योति जलाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी

रात्रि 9.00 बजे

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने स्पीकर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज़ादी के पचास साल में उन्होंने एक कोशिश की है।

मुल्क के अंदर जो तल्ख सवालात हैं, जो उलझी हुई बातें हैं, उससे मुल्क को किस तरह से निकाला जाए और मुल्क के अंदर तरक्की के रास्ते को हमवार किया जाए, शायद यह जो चार-पांच दिन का सैशन है, कोई नतीजा न निकाल पाए लेकिन एक रास्ता हम लोगों को इस सैशन से जरूर मिलता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान के अंदर जो बीमारियां हैं, जो मुशकिलातें हैं, अगर उनको सारी जमातें, सारे लोग नेशनल इश्यू समझकर कोई रास्ता निकालें तो यह मुल्क की तरक्की की दिशा में एक कदम होगा। मैंने स्पीकर साहब से कहा कि हिन्दुस्तान के अंदर जो बड़े सवालात हैं चाहे सेकुलरिज्म, जांतपांत और नेशनेलिज्म का मामला हो, आप एक-एक मुद्दों को लेकर सदन को बुलाइए, दरवाजा चारों तरफ से बंद कर दीजिए और सांसदों से कहें कि मुल्क के हित में सदन से तब तक मत जाइए जब तक कि किसी फैसले पर न पहुंचे। आज मुल्क के अंदर लोग मुखतलिफ इलाकों में मुखतलिफ जातियों में और मुखतलिफ भागों में बंटे हुए हैं लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वह नेशनेलिज्म की है। अगर इस मुल्क के अंदर नेशनेलिज्म आ जाए तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क की आधी मुशकिलातें दूर हो जाएंगी।

मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के पचास साल के अंदर कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, कम से कम यह मुल्क आज़ाद हुआ। हमें अपने ही कानून बनाने का मौका मिला। इस मुल्क को चलाने का मौका मिला। आज से पहले का मुझे याद नहीं है, मैं तो आजादी के वक्त नहीं था और न मैं उससे वाकिफ़ हूं क्योंकि मैं तो पैदावार ही उसके बाद की हूं। लेकिन मुझे अपने बचपन का दिन याद पड़ता है जब उस जमाने में लोग कुएं से पानी पिया करते थे, चलने के लिए सड़कें नहीं थी। कच्चे रास्ते थे। आज कम से कम गांवों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था किसी हद तक हुई है। चलने के लिये कच्चे ही सही रास्ते तो बने हैं। लेकिन फिर भी इस मुल्क के अंदर जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। उस तरक्की को अगर आप दूसरे मुल्कों से आंकड़ों की दृष्टि से देखने का काम करें तो लगेगा कि मुल्क कहीं न कहीं पीछे छूट गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जितने बड़े सवालों पर ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इस मुल्क की अगर आमदनी देखिए तो बड़ी आमदनी कृषि से होती है। इस मुल्क का किसान सबसे ज्यादा इस मुल्क को चाहे रोटी देता है, चाहे फौरेन करेंसी लाता हो, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे कारपेट, चीनी, कॉटन या लैदर के समान बनते हों, या हैंडीक्राफ्ट हो या चाय, कोयला, राइस और पल्सेज हो। सारी चीजें यहां का किसान उगाता है। यहां की जमीन उगाती है, लेकिन उसकी तरफ मुल्क की निगाह नहीं जाती है। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में यह सरकार और सदन निश्चित रूप से ध्यान दे।

साइंस और टैक्नोलॉजी की बात भी सदन में हुई है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं खुद भी इंजीनियर हूं। मैं देख रहा हूं कि इस मुल्क के अन्दर, कम से कम जब से मैं इंजीनियर हुआ, इतिहास में जाता हूं, तो मालूम होता है कि कहानियां तो मिलेंगी कि हमने वह किया और यह किया, लेकिन हकीकत में इस मुल्क के अन्दर जो कुछ हुआ है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। रिसर्च के संबंध में भी बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें रखी हैं कि इस मद में भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च से ही कुछ नतीजे निकलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में अगर साइंस के क्षेत्र में कुछ हासिल करना है, तो आपको रिसर्च के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक बात इस मुल्क की निगाह में लाना चाहता हूं। आज मुल्क के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें आती हैं, चाहे बिजली हो या चाहे सड़क हो, हाइवेज़ हों या रोडवेज़ हों, एयरपोर्ट हों या पोर्ट हों, इनमें पिछले पचास सालों में कितना विस्तार हुआ है। इसके साथ ही कितनी रेल लाइनें बिछी हैं, कितने हाईवेज बने हैं, इन सबके सारे आंकड़ें मौजूद हैं। यह भी एक चिन्ता का विषय है। मैं खासतौर से एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, यदि आप इस मुल्क के अंदर सौ किलोमीटर का सफर कर लें, तो आप दूसरा काम करने के लायक नहीं रहते हैं। लेकिन इस मुल्क के इकोनोमिस्ट का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। आज मुल्क में कोई हाईवेज़ अच्छी नहीं है। मैं एक छोटा सा इंजीनियर होने के नाते, ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। सौ किलोमीटर का सफर यदि आप तीन घंटे या ढाई घंटे में करते हैं, इसके साथ गाड़ी की वीयर-टीयर, ह्युमन की वीयर-टीयर और साथ ही यदि आप पेट्रोल, डीज़ल तथा इंजन का भी हिसाब लगा लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके हाईवेज़ की क्या हालत है। अगर आपने सड़कों को दुरुस्त कर लिया, तो आपके ऊपर जो पेट्रोलियम प्राडक्ट्स को मंगाने के लिए जो डालर का बोझ है, वह कम हो जाएगा और दूरदराज

के इलाकों में चीजे सस्ते दर पर पहुंचेंगी और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आपका दुरुस्त हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, जो आज कालेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको अपना कल नहीं मालूम कि उनकी क्या हालत है। कालेजों से निकलने के बाद, तालीम हासिल करके निकलने के बाद, मेरा क्या होने वाला है, यह उनको मालूम नहीं है। राइट-टू-वर्क की बात निश्चित रूप से इस मुल्क के अंदर होनी चाहिए।

रात्रि 9.07 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए*]

आज इस मुल्क का नौजवान दुनिया को क्या दे रहा है? यदि आप खेलों की स्थिति देखें, चाहे एशियन गैम्स हों या ओलम्पिक गेम्स हों, यदि मैडल की तालिका को आप देखेंगे, तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान का जिक्र नहीं होता है। हमें लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है कि मुल्क के अन्दर कानून बनाने किस-किस तरह के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं या दिलाना चाहते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन वह नौजवान जो मुल्क का नाम रोशन करता है उसके लिए आपके पास कोई सोच नहीं है। जो मुल्क के लिए खेलता है, उनके लिए 5 फीसदी या 10 फीसदी जॉब में रिजर्वेशन कर दिया जाए। आज शायद अर्जेन्टीना के प्रैजीडेंट को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन माराडोना को हर आदमी जानता है। वैस्ट इंडीज कोई मुल्क नहीं है। छोटे-छोटे टापुओं के लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई है और उस टीम के खिलाड़ियों को सब जानते हैं। वहां के सदर को, वहां के प्रधानमंत्री को कोई नहीं जानता होगा और आज जब हिन्दुस्तान का नाम आता है तो कहीं जिक्र नहीं आता। कभी हाकी में सिल्वर और गोल्ड मैडल मिल जाया करता था वह भी हाथ से निकल गए। आखिर क्या कमी है? अगर इस मुल्क के नौजवान को आप जोड़ेंगे नहीं तो यह मुल्क राष्ट्र बनने वाला नहीं है। आज मुल्क में ज्यूडिशियल की बात होती है। सीबीआई की बात होती है। जब से मुल्क का कानून लिखा गया उस वक्त कहा गया कि जहां आईएएस का कम्पीटिशन होगा, कमीशन बनेगा, जो बड़े-बड़े पदों पर लोग बैठेंगे उनके लिए कमीशन बनेगा। यही कहा गया था, ज्यूडिशियल कमीशन बनेगा। आर्टीकल 312 में इसका जिक्र है। आज किस तरह के लोग जजों की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर इस तरह के लोग जजों की कुर्सी पर बैठेंगे तो फैसला भी उसी तरह का होगा। गरीब का जो अधिकार है, जो हक है वह उसे मिलने वाला नहीं है। इस मुल्क में दोहरा कानून चालता है। इनकम्पीटेंट लोग जजों की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस मुल्क में आम आदमी को उस कुर्सी पर बैठने का मौका कब मिलेगा? सिर्फ यह डर है कि अगर आज कमीशन बन गया तो 27 प्रतिशत पिछड़ी जाति के भी उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। वहां पर दलित भी उस कुर्सी पर बैठ सकता है। इसलिए कमीशन बहाल नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि इस मुल्क में जो दोहरी नीति है वह दूर हो और जो एक सांठ-गांठ चली है, कि वोट से जीतने वाले नहीं हैं तो ज्यूडिशियरी के जरिए इस मुल्क में कब्जा करो। एक ही कानून में एक आदमी को बेल होगी और दूसरे को जेल होगी। एक ही कानून में इस मुल्क में सीबीआई की कार्यवाही एक पर हो जाएगी और दूसरे पर नहीं होगी। यह जो दोहरा कानून है वह इस मुल्क में चलने वाला नहीं है। जमाना आएगा और आने वाला है जो इसका जवाब देगा। इसलिए ज्यूडिशियल सिस्टम को दुरूस्त किया जाए। एक-एक आदमी 20-20 साल अपने कानून के फैसले के इंतजार में बैठा हुआ है लेकिन फैसला नहीं होता। जरूरत पड़े तो जजेज़ बहाल हों, जरूरत पड़े तो एक्सपेंशन हो लेकिन जिस तरह से आज चल रहा है यह चलने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस मुल्क में जो तालीम का सिलसिला है और हम लोग बहुत फख्र से कहते हैं कि आज हिन्दुस्तान में 53 फीसदी पढ़े-लिखे लोग हैं लेकिन जरा खोजने का काम कीजिए कि ये 53 फीसदी लोग कौन हैं? इसमें निश्चित रूप से अरबन प्रतिशत ज्यादा होगा, निश्चित रूप से इसके अंदर सम्पन्न लोग, जो दौलत रखते हों, जिनके पास पहले से तालीम का सिलसिला हो वे लोग ज्यादा होंगे। आप जरा मालूम करिए कि इस 53 फीसदी में कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं, कितने दलित हैं और कितने अक्लियत के हैं। मेरे पास ज्यादा आंकड़ें नहीं हैं लेकिन सिर्फ राजस्थान का आंकड़ा मेरे पास मौजूद है और वह अक्लियत के सिलसिले से पूरे शहरों का आंकड़ा है, तकरीबन 17 फीसदी लोग मुसलमानों में पढ़े-लिखे हैं और उसमें भी मदरसे के तालीम वाले ज्यादा हैं। गांव में 1.8 प्रतिशत हैं। आप चाहते हैं कि मुल्क में सब का हिस्सा हो लेकिन समाज के कमजोर लोगों को आप दूर रखना चाहते हैं और यही इस मुल्क में हुआ। इसी वजह से इस मुल्क में नेशनलिज़्म नहीं आया, मुल्क में सबको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। अगर इस मुल्क को बनाना चाहते हैं तो इस मुल्क के गरीबों को एहसास दिलाइए, जो पिछड़े, दलित हैं, अक्लियत के लोग हैं कि तुम्हारी भी इस मुल्क में बराबरी की हिस्सेदारी और साझेदारी है।

उसको भी तरक्की के अंदर, दौलत के अंदर बराबरी का अधिकार दिया जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप 500 बड़े पूंजीपतियों का नाम लें तो उसमें एक भी दलित मिल जाए, पिछड़ा मिल जाए, अक्लियत का मिल जाए तो मैं ईमान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको वह नहीं मिलेगा। जहां तक बैंकों से ऋण लेने का सवाल है तो इस मुल्क के अंदर एक खास किस्म के लोग ही उसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, जो शिक्षा का सिलसिला है, तरक्की का सिलसिला है यह मुल्क के हर इंसान के पास जब तक समान रूप से नहीं पहुंचेगा तब तक देश में न नेशनलिज्म आ सकता है, न देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है।

सभापति महोदय, आखिरी सवाल मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ पर है। उसके पहले मैं गुजरात डॉक्ट्रेन पर बोलना चाहता हूं। उसके बारे में आज दस तरह की बातें यहां हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर घर के अंदर अमन हो, तो पड़ोसी से लड़ने में आपको आसानी होगी

और अगर पड़ोस से दोस्ती हो तो लड़ाई बहुत दूर आप रख सकते हैं। लेकिन इस मुल्क को जिस तरह से आजादी मिली वह हमें मालूम है। हमें लड़ा-भिड़ा कर हमें आजाद किया गया और उसके साथ-साथ पाकिस्तान दे दिया पास में कि जिंदगी भर लड़ते रहो।

हमने आज नेपाल से, बंगला देश से, श्रीलंका से तथा पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते कायम करने की कोशिश की है और यह देश को आगे बढ़ाने की बात है न की पीछे ले जाने की बात है। लेकिन जो हमारे मुल्क के अपने सवाल हैं उनमें हमें पीछे नहीं हटना है। हमने तीन जंगें अपने पड़ोसी से लड़ी हैं। इस वजह से ही गरीबी इस मुल्क में नहीं आई। आज मुल्क के बजट का बड़ा हिस्सा आप डिफेंस पर लगाते हैं, इसलिए आज जो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और अमन लाने की जो पहल हुई है, इसमें सारे लोग सरकार के साथ हैं।

सभापति जी, आज दुनिया करीब आ रही है। ईस्ट और वैस्ट जर्मनी, नार्थ यमन और साउथ यमन करीब आ गये तथा नार्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बात हो रही है। फिर इलाकाई एका हो रहा है और एक सिक्के की बात हो रही है। इसलिए हम भी एक दूसरे के करीब आने का काम करें, यह भी मुल्क के सामने एक मामला है।

आज मुल्क के अंदर आबादी जिस तरह से बढ़ रही है वह मैं बताना चाहता हूं। जब मुल्क आजाद हुआ तो उस वक्त की आबादी से आज तीन गुनी आबादी हो गयी है, लेकिन मुल्क की तरक्की तीन गुना नहीं हुई है। यह भी गरीबी की एक वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक लोग नहीं चाहते कि देश में फैमिली-प्लॉनिंग हो। मैं कहना चाहता हूं कि कम करने से कौन रोकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि मुसलमान इसका विरोध करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुसलमान इसका विरोध नहीं करते हैं, इसकी मुखालफत नहीं करते हैं। कौन 20 औलादों को गले में लादना चाहता है? कौन चाहता है कि उसकी औलाद को अच्छा घर और अच्छी शिक्षा न मिले। मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनियाभर में लोगों की सोच इस तरफ गयी है। मैं तीन उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। मैं तीन इस्लामी देशों के बारे में बताना चाहता हूं। एक देश है टर्की, जिसको बहुत ही प्रोग्रेसिव, सैक्यूलर और वैस्टर्न माना जाता है। दूसरा इजिप्ट जिस को मिडिल वाला माना जाता है, जो थोड़ा रीलिजियस कंट्री माना जाता है, तीसरा जिस को ऑर्थोडॉक्स कंट्री माना गया है, वह है ईरान। मैं कहना चाहता हूं कि इन तीनों जगहों पर आज फैमिली प्लानिंग कामयाबी से चल रही है। लेकिन आपको हिन्दुस्तान के लोगों को कॉनफिडैंस में लेना पड़ेगा और बताना होगा कि इस काम में जबर्दस्ती नहीं होगी। इस्लाम में माना गया है जब बच्चे के अन्दर जान आ जाए तो एबॉर्शन करवाने पर वह कत्ल के बराबर होगा। अगर यह प्रिवैंटिव चीज होती है तो इसे डॉयलाग के जरिए करवाइए। आप उन मुल्कों से पूछिए कि वहां किस तरह हो रहा है? मैं नहीं समझता कि इसका कोई विरोध होने वाला है। आज मुल्क में रीकॉनफिडैंस लाने की जरूरत है। हमें आजाद हुए 50 साल हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरा यह कहना है कि यहां बहुत कुछ हुआ है। यहां पोटैंशल है। यहां नैशनलिज्म की जरूरत है, सोच की जरूरत है और इसके इम्पलिमैंटेशन की जरूरत है।

मैं एक सवाल रख कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ मुश्किलात हैं। हिन्दुस्तान में एक इलाका हमारा भी आता है जो ईस्टर्न बंगाल से लेकर ईस्टर्न यू.पी. का है। वहां सबसे ज्यादा बेकारी, भूखमरी है लेकिन सबसे ज्यादा पोटैंशल वहां मौजूद है। वहां की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। वहां हर तरह की खेती हो सकती है। वहां अनाज पैदा हो सकता है लेकिन इस इलाके को इग्नोर रखा गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वह इलाका तरक्की करे तो वहां की नदियों पर बैराज और डैम बना कर, इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, पानी को ठीक तरह चैनेलाइज करना होगा। आप हमारे इलाके को अच्छा बनाने का काम करिए तभी असंतुलन दूर हो सकेगा, यह इलाका फल-फूल सकेगा और बहुत सारी मुश्किलात विभिन्न इलाकों की हल हो सकेंगी।



श्री पी. षण्मुगम

***श्री पी. षण्मुगम** (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय, हमने भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हम एक ऐसे देश की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं जहां अनेकानेक संस्कृतियां है और जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने के तौर-तरीकों और इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि इस देश के लोगों के उत्थान के लिए इसका प्रभावशाली ढंग से कैसे प्रयोग किया जा सकता है। मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका देने के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

उन महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के महान बलिदान को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है।

---

*मूलत:.तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वर्ष 1924 में, हमारे द्रविड़ आन्दोलन के महान नेता थानथाई पेरियार तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस समय जब गांधीजी ने मद्य निषेध कार्य योजना की घोषणा की तो पेरियार पहले नेता थे जो लगभग 50 एकड़ में फैले अपने फार्म के सारे नारियल के पेड़ों को काट डालने के लिए तैयार हो गए। वह एक अच्छे कार्य के लिए उस समय लगभग कई लाख रुपयों की हानि को उठाने से भी नहीं कतराए। यह उन्होंने ताड़ी के विरोध में किया था, जिसने गरीबों के जीवन में और अधिक दरिद्रता ला दी थी। ऐसे महान नेता जिसने गांधीजी के पदचिह्नों पर चलकर गरीबों का समर्थन किया वे जाति के आधार पर भेदभाव के मामले में गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं से अपने मतभेद के कारण कांग्रेस आंदोलन से अलग हो गए। जब नेताओं ने गांधी जी से मद्य निषेध के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे अधिक नहीं बता सकते लेकिन अच्छा होगा यदि वे दक्षिण के एक नेता श्री ई.वी.आर. पेरियार से इस बारे में पूछें। मुझे कांग्रेस आंदोलन में, जब हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारे द्रविड नेता पेरियार के योगदान पर गर्व है।

वर्ष 1930 में ही महान राष्ट्रप्रेमी कवि भारती ने हमारी स्वतंत्रता की जीत का गीत गाया था। एक स्वप्नदृष्टा के रूप में उन्होंने गाया ''आओ! हम अपनी स्वतंत्रता की खुशी में नृत्य करें।'' मुझे तमिलनाडु का निवासी होने के नाते भारती जी को इस अवसर पर याद करते हुए और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गर्व हो रहा है। भारती जी ने 1947 से पहले ही इस प्रकार का गीत गाया, ''आओ! अपनी विजय की विश्व भर में घोषणा करने के लिए शंखनाद करें और अपनी स्वतंत्रता की जीत की खुशियां मनाएं।''

इसी प्रकार, स्वदेशी आन्दोलन को बढ़ावा देते हुए हमारे महान देशभक्त वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने जहाजरानी परिवहन सेवा परिचालित की। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, विशेषत: उन्होंने जिन्होंने भारत में हमारे यहां से स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया, इस प्रकार अपना योगदान दिया है। तमिलनाडु कभी पीछे नहीं रहा है। इस मौके पर मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया।

मैं भी उन विभिन्न मुद्दों पर जिन पर हम इस मौके पर चर्चा कर रहे हैं, अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

वर्ष 1957 में, जब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी और हमारा कुल बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपये का हुआ करता था, हमारे द्रविड मुन्नेत्र कड़गम के संस्थापक नेता थीरू सी.एन. अन्ना दुराई ने जिन्हें प्यार से ''अन्ना'' नाम से सम्बोधित किया जाता था, तमिलनाडु के लिए 1000 करोड़ की मांग की थी, जिसकी जनसंख्या केवल साढ़े तीन करोड़ थी। जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी अधिक राशि क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इसका तमिलनाडु में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

उन्होंने तमिलनाडु के कई भागों में कोयले, तेल और कच्चे लोहे के बहुत बड़े-बड़े भण्डारों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने तमिलनाडु में नवेली में कोयले के कावेरी थाले में तेल के भंडार के; कन्याकुमारी के मनावाला करीची में मैगनीज अयस्क और सलेम में उत्तम लौह अयस्क के विशाल भंडारों की ओर प्रकाश डाला। जो उन्होंने 1957 में कही हम उसे 1997 में याद कर सकते है। इससे हमें पता चलता है कि वे कितने बड़े भविष्यज्ञाता और दिव्यदर्शी थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रत देश के इस भाग को विकसित करने में कितनी सही भविष्यवाणी की।

आज हमें लगता है कि उनका स्वप्न सच्चा हुआ। हमें तमिलनाडु के नागापट्टिनम के पास नारीमनाम में कावेरी थाले में तेल और प्राकृतिक गैस दोनों प्राप्त हुए हैं। हमारे नेता कलाईग्नार करूणानिधि जो तीसरी बार मुख्य मंत्री बने है, उन्होंने सबसे गरीब वर्ग को मूल आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने दलितों के रहने के लिए दूर-दराज के गांवों में भी जब-जब वे तमिलनाडु के मुख्य मंत्री बने कंकरीट के घर बनवाए। वे ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सलेम में इस्पात संयंत्र की स्थापना की परियोजना के लिए स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी से स्वीकृति प्राप्त कर ''अन्ना'' के स्वप्नों को साकार किया। 1973 के आरम्भ में हमारे नेता डा. कलाईग्नार ने हजारों आदि द्रविड़ों को आवास उपलब्ध कराए। स्वतंत्र भारत में जब हम आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे थे, यह अपनी तरह की पहली योजना थी। हमने इस सभा में दलितों और आदि द्रविड़ों के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला है। मैं इस तथ्य पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारे नेता कलाईग्नार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कंक्रीट के घरों का निर्माण कर दलितों के कल्याण के लिए एक पुरोगामी योजना कार्यान्वित की है। ऐसा समाज में दलित वर्गों के उत्थान के विचार से किया गया था। चालू नई पंचायती राज प्रणाली में हमारे यहां ''थ्री टियर'' स्थानीय प्रशासन व्यवस्था है। मैं इस सम्माननीय सभा को इस पर पुन: विचार करने और इसे टू-टियर प्रणाली बनाने के लिए सुझाव देना चाहूंगा। टू-टियर प्रणाली में स्थानीय पंचायतों और पंचायत यूनियनों का राज्य प्रशासन के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और ग्रामीण निर्धनों के लिए बनी कई योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के जरिए किए गए व्यवहार्य उपायों के माध्यम से गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाकर आसानी से राशि खर्च की जा सकती है। इससे राज्य सरकारें जरूरतमंद ग्रामीण जनसंख्या से सीधे संबंध स्थापित करने में समर्थ होंगी।

अब हम देखते हैं कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वे पुन: ''कामराज युग'' लाएंगे। उन्हें जिला बोर्ड प्रणाली जिसे स्वर्गीय कामराज जी ने समाप्त कर दिया था को समाप्त करने के लिए भी अपनी आवाज उठानी चाहिये। कामराज जी की शासन व्यवस्था प्रारम्भ करने के लिए हमें वर्तमान पंचायती राज प्रणाली की तीसरी-टियर व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। यहां जो कामराज जी के नाम की शपथ खाते हैं उन्हें कामराज जी को श्रद्धांजलि के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए और स्वर्गीय कामराज जी के विचारों के आधार पर पंचायती राज प्रणाली को टू-टियर बनाने के लिए इसकी पुनरीक्षा करने के लिए इस माननीय सभा से अनुरोध करना चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद हमने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नए लम्बे कदम रखे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सरकारी योजनाओं के लाभ इस देश के लोगों को पहुंचे, मिलकर विचार करना चाहिए।

वर्ष 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमरीकियों द्वारा बॉम्ब गिराए गए थे। इस परमाणु बॉम्बों के विकिरण से भारी विनाश हुआ था। वे शहर पूर्णतया तहस-नहस हो गए थे लेकिन जापान के लोग इस त्रासदी से विचलित नहीं हुए। उन्होंने देश को एक बड़ा औद्योगिक देश बनाने और देश को अत्यधिक अमीर बनाने के लिए दृढ़ निश्चय से काम किया। उन्होंने दूसरे देशों से कच्चा माल आयात किया और तैयार माल को विश्व में निर्यात किया। हम भी अपने देश में उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस ओर विशेष बल दिया जा रहा है। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी प्रगति की है। लेकिन हमें तकनीकविदों को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

जहां तक कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का संबंध है, हम अमरीका और अन्य देशों को सोफ्टवेयर निर्यात करते हैं। दक्षिण में, बंगलौर एक कम्प्यूटर शहर बनता जा रहा है जहां से हमारे अधिकांश सोफ्टवेयर निर्यात किए जाते हैं। जहां तक इस कम्प्यूटर प्रणाली का संबंध है, अमरीका जैसी बड़ी ताकतें भी भारतीयों के पीछे हैं। इसलिए, मैं इस सभा को सुझाव देना चाहूंगा कि हमें अगली शताब्दी में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर के क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अधिक कोशिश करनी चाहिए।

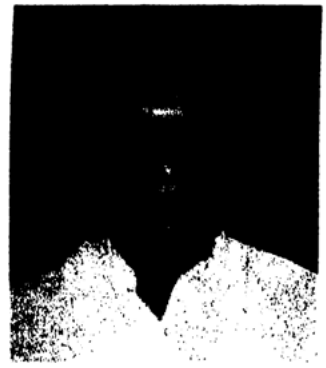
हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमें आगे प्रगति के लिए कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे यहां लगभग 27 प्रतिशत भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं। उसकी दशा के संबंध में बहुत अधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 1960-61 में वैद्यनाथन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि 42 प्रतिशत भू-मालिकों के पास केवल एक एकड़ भूमि थी। उनकी आय का अन्य साधन नहीं था और कृषि का मौसम न होने के दौरान हस्तशिल्पों पर निर्भर रहते थे। अपने अल्प संसाधनों से वे जीवन यापन करने में समर्थ नहीं थे और प्राय: प्रतिवर्ष उन्हें खेती के लिए ऋण लेना पड़ता था। 1961 में हमारे अधिकांश किसानों की अविकसित स्थिति देखने में आई है। जब तक हम उन्हें उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभकर मूल्य नहीं देते, हम उनका जीवन-स्तर ऊंचा नहीं कर सकते और कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा सकते।

जब तक इस समय हम मिलकर इस संबंध में ठोस प्रयास नहीं करते, हम समृद्ध नहीं हो सकते। मैं प्रशासन को अधिक जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही में हम इफ्को के एक पेट्रो-केमीकल एकक का दौरा करने के लिए गुजरात गए थे। हमें पता चला कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, में केवल लगभग 503 गांव उनकी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मैंने इस बात को इस सभा में भी उठाया था। उन्होंने मेरे उस पत्र का भी उत्तर नहीं दिया जो इस संबंध में मैंने उन्हें लिखा था। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को इस तरह का रुख अपनाने की अनुमति नहीं दे सकते। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लिखे गये पत्रों का उत्तर उन्हें देना ही चाहिये।

वर्ष 1930 में हमारी जनसंख्या तीस करोड़ थी। आज यह बढ़कर छियान्नवे करोड़ हो गई है। क्या अन्य सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त उन्नति हुई है। कुल जनसंख्या में से लगभग 47 प्रतिशत जनसंख्या अनपढ़ है। जब तक हम सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर लेते तब तक हम सभी क्षेत्रों में अधिक प्रगति नहीं कर सकते। शिक्षा अनिवार्य है और इसके महत्व को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह संकल्प करना चाहिये कि हम सर्वव्यापी साक्षरता को प्राथमिकता देंगे। हमें सभी लोगों के लिये सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिये। हमें चहुंमुखी विकास की ओर कदम बढ़ाने होंगे। स्वतंत्रता के पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अथक प्रयास करना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे एक घोषणा करनी है। वे सदस्य जो अपने लिखित भाषण सदन के सभापटल पर रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं। ये भाषण सदन की कार्यवाही का ही अंग माने जायेंगे।



श्री प्रदीप भट्टाचार्य

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर) : महोदय, मैंने अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रख दिया है। मैं अपने कुछ सुझाव आपके समक्ष रखना चाहता हूं:-

1. जितनी तीव्रता से हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है उतनी ही तीव्रता से व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक संबंधों में भी परिवर्तन आ रहा है। वास्तव में अनेकता में एकता की जंजीर ने ही हमारे देश को बांध रखा है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में मैं यह महसूस करता हूं कि भारत के संविधान का सम्पूर्णतया पुनर्निरीक्षण किया जाए। संविधानवेत्ताओं की एक समिति गठित की जानी चाहिये और उसके बाद स्वीकृति के लिये इसे दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिये।

2. देश की बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक गंभीर विषय है। 1947 में हमारी जनसंख्या केवल तैंतीस करोड़ थी जो कि आज 97 करोड़ के लगभग है अर्थात् 1947 की जनसंख्या से पूरी तीन गुना ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से तो हमारे एक भारत में तीन भारत और हैं। अत: जनसंख्या नियंत्रण को पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

(क) यह कानून बना दिया जाना चाहिये कि जिनके दो से अधिक बच्चे है उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

(ख) जिन व्यक्तियों का केवल एक बच्चा है उन्हें आयकर में छूट दी जानी चाहिये।

(ग) हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिये।

(घ) सभी राजनैतिक दलों सहित एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाना चाहिये और इसे सांविधिक शक्तियां भी प्रदान की जानी चाहिये।

(ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद् का भी निर्माण किया जाना चाहिये।

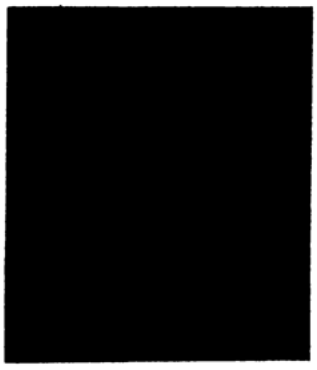
3. राष्ट्रीय श्रमिक परिषद का गठन किया जाना चाहिये।

4. राष्ट्रीय श्रमिक नीति तुरंत बनायी जानी चाहिये।

5. बालिकाओं की सुरक्षा के लिये भारत सरकार को यह नीति बनानी चाहिये कि एक हजार रुपये प्रति माह से कम आय अर्जित करने वाले परिवार को बालिका के विवाह के समय बीस हजार रुपये दिये जायेंगे। केवल यही नीति हमारे देश से दहेज प्रथा को समाप्त कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति महोदय आप यह भी कह दीजिए कि मैम्बर्स स्पीच सोमवार को भी दे सकते हैं और जो लोग बोलना न चाहें, वे भी रख सकते हैं ताकि सदन का समय बच जाए।



श्री सुरेश आर. जाधव

श्री सुरेश आर. जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर लोक सभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। यह विशेष सत्र एक ऐसा सत्र है कि इस सत्र को ऐतिहासिक रूप से याद किया जायेगा। इसे इतिहास में लिखा जायेगा। हमने भारत की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह छः दिन का विशेष सत्र है। मैं हमारी लोक सभा के अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल और उनका स्टाफ जिन्होंने हमारे हाथ में ''भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष'' एक ऐतिहासिक दस्तावेज दिया है, यह ऐतिहासिक दस्तावेज जिन्होंने बनाया है उन सबके प्रति मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमें आजादी हासिल किये हुए 50 वर्ष गुजर गये हैं। 'स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको मैं लेकर ही रहूंगा।' ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वीर सावरकर जिनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते समय कारावास हो गया था, समुद्र के पास अंडमान निकोबार द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर की जेल में उन्हें रखा गया था। यहां मराठी का ट्रांसलेटर तो होगा। वीर सावरकर का एक सेन्टेंस मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं – 'सागरा प्राण माझा तळमळला ने मजर्सा ने नअ मातृभूमिला'।

सभापति महोदय, देशभक्त बाबूजीनू, वासुदेव बलवंत फड़के, मदन लाल ढींगरा, लाल-पाल-बाल जैसे नवयुवकों ने हमारी आजादी हासिल की। कई नौजवानों के घर बरबाद हो गये। कई नौजवानों की माताएं विधवा हो गईं। कई नौजवानों की पत्नियां भी विधवा हो गईं। कई नौजवानों के बाल-बच्चे अनाथ हो गये। सभापति महोदय, जिन लोगों ने आजादी प्राप्त की और जो बलिदान दिये उन बलिदानों का रूप ही यह लोकतंत्र और हमारी लोकशाही है। यह एक ऐसी चर्चा है, हमने क्या खोया और क्या पाया है, का जायजा लेना है। यह चर्चा जो पार्टी से हटकर, पार्टी से ऊपर उठकर हो रही है।

मैं ऐसा नहीं कहता कि हमने कुछ भी नहीं पाया, हमने पाया जरूर लेकिन खोया उससे ज्यादा है। अब प्रश्न है कि हमने क्या खोया और जो खोया, उसे फिर से हासिल करने के लिए हमें क्या करना है – इसी उद्देश्य से यह विशेष सत्र बुलाया गया है।

मेरे जैसा नवयुवक इस सदन में पहली बार आया है और जब यहां होने वाली चर्चा सुनता है, उसमें भाग लेता है तो देखता है कि जिन्हें सदन में बोलने का नैतिक अधिकार है, उन्होंने भी यहां बातें कीं और जिन्हें बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, जो अपने नैतिक अधिकार को खो चुके हैं, उन्होंने भी यहां बातें कीं। एक कहावत है – 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' – यह वास्तविकता है, कटु सत्य है जो हमें यहां देखने को मिलता है। जो लोग यहां राजकरण की बातें करते हैं, अर्थ-व्यवस्था की बातें करते हैं, साइंस एण्ड टैक्नोलोजी की बातें करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं, बेकारी की बातें करते हैं, प्रान्तवाद की बातें करते हैं, वंशवाद की बातें करते हैं, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की बातें करते हैं, उनकी बातें सुनकर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां कुछ ऐसे वक्ता भी बोले जिनमें से कोई किसी स्कैंडल में लिप्त है, कोई टेलीफोन घोटाले में लिप्त है या किसी दूसरे कांड में लिप्त है। हमारे देश में बोफोर्स कांड हुआ, दूसरे कांड हुए, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारना चाहिए। जब वे सत्ता में थे, उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ माननीय सदस्य यहां बोलते हैं, मगर करते कुछ नहीं। वे कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जब हमारे राजनेताओं की कथनी और करनी में फर्क होगा, उस स्थिति में हम चाहे जितनी प्लानिंग करे लें, अनेकों कानून बना लें, हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा।

मेरा दूसरा मुद्दा है कि जबसे मैं इस सदन में आया हूं, मैंने देखा कि यहां कोई भी उठता है और बिना सोचे-समझे हिन्दुत्व के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। मैं शिव सेना पार्टी से संबंधित हूं। हमारी हिन्दुत्व की परिकल्पना यह है कि जो इस देश में पैदा हुआ, जो यहां की मिट्टी के साथ प्रेम करता है, प्यार करता है, यहां की जलवायु के साथ लगाव रखता है, जो हिन्दुस्तान के झाड़-पत्तों से प्रेम करता है, यहां बहने वाली नदियों से प्यार करता है, वही हिन्दू है। हिन्दुत्व की परिभाषा इतनी बड़ी है लेकिन सदन में कोई भी उठता है और बिना सोचे-समझे बात करना शुरू कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम मुस्लिम धर्म का आदर करते हैं, ईसाई धर्म का आदर करते हैं,

सिख धर्म का आदर करते हैं, इस सैकुलरिज्म के जमाने में, धर्म-निरपेक्ष जमाने में सभी धर्मों का आदर करते हैं, फिर हिन्दू धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? कब तक हम हिन्दू धर्म का विरोध करते चलते रहेंगे। हमारे बड़े-बड़े नेता सदन में उठकर सैकुलरिज्म और कम्युनल बातें करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि सही मानों में अगर हमने देश से जातिवाद को खत्म करना है, मिटाना है तो हिन्दुत्व के खिलाफ बोलना छोड़ दें, वही सबके हित में है। हिन्दू ऐसा है, जैसे हमारे राम प्रभु थे, जो एक पत्नीवादी थे। राम प्रभु की नीति एक पत्नी रखने की थी। वहीं से हमने हिन्दूवाद सीखा है।

सभापति महोदय, लक्ष्मण का भाईचारा बन्धुत्व था उसमें हमने हिन्दुत्ववाद सीखा। उनका जो धर्मपालन का बर्ताव था उसमें हमने हिन्दुत्ववाद सीखा। कृष्ण भगवान ने रिश्तेदारों से ऊपर उठकर गीता में ज्ञान दिया और कठोर कर्तव्य की बात कही, उससे हमने हिन्दुत्ववाद सीखा है। सृष्टि की ममता, गगन की व्यापकता, सागर की विशालता और वायु की गति और सूरज की प्रखरता यही हिन्दुत्ववाद है। इन पांच तत्वों से हमने हिन्दुत्व को पाला है, पोसा है और आगे बढ़ाया है। इतना ब्राड माइंडेड है यह हिन्दुत्ववाद। हमारे देश के ऋषि-मुनि जो फलों को प्यार करते थे, जो नदियों को प्यार करते थे, जो गाय की पूजा करते थे, जो पेड़ों की पूजा करते थे, जो सूरज-चांद की पूजा करते थे वे इंसानों के ऊपर कैसे अन्याय करेंगे। हिन्दुत्ववाद ने कभी किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया है।

सभापति महोदय, भारत जब स्वतंत्र हुआ, तब हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ जिसमें आज हम चैन से जी रहे हैं, लेकिन जब हम आजाद हुए तभी इस दुनिया के 80 से ज्यादा देश और भी आजाद हुए, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है बाकी देशों में तो कभी का लोकतंत्र समाप्त हो गया और जहां कहीं है भी वहां खतरे में है। हमारे साथ पाकिस्तान आजाद हुआ और बाद में बंगलादेश बना। हमारे देश में लोकतंत्र चल ही नहीं रहा बल्कि फलफूल रहा है और हम चैन की सांस ले रहे हैं। इसका कारण है हिन्दुत्ववाद। यहां के हिन्दू और हिन्दुत्ववाद की अच्छाई के कारण सफल रहा है। यह यहां की शांति, सहिष्णुता के कारण है। सत्य, क्षमा और शांति यहां के मूल मंत्र हैं। यह इसके कारण है। यहां 'सत्यमेव जयते' का नारा दिया गया। यह इसके कारण है। ''सत्यम् शिवम् सुन्दरम्'' यह हमारे हिन्दुत्व का स्वरूप है।

सभापति जी, मेरी एक ही विनती है कि हमारे यहां साधु-संत और ऋषि-मुनि की परंपरा बहुत पुरानी रही है। हमारे महाराष्ट्र में एक संत ज्ञानेश्वर महाराज थे। उन्होंने भगवान गीता के ऊपर एक टीका लिखी है उसका नाम ज्ञानेश्वरी है। उसमें से मैं एक छंद यहां उद्धृत करना चाहता हूं-

जे खळाची व्यंकटी सांडो,
तया सत्कर्मी रती वाडो,
भुता परस्परे जडो मैत्र जिवांचे,
दुरीताचे तिमिर जाओ,
विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो''

''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की हमारी नीति है जिसमें पूरे विश्व को अपना परिवार समझा गया है। यह हमारे हिन्दुत्ववाद की संकल्पना है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो लोग इस सदन में हिन्दू और हिन्दुत्ववाद के खिलाफ बोलते हैं वे अब ऐसा नहीं कहेंगे। मैं पहली बार इस लोक सभा में चुनकर आया हूं। मैं देखता हूं यहां पर लोग बिना सोचे, समझे और बिना पढ़े हिन्दुत्व और हिन्दुत्ववाद के खिलाफ बोलते हैं। मैं विनती करता हूं कि विशालता को यदि बढ़ावा देना है, तो आज के बाद कोई भी हिन्दुत्ववाद के खिलाफ नहीं बोलेगा।

सभापति महोदय, श्री माधवराव सिंधिया जब बोल रहे थे, तो महाराष्ट्र का उल्लेख हो गया और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की ओर इशारा करके कहा कि यदि भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो राजस्थान में करो। यदि भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो महाराष्ट्र में करो। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने सत्ता हासिल की है। भ्रष्टाचार तो देश से खत्म करना ही है। करप्शन तो समाप्त होना ही है। करप्शन तो मिटाना ही है। उस मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों श्री माधव शिवयांकर, सिंचाई मंत्री और श्री शशि कांत सुतार, कृषि मंत्री के ऊपर अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हमारे मुख्यमंत्री ने उन दो मंत्रियों को सत्ता से हटा दिया। यह इस देश का पहला उदहरण है।

सभापति महोदय : आप समाप्त करिये।

श्री सुरेश आर. जाधव : भारत देश में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें सही कदम उठाना चाहिए और हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कथनी और करनी में फर्क हो गया तो ऐसी समस्यायें हमारी सामने खड़ी हो जायेंगी।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं। अब आप समाप्त करिये।

श्री सुरेश आर. जाधव : सभापति महोदय, घाटे की अर्थव्यवस्था है। घाटे का कारण है बढ़ता खर्चा। गैर-योजनागत व्यय कुल खर्च का 73 प्रतिशत हो गया है। यह राजसहायता का दुरुपयोग है।

सभापति महोदय : आप समाप्त करिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना लॉस्ट सेन्टेंस बोलिये।

श्री सुरेश आर. जाधव : सभापति महोदय, मैं सदन में पूरे 50 घंटे रात और दिन बैठा हूं।

सभापति महोदय : मैं भी आपके साथ बैठा हूं।

श्री सुरेश आर. जाधव : यह राज-सहायता का दुरुपयोग है। जहां पर राजसहायता मिलनी चाहिए वहां राजसहायता नहीं जा रही है। आयात-निर्यात का संतुलन ठीक नहीं है और जो आरक्षण की नीति है, उस नीति को मिटा देना चाहिए। क्योंकि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। गुणवत्ता के आधार पर एडमिशन मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। आज आरक्षण को खत्म करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए भारत को ऑनेस्टी प्रेमोटिंग कमेटी बनानी चाहिए। ईमानदारी भत्ता शुरू करने की जरूरत है।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए 17 मिनट हो गये हैं। आप समाप्त करिये।

श्री सुरेश आर. जाधव : मेरे से पहले फातमी जी बोले थे। वे 22-25 मिनट बोले हैं।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। आप उन सब पर मत जाइये। आप अपना लॉस्ट सेन्टेंस बोलिये।

श्री सुरेश आर. जाधव : मेरा इतना ही निवेदन करना है कि हमारी आज की जो समस्यायें हैं जैसे बेकारी, बेरोजगारी, आतंकवाद, राजनीति में अपराधीकरण और देहातों और शहरों में जो असंतुलन है।

सभापति महोदय : आप दूसरे प्वाइंट पर मत जाइये।

श्री सुरेश आर. जाधव : अगर इसको मिटाना है तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मेरे से पहले यहां बड़े-बड़े नेता बोले हैं और उन्होंने भुखमरी पर, बेकारी पर, अर्थव्यवस्था पर, साईंस एंड टेक्नोलॉजी पर बहुत कुछ कहा है लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि इससे पहले भी कानून था। इससे पहले भी सब चीजें प्लानिंग में थी लेकिन अगर हमारी कथनी और करनी में फर्क है तो हमने जो विशेष सत्र बुलाया है उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसके लिए हमें सही मायने में कुछ करना होगा। मेरी आपके माध्यम से एक ही अपील है कि सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा बनाने के लिए, भारत को सुदृढ़ और सबल बनाने के लिए, एक प्रभावशाली भारत बनाने के लिए हमें यहां से संकल्प लेना होगा और सत्र के बाद कोई ठोस कार्यक्रम बनाकर, प्लानिंग करके संतुलन रखना होगा। मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि नौजवानों को न्याय देते हुए हमें भारत को आगे बढ़ाना होगा।



श्री प्रभु दयाल कठेरिया

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने एक दानवीर के रूप में अपना समय भी मुझे देने का प्रयास किया है। इसके साथ मैं स्पीकर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी व सदन के जितने भी नेता हैं, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। देर आयद दुरुस्त आयद। 50 वर्ष के बाद आज हमारे नेताओं के कान में यह खबर लगी है कि हिन्दुस्तान का माहौल किस प्रकार से बनता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने जो एक पुस्तिका प्रकाशित की है, उसमें लिखा हुआ है कि इस लोक सभा पर प्रति मिनट 7,000 रुपये का खर्च होता है। मैं समझता हूं कि 10 मिनट में 70,000 रुपये खर्च होते हैं, एक घंटे में 4 लाख 20 हजार रुपये खर्च होते हैं, एक दिन में 50 लाख 40 हजार रुपये खर्च होते हैं। इसी प्रकार यदि चार दिन का सत्र बुलाया गया है तो उसमें इस देश के 2 करोड़ 1 लाख 60 हजार रुपये खर्च होंगे। इस देश के मजदूर और किसानों का पैसा हम लोगों के बीच में भारत सरकार पर खर्च हो रहा है। ...*(व्यवधान)* चिन्ता सिर्फ इस बात की है कि यह पैसा बहुत गाढ़ी कमाई का है। सबसे पहले हम लोक सभा के मैम्बर हैं। यहां जो भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, हर माननीय सदस्य 12-15 लाख लोगों की कौन्सटीटूऐंसी से निर्वाचित होकर आता है। 15 लाख की आबादी की जनता, वे किसान और मजदूर यह आस लगाते हैं कि हमारा मैम्बर देश की सर्वोच्च पार्लियामेंट में जाए। उसकी निगाह में यह होता है कि 90 करोड़ की जनता पर जो 542 लोग राज करते हैं, उनकी क्या भूमिका है, क्या चरित्र है, क्या निष्ठा है और क्या ईमानदारी है। देश की जनता हमारे को देखती है। हमें अपने व्यक्तित्व का ख्याल करना बहुत आवश्यक है। हम क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए और किस जगह पर कह रहे हैं, यह देखना चाहिए। मैं पूरे चार दिन तक हाउस में रात-दिन बैठा हूं। जब सुबह साढ़े पांच बजे लोक सभा एडजर्न हुई, उस समय मैं गया। मैं आशा के साथ बैठा रहा। लेकिन बहुत कुंठा और विडंबना होती है जब लोक सभा में दो तरह की नीति अपनाई जाती है। तमाम वक्ताओं ने इस बात को कहा था, देश की एक करोड़ की आबादी इस लोक सभा की तरफ देखती है। जब यहां से कथनी और करनी में फर्क होता है तो देश की जनता थू-थू करती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री कठेरिया, आपको मालूम होना चाहिए कि हर पार्टी अपना-अपना व्हिप लिखकर जो यहां सप्लाई करती है, उसी के आधार पर चेयर से संचालन किया जाता है। दूसरा कोई और आक्षेप नहीं लगाना।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना है कि इस हाउस की तरफ सारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व देखता है। यह ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट हो रहा है, सारे हिन्दुस्तान की जनता इसे देख रही है। आज जिस प्रकार से यह व्यवस्था आई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था कि आजादी मिली जरूर है, लेकिन जब हमारी आजादी गांव से प्रारंभ होगी तभी कुछ हो सकेगा। देश की 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है। देश का दुर्भाग्य तो उसी दिन हो गया जब इस देश के दो नाम पड़े थे - इंडिया और भारत। दिल्ली की चकाचौंध में हमने 50वीं वर्षगांठ मनाई है। दिल्ली जिसे सिर्फ इंडिया बोलते हैं, वह चकाचौंध हो रही थी। लेकिन भारत के लोगों के पास आज जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं है। नौजवान पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। महोदय, मैंने आपका क्षेत्र भी देखा है। वह समुद्र के पास है, वहां क्या व्यवस्था है? मैंने वहां की भी विजिट की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा पीड़ा थी। आजादी के बाद एक बार उनसे पूछा गया कि आप इस समाज की सेवा किस प्रकार से करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम जन्म लेना भी चाहते हैं तो अति शूद्र, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज है, उसमें भगवान मुझे जन्म दे।

रात्रि 10.00 बजे

हम उस समाज की सेवा करेंगे तो हमारी पूर्ति उसमें होगी। उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर अपनी पत्नी के सुख के लिए और अपने

समाज के सुख के लिए, दोनों में से अगर एक चुना गया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हंसकर यह कहा था कि मैं अपनी पत्नी के सुख को छोड़कर, अपने परिवार के सुख को छोड़कर उन गरीबों की सेवा करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए लगा दूंगा।

कानून तो बना लीजिए, इस लोक सभा के अन्दर तमाम दुनिया भर की सब प्रोसीडिंग्स बना लीजिए, अपने गले के नीचे जो बात नहीं उतरेगी, तब तक पूर्ण नहीं हो पायेगी। जापान की धरती पर एक हिन्दुस्तान के संत पहुंचे। जापान की धरती पर रेलवे में सफर कर रहे थे। हमारे इस हिन्दुस्तान के ऋषि मुनि रेलवे में सफर करते समय जापान के स्टेशन पर रुके तो उन्हें बड़ी भूख लगी थी। उन्होंने फल खाने की व्यवस्था सोची कि फल मिल जाये तो वह पेट भरकर पानी पी लेंगे। चलती ट्रेन में एक नौजवान ने फल लाकर दिया और फल की स्थिति यह थी कि खाने से पहले ही कुछ खाये और संत ने यह कहा कि बेटा जापान के फल ठीक नहीं हैं। उस वक्त एक नौजवान युवा, जिसके अन्दर जमीर था, उसके जमीर को यह मालूम पड़ा कि मेरे जमीर को ललकारा गया है, जापान के हमारे राष्ट्र को ललकारा गया है, वह तुरन्त भागकर गया और बढ़िया से फ्रूट लेकर हमारे संत मुनि को लेकर आकर दिये और संत मुनि ने उन फलों को खाया। फल खाने के बाद बड़ी खुश आत्मा से संत ने कहा कि बेटा बोलो क्या चाहिए, पैसे निकालकर देने लगे और पैसे देने के लिए जैसे ही कहा, नौजवान ने कहा कि स्वामी जी, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कठेरिया जी, चेयर को एड्रेस करिये, उस तरफ नहीं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : चेयर को भी एड्रेस कर रहा हूं। इधर मेरे सहयोगी बैठे हैं।

सभापति महोदय : जी नहीं, उधर नहीं करना। वे सुनेंगे, उनके पास भी यह है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उनको भी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वे सब हमसे बद्धिमान हैं। उस नौजवान ने इस बात को कहा कि स्वामी जी अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो स्वामी जी, विश्व के अन्दर किसी कण्ट्री में आप जायें तो जापान की बुराई मत करना कि वहां के फल मीठे नहीं थे, फल अच्छे नहीं थे। उसे अपने राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा प्रेम था। उसके राष्ट्र की जब बुराई आई तो उसने कहा कि स्वामी जी अगर कुछ देना है तो हमारे राष्ट्र के प्रति कुछ मत कहिये।

भ्रष्टाचार की बड़ी बात आई है। भ्रष्टाचार सब का जन्मदाता है, मां है। जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, तमाम दुनियाभर के राजनैतिक दल इसी कांग्रेस से निकले हैं। इसी प्रकार भ्रष्टाचार सब का जन्मदाता है। जब तक भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया जायेगा, तब तक मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार सब का जन्मदाता है। भ्रष्टाचार के प्रति अगर गम्भीरता से विचार करके इसको खत्म नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि जितनी भी सारी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, चाहे वह विकास की हो, चाहे गरीबी हटाने की हो, बेरोजगारी की हो, वह कभी सफल नहीं हो सकती। आज क्या हो रहा है कि देश के अन्दर बेरोजगारी इस प्रकार से पनप रही है। आपने देखा होगा कि खाकी टोपी रखने वाले सिपाही की भर्ती में, हमारे माननीय सदस्यों ने देखा है, अभी तमाम प्रान्तों में भर्ती हुई है, 80-80 हजार रुपया उन खाकी टोपी रखने वाले किसान के बेटे, मजदूर के बेटे से, जिसने अपनी तीन बीघा जमीन रहन रखकर उस भ्रष्ट अधिकारी को 80 हजार रुपये दिये, तब उसका बेटा खाकी टोपी रखने वाला भर्ती हुआ है। ...*(व्यवधान)* मेरे मित्र वास्तव में चाहे कोई भी टॉप चेयर पर हो, आखिरकार यह भ्रष्टाचार जो 80 हजार रुपया देकर, एक लाख रुपया देकर जो सिपाही भर्ती हुआ है, जब तक उसके बाप ने जो तीन बीघा जमीन बेची है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं कर लेगा, तब तक उस सिपाही का लट्ठ कलैक्टर बना रहेगा, जब तक उसकी तीन बीघा जमीन की पूर्ति नहीं हो जाएगी। अगर दरोगा की भर्ती है तो खुलेआम दो लाख रुपये लिये जा रहे हैं। इसी प्रकार से फोर्थ क्लास से लेकर आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में, यहां पर तमाम ऐसी पोस्टें हैं, जहां बगैर पैसे के कुछ हो ही नहीं रहा। अगर किसान का बेटा अपना बही खाता लेने के लिए जाता है, जिसे किसान की पुस्तिका बोलते हैं, जिसे जोत बही बोलते हैं, उसको लेने जाते हैं तो लेखपाल 50 रुपये ले लेता है, तब उसके बाद लेखपाल वह जोत बही देता है और लेखपाल को सस्पेंड करने से कोई लाभ नहीं होगा, कांस्टेबल को सस्पेंड करने से कोई लाभ नहीं होगा, चपरासी को सस्पेंड करने से कोई लाभ नहीं होगा।

यहां मेरा कहना है कि हम लोग जो इस लोक सभा के अन्दर हैं, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सारे नेताओं ने यही भाषण दिया कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। पर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, सभी ईमानदार नजर आ रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार एक ही स्थिति में खत्म हो सकता है कि यहां लोक सभा में ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर जांच करने पर कोई माननीय सदस्य या मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। ऐसे ही अगर कोई राजनीतिक दल किसी अपराधी को या ऐसे व्यक्ति को टिकट देता है तो उस दल की सदस्यता खत्म कर दी जाए। कोरी भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। मैं यहां किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं समझता हूं सब ईमानदार हैं। आज आई.ए.एस. और आई.पी.एस. वालों पर और उच्च अधिकारियों पर लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा दोष हमारा है। हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। आज कोई दल का नेता किसी राज्य में मुख्य मंत्री है तो वह उस प्रदेश का मुखिया कहलाता है। अगर कोई मंत्री या मुख्य मंत्री यह कहे कि फलां सदस्य को बेइज्जत कर दो तो वह ठीक नहीं।

आज बहुत से दलों में राजा-महाराजा भी नेता बन गए हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, आना चाहिए। लेकिन ऐसे ही कई भूतपूर्व आई.ए.एस. और आई.पी.एस. भी राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं और उन्हें टिकट भी मिलने लगे हैं। ऐसे लोग जोकि शुरू से ही जनता के खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने जनता पर लाठियां चलाई, कैसे उनका भला करेंगे। पचास वर्ष तक तो उन्होंने डकैतियां डालीं, फिर राजनीति में आ गए तो फिर कौन उनको गलत मानेगा। इसलिए जब तक देश के किसान, मजदूर और चपरासी का बेटा इन पोस्टों पर नहीं आएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकेगा। क्योंकि आई.पी.एस. और आई.ए.एस. लोगों का जनता से कोई लगाव नहीं होता।

सभापति महोदय : समाप्त कीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मेरे को अभी बोलते हुए दस मिनट भी नहीं हुए।

सभापति महोदय : आपको 13 मिनट हो गए हैं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : जातीयता के जहर को लेकर लोगों में बड़ी कुंठा है। इस पर हरेक माननीय सदस्य ने अपनी भावना को व्यक्त किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी का अत्यंत दबाव होगा तो चींटी भी पैर में काटना शुरू कर देगी। दलित भाइयों को पचास वर्ष में बहुत कुछ मिला है। लेकिन अगर हम यह समझें कि केवल लाठी-डंडे से या गालियों से समाज में परिवर्तन कर देंगे तो यह नहीं हो सकता। आपको खुद को इन बातों को हृदय में ढालना होगा कि हमें वाकई में इन लोगों का भला करना है। तमाम सदस्य अगर गालियां ही दें व्यवस्था को, तो इससे सुधार नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा था कि अगर समाज को भाईचारे की गम्भीरता से चलाना है तो हम समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं दे पाएंगे। इसी का परिणाम है कि आज देश के सर्वोच्च पद यानि राष्ट्रपति पद पर एक दलित बैठा हुआ है।

जातीयता को मैंने अच्छी तरह से देखा है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है। मैं जगह-जगह घूमा हूं इसलिए इसको अनुभव किया है। आज क्या हो रहा है, आप ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं, कोई पंडित दरोगा के पद पर है और कोई अनुसूचित जाति का आ जाए तो उसको वह फटकार देता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। इससे पता चलता है कि समाज में कितनी विद्वेष की भावना पैदा हो रही है कि हम एक-दूसरे की शक्ल देखने से नफरत करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जातीयता का जहर पहले पनपा था, लेकिन आज हिन्दुस्तान में इसकी लपटें उठ रही हैं।

सभापति महोदय : आपको 15 मिनट हो गए हैं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरा भाषण बंद करा दें, मैं अभी बैठ जाऊंगा। अगर किसी पोस्ट पर बैठकर हम किसी आदमी का, व्यक्तित्व का दमन करें तो उसका परिणाम समाज को बड़ा गम्भीर भुगतना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी खुद को दूसरों से ऊंचा महसूस करने लगता है।

ये दुनिया नहीं जागीर किसी की
वक्त की हर शह गुलाम।
कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार,
खबरदार, चौकीदार, ये दुनियां नहीं जागीर किसी की।

इसलिए हम लोग यहां चौकीदारी करने के लिए आए हैं। हम सब चले जाएंगे। बड़े-बड़े आए और बड़े चले गए।

परंतु इसी तरीके से सत्ता के दमन से आपने देखा था कि इस संसद की गरिमा, लोक तंत्र की गरिमा कम हुई है। मैं लोक तंत्र के भाग्य विधाताओं से पूछना चाहता हूं कि 17 फरवरी को मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था? यह मेरे साथ नहीं कई सदस्यों के साथ होता है। इस देश की समप्रभुता, एकता, अखंडता और देशभक्ति कहां चली गई जब मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोक सभा में सोसाइड करने के लिए तैयार था? मैंने सोमनाथ चटर्जी जी से कहा था कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ सांसद की ख्याति आपको मिली है, आप कुछ करिए। मैंने इन्द्रजीत गुप्त जी से कहा था कि आपका ज़मीर कहां चला गया? आप तो इस देश के गृह मंत्री जी हैं और सभी सांसदों ने कहा था कि आखिर मेरे परिवार को जमीन लील गई या आकाश लील गया, वे जिंदा हैं या मुर्दा हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हिन्दुस्तान के मीडिया ने इसको खूब छापा पर इस देश की संसद ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज मैं हूं, चिंता मत करिए, आप अपने हृदय में झांककर देखिए। आप अपील करिए कि इस रास्ते पर जब तक इन गरीबों की आत्मा का दमन किया जाएगा, इनको कुचला जाएगा तब तक इस देश की तरक्की नहीं हो सकती।

गरीब का मतलब दलित नहीं है। गरीब किसी भी पार्टी का, किसी भी समाज का हो सकता है। अगर उसके साथ अन्याय होता है और आप उसे न्याय नहीं दिलाओगे तो आप जहां जाओगे, वहां आपकी आंखों से पानी नहीं निकल पाएगा।

सभापति महोदय : अब समाप्त करिए। बहुत ज्यादा हो गया।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अभी तो कितनी बातें नहीं कही हैं। अभी कुछ नहीं कह पाए हैं।

मैं शिक्षा की बात पर आता हूं। पोपुलेशन की बात है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पचास वर्ष तक आप सत्ता पर बैठे हैं। यह भ्रष्टाचार एकदम तो नहीं हो गया। पचास साल तक आप लोग क्या करते रहे? कम से कम इस बात को तो वहां करना चाहिए था। आखिर देश किस रास्ते से गुजर रहा है? मेरे मुस्लिम भाई अगर शिक्षा में इनके बराबर हुए होते, अगर उन्हें न्याय मिला होता तो वे बीस बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं होते क्योंकि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां 65 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। अगर किसी प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गई होती तो आज तीस प्रतिशत लोग जो नेताओं के भाषणों पर ताली बजाते हैं, भले ही वे बातें उनकी समझ में नहीं आती हैं, वे वैसी ही ताली बजा रहे हैं, यह सब उनकी अशिक्षितता के कारण है।

सभापति महोदय : मैं दूसरे व्यक्ति को बुलाऊंगा।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं समाप्त कर रहा हूं। इस देश की संसद में हम लोगों की डिबेट बनती है। जो लिख जाएगा, उसे कोई नहीं काट पाता है। जो भी धन खर्च हो रहा है, इस धन की उपयोगिता होनी चाहिए और किसी प्रकार से भी अगर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो हम अपने हफ्ते का बहिष्कार करेंगे। मैं समझता हूं कि सारे राजनैतिक दल अपनी आत्मा से यह प्रण करें कि न रिश्वत देंगे और न लेंगे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बी.जे.पी. की सरकार आ गई होती तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर हमने इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर दिया होता तो बीच चौराहे पर मुझे फांसी लगा दी जाए, यह मैं कसम खाता हूं।

दलित वर्ग के उत्थान के साथ गांधी जी की चिन्ता थी कि गांव स्वतंत्र भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का केन्द्र बिन्दु बनें। वे अपने अनुयायियों और भारत के भावी नेताओं तथा योजनाकारों को

निरोत्तर याद दिलाते रहते थे कि भारत का वास्तविक निवास गांवों में है और यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा।

ग्राम स्वराज का सपना गांधी जी ने देखा था। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि भारत को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो लोगों को शहरों में नहीं गांवों में निवास करना होगा, राजमहलों में नहीं झोपड़ियों में रहना होगा क्योंकि देश के करोड़ों लोग महलों में नहीं रह सकते। उनके आदर्श गांव में पढ़े-लिखे समझदार लोग निवास करेंगे। वे वहां धूल, मिट्टी में अंधेरे में जानवरों की तरह नहीं रहेंगे। पुरुष और महिलाएं स्वतंत्र होंगे तथा विश्व में अपना स्थान बनायेंगे।

गांधी जी के आदर्श और लक्ष्य आज भी प्रासंगिक हैं। उनके लक्ष्य ही देश की नैतिक और भौतिक प्रगति को निस्संदेह समृद्ध बनाएगी। भारत के संविधान में, जिसे नवम्बर 1949 में अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप से सम्बद्ध गांधी जी के कुछ प्रमुख विचारों को शामिल किया गया।

छुआछूत की समस्या को समाप्त करना गांधी जी की सबसे बड़ी चिन्ता थी। एक बार उनसे पूछा गया कि वे अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि वह एक अस्पृश्य के घर जन्म लेना पसंद करेंगे। इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा "मैं पुनर्जन्म नहीं चाहता। लेकिन अगर मुझे फिर से जन्म लेना ही पड़ा तो मैं अस्पृश्य के रूप में जन्म लेना चाहूंगा जिससे मैं उनकी दु:ख तकलीफें बाट सकूं।"

पंचायत संयुक्त रूप से विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की भूमिका निभाएगी और अपने निर्धारित कार्यकाल में काम करेगी। वास्तव में गांधी जी का विचार था कि स्वतंत्रता सबसे निचले स्तर से ही शुरू होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गांव पूर्ण अधिकारों से युक्त एक लोकतंत्र होगा। गांव सत्ता के प्रमुख केन्द्र होंगे। 1992 में जब सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया और संसद में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया तब पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप को कारगर ढंग से लागू करने की दिशा में नई पहल हुई।

पिछले कुछ समय से एक प्रश्न बार-बार उठा है कि यदि लगातार चुनावों के बाद भी मतदाता स्पष्ट जनादेश न दें तो क्या किया जाए?

राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र में सीधे सत्ता संभालने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इससे प्रजातंत्र का महत्व कम होने और तानाशाही बढ़ने की सम्भावना रहती है। पिछले पचास वर्षों में सौ से अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा करना ठीक हो सकता है जब लोकतंत्र की उग्रवादी ताकतों और अलगाववादी ताकतों का खतरा महसूस हो जैसा कि पंजाब, जम्मू-कश्मीर और असम में किया गया।

लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से ऐसा शासन किसी आधार पर ठीक नहीं कहा जा सकता।

आजादी के बाद से देश की जनसंख्या में दो गुनी से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ देश की समस्याएं भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं। लेकिन ज्यादातर वर्षों में कांग्रेस का ही शासन रहा है इसलिए जनसंख्या वृद्धि को न रोक पाना कांग्रेस की असफलता मानी जाएगी। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को ठीक से लागू नहीं किया गया, लोगों में जैसी जागरूकता पैदा करनी थी वह तत्कालीन कांग्रेसी सरकारें नहीं कर पाई और नसबन्दी जैसे कार्यक्रम की असफलता इसी का परिणाम है।

जनसंख्या विस्फोट के कारण देश में कई प्रकार की समस्याएं उठीं जिन पर नियंत्रण कर पाना आज किसी भी सरकार के बूते में नहीं है। हमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि अधिकतर समस्याओं के पीछे जनसंख्या वृद्धि मूल कारण रही है। इसी संदर्भ में मेरा मत है कि आबादी को सदस्यों की संख्या से न जोड़ा जाए अन्यथा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र इतने बड़े हो जायेंगे कि संसद सदस्यों के लिए अपने क्षेत्र के सभी भागों से सम्पर्क रखना सम्भव नहीं होगा। बाहरी दिल्ली और महाराष्ट्र के थाने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्रमश: 30 लाख और 26 लाख को पार कर गई है। ऐसी स्थिति में किसी चुने हुए प्रतिनिधि का यह दावा कि वह अपने क्षेत्र के लोगों के हितों की देखभाल कर सकता है, ठीक नहीं लगता। अत: इसे भी हमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए।

केन्द्र की मौजूदा गठबंधन सरकार बेहद कमजोर है इसी का अंजाम कि केन्द्र सरकार एक साल भी नहीं चली और दूसरे प्रधानमंत्री को शपथ लेनी पड़ी। मौजूदा प्रधान मंत्री तो अपने मनमाफिक मंत्रिमण्डल भी नहीं बना सके। यह गठबंधन है। मौजूदा सरकार तेरह दलों की सरकार है जोकि निर्णय लेने में अक्षम है। आपसी अहम लगातार टकराते रहते हैं।

सरकार के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है वह किसी प्रकार सत्ता में कायम रहने में किसी भी प्रकार के गठबंधन के लिए तैयार है मतलब भारतीय राजनीति से नैतिकता का पतन हो चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश में यह पहली बार हुआ है कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। यदि एक घोटाला प्रकाश में आता है तो दूसरे उससे भी बड़ा घोटाला सामने आ जाता है। इसी तरह यह क्रम लगातार चलता जा रहा है। कितनी भयानक स्थिति देश की बनती जा रही है।

मौजूदा राजनीति का स्तर और चरित्र इतना भ्रष्ट हो गया है। प्रधान मंत्री स्वयं लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि वह असहाय हैं और कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हैं। जब किसी देश का प्रधान मंत्री अपने आपको असहाय महसूस करे तो लाखों करोड़ों की गरीब जनता किस ओर आशा की नजर से देख सकेगी।

15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सैल अपने कार्यालय में खोलेंगे। मैं प्रधान

मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि मौजूदा जांच एजेंसियों जैसे सी.बी.आई. को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो प्रधान मंत्री को अपने कार्यालय में सैल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भ्रष्टाचार स्वत: ही समाप्त हो जाएगा। आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।



श्री लक्ष्मण सिंह

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

आज हमारे देश में एक स्थिर राजनैतिक वातावरण की आवश्यकता है। आज जो हमारी सरकार है, उसे चलाने की आवश्यकता है और अगर आगे चलकर कोई समस्या पैदा होती है तो फिर हमें राष्ट्रीय सरकार बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर राष्ट्रीय सरकार भी नहीं चल पाती है तो इसके बाद एक ही रास्ता बच जाता है और वह रास्ता दो पार्टी का है कि इस देश में दो पार्टी रहें। जिन देशों में दो पार्टीज हैं, उन देशों में प्रजातंत्र सुरक्षित है, मजबूत है। भारत के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि हम देश में केवल दो पार्टी के सिस्टम को अपनायें। छोटी-छोटी पार्टियां जिस पार्टी में मिलना चाहें, मिल जायें। इसके पश्चात् जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलें, वही पार्टी सत्ता में रहे।

जहां तक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का प्रश्न है, अब समय आ गया है कि हम केन्द्र और राज्यों के संबंधों पर पुनर्विचार करें। सरकार ने अपने कॉमन-मिनिमम-प्रोग्राम में कहा था कि राज्य सरकारों को अधिकार देंगे। सरकारिया कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे। कुछ सिफारिशें लागू हुई हैं, परन्तु पूरी सिफारिशें अभी भी लागू नहीं हुई हैं। आवश्यक है कि हम राज्यों को मजबूत बनायें और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के अवसर दें।

महोदय, अब समय इस बात का भी आ गया है कि छोटे राज्यों का गठन करें। मेरा यह मत है कि अगर हम छोटे राज्यों का गठन करेंगे, तो उससे देश की एकता, अखण्डता को खतरा पैदा नहीं होगा। जिस तरह से आपने मेघालय राज्य बनाया है, अरूणाचल प्रदेश बनाया है, उसी तरह से आप उत्तराखण्ड बना दें, उसी तरह से आप छत्तीसगढ़ बना दें, उसी तरह से झारखण्ड बना दें, तो कोई हर्जा नहीं है। छोटे राज्य होने से प्रशासन में चुस्ती आती है और जनता को न्याय मिलता है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। प्रदेश में एक बस्तर जिला है, जिसका क्षेत्रफल केरल राज्य के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बस्तर जिले में ऐसे सैकड़ों-लाखों आदिवासी होंगे, जिन्होंने दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, प्रदेश की राजधानी भी नहीं देखी होगी। बस्तर जिले से भोपाल पहुंचने में तीन दिन का समय लग जाता है, दिल्ली पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आवश्यक है कि हम छोटे राज्यों का गठन करें और इस बात को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

पूर्व कांग्रेस की सरकार ने 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज कायम करने का काम किया है। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और पूर्व कांग्रेस की सरकार ने एक इतिहास बनाया। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश में सबसे पहला राज्य है, जिसने पंचायती राज को लागू किया। आज पंचायती राज जहां-जहां पर भी लागू हुए हैं, उससे ग्रामीण जनता में नया हौंसला बना है और उनमें नया विश्वास पैदा हुआ है। उनकी पथराई आंखों में एक विशेष चमक देखी है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आज हम सब मिलकर पंचायती राज को मजबूत बनायें और जितनी राशि केन्द्र की तरफ से पंचायती राज को चलाने के लिए भेजी जा सके, वह भेजी जानी चाहिए।

जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का सवाल है, देश सैंकड़ों वर्षों से गुलाम रहा है, मुगल शासन का गुलाम रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि देश की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। कई बुद्धिजीवी भारत की तुलना अमरीका से करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि अमरीका को आजादी मिले 300 वर्ष हो गए हैं और हम आज अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में समय लगता है। हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनायें बनाईं। जब से हम आजाद हुए हैं, तब से अब तक देश ने तीन लड़ाइयां लड़ी हैं। जब लड़ाई होती है, तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। इसके अलावा हमारे देश में कई दफा साम्प्रदायिक दंगे भी हुए हैं। साम्प्रदायिक दंगे जब भी होते हैं, तो राष्ट्र की सम्पत्ति की क्षति होती है। हम जब जापान की ओर देखते हैं, तो जापान में जब भी विरोध प्रकट किया जाता है, तो ओवर-टाइम करके कारखाने में विरोध करते हैं। देश का नुकसान नहीं होने देते हैं, लेकिन हमारे यहां तोड़-फोड़ और हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है। इस वजह से हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति की क्षति होती है और हमारी सारी योजनायें पिछड़ जाती हैं।

माननीय चन्द्रशेखर जी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, ने अपने भाषण में कहा कि अंग्रेज हमारी सारी दौलत सात समुद्र पार ले गए, उन्होंने सही कहा। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वे इसके साथ-साथ हवाला के बारे में भी कुछ बोलते। आज हवाला के माध्यम से हजारों-करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति हमारे देश से बाहर जा रही है। आज हम यहां संसद में बैठ कर चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारी पीठ पीछे हवाला के माध्यम से पता नहीं कितना हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि आप ऐसा सख्त कानून बनाएं, ऐसी कठोर सजा उन लोगों को दें जो हवाला करते हैं, जो हवाला का नाम लेते हैं ताकि उनका दिल दहल जाए, तभी हम सुधार कर पाएंगे।

सभापति महोदय, आज हमने एक नयी आर्थिक नीति बनाई है उसमें त्रुटियां हो सकती हैं लेकिन अगर हम सब लोग बैठ कर विचार-मंथन करें, अगर हम सब बैठ कर यह तय करें कि हमारे देश की आर्थिक नीति एक ही रहेगी, उसमें सुधार लाएं और एक ही आर्थिक नीति के बल पर अगर हम आगे बढ़ें तो वह दिन दूर नहीं जब हम विकसित देशों की कतार में जाकर खड़ें होंगे और बड़े-बड़े विकसित देश हमारे पीछे होंगे। आज जहां बड़े-बड़े उद्योगों का सवाल है वहां सरकार को पैसा लगाने की आवश्यकता है और ध्यान देने की आवश्यकता है। खादी और ग्रामोद्योग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कुटीर उद्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अगर हम खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार का 24000 खर्च होता है और उसी व्यक्ति को अगर हम एक टैक्सटाइल मिल लगाकर रोजगार दिलाते हैं

तो उस व्यक्ति को रोजगार दिलाने में सरकार का पांच लाख रुपया खर्च होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम खादी और ग्रामोद्योग पर पूरा ध्यान दें। खादी ग्रामोद्योग विभाग ने 750 करोड़ की बजटरी डिमांड पास की थी लेकिन मुझे इस बात का खेद होता है कि आज उनकी बजट की डिमांड आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आज इसके लिए यह कोई बड़ी राशि नहीं है। वित्त मंत्री जी ने उनसे कहा कि आप विश्व बैंक के सामने जाइए, उनसे कर्जा लीजिए। मैं समझता हूं कि यह खादी का अपमान है। उसी खादी ने यहां से विदेशों को खदेड़ कर भगाया। हम उसी खादी की उपेक्षा करें कि विश्व बैंक के सामने जाकर भीख का कटोरा लेकर खड़े हों। यह खादी का अपमान है। इसलिए जल्दी से जल्दी 750 करोड़ रुपए खादी ग्रामोद्योग को दीजिए ताकि हम बेरोजगारी से जूझ सकें। आज हमारे देश के ऊपर 6,68,110 करोड़ रुपए का कर्जा है। हमारे देश का जीडीपी 59 प्रतिशत अपने देश के कर्जे चुकाने में जाता है। यह कितने शर्म की बात है। अगर हमें अपने विदेशी कर्जे और अन्य कर्जे चुकाने हैं तो केवल एक ही रास्ता है कि हम अपनी कृषि को मजबूत बनाएं।

महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70 से 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। जब तक हम कृषि को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम कोई कर्जा नहीं चुका सकते। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। इतने वर्षों में हमने अनाज का उत्पादन बहुत किया है, बहुत सारा अनाज हमारे देश में पैदा होता है लेकिन आज दलहन के उत्पादन पर, तिलहन के उत्पादन पर नजर डालने की आवश्यकता है। आज दलहन का उत्पादन 14.1 मिलियन टन है, यह बहुत कम है, तिलहन का 21.3 मिलियन टन है, यह भी कोई ज्यादा नहीं है। कपास का उत्पादन 11.9 मिलियन बेल्स का उत्पादन हम देश में करते हैं जो कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है और कपास खरीदने के लिए हम अपनी बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च कर देते हैं। विदेशों से कपास आ रहा है जब कि हमारे देश में कपास उगाने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर हम इस ओर ध्यान दें तो हम बहुत हद तक अपनी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। आज चीन 743 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर काटन फिंट का उत्पादन करता है और हम 202 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर काटन फिंट का उत्पादन करते हैं, जब कि हमारी भूमि चीन से कहीं ज्यादा अच्छी है। हमारा किसान चीन के किसान से ज्यादा मेहनती है तो हम भी अपने यहां ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। हम कपास का आयात रोकें ताकि हमारी विदेशी मुद्रा बच सके। मैं माननीय अटल जी के प्रस्ताव से सहमत हूं, जब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें स्टेट फंडिंग चुनावों के लिए करनी चाहिए। आम चुनाव हों, अगर इसके लिए हम लोग सरकार से 700-800 करोड़ रुपए अलग रख देते हैं तो यह कोई बड़ी राशि नहीं है और ऐसा करने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जो अपनी जड़ें जमा रहा है उसको रोकने में हम काफी हद तक सफल होंगे।

जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो हमारा पेट्रोलियम का बहुत ही महत्वपूर्ण सैक्टर है। हम 18440 करोड़ रुपया पेट्रोलियम बिल में देते हैं। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे देश में पेट्रोलियम निकालने की संभावनाएं नहीं हैं। आज से दस साल पहले राजस्थान में जैसलमेर के पास, अजमेर के पास और मेरे अपने प्रदेश रीवा के पास तेल निकालने की सम्भावनाएं व्यक्त की गयी थीं। लेकिन आज तक वहां हम तेल खनन का काम सुचारू रूप से नहीं कर पाए हैं। मेरा कहना है कि यदि किसी चीज को हमें निजी क्षेत्र में देना है तो तेल-खनन के कार्य को देना चाहिए। वह भी किसी विदेशी कंपनी को न देकर हमारे देश के जो पूंजीपति हैं उनको हमें इस क्षेत्र में आगे लाना चाहिए। वे तेल-खनन का कार्य करें और हमारी तेल की कमी को पूरा करें। इसमें सरकार का काम केवल डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए।

विद्युत उत्पादन एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसमें 34 हजार मैगावाट विद्युत का उत्पादन हमें करना है तब जाकर अपने देश के लिए विद्युत की पूर्ति हम कर सकते हैं। अभी तक हमने 17 हजार मैगावाट विद्युत का उत्पादन किया है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने हजीरा से जगदीशपुर तक गैस पाइप-लाइन बिछाई। अगर हम नैचुरल गैस पर आधारित विद्युत घर लगाएं तो उससे सस्ता तरीका विद्युत पैदा करने का नहीं होगा। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह उस पाइप-लाइन में नैचुरल गैस देगी और उसके किनारे-किनारे विद्युत घर लगाएगी, जिससे सस्ती बिजली हम पैदा कर सकें और अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें।

आखिरी बात मैं जनसंख्या के बारे में कहना चाहता हूं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने एक नेशनल पापूलेशन पॉलिसी बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया था। मैंने संसद में ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव के जरिये सरकार से यह मांग की थी कि इस पॉलिसी को कोई मूर्त रूप दें। आज 46 प्रतिशत आबादी केवल देश के चार राज्यों में बसती है। इन चार राज्यों को बीमारू कहा जाता है यानि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यू.पी.। आज इन राज्यों में आबादी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकारें तो अपने प्रयास कर रही हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पर्याप्त राशि देकर उनकी मदद करे। हमारी स्वास्थ्य मंत्री महिला हैं, वे इन चार राज्यों का भ्रमण करें और इस समस्या का हल कैसे हो, इसका अध्ययन कर इसका हल निकालने का प्रयास करें।

जनसंख्या के साथ शिक्षा को भी जोड़ने की आवश्यकता है। इन चार राज्यों में आबादी बढ़ने का एक कारण निरक्षरता भी है। जब तक हम लोगों को साक्षर नहीं करेंगे तब तक परिवार नियोजन के कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। आप सभी लोग सरकार से सिफारिश करें कि इन चार राज्यों में सरकार विशेष ध्यान दे, ताकि हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकें। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।



डा. शफीकुर्रहमान बर्क

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : चेयरमैन साहब, पांच दिन के इंतजार के बाद आज बोलने का मौका मिला है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज देश गोल्डन जुबली मना रहा है, इस सिलसिले में बहरहाल स्पीकर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और इस मौके पर मैं आपसे दो आशार के साथ अपनी तकरीर शुरू करना चाहता हूं।

''बफूरे गम से दो आंसू बहाएं तो बगावत है,
सितमगर जहां को भूल जाएं तो बगावत हैं,

समझ ही में नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे,
हसाएं तो बगावत हैं, रुलाएं तो बगावत है।

इस देश में जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, उन्होंने देश को आजाद कराने में किसी से कम कुर्बानी नहीं दी है। जब यह देश आजाद होने जा रहा था और इसकी जंग लड़ी जा रही थी तो जहां महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस, डाक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपनी कुर्बानी दे रहे थे, उसी समय मुसलमानों ने अपने तरीके से कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूमा, सीने पर गोलियां खाईं, जेलें काटीं और जिन्दगी को अपने बच्चों से अलाहदा होकर अपनी जिन्दगी को तबाह और बरबाद किया। इसके बाद हमें उसका क्या ईनाम मिला? जहां इस देश में बहेसियत मुसलमान कुर्बानिया दीं, वहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमैंट चलायी। 1923 में आन्ध्र प्रदेश में जब कांग्रेस का इजलास हुआ तो सदर मुंतखिब हुए। जब 1930 में गोलमेज कांफ्रेंस लंदन में हुई, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए मौलाना जौहर गए थे। उन्होंने जो कीमती अल्फाज वहां अदा किए, उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आजादी दो, मैं गुलाम हिन्दुस्तान को वापस नहीं जाऊंगा वरना मुझे कब्र के लिए यहीं जगह देनी होगी। इंग्लैंड के अन्दर उनका इंतकाल हुआ, वह बेतुल मुकदस के अन्दर दफन किए गए।

इसी तरह हमारे हिन्दुस्तान में मौलाना फजले हक़ खैराबादी, हकीम अजमल खां, डा. मुख्तार अहमद अंसारी, अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने इस देश को आजाद कराने में कुर्बानी दी है। सरहदी गांधी खां अब्दुल गफ्फार खां ने भी बड़ी कुर्बानियां दीं। इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

इस मौके पर हालात का जायजा लिया जा रहा है कि 50 साल आजाद होने के बाद हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, मुसलमानों को इसमें क्या हिस्सा मिला और उनके साथ क्या सलूक किया गया? आज मुसलमानों के साथ डबल स्टैंडर्ड पालिसी को अपनाया जा रहा है। उनको हकूक से महरूम किया जा रहा है। कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के अंदर जो हकूक उन्हें मिले, वे उन्हीं नहीं दिए गए। बहरहाल उन हकूक को आज तक नहीं दिया जा रहा है और उनका इम्पलिमैंटेशन नहीं किया जा रहा है। ऐसे हालत में हमें सोचना चाहिए कि हमें आजादी मिली है तो क्या इस तरह से हिन्दुस्तान तरक्की कर सकता है?

इस देश में 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। क्या मुसलमानों को महरूम करके हिन्दुस्तान सफल हो सकता है? इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई इन्सान अगर पैरेलाइज्ड हो जाए, मफलूज हो जाए तो हम उसको हैल्दी कहीं कह सकते। इसी तरह से अगर हमारी सोसायटी के अन्दर कोई कौम, कोई बिरादरी बेपढ़ी-लिखी रह जाती है, गैर तरक्की याफ्ता रह जाती है तो उसको हम हैल्दी नहीं कह सकते। इसलिए इस देश की तरक्की के लिए उन्हें ऊपर उठाना आवश्यक है। बहरहाल हम जिन दूसरी कौमों के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुसलमानों को भी रियायतें देनी होंगी। हम गुलाम नहीं हैं।

मैं सिर्फ यह बता देना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान कोई फकीर नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं बल्कि इस देश के मुअज्जिज शहरी हैं। वे पाक तरीके से अपनी जिन्दगी गुजारना चाहते हैं। इस देश के वफादार हैं, हम वफादारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते। इस देश पर जब भी कोई आड़ा वक्त आया है तो मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जब चीन और पाकिस्तान को यहां के राज और फाइलें बेची गईं तो वे मुसलमान नहीं थे बल्कि दूसरे लोग थे जिन्होंने इस काम को किया था लेकिन फिर भी इल्जाम हमीं पर है और हमें पाकिस्तानी कहकर, मुखबिर कहकर हमारे साथ ज्यादती की जाती है। हमारे साथ जुल्म किया जाता है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : यह गलत बात है। जो देश के खिलाफ हैं, उनके साथ किया जाता है।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इस हाउस से पूछना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम क्यों है, सिर्फ एक परसेंट भी नहीं है तो क्या इस देश की सुरक्षा, इस देश की हिफाज़त के लिये, इस देश में अमन चैन कायम करने के लिये क्या पुलिस फोर्स और आर्मी में मुसलमानों की जरूरत नहीं है? मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से और रेजीमेंट्स बनी हुई हैं, उसी तरीके से मुसलमानों की, चाहे पठान रेजिमेंट हो, चाहे किसी और रेजिमेंट के नाम पर हो, मुसलमानों की एक रेजिमेंट बनाई जाये और पुलिस फोर्स में भी उनको खातिरख्वाह नुमाइंदगी दी जाये जिससे जब बलवे या फसादात होते हैं तो उनको भेजा जाये। इस देश के अंदर लगभग 25 हजार फिरकेवाराना फसादात हो चुके हैं जिसमें लाखों मुसलमान शहीद हुये हैं और हमने कभी उफ तक नहीं की और न कोई शिकवा ही किया। लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ बेइन्साफी होती है। यदि इस बेइन्साफी को दूर करना है तो हम मुसलमानों को भी पुलिस फोर्स में भर्ती करना होगा। मैं मांग करता हूं कि कम से कम 25 परसेंट मुसलमानों की इसमें भर्ती की जाये जिससे एक ऐसी फोर्स बनाए जाये जिससे जहां फसादात होते हैं, उन्हें वहां भेजा जा सके।

इसके अलावा जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, गुजराल कमेटी बनी लेकिन अमलदरामद आज तक नहीं हुआ। इस तरह से उर्दू के साथ बेइन्साफी हो रही है। मैं मांग करता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से इंगलिश और हिन्दी में लिट्रेचर दिया जाता है, उसी तरह से उर्दू का लिट्रेचर भी दिया जाये और यहां की कार्यवाही उर्दू में भी कराई जाये।

आज सैंकड़ों बेगुनाह मुसलमान टाडा में बंद हैं। उनके छोटे-छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, उनकी बीवियां अपने शौहर का बेसब्री से इन्तजार कर रही हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और न उसके पास पैसा ही है। जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोग टाडा के अंदर बंद थे, उन सब को छोड़ दिया था लेकिन आज मैं सैंट्रल गवर्नमेंट से इस बात की मांग करता हूं कि महाराष्ट्र में जो सैंकड़ों

मुसलमान बंद हैं, उनको फौरन रिहा किया जाये, उन्हें छोड़ दिया जाये। उनके साथ ज्यादती और बेइन्साफी हो रही है। जहां तक मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है.....

श्री सुरेश आर. जाधव : लेकिन जो माफिया हैं, गुंडे हैं, वे बंद हैं।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : जहां तक मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, उसमें से जामिया मिलिया इस्लामिया में कितने दिनों से ताला पड़ा हुआ था और उसको माइनरटीज करेक्टर नहीं दिया जा रहा है। माइनरटीज स्कूल हम अपने पैसों से खोलते हैं, उनको माइनरटीज करेक्टर दिया जाये और उसमें हमें पूरे-पूरे इख्तियारात दिये जायें कि हम अपने बच्चों को तालीम दिला सकें और उनके अंदर मुसलमानों का खातिरख्वाह दाखिला हो सके। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लिये कहूंगा कि इस वक्त मसला ज़ेरे ग़ौर है क्योंकि वहां पर तालीम ठप्प पड़ी हुई है। इसलिये इसका हल कराया जाये।

कोई भी मुल्क कानून और इंसाफ से चलता है। इस देश के अंदर जो लोग हजारों सालों से पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों को दबाकर रखा गया है और ऊपर नहीं उठने दिया गया, सिर्फ पांच परसेंट लोग इस देश पर हावी हैं और 95 परसेंट आबादी आज भी दबी और पिछड़ी हुई है और उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। उसमें मुसलमान भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही इंसाफ है और इसी से देश चलेगा?

6 दिसंबर को आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कानून को पांव से मसला गया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ऐहतराम नहीं किया गया। क्या इस देश की तरक्की आस्था की बुनियाद पर होगी, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद होगी? मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में हमें आश्वासन दिया गया था कि बाबरी मस्जिद को उस जगह तामीर कराया जाएगा। मेरी मांग है कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की है। वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और इसका कोई सुबूत भी नहीं है। हमारे पास सुबूत मौजूद हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। लिहाज़ा उसका फैसला आएगा और आज भी कानून में हमारी आस्था है, इन लोगों की आस्था नहीं है। इन लोगों ने अपनी आस्था पर कानून को कुर्बान कर दिया। मैं चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद फिर वहीं तामीर की जानी चाहिए जिससे हिन्दुस्तान का मस्तक ऊंचा हो सके। इससे हिन्दुस्तान की बहुत बदनामी हुई है और हमारी जम्हूरियत को ठेस लगी है। डेमोक्रेसी पाश-पाश हुई है और हिन्दुस्तान के कानून का कत्ल हुआ है। अगर ये नहीं होता है और ये इंसाफ हमें नहीं मिलता है तो हम समझेंगे कि हिन्दुस्तान के अंदर हमें दूसरे नंबर का शहरी समझा जा रहा है, हमें आज भी गुलाम समझा जा रहा है, हमारे साथ दोहरा सुलूक किया जा रहा है।

जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, मैं चाहूंगा कि गुजराल साहब की जो कमेटी बनी थी, उसी के मुताबिक जिस तरह से आंध्र प्रदेश में, बिहार में और गोवा में जो-जो फेसिलिटीज दी गई हैं, उसी तरीके से यहां भी फेसिलिटीज़ दी जाएं। मल्टी सेक्टोरल प्लान जो लागू किया गया है, मेरी मांग है कि वह माइनौरिटीज़ वैलफेयर डिपार्टमेंट के तनहा हाथों में न छोड़ा जाए बल्कि उसमें सेन्ट्रल डिपार्टमेंट की इंडस्ट्रीज के ज़रिये से उनकी रिपोर्टें मंगाकर उसको लागू किया जाए और वर्दराजन ने जो नौवें प्लान की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट तैयार की है जिसमें तालीम के लिए और दस्तकारी के लिए 8700 करोड़ रुपया रखा गया है, उसको उस हिसाब से लागू किया जाए। मैं कहता हूं कि डा. बी.एन. पाण्डेय ने एक किताब लिखी है। हमारे एक भाई ने कहा था कि टीपू सुल्तान और औरंगज़ेब के मुतास्सिब उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मंदिर को जायदादें दीं। तो वह कहां से मुतास्सिब हो गए? बल्कि जो लोग तास्सुब का शिकार हैं, वे इस किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं।

इसी के साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र के मुताल्लिक एक बात कहूंगा। यह भी विकास का मसला है। मुरादाबाद पीतल नगरी कहलाता है और 1700 हजार डालर्स कमाकर देता है लेकिन इसके बावजूद मुरादाबाद में बिजली नहीं मिलती है जिससे पांच लाख कारीगर आज भी उससे मुतास्सिर हैं। अगर वहां बिजली का इंतजाम नहीं किया जाता है तो इससे मेरा नहीं सिर्फ मुरादाबाद का नहीं, बल्कि देश का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए मैं कहूंगा कि सरकार उसको पूरा करे।

आखिरी मांग मेरी यह है कि 50 सालों में मुसलमानों के साथ जो कुछ सुलूक किया गया है या जो भी ज्यादतियां हुई है मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार मुसलमानों के इन 50 साला हालात के ऐतबार से एक व्हाइट पेपर जारी करे। शाया करे और यह बताये जिससे कि यह मालूम हो सके कि मुसलमान इस देश में दो नम्बर के शहरी हैं या एक नम्बर के शहरी हैं, या मुसलमानों के साथ दोहरा सलूक हो रहा है या ठीक सलूक हो रहा है। इस सब को देखते हुए एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं।

जलजले ऊंचे मकानों को गिरा देते हैं,
मैं तो बुनियाद का पत्थर हूं मुझे खौफ नहीं।

इस शेर के साथ बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुसलमानों के भी मसाइल हैं यदि इस देश का विकास करना है, इस देश को आगे ले जाना है तो मुसलमानों पर एतबार करो, मुसलमानों से काम लो। मुसलमान तुमसे ज्यादा वफादार साबित होंगे, हर कौम से ज्यादा वफादार साबित होंगे। इस देश के लिए हर कुर्बानी देंगे। इसलिए मैं चाहूगां कि मुसलमानों पर एतबार किया जाए और मुसलमानों को भी तरक्की का मौका दिया जाए। मैं खास तौर से मुसलमानों के तालीम के मसले के लिए एक मिनट चाहूंगा। आज मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत ज्यादा पसमांदा हैं। हमने एक हजार करोड़ रुपये की प्राइम मिनिस्टर साहब से मांग की थी, फरवरी 1997 में जब बजट सैशन था, उस वक्त एक मेमोरेंडम भी दिया था। लेकिन अफसोस है कि उसको बजट प्लान में नहीं रखा गया। जो सरकार का प्लान है, उसमें शामिल नहीं किया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुसलमानों की तालीम के लिए एक हजार करोड़ रुपया उसमें शामिल किया जाये। ताकि जो 9वां फाइव ईयर्स प्लान है वह रुपया उसमें आ जाए और मुसलमानों की तालीम पर खर्च हो। इन्हीं अल्फाज़ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं।



श्री किशन लाल दिलेर

श्री किशन लाल दिलेर (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोल दीजिए कि मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री किशन लाल दिलेर : सभापति महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है। अब आप सब लोग बैठ जाएं।

श्री किशन लाल दिलेर : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि क्योंकि आपने हिन्दुस्तान की आजादी की 50वीं साल की स्वर्ण जयंती पर विशेष अधिवेशन में मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, जिन माताओं ने अपने सपूतों को हंसते-हंसते आजादी की मैदाने जंग में संघर्ष करने के लिए भेजा उन्होंने वहां सत्याग्रह किया और वे वीर संघर्ष करते-करते शहीद हो गये, मैं उनको भी नमन करता हूं।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी का सपना था, उन वीर शहीदों का सपना था कि हमारा देश आजाद होगा, गुलामी की जंजीरें टूटेंगी और अपनी हुकूमत आयेगी, लोग खुशहाल होंगे। आजादी तो मिल गई मगर महात्मा गांधी जी के स्वप्न पूरे नहीं हुए। परिवर्तन हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हमारे नेताओं ने वोटों के लालच में जातिवाद को बढ़ावा दिया। जातिवाद की खाई घटने के बजाय और चौड़ी होती गई। जो आज देश के लिए घातक है। क्योंकि जातिवाद के आधार भर्तियां होने योग्य व्यक्ति पिछड़ते गये। जब हमारे राजनायक ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनायेंगे तो इस देश की जनता को इसांफ कौन देगा।

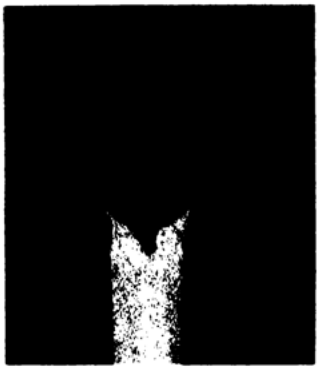
सभापति महोदय, गरीबी की चर्चा पांच दिन से इस सदन में बहुत जोरों पर हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबों का अगर हमारे राजनायक ध्यान देना चाहते हैं तो क्या किसी ने सफाई कर्मचारियों की तरफ ध्यान दिया है? आज हिंदुस्तान की टाउन एरियाओं और नगरपालिकाओं में 20 महीने से 30 महीने तक वेतन नहीं मिलता। आखिर एक गरीब कैसे अपने परिवार का इस महंगाई के युग में जीवन का निर्वाह कर सकता है। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या राज्य सरकारों को इतना बढ़ाकर बजट केन्द्र सरकार दे जो उचित समय पर उनके वेतन का भुगतान हो जाए।

सभापति महोदय, आज आरक्षण की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन आरक्षण या तो बड़े लोगों को या नेताओं को या आई.ए.एस., पी.सी.एस. अधिकारियों के बीच में ही रह जाता है या सरकारी कर्मचारियों के बीच में बंदरबांट हो जाता है। उन गरीबों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। इसके हाथ में दलालों का भी हिस्सा होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आरक्षण से गरीबों को लाभ पहुंचाना है तो इस आरक्षण से आई.ए.एस. और पी.सी.एस. अधिकारियों को मुक्त कर दिया जाए। एम.पी., एम.एल.ए., मिनिस्टर जब तक पदों पर रहें, उनको और उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तब तो गरीबों तक आरक्षण का लाभ पहुंच पायेगा।

सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर इस सदन में बड़ी चिंता व्यक्त की गई है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है।

मान्यवर, जलेबी की रखवाली कुतिया करने बैठ जायेगी तो जलेबी नहीं बचेगी। यह हाल हमारे देश का हुआ है। आज देश का बंटाधार हमारे कुछ चंद नेताओं ने ही किया है। इसके लिए हम किसको दोष दें। हम गांधी के सपनों को पूरा नहीं कर पाये। उन शहीदों की कुरबानी को अपने स्वार्थ में भूल गये। हमें चिंता होती है और चिंता करने को यह विशेष सदन चल ही रहा है। अगर हमारे देश के कर्णधारों को गांधी जी या आजादी की खातिर शहीद हुए वीरों की याद रहती है तो गांधी का सपना था कि हम गांव की ओर चलें, गांवों का विकास करें। लेकिन आज गांवों में नाम का ही विकास हुआ है। गांव के गांव सड़कों से नहीं जुड़े। गांवों में स्कूलों का अभाव है। चिकित्सा का अभाव है। बिजली, पानी तथा सिंचाई का अभाव है। जब तक गांवों की तरफ, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक देश को सच्ची आजादी नहीं मिलेगी। खेत उठेगा तो किसान उठेगा, किसान उठेगा तो गांव उठेगा, गांव उठेगा तो देश उठेगा। मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि आज कृषि पर जो बजट दिया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगर हमें सच्चा भारत, सच्ची आजादी का निर्माण करके कृषि पर बजट बढ़ाना होगा। अगर देश का दूसरे देशों में सम्मान कराना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो ऐसा नियम बनाया जाए जो भ्रष्ट व्यक्ति का चेहरा नंगा कर सके जिससे दूसरे लोगों को सबक मिल सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।



श्री मोहन रावले

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं सदन के सभा पटल पर अपना भाषण रखना चाहता हूं। कृपया मुझे इसकी इजाजत दी जाए। इतना लम्बा भाषण पढ़ने का तो समय नहीं है।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं अपना भाषण सभा-पटल पर रखता हूं।

महोदय, स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में मैं आज भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनको और जलियांवाला बाग में शहीद हुए सत्याग्रहियों को पुन: स्मरण करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

यह कहना कि हमें आजादी अहिंसा से मिली, एकदम गलत है, निराधार है और धोखा है। आजादी हमें अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा से मिली, क्रांति से मिली और लाखों लोगों के बलिदान के बाद मिली और फिर भी आप इसको अहिंसा मानते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रयास जरूर किये लेकिन यदि भारत के महान क्रांतिकारी नेता, महात्मा गांधी के पीछे आंख मूंद कर चल रहे होते तो देश आज भी गुलाम होता और 50 वर्षों तक सत्ता व सुख भोगने वाले राजनेता अंग्रेजों की जेलों में होते। याद कीजिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वे शब्द जब उन्होंने जनता को आह्वान किया था, ''तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।'' यदि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज न बनाई होती और बर्मा से भारत में सेना पर आक्रमण करने की योजना न बनाई होती तो आज हम आजादी की स्वर्ण जयंती नहीं मना रहे होते। नेता जी की इस योजना से अंग्रेज घबरा गये थे। मुंबई में नौसेना विद्रोह हुआ था। वास्तव में नेताजी ने और शहीद भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, मंगल पांडे, साफेकर बन्धु, मदनलाल धींगरा, स्वातंत्र्य वीर सावरकर के क्रांतिकारी कारनामों से अंग्रेजों का भारत में रहना दूभर हो गया था। अन्य ऐसे हजारों क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था। शहीद भगत सिंह को कोर्ट से सजा सुनाते वक्त कहा था कि इन्होंने युद्ध शुरू किया है। इस पर शहीद भगत सिंह ने फांसी लगने के तीन दिन पूर्व पंजाब के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा था कि मुझे फांसी पर लटकाने की बजाय गोली मार देनी चाहिये। अहिंसा के पुजारियों ने हमें शत्रु माना है और यह जो युद्ध अब शुरू हुआ, वह जारी रहेगा। उस समय तक जब तक कि अंग्रेज भारत छोड़ कर वापस नहीं जाते। लार्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कहा था कि हम इस पर काबू नहीं पा रहे और इसलिए हम यह देश छोड़कर जा रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता बिना खून बहाये मिली, अहिंसा से मिली, ऐसा कहना उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है।

साफेकर बन्धुओं को जब फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहा था तो उनकी नजर वहां पर मौजूद अपने पिता की निगाह से मिली। अपने पिता की आंखों में आंसू देख उन्होंने पूछा कि पिता जी आपने हमें स्वतंत्रता के आन्दोलन में कूदने की प्रेरणा दी और फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों। उनके पिता का उत्तर था कि मेरी आंखों में इसलिए आंसू हैं और मुझे इस बात का दुख है कि अब मेरे पास कोई और बेटा नहीं है जिसे मैं स्वतंत्रता आंदोलन में भेज दूं।

इससे पहले 1857 में स्वतंत्रता के लिये एक बड़ी लड़ाई लड़ी गयी थी। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख गई। बहादुर शाह, तांत्या टोपे, वासुदेव बलवंत फड़के इन लोगों ने आजादी के लिये लड़ाई लड़ी, उसमें हजारों लोग शहीद हुए। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया था तो यह उन वीर सत्याग्रहियों का आजादी के लिये बलिदान नहीं था और फिर आप कहते हैं कि आजादी हमें गांधी जी के अहिंसक प्रयासों से मिली। उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है।

हमारे शिव सेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र के वीर लाल, बाल, पाल (लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक और विपिनचन्द्र पाल) के नाम बड़े अभिमान और गौरव से लेते हैं। आजादी की लड़ाई में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम सत्ता भोग में सब कुछ भूल जाते हैं। यदि हम भारत में लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, स्वातंत्र्य वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों का नाम आदर से लेते रहते और उनको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते तो आज भारत की इतनी बुरी हालत नहीं दिखती।

अभी भी समय है कि हम जागें और भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की बलि देने वाले हजारों देशप्रेमी क्रांतिकारियों को याद करें और उनके आचरण को अपने जीवन में ढालें।

कभी हमने सोचा कि जापान पूरी तरह नष्ट होने के बाद आज इस स्थिति में है कि टैक्नोलाजी के नाम पर दुनिया को निर्देश दे रहा है। चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से अधिक होने के बावजूद भी चीन विश्व में अभिमान से सर उठाये हुए है। वहां विकास की गति तेज है। लेकिन हमारे राजनेताओं में इच्छाशक्ति की कमी है।

आज देश की जनसंख्या 95 करोड़ है। आज हमारे देश में प्रतिवर्ष जहां 95 लाख लोग मरते हैं वहीं 275 लाख बच्चे हर वर्ष जन्म लेते हैं, शेष 180 लाख अतिरिक्त बच्चे देश की जनसंख्या वृद्धि का कारण बनते हैं। गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, भुखमरी, पानी की कमी इत्यादि तब तक दूर नहीं हो सकती है जब तक कि हमारी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नहीं रोका जाता। केवल गरीब मतदाताओं को बेवकूफ बनाकर वोट ठगने के लिए हैं। बिना जनसंख्या नियंत्रित किये भारत में निरक्षरता हटाना असंभव है। अधिकतर लोग अंधविश्वासों के शिकार हैं, वे समझते हैं कि परिवार नियोजन धर्म के विरुद्ध है। उन्हें यह तक नहीं पता कि धर्म क्या है? केवल साक्षरता के माध्यम से ही लोगों को अंधविश्वासों से उबारा जा सकता है।

जनसंख्या विस्फोट आज किसी अणु बम विस्फोट से कम खतरनाक नहीं लगता भारत में हर साल करीब 5000 महिलाएं केवल दहेज के कारण मारी जाती हैं। दरअसल यह सब इसलिए होता है क्योंकि कानूनी प्रावधान व्यावहारिकता में नहीं आ पाते। भारत विदेशी कर्ज से लदा हुआ है, विदेशी ऋणदाता और विदेशी कम्पनियों के हाथ में हमारी लगाम है। गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या घटने की बजाय बढ़ी है। आर्थिक विपमता की खाई चौड़ी हो रही है और नैतिक दृष्टि से हमारा घोर पतन हुआ है। संसार के दस भ्रष्ट देशों में हमारा आठवां स्थान बन गया है।

हम स्वाधीनता आंदोलन की मूल प्रेरणाओं को ढूंढ़ने और उनसे जुड़ने का संकल्प लें। दिन प्रतिदिन अधिकाधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। निरक्षरों की संख्या और प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारी सीमाएं निरंतर सिकुड़ती जा रही हैं और उन पर संकट छाया हुआ है। हमारे युवक पश्चिमी प्रलोभनों की ओर अधिक झुक रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में संसार पर हमारा नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव शून्य से भी नीचे हो गया है। अर्थव्यवस्था के खुलेपन और उदारीकरण के पुरस्कार स्वरूप सरकार हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को भारत में पैर जमाने दे रही है। आखिर यह सब किसकी कीमत पर हो रहा है। इस सबसे बेरोजगारों को रोजगार मिलना तो दूर, रोजगार पर लगे लोग भी बेरोजगार किए जा रहे हैं। उन्हें वी.आर.एस. लेने को मजबूर किया जा रहा है। रोजगार खत्म किये जा रहे हैं और नये रोजगारों को अवसर मिलना तो बहुत दूर की बात है। आज वे बेरोजगार उदारीकरण का यह सुख भोग रहे हैं।

वर्ष 1995-96 में भारत में 17384 करोड़ रुपये के कृषि पदार्थों का निर्यात किया गया है। इससे विश्व की कंपनियों की आंखें चुंधियाने लगीं और उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र में पैर रखने का निर्णय ले लिया और हमारी सरकार उदारीकरण के नाम पर उनको इसकी अनुमति भी दे रही है।

हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में, चाहे वह चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो या विज्ञान हो, हमारे युवा आगे हैं, लेकिन उनको यहां प्रगति करने का और अपनी योग्यता दर्शाने का अवसर नहीं मिलता। उनको सुविधाएं नहीं मिलती और यही कारण है कि हमारे प्रतिभावान डाक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं और फिर भारत वापस लौटने का नाम नहीं लेते। लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता।

युवाओं को छोटे-छोटे उद्यम लगाने के लिए बैंकों से ऋण नहीं मिलता और जो कुछ मिलता है वह घूस कमीशन वगैरह कटकर आधा ही रह जाता है। बैंक भी उन्हीं को ऋण, ओवर-ड्राफ्ट देते हैं जिनकी उनसे कोई व्यवस्था बनी हुई है और वह राशि बाद में वसूली न जा सकने वाली कहकर बही-खाते में डाल दी जाती है।

अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में दूरदर्शन से या आकाशवाणी से या समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ प्रचारित नहीं किया जाता, ताकि उनको और जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके।

महोदय, मैं आजादी के इन 50 वर्षों की लम्बी यात्रा के बाद जो उपलब्धि हमने हासिल की है वह यह है कि हम नोट भी विदेशों में छपाने लगे हैं। भारत की जनसंख्या 96 करोड़ है और हमारे मुक्त और उदार अर्थव्यवस्था इसलिए स्वीकार की है कि हम विश्व में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमरीकन नोट बैंक कम्पनी, कैनेडियन नोट प्रेस, ब्रुनडेस ऑफ जर्मनी, बैंक ऑफ इंगलैंड, थामस डिलासा को 500 रुपये के नोट छापने का ठेका दिया। इनमें अमरीकन कंपनी और कैनेडियन कंपनियां तो निजी क्षेत्र में कंपनी हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे लिए नोट छापने वाला देश आर्डर से अधिक मूल्य के दोहरे नम्बर वाले नोट हमारे देश में नहीं भेज देगा और हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं कर देगा। क्या इससे भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं हो जाएगा। इससे हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था ही नष्ट कर दी थी और वहां संकट उत्पन्न हो गया था।

क्या सरकार इस बात पर गंभीरता से सोचेगी कि हमारा इतना पतन क्यों हुआ है कि हम अपनी आवश्यकता के लिए नोट छापने के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहें।

50 वर्ष पहले बने भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से आज तक सुनते आते हैं कि भ्रष्टाचार देशद्रोह है और भ्रष्टाचारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे सरेआम चौराहे पर खड़ा करके कोड़े मारे जाने चाहिए। अभी वर्तमान प्रधान मंत्री गुजराल जी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के अपने सम्बोधन में यही बात दोहराई थी कि भ्रष्टाचार देशद्रोह है। यदि भ्रष्टाचार देशद्रोह है तो उसकी सजा गोली होनी चाहिए। आखिर यह सरकार यह घोषणा कब तक करती रहेगी। सबको मालूम हो गया है कि भ्रष्टाचारी देशद्रोही है लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही कौन करेगा।

सभी राजनेताओं, सांसदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों और ब्यूरोक्रेटों का स्क्रीनिंग कर भ्रष्टाचारी का पता लगाकर यदि आप इनमें से दस प्रतिशत को भी गोली से उड़ा दें तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने की इच्छा-शक्ति कहा है?

कितने दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्त किए 50 वर्ष बाद भी हमारी अपनी कोई राष्ट्र-भाषा नहीं है। हमारा अपना राष्ट्र-गीत है, हमारा अपना राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा अपना राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा अपना राष्ट्रीय पशु है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में अधिक से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी अभी तक राष्ट्र की भाषा नहीं बन सकी। इसको दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहें।

एक अच्छी बात है कि सरकार ने डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन यह प्रतिबंध कब तक लगा रह सकेगा। ऐसा पता लगा है कि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद कुछ लोग डी.टी.एच. को मंजूरी दिए जाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार इस बात को देखे कि कहीं ऐसा न हो जाए और देश को आर्थिक नुकसान तो हो ही, गैर-कानूनी धंधे भी शुरू हो जायें।

सरकार इस बात का निश्चय करे कि कोई भी तंत्र इसमें हस्तक्षेप न करें और प्रसारण कानून संसद द्वारा पारित हो जाने से पूर्व डी.टी.एच. को किसी भी सूरत में मंजूरी न मिल पाए।

शिव-सेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि इस देश का कानून पालन करना और देश के साथ ईमानदारी से चलना, इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ा रहना हमारा प्रथम धर्म है। लेकिन धर्म के नाम पर यहां परिवार नियोजन को लागू नहीं किया जाता है और उसका विरोध किया जाता है। विश्व से अन्य देशों में भी इसका विरोध नहीं होता।

कल ही मुझे पाकिस्तान के कुछ संसद सदस्य मिले थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में यदि हमें दूसरी शादी करनी होती है तो हमें अपनी पहली पत्नी की मंजूरी लेनी होती है और ऐसा न करने पर वह फैमिली-कोर्ट में जा सकती है और दूसरी शादी करने वाले को सजा भी हो सकती है।

सीरिया, इजिप्ट, ईरान, ईराक, तुर्की, ट्यूनिशिया, बंगलादेश में भी परिवार नियोजन अपनाया जाता है लेकिन भारत में कुछ कठमुल्ले लोग पर्सनल लॉ की धमकी देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

सिंधिया वर्कशॉप लिमिटेड में 1987 और 1989 में दो बार वी.आर.एस. लागू किया गया और यहां 1991 तक चालू रहा। इसके बाद मई 1993 तक जो सिंधिया वर्कशॉप के कर्मचारी रिटायर हुए या दिवंगत हुए अथवा जिन्होंने इस्तीफा दिया। उनको भी उस समय तक पूरा पैसा दिया गया। ये बाकी कर्मचारी सिंधिया वर्कशॉप के रोल पर रहे। उनकी हाजिरी लगती रही और उनको प्रोविडेंट भी बराबर दिया जाता रहा। इसका मतलब है कि उनको सिंधिया वर्कशॉप के कर्मचारी तो माना जाता रहा लेकिन उनको वेतन नहीं देंगे। यह कहां का न्याय है? श्री मनमोहन सिंह ने, जो पहली सरकार में वित्त मंत्री थे कहा था कि कर्मचारियों को पहले जैसा पैसा मिलना चाहिए और एस.सी.आई.सी.आई. को बाद में अपनी रकम वसूलनी चाहिए।

सिंधिया वर्कशॉप पूरी तरह से सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी की सहायक कम्पनी है और इसके कर्मचारियों की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। ऐसा नहीं है कि सिंधिया कम्पनी के पास पैसा नहीं है। उसके सिंधिया हाउस की ही कीमत सौ करोड़ रुपये से ऊपर है। अंधेरी में सिंधिया कोलोनी की कीमत सौ करोड़ रुपये है। सिंधिया सदन की कीमत तीस करोड़ रुपये है तथा और भी बहुत सम्पत्ति है।

एन.टी.सी. की मिलें आज भ्रष्टाचार के कारण घाटे में जा रही हैं। आज मिल मजदूर को कपास, वर्किंग कैपिटल, रॉ-मैटीरियल मिले तो वे भी मिलें अच्छी तरह से चला सकते हैं। लेकिन उन्हें वी.आर. स्कीम देकर सरकार बाहर निकाल रही है। हमें टैक्सटाइल क्षेत्र को बचाना चाहिए। इसलिए उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए।

आज देश में हर वस्तु के भाव आसमान को छू रहे हैं और मुद्रा-स्फीति की दर गिर रही है। भारत में यह एक अजीब स्थिति है कि मुद्रा-स्फीति की दर तो गिर रही है लेकिन आवश्यक मूल्यों के भाव बढ़े जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी करे और हर वस्तु के बारे में पिछले पांच वर्षों के आंकड़े बताते हुए स्पष्ट करे कि कितनी मूल्य-वृद्धि हुई है और क्यों हुई है और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस उपाय किए हैं। सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी हो रही है। ऋण मंजूर करने में रिश्वत ली जाती है। आखिर सरकारी बैंकों में ही ऐसा क्यों हो रहा है? दिए गए ऋण वापस नहीं होते और फिर उस रकम को बट्टे-खाते में डाल दिया जाता है। विदेशों में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं हैं उनमें भारी घाटा हो रहा है। क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि इस घाटे के मुख्य कारण क्या हैं और इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं। आये दिन बैंकों में हड़तालें और धरने होते रहते हैं।

1947 में जब स्वतंत्रता मिली, तो जो शिक्षा-प्रणाली देश को विरासत में मिली, वह जनसंख्या को देखते हुए काफी छोटी तो थी ही, साथ ही उसमें क्षेत्रीय और ढांचागत असंतुलन भी था। उस समय केवल 14 प्रतिशत लोग साक्षर थे और प्रत्येक तीन बच्चों में से केवल एक ही प्राइमरी विद्यालय में जाता था। लोगों को साक्षर बनाने और छः से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत को समझते हुए, देश के संविधान और पंचवर्षीय योजनाओं में इसे स्पष्ट परिभाषित किया गया और इसका नया स्वरूप विकसित किया गया। संविधान की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के ढांचे और उसके गठन के बारे में फैसले करना मुख्य रूप से राज्यों का विषय है। समूचे नीतिगत ढांचे के भीतर प्रत्येक राज्य स्वतंत्र रूप से अपने यहां अपनाई जाने वाली शिक्षा-प्रणाली निर्धारित करता है। लेकिन शिक्षा का स्तर और उसका स्वरूप तय करने का दायित्व केन्द्र सरकार का है।

हाल में बिहार में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पुलिस की गोलियों से छात्र-छात्राओं की हत्याओं से प्रतीत होने लगा है कि भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के वर्ष में हमने विदेशी हुकूमत को भी मात दे दी है। बिहार में तो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। आखिर उच्च न्यायालय को अपने हाथ में परीक्षा कराने का काम लेना पड़ा। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तीन बच्चों की बलि चढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश में दस-ग्यारह छात्रों के साथ-साथ छात्राएं भी गोली का शिकार हुईं।

स्वतंत्रता के पश्चात् हमने खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त की। विज्ञान और उद्योग तथा प्रति-रक्षा के क्षेत्रों में विश्व की एक महान शक्ति के रूप में सामने आए। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने के विषय में वाद-विवाद कर रहे हैं। आजादी के बाद राधाकृष्णन, मुदालिया, कोठारी, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रामामूर्ति आदि जैसे शिक्षा के आयोग बने, तीन बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ। कुलपतियों, शिक्षा-सचिवों के अनेक बौद्धिक व्यायाम हुए, लेकिन शिक्षा जगत की अव्यवस्था बढ़ती गयी। असल में राष्ट्रीय नेतृत्व में शिक्षा को सजाने-संवारने के प्रति राजनीतिक इच्छा-शक्ति तो थी ही नहीं, इसके प्रति गंभीरता का भी अभाव था। हम भूल गये हैं कि सड़कें, पुल, भवन, कल-कारखानों का निर्माण करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक मानव का निर्माण करना है। शिक्षा वास्तव में ही मानव निर्माण का ही उपकरण है। हमने इसके महत्व को समझा ही नहीं।

ईंट और पत्थरों के निर्माण को हमने राष्ट्र-निर्माण समझ लिया। अब 15 अगस्त 1997 को आजादी के 50 साल बाद भारत के प्रधान मंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि प्राथमिक शिक्षा को संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाएगा। घोषणाएं तो होती रहती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता। देखना है कि इस ताजी घोषणा पर कब अमल होगा।

जिस शिक्षा का आधार किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत में नहीं होगा, वह शिक्षा आधारहीन एवं शक्तिहीन होगी। हमने राष्ट्रीय अस्मिता को किस प्रकार भूला दिया है। यह इस बात से स्पष्ट है कि हम 50 वर्ष के बाद भी अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने में असफल रहे हैं। जिस राष्ट्र की शिक्षा अपनी भाषा में न हो, वह राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी ने भी कहा था कि यदि मैं तानाशाह होता तो तुरंत अपनी भाषा में अध्यापन लागू करता। मैं अपनी भाषा में पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए भी नहीं कहता, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका फौरन इलाज होना चाहिए।

आज 50 वर्षों की आजादी के बाद, अंग्रेजी के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ी है, इसको हम गली-गली में अधकचरे कांवेंट स्कूलों के रूप में देख सकते हैं। अंग्रेजी इसलिए नहीं बढ़ रही है कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य से हमारा प्रेम बढ़ रहा है बल्कि अंग्रेजी के साथ हमने नौकरी को जोड़ दिया है और हम हीन भावना से ग्रस्त हैं। इसलिए हम अंग्रेजी बोलकर अपने को सांस्कृतिक रूप से महसूस करते हैं। मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी के इस मोह ने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता से ही हमको काट दिया है। मैं तो कहूंगा कि इसके लिए मैकाले और अंग्रेजी राज ही दोषी नहीं, इसके लिए हम भी दोषी हैं।

इससे भी बड़ा एक महापाप हमने किया है कि पाश्चात्य प्रभाव के कारण हमने धर्म-निरपेक्षता के नशे में नीति और मूल्य निरपेक्षता को अपना लिया है। शिक्षित होने और सच्चरित्र होने में कोई संबंध ही नहीं माना गया। इसलिए जिस अनुपात में नीति-विहीन शिक्षा का विस्तार होता गया है, हम उसी अनुपात में कर्तव्य विमुख और भ्रष्ट होते गये हैं। नैतिक मूल्यों के बिना शिक्षा हमें रावण और दुर्योधन ही बना सकती है, उसे राम और कृष्ण, विवेकानंद और गांधी नहीं बना सकती है। आज तो शिक्षा से नैतिकता का विलोप हुआ है कि शिक्षित वर्ग अधिक स्वार्थी और भ्रष्ट बन गये हैं। अंग्रेजी शासन में हमारा चरित्र इतना नहीं गिरा था कि जितना गत 50 वर्षों में गिरा है। मूल्य-विहीन शिक्षा से मूल्य-विहीन समाज बनेगा, जिसमें हिंसा, विद्वेष और अविश्वास निकलना स्वाभाविक है। इसी का विस्फोट हम देख रहे हैं। अच्छे से अच्छे माने जाने वाले कालेजों और विश्वविद्यालयों में नशा-खोरी और नशीली दवाओं का सेवन आम बात हो गयी है।

हमने उन्हें इतना हताश, निराश एवं असंतुष्ट बना दिया है कि उनके सामने हिंसा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तोड़-फोड़ और मारपीट तो स्वाभाविक है। शिक्षा हमारी समस्याओं के समाधान के बदले स्वयं समाज की एक समस्या बन गई है। आज विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन उनकी योग्यता, चरित्र एवं शैक्षणिक क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण नहीं बल्कि जाति, सम्प्रदाय और दल तथा व्यक्तिगत सम्बन्धों के बल पर होता है। विश्वविद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहभागिता के अभाव में कुप्रबन्ध और कुशासन बढ़ते हैं।

स्वयं पंडित नेहरू ने शिक्षा की सार्थकता की बातें तो बहुत कीं लेकिन उसकी बुनियादी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना को बदलने का दृढ़ संकल्प ही प्रदर्शित नहीं किया।

आज उसका परिणाम है कि शिक्षा जगत में राजनीति का भ्रष्ट स्वरूप सर्वत्र देखने को मिलता है। साथ ही शिक्षा के नाम पर हो रही खानापूर्ति, दुकानदारी, डिग्री दौड़ और रस्म अदायगी राष्ट्रीय विकास या सामाजिक परिवर्तन का प्रयास नहीं हो सकती।

पंडित नेहरू 1957 में जापान गये थे। विकास के जापानी मॉडल ने उन्हें दीवाना बना दिया था। स्वदेश वापस लौटते ही उन्होंने देशभर के मुख्यमंत्रियों के नाम पत्र लिखे। जापान के तमाम अनुभवों के साथ उन्होंने जापानी शिक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया था। सच तो यह है कि नेहरू जी ने इसी मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया था। उन्हें ये जानकर अच्छा लगा कि जापान में समूची शिक्षा सरकारी है यानि शिक्षा राज्य का विषय है। दूसरे, वहां शिक्षा के मामले में किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। नेहरू जी सबसे ज्यादा प्रभावित इस बात से थे कि जापान के सम्राट और आम आदमी के बेटे को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है।

मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आखिर नेहरू जी क्या कहना चाहते थे? क्या वह सचमुच चाहते थे कि जापानी शिक्षा का "बिरवा" यहां रोपा जाये? अगर ऐसा था तो उसे भारत में लागू करने में नेहरू जी को क्या दिक्कत पेश आ रही थी? वह अब तक के सबसे मजबूत प्रधान मंत्री थे। सरकार से लेकर संगठन तक और समूचे देश में उनकी तूती बोलती थी। ऐसा नहीं था कि वह जो चाहें उसे कर ही नहीं पायें। तब उन्होंने इस दिशा में कोई काम क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने देश में शिक्षा के दोहरेपन को चलाया?

दरअसल, नेहरू जी एक किस्म में दुविधा में थे। उनका समाजवादी मन चाहता था कि पूरे देश में एक ही तरह की शिक्षा-व्यवस्था हो, लेकिन उनका दूसरा मन इसे नकारता था—आखिर वह थे तो पब्लिक स्कूलों की देन, बड़े और खास स्कूलों में पढ़ने वाले। जब उनकी सरकार ने तय किया कि स्कूली स्तर पर दोहरा ढांचा चलाया जाएगा, तभी यह बात साफ हो गयी थी कि आज नहीं तो कल उच्च शिक्षा भी निजी हाथों में चली जायेगी। उसकी वजह यह थी कि निजी स्कूलों में सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। तिकड़म ज्यादा हो पाएगी। ऐसी स्थिति में बेहतर स्तर तो हासिल कर ही लेंगे। जब धीरे-धीरे समाज में यह संदेश जाएगा कि सारी अच्छाइयां तो निजी स्कूलों में हैं तो यह मांग भी कभी उठेगी ही कि अगर स्कूलों की तरह उच्च शिक्षा भी निजी हाथों में चली जाये तो वहां के स्तर में भी सुधार आएगा। इस तरह उच्च शिक्षा भी धन्ना सेठों के कब्जे में चली जाएगी।

एक खास किस्म के वर्ग और पैसे वालों ने मिलकर शिक्षा को अपने कब्जे में कर लिया है। इन लोगों ने पहले स्कूली शिक्षा में तबदील कराया। अब सरकार कालेज और विश्वविद्यालय को दुकान बना देने का लाइसेंस देने जा रही है।

आज पंडित नेहरू की दुविधा को समझा जा सकता है। अगर उस वक्त जापानी अनुभव के बाद उन्होंने शिक्षा के दोहरेपन को तोड़ दिया होता तो समूची शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण की बात ही नहीं उठती।

आज शिक्षा अर्जित करने की नहीं बल्कि खरीदने की वस्तु बन गई है। कीमत चुका कर हम कोई भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। पहले शिक्षक बिकाऊ नहीं होते थे परन्तु बदलते आर्थिक परिवेश में कुछ शिक्षक भी बिकाऊ हो गये हैं और जब से यह सिलसिला शुरू हुआ है वे खुद को सरकार का मात्र नौकर मानकर अपनी जिम्मेदारियां भूल गये हैं। पहले शिक्षक शिष्य के अच्छे-बुरे के प्रति स्वयं जिम्मेदारी महसूस करते थे परन्तु जब से शिष्य ने शिक्षा को सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का माध्यम मान लिया है तब से शिक्षक भी शिक्षा के भविष्य के निर्माता नहीं रहे।

हमारी शिक्षा महज औपचारिक शिक्षा ही है। इसका स्वरूप ऐसा नहीं है कि वह विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सक्षम बना दे। इसलिये देश में बेरोजगारी की समस्या दिनों-दिन विकराल होती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि शिक्षा का स्वरूप बदला जाये। इसके लिये प्राथमिक कक्षा के बाद अंशकालिक, अल्पकालिक, पूर्णकालिक व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान रखा जाए।

आजादी के पचास वर्षों का सच यह है कि आज गुलाम भारत से भी ज्यादा निरक्षर लोग हमारे यहां हैं जबकि संविधान 10 वर्षों में सबको साक्षर बनाने की बात कहता है। हमारे संविधान में सरकार को 10 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण राष्ट्र में 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया था। 10 वर्ष तो क्या आज 50 वर्ष की अवधि में इस निर्देश को लागू करना असंभव लग रहा है। भारत में आज भी करोड़ों बच्चे पाठशाला का मुंह तक नहीं देख पाते हैं। अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था में असफलता से भी अधिक गंभीर बात आज के लाखों विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों और राजनीतिक इच्छा के अभाव में दी जा रही अधकचरी शिक्षा है।

वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप पूर्णत: केन्द्रीय स्वरूप है। इसमें सारा संचालन राज्य की राजधानी से होता है। सम्पूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तम्भ—शिक्षकों की भूमिका एक मेगामशीन के महत्वहीन छोटे पुर्जे जैसे बना दी गई है, जिसका एकमात्र कर्त्तव्य ऊपर से आये आदेशों का पालन करना होता है। क्या पढ़ाया जाता है, कैसे

पढ़ाया जाता है, इसका निर्धारण वह नहीं, सचिवालय में बैठे ऐसे उच्चाधिकारी करते हैं, जिनका शिक्षा से बहुत कम सम्बन्ध होता है। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारी वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था गंभीर विकृतियों से ग्रसित है।

आज हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। शिक्षा न तो सबों के लिए उपलब्ध हो सकी है और न ही सुलभ। न तो शिक्षा के स्तर में अपेक्षित सुधार हुआ है और न ही अशिक्षा का अंत। आजादी के 50 वर्ष बाद भी 48 प्रतिशत हिस्सा अशिक्षित है।

हमारी शिक्षा पद्धति की नाजुक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ विदेशी और स्वयं अपने देश के प्रबुद्ध आलोचकों का तो यहां तक कहना है कि भारत के पास कोई शिक्षा पद्धति है ही नहीं बल्कि मात्र परीक्षा पद्धति है। समस्त शिक्षण संस्थान मात्र एक कोचिंग संस्थान बन कर रह गये हैं। शिक्षण संस्थान को इन दोषों से बचाने के लिए विश्व के अनेक शिक्षाविदों का कहना है कि परीक्षा पद्धति को समाप्त किया जाए। महामहिम राष्ट्रपति, श्री के.आर. नारायणन जब उपराष्ट्रपति के पद पर थे तो उन्होंने राज्य सभा में अपने पहले भाषण में यही तथ्य रखा था कि स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा निकाय से रह कर टार्चर निकाय बन चुका है जिससे बच्चों को मुक्त कराना आवश्यक है। आज प्रतियोगिता परीक्षा में असफल छात्रों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि उनके दिल में बैठा परीक्षा का भय। एक-तिहाई या आधे छात्र-छात्राओं को आज स्कूल उबाऊ, अप्रासंगिक और डरावना लग रहा है। स्कूल बैग का बढ़ता बोझ, ढेर सारा होमवर्क आज निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज से लगभग दो वर्ष पूर्व तत्कालीन केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री माधवराव सिंधिया ने यह विचार रखा था कि कक्षा आठ से पूर्व परीक्षा में किसी छात्र को फेल घोषित करना या उन्हें परीक्षा से वंचित रखना ठीक नहीं है। इस पद्धति को समाप्त करना परम आवश्यक है।

वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोषों को अनेक शिक्षा आयोगों जैसे राधाकृष्णन आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग आदि ने इंगित किया है। परन्तु इनमें सुधार हेतु अभी तक कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इन शिक्षा आयोगों ने यह तथ्य सामने रखा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति द्वारा छात्रों की वास्तविक योग्यता को नहीं आंका जा सकता है। वर्तमान पद्धति छात्रों के चरित्र बल, नेतृत्व, क्षमता, वीरता आदि के मूल्यांकन में सर्वथा असफल है।

आज हम आजादी की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मना रहे हैं। जरूरत है अपनी शिक्षा नीति को समय के अनुरूप ढालने की। क्लर्क और बेरोजगार पैदा करने वाले मैकाले की शिक्षा नीति से पीछा छुड़ाने का। यदि हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार कर सकें तो यह आजादी की स्वर्ण जयंती वास्तविक अर्थों में होगी।



श्री गंगा चरण राजपूत

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर लिखे गये। इतिहास के पन्नों पर यह अंकित है कि उन्होंने जेल की यातनाएं सही थीं, देश को आजाद कराने के लिए पुलिस का जुल्म सहा था और जिनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारे स्पीकर महोदय ने हमारे सभी नेताओं की सलाह पर यह विशेष अधिवेशन बुलाया है इसके लिए मैं अपने स्पीकर साहब संगमा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया है। उनको यह महसूस हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का जो सपना था, वह अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हो पाया। जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना चाहिए था, उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाये। आज उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने इस अधिवेशन को आहूत किया। आज यह अधिवेशन बुलाया गया कि हम आत्मलोचन करें कि वे कौन से कारण हैं कि आज हम दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े मुल्कों में गिने जाते हैं। जो देश हमसे बाद में आजाद हुए थे, वे तरक्की कर गये हैं। वे मुल्क आज दुनिया में विकासशील देशों में गिने जाते हैं, उन देशों में बेरोजगारी समाप्त हो गई, आज वहां अशांति नाम की कोई चीज नहीं है, वहां हर गांव में बिजली और सड़क है, हर आदमी के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था है, फिर हमारे देश में कौन-सी कमी थी, खामियां थीं, हमारी व्यवस्था में कौन सी खामियां रहीं जिनके कारण आज हम दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में गिने जा रहे हैं। उन कारणों में सबसे बड़ा कारण मैं यह समझता हूं कि आजादी के 50 सालों में हमारी सरकारों ने देश के नौजवानों की उपेक्षा की, अपमान किया और उनके साथ विश्वासघात किया। हमारे देश का इतिहास नौजवानों के खून से लिखा गया था।

मैं यहां 1857 का जिक्र करना चाहता हूं जब मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में बगावत का बिगुल बजा था। मेरठ से वह आग हमारे बुन्देलखंड तक पहुंची जहां महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, वहां की गरीब जनता, मजदूर और किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था। मंगला की महारानी अवंतिबाई भी बुन्देलखंड की रहने वाली थीं। बुन्देलखंड आजादी की लड़ाई में कहीं पीछे नहीं

रहा। वहां 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इतना खून बहा कि बुन्देलखंड की धरती तक लाल हो गई। आजादी के 50 साल बीत जाने के बाद, हम बुन्देलखंड की जनता को आज तक पानी भी मुहैया नहीं करा पाए। आज वहां के निवासी पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं।

महारानी लक्ष्मीबाई नौजवान थी, महारानी अवंतिबाई भी नौजवान थी और उनकी नौकरानी झलकनबाई भी नौजवान थी। वहां नौजवानों का लहू बहा। हिन्दुस्तान की धरती को कहीं भी कुरेद कर देख लीजिए, वहां हमें नौजवानों का लहू मिलता है—चाहे सरदार भगत सिंह हों, अशफाक उल्लाह खां हों, पंडित बिस्मिल हों, चन्द्र शेखर आजाद हों वे सब नौजवान थे। राष्ट्रपिता ने आजादी की लड़ाई के समय नौजवानों का आह्वान किया था और कहा था कि नौजवानों विद्यालय छोड़ो तथा देश की आजादी के लिए सड़कों पर निकलो। उनके आह्वान पर देश का नौजवान अपनी पढ़ाई-लिखाई और विद्यालय छोड़कर, देश को आजाद कराने के लिए सड़कों पर निकल आया था। हजारों की संख्या में नौजवान शहीद हुए थे, यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चे अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर आ गए थे। वे अंग्रेजों की गोलियां खाकर जमीन पर गिर जाते थे लेकिन तिरंगे झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देते थे।

आजादी के बाद जब हमें आजादी मिली, यहां हमारी सरकार बनी, हमारे नौजवानों का जो सपना था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो सपना था, वह अधूरा रह गया। नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ। आज भी देश में वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू है जो इसलिए लागू की गई थी ताकि भारत को सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम बनाकर रखा जा सके। नौजवानों की समस्याओं पर विचार नहीं किया गया, यहां तक कि आजादी के 50 सालों में अभी तक किसी सरकार ने युवा नीति घोषित नहीं की जबकि इस बीच कई सरकारें आईं और चली गईं। यहां विदेश नीति बनी, उद्योग नीति बनी, व्यापार नीति बनी, कृषि नीति बनी लेकिन किसी सरकार ने आज तक युवा नीति नहीं बनाई—इसके क्या कारण हैं? क्या आजादी की लड़ाई में देश के नौजवानों ने कोई योगदान नहीं दिया?

जब कोई नेता विपक्ष में आ जाते हैं, सिंहासन से उतरने के बाद, हर विपक्ष के नेता नौजवानों का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि देश की आजादी, एकता, अखंडता और सम्प्रभुता खतरे में है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, तुम हमारा साथ दो। अबकी बार हमारा साथ दे दो, हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे, अशिक्षा को समाप्त कर देंगे। जब हमारे नौजवान उन नेताओं पर विश्वास करके, स्कूल-कालेज छोड़कर, उनके साथ लग जाते हैं, सत्ता में परिवर्तन इस आशा और विश्वास से लाते हैं कि शायद वे नेता हमारी तकदीर और तसवीर को बदल देंगे, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे, हमारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर दें, लेकिन सत्ता बदलते ही, सत्ता में आने के बाद, जैसे ही नेता कुर्सी पर बैठते हैं, वे नौजवानों से किए वायदे भूल जाते हैं।

सभापति महोदय, जब नौजवान याद दिलाते हैं कि आपने हमसे वायदा किया था कि दोहरी शिक्षा पद्धति को समाप्त करेंगे, आपने हमसे वायदा किया था कि हम शिक्षा को मौलिक अधिकार में बदलेंगे, आपने हमसे वायदा किया था कि हम काम को मौलिक अधिकार में बदलेंगे, हम बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं है। हमारी मांगों को पूरा करिए। हमने आपको सत्ता में बैठाने के लिए अपना लहू बहाया है। अपनी पढ़ाई को बर्बाद किया है, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है। आप हमारी मांगों को पूरा करिए। नेता मुकर जाते हैं। जब नौजवान आंदोलन करते हैं तो वही नेता नौजवानों के ऊपर लाठी और गोली चलवाते हैं, जेल के सीखचों में बंद कर देते हैं। नौजवानों को सत्ता से जानबूझकर दूर रखा गया। उनको बताया गया कि राजनीति अच्छी चीज नहीं होती है। तुम न राजनीति करो और न राजनीति समझो। जब नौजवानों के सपने पूरे नहीं होते हैं, तो फिर वह किसी नेता का दामन पकड़ता है, फिर सत्ता परिवर्तन होता है। इसी तरह से देश में सत्ता परिवर्तन नौजवानों की ताकत पर हुए हैं।

मुझे जहां तक याद है, मैं छोटा ही था। जब लोक नायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में नौजवानों और छात्रों ने आन्दोलन किया। नौजवानों को कितना विश्वास था। उस आंदोलन के दौरान नौजवानों ने क्या-क्या सपने संजोए थे कि हम कांग्रेस की भ्रष्ट हुकूमत को पलट कर एक नई व्यवस्था बनाएंगे, एक नया शासन लाएंगे। हम कांग्रेस की तानाशाही को समाप्त कर देंगे, कितने नौजवान जेलों में डाले गए, लेकिन मुझे याद है, सभापति महोदय, जब सत्ता में परिवर्तन हुआ, नई जनता पार्टी की सरकार बनी। यहां पर हमारे बेनी प्रसाद वर्मा जी भी बैठे हुए हैं। ये हमसे बहुत सीनियर हैं। जब हम एल.एल.बी. किया करते थे, इनकी भी उस समय पढ़ाई छूट गई थी, तो उन्होंने हमारे साथ आकर लखनऊ विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. किया था हमने वर्मा जी से पूछा कि आप हमसे इतने सीनियर हैं, आपकी इतनी उम्र हो गई, एल.एल.बी. करने अब क्यों आए हैं, तो कहा कि जे.पी. मूमेंट में हमारी पढ़ाई छूट गई।

सभापति महोदय, उस मूवमेंट का जो हश्र हुआ, नौजवान जब खड़ा हुआ कि हमको भी एम.एल.ए. और एम.पी. का टिकट चाहिए, तो लोग मुकर गए। उस समय नेताओं ने कहा कि तुम्हारा काम एम.एल.ए. और एम.पी. बनना नहीं है। तुम स्कूलों में वापस जाओ और अपनी पढ़ाई करो। हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नौजवानों ने सोचा यह हो सकता है। ऐसा ही हो, लेकिन उस सरकार में फिर वही लोग आ गए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिनके ऊपर इमरजेंसी लगाने का आरोप था, जिनके ऊपर लोकतंत्र को समाप्त करने का आरोप था। वे कांग्रेस छोड़कर रातोंरात जनता पार्टी में शामिल हो गए। वह सरकार भी ढाई साल चली। नौजवानों का सपना अधूरा रह गया। चाहे राइट टु वर्क हो, चाहे राइट टु एजूकेशन हो, चाहे बेरोजगारी के भत्ते का सवाल हो। नौजवानों की एक भी मांग पूरी नहीं की गई थी। हम लोगों को याद है जब हम लोगों ने उस समय निकलकर सड़कों पर आंदोलन किया था। हम पर पुलिस ने लाठियां और गोलियां चलाई थीं और हमको जेल के सीखचों में बंद कर दिया था।

सभापति महोदय, मैं हाईस्कूल में पढ़ता था। उसके बाद फिर एक सैलाब आया। संजय गांधी के नेतृत्व में नौजवानों के कारण फिर परिवर्तन हुआ। उस समय नौजवानों की कोई पूछ नहीं होती थी। संजय गांधी ने इतना तो जरूर किया कि राजनीति में नौजवानों का दाखिला करा दिया और नौजवानों को टिकट मिलने लगे। उस समय पहले बहुत-सो पार्टियों में युवा विंग नहीं हुआ करती थी। उसके बाद हर पार्टी में युवा मोर्चा, युवा विंग बनने लगी। लेकिन मुझे मालूम है। मैं भी छः साल युवा जनता दल का अध्यक्ष रहा हूं। मुझे मालूम है सारे नौजवानों का दर्द। युवा मोर्चा बना दिया जाता है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं होता, उसे गुलाम बनाकर रखा जाता है। उन्हीं नौजवानों को टिकट दिया जाता है जो बड़े नेताओं की अटैची उठाते हैं, जो उनकी जिंदाबाद बोलते हैं।

सभापति महोदय, 1989 में देश में जो भ्रष्टाचार था फिर उसके खिलाफ आंदोलन हुआ।

रात्रि 11.00 बजे

देश के नौजवान ने एक बार फिर विश्वविद्यालय छोड़ा। सत्ता में परिवर्तन लाया लेकिन देश का भ्रष्टाचार नहीं मिटा। भ्रष्टाचार की जड़े इतनी गहरी हैं कि जो भी प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठता है, वह भ्रष्टाचार की बात करना भूल जाता है। मैं श्री गुजराल साहब जी को जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि भ्रष्टाचार हटेगा या नहीं हटेगा लेकिन वे भ्रष्टाचार की बात जरूर कर रहे हैं। आज नौजवान का जो हश्र हुआ है, उसी हश्र का परिणाम है कि इस देश की दुर्गति हो रही है। आज नौजवान की दो समस्यायें हैं। एक शिक्षा और दूसरा रोजगार। मैं शिक्षा के विषय में थोड़ा-सा प्रकाश डालूंगा।

सभापति महोदय : आप जल्दी करिये क्योंकि आपका समय समाप्त होने वाला है।

श्री गंगा चरण राजपूत : मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

आज भी देश में 2,628 ऐसे प्राथमिक विश्वविद्यालय हैं जिनमें कोई टीचर नहीं है और 14,833 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें मात्र एक टीचर है। जिस देश में ऐसे विद्यालय हों जिसमें अध्यापक ही न हों तो उस देश की स्थिति के बारे में कुछ कहना निरर्थक होगा। वह ऐसे होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना।

सभापति महोदय, इस देश में साक्षरता का जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस देश में केवल 52 फीसदी लोग साक्षर हैं और 48 फीसदी लोग निरक्षर हैं। जो लोग साक्षर हो गये हैं उनकी भी एक समस्या है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब नौजवान 25 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद करता है, अपनी मां-बाप की गाढ़ी कमाई बर्बाद करता है और इस आशा के साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डाक्टरी या इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करता है कि बुढ़ापे में अपने बूढ़े मां-बाप का सहारा बनेगा। गांव के गरीब किसान और मजदूर जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऊंची शिक्षा दिलाते हैं तो उन बच्चों की शिक्षा के लिए अपने पुरखों की जायदाद इस आशा के साथ गिरवी रख देते हैं कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वह नौजवान जब डिग्रियां लेकर रोजगार की तलाश में शहरों में आता है, किसी एम.एल.ए., किसी एम.पी., किसी मंत्री के यहां चक्कर काटता है और रोजगार के लिए उनके दरवाजे पर अपने स्वाभिमान को बेचकर दस्तक देता है तो वहां उसे अपमान और जलालत के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जब वह वापिस गांव लौटकर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके पास अपने मां-बाप को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होता। इस कारण वह नौजवान या तो नशे की लत में पड़कर अपनी जिंदगी को तबाह कर देता है या कंधे पर बन्दूक रखकर डाकू बन जाता है या उग्रवादी बन जाता है। यदि सरकार ने नौजवानों की इन समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया, नौजवान के पेट की भूख को शांत नहीं किया गया तो एक दिन उनके पेट की आग उनके दिमाग में लग जायेगी और वह संविधान और कानून की किताबों को जलाकर राख कर देगा।

आज कश्मीर में, पंजाब में या नार्थ ईस्ट में उग्रवाद की जो समस्या है, वह सरकार की गलत नीतियों के कारण है। वहां के नौजवान की शिक्षा और रोजगार की समस्याओं को हल नहीं किया गया इसलिए आज वहां का नौजवान विदेशी ताकत के हाथ में बिक रहा है। वह अपने जमीर को बेच रहा है और यदि यही हाल रहा तो पूरा देश उग्रवाद की चपेट में आ जायेगा। इस देश को कोई बचा नहीं पायेगा। इस देश में हम कुछ करें या न करें लेकिन सरकार को सबसे पहले युवा नीति की घोषणा करनी चाहिए। शिक्षा को मौलिक अधिकार में बदलना चाहिए। काम पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार में बदलना चाहिए तभी सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

हम दुनिया के और भी तमाम देशों में जाते हैं। अभी क्यूबा में यूथ फैस्टीवल था। हमारे तमाम युवा साथी, कम्युनिस्ट साथी श्री समिक लहरी भी गए थे। दुनिया के करीब पौने दो सौ देशों के नौजवान लड़के और लड़कियां वहां आए थे। क्यूबा में 100 प्रतिशत साक्षरता थी। वहां कोई भी नौजवान बेरोजगार और अशिक्षित नहीं था। हमारी टैक्सी का ड्राईवर भी नेवी इंजीनियर था। वह हमसे बाद में आजाद हुआ है। एक हमारा मुल्क है जहां आज 48 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं और साढ़े तीन करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में सबसे अधिक रोजगार मुहैया करा सकता है। हमारी सरकार की जो कुल आमदनी है, कुल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 32 प्रतिशत के करीब है। लेकिन सरकार कृषि पर 20 प्रतिशत खर्च करती है। यही कारण है कि आज हमारे किसानों की हालत बहुत खराब है। जो किसान खेत में हल चलाता है, तीन महीने बाद उसके घर में भी अन्न का दाना नहीं होता। जो नौजवान गाय-भैंस चराता है, उसे खाने-पीने के लिए कभी घी-दूध का दर्शन नहीं होता। जो नौजवान मिल में कपड़ा बनाता है, हमने उसके तन पर कभी अच्छा कपड़ा नहीं देखा। जो नौजवान

जूता बनाता है, उसके पैर में हमने कभी अच्छा जूता नहीं देखा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज कृषि में क्षमता है। यदि हम इस क्षेत्र को सिंचाई के पर्याप्त साधन मुहैया कराएं, इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करें, गांवों को सड़कों से जोड़ें, वहां पर्याप्त समय किसानों को बिजली मिले, उन्नत किस्म के बीज और खाद मिले तो आज कृषि क्षेत्र में इतनी क्षमता है कि इससे 60 प्रतिशत बेरोजगारी दूर हो सकती है। उद्योगों के विकास से देश की गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि के विकास से ही देश की बेरोजगारी और गरीबी को दूर किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

मैं अपने कांग्रेस साथियों से क्षमा चाहता हूं। कुछ पार्टियों ने कहा है कि देश का बहुत विकास हुआ है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां आज हवाई जहाज बनने लगा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वे आंकड़े सबके पास होंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर : नेताओं की बैठक में तय हुआ है कि कोई एक-दूसरे पर आक्षेप न करे।

श्री गंगा चरण राजपूत : अच्छा, ठीक है।

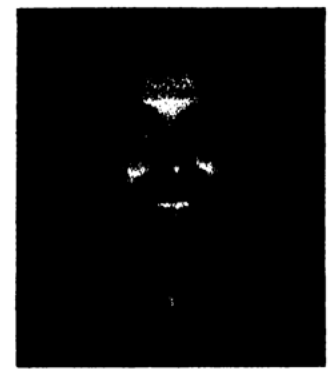
मैं दो शब्द साइंस और टैक्नोलौजी के बारे में बताना चाहता हूं। साइंस के बिना विकास संभव नहीं है। हमारे किसी भी जिले में साइंस की अच्छी प्रयोगशालाएं नहीं हैं। वहां अच्छी प्रयोगशालाएं बननी चाहिएं। साइंस के विद्यार्थियों को अच्छी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, उनके लिए पूरी सुविधाएं जुटानी चाहिएं। हमारे देश में साइंस ने बहुत प्रगति की है लेकिन अभी पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। हमारी प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं। आज डाक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट्स विदेशों में जा रहे हैं। उनके पलायन को रोकना चाहिए, उनकी समस्याओं का सम्मधान करना चाहिए।

मैं किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश में जो हरित क्रांति आई है, देश की जो भूख मिटी है, वह किसानों की मेहनत के बल पर मिटी है। जहां 1950 में 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था वहीं 1996 से 19.5 करोड़ टन अनाज किसान पैदा कर रहे हैं।

मैं इन शब्दों के साथ सदन के माध्यम से देश के नौजवानों का आह्वान करता हूं कि नौजवानी बार-बार नहीं मिलती। एक बार बुढ़ापा आने के बाद कुबेर का धन भी इस जवानी को वापिस नहीं दिला सकता। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, सरकार कुछ करे या न करे, हमें सरकार के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, इस देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए, इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए आज नौजवानों को लामबंद होकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए, देश में जातिवाद, देश में साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए और सरकार से आशा किये बगैर ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने बहुत टाइम ले लिया, आपको खत्म करना चाहिए।

श्री गंगा चरण राजपूत : मैं नौजवानों का आह्वान करता हूं कि वे सड़कों पर निकलें और ऐसी सरकार बनायें, ऐसी व्यवस्था बनायें, जो देश को मजबूती प्रदान कर सके, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सके।



श्री विजय गोयल

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति जी, मुझे अपना भाषण सभा पटल पर रखना है। देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अधिवेशन में मैं अपना भाषण सदन के सभापटल पर रखता हूं। इस पर मेरे दस्तखत हो गये हैं।

आदरणीय सभापति जी, मैं लोक सभा के अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर एक विशेष छह दिन का अधिवेशन बुलाया है। यदि सदन इन छह दिनों में गंभीरता से देश की समस्याओं पर विचार करता है तो निश्चित ही यह ऐतिहासिक अधिवेशन होगा।

स्वतंत्रता के 50 वर्षों का लेखा-जोखा देखें तो हम पायेंगे कि इस देश में जहां तक 50 वर्षों में हमने प्रजातंत्र की मजबूत नींव रखी, वहीं राजनीतिक एवं भौगोलिक आजादी तो मिली, पर आर्थिक आजादी नहीं मिली।

कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान इस देश की आजादी में रहा है। तब कांग्रेस एक राजनैतिक पार्टी नहीं थी, एक आन्दोलन था। कांग्रेसी का मतलब था चरित्रवान है, कांग्रेसी का मतलब था ईमानदार है, भ्रष्ट व बेईमान नहीं है। कांग्रेसी का मतलब था आदर्शवान है। जिस कांग्रेस की यह पहचान थी, उसका आज क्या स्वरूप है, वह बताना चाहता हूं। गत लोक सभा चुनावों में मेरे खिलाफ एक कांग्रेस का उम्मीदवार था, जिसे मैंने पराजित किया था। उनके चुनावी घोषणा-पत्र के बाहर सरदार पटेल का फोटो था, मौलाना आजाद का था, लाल बहादुर शास्त्री का था, सुभाष व इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी का फोटो था, पर महात्मा गांधी का फोटो नहीं था। मैंने किसी कांग्रेसी से पूछा कि गांधी जी का फोटो क्यों नहीं है तो कहने लगे, महात्मा गांधी

कहते थे, शराब छोड़ दो, भ्रष्टाचार छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो। ये कांग्रेसी कहने लगे, इतनी सारी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, महात्मा गांधी को छोड़ दो, इसीलिए महात्मा जी का फोटो नहीं है।

आज 50 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी भी राजनैतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक आन्दोलन है। लोग ऐसी पार्टी से आज के समय में आशा लगाये बैठे हैं, जो देश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से बचाये। मैं इस अवसर पर उन सब वीरों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस देश की माटी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। जिनका त्याग रहा, इस देश को बचाने व संवारने में। चाहे वे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पं. नेहरू, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि हों।

इस देश में प्रजातंत्र तो आया पर आम आदमी को इस प्रजातंत्र से क्या मिला, इस पर हमें विचार करना होगा। उस आदमी का प्रजातंत्र पांच साल के चुनाव में नहीं है। उसका प्रजातंत्र तो कोर्ट में है, पुलिस में है, पटवारी में है। क्या 50 सालों में आम आदमी को कचहरियों से हम न्याय दिलवा पाये? आज कचहरियों में 10-10 साल तक आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। सरे आम बलात्कार हो, छुरा घोंप दिया जाये, डकैती हो जाये, सरे आम हत्या कर दी जाये, फिर भी न्याय नहीं मिलता। कोर्ट गवाही मांगती हैं। दस साल बाद किसको गवाह मिलेगा। चप्पल घिस जाने पर भी हम गरीब को न्याय नहीं दे पाये हैं। हमें अपने न्याय का तरीका बदलना होगा। न्यायालयों में ज्यादा जल्दी निर्णय करवाने होंगे। हजारों नहीं, लाखों मुकदमे आज कोर्टों में धूल चाट रहे हैं। यदि हम आम आदमी को कचहरी में न्याय नहीं दिलवा पाते तो प्रजातंत्र का क्या मतलब है। इस प्रजातंत्र के 50 वर्षों में आम आदमी की थानों में क्या दशा है। आम आदमी को प्रजातंत्र का मतलब तभी समझ में आता है, जब उसे पुलिस से थाने में न्याय मिले। क्या हम नहीं जानते कि आम आदमी को थाने में क्या सम्मान मिलता है। वहां जानवरों की तरह व्यवहार होता है। बिना दलील अपील के उसे जेल में ठूंस दिया जाता है। थाने में जाते हुए उसे डर लगता है।

आम आदमी का प्रजातंत्र उसके जिले में है, पटवारी में है। गरीब की जमीन-मकान यदि सुरक्षित हैं तो प्रजातंत्र है। और यदि उसकी समस्यांओं को जिलाधीश सुन ही नहीं रहा, कलैक्टर से वह मिल नहीं सकता, उसको सरकारी दफ्तर में न्याय की आशा ही नहीं रह गई तो क्या हम कहेंगे कि हमारा देश आजाद है।

आज भारत की 80 प्रतिशत जनता गरीब आम परिवारों से है। यदि हम उसे न्याय नहीं दे पा रहे हैं, यदि हम उसकी समस्याएं हल नहीं कर पा रहे हैं तो कहां की आजादी हैं। प्रजातंत्र की मजबूत बुनियाद रखनी है तो न्यायपालिका-जजों का ढांचा बदलना होगा। प्रजातंत्र के तीन स्तम्भों, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में, जहां न्यायपालिका में न्याय मिलने में आम आदमी को 10-10 साल लग रहे हैं, पर बड़े मुकदमों का फैसला चंद महीनों में हो रहा है। न्यायपालिका में जब पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने तीन न्यायधीशों की वरिष्ठता को लांघकर चौथे की नियुक्ति की थी, तब प्रश्नचिन्ह लगा था। जब एक न्यायाधीश पर संसद् में इम्पीचमेंट हुआ था, तब प्रश्नचिह्न लगा था।

प्रजातंत्र का दूसरा स्तम्भ कार्यपालिका आज आम आदमी का शोषण कर रहा है। कार्यपालिका का हनन तो 1967 के उपरान्त आरम्भ हो गया, जब व्यक्तियों को कार्य, योग्यता के कारण नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत निष्ठा के कारण लगाया जाने लगा। राजनीतिक नेताओं को इस व्यक्तिगत निष्ठा के व्यक्तियों का सहारा इसलिए लेना जरूरी हो गया, क्योंकि कार्यपालिका के निरंकुश अफसर का सहयोग बहुत कम होता चला गया है। मैं पूछना चाहता हूं क्या एक-एक मंत्री 13-13 जोइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी को संभाल सकता है? क्या एक मंत्री अपने विभाग के सब संगठनों, समितियों को अकेला संभाल सकता है? शायद नहीं, इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के पंचायत से लेकर प्रधान मंत्री तक हर विभाग, हर समिति, हर सरकारी संगठन, हर सरकारी उद्योग में जन-प्रतिनिधि होने चाहिएं। चाहे वे चुने हुए जन-प्रतिनिधि हों या चुने हुए जन-प्रतिनिधि के मनोनीत सदस्य हों।

सरकार के हर स्तर पर पब्लिक के नुमाइंदे होने चाहिए, नहीं तो निरंकुश होती ब्यूरोक्रेसी पर कौन अंकुश लगायेगा। आज किसी विभाग को पत्र लिख दें, जवाब आ जायेगा, आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा रहा हूं। क्या हम आशा कर सकते हैं कि आम आदमी को सरकारी कार्यालय में न्याय मिलता होगा। आज प्रजातंत्र में तंत्र प्रजा पर हावी है। आज एक निर्वाचित प्रतिनिधि का बुरा हाल है।

[अनुवाद]

सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही तो एक राजनीतिज्ञ की मानी जाती है किन्तु अधिकार उसे कुछ भी नहीं दिये जाते। जबकि नौकरशाहों को अधिकार तो सभी प्राप्त हैं किंतु कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं है।

[हिन्दी]

यह हमारे देश की दशा है। राजनैतिक चुने हुए प्रतिनिधि के पास इतने साधन तक हमने नहीं दिये हैं कि वे जनता की ठीक तरह सेवा कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नैतिकता के दो मापदंड होंगे? एक निर्वाचित प्रतिनिधि पर यदि छोटा सा आरोप भी लग जाये तो इस्तीफा देने की बात कही जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है, वह अपमानित होता है, पर दूसरी ओर यदि एक आई.ए.एस. आफिसर की सी.बी.आई. द्वारा जांच के आदेश भी हो जायें, तब भी वह त्याग-पत्र नहीं देता। उसे त्याग-पत्र देने के लिए नहीं कहा जाता। मैं तो कहता हूं कि दोनों ही मामलों में त्याग-पत्र होना चाहिए। पूरी कार्यवाही की जानी चाहिए।

50 वर्षों में एक समय तब था, जबकि नैतिकता की बात पर पंडित नेहरू के समय टी.टी. कृष्णामाचारी जी, जो वित्त मंत्री थे, ने त्याग-पत्र दिया, जब फिरोज गांधी ने उस पर आरोप लगाये थे। केशवदेव मालवीय ने त्याग-पत्र दिया। एक रेल दुर्घटना पर लाल बहादुर जी ने त्याग-पत्र दिया। आज सरकारी काम-काज के कारण तो दूर रहा, आरोपों में फंसे होने के कारण भी त्याग-पत्र नहीं देना चाहते। देश में आज प्रजातंत्र से पहले राजनैतिक पार्टियों में प्रजातंत्र आना आवश्यक है। पार्टियों में कई-कई सालों तक चुनाव नहीं हुए। नेताओं को थोपा जाने लगा, खरीद-फरोख्त बढ़ गई। आज चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है कि किस-किस पार्टी के कितने एम.एल.ए, एम.पी. हैं, जिन पर गंभीर आरोप हैं, मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए पार्टियों को अपने अन्दर झांकना होगा।

हमारी संसद पर आज गंभीर जिम्मेदारी है। किसी ने मुझसे पूछा कि संसद् क्या है? मैंने कहा, संसद लाटरी, दौड़ और अनुरोध करने का खेल है। आपका प्रश्नोत्तर काल, 377, बिल इत्यादि सब लाटरी में निकलते हैं। दौड़ कर आपको अपना प्रश्न, बिल पहुंचाना होता है। और भी लोक सभा अध्यक्ष से रिक्वैस्ट करते रहिये कि वे आपको बोलने की इजाजत दें। इसलिए जो संसद् स्वयं लाटरी पर चलती है, वह कैसे न्याय देगी, कैसे गंभीर मुद्दे संसद् में उठेंगे?

आज लाटरी की महामारी पूरे देश को खा रही है। लाटरी के कारण लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं। 124 सांसदों ने हस्ताक्षर किये, पर आज तक इस केन्द्रीय सरकार ने लाटरी बंद नहीं की है।

आज 50वीं वर्षगांठ पर हम प्रण करें कि लाटरी, शराब, गरीबी, इनसे हम देश को छुटकारा दिलायें और लोगों में अच्छे संस्कार दें।



श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदय, आज देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ में स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्पीकर महोदय, ने जो यह चर्चा रखी है और आज 50 वर्ष के बाद मंथन करने का यहां मौका मिला, मैं सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने इतना त्याग और बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया।

मैं आज अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज से 50 वर्ष पहले जब हिन्दुस्तान का, भारतवर्ष का संविधान बन रहा था, सब स्वतंत्रता संग्राम के शीर्षस्थ नेता उस संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें से एक छोटे से किसान के घर पैदा हुए और जेल से, अंग्रेजों की कालकोठरी से सीधे चले हुए, निकले हुए मेरे पिताजी थे, जो आज भी जिंदा हैं और आज 50 वर्ष के बाद मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस बात की चर्चा करूं। मुझे जिंदगी में उन सदस्यों से बात करने का बहुत कुछ मौका मिला है, जिन्होंने संविधान बनाया, चाहे वे प्रोफेसर रंगा थे, चाहे मेरे पिताजी हैं, जैसे शिवलाल सक्सेना हैं, कितने ही ऐसे व्यक्ति मैं गिना सकता हूं और जब मैं उनकी भावना देखता था, जिस भावना से संविधान बना, क्या उन्होंने नक्शा देखा था और 50 वर्ष के बाद क्या वे सोचते हैं। जब वाकई आज हमारे लिए समय है कि हम मंथन करें।

महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से आन्दोलन चलाया और हमारा देश जो विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न जातियों का देश है और विभिन्न प्रकार के लोग यहां रहते हैं, उन सब को एक करके इस देश को एक बनाया।

आज भ्रष्टाचार और क्रिमिनलाइजेशन की चर्चा हुई। देश में विपक्ष के नेता ने भी चर्चा की और इस देश के गृह मंत्री ने भी की और जब वे इस बात पर बोल रहे थे तो मुझे लगता था कि आज पूरे देश के लोग इस दुविधा में पड़े हैं, इस बीमारी से पीछा छुड़ाने का कुछ समाधान नहीं मिल रहा। मुझे इतिहास का वह पन्ना याद आता है, जिस दिन महात्मा गांधी आजादी के लिए एक लंगोटी और लाठी लेकर निकले थे, तो इस देश के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि यह इस देश को आजाद कराएंगे, उस ताकत से आजाद कराएंगे, जिस ताकत के राज में सूरज नहीं छिपता। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक लंगोटी और एक सोटी से इस देश को आजाद कराऊंगा और बगैर हथियार के कराऊंगा। लोगों में जनचेतना पैदा करूंगा, लोगों में देशभक्ति पैदा करूंगा और उन्होंने वह करके दिखाया। तो आज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात केवल एक है कि आज हम सब यहां

बैठ कर के सभी पार्टी के नेता यह फैसला करें कि जो मापदण्ड दूसरों के लिए रखते हों, वह अपनी पार्टी पर भी लागू करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, किसी भी सदस्य को सदन के अंदर सैलूलर फोन नहीं लाना चाहिये। यदि कोई फोन लाया है, तो कृपया उसे बाहर रखें।

[हिन्दी]

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा : वह दूसरों के लिए जो मापदण्ड रखते हैं, वह अपने लिए भी रखें। आज बात क्या हो गई, आज अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए मापदंड दूसरे हैं। दूसरी पार्टियों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, उनके नेताओं के लिए मापदंड दूसरे हैं। आज यह सोच बन गई हैं कि मैं पाक हूं, मेरा दल पाक है, लेकिन दूसरे दल के सभी लोक भ्रष्टाचारी हैं। जब तक यह सोच नहीं निकलेगी और सारे दलों के लिए एक मापदंड निर्धारित नहीं किया जाएगा, हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप यह मन बनाएं कि जब बापू एक धोती और एक सोटी से देश को आजाद करा सकते हैं तो हम 545 सदस्य जो यहां बैठे हैं, क्या इस बीमारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते?

महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि हिन्दुस्तान में ग्राम स्वराज कायम होगा, गांव की बात होगी, गांव में खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन पचास सालों के बाद हमें सोचना पड़ रहा है कि हम कहां पहुंचे हैं? पहले लोगों में और आज के लोगों में फर्क आया है। लोक सभा में हम 545 सदस्य हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि कम से कम 90-95 प्रतिशत ईमानदार लोग हैं, केवल पांच प्रतिशत ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो उस समय की सोच से अलग हैं। उस समय जो राजनीति में आता था, समाज सेवा के लिए आता था और यह धारणा लेकर आता था कि मैं लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन आज कुछ लोग स्वयं की सेवा करने के लिए आ गए हैं और उनकी वजह से सारे राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियां बदनाम हो रही हैं। यह हमें सोचना पड़ेगा।

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। लेकिन आज का समाज क्या है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इस मामले में सबसे पहले गांव की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आज गांव की क्या स्थिति है, हमारे गांव का सारा स्ट्रक्चर कास्ट औक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। वहां तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो जनरल कास्ट के हैं जिनको लैंक आउनर कह सकते हैं, जिसमें मेरी जाति के और राजपूत वगैरह हैं। दूसरे बैकवर्ड क्लास के हैं, जो शिल्पकार हैं, लुहार हैं, बुनकर हैं, जूता बनाने वाले हैं। तीसरे अनुसूचित जाति के मजदूरी करने वाले लोग हैं। यह तीन प्रकार का स्ट्रक्चर पूरे हिन्दुस्तान में है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि शिल्पकारी तो खत्म हो गई, क्योंकि नई तकनीक देश में आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोहे का काम करता था, उसे टाटा खा गया, जूते बनाने वाले को बाटा खा गया और कपड़ा बनाने वाले को मफतलाल खा गया। आज इटली से जूता आता है। कहा जाता हैं कि हैंड मेड है और वह आठ-नौ हजार रुपये का आता है। जबकि गांव में बने बढ़िया जूते को कोई पूछता नहीं है। रोजगार के नाम पर बाटा कम्पनी को सैंकड़ों करोड़ रुपये का ऋण दिया जाता है कि वह रोजगार देगा, लेकिन गांव में कितने लोगों के पास रोजगार हैं, इसका हिसाब कोई नहीं लगाता।

आज होल्डिंग का हिसाब लगाया जाता है। गांव में 1970 में औसतन एक परिवार के हिस्से में 2.28 हेक्टेयर जमीन थी, आज मेरे ख्याल में एक परिवार के हिस्से एक हेक्टेयर भी नहीं आती है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगाएं तो 1947 में एवरेज 1.2 हेक्टेयर था, लेकिन आज 0.2 हेक्टेयर रह गया है। जो गांव में खेती करते हैं, उनमें मार्जिनल फारमर सबसे ज्यादा हैं, जिनकी संख्या 57 प्रतिशत है। स्माल फार्मर की संख्या 18 प्रतिशत है, मीडियम फारमर की संख्या 13 प्रतिशत है और सैमी मीडियम आठ प्रतिशत हैं तथा बड़े किसान दो प्रतिशत हैं। हम कृषि में निवेश करते हैं। हम इन दो प्रतिशत किसानों को देखकर कहते हैं कि आज का कृषक बड़ा संतुष्ट है, उसकी आमदनी बढ़ गई है। लेकिन औसत उत्पादन हमारे देश का क्या है, इस पर सभी लोगों ने यहां चर्चा की है। हमारा औसत उत्पादन 1.6 टन पर हेक्टेयर है, जबकि जापान में छः टन पर हेक्टेयर है, जोकि लगभग पांच गुना हमसे ज्यादा है। हालांकि उनके पास जमीन कम है, हमारे पास सिंचित जमीन ज्यादा है। लेकिन 1950 में हमारी जी.डी.पी. एग्रीकल्चर से थी। जो राष्ट्रीय आय 58 प्रतिशत थी, 60 प्रतिशत थी लेकिन आज राष्ट्रीय आय कृषि के क्षेत्र से तीस प्रतिशत है और उसमें 66 प्रतिशत से लेकर 68 प्रतिशत लेबर फोर्स का शेयर था और वह घटकर तीस प्रतिशत कृषि का रह गया है। लेबर फोर्स का घटकर 55 प्रतिशत रह गया है और कृषि आय का हिसाब लगाएं और नॉन कृषि क्षेत्र का हिसाब लगाएं तो पिछले तीस साल का हिसाब बता सकता हूं। 1961 में कृषि क्षेत्र से 912 रुपए सालाना प्रति व्यक्ति की आमदनी थी और गैर कृषि क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनकी 4054 थी। लेकिन आज तीस वर्ष के बाद 1991 में कृषि क्षेत्र में 912 से बढ़कर 1087 है और गैर कृषि क्षेत्र में 6672 हो गई है। कितना फर्क है? कृषि क्षेत्र की आमदनी में कुल इज़ाफा 32 प्रतिशत हुआ और गैर कृषि क्षेत्र में 138 प्रतिशत हुआ। इतना अंतर क्यों हुआ? क्योंकि पूंजी निवेश जहां से राष्ट्रीय आय 60 प्रतिशत थी, वहां पूंजी निवेश 12 से 58 प्रतिशत हुआ। इनके अलग-अलग हैड्स मैं बताना चाहूंगा। जहां तक आर्थिक पॉवर हैड्स से बिजली, रोड, इरीगेशन, वॉटर का संबंध है, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति अत्यंत विचारणीय है।

जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी तो कृषि क्षेत्र और सिंचाई के क्षेत्र में कुल दो प्रतिशत खर्च होता था। आज तीन गुना घट गया है। केवल आठ प्रतिशत के करीब है। जब कृषि क्षेत्र में इंवेस्टमेंट घट गया तो देश कहां से तरक्की करेगा? गांवों से शहरों की ओर पलायन भी बढ़ेगा। गांवों से लोग शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि लोग गांवों में रहें, वहां ग्राम सभा कायम हो। लेकिन बिजली नहीं होगी तो लोग कैसे रहेंगे? इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आप इस बात को देखिए कि आज गांव वालों की क्या स्थिति है? गांवों में कृषि क्षेत्र से जिसकी सौ रुपए आमदनी है, उसका आप लेखा जोखा करेंगे तो जो मार्जिनल फॉर्मर्स हैं, सौ रुपए से 18.1 उसका कर्जा आता है। जो छोटे किसान हैं, उन पर 20.7 आद्रा है और जो मध्यम किसान हैं, उसका कर्जा 20.7 आता है तथा जिनकी बड़ी खेती है, वे ज्यादा कर्जा लेते हैं, उन पर 31.7 आता है।

जहां तक पूंजी निवेश का सवाल है या फंड्स या कर्जे की बात है, नेशनेलाइज्ड बैंक हों या दूसरे बैंक हों या वर्किंग कैपिटल हो, बीज के लिए किसान को कर्जा चाहिए। पूरे हिन्दुस्तान के किसान को जितना

कर्जा चाहिए, उसका केवल तैंतीस प्रतिशत नेशनेलाइज्ड बैंक से या ऑरगेनाइज्ड सैक्टर से उपलब्ध है। 66 प्रतिशत अब भी कृषि पर आधारित लोगों को दूसरे सेठों से कर्जा लेना पड़ता है और वे लोग कितना ब्याज लगाते हैं? इसका आप अंदाजा लगाइए। कर्जा चुकाने में उनकी सारी उम्र निकल जाती है।

जहां तक किसान की सब्सिडी की बात है, इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर होता है। जब मैं 1947 की चर्चा कर रहा था, उस समय केवल पांच या सात ऐसे व्यक्ति थे जो गांव से उठकर विधान सभा के सदस्य बने थे और 1952 में भी ऐसा ही था लेकिन आज जो भी मेरे साथी बने हैं, कृषि की चर्चा तो करते हैं लेकिन पूंजी निवेश कितना कम हो गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। मैंने पहले ही कहा कि यह एक तिहाई हो गया। आज सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। आज ग्राम सभा कायम हो, गांवों में अस्सी प्रतिशत लोग रहें जो निवेश बढ़ाएं लेकिन पचास साल के बाद हमें यह गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या हैं?

जब तक हम इसको रि-फिक्स नहीं करेंगे, तब तक महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं हो सकता है। देश में किसानों ने अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। सन् 2007 तक हमें 240 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी, जबकि आज हम 195 मिलियन टन अनाज पैदा करते हैं। 45 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी कोई ऐसे ही नहीं होने जा रही है, इसके लिए आगे आने वाले समय में कृषकों की जरूरत होगी। उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनके मनोबल को ऊपर उठाना होगा।

यहां पर बैंकों की चर्चा भी की गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद से किसानों को बैंकों में घुसने का मौका मिला। अब प्राइवटाइजेशन किया जा रहा है। जब प्राइवेट बैंक आयेंगे, तो नेशनलाइज्ड बैंक और को-आपरेटिव बैंक उनसे कैसे कम्पीट करेंगे। वे अपनी आमदनी देखेंगे तो गरीब आदमी कैसे आगे बढ़ेगे। ये बैंक गांवों में किसानों को पैसा देने वाले नहीं हैं। इस बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तो 1950 में पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने कहीं थी—इस देश में प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है किंतु कृषि नहीं। देश के आत्म-सम्मान को बढ़ाना है, तो आपको इस दिशा में सोचना होगा, नहीं तो दुनिया में कटोरा लेकर घुमना पड़ेगा। देश के आत्म-सम्मान को बनाना है, तो कृषि के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा।

आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं एक बात शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि गांवों और शहरों में शिक्षा के क्षेत्र में कितना अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष 57% पढ़े-लिखे हैं, लेकिन शहरों में पढ़े-लिखे पुरुषों का प्रतिशत 81 है। शहरों में लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए गांव का लड़का आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में नहीं आता है। गांव का लड़का सिपाही बन सकता है, बस कन्डक्टर बन सकता है या फौज में सीने पर गोली खाने के लिए जा सकता है। इसी प्रकार महिलायें ग्रामीण क्षेत्रों में 30% पढ़ी-लिखी हैं और शहरों में उनका प्रतिशत 64 है। औसत 44% आता है और शहरों में 73% आता है। यहां बेरोजगारी की भी चर्चा की गई है। सन् 2000 तक दस करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। इन दस करोड़ बेरोजगारों में 70% ग्रामीण हैं। उनको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। इस ओर आपको ध्यान देना होगा।

प्रदेशों में आपसी झगड़े भी हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में सतलुज के पानी का झगड़ा है। इसी प्रकार कावेरी के पानी का भी झगड़ा है। पचास साल तक इस बारे में फैसला नहीं किया गया, लेकिन आप आपको इस बारे में फैसला करना पड़ेगा कि पानी हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है, नहीं तो पांच साल बाद पानी का संकट होने जा रहा है। इस देश में पीने का पानी नहीं मिलेगा। जहां तक बिजली की बात है, बिजली किसानों को सस्ती उपलब्ध करानी होगी। हम किसान के उत्पादन की कीमत 50-100 रुपए क्विंटल बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन इससे किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। हमारा उत्पादन का प्रदेश है और गरीब आदमी को अन्न खरीद कर खाना पड़ता है। जब तक ऐसी नीति का निर्धारण नहीं किया जाएगा कि अगर प्रोड्युसर्स को सौ रुपए मिलते हैं तो कन्ज्युमर को वही चीज 125 रुपए में मिले, तब तक देश में प्रोड्यूसर्स और कन्ज्युमर्स में बैलेंस नहीं बन सकता है।

संविधान बनाते समय ग्राम सभा की बात भी ध्यान में थी। गांधी जी के दिमाग में यह बात थी और यह सोचा गया था।

[अनुवाद]

कि क्या राज्य व्यक्ति के लिये है या व्यक्ति राज्य के लिये। केवल पंचायती राज ही एक ऐसा उपाय है जो कि संतुलन बना सकता है और जो जनता के कल्याण के लिये कार्य करेगा।

[हिन्दी]

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।



श्री कृष्ण

[अनुवाद]

***श्री कृष्ण** (मांडया) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम में उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं शिवपुरा के उन बहादुर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने ध्वज सत्याग्रह के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने प्राण न्योछावर किए।

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए इस विशेष सत्र का आह्वान किया है। अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम विगत पांच दिनों से इस सम्माननीय सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम निश्चय ही अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस देश के लोगों को हम से बहुत अपेक्षा है। अत: यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम अपने देश के समक्ष आई विभिन्न समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। इसलिए, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से यह अनुरोध करता हूं कि व्यापक चर्चा के पश्चात् वे एक साथ मिलकर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे।

विगत 50 वर्षों के दौरान दो तरह के भारत का विकास हुआ है। एक शहरी भारत है जहां 20 से 25 प्रतिशत तक लोग रहते हैं और जहां चिकित्सा, शैक्षणिक और अन्य सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। दूसरा ग्रामीण भारत है जहां 75 से 80 प्रतिशत लोग रहते हैं और उनकी दशा काफी दयनीय है। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी वहां बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल का अभाव और निम्न स्तर की शैक्षणिक सुविधायें विद्यमान हैं। यह असमानता क्यों हैं? चार सौ वर्ष पूर्व की फडके ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। एक दिन उन्हें अपनी मां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने का तार प्राप्त हुआ। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी गई इसलिए वे अपनी मां को देखने नहीं जा पाये। कुछ दिन बाद उन्हें एक और तार प्राप्त हुआ जिसमें अपने गांव आने को लिखा था। लेकिन इस बार इसका संदेश उनकी माता की मृत्यु का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें माता की मृत्यु के बाद भी छुट्टी नहीं दी। श्री फडके इससे अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी में गुलामी के मुद्दे पर अपने मित्रों और शुभचिंतकों से विचार-विमर्श किया। वह दासता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। स्वतंत्रता उनके लिए एक मात्र लक्ष्य था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। उनके सभी मित्र उनकी विचारधाराओं और योजनाओं से सहमत थे। लेकिन अधिकतर लोगों ने उन्हें सहयोग नहीं दिया। श्री फडके ने अपना स्वतंत्रता आंदोलन जारी रखा। लेकिन ज्यादातर लोग उनके साथ नहीं थे। इस समय उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए शिक्षित लोग लाभदायक नहीं हैं। वे सभी स्वार्थी लोग हैं। शिक्षित लोगों का, चाहे वे अधिकारी, व्यापारी या राजनीतिज्ञ हों, व्यवहार एक जैसा ही होता है और स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई अधिक योगदान नहीं होता है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। अत:, ग्रामीण भारत और शहरी भारत जैसे दो भारत होने के कानून हमारे पास कारण विद्यमान हैं।

भ्रष्टाचार हमारे समाज का कैंसर है। इसे समाज से उखाड़ फैंकना होगा। एशिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में हम तभी प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं जब हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हमारे राष्ट्र की प्रगति में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है।

हमारे समाज में राजनीतिज्ञों की स्थिति क्या है? हमारे समाज के अनेक लोगों का मानना है कि राजनीतिज्ञ धोखेबाज, चोर, जोड़-तोड़ आदि करने वाले लोग होते हैं। 40 वर्ष पूर्व हमारे समाज में राजनीतिज्ञों की स्थिति काफी अच्छी थी। उनका बहुत आदर होता था। लेकिन अब उनका कोई आदर नहीं करता। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं को समाज द्वारा सम्मान दिया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बाद स्थिति काफी बदल गई है।

अनेक घोटाले हुए हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता। राजनीतिज्ञ काफी लम्बे भाषण देते हैं। वे अनेक घोटालों में लिप्त हैं। ऐसी स्थिति में हमें कठोर निर्णय लेने होंगे।

रात्रि 11.37 बजे

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए*]

सभी राजनीतिज्ञों से मेरा अनुरोध है कि वे इस दिशा में सोचें। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, लाल-फीताशाही को समाज से पूरी तरह नष्ट करना होगा। हम यदि समाज के उपर्युक्त रोगों को दूर नहीं करते तो हम अपने हाथों ही अपने देश को बर्बाद कर देंगे। नेताओं को इस पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए तथा आपस में कोई समाधान ढूंढ़ना चाहिए।

संचार माध्यमों के लोग घोटालों में लिप्त राजनीतिज्ञों का पर्दाफाश करने को काफी उत्सुक हैं। अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण भी इन घाटोलों में शामिल हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि संचार माध्यम के लोग उनका पर्दाफाश नहीं करते। ये अधिकारी लोग ही होते हैं जो राजनीतिज्ञों को ऐसे गलत कार्यों के लिए उकसाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि राजनीतिज्ञ नीतियां बनाते हैं और देश पर शासन करते हैं। वास्तव में ये अधिकारी ही होते हैं जो ये कार्य करते हैं। सरकारी अधिकारियों की सहायता के बिना राजनीतिज्ञ न तो निर्णय ले सकते हैं और न ही नीतियां बना सकते हैं। अनेक अधिकारियों ने भारी धन इकट्ठा कर रखा है। उसके धन में हजारों गुणा वृद्धि हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उस संबंध में समाचार माध्यम भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनमें से कितने लोगों को जेल हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार गैर-कानूनी रूप से अर्जित धन के आरोप में एक व्यक्ति भी जेल नहीं गया है। अधिकारियों को निलंबित करने के उदाहरण भी अत्यधिक कम हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाती है। कानून तो बने हैं पर वे प्रभावी नहीं हैं। इन कानूनों को शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। हमारी कानून प्रणाली में यह उपबंध है कि गैर-कानूनी ढंग से धन अर्जित करने वाले अधिकारियों को हटाया जाए। लेकिन ऐसे कठोर निर्णय लेने की इच्छा शक्ति किसके पास है।

अनेक राजनीतिज्ञों का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अत:, चुनावों में सुधार लाने की तुरंत

आवश्यकता है। चुनाव प्रक्रिया आसान, सहज और कम खर्चीली होनी चाहिए। सभा के अंदर तथा बाहर चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए चर्चा चल रही है। राज्यों तथा केन्द्र को चुनाव हेतु धन उपलब्ध कराना चाहिए। इन सबसे बढ़कर उम्मीदवारों को अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। जब तक उम्मीदवारों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करने को हम अनिवार्य नहीं बनाते तब तक हम भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं कर सकते। उम्मीदवारों के धन की घोषणा करने से मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों का निर्णय करना भी आसान हो सकेगा। घोटालों के निपटान के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। इन घोटालों में लिप्त अधिकारियों और अन्य लोगों को इन विशेष न्यायालयों द्वारा दंडित किया जाना चाहिए।

महोदय, पांचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के वेतनमानों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। वे एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के होते हैं जिसके पास कार, मकान, फोन आदि-आदि की सुविधायें होती हैं। जबकि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में मामूली वृद्धि की गई है और यह 100 प्रतिशत भी नहीं है।

कुछेक सरकारी कर्मचारियों को दिन भर ताश खेलते देखकर मुझे आश्चर्य होता है। यह आदत संस्कृति से संबंधित है। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने हेतु शीघ्र कदम उठायें।

मेरे क्षेत्र में एक लोकप्रिय गाना गाया जाता है।

स्वतंत्रता कहां है?
1947 की स्वतंत्रता।
बिड़ला को स्वतंत्रता मिली।
अम्बानी को स्वतंत्रता मिली।
टाटा को स्वतंत्रता मिली।

हमारे गांव के ग्रामीणों तथा छोटे किसानों को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या सभी से उपेक्षित रही।

हमारा राष्ट्र भाग्यशाली है कि यहां अनेक नदियां हैं लेकिन पानी कहां चला जाता है। इन नदियों के जल की कुल मात्रा लगभग 1880 क्यूबिक किलोलिटर है। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से मात्र 690 क्यूबिक किलोलिटर पानी का ही उपयोग हो पाता है। इनमें से 65 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है और केवल 35 प्रतिशत पानी का ही उपयोग हो रहा है। सभापति महोदय, क्या यह एक त्रासदी नहीं है।

दस्तूर समिति ने 1977 में उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ने की सिफारिश की थी। इसमें गंगा को कावेरी से जोड़ने की सिफारिश की गई थी। उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि गंगा और कावेरी को जोड़ने में करीब 12,000/- करोड़ रुपए व्यय होगा। उत्तर में बाढ़ सहायता कार्यक्रमों के तहत सरकार करोड़ों रुपए व्यय करती है। वहीं दक्षिण को सूखा राहत कार्यक्रमों के अंतर्गत करोड़ों रुपए भी खर्च करती है। ऐसे खर्चों से बचने के लिए और नदियों के पानी का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए केन्द्र को एक योजना बनानी चाहिए।

नदियों के अनेक विवाद हैं:

1. नर्मदा नदी जल विवाद

2. कावेरी नदी जल विवाद

3. सतलुज नदी जल विवाद

हमारे देश में अनेक अन्य नदी जल-विवाद हैं लेकिन संबंधित पक्षों की बार-बार बैठकों के बावजूद एक भी विवाद निपटाया नहीं जा सका है। यह स्वर्ण जयंती सत्र है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस शुभ अवसर पर क्या मैं भारत सरकार से अपील करूं कि वे बिना किसी विलंब के कावेरी जल विवाद का कोई स्थायी हल निकालें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक चार्टर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय जल-विवादों का निर्णय लेता है। इसी तरह से भारत सरकार को हमारे देश के सभी नदी जल-विवादों से निपटने के लिए रॉस्ता निकालना चाहिए। हम कोई राष्ट्रीय जल नीति क्यों नहीं बनाते? केन्द्र इस मामले में विलम्ब क्यों कर रहा है?

नदी जल-विवादों की तरह भूमि-विवाद भी हैं। महाजन आयोग ने 30 वर्ष पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट पर केन्द्र द्वारा तीन दशकों से ऊपर समय से कोई ध्यान नहीं दिया गया। कम से कम हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के समारोहों की पूर्व संध्या पर क्या केन्द्र महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूर्णतया लागू करेगा? अन्यथा देश विघटित हो जाएगा।

केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी गंगा कल्याण योजना एक उपयोगी कार्यक्रम है। लेकिन इसे राज्यों में विशेषकर कर्नाटक में उपयुक्त तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : आपने 18 मिनट ले लिए हैं। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपका बाकी भाषण सभा पटल पर रखा जा सकता है। श्री देवेगौड़ा ने इन योजनाओं के बारे में अनेक बातें कहीं हैं।

श्री कृष्ण : महोदय, मैं केन्द्र से अपील करना चाहता हूं कि वे गंगा कल्याण योजना के कार्य पर विचार करने के लिए एक निगम नियुक्त करें। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अन्तिम समय में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।



श्री के. परसुरामन्

श्री के. परसुरामन् (चेंगलपट्टू) : माननीय सभापति महोदय, मैं डी.एम.के. दल की ओर से 50वें वर्ष की स्वर्ण जयंती के विशेष सत्र में आधारभूत मानव संसाधनों के विकास और भारत की अर्थव्यवस्था पर बोलने जा रहा हूं।

महोदय, यदि हम वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, तो मैं समझता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल है। हमारे पास लगभग 30 अरब डालर विदेशी मुद्रा है। वृद्धि दर 60 प्रतिशत है। हम चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक संभवत: 2000 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद, देश में आम आदमी की मूल आवश्यकताओं के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो कि सरकार को करना चाहिये, जैसे कर-नीति इत्यादि के मामले में तथा भारत में मध्यम तथा लघु कम्पनियां, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, को अनेक तरीके से प्रोत्साहन देना चाहिए। किसी भी कम्पनी की मूल आवश्यकता यह है कि उसे अपनी स्वयं की प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिए। सरकार को कम्पनियों को अपने अनुसंधान डिवीज़न तथा प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सभी रियायतें और प्रोत्साहन देने चाहिए ताकि वे नई प्रक्रिया विकसित कर सकें और उनकी वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

जहां तक जुलाई 1991 में आरम्भ और कार्यान्वित की गई उदारीकरण की नीतियों का संबंध है, हालांकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अभी तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं, फिर भी अभी तक विकास तथा प्रगति की राह में कुछ रूकावटें हैं। कुछ ऐसी असमानताएं हैं जो कि तीव्र विकासात्मक कार्यकलापों को, विशेषकर उदारीकरण के बाद, प्रभावित करती रही हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू उद्योग अधिक स्थानीय कर दे रहे हैं। घरेलू उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल सका है।

उनके मामले में शुल्क कम किए गए हैं। सीमा शुल्क बहुत अधिक है। स्थानीय उद्योगों को 20 से 30 प्रतिशत कर देना पड़ता है लेकिन घरेलू उद्योगों के लिए कोई भी शुल्क नहीं होना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा यह है कि हमें लघु क्षेत्र के उद्योगों में आरक्षण लागू करना चाहिए। मुख्य मुद्दा यह है कि लघु क्षेत्र के उद्योगों को सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि केन्द्रीय योजना प्राधिकरण अर्थव्यवस्था में वांछित परिवर्तन नहीं ला रहा है लेकिन यह केवल बड़ी संख्या में लोगों और उन्हें निचले स्तर पर शामिल करके होगा। उद्योगों, कंपनियों, पृथक-पृथक समूहों, प्रबंधकों, राज्यों द्वारा स्थानीय सरकार नगर पालिका और पंचायत स्तर पर मूलभूत परिवर्तन किए जा सकते हैं। हालांकि मध्यम आकार की कंपनियां और लघु आकार की कंपनियां अपनी सीमित प्रौद्योगिकियों द्वारा आगे बढ़ रही हैं।

विश्व के दक्षिण पूर्वी भाग में हम देखते हैं कि चीन, इण्डोनेशिया, ताइवान, दक्षिण कोरिया इत्यादि जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से प्रगति कर रही हैं। काफी पहले से हमारा देश पहले दस औद्योगिक देशों में से एक रहा है बाद में यह गिरकर 20वें स्थान पर आ गया। उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण के लागू करने पर भी हम अधिक प्रभावशाली ढंग से औद्योगिक विकास नहीं कर पाए हैं। 1991-92 के दौरान वित्तीय तथा ऋण संबंधी कठिनाईयों के कारण हमने औद्योगिक रुग्णता का सामना किया। लेकिन अब हम स्थिरता का सामना कर रहे हैं, विशेषकर, घरेलू उपभोक्ता उत्पादन क्षेत्र में। क्रय शक्ति की कमी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आ रही है जबकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

महोदय, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए हमें रोजगार सृजन के लिए योजना बनानी होगी ताकि हम अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें और लाभदायक रोजगार प्रदान कर सकें। केन्द्र मानव-शक्ति संबंधी योजना के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर सकता है जो कि योजना बनाएगा और अगले 15 से 20 वर्ष के लिए इंजीनियरों, डाक्टरों, तकनीकज्ञों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य स्तरों पर उनकी आवश्यक संख्या का पता लगाएगा। मुझे दुख है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर इत्यादि पर अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन स्तरों पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तत्काल कठोर कदम उठाने चाहिए।

पचास और साठ के दशकों के दौरान देश में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं था अथवा बहुत नगण्य था। लेकिन हाल ही के दशकों में लगभग हर स्तर पर भ्रष्टाचार के तरीकों से धन कमाने के मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है।

यदि हम पीछे की ओर देखें, तो पिछले 50 वर्षों के दौरान हम देखेंगे कि हमने निश्चय ही उद्योग, कृषि, सिंचाई, प्रौद्योगिकी यातायात प्रणाली, सड़क, रेलवे, विमानन, जहाजरानी इत्यादि, शिक्षा, मैडीकल तथा इंजीनियरिंग दोनों ही में, बैंकिंग जैसे वित्तीय संस्थानों, बीमा व्यवसायों इत्यादि के क्षेत्रों में प्रगति की है। लेकिन इसके साथ-साथ जनसंख्या की तेजी से वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी की प्रतिशतता में वृद्धि इत्यादि उनकी प्रगति को बेअसर करते रहे हैं। इस संबंध में तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना एक ज्वलंत समस्या है जिसको केन्द्र द्वारा निपटाया जाना चाहिए। प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए अथवा कम से कम एक हजार लोगों के पीछे एक अस्पताल होना चाहिए। केवल स्वास्थ्य केन्द्र खोलना अथवा अस्पताल खोलना ही काफी नहीं है लेकिन प्राधिकरण को यह देखना चाहिए कि यह उपयुक्त तरीके से कार्य कर रहा है और गांव स्तर से जिला स्तर तक एक निगरानी कक्ष होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के गलत कार्य अथवा गलत कार्यवाही को सही किया जा सके।

दालों और खाद्य तेलों का उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और हम आज तक इन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक योजना बनाई जानी चाहिए, जो कि इस देश में गरीबों की मूलभूत आवश्यकता है। हरित क्रांति को अपनाकर हमने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया है (लगभग 2000 लाख टन) लेकिन दालों और खाद्य-तेलों के संबंध में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए उसी तकनीक को अपनाना चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।



चौधरी रामचन्द्र बैंदा

[हिन्दी]

चौधरी रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : सभापति जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विशेष अधिवेशन में बोलने का समय दिया। भारतवर्ष की आजादी की स्वर्ण जयन्ती हम मना रहे हैं। महाभारत काल से लेकर वैदिक काल में हिन्दुस्तान सारी दुनिया में बड़ा वैभवशाली देश था। अशोक की विजय के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद देश में जब मत-मतांतर आए, वैदिक काल का अंत हुआ और देश अवनति की ओर चल पड़ा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी बिन्दुओं को छुआ है। राजनैतिक बिन्दुओं को छुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे को छुआ, आरक्षण को छुआ, शिक्षा को छुआ। कोई बिन्दु ऐसा नहीं जिसको मेरे पूर्व वक्ताओं ने न छेड़ा हो। लेकिन पचास साल के राज में जिस देश में संतरी से लेकर मंत्री तक और मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तक सब कांडों में लिप्त हों, वह देश भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कैसे कर सकता है? हमारे पवार साहब ने कहा था कि इस सदन में लिखा है 'सत्यमेव जयते..... लेकिन हम सारे सदस्य इस सदन में बैठकर असत्य बोलते हैं कि इलेक्शन लड़कर आए हैं। हम सारे सदस्य यहां असत्य आंकड़े देते हैं। महोदय, देश के लोग समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इस देश के राजनेताओं ने ब्यूरोक्रेट्स ने और उद्योगपतियों ने मिलकर एक ऐसा ताना-बाना इस देश में बुन रखा है कि तीनों से देश का बचकर निकलना मुश्किल है। मेरे भाई भूपेन्द्र हुडा जी ने गरीब किसानों और मजदूरों की बात कही। हिन्दुस्तान में सर छोटू राम ने एक स्कीम बनाई थी जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी दे रही है। वह भाखड़ा-नांगल की स्कीम थी। यहां पुल बन सकते हैं, खेल के लिए मैदान बन सकते हैं। हिन्दुस्तान की चार नदियां आज भी पाकिस्तान जा रही हैं, हम उसका पानी नहीं रोक पाए। आधा देश बाढ़ से डूबता है और आधा देश सूखे से पीड़ित रहता है। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है जब तक हिमालय हमारे पास है। लेकिन हमें जहां पानी देना चाहिए, वहां नहीं दे सकते। कागजों पर हमने नदियां और नहरें निकाल दी। हिन्दुस्तान में पानी की बहुतायत है और आज हिन्दुस्तान की भूमि बहुत ज्यादा प्यासी है। दुनिया के अंदर दो चीजें हैं। या तो खनिज जमीन से निकाला जा सकता है या वनस्पति जमीन पर उगाई जा सकती है। हिन्दुस्तान में खनिज और वनस्पति की बहुतायत है। आज हमारे देश के किसान और मजदूरों ने खाद्यान्न के मामले में हमें इतना आत्मनिर्भर कर दिया है कि हम अनाज बाहर भेजते हैं। अगर कोई खाद्यान्न मंगाता है तो खाने के लिए नहीं कमीशन के लिए मंगा सकता है। इसके बावजूद आज देश कर्ज़दार है। हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर ने मेहनत से काम किया है लेकिन आज वह कर्जदार हैं। जिस वक्त ट्रैक्टर की कीमत 8000 रुपये थी उस वक्त गेहूं का भाव 50 रुपये क्विंटल था। आज गेहूं का भाव 450 रुपये क्विंटल है और ट्रैक्टर की कीमत चार लाख रुपये है। खाद का कट्टा छः रुपये का था और आज खाद का कट्टा पांच सौ रुपये का है। कीटनाशक दवाएं बहुत महंगी हैं। किसानों की उपज की जो कीमत लगाते हैं वह दिल्ली की कोठियों में बैठते हैं। हमारे देश के कई राजकर्ताओं को यह नहीं पता कि हमारे देश के एक प्रधान मंत्री ने यह पूछा कि लाल मिर्च ज्यादा पैसे में बिकती है या हरी मिर्च? तो किसी ने कहा कि लाल मिर्च के ज्यादा दाम लगते हैं तो बोले लाल मिर्च बोनी चाहिए। हमारे देश के राजनेताओं को यह पता नहीं हैं कि बाजरे की खेती और गेहूं की खेती में क्या फर्क होता है। हिंदुस्तान में जब तक कृषि पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, हिन्दुस्तान कभी आगे नहीं जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात शिक्षा पर कहना चाहता हूं। आज हमारे भाई साहब राजपूत जी ने डा. मैकाले की शिक्षा के बारे में कहा। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन वेदों के मुकाबले दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। हमारी प्राचीन शिक्षा गुरुकुल की थी, वेदों की शिक्षा थी। दुनिया में हर पुस्तक के राइटर का नाम लिखा है। लेकिन चारों वेदों में किसी राइटर का नाम नहीं है। लेकिन वेदों की बातों को दुनिया का कोई शास्त्री, कोई विद्वान गलत साबित नहीं कर सकता। आज हमारे देश की जो गुरुकुल की शिक्षा है। उसको सरकार टप्पा नहीं लगाती है। गुरुकुल में पढ़े हुए शास्त्री को नौकरी नहीं मिलती है। डैडी, मम्मी कहने वालों को नौकरी मिलती है। लोग हमारे पास आते हैं कि बच्चे को दाखिल कराना है। हमने पूछा कहां कराना है, तो बोले कि नर्सरी में कराना है। डी.पी.एस. यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल यह एक बीमारी

है। पूछा कि कौन सी क्लास में दाखिल कराना है, बोले कि नर्सरी में कराना है। हम पचास हजार रुपये डोनेशन दे रहे हैं लेकिन मेरे बच्चे को नर्सरी में दाखिल नहीं कर रहे हैं। हम तो जानते नहीं थे कि नर्सरी क्या होती थी। हम तो पट्टी पढ़कर पहली जमात में जाते थे। पहली क्लास होती थी। आज देश में शिक्षा के बारे में हमें सोचना होगा कि हिन्दुस्तान में जो असली शिक्षा वेदों की थी, वेदों के आधार पर शिक्षा थी उसे अपनाना होगा। आजादी में वेदों का योगदान कम नहीं था। स्वामी दयानन्द के गुरु बिरजानन्द ने नारा लगाया था। स्वामी दयानन्द ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का था। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था कि स्वदेशी राज कितना ही बुरा हो, विदेशी राज कितना ही अच्छा हो, उसके मुकाबले में स्वदेशी बहुत अच्छा होता है। अगर उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक लाइन काट दीजिए तो स्वामी जी बोले कि मेरा काम है सत्य का प्रकाश करना, मैं किसी कीमत पर इस लाइन को नहीं काट सकता। वेदों के ज्ञान के आधार पर हमारे देश के गरीब आदमी ने पारे से वायुयान बनाया था और उसको 15 सौ फीट की ऊंचाई पर उड़ाया था। उससे पहले वायुयान कहीं किसी देश में नहीं था। आज मुरली मनोहर जोशी ने बताया कि हमारी सरकार बाहर से टेक्नोलोजी ला रही है। कौन देगा, लिपस्टिक की टेक्नोलोजी देगा, बिस्कुट की दे देगा, पेप्सी कोला की दे देगा। आग्नेयास्त्र बनाने की टेक्नोलोजी दे देगा। कोई बनाने वाला अपना टेक्नोलोजी नहीं देता। पालिश की डिब्बी बनाने वाला अपनी टेक्नोलोजी नहीं देता। बिली की पालिश चार आने में आती है और चैरी की पालिश कितनी महंगी है, टेक्नोलोजी का फर्क है। कौन अपनी टेक्नोलोजी दे देगा। सारी टेक्नोलोजी हमारे यहां से गई। स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दे रहे थे तो स्वामी जी को यह कहा कि अपने देश को जाइये और समझाइये कि हमारे देश की आदत नकल करने की हो चुकी है। मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि जैसा तुम करोगे वैसा ही मेरा देश नकल करेगा। आज हमारे देश की मानसिकता बदल गई है। कहते हैं कि यह घड़ी बाहर की है। पायजामा लाल किले पर 20 रुपये में मिलता है और जब वह अमरीका से होकर आता है तो कहते हैं अमरीका का कुर्ता है, पता नहीं कितने डालर का होता है। लाल किले पर 20 रुपये में मिलता है। एक मानसिकता बना दी गई है कि यह कार बाहर की है, यह घड़ी बाहर की है, यह कुर्सी बाहर की है। हिन्दुस्तान के सिवाय किसी के पास क्या था।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : अब तो पत्नी भी बाहर से लाते हैं।

चौधरी रामचन्द्र बैंदा : हां, पत्नी भी बाहर से लाते होंगे। इस देश में पत्नी भी बाहर से आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि हम अपनी चीज को भूल गये। हमारा नैतिक पतन हो गया है। हम अपने आप को भूल गये। वेदों में पहला मंत्र लिखा है कि तू मनुष्य बन, न आई.ए.एस. बन, न आई.पी.एस. बन, न डी.सी. बन, तू मनुष्य बन। इस देश में वैदिक धर्म है। आज इस देश में नारे लगते हैं कोई जाति का लगा रहा है, कोई बिना आंकड़ा दिये कह रहा है कि 84 परसेंट आ गये।

मध्यरात्रि 12.00 बजे

कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप जनता के जुनून को बरगला कर बिगाड़ना क्यों चाहते हैं। हिन्दुस्तान वैदिक धर्म को मानता आया है और यहां अनेकता में एकता छिपी हुई थी। हमारे यहां जो चार मठ बने हैं, वे हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाए थे ताकि यू.पी. का आदमी तिरूपति में जाकर देखे कि वहां क्या खान-पान है, कैसा रहन-सहन है, क्या पहनावा है और उसी तरह तिरूपति का आदमी हरिद्वार में आकर देखे ताकि देश के सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहें हमारे चारों मठ इसीलिए बने थे।

रात्रि 12.01 बजे (31.8.97)

अब मैं आपके सामने कृषि नीति पर अपने विचार रखना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के बारे में तो मैंने बता दिया कि इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इस मामले में आप सबको बैठकर, कोई ठोस प्रोग्राम बनाकर, सोचना होगा। इसके बाद में आरक्षण के बारे में बोलना चाहता हूं। आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण से कोई तरक्की नहीं होती। यहां जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर का नारा लगाया जा रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब 12.00 भी बज गए हैं और आपने 12 मिनट ले लिए हैं।

चौधरी रामचन्द्र बैंदा : बाबा साहेब ने इस तरह की कभी आरक्षण की मांग नहीं की। जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार दोबारा बिल लाए। आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। आज आरक्षण नीति के चलते 30 परसेंट अंक लेने वाला व्यक्ति मैडिकल में दाखिला पा जाता है, आप समझ सकते हैं कि वह कैसे चाकू-छुरी चलाएगा। अगर चाकू-छुरी चलाएगा तो गलत चलाएगा। सभी को शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए इसलिए मैं चाहता हूं कि आरक्षण नीति पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। पढ़ाई के मामले में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य हो, नि:शुल्क हो और केवल मैरिट के आधार पर चयन हो तथा नौकरियों में आरक्षण नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। आरक्षण को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब मनुष्य अपने आप कमाएगा, अपनी बुद्धि से कमाएगा, तब आगे बढ़ेगा। महिला आरक्षण विधेयक इस रूप में लाने की जरूरत है क्योंकि इस देश में महिलाओं को देवी और मां जैसा ऊंचा स्थान प्राप्त है। हिन्दुस्तान की संस्कृति में महिला बहुत ऊंचे स्थान पर है, देवी और मां का स्थान उसे प्राप्त है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बैंदा जी, आप पाइंट पर रहिए, डिरेल क्यों हो रहे हैं?

चौधरी रामचन्द्र बैंदा : मैं कृषि पर बोल रहा था।

सभापति महोदय : कृषि पर आप बोल चुके हैं, आपकी बात पूरी हो चुकी है।

चौधरी रामचन्द्र बैंदा : मैं मुख्य रूप से कृषि, आरक्षण और शिक्षा पर ही निवेदन करना चाहता था, उद्योगों के बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं बल्कि एक सीधा-सादा किसान हूं। पहली दफा इस संसद में चुनकर आया हूं। जब आप घंटी बजा रहे हैं, यदि मैंने कोई ऐसी बात कही दी हो, जो किसी माननीय सदस्य को अशोभनीय लगी हो, मेरे मुंह से निकल गई हो तो मुझे माफ करना। आरक्षण के मुद्दे पर मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस नीति पर फिर से विचार होना चाहिए।

सभापति महोदय : महेन्द्र बैठा जी, आप अपना स्टेटमेंट सदन में ले करना चाहते हैं, लिखित भाषण को सदन में ले कर दीजिए?



श्री महेन्द्र बैठा

श्री महेन्द्र बैठा (बगहा) : सभापति जी, स्वर्ण जयंती पर बुलाई गए संसद के विशेष सत्र में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं आजादी के संघर्ष में शहीद हुए लोगों को शत-शत प्रणाम करता हूं।

महोदय, सदियों से भारत किसानों का देश रहा है, हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित रही है और 80 प्रतिशत लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं। अत: जब तक कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक न तो बेकारी मिटेगी और न ही देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। जब देश की 80 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय बजट का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा खेती की तरक्की पर खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खेद है कि आज किसान और खेतिहर मजदूरों की सर्वाधिक उपेक्षा हो रही है। खेती घाटे का सौदा हो गया है। आज लागत से भी कम कीमत पर किसान अन्न बेचने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर विदेशों से ऊंची दर पर अनाज खरीदा जा रहा है। जिससे किसानों में घोर निराशा पैदा हो रही है।

सभापति महोदय, दूध से महंगा इस देश में बोतल का पानी है। खेतों में उत्पादित माल और कारखानों में उत्पादित माल की कीमतों में भारी अन्तर है। किसानों को दी जाने वाली सबसिडी खत्म कर दी गई है। आज भी भारतीय किसान पुराने कृषि औजारों, घटिया बीज और वर्षा के पानी पर निर्भर हैं। कृषि के विकास के लिए अत्याधुनिक कृषि यंत्र, उन्नत बीज, अच्छे खाद और समय पर पानी चाहिए जो भारतीय किसानों को उपलब्ध नहीं है। हमारे मजदूर और किसान मेहनती हैं। हमारी धरती रत्नगर्भा है। हमारे पास प्रचुर जलस्रोत हैं, परन्तु सरकारों के पास इच्छा-शक्ति नहीं है या फिर वह जानबूझकर खेतिहर मजदूरों और किसानों की उपेक्षा करना चाहती है।

सभापति महोदय, गांधी जी ने कहा था कि जब तक हमारे गांव, किसान और मजदूर संपन्न नहीं होंगे, भारत की समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। चौ. चरण सिंह ने कहा था कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। आज इस संसद में लगभग 75 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य किसान और मजदूरों के बेटे हैं और ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। ताज्जुब है कि फिर भी भारत का किसान मजदूर दुर्दशाओं का शिकार है। चूंकि किसानों की हालत खस्ता है इसलिए खेती पर आधारित मजदूरों की करोड़ों आबादी आज भूखी है, नंगी है, बिना कपड़ा और मकान के है।

आज इस मौके पर मैं सदन और सरकार का ध्यान इस नाइंसाफी की ओर आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि—

1. खेतों से उत्पादित वस्तुओं का लाभकारी मूल्य मिले।
2. फसल बीमा लागू हो।
3. राष्ट्रीय बजट का 50 प्रतिशत खेती पर खर्च हो।
4. किसानों को अधिक सबसिडी पर खाद, बीज और उन्नत खेती के औजार मिलें।
5. खेती और कारखानों में तैयार माल की कीमतों में भारी अन्तर खत्म हो।
6. बटाईदारी की तरह मजदूरों और फैक्ट्रियों पर भी मालिकाना हक मिले।

सभापति महोदय, आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : ठीक है, आपका भाषण ले हो गया। बोलने के लिए अभी टाइम नहीं है, जब बारी आए तो बोलिए।

किन्हीं अन्य माननीय सदस्यों को अपना लिखित ले करना हो तो कर सकते हैं।



श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा (दावणगेरे) : मैं भी अपना भाषण ले करना चाहता हूं।

*महोदय, हमने 1947 से 1997 तक अपनी स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारतवासियों के लिए स्वर्णिम क्षण है और इस स्वर्ण जयंती को मनाते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। हम

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अंग्रेजों के गुलाम थे और महात्मा गांधी जी, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार बल्लभभाई पटेल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प से यह स्वतंत्रता हासिल की। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रति वर्ष इसमें एक करोड़ लोगों का इजाफा होता है। 1947 में हमारी कुल जनसंख्या 48 करोड़ थी जबकि अब यह बढ़कर 98 करोड़ हो गयी है। इनमें से 70 प्रतिशत लोग कृषक हैं। हमारी अधिकतम भूमि सुखी और बंजर है। इसलिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार किए जाने की सख्त आवश्यकता है जिससे कि हम खाद्यान्नों का निर्यात भी कर सकें। आज से 30 वर्ष पूर्व चीन में खाद्यान्नों की भारी कमी थी और वहां लोगों को मछली, मेंढक और सांपों को खाना पड़ रहा था। उस समय वे औद्योगिक रूप से भी पिछड़े हुए थे। किंतु अब उन्होंने कृषि और उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। यह उनके अनुशासन और देशभक्ति का परिणाम है। हम लोगों में भी वैसी देशभक्ति की आवश्यकता है। यदि हम अनुशासित और कठिन कार्य करें तो हमारा राष्ट्र भी हर क्षेत्र में प्रगति कर सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में हर स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को आधारभूत शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे देश में साक्षरता कार्यक्रम सफल नहीं रहा है। शिक्षक सम्बन्धित विभाग को कतिपय साक्षर व्यक्तियों के नाम देकर अपना मानदेय प्राप्त कर लेते हैं। माध्यमिक स्कूलों में भी उचित शिक्षा नहीं दी जा रही है। उपचारात्मक उपाय शीघ्र किए जाने चाहिए। 12 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। मुस्लिम और हिन्दुओं को भाईयों जैसे आपस में मिलकर रहना चाहिए। ईश्वर मस्जिद और मंदिर दोनों जगह हैं अत: प्रगति तभी हो सकती है जब हम एक परिवार के रूप में आपस में मिलजुल कर रहें।

बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान के जनक हैं। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस संविधान का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। खूनी, गुंडे और अन्य असामाजिक तत्वों से, जो कि इस देश की शांति भंग करते हैं, सख्ती से नहीं निपटा जाता है। यह वास्तव में खतरनाक प्रवृत्ति है। महात्मा गांधी ने 50 वर्ष मद्यनिषेध का आह्वान किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है। गांवों में भी आज शराब की दुकानें उपलब्ध हैं। गरीब लोग, लड़के तथा अन्य शराब पीकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। कृषि मजदूर घटिया किस्म की शराब पीकर मौत का शिकार हो जाते हैं और उनकी पत्नी और बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोगों को दुर्घटना में अपनी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ता है। अधिकतर शराबी शराब पीकर बलात्कार करते हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनकी आय में भी कमी हो रही है। राज सहायता के रूप में जो लाभ उन्हें मिलता है उसे शराब पर व्यय कर देते हैं। अत:, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुक्ति दिलाने का एकमात्र समाधान यह है कि पूरे देश में शराबबंदी की जाए।

तीन दशक पूर्व कुछ लोग ''जापान में बनी वस्तुएं'', जर्मनी में बनी इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं आदि खरीदते थे। लेकिन अब जापान में बनी वस्तुओं की अत्यधिक मांग होने के कारण उनकी कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। वे वस्तुएं अधिक महंगी हो गई हैं। हमारे पास भी अच्छी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हम भी उच्च किस्म की वस्तुएं बना सकते हैं। हम ऐसा करके अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं तथा साथ ही इससे हमारी आय में स्वत: ही वृद्धि होगी।

मिलावट करना हमारे समाज का एक अन्य खतरनाक रोग है। खाद्य पदार्थों और दवाईयों में भी मिलावट की जाती है। इसे शीघ्रता से रोका जाना चाहिए। जो भी मिलावट का कार्य करते हैं उन्हें कठोर सजा दी जानी चाहिए। भारत सरकार को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहिए तथा गुणवत्ता को बनाये रखना चाहिए। तभी हमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा बाजार उपलब्ध हो सकता है।

स्वतंत्रता के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में मैं सरकार से निम्नलिखित को शीघ्र क्रियान्वित करने का अनुरोध करता हूं:-

1. एन.सी.सी., सैनिक शिक्षा आदि सहित उत्तम शिक्षा
2. कृषि नियोजन
3. मद्य निषेध
4. जाति विहीन समाज
5. वस्तुओं में गुणवत्ता बनाए रखना
6. अति गरीब लोगों को रोजगार की गारंटी

राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का यह विशेष सत्र बुलाने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष, श्री पी.ए. संगमा का आभारी हूं।

इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब कि हमारे राजनीतिज्ञ निष्ठा और गंभीरता से कार्य करेंगे। भ्रष्टाचार को विशेष न्यायालय के गठन से भी नियंत्रित किया जा सकता है। मैं सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे एक साथ बैठकर इस दिशा में शीघ्र निर्णय लें।

वर्तमान में कर्नाटक में निम्नलिखित कार्यक्रम चालू हैं:-

1. रोजगार योजना
2. इंदिरा आवास योजना
3. गंगा कल्याण योजना
4. अम्बेडकर योजना

दुर्भाग्यवश ये कार्यक्रम निष्ठापूर्वक लागू नहीं किये जा रहे हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन हेतु तत्काल कदम उठाए और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में तत्काल कदम उठाएगी क्योंकि हम इस वर्ष स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

महोदय, अपनी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के इस विशेष सत्र में मुझे अपने भाषण को लोक सभा पटल पर रखने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।



डा. रामचन्द्र डोम

डा. रामचन्द्र डोम (वीरभूम) : सभापति महोदय, भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने के निर्णय के लिए धन्यवाद करता हूं।

मैं बहुत संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं परिवार विकास मुद्दे पर, विशेषकर महिलाओं के विकास और उनके स्वास्थ्य के मुख्य संघटकों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद हमारे देश में स्वास्थ्य का स्तर ऐसा है कि हम यह नहीं कह सकते कि यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सफलता दिखाने के लिए क्या करना होगा? हम देश में ही स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं तथा आज भी हमारे चिकित्सा वैज्ञानिकों, हमारे व्यावसायिकों ने घरेलू प्रौद्योगिकी के आधार पर अच्छी विशेषज्ञता अर्जित कर ली है। आज हमारे चिकित्सक हृदय प्रतिरोपण शल्य चिकित्सा कर रहे हैं। हमारे डाक्टर अन्य अंगों का भी प्रत्यारोपण कर रहे हैं। ये सभी उल्लेखनीय उपलब्धियां है। मुझे इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र के प्राथमिक कार्य के रूप में कहना है कि प्रमुख क्षेत्र को गलत दिशा दी गई है। शुरू से ही हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को नजर अंदाज किया है। मुझे स्वास्थ्य की मूल धारणा को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण संघटक है। स्वास्थ्य प्राप्ति के मूल आधार के रूप में पौष्टिक भोजन, आवास, स्वच्छ पेयजल, वातावरण, स्वच्छता, साक्षरता और महिलाओं का स्थान शामिल है। सबसे पहले सामाजिक आर्थिक विकास अच्छे स्वास्थ्य का प्रमुख आधार है। वर्तमान स्वास्थ्य सूचकांक के सांख्यिकीय आंकड़ों का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ये सभी आंकड़े उपलब्ध हैं।

सर्वप्रथम, मैं बहुत बड़ी प्रमुख विशेषताओं की बात दोहराता हूं। एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है बाल मृत्यु दर। यद्यपि यह कम हो गई, फिर भी प्रति 1000 में से 74 शिशुओं की जन्म के उपरान्त मृत्यु दर विशेषकर इन दिनों में एक बहुत ही खराब स्थिति का सूचक है। प्रति वर्ष, लगभग 22 लाख भारतीय बच्चे विभिन्न बीमारियों से मरते हैं। वे बीमारियां पूरी तरह रोकी जा सकती हैं। केवल स्वच्छ पेयजल के अभाव में लाखों बच्चे दस्तों की बीमारियों से मरते हैं। यह कोई क्षमा की बात नहीं है।

हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के समारोहों के इस अवसर पर, हमें इस पर शर्म आनी चाहिए। सभी भारतीयों के लिए पेय जल देने की सुविधाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों की संभावना बहुत दूर की बात है। यही कारण है कि अधिकांश बीमारियां पानी की वजह से ही होती हैं। हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को नजरअंदाज किया है। हमने शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया है।

शिक्षा एक प्रमुख क्षेत्र है। अशिक्षा से अज्ञान फैलता है और अज्ञान से अस्वस्थता। इसका मूल कारण गरीबी है। इस समाज में गरीबी ही सभी मुसीबतों का मुख्य कारण है। इसलिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना एकमात्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ही कार्य नहीं है। स्वास्थ्य कई बातों पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य कर्मचारी ही लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकते। भारत 'सभी के लिए 2000 ई. तक स्वास्थ्य' का सदस्य देश भी है। वर्ष 1978 में की गई ऐतिहासिक "अल्मा अता घोषणा" के बाद से प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। परन्तु उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल तीन वर्ष बाकी हैं।

स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारियों से पूर्ण मुक्ति, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता; यह केवल बीमारी या किसी कमी का होना नहीं है। इसमें सामाजिक स्वस्थता भी शामिल है। इस व्यापक घटक को स्वास्थ्य कहते हैं। क्या हम इसे पा सकेंगे? यह बहुत ही असंभव है। यह इसलिए कि हम समाज के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने वाले मूल घटकों की परवाह ही नहीं करते। इसलिए, अब, हमें इसका मूल्यांकन करना होगा कि हमने कितना हासिल कर लिया है। इस प्रकार विकास किसी विशेष लक्ष्य तक यात्रा करने का एक रास्ता है। लक्ष्य का निर्धारण हमारे द्वारा यात्रा किए जाने वाले मार्ग द्वारा ही किया जाएगा। बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च प्रजनन दर की वर्तमान प्रकृति यह बताती है कि हमारे देश में स्थिति अच्छी नहीं है।

यद्यपि, हम यहां एक महत्वपूर्ण विषय, स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं परन्तु यदि हम संविधान के अनुसार देखें तो यह राज्य का विषय है।

इस तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्र की देखरेख करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर छोड़ दी गई है। केन्द्र सरकार की क्या जिम्मेवारी है? शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में क्या घोषणा की है? कुछ परियोजनाएं, कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम और कुछ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य नीति के संघटक बन गए हैं।

हमारी स्वतंत्रता के पिछले पचास वर्षों के दौरान सरकार ने कोई व्यापक स्वास्थ्य नीति निर्धारित नहीं की है। इसलिए, अब हमें एक व्यापक और आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है। यह पूरी तरह से भारतीय परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

विभिन्न राज्यों में वर्तमान स्वास्थ्य सुरक्षा आधारभूत संरचना एक स्वांग बन कर रह गई है, यद्यपि, इन पचास वर्षों में कुछ विकास हुए

हैं। व्यापक आधारभूत संरचना तैयार की गई है। यह काफी नहीं है। कार्मिक प्रबंधन और व्यावसायिक प्रबंधन कायम रखना भी आवश्यक तत्व है। आजकल के व्यावसायिक कम शिक्षित क्यों है? आज यह मूल प्रश्न है। आज यह एक गंभीर प्रश्न है।

आजकल कुछ चिकित्सक लोगों की सेवा के लिए समर्पित नहीं हैं। हमारे लिए यह बहुत चिन्ता की बात है। वे पैसा बनाने में लगे हैं। वे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? हम उन्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र व्यावसायिक समुदाय के लिए खोल दिया गया है। आज, स्वास्थ्य सुरक्षा का व्यवसाय व्यापारी समुदाय के लिए खोल दिया गया है।

बड़े पैमाने पर व्यावसायिकरण हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा जैसा इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र निजीकरण के लिए खोला गया है। यह मूल बुराई है। खुली आर्थिक नीति, विश्वव्यापीकरण और लगातार निजीकरण से उपभोक्तावाद का विकास हुआ है और अनियंत्रित उपभोक्तावाद के कारण ये चिकित्सक भी अधिक धन कमाने की इच्छा से आकर्षित होते हैं।

आने वाले दिनों में हमें इस सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। दूसरों को दोष देने से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस समस्या का समाधान मंत्रालय या चिकित्सकों पर दोष लगाकर नहीं किया जा सकता। इसलिए, मेरा अभिमत और सुझाव है कि स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसे हमेशा सरकारी क्षेत्र में ही रहने देना चाहिए। अन्यथा, आने वाले दिनों में कोई भी नहीं बचेगा।

अपने आप को बरबाद करने के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारा अति-सुविधा भोग हमारी पीढ़ी को बरबाद कर रहा है। हमारे अल्पावधि लाभ और हमारी अल्पावधि सुविधाएं हमारा भविष्य बरबाद कर रही हैं। इसलिए हमें तर्कसंगत होना चाहिए तथा हमें अपने भविष्य के प्रति सचेत होना चाहिए। इसलिए, हमें आने वाले दिनों में समुचित स्वास्थ्य नीति तैयार करनी होगी।

चूंकि स्वास्थ्य एक सकारात्मक निवेश क्षेत्र है, अत:, मैं इस संबंध में कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। यह बहुत ही संगत उद्धरण है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक महत्वपूर्ण प्रकाशन से लिया गया है। मैं उसकी कुछ लाइनें यहां उद्धत करना चाहता हूं जिससे हम मूल समस्या को समझ सकें।

सभापति महोदय : क्या यह आपके भाषण का अंतिम भाग है? आपने 16 मिनट का समय ले लिया है।

डा. रामचन्द्र डोम : जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं उद्धत कर रहा हूं:—

> "हाल के दशकों में औद्योगीकृत देशों में उच्च प्रौद्योगिकी वाली महंगी चिकित्सा प्रणाली बढ़ी है; ऐसी प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में भी अपरिहार्य आकर्षण का कारण बनी हुई है। "स्वास्थ्य संक्रमण" शब्द का प्रयोग अति संक्रामक रोगों तथा कम जीवन क्षमता से पूर्णतया ग्रस्त विकासशील देश की रुग्णता तथा मृत्युदर की तसवीर में बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें पुरानी और अधिक शहरीकृत जनसंख्या में चिरकालिक असंक्रमणीय बीमारी का बढ़ता हुआ खतरा होता है।"

अत: हमारा पक्षपाती निवेश एक विशिष्ट वर्ग के हित में है। इसे त्याग देना चाहिए। हमारी निवेश प्रकृति आवश्यकता-आधारित होनी चाहिए। इस सुनहरे अवसर पर यह सही बात होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।



राजकुमारी रत्ना सिंह

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : ग्यारहवीं लोक सभा का सदस्य होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है।

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : हमारी लिस्ट तो कम से कम ऊपर नीचे मत करिए न।

सभापति महोदय : हम तो नहीं कर रहे हैं।

श्री पी. नामग्याल : नहीं किया तो है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उनसे संपर्क कीजिए। वे आपको बताएंगे।

श्री पी. नामग्याल : सूची में अगला नाम मेरा था।

सभापति महोदय : आप भी ठीक हैं, परन्तु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

राजकुमारी रत्ना सिंह : हमें स्वतंत्र हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। ये 50 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है हमने बहुत कुछ पाया हो परन्तु स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष तय करना पड़ा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रत्ना जी, आपने स्पीकर साहब से सिर्फ पांच मिनट का समय लिया है।

राजकुमारी रत्ना सिंह : अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : इसलिए आपको नामग्याल साहब पर ओवरराइडिंग प्रायरटी मिली है। आप उनका रीजेंटमेंट देख रही हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखियेगा।

[अनुवाद]

राजकुमारी रत्ना सिंह : यहां पर उपस्थित होना निश्चय ही एक विशेष गौरव की बात है और मुझे यह कहते ही बहुत गर्व होता है कि मैं उस परिवार की सदस्य हूं जिसने 1857 से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से था और हमने बहुत कुछ हासिल किया। हमारे परिवार ने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। हमारी छः पुश्तों ने राष्ट्र की सेवा की है। मेरे पिता राजा दिनेश सिंह बहुत समय तक एक मंत्री रहे और उन्होंने इस देश की सेवा की। उनके स्थान पर मैं यहां आई और मैं लोक सभा की सदस्य बनी। मुझे यहां विद्यमान रहने का गौरव मिला।

विगत पांच दिनों के दौरान मैंने अपने सभी नेताओं को राजनीति के अपराधीकरण पर चर्चा करते सुना। इस सत्र की पूर्व संध्या पर, मैं यह कहना चाहती हूं, मुझ पर घातक प्रहार हुआ और वह राजनीति के अपराधीकरण के कारण ही हुआ। विगत एक वर्ष के दौरान जिस बीच मैं संसद सदस्य थी, मेरे ऊपर कई घातक हमले हुए। मैं केन्द्र सरकार का अवश्य धन्यवाद करूंगी जिसने मुझे सुरक्षा प्रदान की और वे सम्भावित हमलों के बारे में समय-समय पर मुझे बताती भी रही। यह हमले न केवल उत्तर प्रदेश में मेरे जिले में ही हुए, अपितु ऐसे कई हमले पूरे भारत में उन राजनीतिज्ञों पर भी हुए जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं।

एक साल कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने लोगों के लिए बहुत काम करना चाहती थी परन्तु आधा समय तो अपराधियों को अपने इलाके से हटाने में लग गया और विगत दो महीनों के दौरान बी.जे.पी. के जिला अध्यक्ष पर कातिलाना हमले हुए। एक हफ्ता पहले एस.पी. के नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई और इस सत्र की पूर्व संध्या को मुझ पर घातक हमला हुआ। यदि हम अपराधीकरण की बात करते हैं तो मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगी कि इस अपराधीकरण के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस संकल्प को पढ़ा। वे शायद इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। यह संकल्प अत्यंग संगत है क्योंकि यदि हम अपने देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, यदि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो ऐसा करने का हमें अधिकार होना चाहिए। हमें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। मैं सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध करूंगी कि वे इसका समर्थन करें। यह केवल मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है बल्कि यह सभी की लड़ाई है। मैं अध्यक्षपीठ और सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे इस संघर्ष में मेरी सहायता करें। जैसा कि मैंने पहले कहा केन्द्र सरकार ने मेरी बहुत सहायता की है। गुण्डों से लड़ने में उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने मेरी बहुत सहायता की। परन्तु इससे पहले कि हम इन गुण्डों से, अपराधियों से लड़े हमारे जीवन पर घातक हमले होते रहे हैं और एक महिला होते हुए और वहां भी संसद सदस्य होते हुए यदि मेरे साथ यह होता है तो गरीब लोगों का क्या हाल होगा? मैं अपने इलाके के गरीबों के लिए बहुत सहानुभूति रखती हूं जो किसी के पास भी नहीं जा सकते। आज मैं संसद में बोल सकती हूं और लोगों ने यह अधिकार मुझे दिया है परन्तु जनसामान्य की सहायता कौन करेगा? पूरे देश में हमने इन अपराधियों को खुला छोड़ रखा है। उन्हें पार्टियों से समर्थन भी मिलता है। वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं।

अपराधीकरण केवल राजनीति में ही नहीं हुआ। बेचारे पत्रकार भी इसका सामना कर रहे हैं। बेचारे फिल्म वाले भी परेशान हैं, सभी वर्गों के लोग इनसे प्रभावित होते हैं। मेरे विचार से आने वाले वर्षों के लिए हमारा संकल्प इसी विषय पर होना चाहिए। दस सालों से हमारी व्यवस्था कुछ कमजोर पड़ गई है और अपराधी हमारे समाज में प्रवेश कर गए हैं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं और पार्टियों से अनुरोध करती हूं कि वे इस संघर्ष में मेरी सहायता करें। मैं सभी दलों से अनुरोध करती हूं कि अगले दस या पन्द्रह सालों में भारत की इस दिशा में सुधार लाने के काम में मेरी सहायता करें। प्रत्येक उद्योग और जीवन के हर वर्ष को प्रभावित करने वाले अपराधीकरण को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न हमें करना है। मुझे लगता है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमें स्वतंत्रता मिली। हम प्रगति कर रहे हैं। यह हो सकता है कि हमारी इस स्वतंत्रता से सबको संतुष्टि न हो परन्तु इसके साथ ही यह बात भी तो है कि हमारा देश एक ऐसा नया विशाल राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक है। हमारी समस्याएं रातों-रात तो नहीं सुलझ सकती। परन्तु जब तक अपराधीकरण को जड़ से उखाड़ा नहीं जाता तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। यदि हम सड़क बनाना चाहते है तो अपराधी हमें वह नहीं करने देंगे। यदि हम विद्युत स्टेशन बनाना चाहते हैं तो वे आकर इसे रोक सकते हैं। मेरे जिले में एक टेलीफोन टावर लगाया गया। श्री बेनी प्रसाद वर्मा इस बात के गवाह है। अपराधी काले झण्डें दिखाने का प्रयास कर रहे थे। मेरे चुनाव क्षेत्र में वे जमीन देने को तैयार नहीं थे। अतः यह हमारा संघर्ष होना चाहिए और मैं यहां उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि वह यह संकल्प लें कि न केवल हम संसद सदस्यों के लिए अपितु प्रत्येक नागरिक, हर बहन, हर भाई के लिए भारत को रहने का एक अच्छा स्थान बनाएं।



श्री पी. नामग्याल

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, स्पीकर साहब ने इस मोजेस एवान में खसूसी एड्रेस पेश किया। जिस में और बातों के अलावा हाउस की कार्यवाही में खलल करना, देश में गिरे हुए पोलिटिकल स्टेंडर्ड, बढ़ती हुई करप्शन, पब्लिक लाइफ में बेजाफ्तगी, महिलाओं की प्राब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यशाली में कमी, आबादी को बढ़ावा, गुरबत, इकोनमी और खारजा पालिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानि हरेक मौजूं पर जो कमियां और गिरावट देखने को मिली हैं।

रात्रि 12.30 बजे

[श्री पी.सी. चाक्को *पीठासीन हुए*]

इनको हाईलाइट किया गया है। इन मौजूं पर बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेम्बरान ने अपने तबसिरा मुअस्सिल तौर से रखे हैं। मैं इन सब मौजों को दोहराना नहीं चाहता। अलबत्ता चंद एक मौजू ऐसे हैं जिन पर अपने ख्यालात इस एवान के सामने रखना चाहता हूं।

आपको मालूम है कि मैं एक ट्राईबल कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं। इससे बेहतर मुअज्जिज मेम्बरान ने हर एक कम्युनिटी की समस्याएं किसी न किसी ढंग से या लहजे में पेश की, जैसे माइनॉरिटी, एस.सी. और एस.टी. की बात की लेकिन पासिंग रेफरेंस में एस.टी. की बात एस.सी. के साथ जोड़कर किया गया। लेकिन डिटेल्स में तीन मेम्बरान सदस्य के लिए मैं मशकुर हूं जिसमें भूरिया साहब थे, जो अभी यहां मौजूद नहीं हैं और हज़ारिका साहब और श्रीमती सुशीला जी ने एस.टी. की बात को मेंशन किया। इसलिए में भी इस इश्यू पर दो-चार बातें कहना चाहता हूं। किसी न किसी कम्युनिटी की अपनी अलग-अलग समस्याएं, प्राब्लम्स हैं।

हमारे देश में साढ़े सात प्रतिशत आबादी एस.टी. की है। यह आबादी ज्यादातर जंगलों, पहाड़ों या हमारे कुछ मैदानी इलाकों में रहते हैं। कुछ आबादी देश के बॉर्डर पर भी है। इनकी समस्याएं अलग हैं। खसुसी तौर पर उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो देश की सरहद पर बसते हैं और वे मंगोलाइट नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों के मसलें भी अलग हैं। देश में आज़ादी के बाद जो जागृति देश के कोने-कोने में आई तो इन ट्राईबल्स लोगों ने भी सदियों के आइसोलेशन के बाद आहिस्ता-आहिस्ता हमारी मेन स्ट्रीम में शामिल होना शुरू किया और इन आदिवासियों को यह एहसास हुआ कि नेशनल मेन स्ट्रीम में अकसर लोगों की नज़र में इन लोगों का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत करना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है, जैसे आम लोग जो ज्यादातर गरीब लोग हैं, कारों में नहीं चलते हैं, वे बसों में चलते हैं या पैदल चलते हैं। कहा यह जाता है कि जहां भी जाएं तो समझा जाता है कि ये लोग शायद नेपाली बहादुर हैं। जहां भी जाएं, इन्हें बहादुर नाम से ही पुकारा जाता है। यदि बस में जाते हैं तो पूछा जाता है कि बहादुर, आपके पास टिकट है? किसी दफ्तर में जाएं तो संतरी पहले ही रोक लेता है और यह बताया जाता है कि हम एम.पी. हैं तो पूछा जाता है कि आपके पास आइडेंटिटी-कार्ड है? किसी के साथ जायें, तो कोई आपत्ति नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेनस्ट्रीम में मैजोरिटी लोग हैं, इन लोगों को अपनाना चाहिए। इनको एहसास दिलाना चाहिए कि इस अज़ीम हिन्दुस्तान के ये बाशिन्दे हैं और बराबर के हकूक रखते हैं। यह एहसास आपको दिलाने की जरूरत है। इस वजह से लोगों में फीलिलेपचा होती है, वरना आप देख लीजिए, जितने भी बार्डर पर लोग हैं, चाहे वे भूटिया हों, नेफ्था हों, नागाज़ हों या मिजोज़ हों, जो ऐसे एथनिक ग्रुप्स के हैं, उनकी अपनी समस्यायें हैं। नार्थ-ईस्ट में समस्या है, मिजो की समस्या है। इसी तरह से आपके दार्जिलिंग में गोरखों की समस्या है और लद्दाख क्षेत्र में भोटो कहिए या भूटिया की समस्या है। ये समस्यायें क्यों हैं? ये समस्यायें इसलिए हैं कि उनको एन्टी-नेशनल कहा जाता है, जबकि ये एन्टी-नेशनल नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वे देशभक्त नहीं हैं, वे देशभक्त हैं। बोडो की समस्या है और इसमें भी मैजोरिटी नेशनलिस्ट है। ये हर तबके से आते हैं। मेरे क्षेत्र में फन्डामेंटलिज्म की समस्या है। ये भूटिया जाति के लोग अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, किसी भी तरह से बचाकर रखना चाहते हैं। इसको बचाकर रखकर ही समस्या को खत्म कर सकते हैं। हमारे देश के जो निवासी हैं, वे इस बात को समझें और उन पर ट्रस्ट करें। मैं समझता हूं कि जितने भी बार्डर पर लोग रहते हैं, खसूसी तौर पर भूटिया और लेप्चा, वे देश की रक्षा करते हैं। जब तक आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये ट्राइबल लोग देश के मेन-स्ट्रीम में हैं। मिसाल के तौर पर कल एक बात हमारे माननीय सदस्य, श्री चमनलाल गुप्ता, ने यहां पर कही। मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने इस सवाल को यहां पर उठाया। लद्दाख हमारी आटोनोमस काउन्सिल है। पिछले दो साल से जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब भी फ्लैग अनफर्ल होता था, तो उसके चेयरमैन करते थे। पोपुलर सरकार आई और आटोनोमी इशू को मैनीफैस्टो में स्थान दिया कि हम काश्मीर को आटोनोमी दिलायेंगे। तीनों रीजन को आटोनोमी दे देंगे। इस पर लोगों ने वोट दिया और नेशनल कान्फ्रेंस पार्टी को अकसरीयत मिली तथा उन्होंने सरकार बनाई। यह डैमोक्रेसी का मसला है। जब पापुलर सरकार आई तो आटोनोमी भूल गये और उन्होंने कहा कि हम काउंसिल चीफ से झंडा नहीं लहराने देंगे, हम अपने मंत्री को भेजेंगे। नतीजा यह हुआ कि सारे लद्दाख के लोगों ने सरकारी फंक्शन का बायकाट किया और काउंसिल के चेयरमैन ने अलग झंडा फहराया। वहां पर सब लोग मौजूद थे, यहां तक कि वहां पर जो सरकारी मुलाज़िम थे वे भी सरकारी फंक्शन में नहीं गये, मंत्री को अपना-सा मुंह लेकर वापस जाना पड़ा तो इस तरह की जो प्रोब्लम है वह पोलिटीकल मकसद के लिए उठा कर लोगों को गलत रास्ता

दिखा रही है। मैं यह कहूंगा कि जो ऐसे मसले हैं उन्हें हमें अवाइड करना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखने की जरूरत है, जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराने का मसला था। हमें वेलकम करना चाहिए कि जो नेशनलिस्ट्स लोग थे वे झंडा लहराना चाहते थे और यहां से उनको नहीं लहराने दिया जा रहा था। ...*(व्यवधान)*

महोदय, यहां पर करप्शन की बातें बहुत कहीं गईं। आपको मालूम है, एक मिसाल है कि करप्शन अकार्डिंग टू मुस्लिम एंड क्रिश्चयन। आदम और हौआ जन्नत में भेजे गए थे और उनको वहां पर मना किया था कि यहां पर आपने किसी चीज को टच नहीं करना है। वहां पर सेब थे तो उन्होंने कहा कि चलो हम चोरी से यह खालें, उन्होंने वह खा लिये। कहा जाता है कि उनको दुनिया में सजा देकर भेज दिया गया। कहा जाता है कि वहां से करप्शन शुरू हुई थी, तब से हमारी जो जमीन है वह बनी थी तो मैं कहूंगा कि जो करप्शन है उसको बिल्कुल खत्म कर देना मुमकिन नहीं है लेकिन कम किया जा सकता है। उसके लिए हम सब को मिल कर सोचना चाहिए, नहीं तो मैं यह कहूंगा कि आप करप्शन को लीगलाइज़ कर दीजिए। इन लाइटर वेन सरकारी कर्मचारी हो या कोई मंत्री हो उनको सैलेरी मत दो। वकील लोग वकालत करते हैं उनको तो करप्ट नहीं बोलते। वह फीस लेता हैं, अपना काम करता है, किसी का केस जीतता है, किसी का केस हारता है। इसके लिए या तो आपको सख्ती से कुछ न कुछ स्टेप लेना होगा, नहीं तो यह काम ऐसी जुबानी तकरीर करके, जुबानी जमा खर्च करके करप्शन खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए हम सब को मिल कर इस पर कोई रेजोल्यूशन लाना चाहिए, इसको कैसे भी बंद किया जाए।

महोदय, समय नहीं है, मैं और भी इशुज़ के बारे में कहना चाहता था। ...*(व्यवधान)* इलेक्शन के बारे में बहुत सारे अच्छे-अच्छे सजेशंस दिये गये। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, मैं उसके फेवर में हूं और ऑल परपज़ आईडेंटिडी कार्ड होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सजेशंस हैं उनको इम्पलीमेंट करने की जरूरत है लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि 1989 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने अपने लोकल मेनीफेस्टों में यह कहा था कि मैं करप्शन के लिए लड़ाई लड़ूंगा। जब यह बात पापुलर हो गई तो वहां की सरकार, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर, वहां की सारी पुलिस सब एक हो गए और मुझे गिरा दिया। ...*(व्यवधान)* अगर आप अपने क्षेत्र के लिए ठीक से काम नहीं करेंगे तो कल आपको यहां आने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये दो-चार इशुज़ हैं। ...*(व्यवधान)* इसमें कोई रेजोल्यूशन लाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं यहां छह दिन से लगातार इंतजार कर रहा था। मैं माननीय स्पीकर साहब को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

आजादी की 50वीं सालगिरह के अवसर पर मुझ जैसे नाचीज द्वारा जंगे आजादी के शहीदों को और उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन हिस्से जेल में कांटे, लाठियां खाईं, जिंदगी बर्बाद की और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दिया और स्पीकर साहबान ने जो मुद्दे बहस के लिए देकर, बहस करने का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।



श्री एल. रमना

***श्री एल. रमना** (करीमनगर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का 5000 वर्षों का एक शानदार इतिहास रहा है लेकिन राजनीतिक रूप से देश आज जितना संगठित है उतना पहले कभी नहीं रहा। स्वतंत्र भारत का पिछले 50 वर्ष का इतिहास निर्विवाद रूप से यह सिद्ध करता है कि हमारा देश एक है। हमारा देश बहुधर्मी और बहुभाषी देश है इसके साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र की एक अपनी पृष्ठभूमि है। फिर भी हम संगठित रहने और देश को विकसित करने में सफल रहे हैं। इस प्रकार विश्व में भारत की अद्वितीय छवि बनी हुई है।

50 वर्षों के दौरान की उपलब्धियों पर बोलने से पहले हमें उस सच्चाई का स्मरण करना है जिनके द्वारा देश में प्रजातंत्र की स्थापना में सफलता मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति से ग्यारहवीं लोक सभा के लिए हुए चुनावों तक यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि देश में प्रजातंत्र की जड़े गहरी हैं।

महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं। एक किसान को एक राजा माना जाता है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वही किसान समुदाय जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, की उपेक्षा की गयी है। सबसे अधिक उपेक्षित यह समुदाय हताश और कमजोर हो रहा है। आने वाली सरकारों ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया है। जब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है तो उनको लाभकर मूल्य मिलने की बात ही क्या करें? जब किसानों को एक वर्ष में अच्छी आय प्राप्त होती है तो वे व्यापार के लिए या अन्न के लिए वही फसल उगाते हैं। लेकिन अगले मौसम में उन्हें अपने उत्पाद के लिए पिछले वर्ष की भांति मूल्य प्राप्त नहीं होगा। चूंकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है इसलिए फसल में निवेश की गई राशि भी बड़ी मुश्किल से उन्हें मिल पाती है। इसलिए वे निर्धन के निर्धन ही रह जाते हैं और अपनी जीविका के लिए संघर्ष करते हैं। श्री राजेश पायलट जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को सही ढंग से उठाया है। यह सच है कि वे अभी भी अन्न, कपास और गन्ने जैसी व्यापारिक फसलों को बेचने के लिए दलालों पर निर्भर हैं। इसलिए यह सच है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के दौरान किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों को यह नहीं मालूम कि फसल में निवेश की गई राशि से उनको कितना लाभ होगा। दिनों दिन उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। वे निर्धन से और निर्धन हो रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय खाद्यान्न

*मूलतः तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उत्पादन 5 लाख टन था और अब यह 20 करोड़ टन हो रहा है। यह हमारे किसानों के सतत् प्रयासों का परिणाम है कि हम खाद्यान्न में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हैं बल्कि हमने विभिन्न देशों को खाद्यान्न निर्यात करना शुरू कर दिया है और इससे हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। इसलिए सरकार अब किसान समुदाय की और अपेक्षा नहीं कर सकती है। आगामी वर्षों में किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सभी संभव कदम उठाये।

महोदय, 50 वर्षों के दौरान देश में हुए औद्योगिक विकास का अत्यन्त महत्व है। फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। आगामी वर्षों में औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है।

आज देश के नवयुवक दिशाहीन हैं। हम एकता और अखण्डता के लिए नवयुवकों पर निर्भर हैं। हम उन्हें, विशेषकर ग्रामीण नवयुवकों को रोजगार देने में असफल रहे हैं। शिक्षित और अशिक्षित नवयुवक दोनों ही बेरोजगार हैं। अपनी आजीविका न कमा पाने के कारण वे हिंसक हो रहे हैं। उनमें अशांति व्याप्त है। इसलिए देश में कानून व्यवस्था की समस्या उठ रही है। बेरोजगारी और वित्तीय कठिनाईयां ही केवल अशांति का कारण हैं। आने वाली सरकारें भी उनको रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही हैं। आन्ध्र प्रदेश में भी कानून व्यवस्था की समस्या है। आज उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। सरकार उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ाने के आर्थिक और भौगोलिक कारण जानने का प्रयास करें और इन गतिविधियों को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय करें। जैसा कि मैंने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार अकेले इस समस्या का निपटान नहीं कर सकती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्य और क्षेत्र हैं। हमारा देश विशाल है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की पूर्ण रूप से सहायता करनी चाहिए। अब तक हमने आठ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की हैं लेकिन इन योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम असफल रहे हैं। अभी भी लक्ष्य बहुत दूर है। इन योजनाओं की असफलता का मूल कारण यह है कि ये योजनाएं दिल्ली या अन्य राज्यों की राजधानियों के वातानुकूलित कमरों में बनायी जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को नहीं पहुंचा है। यही कारण है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पिछड़े और अनपढ़ हैं। योजनाएं गांव को आधार मानकर बनाई जानी चाहिए तभी वे अर्थपूर्ण हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उनके विकास के लिए क्या चाहिए। योजनाओं में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताएं परिलक्षित होनी चाहिए। सरकार को इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन आबंटित करना चाहिए तभी योजनाएं सफल होंगी। हमारे प्रिय मुख्य मंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू, जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, ने आन्ध्र प्रदेश में लोगों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र के लोगों; की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कदम उठाये हैं। वह जानते हैं कि पिछले 5 दशकों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी का कोई सहयोग और प्रतिबद्धता नहीं रही। यही कारण है कि उन्होंने "प्रजाला वड्डक्कू पालना" (लोगों के पास प्रशासन लाना) जैसी कुछ योजनाओं का श्री गणेश किया। उन्हें लोगों की 50 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से वे कई शिकायतों का समाधान भी कर चुके हैं। उन्होंने "श्रम दानम" जैसे कार्यक्रम भी चलाये हैं। कुछ ऐसी योजनाएं है जिन्हें केन्द्र सरकार वित्त पोषित करती है और राज्य सरकारें लागू करती हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने "जन्म भूमि" योजना शुरू की जिसे बहुत अधिक सफलता मिली है। महोदय हमारे प्रिय मुख्य मंत्री ने लोगों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किये हैं वे अनुसरणीय हैं। इस प्रकार निधियों को लोगों के उपयोग के लिए और अच्छी प्रकार से व्यय किया जा सकता है।

जब मैं कालेज में एक विद्यार्थी था तो पंचायत समिति चुनाव में मैंने एक कार्यकर्ता का काम किया। तब मुझे मालूम हुआ कि "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत जो धनराशि आबंटित की गई थी उसकी आधी धनराशि दलाल और अपने आपको तथाकथित विशेषज्ञ कहलाने वाले डकार गये। लेकिन भाग्यवश आज ऐसी स्थिति नहीं है। इस प्रकार की योजनाओं के लिए जो धन उपलब्ध कराया गया है वह करों के रूप में प्राप्त लोगों की कड़ी मेहनत का धन है। इस तरह की पूंजी का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि इन निधियों का दुर्विनियोग हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिये अनिवार्य न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं अभी तक भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। कम से कम आने वाले दिनों में तो हमें इस ओर अपना ध्यान अवश्य केन्द्रित करना होगा कि हम जनता को ये सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। बच्चों को शिक्षा प्रदान करना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी भी देश में अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत काफी अधिक है। निरक्षरता हर कार्यक्रम में बाधक बनती है। पति और पत्नी दोनों अपनी आयु और स्वास्थ्य के रहते काम करते हैं और जीविका अर्जन करते हैं। और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनका कोई सहारा नहीं रह जाता। इसलिये बूढ़े लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन, जिसे अब लागू किया जा रहा है, हमारे गांवों के सभी वृद्धि व्यक्तियों को नहीं मिल पा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे देश के सभी वृद्ध व्यक्तियों को इस योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाए।

सरकार को प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास करना चाहिए। देश का हर गांव सड़क से भली-भांति जुड़ा होना चाहिए और सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

महोदय, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता। जन्म के समय कोई भी डाक्टर, वकील, इंजीनियर या राजनीतिज्ञ नहीं होता। यह सब उसके पालन-पोषण और उसके आस-पास के वातावरण पर निर्भर करता है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अपराध करने के उद्देश्य से अपराध नहीं करता बल्कि परिस्थितियां ही व्यक्ति को गलत और वर्जित रास्ते पर चलने के लिये मजबूर कर देती हैं। किंतु इसका आशय यह नहीं है कि राजनीतिज्ञों को अपराधियों को आश्रय देना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण एक अस्वस्थ परम्परा है। संगीत की दुनिया से जुड़े श्री गुलशन कुमार जी की कुछ दिन पहले ही मुम्बई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। संगीत प्रेमियों विशेषकर भक्ति-संगीत के प्रेमियों के लिये यह एक बहुत बड़ा आघात है। हम हर सुबह उनका संगीत सुनते हैं। छिपे हुए अपराधियों ने उन्हें बड़ी निर्दयता से समाप्त कर दिया। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दुबारा न दोहराई जाएं। इस ओर भी कदम उठाए जाने चाहिए कि लोगों को साहस और कानून के नियमों का पालन करने की शिक्षा दी जाए। आज चारों ओर नैतिकता का पतन हो रहा है। देश बेईमानी और घोटालों में घिरा हुआ है। निश्छल लोगों को धोखा दिया जाता है। सरकार को इस

ओर भी ध्यान देना चाहिए कि देश को इस तरह के अपमानजनक कार्यों से बचाया जाए।

महोदय, महान राष्ट्रीय नेताओं के भाषण देश की जनता को प्रेरणा देते हैं। इसलिये प्रसारण माध्यमों में उन्हें प्रमुखता दी जानी चाहिए।

मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री किशन लाल दिलेर अगले वक्ता हैं। मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। आपकी अनुमति से महिला सदस्यों को पहले बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। हमारे पास व्यर्थ गंवाने के लिए बिल्कुल समय नहीं है।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : दिलेर साहब, अपना भाषण सभा पटल पर पेश कर चुके हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुसमरिया जी, मैं महिला सदस्यों को पहले बुला रहा हूं। यहां तीन महिला सदस्य हैं। हम पहले उन्हें बोलने का मौका देंगे। वे दस मिनट से अधिक नहीं बोलेंगी।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : मेरा नाम सूची में है।

सभापति महोदय : जी हां, आपका नाम सूची में शामिल है। इसलिए मैं आपका नाम बोल रहा हूं। अगले सदस्य हैं। श्री किशन लाल दिलेर।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : पहले मेरा नम्बर है।



श्री वीरेन्द्र कुमार

रात्रि 1.00 बजे

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर इस विशेष सत्र में गत चार दिनों से अनेक नये एवं पुराने सांसदों के उद्‌बोधन से कई महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर सामने आए हैं। 15 अगस्त, 1947 को हमारा राष्ट्र परतंत्रता की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्र हुआ था। इस संघर्ष में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, मदनलाल धींगड़ा, वासुदेव बलवंत फड़के, रामप्रसाद बिस्मिल्ल, राजगुरू, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान से हमने आजादी तो प्राप्त की, किन्तु हमने अपने देश का सिंध खोया, पंजाब का हिस्सा खोया, बंगाल खोया और जिन क्रांतिकारियों ने अपना जीवन राष्ट्र के नाम होम कर दिया, आज उन क्रांतिकारियों के परिवार का कोई न तो लोक सभा सदस्य है, न ही कोई सदस्य किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री है। हमारे सदन में भी आजाद हिन्द फौज के महान सेनापति सुभाष चंद्र बोस के एक सेनानी बाबूराव जी परांजपे यहां उपस्थित हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बंदूक की गोली खाई। एक पैर फ्रैक्चर हो गया था और कई दिन भूखे रहकर अनेक कष्ट सहकर उस लड़ाई को लड़ा था लेकिन उसके बदले में न तो कोई पेंशन के लिए आवेदन किया और न ही पांच-दस एकड़ जमीन के लिए निवेदन किया।

मान्यवर, आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का पता लगाकर उनका विशेष रूप से सम्मान किया जाता तो सारा राष्ट्र गौरवान्वित होता। पचास वर्षों में हम यह तो नहीं कहते कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ा किन्तु विकास की गति जितनी तीव्र होनी चाहिए थी उतनी तेज नहीं रही। ऊंची गगनचुंबी इमारतें क्या इस देश के विकास का मौडल होंगी? लंबी-लंबी चमचमाती विदेशी आयातित कारों से झांकते हुए विदेशी नस्ल के कुत्ते क्या इस देश के विकास के मौडल होंगे, बढ़ते हुए एड्स के मरीज क्या इस देश के विकास के मौडल होंगे, निराशा से जूझती नशे में झूमती युवा पीढ़ी क्या इस देश के विकास का मौडल होगी, टूटते बिखरते परिवारों की बढ़ती हुई संख्या क्या इस देश के विकास का माडल होगी? इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति को जब तक रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं हो जाते, सर छुपाने के लिए छत नहीं मिल जाती, अस्वस्थ होने पर दवा नहीं मिल पाती, तन ढांकने के लिए वस्त्र उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक विकास के लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है, ऐसा नहीं माना जा सकता।

हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। महात्मा गांधी जी ने ग्राम राज के माध्यम से रामराज का सपना पूरा करने का जो आह्वान किया था वह आज भी अधूरा है। गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालयों का अभाव है। कई ग्रामों में एक ही शिक्षक पांच-पांच कक्षाओं को शिक्षा दे रहे हैं। कहां तक बच्चों का शैक्षणिक विकास हो पाएगा, ग्रामों में उच्च शिक्षा का अभाव है। दूर-दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं हैं, एप्रोच रोड नहीं हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बरसात के दिनों में कई ग्राम तीन-चार माह के लिए शहरी क्षेत्रों से कट जाते हैं तथा नारकीय जीवन जीने को बाध्य हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाएं तो बहुत बनती हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं इसका परीक्षण करने की आवश्यकता तथा असमानताओं को दूर कर विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

शिक्षा को रोज़गारोन्मुखी बनाया जाना जरूरी है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के पश्चात् जब नवयुवक रोजगार की तलाश करते-करते

परेशान हो जाता है तो युवाओं में घोर निराशा पैदा होने लगती है और वह अपराध की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने लगता है जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए घातक है। अत: युवा पीढ़ी के भटकाव को रोकने के लिए रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

मजदूर दिन-रात परिश्रम करता है। उद्योगों, कारखानों एवं मिलों की मशीनों को अपने श्रम द्वारा लगातार चलाता है। देश की आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। उस मजदूर की व्यापार में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए तब उत्पादन में एवं निर्यात में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि स्वाभाविक रूप से हो जाएगी।

समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारी ने अपने कर्तव्य बोध द्वारा प्रभावशाली ढंग से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। खेत खलिहान से लेकर तकनीकी क्षेत्र में हवाई उड़ान में भी अपनी दक्षता का कुशल प्रदर्शन किया है। अत: राजनैतिक एवं सामाजिक हिस्सेदारी में पर्याप्त स्थान एवं सम्मान नारी को मिलना चाहिए। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हमारे देश के जो छात्र यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, समुचित साधनों एवं सुविधाओं के अभाव में विदेश की ओर चले जाते हैं। उन्हें पर्याप्त सम्मान एवं रोज़गार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमने अनेक प्रक्षेपास्त्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। अगर हम अपने वैज्ञानिकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो इस क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं हैं।

भ्रष्टाचार इतना आम हो गया है कि शिष्टाचार के रूप में जाना जाने लगा है। कोई स्थान इसके प्रभाव से बच नहीं पाया है। लोगों को आश्चर्य तब होता है जब कोई कार्य बगैर सिफारिश एवं सेवाशुल्क के हो जाता है। गरीब व्यक्ति एवं छात्र तो जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र भी बगैर पैसा दिये नहीं बना पाते हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए दोषी व्यक्तियों को कड़े दंड दिये जाने चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए इनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर ऊंचा करने के लिए काफी योजनाएं बनाई जाती हैं, किन्तु इनका उचित प्रकार से लाभ इन वर्ग के व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। किसी के नाम से आबंटित भूमि पर कब्ज़ा किसी और का रहता है। ऋण किसी के नाम पर निकलता है, उपयोग दूसरा करता है। इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

संसद सदस्यों पर देश की सारी जनता की निगाहें रहती हैं। हमें अपना आचरण एवं व्यवहार पारदर्शी रखना चाहिए। चुनावों के बाद एकदम से पैसा मकान एवं वाहन कैसे बढ़ जाते हैं। अत: चुनावों के समय प्रत्याशी अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें, इसे संसद में बिल के माध्यम से अनिवार्य किया जाना चाहिए।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों के मतावलंबियों को अपनी उपासना पद्धति के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिन्दू जीवन पद्धति ही काफी उदार है। हम प्यार करते हैं, अशफाक उल्ला खां से जो आजादी की लड़ाई में हंसते-हंसते शहीद हो गये। हम प्यार करते हैं अब्दुल हमीद से, जो भारत-पाकिस्तान युद्ध में शत्रु के 11 पैटन टैंक उड़ाकर युद्ध क्षेत्र में बलिदान हो गये मां भारती के लिए। हम प्यार करते हैं मौहम्मद अजहरूद्दीन से जो क्रिकेट के मैदान में हमेशा भारत को जिताने की भावना से खेलते थे। हम प्यार करते हैं मोहम्मद रफी से जिन्होंने कबीर के दोहे एवं रामायण की चौपाइयों को भी एक भक्त से ज्यादा तन्मयता से गाया था। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए आवश्यक है ''दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले'', बड़े भाई एवं छोटे भाई का रिश्ता बनाकर चलेंगे तो इस देश में कभी साम्प्रदायिक तनाव नहीं हो सकता।

हमारे देश में किसान बहुत मेहनती हैं। हमारी भूमि बहुत उर्वरा है। अगर किसान को पर्याप्त खाद, बीज, पानी एवं बिजली समय से उपलब्ध हो जाती है तो हमारा किसान इतना कमा सकता है कि कुछ ही वर्षों में राष्ट्र का सारा कर्जा चुकाकर भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है।

बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है जिसके दुष्प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। अत: जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिये सभी के लिए समान रूप से नियम बनाने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में तथा पिछड़ी बस्तियों में जनजागरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।

आज आजादी की 50वीं वर्षगांठ के इस विशेष सत्र पर आत्मचिंतन की आवश्यकता है, तभी हमारा राष्ट्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हमारे राष्ट्र में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। यहां बड़ी-बड़ी नदियां है, पहाड़ हैं, खनिज हैं। कोयला, सोना, हीरा तथा प्रचुर मात्रा में वनस्पतियां औषधियां हैं। इनका भली प्रकार से उपयोग किया जाए तो भारत पुन: सोने की चिड़िया बन सकता है।



श्रीमती कमल रानी

श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर) : सभापति जी, आज़ादी की स्वर्ण जयन्ती के शुभ अवसर पर जो वक्तव्य अध्यक्ष जी ने दिया है, उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूं। इस तरह का जो विशेष सत्र आप बुलाते हैं और इसमें तमाम तरह के विचारों को व्यक्त करने का अवसर देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या इन वक्तव्यों से और भाषणबाजी से हम अपने समाज को और देश को कुछ दे पाते हैं? क्या हमने कभी अपने मन में इन सब बातों को उतारने का प्रयास किया है? मैं जहां तक समझती हूं कि जब तक हम अपने से ही शुरूआत नहीं करेंगे, तब तक हम देश या समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे।

सभापति जी, मैं देश में मज़दूरों की सामाजिक और आर्थिक दशा की ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी पचास वर्षों के अंतराल में कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं बना सका। संसद में होते हुए भी हम अपना ध्यान मजदूरों के हितों की ओर आकर्षित नहीं कर सके। आज हमारे मजदूर आत्मनिर्भर नहीं हैं। देश के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर मज़दूरी के नाम पर मज़दूरों के साथ भेदभाव किया जाता है। देश की औद्योगिक नीति की मैं क्या तारीफ करूं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर में मज़दूर भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। पुराने समय के लोग टैस्को का जूता और एल्गिन मिल के तौलिये उपहार स्वरूप मेहमानों को दिया करते थे परंतु वही मिलें देश की गलत औद्योगिक नीति के कारण बंद हो गई हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि कम से कम भुखमरी के कगार पर जो मज़दूर पहुंच चुके हैं उनकी ओर आप ध्यान दें। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि जहां एक लाख मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं, वहीं तीन लाख परिवार भुखमरी की ओर बढ़ चुके हैं। अगर हम आज मज़दूरों की बिगड़ती हालत नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? जहां एक ओर आतिशबाजी में करोड़ों रुपये विजय चौक पर फूंक दिये गये, वहां पर हजारों कन्याएं इसी तरह से बरबाद हुई हैं, दहेज की शिकार हुई हैं जिसमें उनको जलना पड़ा था। तमाम बेरोज़गार भाइयों के अरमान उस दिन जले थे जिस दिन विजय चौक पर आपने आतिशबाजी की नुमाइश की थी।

इसी तरह क्या हमने कभी ध्यान दिया उन मज़दूरों पर जो बीड़ी बनाने वाले हैं, जो खदान में मज़दूरी करते हैं और इसी तरह-तरह के तमाम मज़दूर जो ईंट-भट्टों में काम करते हैं? क्या हमने कभी उन्हें मुड़कर देखा कि वे आज़ादी की पचासवीं वर्षगांठ किस तरह से मना रहे हैं? मज़दूरों को समाज में स्थापित करने के लिए हमें उनके लिए रोटी, कपड़ा और छत का प्रबंध करना जरूरी है। इसके लिए उद्योग-धंधों में मज़दूरों की भागीदारी से संबंधित विधेयक भी अतिशीघ्र पारित करना चाहिए।

मैं कानपुर क्षेत्र से आती हूं और वहां के लोगों ने मुझे चुना है। जहां एक ओर हम मज़दूरों का रोना रो रहे हैं, वहीं मैं कहना चाहती हूं कि देश के सभी मजदूर देश के किसी न किसी कोने में पड़े हुए रो रहे हैं और हम करोड़ों रुपये यहां पर फूंककर इस देश की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? आज महिलाओं की दुर्दशा भी कम नहीं है। आज हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है। केन्द्र एवं राज्य स्तर पर जो महिला आयोग गठित हुए हैं, वह महिलाओं पर हो रहे अत्यधिक अत्याचारों को रोकने में कामयाब हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार महिला आयोगों को अधिक सशक्त बनाकर उनको पर्याप्त अधिकार दिलवाए ताकि वह महिलाओं पर हो रहे अत्यधिक अत्याचारों पर रोक लगा सकें। ताकि वे महिलाओं पर हो रहे आपराधिक अत्याचारों पर रोक लगा सकें। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूं। हम यहां पर स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को उन क्षेत्रों में भी ले जाना चाहती हूं, आपको वहां पर दिखाना चाहती हूं कि आज भी बच्चों की शादियां उनके बाल-विवाह हो रहे हैं। उनको गोद में लेकर भांवरें पड़ रही हैं। शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इतने छोटे बच्चे होते हैं कि उनको गोद में लेकर उनके अभी भी बाल-विवाह हो रहे हैं। क्या हम लोगों ने कभी जानने का प्रयास किया कि ऐसा भी होता है। शायद आप लोगों को यह सपना लगे। लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रही हूं कि मैं ऐसी-ऐसी जगहों पर गई हूं और मैंने देखा है। विधवा विवाह की बात करते हैं, बहुत दिन पहले हमारे नेताओं ने विधवा विवाह को रखा था। लेकिन आज हम यहां आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लेकिन वहां पर विधवाएं परतंत्रता की कोठरी में आज भी बंद हैं। वे उसी तरह से दुखी हैं।

सभापति महोदय, इस सदन में वरिष्ठ सदस्य श्री माधव राव सिंधिया ने हमारे पूर्व के प्रधान मंत्रियों के नामों का उल्लेख किया इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सत्ता के बारे में भी उल्लेख किया था। मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंहराव जी के शासनकाल का उल्लेख क्यों नहीं किया। मैं यह पूछना चाहती हूं। क्योंकि उनके जो कारनामें हैं, आज हिन्दुस्तान में ही नहीं, बाहर देशों में भी वह अपने कारनामों के द्वारा प्रसिद्ध हो चुके हैं। मैं यह इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं अभी अमरीका से होकर लौटी हूं। अमरीका में जो उनकी छवि बन चुकी है, उस छवि की वजह से पूरे हिन्दुस्तान की छवि वहां पर धूमिल हुई है। मैं अपने भारतवासियों से वहां पर जाकर मिली थी। भारतवासी छोटे-छोटे बच्चों से मैंने बात की है। उनके बीच में मैंने अपना कार्यक्रम रखा था। उन छोटे बच्चों से जब मैंने परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अमरीका का निवासी हूं, भारत का नहीं। मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, तो कहने लगे कि जब वहां का प्रधान मंत्री ही इस तरह का भ्रष्ट हो, वहां के मंत्री इस तरह के घोटालों में फंसे हों तो अमरीका में रहकर हम अपने को उस देश का कैसे कह सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि यह मेरा देश है। वहां के हमारे लोगों के आदर्श जिनकी प्रेरणा से हम यहां आये थे, आज हम कैसे कहें कि वह हमारे प्रधान मंत्री हैं, इसलिए हम अपने को हिन्दुस्तानी कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मुझे इस बात से कष्ट हुआ और उस कष्ट को मैं आज यहां आपके बीच में रख रही हूं। तो इस तरह से अपने देश में हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि जो हम लोग दूसरों को अपने देश के बारे में बताया करते थे, आज उस देश के लोग अपने आपको इस देश का कहने में शर्म महसूस करते हैं। आज हमारे देश की जनता इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई है कि निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तथा हर स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है और आज उच्च स्तर पर उतना ही भ्रष्टाचार है तो निम्न स्तर के लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे, उनकी क्या स्थिति होगी इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। आज हमारे देश के गरीब, कृषक और मजदूरों के हितों की लड़ाई कौन लड़ेगा। उनके दमन के लिए क्या-क्या नहीं किया जा रहा है। उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनके साथ ब्लाक स्तर से लेकर जिला स्तर तक या अन्य स्तर तक पर भ्रष्टाचार की बू नजर आती है। इस भ्रष्टाचार को जरूर समाप्त करना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगुवाई कौन करेगा। आज हमारे यहां इतने लोग हैं लेकिन अगुवाई

करने के लिए कौन आगे आयेगा। कौन इनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व करेगा। आज आप सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाहती हूं कि इस देश के लोगों में ईमानदारी का होना आवश्यक है। जहां तक मेरा अपना कहना है कि जब तक हम सभी के दिलों में अपने देश के प्रति कर्तव्य और ईमानदारी से अपना काम करने की जो ईमानदारी होती है, नहीं आयेगी, अपने देश के प्रति प्रेम भावना नहीं आयेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कई अन्य देशों में जाकर देखा है कि वहां के लोग अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही ईमानदारी रखते हैं। अगर उनका समय निश्चित है कि उन्हें इतने समय तक काम करना है तो उतने समय तक वे काम करते हैं। उससे भले ही उनका पारिवारिक नुकसान हो। लेकिन वे किसी भी काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं। क्योंकि वे अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझते हैं। जबकि हमारे यहां की स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी है। चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे कोई कारखाना हो, कोई भी काम नहीं करना चाहता है। लेकिन इसकी शुरूआत कैसे होगी इसके लिए आपको 50 साल से पूरा अब तक देखना पड़ेगा कि स्थिति को बरबाद करने वाले कौन लोग थे और किस तरह से उनको कामचोर बनाया गया। देश के प्रति हमारे मन में, हमारे बच्चों के मन में जो राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, आज उसमें कमी आई है। स्कूलों में शिक्षा दी जाती है लेकिन शिक्षा के साथ देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ऐसे पाठ स्लेबस से लगभग खत्म होते जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अपने पाठ्यक्रम में हम देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, ऐसे पाठों को भी शामिल करें ताकि बच्चों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगाई जा सके, उन्हें राष्ट्र-प्रेम के पाठ पढ़ाए जा सकें।

अब मैं किसानों के बारे में कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती कमल रानी : मेरी मांग है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित दाम मिले जिससे उनके जीवन-स्तर में सुधार आ सके। आज वे दिन-रात मेहनत करके, गर्मी, बरसात और जाड़े में मेहनत करके जो अनाज पैदा करते हैं परन्तु उन्हें वास्तविक धन नहीं मिलता। अगर उन्हें उपज का उचित धन मिले तो हमारे कृषक मजबूत हो सकते हैं। देश में आज जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, वह हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है और हम महिलाओं के सामने बहुत कठिनाई पैदा हो जाती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए। नौजवानों की कुरबानी का सम्मान होना चाहिए।

हम देखते हैं कि हमारे नेता बड़े-बड़े अक्षरों में 'मेरा देश महान' का चिन्ह लगाकर घूमते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे कैसे हमारा देश महान बन सकता है। मैं चाहती हूं कि दलितों का उत्थान, कृषकों को काम और महिलाओं को सम्मान मिले तभी देश महान हो सकता है। मैंने यहां जिन बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाया है, यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा देश महान बन सकता है।

अंत में यही कहना चाहूंगी—

न बदलोगे तो मिट जाओगे ए हिन्दुस्तां वालो।
तुम्हारी दासतां भी न होगी, दासतानों में।।



श्रीमती लक्ष्मी पनबाका

[अनुवाद]

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका (नेल्लोर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

डा. बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को न्याय दिलाने के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष किया। उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बाबा साहिब डा. बी.आर. अम्बेडकर दलित समुदाय के जनक हैं। उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दलितों के लिए संविधान में आरक्षण का उपबंध किया।

संविधान में किए गए आरक्षण के उपबंधों का महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे नेताओं सहित भारत की संपूर्ण जनता ने समर्थन किया। लेकिन फिर भी आजादी के बाद 50 साल की लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद कोई भी राज्य निर्धनों और दलितों के लाभ के लिए इन संवैधानिक उपबंधों और आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उच्च योग्यता प्राप्त करने के बावजूद शिक्षित दलितों को नौकरी नहीं मिल रही है। यद्यपि उनके लिए पद आरक्षित हैं फिर भी वे भूखों मर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि कम से कम आजादी के पचासवें वर्ष में तो संविधान में किए गए आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को कार्यान्वित करें।

मेरा दूसरा मुद्दा दलितों पर हो रहे अत्याचारों से संबंधित है। आजादी के पचासवें वर्ष में भी राज्य सरकारें दलित समुदाय को क, ख, ग, घ आदि श्रेणियों में बांटकर उन्हें दबाने का प्रयास कर रही हैं और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। कुछ राज्य सरकारें दलितों को श्रेणी क, ख, ग, घ आदि में वर्गीकृत करने के लिए आयोग का गठन कर रही हैं और दलित समुदाय की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं जबकि राज्य सरकारों को संविधान में किए गए प्रावधानों के लिए आयोग गठित करने का कोई अधिकार नहीं है।

महोदय, आप कृपया राज्य सरकारों को निदेश दें कि वे इन सब असंवैधानिक गतिविधियों और दलितों तथा पददलितों पर किए जा रहे अत्याचारों को बंद करें और भारत के संविधान में दलितों के जो अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, कम से कम आजादी के इस पचासवें वर्ष में तो उन अधिकारों की रक्षा करें।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि आजादी के इस पचासवें वर्ष में संसद तथा राज्य विधान मण्डलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित करने वाला विधेयक पारित करें।

स्वामी विवेकानंद और डा. अंबेडकर दोनों ने यह महसूस किया था कि जब तक महिलाओं और आम जनता की उपेक्षा होती रहेगी भारत प्रगति नहीं कर सकता। हमें हर तरह से उनकी स्थिति में सुधार करने के प्रयास करने होंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।



श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़): धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पर्व पर बोलने का मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूं माननीय अध्यक्ष श्री संगमा जी का भी कि उन्होंने हमारे देश की आजादी की पचासवीं वर्षगांठ की स्वर्ण जयन्ती के उत्सव पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। मैं आभार प्रकट करती हूं अपने उन संसदीय क्षेत्र के देशभक्त लोगों का जिन्होंने कि मुझे दूसरी बार इस सदन में आने का अवसर दिया और आज मुझे बोलने का मौका मिला।

माननीय सभापति जी, हमारा देश विश्व में सबसे महान देश है क्योंकि हमारे देश का हरेक नागरिक और हर बच्चा अपने देश को ''भारत माता'' कहता है, ''वंदे मातरम्'' कहता है और उसी मां भारत भारती की पूजा करता है। हम अपने देश के लिए इससे ज्यादा प्रभावशाली और किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं लगातार पांच दिनों से सभी नेताओं के भाषण सुन रही हूं। सामने की ओर से एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे हिन्दुस्तान की आजादी की पचासवीं साल में जब यह विशेष सत्र हो रहा है, तो उन्होंने बाबरी ढांचे को गिराने की बात कही है। मैं जानना चाहती हूं कि आप बाबरी ढांचे के ढहने से आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। इससे आपकी संस्कृति को ठेस पहुंचती है, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाओं के टुकड़े कर के उसे कैसे तंदूर में जलाकर भूना जाता है। महिलाओं के टुकड़े-टुकड़े करके नदियों में मगरमच्छों के मुंह का शिकार बनाने के लिए बहा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि आप इस तरह से वोट की राजनीति करके हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाएंगे? हमने 50 साल में बहुत कुछ पाया है, लेकिन अगर कोई दावा करता है, अगर कोई सरकार दावा करती है कि हमारे कारण यह सब कुछ पाया है, तो ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे वैज्ञानिकों ने हमको विश्व में जो मान दिया है, उसके लिए मैं उनका नमन करती हूं और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इसके साथ-साथ हमारे किसान जिन्हें हम जगत के दाता कहते हैं और वे किसान जिनको सरकार की ओर से जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, वह मिल जाए और सरकार की ओर से अगर सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी जाए, बिजली पूरी-पूरी मिल जाए, सड़कें पूरी-पूरी और ठीक हों, तो उन्हें सरकार की ओर से किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि उनके हाथ में ताकत है, वे पूरे देश के लिए अन्नोत्पादन कर सकते हैं। उधर से एक भाई साहब ने ठीक कहा कि कमीशन के लिए पहले हम अनाज निर्यात करते हैं फिर आयात करते हैं। क्या होगा इस देश का।

सभापति महोदय, हमारे देश को आजाद करने का श्रेय हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी को जाता है। जब उनको विदेश में, अफ्रीका में अपमान सहन करना पड़ा, तब उन्होंने अपने देश में आकर एक निश्चय किया कि हमारा देश गुलाम क्यों? हमारी मां भारत भारती गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़ी हुई है। हमें देश को आजाद कराना है। इस बात को कहने के लिए वे गांव-गांव गए। लोगों ने उनकी बात को माना। उन्होंने बताया कि इस तरह से अंग्रेज लोग हमारे देश का शोषण कर रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं। लोग महात्मा गांधी जी की एक आवाज पर उठ कर खड़े हो जाते थे। लोग महात्मा गांधी जी की बात को क्यों इतना मानते थे और आज भी मानते हैं वह इसलिए कि जब वे गांव-गांव में गए, तो उन्होंने देखा कि हमारे गांवों में गरीबी बहुत है। खाने के लिए अन्न नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। यह देखकर उन्होंने अपने शरीर पर सिर्फ एक धोती पहननी शुरू कर दी और उसी में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। महात्मा गांधी जी की कथनी और करनी में फर्क नहीं था।

आज हम 50 साल के बाद यह भी याद रखें कि हम लोक प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा मैं अधिकरियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। हमारे जो फर्ज हैं, जो निष्ठा है, वह हमारे देश और देशवासियों के प्रति होनी चाहिए। हमारे हिस्से में जो फर्ज आते हैं अगर हम उनको पूरा न्याय देंगे तो मुझे लगता है कि विश्व में यह देश प्रथम स्थान पर होगा।

सभापति जी, मेरा अब तक जो अनुभव रहा है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेरा अनुभव यह है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम टी.वी. पर सभी राज्यों का ध्वजावंदन देखते हैं। उस ध्वजावंदन के लिए एक नियम बना हुआ है कि हम ध्वज में कुछ भी चीज नहीं रखेंगे। अगर कुछ चीज रखते हैं तो इससे ध्वज का अपमान होता है लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि किसी भी राज्य में जब कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ध्वजानंदन करते हैं तो उस ध्वज में कुछ न कुछ रखते हैं। उनकी निष्ठा ठीक है, उनकी नीयत में फर्क नहीं है लेकिन इससे उस ध्वज का अपमान होता है। आज हम आजादी की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। मैं यह आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो।

तीसरी बात यह है कि हमारे मछुआरे जो हमारे देश में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और अपना पूरा जीवन समुद्र में बिताते हैं लेकिन इन मछुआरों के लिए आज तक कोई भी अच्छी नीति नहीं बनायी गयी

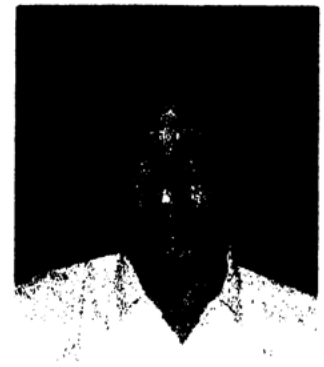
है जिसके कारण वह अच्छा काम कर सकें। आज हम देख रहे हैं कि यहां मल्टी नेशनल कम्पनियां आती जा रही हैं और मल्टी नेशनल कम्पनियों के कारण हमारे देश की जो 90 करोड़ जनता है, उसमें दो तिहाई जनता को काम नहीं मिलता है। ऐसा गलत नीतियों के कारण हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जो ज्वाइंटवेंचर है उसको खत्म करना चाहिए। उसको फिर लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं जूनागढ़ क्षेत्र से आती हूं इसलिए मैं जूनागढ़ क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। जूनागढ़ सबसे पीछे आजाद हुआ है, इसके बारे में शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, यह मुझे पता नहीं है। लेकिन जब 15 अगस्त, 1947 को हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो जूनागढ़ के लॉस्ट नवाब ने हिन्दुस्तान में मिलने से मना कर दिया और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तब वहां के लोगों ने तय किया और कुछ देश भक्त लोगों ने विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि हम जूनागढ़ में नहीं रहेंगे। हम लोग यहां से बाहर निकलकर किसी दूसरे राज्य में रहने चले जायेंगे। उन लोगों ने हिजरत करनी शुरू कर दी। इस कारण लोगों की विजय हुई और वहां के नवाब ने कहा कि आप अपने घर में ही रहो। मैं यहां से चला जाता हूं और वह पाकिस्तान चले गये। मैं ऐसी जगह से आती हूं जिसके बारे में मुझे गर्व है क्योंकि महात्मा गांधी ने पोरबंदर में ही जन्म धारण किया था और वही जगह उनका कर्मक्षेत्र भी रहा। आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी के स्टेचू लगाये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, आज हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। हमें महिलाओं के सम्मान के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। अभी श्रीमती कमल रानी और सभी महिला सांसदों ने कहा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचारों को अगर रोकना है, उनके साथ जो दुष्कृति होती है, उसको रोकना है तो हम लोगों को उसके लिए जो 33 प्रतिशत रिजर्वेशन वाला बिल है, उसको यूनेनीमसली पारित करना चाहिए। इसके अलावा हम बचपन में देखते हैं कि जो बच्चे झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, वह पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। उनके माता-पिता उन्हें श्रम करने के लिए कहीं भी भेज देते हैं। मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते हैं जो कि उनका हक है, उसके लिए भी हमको कोई अच्छी नीति बनानी चाहिए क्योंकि संविधान में बहुत कुछ है। अगर संविधान पर अमलदारी शुरू हो जाये तो हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहां भाषण देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी या संविधान में संशोधन भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए।

सभापति जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि में उत्पादन का जो मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। मेरा आग्रह है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए।

मेरा क्षेत्र जूनागढ़ है। वहां हाल ही में केशोद में एक हत्याकांड हुआ जिसमें चार निर्दोष लोगों को पुलिसकर्मियों द्वारा मार दिया गया। मेरा आग्रह है कि जब इस किस्म के पुलिसकर्मियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है तो ऐसे पुलिसकर्मियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे हमारे देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे।



श्री विजय हांडिक

[अनुवाद]

श्री विजय हांडिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह वर्ष अन्य देशों की भांति भारत को भी इतिहास में एक विशेष स्थान प्रदान करता है क्योंकि 21वीं शताब्दी शुरू होने में मात्र 30 माह से भी कम समय रह गया है। अत: ऐसे समय में आजादी के 50 वर्ष पूरे करने का विशेष महत्व है।

यदि हम अपनी असफलताओं में सुधार करने के लिए पिछले 50 वर्षों के दौरान की अपनी उपलब्धियों का आकलन करते हैं तो हमें 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए स्वयं को तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करना है। अब जबकि इस सहस्राब्दी की समाप्ति और नई सहस्राब्दी के शुरू होने का समय निकट है, हमारे समक्ष एक प्रश्न है कि क्या हम नई शताब्दी में प्रवेश अपनी इन असफलताओं के साथ करेंगे तथापि मैं यह स्वीकार करता हूं कि हम दिशा के ज्ञान, विषयों को नया रूप देकर और अपनी दूरदर्शिता से ही नई शताब्दी में विश्वास से प्रवेश करने की राह बना सकते हैं। आज राष्ट्र जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके लिए तथाकथित बुद्धिजीवी आलोचकों द्वारा किसी एक दल की सरकार को अथवा दूसरे दल की सरकार को दोषी ठहराना उनकी गलत धारणा है। यदि कहीं हम असफल रहे हैं तो वह असफलता पूरे राष्ट्र की है। राजनैतिक दल या सरकार तो हमारे समाज का तथा राष्ट्र का एक हिस्सा है। इसके साथ-साथ ही हमें उन कारणों को दूर करना होगा जिनसे राष्ट्र कमजोर हुआ है और उसका उपाय करना होगा। तथापि यदि हम इस तथ्य को मानने से इंकार करते हैं कि अवहेलना की भावना लोगों के मन को प्रभावित कर रही है तो यह बहुत बड़ी विडंबना होगी।

लोगों को संतुष्ट करने के लिए मात्र यही कहना पर्याप्त नहीं है कि हमारा संविधान परिवर्तन का साधन और सामाजिक बदलाव का माध्यम है। जब पंडित नेहरू ने संविधान के लचीलेपन की बात कही तो वह उनकी दूरदृष्टि मानी गई कि संविधान में सामाजिक स्थिति के अनुरूप परिवर्तन किए जाने चाहिए। अब तक 78 संशोधन किए जा चुके हैं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि लोगों की कुछ आशाएं और आकांक्षाएं पूरी हुई हैं लेकिन अभी भी बहुत से परिवर्तन किए जाने हैं। कुछ ज्वलंत मसलों से संबंधित प्रस्तावित परिवर्तन अभी भी हमारे

संविधान में किए जाने हैं। डा. राजेन्द्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था:

"अंतत: मशीन की भांति संविधान भी निर्जीव वस्तु है। इसमें जीवंतता इसीलिए आती है क्योंकि इसका नियंत्रण और संचालन मनुष्य के हाथ में है।"

अत: महोदय, समाज और राष्ट्र द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में ऐसे परिवर्तन करने और भ्रष्टाचर को समाप्त करने अथवा इसे कम करने, निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने, बाल श्रम की प्रथा समाप्त करने, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करने, जनसंख्या पर नियंत्रण करने, जैव विविधता की रक्षा जैसे सुधार करने की राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए।

महोदय, हम अपने संविधान को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाना चाहते हैं। हमारा संविधान पिछले 48 वर्षों से लागू है और अभी भी हमें लोगों को विशेषकर युवा पीढ़ी को यह स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि हम इन क्षेत्रों में क्यों असफल रहे हैं।

हम अन्य कुछ क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों का बखान करके अपनी असफलताओं को छिपा नहीं सकते। आज देश के समक्ष जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है भ्रष्टाचार का। इस संबंध में हम निर्णय न ले पाने की स्थिति के बारे में क्या बता सकते हैं? लोक पाल विधेयक वर्षों से लंबित पड़ा है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम में राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव हो गया है। जन प्रतिनिधि होने के नाते हमें जनता के समक्ष इन आंदोलित करने वाले प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। हमारी साख खतरे में है, देश की प्रणाली की साख खतरे में है और वास्तव में, लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर संदेह के बादल छाए हैं और एक बार यदि इस प्रणाली पर से लोगों का विश्वास उठ गया तो मुझे भय है कि वे देश में अन्य प्रणाली लाने के वैकल्पिक तरीके खोजेंगे जिससे हिंसा का वातावरण पैदा हो सकता है। आपको यह बात अच्छी लगे या न लगे, लेकिन यह सच है कि उदारीकरण की शुरूआत से भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ी है जिसमें राजनीतिज्ञ, नौकरशाह तथा व्यापारी शामिल हैं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं है, यूरोपीय देशों का उदाहरण हमारे समक्ष है। यूरोप में नौवें दशक के दौरान और दसवें दशक के आरंभ में घोटालों और संदेहास्पद घटनाओं की बढ़ी संख्या, जो कानून और नैतिकता दोनों ही दृष्टि से अपराध है, के कारण समस्या का स्वरूप ही बदल गया है। बहुत से देशों में भ्रष्टाचार कोई यदा कदा होने वाली समस्या नहीं रह गई है, वहां भ्रष्टाचार महामारी की तरह फैला है, यह समस्या "मेटा-सिस्टम" की तरह है जो सरकारी तंत्र की तरह फैला हुआ है और इसी के साथ जुड़ा है। "राजनैतिक और प्रशासनिक बाजार" और "आर्थिक और सामाजिक बाजार" के बीच चोरी-छुपे लेन-देन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेन-देन गुप्त रूप से होता है, क्योंकि इस के द्वारा सार्वजनिक, कानूनी और नैतिक मानदण्डों का उल्लंघन होता है और इससे सार्वजनिक कल्याण की बलि निजी, गैर-सरकारी, निगमित तथा दलगत हित के लिए दे दी जाती है। इस प्रकार के लेन-देन से निजी क्षेत्र की वित्त पोषण, ठेके और निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे सरकारी संसाधनों तक पहुंच हो जाती है। इसमें उन्हें अनुचित लाभ पहुंचता है क्योंकि न तो इसमें पारदर्शिता है और न ही प्रतिस्पर्धा।

चूंकि हमने मुक्त अर्थव्यवस्था अपना ली है अत: उदारीकरण को और अधिक प्रभावशाली ढंग से सुरक्षित रखना है। मैं अरस्तु के इस कथन से सहमत हूं कि "मानवीय लालसा से कोई भी पद्धति नहीं बची है।" फिर भी हमें भ्रष्टाचार कम करने के लिए कम से कम ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए।

मैं इस मुद्दे पर बल देता हूं क्योंकि हमारी चुनाव पद्धति की इस समस्या का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। दुर्भाग्यवश, चुनाव सुधार के लिए हमारी लड़ाई प्रत्येक चुनाव के समय निष्क्रिय हो जाती है। क्योंकि हम सभी एक ऐसी पद्धति में फंस गए हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। संभवत: इसी कारण से उत्तरोत्तर सरकारें कई वर्षों से आगे आने के लिए हिचकिचाती रही हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं आंतरिक विरोध के संबंध में अध्यक्ष महोदय की निम्नलिखित टिप्पणी से संकेत लेता हूं:

"शान्ति और सहिष्णुता की संस्कृति और हमारे वर्तमान आचरण के बीच एक आंतरिक द्वंद्व है जो हिंसा, असहनशीलता और भेदभाव की ओर जा रहा है।"

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र को कई प्रकार के खतरे हैं। आतंकवाद भारत में कोई नयी बात नहीं है।

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रारंभ में राष्ट्र-व्यापी मतभेद था कि क्या हम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन छेड़ें अथवा संवैधानिक ढंग से लड़ें। मैं इन दोनों ही विचारधाराओं वाले लोगों की देशभक्ति पर संदेह नहीं करता हूं। उस समय देश में राजनीतिक परिवेश में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने ब्रिटिश सशस्त्र सेना के साथ लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय की घोषणा की थी कि राष्ट्र को कई वर्षों तक महान बलिदान देने पड़ेंगे। यह कष्ट और पीड़ा सहने, जेल जाने, उत्पीड़न सहने और जान देने की एक अनवरत लड़ाई होगी। किन्तु यह आन्दोलन अहिंसक तरीके से और साहस से लड़ना है। महात्मा गांधी ने यह दावा किया क्योंकि वे हमारे देश के प्राचीन इतिहास के निर्माताओं, पथप्रदर्शकों के अनुगामी थे। हमारा देश जिसकी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है और जो राष्ट्र भगवान बुद्ध और महावीर जैन द्वारा दिखाए गए अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित है, इस राष्ट्र को गुरु नानक और महापुरुष शंकरदेव की शिक्षा से प्रेरणा मिली है। हमें इन्हीं के द्वारा दिखाये गये पथ पर चलना है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार और न ही कोई व्यक्ति परिवर्तन का अनिच्छुक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किंतु इस प्रकार का परिवर्तन अहिंसा के द्वारा आना चाहिए। कोई भी शक्ति परिवर्तन का मुकाबला नहीं कर सकती है। यदि हमारी संसद अथवा विधायिका इस परिवर्तन का समंजन करने में असफल है, तो परिवर्तन अपने आप ही आएगा, किंतु इस से लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवहेलना होगी और विक्षोभ और अव्यवस्था के साथ अव्यवस्थित परिवर्तन होगा। किंतु इसके साथ ही क्षेत्रीय असमानता जो

उग्र राष्ट्रवादी व्यवस्था का कारण है समाप्त होनी चाहिए। हमारे यहां अर्द्ध-संघीय शासन प्रणाली है। संघीय स्वभाव को पोषित करना है। केवल इसी से क्षेत्रीय आशाओं तथा आकांक्षाओं की प्रशंसा करने और इन्हें पूरा करने में सहायता मिलेगी। ऐसा कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यदि हम क्षेत्रीय भावनाओं का राष्ट्रीय आचार के साथ तादातम्य बिठाने में असफल होते तो देश को जोड़े रखना अथवा मजबूत और सुरक्षित रखना कठिन होगा। यह बात हमारे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में और अधिक मुखर होकर सामने आती है।

अत: स्वतंत्रता का 50वां वर्ष इस प्रकार के मुद्दों पर पुन: विचार करने की शुरूआत हो। चलिए हम शान्ति, सूझ-बूझ, समझौते और तनाव-शैथिल्य की संस्कृति का अनुसरण करें। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए निमंत्रण देने का एक नया अर्थ और महत्व है।



श्री अशोक प्रधान

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : महोदय, आजादी की स्वर्ण जयन्ती पर आयोजित विशेष अधिवेशन में आपने जो मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं उन ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और शहीदों के प्रति अपना नमन व्यक्त करता हूं, जिनके बलिदानों से यह देश आजाद हुआ तथा जिनकी बदौलत हम 50 वर्ष पश्चात् आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं।

इसके साथ ही मैं अपने संसदीय क्षेत्र खुर्जा की जनता, समर्थकों, प्रशंसकों और संगठन के प्रति भी आभारी हूं, जिनके सहयोग से मैं इस स्वर्ण जयंती वर्ष में देश की इस महान पंचायत में बोल रहा हूं और मुझे यहां आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस सत्र का आयोजन किया, और पहल की देश को नई दिशा देने की।

माननीय अध्यक्ष जी,

मेरे लिए देश के सभी महान व्यक्तित्व समान रूप से आदरणीय हैं, लेकिन मैं यह बेझिझक कहना चाहता हूं कि जिन विषम परिस्थितियों में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण करके अपना सम्पूर्ण जीवन दलितों के उत्थान में समर्पित कर दिया, शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को मिले।

मैं देश के उन सभी महान व्यक्तियों का भी स्मरण और सम्मान करना चाहता हूं, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा ग्रहण करने में और आगे बढ़ाने में उदार मन से सहयोग देकर व्यापक हृदय का परिचय दिया।

आज आजादी के 50 वर्ष बाद हमको देश के कुछ भागों में, कुछ महानगरों के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं विकास का दर्शन अवश्य हुआ है। लेकिन देश का लगभग 85 प्रतिशत क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है और साथ ही सम्पूर्ण गांव और गांवों में रहने वाले लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। उनमें भी मजदूरों, दलितों तथा छोटे कृषकों की हालत बहुत ही दयनीय एवं शोचनीय है, क्योंकि किसानों के लिए आगे बढ़ने और उनकी उपज को बढ़ाने के लिए कोई शासकीय सहयोग अथवा सुविधा नहीं है।

न उनके लिए पानी की व्यवस्था है

न बीज की व्यवस्था है

न खाद की व्यवस्था है

न सम्पर्क मार्गों की व्यवस्था है

न उचित मण्डी की व्यवस्था है

न फसल बीमा की व्यवस्था है

न विद्युत की व्यवस्था है

न पेयजल की व्यवस्था है

न सुरक्षा की व्यवस्था है

न शिक्षा की व्यवस्था है

न रोजगार की व्यवस्था है

न किसानों को सम्मान मिलता है

न ही उनको न्याय मिलता है

आज हमें दुख इस बात का है कि जब हमारे देश का किसान अपने कष्टों के निवारण हेतु बी.डी.ओ. अथवा जिले के अन्य अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनका तिरस्कार किया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तथा देश के कृषकों की जो भूमि अधिग्रहीत की जाती है, उसका समुचित मुआवजा उनको नहीं दिया जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कृषकों के सम्मान की रक्षा की जाएं और उनके कष्टों का निवारण किया जाए और सरकार द्वारा उनकी जो भूमि अधिग्रहित की जाती है, उसका बाजार भाव से मुआवजा दिया जाए। उनको उद्योगों में नौकरी दी जाये और उनको उस भूमि में उद्योगों के लिए प्लाट दिये जाये। उनके परिवारों के विस्तार के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन में से 10% जमीन छोड़ी जाये।

हमारे देश में उद्योगों की हालत बहुत ही खराब है तथा शासन देशी उद्योगों, लघु उद्योगों को जड़ से मिटाने पर तुला हुआ है। सरकारी अदूरदर्शी नीतियों के कारण और विदेशी कम्पनियों के आक्रमण के कारण हमारा उद्योग जगत बरबाद हो रहा है। सरकार की गलत नीति के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए है और आज की सरकार जिस

तरह से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन दे रही है, उसके दूरगामी बुरे परिणाम होंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन न देकर देशी उद्योगों को बढ़ावा दें। और देश के लघु उद्योगों को वे सारी सुविधाएं दे जो उनको चाहिए।

एक तरफ तो हम पूर्ण साक्षरता अभियान चला रहे हैं और दूरदर्शन पर शिक्षा के प्रसार के लिए विज्ञापन पर बड़ी संख्या में धनराशि व्यय कर रहे हैं। लेकिन आज भी देश के लाखों गांव प्राथमिक शिक्षा से पूरी तरह वंचित हैं तथा करोड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देश के सभी गांवों में स्कूल नहीं है और यदि स्कूल हैं भी तो भवन नहीं है और यदि भवन हैं भी तो सामग्री नहीं है और यदि ये सब है तो पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं है और शिक्षा भी अत्यधिक महंगी है तथा बस्ते का वजन बच्चे के वजन से ज्यादा होता है। दूरदर्शन के प्रचार-प्रसार ने भी शिक्षा के मार्ग में बाधा खड़ी की है।

मैं चाहूंगा कि सरकार कोई ऐसी नीति बनाए जिससे देश के सभी वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा मिल सके तथा जो पब्लिक स्कूल हैं और जो काफी महंगे हैं, वे बंद हो सके। और देश भर में एक ही सलैबस हो।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत देश के दलितों को आरक्षण की सुविधा बड़े सोच-विचार के बाद प्रदान की गयी और यह बात कटु सत्य है कि यदि भारतीय संविधान में आरक्षण की नीति लागू न की जाती तो शायद ही आज अशोक प्रधान जैसा एक दलित वर्ग से सम्बन्ध रखने वाला इस देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंच पाता तथा मेरे जैसे अनेक ऐसे दलित भाई हैं, जो देश की इस सर्वोच्च पंचायत में इस सुविधा का लाभ उठाकर यहां आए हैं और उन दबे कुचले अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. वर्ग के भाइयों के कल्याण के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, जिनके लिए बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सपने देखे थे।

जैसा कि पता चला है कि केन्द्र सरकार जो अपने आपको दलितों की मसीहा कहती है, लगभग 1050 अन्य जातियों को अनु.जा. की सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है। यह अनु.जा. के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। यदि दलित इसाईयों को अनु.जा. की सूची में शामिल किए जाने की बात सत्य है तो इस बारे में केन्द्र सरकार को सदन को अवगत कराना चाहिए और इस बारे में देश के सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करके कोई कदम उठाया जाना चाहिए। आज इस सरकार में माननीय राम विलास पासवान जैसे ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं, जो अपने आपको दलितों का महान नेता/मसीहा बताते हैं, किन्तु खेद है कि उनके मंत्रिमंडल में होते हुए भी ऐसी चाल चली जा रही है, जो बड़े शर्म की बात है।

यह विदित ही है कि इस समय अनु.जा./ज.जा. के लिए जितने आरक्षण की व्यवस्था है, वह उनकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी बहुत कम है। इसलिए यदि अनु.जा./ज.जा. की सूची में दलित ईसाईयों को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो फिर वर्तमान में अनु.जा./ज.जा. के लिए जो आरक्षण की प्रतिशतता है, वह और भी कम हो जाएगा तथा इसका समुचित लाभ भी अनु.जा./ज.जा. के लोगों को नहीं मिल सकेगा। इसलिए यह जरूरी है कि दलित ईसाईयों को अनु.जा./ज.जा. की सूची में शामिल न किया जाए।

यदि दलित ईसाईयों के लिए केन्द्र सरकार आरक्षण का प्रावधान करना ही चाहती है तो फिर उनके लिए आरक्षण का अलग से प्रावधान किया जाए तथा उनको किसी भी परिस्थितियों में अनु.जा./ज.जा. की सूची में शामिल न किया जाए।

आज हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जबकि दलित भाइयों पर निरन्तर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं और आजादी के 50 वर्ष बाद भी उनका शोषण और उत्पीड़न बड़े पैमाने पर जारी है, उस पर गम्भीरतापूर्वक रोक लगाए जाने हेतु कोई उपाय तो केन्द्र सरकार नहीं कर रही है। बल्कि वही इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जो उ.प्र. के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तथा इस समय केन्द्र में रक्षा मंत्री जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे हैं, अपनी पब्लिक मीटिंग में हरिजन उत्पीड़न एक्ट को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जो सरासर अनुचित है।

यह विदित ही है कि देश में प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में दलित वर्ग के सदस्यों के ऊपर बड़ी संख्या में अपराध हो रहे हैं और इस हरिजन एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए गए हैं। यदि इस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि हरिजन भाइयों पर और अधिक संख्या में अत्याचार होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि केन्द्र सरकार इस हरिजन एक्ट को समाप्त न करके इसे और कड़ा बनाएं और इसका कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दें। लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखा जाये कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर यह अधिनियम लागू न हो। न इस अधिनियम के अन्तर्गत फर्जी मुकदमें कायम हों। यदि कोई व्यक्ति हरिजन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत फर्जी मुकदमा दायर करता है तो उसको और इस कार्य में उसे सहयोग देने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष जी,

दलित वर्ग में भी जो सबसे दलित वर्ग बाल्मीकि भाइयों का है, उनके समुचित उत्थान हेतु आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं, जिस कारण देश के ग्रामीण/शहरी अंचलों में अभी भी मैला ढोने की पुरानी प्रथा चली आ रही है। सरकार ने इस प्रथा को समाप्त किए जाने हेतु जो कदम उठाए हैं, उसमें वह पूरी तरह से सफल नहीं हुयी है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार बाल्मीकि भाइयों के उत्थान और उनके समुचित विकास के लिए कोई कारगर योजना बनाकर उसको तुरन्त लागू करें।

आज जब हम देश की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो हमें श्रमिकों की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि आज देश में श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है और जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, उनमें ठेका प्रथा चल रही है तथा ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण जारी है और उनको समुचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा श्रमिकों को प्रबन्धकों तथा ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलायी जानी चाहिए।

आज जब यह देश आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है और हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों तथा अन्य महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर भी हैं, जिन्होंने स्वाधीनता दिलाने से लेकर राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनके बारे में देश की जनता को गुमराह किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस बारे में मैं सदन का ध्यान ए.एस.ए. प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित और गोपसन्स पेपर्स लिमिटेड नोएडा द्वारा 1997 में मुद्रित अरुण शोरी की विवादास्पद पुस्तक **''वर्शिपिंग फॉल्स गाड्स, अम्बेडकर एंड दि फैक्ट्स विच हैव बीन इरेज्ड''** नामक पुस्तक की ओर दिलाना चाहूंगा।

अरुण शोरी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महान व्यक्तित्व और समूचे दलित समुदाय को अपमानित करने के लिए उपरोक्त पुस्तक लिखी है। समूची पुस्तक का मूल विषय यह सिद्ध करना है कि अम्बेडकर ब्रिटिश सरकार के समर्थक और स्वतंत्रता आन्दोलन के विरोधी थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों, विशेषत: गांधी का विरोध किया, अपने व्यक्तिगत लाभों के लिये दलितों का समर्थन किया और पाकिस्तान के निर्माण में सहायता की। उन्हें संविधान सभा का सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा ही बनवाया गया था। उन्होंने भारत पर राज्य करने में अंग्रेजों की सहायता की।-वह एकमात्र दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि एक अवसरवादी और स्वार्थी व्यक्ति आदि थे।

भारत के आधुनिक राजनैतिक इतिहास में किसी भी व्यक्ति के बारे में इतनी अधिक गलतफहमी अथवा अयथार्थ निरुपण नहीं हुआ है, जितना कि बी.आर. अम्बेडकर के बारे में हुआ है। दलितों के कल्याण के लिये उनकी सतत् जोरदार वकालत, ब्राह्मण-विरोधी उनके विचारों तथा अपने समुदाय को हिन्दुओं से अलग करने के उनके निर्णय ने हिन्दू बुद्धिजीवियों के मन में प्राय: भारी चिन्ता पैदा की है। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और दलितों के लिये पृथक निर्वाचक मण्डल के संबंध में गांधी के साथ उनके मतभेद और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में उनकी भूमिका तथा राजनैतिक स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक सुधार के मुद्दों को उनके द्वारा तरजीह दिये जाने जैसे सभी बातें, जो किसी के व्यक्तित्व और आदर्शों में विरोधाभास दर्शाती हैं, अरूण शोरी द्वारा अपनी पुस्तक ''वर्शिपिंग फाल्स गाड्स'' में उजागर की गई है।

पुस्तक के अधिकांश भाग में अम्बेडकर को दिये गये आदर की आलोचना की गई है, जिसके लिये लेखक के अनुसार अम्बेडकर हकदार नहीं है। लेखक को मुख्य रूप से दु:ख इस बात का है कि अम्बेडकर की मृत्यु के चार दशकों के उपरान्त भी भारतीय राजनैतिक दृश्यपटल पर उन्हें विशेष स्थान प्राप्त है।

भारतीय संविधान के निर्माता और समुचे दलित समुदाय के संबंध में लेखक के कुछ आपत्तिजनक कथनों के अंश निम्नलिखित पैरों में दिये गये हैं:—

दलित राजनीतिज्ञ और अधिकारी उच्च पदों के लिये अयोग्य हैं: पृष्ठ 370 और 371 पर लेखक ने दलित समुदाय के सदस्यों, विशेषत: आरक्षण सुविधाएं प्राप्त करने वाले राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के विरुद्ध यह कह कर रोष व्यक्त किया है कि ये दलित लोग ''अवसरों का दुरुपयोग'' करते हैं, वे न तो अपने उत्तरदायित्व को भली-भांति निभाने की कुशलता को हासिल करने की इच्छा रखते हैं और न ही उनका आचरण उनके द्वारा धारित पद के अनुकूल होता है। उनके द्वारा कार्यनिष्पादन सहीं नहीं होता, जिससे समाज को हानि होती है, इन कुछ व्यक्तियों का आचरण, इसी प्रकार का आचरण करने वाले एक रूढ़िवद्ध वर्ग को बढ़ावा देता है और जिसके विरोध में प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए मायावती और कांशीराम तथा उ.प्र. और बिहार के अधिकारियों के नामों का भी उल्लेख किया है। क्या लेखक दलितों के प्रति अपने विचारों के पक्ष में कोई आंकड़ें अथवा ठोस सबूत पेश कर सकता है? ऐसे विचार दलितों के विरुद्ध दुश्मनी की भावना को जन्म देते हैं, जो अब आगे बढ़ रहे हैं तथा राष्ट्र की सेवा करने के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे वाक्य दलितों और सामान्य लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने में बाधक बनते हैं और इससे लोकशान्ति भंग होकर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है, जैसीकि हाल ही में अम्बेडकर की प्रतिमा को अपमानित किए जाने के कारण 11 जुलाई, 1997 को घाटकोपर में पुलिस फायरिंग में दस उपद्रवी दलितों की मृत्यु के पश्चात् सम्पूर्ण महाराष्ट्र में हो गई। यह वक्तव्य भारतीय दंड संहिता की धारा 153क के अंतर्गत स्पष्टत: एक दंडनीय अपराध है, जिसके अनुसार धर्म, जाति, जन्म, वर्ग अथवा सम्प्रदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करना एक दंडनीय अपराध है।

भारत पर ब्रिटिश-राज के लिए दलित उत्तरदायी हैं: पृष्ठ संख्या 4 में लेखक ने डा. अम्बेडकर द्वारा ब्रिटिश केबिनेट मिशन के सदस्य श्री ए.वी. अलेक्जेंडर को 14 मई, 1946 को लिखे गए पत्र के एक पैरा से कुछ वाक्यों को उद्धृत किया है। उक्त पैरा में डा. अम्बेडकर ने देश में प्रशासन के प्रत्येक अंग में दलितों की साझेदारी के दावे को उचित ठहराया है।

उक्त उद्धृत पैरा की विषय-वस्तु को एक ऐतिहासिक तथ्य बताया गया है लेकिन लेखक ने डा. अम्बेडकर के पत्र की कोई पृष्ठभूमि, संदर्भ अथवा उद्देश्य प्रस्तुत किए बिना तथा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करते हुए यह कहने का प्रयास किया है कि भारत पर ब्रिटिश राज के लिए दलित उत्तरदायी हैं।

अम्बेडकर स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी थे : लेखक ने ऐसा चित्रित किया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाधा डालने में डा. अम्बेडकर की ब्रिटिश लोगों के साथ सांठ-गांठ थी, वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी थे और इस संबंध में दलित अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। श्री अरुण शोरी पूरी तरह यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि डा. अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। उदाहरण के लिए पृष्ठ 3 में वह कहते हैं, ''दलितों और अन्य वर्गों के बीच सोहार्द बनाए रखने का एक भी उदाहरण विद्यमान नहीं है।'' यदि इस पुस्तक को जनता तक पहुंचने दिया जाता है तो यह महाराष्ट्र में पहले से लगी आग में घी का ही काम करेगी। डा. अम्बेडकर साहित्य को पढ़ने वाले लोग इस बात को सहज ही समझ सकते हैं कि डा. अम्बेडकर न केवल स्वतंत्र भारत के, अपितु एक सच्चे लोकतांत्रिक भारत के समर्थक थे।

भारत में संसद भवन में तथा अन्य स्थानों पर अम्बेडकर की प्रतिमा के विषय में:— अरुण शोरी जैसा तथाकथित विद्वान संसद भवन के परिसर में लगाई गई समस्त प्रतिमाओं में से अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा तथा संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में लगाए उनके आदमकद से भी बड़े चित्र से इतना अधिक आशंकित हुआ कि इस आशंका के उपशमन के लिए उसे एक मोटी पुस्तक लिखने का अथक परिश्रम करना पड़ा। सच तो यह है कि अम्बेडकर की प्रतिमाएं भारत की सीमाएं पार कर विदेशों में भी सुशोभित हो चुकी हैं। संसद भवन के बाहर एक हाथ में संविधान की प्रति लिए उनकी प्रतिमा एक ऊंची पाद-पीठ पर स्थापित है। संसद भवन के अन्दर उनका आदमकद से बड़ा चित्र स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं गांधी, लाजपत राय, नेहरू परिवार के नेताओं, मालवीय, राजेन्द्र बाबू, पंडित पन्त, जगजीवन राम

तथा अन्य नेताओं के साथ सुशोभित है। अम्बेडकर उन विरले व्यक्तियों में से थे जिन्हें भारत के महान सपूतों को दिये जा सकने वाले सर्वोच्च सम्मान ''भारत रत्न'' से मरणोपरांत अलंकृत किया गया था। अरुण शोरी द्वारा अपनी पुस्तक में संसद भवन में स्थापित अम्बेडकर की प्रतिमा के बारे में की गई टिप्पणियां भारतीय संसद का अपमान है, क्योंकि इस प्रतिमा को स्थापित किए जाने का निर्णय संसद द्वारा लिया गया है।

अम्बेडकर द्वारा पाकिस्तान की स्थापना में सहयोग : लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि साम्यवादियों के अलावा किसी भी अन्य महत्वपूर्ण गैर-मुस्लिम नेता द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना के बारे में जिन्ना तथा मुस्लिम लीग की मांग को इतना उत्साहपूर्ण समर्थन नहीं दिया गया, जितना कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था।

''हरिजन'' शब्द का उपयोग : लेखक ने अपनी पुस्तक में बार-बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। शायद लेखक इस बात से अवगत नहीं है कि उक्त शब्द को सरकारी शब्दकोष से काफी पहले निकाला जा चुका है और इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है क्योंकि यह एक अपमानजनक अभिव्यक्ति है।

अम्बेडकर दलितों के एक मात्र नेता नहीं : लेखक के अनुसार ऐसा मान लिया गया है कि बाबा साहेब दलितों के एकमात्र निर्विवाद नेता थे। उसका कहना है कि अम्बेडकर का प्रभाव केवल महाराष्ट्र के महारों तक ही सीमित था। उनके अनुसूचित जाति परिसंघ में सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इसका मतदाताओं पर कोई गहरा असर नहीं था और उन्हें मुस्लिम लीग, यूरोपियनों तथा आंग्ल-भारतीयों की मदद से संविधान सभा में बंगाल से चुन कर आना पड़ा। उक्त चुनाव क्षेत्र को रद्द कर दिये जाने के पश्चात् वे कांग्रेस पार्टी तथा राजेन्द्र बाबू एवं सरदार पटेल जैसे नेताओं की मदद से भारतीय संविधान सभा के लिये पुन: निर्वाचित होने में सफल हो सके थे।

अम्बेडकर पद की लालसा रखने वाले और स्वार्थी व्यक्ति थे: लेखक ने कई स्थानों पर ब्रिटिश वाइसराय द्वारा भेजे गए ''तत्काल, निजी और व्यक्तिगत'' तार का उदाहरण दिया है और कई स्थानों पर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के बीच ''गुप्त या विश्वस्त'' पत्र व्यवहार का हवाला दिया है और इस प्रकार उसने डा. अम्बेडकर के चरित्र और व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले अपने बयानों को विभिन्न ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दिये गये बयान बताया है। उदाहरण के लिये 78, 79, 80, 86, 89, 92, 94 इत्यादि पृष्ठों को देखा जा सकता है। इन अज्ञात प्रलेखों और सामग्रियों के आधार पर ही लेखक स्वयं ने भ्रमित होकर डॉ. अम्बेडकर को पद की लालसा रखने वाले तथा स्वार्थी व्यक्ति के रूप में बदनाम किया है। इन अप्रमाणिक सामग्री के आधार पर उसने पृष्ठ 75 पर यहां तक लिख दिया .....''अंबेडकर स्वयं को अनुसूचित जातियों का अभिन्न अंग समझते थे—किन्तु क्या वह इसमें उनके हितों को अपना हित समझते थे, या कि उनके विचार में उनका अपना हित भी उनके हितों में ही सन्निहित था?

अम्बेडकर ब्रिटिश सरकार की सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गये थे : इस पुस्तक के लेखक, अरुण शोरी ने डॉ. अम्बेडकर पर उनके संविधान सभा में बंगाल से चुने जाने के संबंध में कुछ निराधार और काल्पनिक आरोप लगाए हैं। पृष्ठ 402 पर उन्होंने *यहां तक आरोप लगाया है कि वह बंगाल से ''ब्रिटिश स्थापना हित'' की सहायता से चुने गये थे पृष्ठ 432 पर लेखक ने अम्बेडकर को ऐसे* व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जिसने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन पर विचार का विरोध किया था, जिसने अंग्रेजों से यह कहा था कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना विनाशकारी हो सकता है, जिसका यह विश्वास था कि भारतीयों में संवैधानिक प्रश्नों का समाधान करने की मानसिक क्षमता नहीं है और जिसने यह घोषणा की थी कि इस संविधान का निर्माण उसने नहीं किया है और उनके विचार में इस संविधान को जला दिया जाना चाहिए। संविधान के जनक के प्रति लेखक का इस प्रकार का दावा डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व और एक राष्ट्र के रूप में भारत का अपमान है। डॉ. अम्बेडकर के बारे में ये बातें अत्यंत ही सतही और काल्पनिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में कहीं गयी है जबकि लेखक ने इन्हें इनके संदर्भ से हटकर उद्धृत किया है।

परियोजना के वित्त पोषण में विदेशी फाउण्डेशनों की भूमिका: अरुण शोरी ने सीताराम गोयल और संजय पुरी (ये कौन लोग हैं?) के प्रति इस पुस्तक के लिए सामग्री एकत्रित करने हेतु लंदन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी और पब्लिक रिकार्ड्स आफिस जाने के लिए उनका अत्यधिक आभार व्यक्त किया है। उसने इस अध्ययन को पूरा करने में ''एशियाई परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम'' द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति भी धन्यवाद दिया है सरकार की किसी सक्षम जांच एजेन्सी द्वारा इस मामले में तत्काल विस्तृत जांच की आवश्यकता है जिससे यह पता चल सके कि उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों की लंदन स्थित इंडियन लाइब्रेरी जाने और डॉ. अम्बेडकर के बारे में कोई भी तथा प्रत्येक नकारात्मक जानकारी प्राप्त करने और प्रलेखन करने में क्या दिलचस्पी थी। यह पता करना भी रोचक होगा कि मेगासेसे फाउण्डेशन द्वारा चलाए जा रहे ''एशियाई परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम'' हेतु निर्धारित निधियों और राकफेलर ब्रदर्श फण्ड की राशि को डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने और उसे बदनाम करने के लिए कैसे खर्च किया गया। डॉ. अम्बेडकर के विरुद्ध ब्यौरों को संकलित करने की मुहिम के पीछे कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं। अरुण शोरी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि समाज में अम्बेडकर के संबंध में जो मान्यता है। वह एक ''ऐतिहासिक असत्य है'' और ''वर्शिपिंग फाल्स गाड्स'' नामक पुस्तक ही दैवीय सत्य है। उसने उन व्यक्तियों और संगठनों के हितों के अनुरूप तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, जिनके लिए यह पुस्तक लिखी गयी है।

दुर्भाग्यवश, महाराष्ट्र की घटना उसी समय हुई है जब अरुण शोरी अम्बेडकर को एक राष्ट्रविरोधी व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं—यह एक ऐसा प्रयास है जो निश्चित ही आपसी सद्भावना को बढ़ाने की बजाय घृणा को फैलाने में मददगार साबित होगा। श्री अरुण शोरी ने शत्रुभाव से अकेले ही इस पुस्तक को लिखकर इतिहास का गलत निरूपण किया है, उसने जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और सामाजिक द्वंद को भड़काया है। लेखक ने मानवीय कल्पनाशक्ति के दायरे में हर सम्भव तरीके से डॉ. अम्बेडकर पर कीचड़ उछालने का भरपूर प्रयास किया है और ऐसा करते समय उसने क्षण भर के लिये भी रुक कर यह नहीं सोचा कि उसके लेखन से अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास करने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। यह पुस्तक पाठकों को स्थायी रूप से घृणा और तिरस्कार की सदियों पुरानी अंधी घाटी में ले जाती है।

साम्प्रदायिक घृणा को बढ़ाने वाली स्थिति को और बिगड़ने से बचाने तथा भारत के दलितों पिछड़ों के साथ विभिन्न धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों के बीच समरसता को बनाये रखने तथा इस पुस्तक से भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर को हुई क्षति की भरपाई करने के लिये इस पुस्तक को तत्काल बाजार से हटा लिया जाना चाहिये और इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए और इस पुस्तक के लेखक को सजा दी जानी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसी किताब जो ऐसे महापुरुषों के लिए ऐसी बात न लिख सके।

मैं इसके लिए आभारी हूं कि मुझे अपने विचार रखने हेतु अवसर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सरकार के समक्ष जिन समस्याओं का उल्लेख किया है तथा जो सुझाव दिए हैं, उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए इनके निराकरण हेतु समुचित कदम उठाएगी जिससे हमारा देश तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर हो सके।



श्री जंग बहादुर सिंह पटेल

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, पंडित नेहरू जी का नाम बार-बार इस सदन में माननीय सदस्यों ने लिया, मैं उन्हीं पंडित नेहरू जी के निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर से चुनकर आया हूं। पंडित नेहरू बड़े महान नेता थे। उनको अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में और देश की समस्याओं में ही लगा रहना पड़ा। पंडित नेहरू के नाम को तो बार-बार लिया गया लेकिन आजादी के पचास वर्षों में पंडित नेहरू की जो कर्मभूमि फूलपुर थी, उसको पूरी तरह से भुला दिया गया। वह महान आदमी थे। उन्हें देश की चिंता थी, पूरे विश्व की चिंता थी। अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने समय नहीं दिया। आज पंडित नेहरू के अतिरिक्त इस फूलपुर क्षेत्र से देश के कई महान नेता चुनकर आए। पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह, पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा जी और महान समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया की भी कर्मभूमि फूलपुर रही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फूलपुर क्षेत्र खासकर नेहरू जी के नेतृत्व में उसी क्षेत्र के किसानों ने जेल यात्राएं की। आज़ादी की लड़ाई में सत्याग्रह किया और इलाहाबाद के नींम के पेड़ पर, इमली के पेड़ पर फांसी चढ़े। इस अवसर पर ऐसे महान लोगों को जिन्होंने पंडित नेहरू जी की अगुवाई में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, शहीद हुए, मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

पंडित नेहरू जी का यह क्षेत्र फूलपूर देश के काफी पिछड़े भागों में आता है। यहां सड़कों की हालत बहुत बदतर है। यहां पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिलता। एक-एक कि.मी. दूर से आज़ादी के पचास वर्ष बाद भी गंगा नदी से लोगों को पानी लाना पड़ता है क्योंकि गंगा नदी फूलपूर के इस क्षेत्र में लगभग 150 कि.मी. तक फैली हुई है। वहां इसके अलावा सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं और कारखाने नहीं हैं। कोई कुटीर उद्योग नहीं हैं। एक कारखाना पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जरूर दिया था लेकिन उस कारखाने में भी वहां के स्थानीय लोगों को, लैंड लूजर्स को उनको कोई भागीदारी नहीं दी गई, उनको नौकरियों पर नहीं रखा गया। बल्कि उस कारखाने में देश के दूसरे हिस्से से लोगों ने आकर नौकरी की। उस इफ्को के कारखाने से जो गन्दा विषैला पानी निकलता है, उससे हजारो एकड़ जमीन बंजर हो गई है, जिसके सुधार का कोई प्रयोजन नहीं है।

हमारे क्षेत्र में स्कूलों की हालत भी खराब है। उस क्षेत्र में डिग्री कालेज नहीं है। देवेगौड़ा जी की सरकार में काशी के एक तरफ मुलायम सिंह यादव महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसके अलावा और कोई विद्यालय नहीं है। लड़कियों के लिए इन्टर कालेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी दयनीय दशा है। 26 नवम्बर, 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत करते समय समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संकल्प लिया गया था। इसके आधार पर समाज की रचना करनी थी। एक तरफ समता मूलक संविधान और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और जाति वर्ण सम्प्रदाय की व्यवस्था। मैं कहना चाहता हूं कि बाबासाहिब अम्बेडकर ने जातियों के विनाश के लिए कहा था। हमारे देश में एक नेता जी हैं, जो बाबासाहिब अम्बेडकर के नाम से पार्टी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि जिस जाति का डी एम नहीं होता, उनका सी एम सफल नहीं होता। यह तो जातिवादिता की हद हो गई। हमारे देश के प्रशासन में जातिवाद को इतने खुले तौर से प्रायोजित करने का प्रयास हो रहा है, जो इस देश के लिए बड़ा घातक होगा। सब लोगों ने इस देश में जातिवाद को, साम्प्रदायिकता को और भ्रष्टाचार को घातक माना है। मैं कहना चाहूंगा कि जातियों का उन्मूलन ऊपर से नहीं हो सकता है। इस देश में दोहरी व्यवस्था है। एक तरफ तो हमारे देश में चार वर्ण हैं – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और दूसरी तरफ जातियां हैं। जैसे बार-बार कहा गया, किसी ब्राह्मण को वर्ण के नाम पर जाति का प्रमाण-पत्र मिलेगा, क्षत्रिय को वर्ण के नाम पर जाति का प्रमाण-पत्र मिलेगा, वैश्य को वर्ण के नाम पर जाति का प्रमाण-पत्र मिलेगा, लेकिन शूद्रों में जो 3743 जातियां हैं, उनको प्रमाण-पत्र क्यों नहीं मिल सकता है। इनको भी शूद्र का प्रमाण-पत्र दिया जाए, न कि जातियों का प्रमाण-पत्र दिया जाए। जातिवाद के उन्मूलन के लिए ऐसा कोई प्रावधान बनाने की जरूरत है।

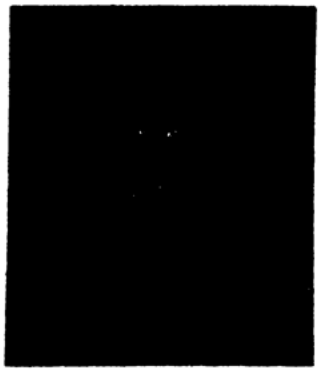
हमारे कुछ साथियों ने ब्राह्मणवाद की बड़े जोर शोर शब्दों में आलोचना की है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी वाद की भी आलोचना करने से पहले यह सोचना होगा कि क्या खराब है।

माननीय सभापति महोदय, जैसे एक बात यह कही गई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहु से क्षत्रिय की, उर से वैश्य की और पैर से शुद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, उल्टा इस मायने में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति उत्पीड़न का विधेयक बना दिया गया है। खास तौर से आज जो अनुसूचित जाति के हैं उनके मकान का चाहे कब्जा कर लें, चाहे किसी भी चीज पर कब्जा कर लें, उनको फर्जी एफआईआर दर्ज करके परेशान किया जाता है तो इसका मिसयूस बंद होना चाहिए, दुरुपयोग बंद होना चाहिए। जो मुकदमें कायम हुए हैं उसमें 98 प्रतिशत मुकदमे गलत हैं इसलिए जो इस तरीके से फर्जी तौर पर रिपोर्ट करके मुकदमें कायम कराते हैं, अगर वे मुकदमें गलत हैं तो फर्जी रिपोर्ट लिखाने वालों के ऊपर भी कुछ कार्यवाही होनी चाहिए।

महोदय, मैं अंत में विनम्रता से कहूंगा, मैं पहली बार बोल रहा हूं। मुझे दो-चार मिनट और दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में एक सुझाव देना चाहूंगा कि भारत को बार-बार कृषि प्रधान देश कहा गया है तो कृषि के मामले में आज जितनी जमीन पर खेती हो रही है उससे दो गुना जमीन खाली पड़ी है उसको कोई इनडिविजुअल तो नहीं लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसको डेवलप कर सकती है और डेवलप करके उस जमीन पर सरकार की तरफ से विभाग बना कर कोई खेती की जाए तथा उसमें भूमिहीन खेतीहर लोगों को लगाया जाए। आज खास करके हमें जैसे आयल सीड विदेशों से मंगाना पड़ता है तो आयल सीड की खेती करके हम किसानों को रोजगार भी दे सकते हैं और कुछ खेती भी डेवलप कर सकते हैं तथा देश का भी भला कर सकते हैं।

महोदय, मैं अंत में आपको धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।



डा. रामकृष्ण कुसमरिया

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): माननीय सभापति महोदय, एक समुद्र मंथन की घटना हुई थी, जिसमें 14 रत्न निकले थे, माननीय अध्यक्ष जी ने विचार मंथन की ऐतिहासिक घटना की यहां पर शुरुआत की है। उस विचार मंथन से जो रत्न निकलेंगे, जो निर्णय निकलेंगे उनसे निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में दिशा-निर्देश मिलेगा। यह जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है इसमें मैं सबसे पहले उन तमाम शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ जिन्होंने इस देश को उन्नति के शिखर पर चढ़ाने का प्रयास किया उनके प्रति भी सम्मान प्रकट करना चाहता हूं किन्तु माननीय सभापति महोदय मुझे इस पुस्तिका की जो पहली लाइन है वह यह है कि - ''पहले राजनीतिक जीवन लोकतांत्रिक प्रणाली।''

इसमें जो पहली लाइन है कि ''देश ने अहिंसक संघर्ष के माध्यम से विदेशी शासन से आजादी पाई, वह मानव इतिहास में एक अद्भुत घटना है।'' इस लाइन के द्वारा उन हजारों शहीदों को जिन्होंने अहिंसक क्रांति के अलावा दूसरा रास्ता अपनाया, लगता है उसे नकारा गया है। जिन हजारों माताओं और बहनों की गोदियां सूनी हुई, जिनके सुहाग उजड़े और पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक जो लगातार संघर्ष हुआ, इस लाइन के द्वारा उसे ही नकारा जाता है।

एक गीत भी बहुत जोरों से बजाया जाता है, वह सुनने को मिला जब हम अपने क्षेत्र में गये कि:-

न तोप चलीं न बंदूकें, न तलवारों से काम लिया,
सत्य अहिंसा के बल पर, झंडा तिरंगा थाम लिया।

इसका मतलब क्या है सभापति महोदय, क्या उन शहीदों ने जिनमें सुभाषचंद्र बोस, खुदी राम बोस, शहीद भगत सिंह जैसे फांसी पर झूल गये तो इन लोगों की शहादत को क्या झुठलाना चाहते हैं। इन्होंने भी और अनेकानेक लोगों ने आजादी की लड़ाई में शहादत दी है। तो केवल यह लाइन जोड़कर के कि अहिंसक क्रांति के द्वारा, बिना खून-खराबे के हमने स्वतंत्रता पाई, यह बात कहना हमें उचित नहीं लगता। यह ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

यह अवसर हमें 50 वर्षों में किए गये कामों की समीक्षा करने का मौका देता है। हमें अपने आत्म-निरीक्षण के लिए मौका देता है। इसमें हमें यह निर्णय करना है कि हमने कहां गलतियां कीं और जो अच्छे काम किये उनके लिए बधाई है, उन्हें हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन जो गलतियां हुई हैं उनका प्रायश्चित भी हमें करना पड़ेगा, उन्हें स्वीकार भी हमें करना होगा।

मैं आपका ध्यान रामायणकाल की एक घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब रावण का प्रभाव भारत के इस भाग की तरफ बढ़ रहा था और उसने उपनिवेश भी स्थापित करने शुरू कर दिये थे और गुरूकुलों में जो अनुष्ठान होते थे उनमें बाधा पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। तब विश्वामित्र दशरथ जी के पास आए थे और उन्होंने उनसे चार प्रश्न किए थे। मैं उन चार प्रश्नों को आपके सामने रखता हूं। उनकी आज भी प्रासांगिकता बनी हुई है।

पहला प्रश्न उन्होंने किया था कि महाराज क्या आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं, क्या कोई बाहरी शक्ति आपके राज में घुसपैठ तो नहीं कर रही है। कहीं कोई बाहरी शक्तियां आपके राज में उपनिवेश तो स्थापित नहीं कर रही हैं।

दूसरा प्रश्न उन्होंने किया था कि क्या कोई अधिकारी जनता से उत्कोच तो नहीं लेता है?

तीसरा प्रश्न उन्होंने किया था कि क्या आपके गुरूकुल सुरक्षित हैं और शिक्षण के लिए सम्पन्न और सक्षम हैं।

चौथा प्रश्न था कि क्या आपकी प्रजा सुखी, स्वस्थ और समर्थ है।

माननीय सभापति महोदय, ये वो प्रश्न हैं जो आज हम यदि अपने आप से पूछें कि क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। चार दिन पहले की घटना है जब पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर गोलाबारी की। बंगला देश से घुसपैठिये आ रहे हैं। यानि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। कल जोशी जी ने साइंस और टैक्नोलोजी के ऊपर बोलकर इस बात को सिद्ध कर दिया था कि हमारी पुरानी जो भारतीय तकनीक है, जो हमारे ऋषि-मुनियों ने रिसर्च की थी।

रात्रि 2.00 बजे

उसको भुला करके हमने अपने आप को समर्थ नहीं किया है इसलिए हम पिछड़ गए।

इसी तरह दूसरे प्रश्न के ऊपर यदि हम जाएं कि कोई अधिकारी उत्कोच तो नहीं करता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार तो नहीं करता, उसके बारे में अभी हमारी बहन बता रही थी कि जब हम अमरीका गए तो वहां प्रवासी भारतीयों ने भारत के निवासी होने में शर्म महसूस की। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। हमारे देश को क्या हो गया है? ऐसा किस लिए हो रहा है? पैसा इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। कितनी सम्पत्ति आदमी को चाहिए? आंखों में स्वर्ण जैसे हिरण्याक्ष जिस की आंखों में स्वर्ण ही स्वर्ण हिरण्यकश्यप। आज हमारी आंखों को भी केवल स्वर्ण, केवल धन, केवल पैसा दिखायी देता है जिससे मानवीयता सब खत्म हो गई है। इस कारण भ्रष्टाचार देश में व्याप्त हो गया है। हम इसके कारण पतित होते जा रहे हैं। इस बात को हमें सुधारना पड़ेगा।

इसी तरह हमारी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल के विषय में जो कहा। इसी प्रकार प्रजा के सुखी और समृद्धि की बात कही। गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी। राम राज्य में जो राज्य का वर्णन किया है, उसकी दो चौपाइयां आपके सामने उद्धृत करूंगा:

"दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहि व्यापा॥"
"नहिं कोई दुखी न दारद दीना। नहिं कोई अबुद्ध न विद्याहीना॥"

यह राम राज्य की परिभाषा थी। गरीबी और कंगाली के कारण देश की कितनी हालत बिगड़ गई? जिस को हम रतनगढ़ में वसुन्धरा कहते हैं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, पन्ना जिला वह हमारे क्षेत्र के भीतर है, वहां हीरा निकलता है। मध्य प्रदेश के रायपुर में देवभोग की जो खदानें हैं, उनमें पन्ने से भी दस गुना ज्यादा हीरे के भंडार मिले हैं। हमारे देश में खनिज की कोई कमी नहीं है। हमारी जमीन इतनी उपजाऊ है कि वहां हर प्रकार की खेती हर मौसम में हो सकती है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां आठ-आठ महीने तक बर्फ जमी रहती है, खेती नहीं हो पाती लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम कंगाल क्यों हैं? हम गरीब, दरिद्र क्यों हैं? उसका कारण है कि हमने अपने संसाधनों का दोहन ठीक तरीके से नहीं किया है। हमने ईमानदारी के साथ व्यवस्था ठीक नहीं की है। इसके कारण गरीबी और कंगाली बढ़ी है। सबसे बड़ा कारण यह है कि मौलिक अधिकार में काम के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। हमें जो पुस्तक दी गई है, उसके दूसरे पृष्ठ में दिया है:

बाक्स 1.1 : उद्देश्यों के संकल्प में क्या अन्तर्निहित था?

भारत के सभी नागिरकों को कानून और लोक नैतिकता के अनुरूप, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय; जीवन स्तर में समानता और विधान के समक्ष अवसर तथा बातचीत, अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा, पूजा, व्यवसाय, संसर्ग और कार्य की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी।

इसको अभी भी स्वीकार नहीं किया गया है और अमली जामा नहीं पहनाया गया है। जिस बेरोजगारी के कारण हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है। इसलिए हम गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन के बहुत नारे लगाए जाते हैं। लेकिन बेरोजगारी हटाने के लिए नौजवानों को काम देने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए? इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि पर आधारित उद्योगों को आगे लाना चाहिए। किसान की सुख सुविधा के लिए उसको सिंचाई, विद्युत, इन तमाम चीजों की उपलब्धि करायी जाए और खेती में हम सम्पन्न बनेंगे तभी जाकर हमारा देश उन्नति कर सकता है, कृषि से संबंधित पशु-पालन और गाय संवर्द्धन होगा लेकिन आज तो गऊएं कट रही हैं और गऊओं का मांस विदेशों में भेजा जा रहा है। बड़े-बड़े सलाटर हाउस खुल गये हैं। अभी हम एक कमेटी में हैदराबाद गये थे जहां अल-कबीर में प्रदूषण को देखना था। वहां पर लोगों ने कहा कि यहां रोज़ाना सैकड़ों गऊएं कटती हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आज इस देश की यह हालत हो गई है। यह कहा गया है:

स्वस्ति प्रजाभ्याम् परिपाल्यान्ताम् न्यायेन मार्गेन महि महिषा,
गऊ ब्राह्मणेभ्यों: शुभ मस्त नित्यम् लोका: समस्त सुखना: भवन्तु:।

अब मैं ब्राह्मण हूं लेकिन यहां इस सदन में कई लोग ब्राह्मण का गलत अर्थ लगाते हैं किन्तु ब्राह्मण का अर्थ वही है जिसने ईश्वर को जान लिया। महात्मा गांधी ने ईश्वर को जाना था।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, ऐसे प्रोवोक नहीं करना है, टाईम नहीं है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : मैं अपने को ब्राह्मण नहीं कहता हूं। आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं, यदि इस देश का हर आदमी ईश्वर को प्राप्त कर ले, ईश्वर की शक्ति को पा ले तो हर आदमी ब्राह्मण है। हमारी कामना है और हमारे देश के जो महापुरुष हैं, उन सब की कामना है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा देश एक बहुत बड़े भू-भाग वाला देश है। मध्य प्रदेश भी एक बहुत

बड़े भू-भाग वाला प्रदेश है। यदि हमें इस देश का विकास करना है तो कई ऐसे छोटे-छोटे राज्य बना सकते हैं जिसे हमने स्वीकार भी किया है। उनकी व्यवस्था के लिये, उनकी तरक्की के लिये ये छोटे-छोटे राज्य बन जायें, इसके लिये मैं बुंदेलखंड के नाम के लिये आपके माध्यम से जनता की भावनाओं को प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।



श्री चन्द्रेश पटेल

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : सभापति महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर जो बोलने का मौका दिया गया है इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। आजादी के बाद हम लोगों ने बहुत तरक्की की है लेकिन तरक्की के साथ-साथ बहुत सारी समस्याएं बढ़ी हैं, मैं आज इन समस्याओं के बारे में और उनके उपायों के बारे में कहूंगा।

हमारे देश में 75 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैले वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 66 प्रतिशत भू-भाग पर वन रखने के राष्ट्रीय मानदंड से काफी कम है। पर्यावरण सुरक्षा बनाये रखने के लिए प्रबुध प्रयास किये गये हैं लेकिन वन बढ़ने के बजाय घटा क्यों है? वन विकास गलत ढंग से किया जा रहा है। वन विकास का टारगेट रखकर गड्ढा खोदकर पौधा लगाना सिर्फ इतना करने से वन बढ़ेगा। मुझे लगता है कि यह तरीका गलत है। मंत्रियों से लेकर अफसर तक चारदिवारी के अंदर वातानुकूलित कक्ष में बैठकर वन लगाने की फारेस्ट डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं। वन लगाने बढ़ाने का बहुत सारे पहलू हैं:

इनमें पौधा लगाने के साथ-साथ उनका उगाना, रक्षण करना और पानी पिलाना होना चाहिये। कम पानी और हवामान के अनुकूल भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये पौधा लगाना चाहिये, कई किस्म के पेड़ हैं जो सूखा होते हुये भी उगते हैं तथा टिकते भी हैं।

सभापति महोदय, हमारे देश में 5600 किलोमीटर समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां कम बारिश होती है। कम बारिश की वजह से वन वृद्धि कार्यक्रम में बाधा आती है। ऐसी जगह पर समुद्र के पानी में मैंगरू नाम के पेड़ होते हैं। मैंगरू टाईडल जोन के एरिया में हो सकते हैं और मैंगरू के प्लांटेशन लगाये जायें तो बहुत से फायदे हो सकते हैं जैसे कि समुद्र की मछली को खुराक मिल सकती है। इस इलाके में मछली अंडा दे सकती है जमीन का खिसकना तथा धुलाई कम हो सकती है। पक्षियों के लिये आराम का स्थल हो सकता है और घोंसला भी बना सकते हैं। इसमें पर्यावरण में सुधार हो सकता है, बारिश में वृद्धि हो सकती है, जलाने की लकड़ी मिल सकती है, जानवरों को चारा मिल सकता है, समुद्र को आगे बढ़ने से रोकना हो सकता है। जमीन में खारा पानी को आगे बढ़ने से रोकना, बारिश के मीठे पानी को रोकना और आयुर्वेद में उपयोग हो सकता है। ये मैंगरू का अगर प्लांटेशन किया जाये तो कम खर्च में वन वृद्धि का काम हो सकता है क्योंकि एक साईड में समुद्र की वजह से प्रोटेक्शन मिलता है तथा दूसरी तरफ से जानवर तथा आम लोगों का आना-जाना कम रहता है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिये इस वृक्ष को हम कल्प वृक्ष कहे तो गलत नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जिससे कि इस वृक्ष की जाति तथा प्लांटेशन बढ़ाया जाये। हमारे देश में गरीबी ज्यादा है। गरीब होने की वजह से लोगों को दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से पोषण की कमी रह जाती है एवं बीमारी भी काफी बढ़ने लगती है। इनके उपाय तो जरूर हैं परंतु असंभव नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के विकास के साथ-साथ फल एवं सब्जियां हम पकाते हैं लेकिन आज तक वन विभाग ने फल पौधा नर्सरी में तैयार करके आम जनता में देने का प्रयास नहीं किया। मैंने फल पौधों के बारे में पर्यावरण एवं वन विभाग की संसदीय सलाहकार समिति में काफी मामला उठाया है तो कहते हैं कि यह कृषि विभाग का काम है तो क्या कृषि और वन विभाग एक साथ बैठकर फल पौधे के बारे में निर्णय नहीं कर सकते हैं। अगर फल पौधा नर्सरी में तैयार करके विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी और सहकारी संस्था को देना चाहिये। शिक्षित बेरोज़गारों को तालाब का स्राव और कमांड ऐरिया, नदी, झरना वहां लगाना चाहिये जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों को मुफ्त में फल पौधा देना चाहिये। अगर सभी जगह फल पौधा लगायेंगे तो सभी को ऐसा लगेगा कि यह फल पौधा बड़ा होकर हमें फायदा करेगा, हमारे आरोग्य की समस्या हल होगी। पेड़ मालिकों को फायदा होगा, ट्रांसपोर्टरों को फायदा होगा, प्रोसैसिंग बढ़ेगा एवं विदेशी मुद्रा की आमदनी होगी। ज्यादा बारिश की वजह से उत्पादन बढ़ेगा। बीमारी कम होंगी। सूखा कम होने की वजह से सब्सिडी कम होगी। यह साईकिल इतनी लम्बी है कि मैं इस भाषण में पूरी बात नहीं कह सकूंगा पर एक बात निश्चित है कि फल पौधा तैयार करके बगैर चार्ज देने से कितना हमारे राष्ट्र को फायदा हो सकता है यह आज तक किसी ने नहीं सोचा। मेरी मांग है कि इस बारे में वन एवं कृषि विभाग को एक साथ मिलकर निर्णय करना होगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में वन भूमि को बचाने के लिये ठोस कदम लेने होंगे वरना एक दिन ऐसा आयेगा जब हमें पता चलेगा तब

तक बहुत देर हो गई होगी। हमारे वन विभाग 75 मिलियन वन भूमि का दावा करते हैं लेकिन हमारे पास 64 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र नहीं है। भारत के बाटिनिकल और ज्यूलाजिकल सर्वेक्षण के अनुसार 1500 पौधे और जीव जन्तु लुप्तप्राय श्रेणी में आते हैं। हमारे लम्बे तटीय क्षेत्र में इसी प्रकार की समस्यायें हैं। हमारी लम्बी तट सीमा के निकट अंधाधुंध निर्माण के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मैगरू और समुद्री घास सहित तटीय वनस्पति समाप्त होता जा रही है।

जहरीले अवशिष्ट पदार्थों वाले उद्योगों और अन्य विकास परियोजनाओं से काफी क्षति हो रही है। इसके परिणामस्वरूप हमारे जल वाले क्षेत्रों में प्रदूषण फैल रहा है और जलीय वनस्पति और जीव-जंतुओं के विकास के विपरीत असर पड़ रहा है।

हमारे देश में सविधान में सारी बातों को ध्यान में रखते हुये पर्यावरण की सुरक्षा के लिये प्रावधान किये गये हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी जब तक हम खुद नहीं समझेंगे तब तक प्रावधान से कुछ होने वाला नहीं है।

मैं उदाहरण देते हुये अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। वर्ष 1930 में पश्चिमी जर्मनी के उद्योगों पर पर्यावरण शुल्क लगाया गया और यह पद्धति वहां पर सफल है। जब कभी भी बड़े प्रदूषण उपाय शुरू किये गये तो उद्योग जगत ने इसका प्रारंभ में विरोध किया परन्तु अंतत: प्रदूषण को विर्निदिष्ट सीमा के भीतर रखने हेतु विकसित हो जायेगी। हमने जो बातें कही हैं, अगर उस पर अमल किया जाये तो बहुत सारी समस्या का समाधान संभव हो जायेगा।



श्री दत्ता मेघे

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : सभापति महोदय, भारत की स्वर्ण जयंती के इस विशेष सत्र के आयोजन के लिये मैं हृदय से आभारी हूं। इस सत्र में चर्चा के लिये जो आम विषय रखे गये हैं, अत्यंत महत्व के हैं। पिछले 50 साल में देश के अंदर जो प्रगति हुई है या देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लोग शहीद हुये हैं, उन सभी लोगों को याद करना हमारा फर्ज है। पिछले 4-5 दिनों से उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। हमने देखा है कि कृषि क्षेत्र, युवक बेरोजगारी, शिक्षा नीति, जातिवाद, भ्रष्टाचार और मजदूर लोगों के प्रश्नों पर हमने पिछले पचास साल में काफी कामयाबी हासिल की है लेकिन आज भी हमारे बीच में कुछ कमियां हैं। आज उसका लेखा-जोखा करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, इस विशेष सत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा सांसद अपने विचार यहां रख रहे हैं। संसद का विशेष सत्र होने के बाद पूरे देश में ऐसी बात जाने वाली है कि इस देश को बलवान और शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी दलीय राजनीति को भूलकर हम सब देश के लिए आने वाले दिनों में क्या दे सकते हैं, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।

जब हम इस देश की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में हमें जरूर ध्यान देना होगा। आज भी करीब 80 प्रतिशत लोग गांवों और खेड़ों में रहते हैं। यहां पर जो भी सांसद आए हैं, बहुत से लोग गांव-खेड़े से आए हैं लेकिन आज भी गांवों और खेड़ों में जो किसान हैं, उनके लिए हमने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं? हमने देखा कि हमारे देश के अंदर प्राकृतिक दृष्टि से पानी और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन हम अपने किसानों तक वह नहीं पहुंचा पाए हैं। किसानों को उनकी खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज और अच्छी खाद देना बहुत जरूरी है। कृषि क्षेत्र के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारनी हो तो उसके लिए हमें सहकार की सहायता करनी है। सहकारी समितियों में जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनकी आर्थिक मदद करके हम उनका उत्थान कर सकते हैं और इस पर ध्यान देना जरूरी है।

जब हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई तो सबने एक होकर लड़ाई लड़ी। उसी तरह आज भी हिन्दू-मुसलमान, सिख और ईसाई, सभी धर्मों के लोग एक होकर ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश में एक धर्म या जाति के लोग नहीं रहे हैं। यहां सभी धर्मों के लोग रहे हैं और सभी के विचारों से हमें इस देश को आगे ले जाना है।

एक और अहम प्रश्न बेरोजगारी का है। जब भी कोई सांसद अपने क्षेत्र में जाता है तो बेरोजगार युवक उनके सामने खड़ा हो जाता है। वह पढ़ा लिखा है, काम करना चाहता है लेकिन उनको हम काम नहीं दे पा रहे हैं। आज गांव, खेड़े के अंदर जो भी ध्यान हमें देना था वह हम नहीं दे पाए और आज बेकारी के प्रश्न पर ध्यान देना जरूरी है। आज हम रोज़गार नहीं दे पाते लेकिन हमारे देश के अंदर बाहर के लोग गांजा अफीम और दूसरे नशीले पदार्थ शहरों से गांवों तक पहुंचा रहे हैं। हम गांवों के बाहर जाते हैं तो पान-ठेलों पर दुकानदार नशीले पदार्थ हमारे युवकों को देते हैं। यह बहुत बुरी चीज है और इसके लिए हम सबको मिलकर युवकों के लिए कुछ करना पड़ेगा।

हम देखते हैं कि हमारे यहां आज भी गांवों में खेड़ों में प्राथमिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। बहुत लोग चाहते हैं कि शिक्षा लें। गांवों

के लोग ऐसा चाहते हैं लेकिन हम न स्कूल दे पा रहे हैं और न टीचर दे पा रहे हैं। संविधान के मुताबिक जो अधिकार उनको हैं, वह अधिकार भी हमने उनको नहीं दिये हैं। उस दृष्टि से भी हमें ख्याल करना जरूरी है। हमारे देश में आबादी बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे युवक नेता संजय गांधी ने इसके लिए काम शुरू किया था मगर उसका बहुत हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर उसका गलत ढंग से प्रचार हुआ। उन्होंने कुछ सख्ती की थी। किसी भी देश में नियमों को सख्ती से लागू करना जरूरी है और उस दृष्टि से फैमिली प्लानिंग के लिए भी हमें ख्याल करना जरूरी है। हमने देखा कि उच्च शिक्षा के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सिर्फ चार-पांच इंजीनियरिंग कालेज हैं। सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती और दूसरे कुछ कर सकते हैं तो जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो काम कर सकते हैं उनको काम करने दें। सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती है कि इतनी फीस लो और इतना करो। हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग गरीब आदमी हैं वे परसेंटेज नहीं ला सकते हैं। उनको हम फोकट में शिक्षा देना चाहते हैं। सब प्राइवेट स्कूल और कालेज में हम 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को फोटक शिक्षा देना चाहते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स बीच में आते हैं उससे गरीब को कोई फायदा होता है। एन.आर.आई. के नाम से बहुत फीस ली जाती है और एन.आर.आई. मिलते नहीं है। फिर हमारे देश के लोगों से प्राइवेट स्कूल वाले मांगते हैं तो यह गलत चीज है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की एक नीति हो। नहीं तो जो सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकार को अपने ताबे में लेना चाहिए और गलत तरीके से शिक्षा देने के काम को रोकना चाहिए और उसमें जो सही शिक्षा है उसमें गरीब आदमी को शिक्षा देना हमारे देश का फर्ज है, मैं ऐसा मानता हूं।

सभापति महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। हमारे यहां बहुत बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं। अभी यह सोचने की बात है कि जब हम आजादी के 50वें साल में जो बात सोच रहे हैं तो हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है। वहां उत्तराखंड की मांग हो रही है। सब पार्टियां बोलती हैं कि हो रहा है, हो रहा है। सब जगह बोल रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि हो रहा है। कहां हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमें पता नहीं है। उत्तराखंड की मांग है और वह उत्तर प्रदेश के लिए मांग है। बिहार के लोग की झारखंड की मांग है। मध्य प्रदेश में भी मांग है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की मांग है। महाराष्ट्र में हम विदर्भ की मांग कर रहे हैं। यदि छोटे राज्य बनेंगे तो वे देश के बाहर तो नहीं बनेंगे, देश के अंदर ही बनेंगे।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : अंडमान है।

श्री दत्ता मेघे : हां, अंडमान भी है। बिलकुल ठीक है। तो इन राज्यों का होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब तक हम छोटे राज्य नहीं बनायेंगे, तब तक जो हमारी प्रशासकीय यंत्रणा है .....*(व्यवधान)* अभी तीन-तीन, चार-चार हिंदी भाषी राज्य इस देश के अंदर हैं, जो वे मराठी राज्य होते तो उस पर कोई भी नहीं लड़ता। तो लोगों की मांग है और वह वॉयबल स्टेट है। मैं यह कहता हूं कि जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो हमारे विदर्भ को भी स्टेट का दर्जा दे दिया था। कोई किसी की मेहरबानी से उधर स्टेट बनने वाला नहीं है। वह तो वॉयबल था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस वालों ने यह सोचा था कि नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है तो इसलिए विदर्भ के लिए उस वक्त उन्होंने वह बात की। तो यह छोटी स्टेट की बात है, मैं अपने विदर्भ की ही नहीं कहता हूं। प्रशासनिक दृष्टि से कुछ लोगों को फायदा मिलने की दृष्टि से हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक कमीशन बनाकर पूरे देश पर प्रशासकीय यंत्रणा से हम लोगों को फायदा दे सकते हैं। स्टेट को जो अधिकार होते हैं। वह छोटा स्टेट है, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हुआ ये छोटे स्टेट हैं विदर्भ से भी छोटे हैं, उस दृष्टि से भी यहां पर सोचना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं।

सभापति महोदय, आज चुनाव की बात होती है और हमारे भाज़पा के भाई कहते हैं कि फिर से चुनाव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, चुनाव क्यों होने चाहिए। जब हम पांच साल के लिए चुनकर आये हैं तो पांच साल के अंदर चुनाव होना गलत बात है। यह हमारे देश को पुरने वाला नहीं है। हमारा देश गरीब देश है। सरकार का कितना खर्च होता है। हमारा तो होता ही है। आदमी झूठ बोलकर यह प्रतिज्ञा पत्र देता है कि हमने साढ़े चार लाख रुपया चुनाव पर खर्च किया है। सब झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं और फिर चुनाव के बारे में तुम बोलते हो कि एक साल बाद चुनाव होगा। हमें पांच साल के लिए लोगों ने यहां पर चुनकर भेजा है। इसलिए पांच साल तक यहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। यही हमारी आज की प्रणाली यहां पर सूट होती है। लेकिन इस देश के अंदर पांच साल में हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, हम खर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारा देश बहुत गरीब देश है, उस दृष्टि से हम सब लोगों का यहां पर इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं भ्रष्टाचार पर कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि जो गैंगस्टर्स हैं वे आज सभी जगह हैं। चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, चाहे कोई भी बड़ा सिटी हो। आज हर आदमी की जान को खतरा है। जो कलाकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या कुछ भी हैं। आज दो लोग जाते हैं और दिन-दहाड़े खून कर देते हैं। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। यह राज्य का सवाल तो जरूर है। लेकिन दिन-दहाड़े जो लोग घूमते हैं,

वे बाहर के हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं। कोई दाऊद इब्राहीम का नाम लेता है और कोई किसी का नाम लेता है। लेकिन हमारे देश में जो ये सब बातें हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन दूसरे देशों के लोगों को पकड़ने का काम हमारी एजेंसियां क्यों नहीं करती हैं। हम दाऊद इब्राहीम का नाम बहुत सुनते रहे हैं। आज हम यहां बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कल मुम्बई में क्या होगा? उसके एजेन्ट्स इधर-उधर घूमते रहते हैं लेकिन जो हमारे अधिकार हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं, जो लोग यहां गुंडागर्दी करना चाहते हैं, हत्याएं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का बंदोबस्त करना सरकार का काम है—इस दृष्टि से हमें सोचना चाहिए। हमारा देश महान है, बहुत बड़ा है। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पर अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन करें जिससे कि हम अपने देश की अच्छी तसवीर दुनिया के सामने पेश कर सकें, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।



श्री तिलक राज सिंह

श्री तिलक राज सिंह (सिधि): सभापति महोदय, आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और इसी क्रम में यह स्पेशल सैशन बुलाया गया है। इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। सबसे पहले मैं उन महान नेताओं को नमन करता हूं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो विशेष सत्र बुलाया गया है, यहां सभी पार्टियों के माननीय सदस्य अपने-अपने राजनैतिक दलों के दायरे से ऊपर उठकर चर्चा कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। इस सत्र को बुलाने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अब तक सदन में कई वरिष्ठ नेता अपने मत व्यक्त कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं की पुनरावृत्ति न करके, अपने विचार सदन के सामने रखूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने यहां जो अच्छे सुझाव दिए हैं, उन्हें माना जाए। अब मैं अपने विषय पर बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। आज मेरी चर्चा का विषय आदिवासियों के जनजीवन और उनकी शिक्षा से संबंधित है और इसी क्रम में, मैं आदिवासियों की समस्याओं पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा।

मैं यहां ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां आज तक न रोड है, न बिजली है और न सिंचाई के साधन हैं। आदिवासी पुराने जमाने से जंगलों में रहते आए हैं और वनों की लकड़ी का प्रयोग करके, कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा देश आजाद हो गया है या अभी भी गुलाम है, उन्हें अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी। जब हमारी अपने बुजुर्गों से बात होती है तो वे बताते हैं कि यद्यपि हमें आजादी मिल गई है, हम आजाद हो गए हैं लेकिन इस आजादी से हमें कुछ नहीं मिला, हम पहले अच्छे थे। आजादी के बाद हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं। आज उन्हें जंगलों में खाने के लिए कंदमूल भी नहीं मिलते। जहां तक उनके रहन-सहन का संबंध है या जो वस्त्र वे पहनते हैं, या रजाई गद्दा कहिए, आज के युग में घर में जलाने के लिए वे लकड़ी भी नहीं ले सकते—उनके सामने अनेकों समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जंगली जानवर उन्हें परेशान करते हैं। आजादी के बाद हमारी सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयत्न जरूर किया, उन्हें अधिकार दिए ताकि वे जिन गांवों में रहते हैं, वहीं उनका विकास हो सके।

सभापति महोदय, लेकिन उसका पूर्णरूपेण लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जो उस गांव का पटवारी है वह रहने वाला यू.पी. का है और नौकरी मध्य प्रदेश के सीधि में कर रहा है। वहां का आदिवासी अपनी जमीन पर काबिज है, लेकिन उसका पट्टा यू.पी. के लोगों के नाम है। वहां के आदिवासी अंगूठा छाप, निरक्षर हैं। वे नियम कानूनों को नहीं जानते हैं। उन्होंने खेत अच्छा बना लिया। घर अच्छा बना लिया। पट्टे वाला आ गया कि यह तो मेरा खेत है। यहां से हटो। उसको कुछ कायदा-कानून मालूम नहीं है। उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ती है। यह एक सोचने का विषय है कि सरकार उन आदिवासियों के बारे में क्या कर सकती है। जब पीड़ित लोग न्यायालय या कचहरी मे जाते हैं तो सिर्फ तहसीलदार के कमरे के दरवाजे तक ही पहुंच पाते हैं। अंदर तो जा ही नहीं पाते हैं। जब अंदर घुसने की बात आती है, तो परमीशन नहीं मिलती है बल्कि जो भी पांच-दस रुपया उसकी जेब में होता है वह भी उससे छुड़ा लिया जाता है जिसके कारण उसको अपने घर पहुंचने में भी कठिनाई आ जाती है। यह तो राजस्व का मामला रहा।

सभापति महोदय, अब मैं पुलिस विभाग के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि मेरा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां थाने की जरूरत नहीं है। वहां जो आदिवासी बसे हुए हैं वे बहुत दूर-दूर बसे हैं। आज तक का प्रमाण है कि उनके घरों में दरवाजे कभी लगाने की जरूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन वहां थाना और चौकी स्थापित होने के बाद और दरवाजे तथा ताले लगने के बाद भी चोरी हो रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में यदि हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। यदि किसी के खिलाफ बताओ तो उल्टे उस आदिवासी को भी फंसा दिया जाता है। अब तो हमारे यहां एक और बात है। हमारे नारकोटिक्स एक्ट लागू है। इसमें आदमी को आराम से फंसाया जा सकता है। कोई भी पुलिस वाला किसी भी नशीले पदार्थ की पुड़िया जेब में रखकर ले जाए

और आदिवासी की जेब में डाल दे और फिर उसको नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार की धांधली पुलिस विभाग में चल रही है।

आदरणीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने कल अपने भाषण में कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए इन्होंने आधी कीमत पर अन्न उपलब्ध कराया है और कई राज्यों में यह काम अच्छा चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जब महंगे रेट पर अनाज मिलता था, तो वह भी उन दुकानों से नहीं मिलता था, तो सस्ती दर का अनाज उन दुकानों से आदिवासियों को कैसे मिलेगा। मेरा कहना तो यह है कि कतई नहीं मिल पाएगा। वह अनाज बड़े-बड़े व्यापारियों के यहां, धन्ना सेठों के यहां चला जाएगा। इसको रोकने के लिए शासन कुछ उपाय करे।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में अशिक्षा बहुत ज्यादा है और ये सारी जो गलतियां हो रही हैं ये सब अशिक्षा के कारण हो रही हैं। यदि वे अशिक्षित नहीं होते, तो उनके ऊपर इतने अत्याचार नहीं होते। महोदय, आज सिर्फ शिक्षा दी जाती है। पहले नैतिक शिक्षा, जिंदगी की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है।

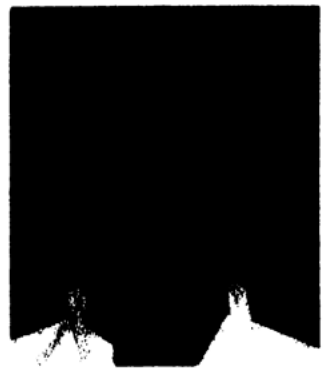
आज हमारे बहुत से साथी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। करप्शन कहां से होता है। मैं तो इस संसार में सबसे ज्यादा दोषी जिसको मानता हूं, वह शिक्षक है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। वह चाहे तो समाज को स्वर्ग बना दे और चाहे तो समाज को नरक में मिला दे। इसलिए मैं शिक्षक के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। पहले के गुरू जिस गांव में रहते थे, वह उस गांव की समस्यायें निपटा देते थे। कभी विवाद नहीं हुआ करता था और जो शिष्य होते थे, यदि उन्होंने पहली या दूसरी भी पढ़ी होती थी तो भी वह आज के एम.ए. और एल.एल.बी. के लड़कों के सामने कुछ भी नहीं है।

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए।

श्री तिलक राज सिंह : मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बहुत से साथी कम्प्यूटर का प्रयोग करते हैं लेकिन जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप पूछिये। आप उसके बारे में बाद में बतायेंगे लेकिन वे पहले ही बता देंगे। उनको हत्या, मुट्टा, सेवईयां, पूणियां, रोड़ा आदि सब मालूम है। लेकिन आज आप किसी भी लड़के से दस का पहाड़ा पूछिये तो वह नहीं बता पायेगा। यहां तक कि गुरूओं को, जो कि शिक्षक हैं, उनको भी मालूम नहीं होगा।

जहां तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग करप्शन करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि राजनीतिक लोग करप्शन करते हैं। शायद हमारे गुरू अच्छी नैतिक शिक्षा देते, अच्छे संस्कार देते तो हम कतई यह गलती नहीं करते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमारे अभिभावक और गुरू का ही दोष है। पहले जब गुरू हमें यह शिक्षा देते थे कि शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तो वह उसका पालन भी करते थे। लेकिन आज के गुरू उसका पालन नहीं करते हैं। आज गुरूओं की यह हालत हो गयी है कि यदि वह गांव में जायेंगे तो उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता और उनको कोई नहीं पूछता। आज लड़के भी उनको गाली देते हैं, उनको जूते मारते हैं और उनका आदर नहीं करते हैं लेकिन पहले के गुरूओं में ऐसा नहीं होता था। उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। निःशुल्क मकान व भोजन भी मिलता था। यह अंतर क्यों है, यह सोचने का विषय है।

मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लड़कों में संस्कार डालने चाहिए। बघेलखंड में एक कहावत है कि जैसे-जैसे बाप मातारी तैसे तैसे लड़का। जैसे बाप मातारी होता है उसके लक्षण लड़के के ऊपर जरूर पड़ते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रथम गुरू मां और बाप होता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।



श्री राजीव प्रताप रूडी

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, पांच दिनों के बाद लगभग 70 घंटे के इंतजार के पश्चात् रात्रि के ढाई बजे मुझे बोलने का मौका प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता सोई होगी। हमने आशा की थी कि हमारे कुछ मित्रगण जागकर सुनेंगे लेकिन वह भी सो गये होंगे। मैं यहां खड़े होकर मात्र वहीं तक चिन्तित नहीं हूं। मैं सारन का भी प्रतिनिधि हूं और छपरा का भी प्रतिनिधि हूं। मेरी चिन्ता वहां तक सीमित नहीं है। आज मैं इस लोक सभा में रात्रि के ढाई बजे खड़े होकर अपनी बात को रख रहा हूं तो मेरी चिन्ता उन सबके लिए भी है जो लेह, लद्दाख और कारगिल में ठंड के मौसम में वहां बैठे होंगे। उन मछुआरों के लिए भी है जो गुजरात के तट पर अपना जाल बिछाकर समुद्र किनारे बैठे होंगे। उन नार्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वोत्तर के पहाड़ में रहने वाले वासी के लिए भी है जो आज इस रात्रि में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस जंगल वाले स्थान पर बैठे होंगे क्योंकि यह भारत की 50वीं वर्षगांठ पर इस विषय को आज छेड़ा गया है। आज जब हमारे बीच में यहां बैठे हैं तो कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि पक्ष में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग भी आंसू बहा रहे हैं। हमारे बगल में बैठे लोग जिन पर पिछले 46 वर्षों से इस देश को चलाने का दायित्व था, वे भी आंसू बहा रहे हैं तो कहीं न कहीं गलती हुई है। यदि यह जिम्मेदारी हमें पहले सौंप दी गयी होती तो शायद पांच दिन का यह वक्त आपको नहीं मिलता। ...*(व्यवधान)*

आज का वक्तव्य संरचना के ऊपर था क्योंकि आज के दिन यही विषय चुना गया था। आज हम जो संरचनात्मक आधारों की बात करते

हैं, संरचनात्मक आधार कुछ आर्थिक और कुछ सामाजिक होते हैं। आर्थिक मुद्दे उनसे जुड़े हैं जिन्हें हम देश की मजबूत संरचना कहते हैं। वह सड़क, रेल, दूरसंचार, बंदरगाहों का निर्माण और विद्युत हैं। सामाजिक संरचना स्वास्थ्य, शिक्षा है। इन सब मुद्दों से हम जोड़ते हैं और मजबूत भारत के लिए यह सब नींव का विषय बनता है। आप कल्पना कीजिए, आज इस विद्युत की परिभाषा के तहत पूरे विश्व में यहां का संचार जा रहा है क्योंकि आपके पास बिजली है। क्षण भर के लिए सोचिए यदि यहां से पूरी बिजली बंद हो जाए और उस अंधकार में यदि पांच सैकिंड भी रहना पड़े तो पूरा भारतवर्ष आपको अंधकारमय दिखता है। यही कल्पना उन करोड़ों लोगों के लिए कीजिए जो देहातों में उस अंधकार में जी रहे हैं। विद्युत की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, मैं तो बार-बार कहता हूं कि यदि भारत में विद्युत नहीं रहेगी तो उसके अभाव में भारत का इतिहास अंधकार में रहेगा, भारत का भविष्य अंधकार में रहेगा, भारत का गर्व अंधकार में रहेगा क्योंकि ऐसी संरचनात्मक आधारें आज देश की आवश्यकता है। मैं इस विषय पर आना चाहता हूं। सरकार ने आठवीं योजना में यह तय किया था कि 30,000 मेगावाट अधिक बिजली का उत्पादन करेंगे और पांच वर्ष पूरे होने के बाद मात्र 18,000 मेगावाट हमने बढ़ाई है। एक तरफ यह विडंबना है कि आज देहातों में बिजली का अभाव है और एन.टी.पी.सी. जैसा सरकार का संगठन कहता है कि हमारे पास अधिक बिजली है। उत्तर बिहार में बिजली का अभाव है, उत्तर भारत में बिजली का अभाव है, हमारे पूरे देश में बिजली का अभाव है। एन.टी.पी.सी. वालों से बात कीजिए तो कहते हैं कि हमारे पास देश में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन नहीं है इसलिए प्रत्येक छः करोड़ की बिजली हमें बर्बाद करनी पड़ती है। देश चलाने वालों को संरचना के प्रति कब दायित्व संभालना पड़ेगा, पदाधिकारियों को इसके विषय में कब सोचना पड़ेगा, यह चिन्ता का विषय बना हुआ है। आज राजकीय विद्युत बोर्डों के ये हालात बने हुए हैं। पिछले पांच वर्षों में यदि उनके आंकड़े निकाले जाएं तो 60 बिलियन रुपये से भी अधिक राज्य विद्युत बोर्ड पर बकाया है। इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं विद्युत के मामले में बिहार और इस देश के बड़े भाग के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। देश का एक-तिहाई कोयला बिहार से निकाला जाता है और देश की आधी से ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। लेकिन पूरे देश को कोयला देकर बिजली पहुंचाने वाला राज्य आज पूरे अंधकार में डूबा है। राजीव प्रताप रूडी यदि इस सत्र में यहां पर भाषण दे रहा है तो मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में रहने वाले 25 लाख लोग और पूरी कमिशनरी में रहने वाले एक करोड़ लोग आज अंधकार में डूबे हैं। पूरे देश को आप विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन देश के एक भाग को, जहां 7 करोड़ लोग रहते हैं, वैसे प्रान्तों को आप पीछे रखना चाहते हैं। यदि शरीर के किसी भाग में कैंसर हो जाए तो पूरे शरीर को आप बहुत लम्बे अरसे तक नहीं बचा सकते। इस देश को जब भी देखना पड़ेगा तो एक नजरिए से देखना पड़ेगा। कोयला बिहार में, बिजली उत्पादन भटिंडा और पंजाब में किया जाएगा। वहां से कोयला लादकर आप पंजाब में ले जाएंगे, वह ज्यादा हितकारी है लेकिन पिट हैड्स पर कोयले से बिजली उत्पादन करने में आप असमर्थ हैं। योजना बनाने वालों, देश चलाने वालों को 50 वर्ष में इसके बारे में सोचना चाहिए था कि इस देश को किस तरह चलाएंगे।

महोदय, मैं रेलवे के बारे में संक्षिप्त में जाना चाहूंगा क्योंकि मुद्दे बहुत हैं और रात्रि काफी हो चुकी है। रेल आज इस देश में सबसे महत्वपूर्ण है। देश का, विश्व का सबसे बड़ा उपकरण रेल है, जो सबसे सुविधाजनक ढंग से माल एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। उसमें पर्यावरण सबसे अधिक संतुलित रहता है। पांचवी योजना में जब पूरे प्लान का 75 प्रतिशत पैसा रेलवे में खर्च किया जाता था, उसे घटाकर सातवीं योजना में 40 प्रतिशत कर दिया गया और आठवीं योजना में घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। वही रेल है, इस देश में, इसलिए मैं रेल की परिभाषा को मजबूत करना चाहूंगा कि आज भी भारत का निवासी जब उत्तर, पूर्वोत्तर के किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे देखकर बिहार का व्यक्ति कहता है कि वह चीनी है। दक्षिण भारत का व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता है तो कहता है कि चीनी है, लेकिन सिर्फ रेल एक ऐसी जगह है, जो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय पहचान बनाती है। जब रेलगाड़ी उत्तर, पूर्वोत्तर से चलकर दक्षिण भारत तक जाती है तो रेल पूरे देश को जोड़ती है। उस क्षेत्र में संरचना में अगर हम लोग मजबूती पैदा नहीं करेंगे तो इस भारतवर्ष की नींव को मजबूत करने में हम असमर्थ होंगे।

मैं समुद्री मार्ग के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। देश में विदेशी मुद्रा का आज 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और उस मार्ग से होने के कारण देश में जो आय होती है, वह विदेशी मुद्रा की होती है। जब देश में विदेशी मुद्रा आती है तो वह देश के कर्ज को कम करती है, देश अपने बढ़ने वाले उस कर्ज के बोझ को कम करता है। मैं संरचना के संदर्भ में, क्योंकि आज देश के सामने संरचना का विषय है, संरचनात्मक सुविधाओं के बारे में चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। एक तरफ शहरी संरचना के बारे में हम कहते हैं और एक तरफ देहात की बात करते हैं, जो हमारे लिए बहुत प्रमुख है। शहर की जो स्थिति है, मैं मानता हूं कि शहर में बिजली का अभाव होने लगा है, सड़क का अभाव होने लगा है, पीने के पानी का अभाव होने लगा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देहात की तुलना में आज अपने आप में इस भारतवर्ष में फिर भी बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं अपने देहात में रहने वाले लोगों को कहता हूं, अपने छपरा में बसने वाले लोगों को कहता हूं कि शहर की तरफ जो तुम लोग चल रहे हो, चले आओ। इसलिए आ जाओ कि हम आपको देने में असमर्थ हैं। देहात में वे सुविधाएं देने में असमर्थ हैं और कुछ समाज के लोग शहर में बसकर अपनी सुविधाओं का जाल फैला रहे हैं। हमें बांटने के लिए उनको यहां लाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति ऐसी बदलती जा रही है अगर आप उसे भूखा-नंगा वहां छोड़ेंगे तो वह शहर की तरफ भागेगा और कल वह मामला इतना जटिल हो जायेगा कि उसका सामना आप नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर एक शब्द मैं जरूर कहूंगा कि दिल्ली को पेरिस तब तक मत बनाइये, जब तक पूरा भारत फ्रांस नहीं बन जाये, क्योंकि जब इस चीज को हर क्षेत्र में नहीं पहुंचाएंगे, विकास की रोशनी हर कोने में नहीं पहुंचेगी तो दिल्ली को पेरिस बनाकर भारत को फ्रांस बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती है।

मैं ग्रामीण क्षेत्र के विषय में संरचना की सुविधाओं के बारे में थोड़ी चर्चा इसलिए भी करना चाहूंगा कि साधारण से रूप में बिहार में एक देहाती क्षेत्र का उदाहरण लेता हूं, जहां बिजली के अभाव के कारण वहां पम्प से पानी नहीं निकाला जाता है। आज लोग डीजल पर निर्भर हैं, डीजल की महंगाई के कारण पम्प पानी नहीं दे पाता है। नहरों की स्थिति ऐसी है कि नहरों से देहात में किसान का पटवन नहीं हो पाता है और जब देहात के किसानों के खेत का पटवन नहीं होगा, गेहूं की फसल नहीं होगी, धान की फसल नहीं होगी। अगर उसकी सम्पत्ति अधिक नहीं होगी, अगर उसका उत्पादन अधिक नहीं होगा तो वह सम्पत्ति के रूप में उभरकर नहीं आयेगा। जब उत्पादकता बढ़ती है, जब बड़ी योजनाओं में पैसा लगाकर आप सिंचाई की क्षमता को बढ़ाते हैं तो किसान की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होती है और जब गांव की सम्पत्ति अधिक होती है और जब गांव का अनाज अधिक होता है तो वह मंडी में बेचता है और जब मंडी का अनाज अधिक होता है तो वह अन्य राज्यों में भेजता है और जब राज्य की सम्पत्ति और राज्य का अनाज अधिक होता है तो उसे केन्द्र में जमा करके विदेश में निर्यात करते हैं, वह देश का आयात किया हुआ राजस्व बनता है और उस राजस्व के माध्यम से हम अपने देश का कर्ज मिटाते हैं। इस सोच के साथ हमें संरचनात्मक सुविधाओं के बारे में विचार करना चाहिए।

लेकिन आज देहात की स्थिति है, देहातों में अस्पतालों की स्थिति है, सामाजिक संरचनाओं की स्थिति क्या है, मैं उस तरफ थोड़ा जाना चाहूंगा, इसलिए कि विषय आज पूरे भारतवर्ष में सामाजिक संरचना की तरफ भी हमें ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। शिक्षा की जगह में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, आज पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षित व्यक्ति है, उसकी परिभाषा क्या रह गई है। बिहार जैसे प्रान्त में जहां गरीब प्रान्त जिसको हम कहते हैं, पिछड़ा प्रान्त जिसको हम कहते हैं, वहां पर आज क्या हालत है। मैं देखता हूं कि हमारे यहां का एम.ए, बी.ए, डबल एम.ए. किया हुआ लड़का अंग्रेजी या हिन्दी शुद्ध नहीं लिख पाता है, क्योंकि परिस्थिति वहां ऐसी बनी हुई है, अभाव ऐसा बना हुआ है कि आज वह देश के नक्शे पर अपने आपको नहीं ला पाता है। वहीं दिल्ली में पढ़ने वाला, वहां के सरकारी स्कूल में भी पढ़ने वाला, सी.बी.एस.ई. में पढ़ने वाला सुबह-शाम अगर पढ़ लेता है तो बड़े-बड़े होटलों में जाकर गुड ईवनिंग सर, गुड मार्निंग सर करके पूरे देश में अपने आपको स्थापित कर लेता है, जो हमारे जैसे पिछड़े इलाकों से आने वाले लोग अपने आपको स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विभिन्न भागों में जिस तरह से इम्बेलेंसिज़ क्रिएट हो गये हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम पूरे देश को सही दिशा पर ले जायें।

मैं एक दो सवाल इस देश के सामने और रखना चाहूंगा। आज 190 इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजैक्ट्स में पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बताया है कि 46,000 करोड़ रुपये कास्ट ओवर रन है, टाइम ओवर रन है। इसका जवाब कौन देगा, यह देश चलाने वालों को बताना पड़ेगा कि इस गरीब देश में कास्ट ओवर रन एंड टाइम ओवर रन के लिए जिम्मेदार कौन है। महोदय, विकास की बात मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि जब तक पूरे देश को बराबरी के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते।

मैं बिहार की बात कहना चाहता हूं। पिछले पांच वर्षों में वहां-जहां 13,000 करोड़ रुपये खर्चे किए जाने थे, मात्र पांच हजार करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। इसलिए कहां बनेगा उस राज्य का पूल, कहां बनेंगे अस्पताल, कहां बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए किताबें मिलेंगी, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन जो इस देश में पिछले पचास सालों से बढ़ता जा रहा है, उस पर भी ध्यान देना होगा।

अब मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं। देश की आजादी के 15 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ। मैं कुछ चुनौती भरे सवाल यहां रखना चाहता हूं। विशेषकर आजादी के बाद जिन लोगों पर दायित्व सौंपा गया था कि भविष्य कैसा हो, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूंगा। देश चलाने वालों की जिम्मेदारी उन लोगों पर सौंपी गई थी कि जब हम जवानी में प्रवेश करें तो यह बुराई हमें चारों तरफ न मिले। लेकिन आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज पूरा भारतवर्ष पूछना चाहता है कि पचास वर्षों में आपकी क्या उपलब्धियां रहीं? आप भविष्य को क्या देने जा रहे हैं? लेकिन हम पचास साल के बाद सदन में बैठकर आंसू बहा रहे हैं कि हमने इस अवधि में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। अध्यक्ष महोदय ने ठीक कहा कि हमें दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की परिस्थिति में यह आवश्यक है, क्योंकि इन पचास वर्षों में सुंदर सा मुखौटा बनाकर हम अपने आपको बहला रहे हैं, समाज को बहला रहे हैं, देश को बहला रहे हैं और पड़ोसियों को बहला रहे हैं। इस तरह से हम अनंतकाल तक नहीं चल सकते। मैं इसलिए इन मुद्दों को उठा रहा हूं ताकि देश में जो परिस्थिति उभर कर आई है उसके संदर्भ में मैं कह सकूं।

हमारे देश में मिडिल वर्ग है। इससे मैं पूछना चाहूंगा कि उसकी यह कल्पना रहती है कि ऊपर की अच्छाइयों को अपने पास ले लो और गरीबों की बात अपने तक न आने दो। उसमें भी अब पश्चाताप की भावना जग रही है, क्योंकि समाज की हर अच्छाई को वे अपनाना चाहते हैं और नीचे की बातों को ऊपर नहीं आने देना चाहते। आज धीरे-धीरे समाज की विभीषिका उनको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बढ़ रही है। पूरे देश में बेचैनी है, क्योंकि अब उनको यह महसूस होने लगा है कि हम पचास वर्ष बाद देश को किस रूप में चला रहे हैं।

राजनीति में अपराधीकरण की बात होती है। चाहे लोक सभा में हो या विधान सभा में आज स्थिति ऐसी है कि देश चलाने के लिए अगर कांग्रेस की सरकार हो तो आर्थिक मुद्दों पर विचार करने वाले देश के सदनों में नहीं मिलते तो वे एक व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं। इसी तरह से दूसरी सरकार आती है तो माननीय चिदम्बरम को मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि आर्थिक मामले में विचार करने वाले उनके पास नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां हजारों शिक्षित इस देश को चलाने की योग्यता रखते हैं, फिर उन्हें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। इसी का परिणाम है कि आज ये लोग अपने बेटों को कहते हैं कि नेता न बनो। कोई आदमी अपने परिवार के लोगों को यह नहीं चाहता कि वे नेता बने। वह चाहता है कि डाक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। लेकिन आज इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति उभरकर आई है कि कोई सज्जन घर-परिवार वाला यह नहीं कहता कि मेरा बेटा नेता बने।

इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि पचास वर्ष की आजादी के बाद आज हमारे बीच में यह कैसी परिस्थिति आ गई है कि हमारे परिवार के लोग भी नेता न चाहते हों। क्योंकि आज नेता की परिभाषा बदल गई है। नेता की परिभाषा हो गई है जो इनको लाइसेंस दिला सके, बैकडोर एंट्री करा सके और कोटा दिला सके। इस पर भी हमें समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। यह भी सोचना पड़ेगा कि देश को कैसे चलाया जाए।

इस संविधान में जो कमियां आई हैं, जो आज देश की परिस्थिति है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ गई है। संविधान को एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। आरक्षण के मामले को आप देख लीजिए। आपने आरक्षण की शुरुआत की। आज फिर आरक्षण की बात हो रही है। आज यदि आरक्षण की बात होगी, लेकिन देश के सामने अगले पचास वर्षों के बाद जब हम फिर स्वर्ण जयंती मनाएंगे, तो फिर आरक्षण की बात करेंगे, इसी तरह सदन में बैठकर विश्लेषण करेंगे कि आरक्षण के सिलसिले का परिणाम क्या निकला।

सभापति महोदय, मुझे अपने मुद्दों को बहुत संक्षेप में रखने का मौका मिला है, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। जबकि मैं काफी तैयारी करके आया था। मैं यहीं कहना चाहता हूं कि देश को चलाने के लिए, नए सिरे से चलाने के लिए हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा, साथ-साथ इस भारतवर्ष के निवासियों को संकल्प लेना पड़ेगा। इस देश में रहने वाले लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि इस देश को किस प्रकार से चलाना है, किसको नेतृत्व सौंपना है? किसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी तभी शायद अगले पचास साल में आने वाली पीढ़ियों को हम सही जवाब दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।



श्री के.सी. कोंडय्या

[अनुवाद]

श्री के.सी. कोंडय्या (बेल्लारी) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम इससे पहले कि मैं आत्मनिरीक्षण के दौर से गुजरूं, मैं तहे दिल से अध्यक्ष महोदय श्री पी.ए. संगमा को दो बातों के लिए धन्यवाद देता हूं—एक तो 50 वर्ष पुराने संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण की पूरी-पूरी जांच के लिए विशेष सत्र बुलाने का उनका अनोखा विचार और दूसरे चिन्तन हेतु पृष्ठाधार सामग्री पहले ही हमें उपलब्ध करा देना।

मैं केवल दो मुद्दों अर्थात् गरीबी और लिंगभेद की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हाल में विकास और गरीबी की हमारी अवधारणाओं का आधार प्रगति और गरीबी न होकर विकास-केन्द्रित और लोक-केन्द्रित हो और मूलत: निष्पक्ष और लिंग आधारित समानता से परिवर्तित होकर मूल्य-भारित और लिंग आधारित समानता हो।

पचास वर्षों के कार्य की निष्पक्ष समीक्षा से अन्य बातों के साथ-साथ हम यह समझते हैं कि हमने अनेक क्षेत्रों में चमत्कारिक उपलब्धता प्राप्त की है, किंतु निरक्षरता और अज्ञानता दूर करने, ऐसी गरीबी जिसे रोका जा सकता है, ऐसे रोग जिनसे बचा जा सकता है, कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, लैंगिक आधार पर उपेक्षा करना, प्रत्येक वर्ग में अवसरों की असमानता जो वर्ष 1947 में चिंता का विषय थे आज 1997 में भी हमारी चिंता का विषय हैं।

महोदय, हाल ही में विकास अध्ययन विभाग, कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है द्वारा किए गए विकास और प्रगति में कमी सम्बन्धी विश्लेषण से हताश करने वाले इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि मानव विकास सूचकांक द्वारा मापे गए मानव विकास के स्तर में वृद्धि के मामले में प्रगतिशील विश्व के कुछ सह-सदस्यों और निकट के पड़ोसी देशों, श्रीलंका और चीन ने भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। सम्बन्धित विकास सूचकांक और स्त्री/पुरुष को अधिकार देने से सम्बन्धित उपायों के द्वारा मापे गए क्रमश: स्त्री/पुरुष संबंधी विकास और स्त्री/पुरुष को अधिकार देने के संबंध में एवं मानव निर्धनता सूचकांक और मानव अभाव उपाय द्वारा मापी गयी मानव निर्धनता और मानव अभाव को कम करने के मामले में भी यही स्थिति है।

यह अंतरमहाद्वीपीय देशव्यापी अध्ययन भी दर्शाता है कि विभिन्न वैचारिक आधार एवं पूर्वाग्रह रखने वाले देश भारत से आगे निकल गए हैं। क्यूबा, वियतनाम और चीन की समाजवादी उन्मुख अर्थव्यवस्था है और दक्षिण कोरिया, ताइवान एवं थाइलैंड की बाजारोन्मुख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तथा कोस्टारिका, जमैका एवं श्रीलंका की मिश्रित अर्थव्यवस्था है।

निसंदेह अधिकांश दक्षिण एशियाई देश गरीबी और अभाव से ग्रसित हैं जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हैं, लेकिन दुखद पहलू तो यह है कि भारत में उक्त स्थिति सबसे अधिक भयावह है। भारत में निरक्षरता, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, धनाभाव सर्वाधिक है। हमारे देश में लगभग 324 मिलियन लोग (या हमारी जनसंख्या का 38 प्रतिशत) आय की दृष्टि से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। यह संख्या 1951 में भारत की कुल जनसंख्या से, जो उस समय 361 मिलियन थी, अधिक है। नए पैमाने के अनुसार 36.7 प्रतिशत लोग गरीबी से ग्रसित हैं और मानवीय गरीबी सूचकांक 'ह्यूमेन पावर्टी इन्डेक्स' के संदर्भ में भारत 78 देशों में से, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं, 47वें स्थान पर आता है।

महोदय, ये सभी आंकड़े संसद द्वारा दिए गए प्रमाणिक दस्तावेजों से लिए गए हैं।

'ह्यूमन डेप्रिवेशन मीजर' द्वारा किए गए आकलन के अनुसार बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया में 514 मिलियन लोग अत्यावश्यक वस्तुओं के अभाव से ग्रसित हैं। दक्षिण एशिया में आयगत अभावग्रस्त 361 मिलियन लोगों में 226 मिलियन लोग भारत में हैं। दक्षिण एशिया में शैक्षिक अभावग्रस्त 652 मिलियन लोगों में से 479 मिलियन भारतीय हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभावग्रस्त 409 मिलियन लोगों में से 288 मिलियन लोग भारत के हैं। 'ह्यूमन डेप्रिवेशन मीजर' के निष्कर्ष पाकिस्तान के महबूब उल हक द्वारा प्रकाशित दक्षिण एशिया में मानव विकास, 1997 पर आधारित है। यह तथ्य 12 मई, 1997 के "दि हिन्दू" में प्रकाशित हुए हैं।

भारत की गरीबी की यह पूरी कहानी नहीं है। आयगत गरीबी में अंतर्राज्यीय विषमता भयावह है। गरीबी पैमाने के निम्नतम स्तर पर बिहार आता है जिसकी 54.96 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है और सबसे कम गरीबी का स्तर चंडीगढ़ में दृष्टिगोचर होता है जहां की केवल 11.35 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। अखिल भारतीय औसत 35.97 प्रतिशत का है। देश की 320 मिलियन जनसंख्या में से 155 मिलियन जनसंख्या बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की आती है जहां 48.34 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं।

आयगत गरीबी और मानवीय अत्यावश्यक वस्तुओं की अभावग्रस्तता के तथ्यों को उद्घाटित करने के साथ मेरी सभा के सभी सदस्यों से अपील है कि वे ईमानदारी से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि हमारी विकास संबंधी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम और बजट गरीबी और अभाव से संबंधित चिन्ताओं को समग्र रूप से अर्थात् राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर प्रतिबिंबित करे।

अब मैं सभा का ध्यान लिंग के आधार पर भेदभाव से संबंधित मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू वर्ग, जाति और लिंग से हटकर प्रत्येक से संबंधित है। लेकिन यह दुखद स्थिति है कि महिलाएं जिनकी भागीदारी जनसंख्या में 50 प्रतिशत की बैठती है, मतदाताओं में 50 प्रतिशत हिस्सा उनका होता है और जो काम का 50 प्रतिशत से अधिक भार वहन करती हैं ऐसा लगता है कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्णायक महत्व में शायद ही कोई स्थान मिलता हो महिलाओं को जो मानव जाति के सृजन, संजनन और संतनन की केन्द्र बिन्दु है, सामाजिक जीवन की मुख्य धारा के हाशिए पर रख दिया गया है। 50 वर्ष के स्वाधीन अस्तित्व और लिंग वार 5 दशक की आर्थिक आयोजना के बाद भी हम अभी तक असमान समाज में रह रहे हैं। पुरुष विकास के प्रतिफल का आवश्यकता से अधिक बड़े भाग का उपभोग कर रहे हैं जबकि महिलाएं असमान रूप से मानवीय अत्यावश्यक वस्तुओं के भारी अभाव से ग्रस्त हैं।

घर और बाहर दोनों जगह उत्पादक कार्य करने के बावजूद उनके श्रम का बड़ा हिस्सा बिना प्रतिफल के ही चला जाता है। पुरुषों के लगभग 75 प्रतिशत काम का प्रतिफल आंका जाता है और इस प्रकार महिलाओं के मात्र 25 प्रतिशत काम का ही मूल्य आंका जाता है, उनके कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा अनदेखा चला जाता है।

भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की 88 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है, प्रसूति संबंधी मामलों में से केवल 34 प्रतिशत प्रसव प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा कार्मिकों की देखरेख में होते हैं, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित शिशुओं पर 570 बैठती है, प्रति हजार नवजात शिशुओं में से 74 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महिला साक्षरता मात्र 36.1 प्रतिशत है। संसद में कुल सीटों में से महिलाओं को केवल 7.3 प्रतिशत सीटें प्राप्त हैं, प्रशासनिक और प्रबंधन पदों पर केवल 2.3 महिलाएं आसीन हैं तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल 20.5 प्रतिशत बैठती है। महिलाओं की अर्जित आय का हिस्सा केवल 26 प्रतिशत बैठता है। इनमें से अधिकांश आंकड़ों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो निश्चय ही निकटतम पड़ौसी देश श्रीलंका और चीन तथा कर्नाटक का पड़ोसी राज्य केरल बेहतर स्थिति में है।

भारत ने स्वाधीनता के 5 दशक की अवधि में मानव विकास के अभाव को दूर करने संबंधी साधारण उपलब्धि दर्ज करने के अतिरिक्त आर्थिक विकास के कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी पर्याप्त सफलता हासिल की है। लेकिन असमानता विशेषकर लिंग आधारित असमानता, निरक्षरता, आयगत गरीबी, मानव अत्यावश्यक वस्तुओं की अभाव ग्रस्तता कुपोषण आदि अभी भी बरकरार है। 1947 की नेहरू जी की चिन्ता 1997 तक की चिन्ता बनी हुई है। अत: स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जो हमने जनता के प्रति प्रतिबधता जाहिर की थी उसे पुन: व्यक्त करते हुए हमें इस स्वर्ण जयंती वर्ष में पुन: यह सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि राष्ट्र, कम से कम उस समय तक जब तक हम हीरक जयन्ती मनाएं, सभी तरह के अभावों और अवसरों में असमानता से मुक्त हो जाये। वास्तव में यह एक महान कार्य है।

रात्रि 3.00 बजे

विकास और अभाव के अनुभव के 50 वर्ष की पृष्ठभूमि में मैं स्वाधीन अस्तित्व के 75 वर्ष पूरा करने से पूर्व हमारे समक्ष जो महान कार्य है उसे पूरा करने में जनता की, जो शासन करते हैं और जिन पर शासन किया जाता है—निर्णायक भूमिका का उल्लेख करने हेतु कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा–

"वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप,
बट आई हैव प्रोमिसिस टू कीप,
एंड माइल्ज टू गो बीफोर आई
स्लीप, एंड माइल्स टू गो
बिफोर आई स्लीप"

महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया।



श्री हन्नान मोल्लाह

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, आज आंजादी के 50 वर्ष के शुभ अवसर पर बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, मैं उनसे सहमत हूं। मैं एक-दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने जिसके लिए ऐलान किया था कि एक जनवाद हिन्दुस्तान में बनाए, यह जो असमानता है, विषमता है उसको खत्म करेंगे और देश का विकास करेंगे। ये तीन मुद्दे हैं। मगर मेरा जैसा अनुभव है वह यह है कि जनवाद की रक्षा करने के लिए जो वायदा किया था उसमें हमें काफी हद तक दुनिया में कामयाबी मिली। दुनिया में बहुत सारे देशों में जब जनवाद एक के बाद एक खतरे में पड़ा तो जनवाद का आखिरी विकेट हमने हिन्दुस्तान में बचा कर रखा और बहुत कुछ कमी के बावजूद भी हमारा यहं जनवाद चल रहा है और आने वाले दिनों में इसको और मजबूत करने का हमारा आज का यह प्रयास है। मगर दूसरी जो असमानता को खत्म करने की बात थी और जो आर्थिक विकास की बात थी, इन दोनों बातों में हमारी जो कमी है उसको आने वाले 50 सालों में किस तरह पूरा किया जाए, यह भी आज विचारने का विषय है।

महोदय, मैं पहले एक मुद्दे पर बताना चाहूंगा कि अपने देश के विकास के लिए हमने एक वायदा किया था कि हम पंचवर्षीय योजना के जरिए देश को विकसित करेंगे मगर योजना का मूल विषय क्या होता है? योजना शुरू करने के लिए हम रिसोर्सेज़ मोबलाइज़ करेंगे, यह पहला काम है। हमारा जो मेन रिर्सोस है वह हमारी भूमि है, दूसरा हमारा मनुष्यमात्र है। मजदूर किसान, भूमिहीन किसान, मेहनतकश जनता है और बाकी हमारी प्राकृतिक संपदा है, ये सभी रिर्सोसेज़ हैं। मगर भूमि का जो हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए था वह काम हम नहीं कर पाए। हमारा जो भूमि सुधार का वायदा था उसको हम पूरा नहीं कर पाए। प्रो. मोहलाना बिश ने यह सोचा था कि 6 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन गरीब और भूमिहीनों में बांटने के लिए मिलेगी लेकिन इन 50 सालों में शायद इसका दस प्रतिशत भी हम नहीं बांट पाए और जब भी बांटा गया तभी उसका ज्यादा हिस्सा बंगाल, केरल या कुछ ऐसे दो-चार स्टेट्स में बांटा गया। ज्यादातर जगहों पर बड़ी जमीन के मालिक उस जमीन पर कब्जा करके बैठ गए और नामी-बेनामी उसको कब्जा करके रखा। उसके साथ-साथ जो हमारी उपज को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान देता है वह खेतीहर मजदूर है, उसकी हमने कभी देखभाल नहीं की। 50 साल हो गए हम उसको आज तक कोई संरक्षण नहीं दे पाए, आज तक कोई कानून नहीं बना पाए। इसमें हमारा जो पहला रिसोर्स योजना को मजबूत बनाने के लिए है वह खेतीहर भूमिहीन मजदूर किसान है, उसके लिए हमने ठीक ढंग से कुछ नहीं किया। फिर भी हमारा किसान, हमारे खेतीहर मजदूर ने अपनी मेहनत से जितना बढ़ाया उसका नतीजा आज हमारे सामने है। हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है मगर देश को जितनी जरूरत है उतना नहीं हुआ है। सब लोग खरीद नहीं पाते हैं। सब को जितनी कैलोरी की जरूरत है वह पूरी नहीं होती है। इसलिए ऐसा लगता है कि अब यह मिट गया है लेकिन वास्तव में वह पूरा नहीं हुआ। जब हम कैलोरी वेल्यू का हर साल हिसाब करते हैं तो देखते हैं कि अभी भी आठ योजनाएं संपन्न होने के बावजूद भी हमारा पर-केपिटा कंजमशन कम हो रहा है।

यह एक बड़ी बात हमारे सामने थी। दूसरी बात यह है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, उसके विकास का जो रास्ता सोचा गया था, उस पर बहुत चर्चा हुई, पिछले साल में 1.7 प्रतिशत की हमारे खाद्यान्न में वृद्धि हुई है। हमारी कृषि नीति जो बाद में तय हुई, उसमें फूड प्रोडक्शन कम करके कैश क्रॉप की नीति जो हमने ली है, वह आने वाले दिनों में एक खतरा हो सकती है। हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है कि क्राइसिज़ आने पर बाहर से फूड लाकर लोगों को बचाया जा सकता है। 100 करोड़ लोगों को भोजन देना आने वाले दिनों में आसान काम नहीं होगा। यह देश बर्मा या थाईलैंड नहीं है। इसलिए फूड प्रोडक्शन कम करके कैश क्रॉप बढ़ाने की नीति आने वाले दिनों में एक खतरा न बन जाए, इसे हमें ध्यान में रखना होगा।

हमें रिसोर्स मोबलाइजेशन के लिए पैसा भी इकट्ठा करना है, लेकिन हमारे 80 प्रतिशत लोगों के पास पैसा नहीं है। हमें अपने रिसोर्स मोबलाइजेशन के लिए और अपनी योजनाओं के लिए 20 प्रतिशत लोगों से पैसा लेना है। लेकिन हमने लिब्रलाइजेशन के लिए 12000 करोड़ रुपये की जो हमने दस साल छूट दी है। इस तरह से छूट देते रहेंगे तो जिनमें पैसा देने की ताकत है वह हमें पैसा नहीं देगा। फिर कहां से इंटरनल रिसोर्सिज़ के लिए पैसा आयेगा।

8वीं योजना को आप देखें तो सिर्फ एक से डेढ़ प्रतिशत ही फॉरेन कम्पोनेंट बाहर का है, 98.5 प्रतिशत इंटरनल रिसोर्सिज से है। इस तरह से देश का ज्यादा विकास तो देश के पैसे से ही हुआ है। अगर आज हम उस पैसे को घटा देंगे, छूट दे देंगे और रिसोर्सिज मोबलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम विकास के लिए पैसा जुटा नहीं पाएंगे और बहुत सारी योजनाओं का विकास हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें योजनाएं चलानी हैं तो हमें रिसोर्सिज़ मोबलाइजेशन करना पड़ेगा और छूट देने के रास्ते से निकलना होगा।

इसके साथ-साथ हमारा जो एक्सपोर्ट ओरियेन्टिड एग्रीकल्चर है, मैं मानता हूं कि हमें एक्सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम घर के लोगों को बिना खाए हुए रखकर उसको विदेशों में बेचें। हमारी जो पॉलिसी है उसको सही ढंग से आने वाले 50 सालों में हमें बदलना होगा।

जब हम 21वीं सदी में जाने वाले हैं तो हमारे देश की हालत क्या है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। हमें 150 करोड़ लोगों को खिलाना पड़ेगा क्योंकि अगले 50 सालों में हम 150 करोड़ हो जाएंगे। अभी हम 40 प्रतिशत के आस-पास ही गरीबी रेखा के नीचे हैं लेकिन अगर हम सही ढंग से पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। यह भी एक बड़ा चैलेंज आज हमारे सामने है। 21वीं सदी तक 200 मिलियन लोगों से ज्यादा बेरोजगार होंगे, 150 करोड़ लोगों को खिलाना पड़ेगा, 70 करोड़ लोग अनपढ़ होंगे, 300 मिलियन चाइल्ड लेबर होंगे। अगर हम आज से ही, ठीक ढंग से कोई योजना इनके लिए नहीं बनाएंगे तो 21वीं सदीं में इनको संभालना और भी मुश्किल काम होगा। हमें आगे के 50 सालों के लिए कोई योजना सोचनी है तो इन सारी समस्याओं को सामने रखकर हमें बदलने का काम करना पड़ेगा।

जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है तो उद्योगों के विकास के लिए हमारी पहले आत्म-निर्भरता की पॉलिसी थी, लेकिन आज हम फॉरेन रिलाइंस की बात करते हैं। कुछ दिन पहले हम दूसरे रिलाइंस पर भरोसा करते थे। अभी उसको छोड़ दिया। हमने सैल्फ रिलाइंस भी छोड़ा और दूसरा रिलायंस भी छोड़ा। अब फॉरेन रिलाइंस पर आ गए हैं। फॉरेन फंड्स पर हम ज्यादा भरोसा करके योजना बनाने का जो रास्ता अपना रहे हैं, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने विदेशी पूंजी से विकास किया हो। विदेशी पूंजी देश को लूटती है। विदेशी लोग अपना मुनाफा कमाने आते हैं। वह विकास के लिए आ रहे हैं, आपकी यह सोच सही नहीं है।

एक हमारा डोमैस्टिक सैक्टर है। जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं। हम इस पर जोर न देकर हम विदेशी एम.एन.सी., टी.एन.सी. को जोर दे रहे हैं। इससे भी हमें खतरा है। पब्लिक सैक्टर को कमांडिंग हाइट से उतार कर एक के बाद दूसरा डिसइनवैस्टमैंट कर रहे हैं। अगर ऐसी पालिसी चलेगी तो आने वाले समय में पब्लिक सैक्टर भी नहीं रहेगा। पब्लिक सैक्टर क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र से आशय है सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरशाहों द्वारा संचालित उपक्रम। इसमें न कोई लगन है, न कोई अनुशासन है। इस कारण पब्लिक सैक्टर दिन-ब-दिन घटती जा रही है। वहां काम करने वालों को तनख्वाह नहीं मिलती। इस परिस्थिति में हमारे सामने खतरा है। हम अपनी पालिसी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ. जो पालिसी डिक्टेट कर रहा है, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। अगर आने वाले समय में इस रास्ते पर चलेंगे तो हमारे देश में खतरा बहुत बढ़ जाएगा।

इसके साथ-साथ इकोनामिक रिफार्म्स की जरूरत है। इसकी क्यों जरूरत है? देश के विकास के लिए इसकी जरूरत है। यह देश को बेचने के लिए नहीं है। इसे विदेशियों के हाथ में सौंपने की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश का क्या मकसद है? हम जरूरत के मुताबिक रिफार्म्स करें और टैक्नॉलोजी लाएं। आज विदेशी मुद्रा आ रही है। इस बारे में आपको सारे आंकड़े मालूम हैं।

हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, वे अभी भी 40 परसैंट के आसपास हैं। ये किस तरह जी रहे हैं? आज परचेजिंग पावर नहीं है। इसके न होने के कारण आज प्राइस राइस हो रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जिस तरह योजना बनायी गई है, इस तरह से वह नहीं चल पाएगी। हम इसलिए बार-बार कह रहे हैं कि 14 जरूरत की चीजों को इकट्ठा करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पब्लिक को देने का इंतजाम करिए। हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम पब्लिक को भर पेट खाना देने की गारंटी नहीं देंगे तो वे किस तरह देश को बढ़ाने का काम करेंगे? यह बहुत जरूरी है। उनका पेट खाली होने पर वे देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस क्षेत्र में जो हमारी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए काम करने होंगे और उसे योजना के अंदर रखना पड़ेगा।

प्लानिंग में जो कमी है, वह डिसक्रिमिनेशन की वजह से है। आपको एक उदाहरण से इस बारे में मालूम हो जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र जहां 14 परसैंट लोग रहते हैं, वहां 40 परसैंट इनवैस्टमैंट होता है। केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और बिहार ये चारों स्टेट्स मिला कर जहां 18 परसैंट पापुलेशन है, वहां एक परसैंट इनवैस्टमेंट है। जहां 14 परसैंट पापुलेशन है, वहां 40 परसैंट इनवैस्टमैंट और जहां 18 परसैंट पापुलेशन है, वहां एक परसैंट इनवैस्टमेंट है। इस डिसक्रिमिनेशन के चलते आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इससे योजनाबद्ध तरीके से इकोनोमी नहीं चलायी जा सकती है। इस डिसक्रिमिनेशन को आने वाले समय में प्लानिंग कमीशन जब तक नहीं सुधारेगा, तब तक हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। वे बंद कमरे में प्लानिंग करते हैं। हमारी प्लानिंग की एक गलती और भी है। डीसैंट्रलाइजेशन की पालिसी हम ठीक ढंग से नहीं बना पाए हैं। पंचायत, जिला स्तर और स्टेट लैवल पर प्लानिंग करनी होगी। योजना को नीचे से ऊपर लाने का काम नहीं किया जाता है। हम ऊपर से नीचे आते है। पंडित लोग किताब पढ़ कर घर और आफिस में बैठे-बैठे योजना बनाते हैं। इस कारण जमीन पर पूरी कामयाबी नहीं मिल पाती। हमारा 60-70 परसैंट टारगेट फुलफिल होता है। बाकी टारगेट पूरा नहीं होता। प्लानिंग को ठीक ढंग से चलाने का जो काम है, उस काम को आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास होना मुश्किल है।

हमारी इकोनोमी के ऊपर विदेशी प्रभाव बढ़ रहा है। हमने उन्हें खुली छूट दे दी। कस्टम ड्यूटी में छूट दी। 100 मल्टी नेशनल कम्पनियों का पिछले पांच साल का रिकार्ड है। यह ताज्जुब की बात है। 91 परसेंट इसका टोटल सेल बढ़ा है और 135 परसेंट प्राफिट बढ़ा

है। इम्पोर्ट 260 परसेंट बढ़ा है। वे मशीनरीज़, इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन 89 परसेंट फारेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विदेशी कम्पनियां हमारे देश को पिछड़ा रखना चाहती हैं। वह तो रॉ-मैटीरियल इम्पोर्ट कर रही हैं। सबसे ज्यादा फारेन एक्सचेंज 100 मल्टी नेशनल कम्पनियों ने 1587 करोड़ रुपया खर्च किया। निगेटिव किया, पॉजिटिव नहीं किया क्योंकि उससे कोई अर्निंग नहीं हुई। पोर्टफोलियों मैनेजमेंट में कोई इनवैस्टमेंट नहीं है। वह पैसा आज है, कल चला जायेगा। हमारा देश मुश्किल और खतरे में पड़ जायेगा। थाईलैंड, मलेशिया में क्या हो रहा है? बाहर से पूंजी लगाकर प्रोडक्शन किया था, सरप्लस हो गया और अब सारी दुकानें ऐसे पड़ी हुई हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। दूसरे सदस्यों को उनके अवसर से वंचित मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : हमारे यहां भी मारूति उद्योग का मामला चल रहा है। इस तरह से तो परिस्थिति बिगड़ेगी। इसलिये आने वाले समय में जो इक्नामिक पालिसी है, उसमें सुधार करना पड़ेगा।

चेयरमैन साहब, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।



श्री वेंकटरामी रेड्डी अनंत

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनंत (अनंतपुर) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस माननीय सभा और भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में संसद के इस विशेष सत्र का निरन्तर अनुसरण करता रहा हूं। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की सराहना करूंगा कि उन्होंने इस सत्र को आयोजित करने में इतनी रुचि दिखाई और प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैंने उनके द्वारा 26 अगस्त को दिए गए भाषण को बहुत ध्यान से सुना है। मैं उनसे सहमत हूं कि समय की आवश्यकता है कि दूसरा स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा जाए जो हमारी अपनी आन्तरिक असंगतियों से हमें स्वतंत्रता दिलाए।

महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश के 70 प्रतिशत नागरिक कृषि पर निर्भर हैं। यह हमारे देश का मूल आधार है। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हम खाद्यान्न भंडार के संबंध में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। ऐसा भी समय था जब हमें खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। हम पी.एल. 480 तथा अन्य समझौतों के बारे में जानते हैं जिसके अन्तर्गत हम अमरीका से गेहूं का आयात करते थे। उस स्थिति से हम आज अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने के स्तर तक पहुंच गए हैं। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब हमारे पास 190 मिलियन टन खाद्यान्न का स्टॉक है और हमारा खाद्यान्न उत्पादन वास्तव में अधिक है। यह हमारे द्वारा इन वर्षों में किए गए प्रयत्नों द्वारा संभव हो सका है। कृषि के क्षेत्र में अनेक तकनीकी नई पद्धतियों का विकास हुआ है और हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि की नई प्रणालियों का विकास किया है जिसके कारण हम कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भर हो सके हैं। मैं देश भर के अपने सभी वैज्ञानिकों और कृषकों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस देश को गौरव प्रदान किया है। महोदय, गांवों में सुविधाओं की कमी के कारण नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है। यदि ऐसा चलता रहा तो यह देश के लिए एक समस्या बन जाएगी। यदि गांव के लोगों को गांवों में ही मूल आधारभूत और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए तो वे गांवों से नगरों की ओर नहीं जाएंगे। यह मेरा नम्र निवेदन है।

मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सिंचाई इस देश के लोगों की मूल आवश्यकता है। सभी मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए न कि राज्य सरकारों द्वारा। राज्यों के बीच नदी जल विवाद बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी विवाद चल रहा है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच आलमाट्टी और अपर थुंगा नदी विवाद चल रहे हैं। मुझे डर है कि नदी विवादों के कारण भविष्य में राज्यों के बीच कोई आन्तरिक युद्ध न हो जाए।

सरकार को आन्तरिक नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए।

मैं इस माननीय सभा में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे हो जाने के बावजूद और विश्व का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे पुराना लोकतंत्र होने के बावजूद हम बिना हिंसा के शान्तिपूर्वक चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। प्रत्येक चुनाव में आप यह देखेंगे कि किसी न किसी तरह की हेराफेरी होती है और अनेक बहुमूल्य जानें चली जाती हैं। राजनीति के क्षेत्र में अपराधी तत्वों के आने पर रोक लगानी चाहिए। आज लोगों द्वारा राजनीतिज्ञ को भ्रष्टाचारी और आपराधिक तत्व के रूप में देखा जाता है। अधिकतर सभी यही कहते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त है। दुर्भाग्यवश कुछ घटनाओं ने इसे और प्रेरणा दी है। लेकिन जैसा कि हमारे सम्माननीय नेता

श्री चन्द्र शेखर ने एक दिन कहा था कि सभी भ्रष्टाचारी नहीं हैं और देश के 95 प्रतिशत लोग ईमानदार हैं। कुछ लोग ही भ्रष्टाचारी हैं लेकिन वे पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार देश को अन्दर तक खोखला कर रहा है।

संसद सदस्य के रूप में 12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरी इस सभा के सभी वर्गों से सच्चे दिल से अपील है कि वे यहां और अभी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले और हम भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से हमेशा के लिए समाप्त करने की कोशिश करेंगे।

महोदय, देश की जनसंख्या में महिलाएं 50 प्रतिशत है। हम उन्हें सत्ता में भागीदारी देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भगवान शिव को ''अर्धनारीश्वर'' कहा जाता है। उन्होंने अपना आधा शरीर अपनी पत्नी, ''सती'' को दे दिया था। यहां महिलाओं को विधान सभाओं में आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक कई महीनों से लम्बित पड़ा है। हम उस विधेयक को पारित नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। अब समय है कि हम उस संबंध में विचार करें। संविधान के (73वें तथा 74वें) संशोधनों में महिलाओं को पंचायतों में, नगरपालिकाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। अब समय है कि हम उन्हें विधान मण्डलों में आरक्षण प्रदान करें।

महोदय, सरकार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के बारे में विचार कर रही है। यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन केवल विधान बनाने से कुछ नहीं होगा। यदि कोई बच्चा, गरीबी अथवा अन्य कारणों से शिक्षा ग्रहण न कर सके तो आप समझते हैं कि वह अपने मौलिक अधिकार के लिए न्यायिक शक्ति का आह्वान कर सकेगा। इसके बजाए सरकार को प्रत्येक गांव तथा प्रत्येक खंड में शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने का हर भरसक प्रयत्न करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक तथा अध्यापन संबंधी साधन उपलब्ध हैं और हमें बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। यह हमारी स्वतंत्रता के इस पचासवें वर्ष में हमारे बच्चों के लिए एक उपहार होगा।

इस देश ने पिछले पचास वर्षों में अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जब ब्रिटिश भारत से गए तब हम एक पिन भी नहीं बना सकते थे। अब हम बड़े-बड़े औद्योगिक उत्पादों, रेलगाड़ियों, हवाई जहाजों इत्यादि का उत्पादन करते हैं। हम विकासशील देशों के अग्रणी देशों में एक हैं। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद देश ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए रास्ता खोल दिया है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भारतीय उद्योग पर पूर्णत: हावी न हो जायें। हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रौद्योगिकी हासिल करने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें आने वाले वर्षों में अपना स्वदेशी उद्योग ही विकसित करना चाहिए।

महोदय, ऐसे अनेक पहलू दिमाग में आते हैं। मेरे जैसा युवा और उत्साही सदस्य जिसने पहली बार मई 96 में इस महान् और ऐतिहासिक सभा में प्रवेश किया उसके लिए इस ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेना वास्तव में एक बहुत बड़ा अवसर है। मैंने पिछले पांच दिनों में चर्चा में भाग लेते हुए अनेक बातें सीखीं।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।



श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर

[हिन्दी]

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर (सतारा) : सम्माननीय सभापति महोदय, आपने सुबह 3.15 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि स्वर्ण जयंती वर्ष में मुझे संसद सदस्य बनने का अवसर मिला। यहां लगातार पांच दिन से बहस शुरू है। यहां पर इन्सान की हर जरूरत के लिये हर विषय को टच करते हुये बहस होती गई। यहां पर पिछले 50 वर्ष में जनता ने क्या खोया और क्या पाया, सम्पूर्ण सदस्यों ने बताने का प्रयास किया है। मैं बोलने से पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। इनके नाम उमा जी नाईक, मंगल पांडे, गदर पार्टी के करतार सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, चन्द्रशेखर आजाद, बाबू गेनु, वासुदेव फड़के बन्धु, लोकमान्य तिलक से लेकर महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस, वीर सावरकर, एस.एम. जोशी, नागा गोरे, डांगे, जय प्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय, अबुल कलाम आजाद हैं। मैं जिस सतारा जिले से आता हूं, वह क्रांतिकारी जिला रहा है। छत्रपति से पावन हुई सतारा की भूमि है। 1942 की लड़ाई में बलिया और सतारा संपूर्ण देश में क्रांतिकारी जिले माने गए थे। वहां के क्रांतिकारी नाना पाटिल, शेटकाका और बाबा उंडावकर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहां पांच दिन में बहुत उत्तम तरीके से बहस होती रही। हमारी जिन्दगी में पहली बार इतने भाषण हमने सुने। चन्द्रशेखर जी का भाषण सुना, अटल जी का भाषण सुना। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भाषण सुने। विरोधी पार्टियों और सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के भाषण सुने। सबने अपनी बात यहां पर रखने की कोशिश की। मुझसे पहले मेरे दोस्त ने कहा कि यहां पर समुद्र मंथन हो रहा है। सचमुच में समुद्र मंथन होता रहा, लेकिन इस समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलना था, वह नहीं निकला। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी बहस सुन रही है, लेकिन अमृत

इसमें से नहीं निकला है। जहर भरपूर तरीके से निकला है। कुछ रत्न भी निकले हैं। रत्न जो निकले, उसके पोजेशन के लिए कि हमारी बदौलत ये रत्न निकले हैं, कुछ पार्टियां आगे आई हैं, मगर जो ज़हर निकला है, उसे अपनाने के लिए कौन सामने आने वाला है? पचास साल में जो कुछ हुआ और आने वाले पचास साल के बारे में हम बहस कर रहे हैं कि आने वाले पचास साल में हम कर्ज में डूब जाएंगे। यह निकला हुआ ज़हर हम किसे दे दें और कौन सी पार्टी को दे दें? जिन्होंने चालीस साल यहां राज किया या ढाई साल जनता दल ने यहां पर राज किया, उन्हें दे दें? जो दुखी हमारी जनता जिनके ऊपर हम राज कर रहे हैं, जो युवक हैं, जो लैण्डलेस लेबर हैं, किसान हैं, उनमें बांटें। इस ज़हर को निगलना बहुत मुश्किल है। सामाजिक विषमता के बारे में पहले यहां बहस होनी ज़रूरी थी। हर पक्ष से संघर्ष की राजनीति कोई न कोई सदस्य चुनकर आया है।

महोदय, पचास साल पहले सामाजिक विषमता की लड़ाई महात्मा फुले ने छेड़ी थी, सावित्रीभाई फुले ने छेड़ी थी। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने छेड़ी थी। शाहू जी महाराज ने उसको ताकत दी थी। प्रभाकर ठाकरे ने पूरे हिन्दुस्तान की दिशा में यह लड़ाई छेड़ी थी। मद्रास में पैट्रियाट ने छेड़ी थी। देश को चलाना है तो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के दो पहिये ठीक से चलने चाहिए। जिन्होंने लड़ाई छेड़ी थी वे इसके आगे के पहिये थे। उनके बाद किसी ने इसको चलाने की कोशिश नहीं की। अगर यह लड़ाई पूरी ताकत से छेड़ी जाती तो जो उग्रवाद है, संप्रदायवाद है, अपराधीपन है, यह कुछ भी सामने नहीं होता। अर्थ नीति में प्रगति हो जाती, हम कुछ विकास कर लेते लेकिन जिनके लिए विकास करना है, जिनको आदमी बनाकर सामने खड़ा करना है, उनके लिए और महिलाओं को हक में बराबर खड़ा करने के लिए जो सामाजिक लड़ाई लड़नी थी, वह सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ी गई। जो कुछ पचास साल में बाहर निकला है, उसकी सबसे ज्यादा सामाजिक लड़ाई हमने नहीं लड़ी, सामाजिक लड़ाई किसी ने आगे नहीं चलाई। यह सामाजिक लड़ाई का झंडा किसी ने आगे ले जाने की कोशिश नहीं की। सत्ता की राजनीति में कुर्सी के पीछे सब पार्टियां यहां पर बैठी हैं, वहीं सत्ता की कुर्सी के पीछे चल पड़े और इस बारे में हमारी सबसे बड़ी हार हो गई। आगे आने वाले 50 साल में हम लोगों को सोचना है कि सामाजिक विषमता की लड़ाई अगर हमने छेड़ी, सामाजिक विषमता की लड़ाई को हमने मान्यता नहीं दी, सामाजिक विषमता को इस देश से उखाड़कर फेंकने की कोशिश नहीं की तो जो भी आर्थिक नीतियों का और अन्य विकास हम करना चाहेंगे तो वह उन लोगों तक नहीं पहुंच पायेगा। जो इंसान दुखी हैं, दलित हैं, पददलित हैं, जो स्वयं बैठकर जीने वाले हैं, उसे पचास साल में जो हम देने जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, वह उन तक नहीं पहुंच पाया है। मेरी मान्यता है कि आप लोग सोमवार के दिन इन सब सांसदों के भाषणों को दस्तावेज के तौर पर यहां पर रखेंगे, इस घटना की प्रति आप रख देंगे, जिनके सिगनेचर यहां पर हो गये हैं, इन भाषणों को दस्तावेज के तौर पर यहां पर रखा जायेगा। लेकिन इन भाषणों को दस्तावेज के तौर पर रखकर क्या मिलेगा। आखिर पांच दिन की बहस का क्या नतीजा निकला। सुनने वाला हर आदमी सोचता है कि सिर्फ भाषणबाजी चल रही है। इन भाषणों से क्या निकलेगा। मेरे अंदर यही सवाल पैदा होता है कि इतने उत्तम भाषण हो रहे हैं। भाषणों में गर्मी लाकर सब देश की भलाई करना चाह रहे हैं। लेकिन इन भाषणों को जरिया बनाकर आप किस ढंग से सदन के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने क्या रखने वाले हैं यह चीज क्लियर नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैं पहली दफा चुनकर आया हूं, आप मुझे और बोलने का मौका देंगे मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं।

सभापति महोदय : एक मिनट और रह गया है, उसके बाद समाप्त कीजिए।

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर : मैं पहली बार यहां आकर अचंभे में पड़ गया हूं। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि मैं कुछ सदन को बताऊं और सदन उस दिशा में चले।

सभापति महोदय, मुझे 1986 में रशिया जाने का मौका मिला। वहां जाने के बाद मैंने जो कुछ देखा वह मैं यहां बताता हूं। मैं यहां पर कोई रशिया की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। जिन विचारधाराओं से रशिया आगे बढ़ा या टूटा, मैं उसके बारे में बहस नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैंने वहां पर क्या देखा कि इंसान को सामने रखकर वहां सब कुछ करते हैं। वहां जो दूध निकल रहा है, उसका पहले प्रोडक्शन बच्चों के लिए होता है। वहां बच्चों के स्कूल में मुझे जाने का मौका मिला। गुलाब के फूल जैसे खिले हुए बच्चे सामने दिखायी दे रहे थे उस स्कूल में 25 बच्चे होंगे, सब बच्चों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना मिलता था और वहां पर प्रोजेक्टर रखे हुए थे। मैंने उनके टीचर से पूछा कि आपकी सर्विस क्या है। हमारे देश में आदमी 55 साल का हो जाता है तो उसको 120 रुपये पेंशन दी जाती है। मैंने वहां पर गांव देखा, वहां रोजाना रोड़ धोयी जाती है। हर गांव में बगीचा था, हर गांव में खुद का फॉरेस्ट था। मैंने वहां पर मैटरो रेल देखी। एक रेल के नीचे दूसरी रेल, दूसरी के नीचे तीसरी रेल चल रही थी।

सभापति महोदय : आप वाइंड अप कीजिए।

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर : सभापति महोदय, मैं यह बता रहा हूं कि वहां क्या होता है। रशिया भी हमारे से 20-25 साल पहले स्वतंत्र हुआ। वह भी साम्राज्यवाद के दांव-पेचों से लड़कर लेनिन और स्तालिन के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। लेकिन उन्होंने जो प्रगति की वह प्रगति हम पचास साल में क्यों नहीं कर पाये। वहां पर हमारे दोस्त इंडो-सोवियत यूनियन के फ्रैंड्स थे, वे आपस में बहस करने लगे कि

इन नेताओं ने इस देश का बंटाधार कर दिया। पूरे रशिया के अंदर साठ प्रतिशत जमीन ज्यादा है। पांच प्रतिशत आदमी कम हैं। तो वह रशिया इस ढंग से इंसानों को सामने रखकर प्रगति कर सकता है। उस देश के इंसान और बच्चे और उनके जीने का तरीका ऐसा है कि बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए घर बनाया जाता है।

वहां हर तरीके से इंसान को सामने रखकर योजनाएं बनती हैं तभी उन्होंने इतनी प्रगति की है। जब वे आपस में बातें करते थे, बोलते थे, मुझे मालूम नहीं कि यहां उसकी चर्चा करना मुनासिब है या नहीं। उन दोस्त लड़कों ने बोला कि रशिया में जिस ढंग से इंसान को सामने रखकर प्लानिंग की जाती है ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर : वैसे मैं कई पाइंट्स पर बोलना चाहता था लेकिन आपकी घंटी मेरे गले को दबा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले ही 13 मिनट का समय ले चुके हो। कृपया अपनी सीट पर बैठिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है। हमारे पास केवल $2^1/_2$ घंटे का समय है।

[हिन्दी]

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर : अंत में एक कविता कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूं और मैंने दो लड़ाइयों में भाग लिया है:—

तड़पते हो, सिसकते हो जवांनानी वतन जग में,
गर खूं की जरूरत हो तो एक दो जाम भर जाना।
बहू-बेटी की इज्जत पर उठाए हाथ गर कोई,
अकेले हो तो क्या परवाह, न हो साथ में कोई,
मिटा दे इस दुख को, यही पार कर जाना॥
मियां बीबी हो फाके से, सुसर बीमार होते हों,
इसी आदत गरीबी से, घुट-घुटकर जान देते हों,
मिटा दे दुख, यही पार कर जाना।

आजादी के बाद पिछले 50 सालों में जो कुछ हुआ, वह हुआ, लेकिन आगे के 50 सालों में सामाजिक क्रांति, आर्थिक विषमता और इंसान को सामने रखकर हम विचार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।



लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति जी, समय देने के लिए धन्यवाद। वैसे आज एक अद्भुत दिन है—एक ओर आजादी की स्वर्ण जयंती है और दूसरी ओर इस सदी का समागम। मुझे विश्वास है कि इन पांच दिनों की चर्चा के बाद हम दोनों दिशाओं में, अपने स्वतंत्रता संग्राम में और नई सदी में एक ऐसे प्रकाश में चलेंगे जिसकी हमें अपेक्षा है लेकिन उससे पहले हमें अपने अतीत को देखना पड़ेगा, इतिहास को देखना पड़ेगा। इस क्रम में, मैं एक-दो चीजों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जिसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई है।

1947 में जब हमें आजादी मिली, हमारे देश का विभाजन हो गया और हमारे देश का एक-चौथाई भाग देकर एक दूसरा देश बनाया गया। उसके बाद, 1949 में, कश्मीर की लड़ाई में हमारा 42,000 से 43,000 वर्गमील इलाका पाकिस्तान के हाथ में चला गया। फिर 1962 की लड़ाई में अक्साई चिन का 24,000 से 25,000 वर्गमील इलाका विदेशी के हाथ चला गया। यह हमारे लिए एक अभिशाप है। अगर इतिहास हमारी तरफ देखेगा तो हमें कभी माफ नहीं करेगा। जैसा हमारे एक मित्र ने बताया, 1962 में यहां एक रिजौल्यूशन पारित हुआ था कि हम विदेशियों से अपनी हर इंच जमीन को खाली कराएंगे लेकिन इन 35 सालों में कुछ नहीं हुआ। मेरा प्रस्ताव है कि इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हम इस बात का संकल्प लें कि विदेशी ताकतों के पास अपनी कोई जमीन नहीं छोड़ेंगे। यह संकल्प एक प्रस्ताव के रूप में संसद में आना चाहिए।

मैं इस मौके पर वापस जाना चाहता हूं। जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ, वह किस आधार पर हुआ? जिन नेताओं की आज हम स्तुति कर रहे हैं, वे सब नेता उस समय मौजूद थे। मैं पूछना चाहता हूं कि देश का विभाजन किस आधार पर हुआ—केवल एक ही आधार था कि हमारे देश में उस वक्त मुस्लिम सम्प्रदाय कुल जनसंख्या का 10.5 प्रतिशत था और जिन्ना जैसे आदमी ने कहा था कि इस आधार पर हम एक अलग राष्ट्र हैं, हमें अलग राष्ट्र मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, आज 50 साल बाद वही समुदाय हमारे हिन्दुस्तान से हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों के चले जाने के बाद 12.5 प्रतिशत

दुबारा हो गया है। क्या स्थिति है इसको सोचना चाहिए। यह एक संकट है। यह आवाज दुबारा उठ रही है कि हमको अलग से आरक्षण चाहिए। हमको अलग से मत देने का अधिकार चाहिए। यह पहली सीढ़ी है उस चीज को कहने के लिए जो कि 50 साल पहले जिन्ना ने कही थी। हमको इस बारे में सतर्क रहना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही हमारे रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमको मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाना चाहिए। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनको मुख्य धारा में आने से कौन रोक रहा है। क्या 50 साल से वे मुख्य धारा में आए हैं या नहीं? कौनसे दरवाजे उन लोगों के लिए बंद किए गए हैं। क्या शिक्षा का दरवाजा बंद किया गया है, क्या नौकरी का दरवाजा बंद किया गया है, क्या व्यवसाय का दरवाजा बन्द किया गया है? इसके केवल दो कारण हैं—उनकी स्वयं की मानसिकता और इस पर वे गौर करें, इस पर वे विचार करें। हम उन्हें छाती से लगाने के लिए तैयार हैं। मुख्य धारा में उन्हें आना चाहिए था। वे आएं, हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन उनकी खुद की समझ में थोड़ा फर्क है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। वे एक तरफ कहते हैं कि हम मायनारिटी हैं। जो चीज मायनारिटी की होती है वह हर चीज होनी चाहिए। हम पूछते हैं कि आप कैसे मायनारिटी हैं। हमारे यहां का मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय से बड़ा है, बंगला देश से बड़ा है, ईरान से बड़ा है, ईराक से बड़ा है। इंडोनेशिया को छोड़कर हमारे यहां का मुस्लिम समुदाय दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में है। इसका हमें फख्र है। हम इसको गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी माइनारिटी अपने आपको कहते हैं, तो आप माइनारिटी किस चीज के लिए हैं, किस बात के लिए हैं? यह सोचने की बात है। हम लोगों के बोलने को तो अन्यथा लिया जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन 45 साल तक आप मुख्य धारा में रहे, कम से कम एक पार्टी के साथ रहे। अब आपका मोहभंग हो गया। आप लोगों का इस्तेमाल किया गया। हम चाहते हैं कि आप मुख्य धारा में आएं। मुख्य धारा में तो अपने आप आना पड़ता है, किसी को कोई धक्का देकर मुख्य धारा में नहीं ले जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

अगर माइनारिटी समझेंगे, तो मुख्यधारा में नहीं आएंगे। जिसको सफाई देनी है, वह दे। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। परेशानी यह है कि यह समुदाय ऐसी ही बातों को सुनकर, हम नहीं कह सकते हैं कि क्या करना है। हमारे कहने का कोई मकसद नहीं है। वे मानेंगे नहीं। कुछ समझेंगे नहीं। वे अपने गिरेवान में झांककर देखें, तो उनको जवाब स्वयं मिल जाएगा। इस चीज को सोचने की जरूरत है।

सभापति महोदय, 50 साल की आजादी की सालगिरह पर हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करनी चाहिए। मैं नहीं समझ सकता हूं कि हम पचास साल का लेखाजोखा राष्ट्रीय सुरक्षा के बिना ले सकते हैं। खासतौर से इस समय जबकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन कुछ कारणों से यह नहीं दिया गया है फिर भी चूंकि एक-दो दिन और मिल गए हैं इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं। पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। चीन उसकी पूरी मदद कर रहा है और बिना किसी की फिक्र किए हुए मदद करता जाएगा। चीन की मिसाइलें हमारी तरफ लगाई गई हैं। निकोबार टापू से 25 मील दूर पर मियानमार में बंदरगाह पर चीन एक बेड़ा तैयार कर रहा है। उस बंदरगाह को तैयार कर रहा है ताकि उसका बेड़ा वहां पर लाया जा सके। सी.टी.बी.टी. पर सबके हस्ताक्षर कराने के बाद अमरीका दुबारा अपना प्रयोग जारी कर रहा है। यह सब चीजें होते हुए भी पिछले तीन साल से सेनाओं के बारे में और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चर्चा नहीं हुई। मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में दुबारा चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही सेनाओं के उन वीर जवानों के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर भारत की सुरक्षा की है और जो अब भी हर मामले में उपेक्षित रहे हैं। बहुत दिन से हमारे प्रधान मंत्री जी एक रैंक, एक पैंशन की बात करते रहे हैं। तीन-तीन प्रधान मंत्रियों ने इसका वायदा किया है लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं दिया है।

अभी मेरे पास एक कटिंग है जिसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। इसमें ईमानदारी, कुशलता, राष्ट्र की प्रगति में योगदान और साहस के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। यह कटिंग हमारे पास है जो कि तीन-चार दिन पहले आयी थी। हर विषय पर सेनाओं के अफसर 81 से 87 परसेंट लेकर सबसे ऊपर है और हमारे शासक लोग 32 से 34 परसेंट लेकर सबसे नीचे हैं। वे शासन कर रहे हैं और सेनाओं की उपेक्षा हो रही है।

मैं भ्रष्टाचार की बात करना चाहता हूं। अगर हमारा वही ढांचा रहा, वही कार्य प्रणाली रही, वही कार्य व्यवस्था रही, वही कलैक्टर और पुलिस रही तो हमारा भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। अभी नीतीश जी ने बताया था कि सांसद विकास निधि में भी भ्रष्टाचार है। यहां पर संसद सक्षम है। वह क्यों नहीं इस बात का निर्णय लेती है कि हम उस ढांचे के जरिये सांसद विकास निधि का काम नहीं करेंगे। अगर आप समझते हैं कि हम एक करोड़ खर्च करने के लायक हैं तो हमें आप जिम्मेदारी दीजिए। हमसे आप बात करिये और हम उसके जिम्मेवार हैं। हमने पिछले छह महीने से बिजली का पूरा पैसा दे दिया है लेकिन अभी तक एक भी पोल नहीं गड़ा है। एक भी काम नहीं हुआ है क्योंकि वही तरीका, वही प्रणाली, वही चीजें काम कर रही हैं।

मैं आखिरी बात महिलाओं के शोषण के बारे में कहना चाहता हूं। सब लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं का बिल पास होना चाहिए। 33 प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन हमको ऐसा दिख रहा है कि इसमें कुछ समय लगेगा। उस समय तक महिलाओं का शोषण बहुत तेजी से हो रहा है और इसमें अधिकारी और पुलिस वर्ग सब शामिल

हैं। जब तक वह बिल पास नहीं होता है, कुमारी उमा भारती जी का भी बिल पड़ा हुआ है और भी पड़ा हुआ है। सीधी सी बात यह है कि जब तक विवाहित महिलाओं को विवाह होते ही अपने पति की सम्पत्ति से हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक वह हमेशा उपेक्षित रहेंगी। यहीं पर एक ए-54, कैलाश कालोनी का उदाहरण है जिसको मैं जानता हूं। दो साल पहले उस महिला को मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप इसके विस्तार में जाएं।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : कितना टाइम हो गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप 12 मिनट का समय ले चुके हैं। मैंने 10 मिनट पूरा होने पर घन्टी बजाई।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : 10 मिनट का समय कुछ समय नहीं होता।

सभापति महोदय : सभी को 10-10 मिनट का समय दिया जा रहा है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अब आप इस विस्तार में न जाइए।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : मैं महिलाओं के शोषण की बात कर रहा था। उनका तब तक शोषण नहीं रुकेगा जब तक कि उनके पति की सम्पत्ति में उनको हिस्सा नहीं दिया जायेगा। यह बिल बहुत समय लेगा। लेकिन तब तक यहीं पर आपकी नाक के नीचे महिलाओं के साथ ज्यादा शोषण हो रहा है। हम यह चाहते हैं कि अगली शताब्दी में जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अगले 50 साल में जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं और अगर हम चाहते हैं कि भारत एक महान देश हो तो हर मुद्दे पर बात नहीं हो सकती है। हर मुद्दे पर बाकी लोगों ने बात की है। हमको एकता दिखानी पड़ेगी, एक साथ चलना पड़ेगा और यह आरक्षण की बात छोड़कर साहस त्याग, बहादुरी और जो अपने देश के लिए त्याग कर सकता है, उसको आगे ले जाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री शरत पटनायक

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : सभापति महोदय, आजादी की 50वीं स्वर्ण जयंती पर स्पीकर साहब ने जो अधिवेशन बुलाया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। भारत के लोग कभी गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे। 1857 से युद्ध शुरू हुआ। भारत के लोगों ने लड़ाई में हिस्सा लिया था। जो अधूरा रह गया था, वह फिर 1885 में शुरू हुआ। फिर गोखले जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बनी। महात्मा गांधी आए और उन्होंने अहिंसा के रूप में इस देश को आजादी दिलाई। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया। आजादी कैसे मिलेगी, इसके लिए हिन्दुस्तान के लोग 60 से 62 साल तक महात्मा जी के नेतृत्व में आए और इस देश को आजाद करके ले आए। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश का इनफ्रास्ट्रक्चर बनाया। जब इंदिरा जी आई तो गरीबी हटाने के लिए उन्होंने गरीबों के लिए कार्यक्रम बनाए। इस देश में परमाणु बम बनाने के लिए वे आगे बढ़ी। बैंकों का नैशनलाईजेशन किया। जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो वे जवान और किसान के लिए काम करने के लिए आगे चल पड़े। जब राजीव जी आए तो इस देश में 18 साल के नौजवानों को वोट देने का अधिकार मिला। पंचायती राज के लिए कार्य शुरू किया। हमारे बहुत से मित्रों ने जो कहा कि 50 सालों में हमने क्या किया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50 सालों में हमारे देश के वैज्ञानिक अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाने में सक्षम हो पाए। यह ठीक है कि हमारे देश में कई जगहों पर पीने का पानी पूरी तरह नहीं मिल पाता है, हम गरीबी की रेखा से नीचे हैं लेकिन फिर भी लोग भारत को एक मानकर रहते हैं। प्रदेश से प्रदेश का कभी झगड़ा नहीं हुआ। अभी डैमोक्रेटिक कंट्री में जो कमियां दिखाई देती हैं, उनमें पहली पापुलेशन की है। जब श्री संजय गांधी ने यहां पर पापुलेशन कम करने का नारा लगाया, चारों तरफ इसके लिए कार्यक्रम बनाए कि दो बच्चों से ज्यादा ठीक नहीं है तो कई पोलीटिकल पार्टियों ने यह कहकर कि कांग्रेस वाले यह सब कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग किया। ऐसा वे कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए कर रहे थे। लेकिन हिन्दुस्तान के लोग आज याद कर रहे हैं कि श्री संजय गांधी ने ठीक कहा था।

जब पार्लियामेंट के मैम्बर अपनी कान्सटीटूऐंसी में जाते हैं तो लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि

[अनुवाद]

जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व क्या है।

[हिन्दी]

जब गांव जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आज बिजली नहीं है, आज पानी नहीं है, आज रेल नहीं है। जब हम यहां आकर वह कहते हैं तो कहा जाता है कि यह स्टेट सबजैक्ट है। लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हमारी शिक्षा की प्रणाली ठीक नहीं है। यदि गांव में टीचर छात्रों से यह पूछें कि एक किलो दूध में दो किलो पानी मिलाया जाए तो कितना किलो हुआ। यदि पढ़ाई का ऐसा आधार हो तो बचपन से बच्चों को पता लगेगा कि दूध में पानी मिलाया जाएगा तो देश किस तरह आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे एजूकेशन सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है। पैट्रियोटिज़्म के ऊपर एक कंप्लसरी सबजैक्ट होना चाहिए चाहे उसे पहली क्लास से शुरू करें, चाहे वह इंजीनियर बने, चाहे डाक्टर बने। वह पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म हमारे देश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव्ज जीत कर आते हैं, जिला परिषद् में छह पंचायत से, उसका जिले में एक आफिस है। पंचायत से एक सरपंच जीत कर आते हैं, पंचायत मुखिया, उसका भी जिले में एक आफिस है, लेकिन जो पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव्ज 12 लाख लोगों को रिप्रजेंट करने के लिए आते हैं, उस एम.पी. का जिले में कोई आफिस नहीं है। यह सारा जो सिस्टम है, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है।

यहां जब भी अखबार उलटकर देखते हैं तो वहां कभी गुंडे लोग ए.के. 47 लेकर गुंडागर्दी करने चलते हैं और हमारे हिन्दुस्तान की जितनी पुलिस है, गांवों में वे बेचारी लाठी लेकर घूमते रहते हैं, तो इस सारे पर कैसे कंट्रोल होगा। यह जो फर्क है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है।

दूसरे आजकल फिल्मों में ज्यादा देखा जा रहा है, किसी पुलिस आफिसर के बारे में है तो करप्ट आफिसर है, कोई आई.ए.एस. आफिसर है तो वह करप्ट आफिसर है, कोई जज है तो वह भी करप्ट है, पोलिटीशियन के बारे में हर फिल्म में यह दिखाया जाता है कि यह करप्ट है। मेरा यह सजेशन है कि जो आदमी करप्ट है, उस आदमी के बारे में फिल्म में दिखाया जाये और सारे नेताओं को, सारे ब्यूरोक्रेट्स को जो फिल्मों में दिखा रहे हैं, इसको पहले बन्द किया जाये, क्योंकि हमारा जो एंटरटेनमेंट का सारे देश में माध्यम है, उस पर लोग ज्यादा जोर देते हैं और फिल्में ज्यादा देखते हैं। इसमें आजकल लोगों को जो दिखाया जा रहा है, यह सब ठीक नहीं है, इसलिए उसको पहले ठीक होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका निभा रही है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

जो एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, उन लोगों के पास एक आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, यह एबोलिश होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आफिशियल सीक्रेट क्या है। 5000 सिविल सर्वेंट्स और 5000 पोलिटीशियन, 10,000 लोग सारे हिन्दुस्तान की 90 करोड़ आबादी के भाग्य का फैसला कर रहे हैं और इस देश को चलाने के लिए ये लोग ही आगे बढ़ रहे हैं। यह जो सारा डिफैक्ट है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है।

1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1949 में इंडोनेशिया भी आजाद हुआ, लेकिन इंडोनेशिया में टोयोटा कार, मर्सिडीज़ कार सब घूम रही हैं, परन्तु उनके देश में उत्पादन नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में सारी कारें घूमते हुए भी हमारे वैज्ञानिक और हमारे साइंटिस्ट मोटर कार आदि का उत्पादन खुद करते हैं, यह हम गर्व से कह सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, यह बहुत गलत बात है। जितना हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन जितना हुआ है, इससे और भी आगे हमको बढ़ना है। 21वीं सदी में पहुंचने के लिए अभी जितने कदम हम आगे बढ़े हैं, उससे बहुत आगे इसमें जाना पड़ेगा। पापुलेशन कंट्रोल बिल, पापुलेशन चैक बिल जल्दी से जल्दी आना चाहिए।

[अनुवाद]

यह जो करप्शन है, भ्रष्टाचार चुनाव से ही शुरू होता है।

[हिन्दी]

इलैक्शन जब शुरू हो जाता है तो लोग आकर कैम्पेन में लग जाते हैं और जब इलैक्शन खत्म हो जाता है तो आकर जब बैठते हैं और कभी कहीं इंटरव्यू होता है तो लोग आकर पहुंच जाते हैं कि साहब हमारे लिये बोलिये, आपके लिए हमने काम किया था। हम अगर एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कि साहब यह काम कर दीजिए तो वे बेचारे बोलते हैं कि यह आईन में नहीं है। अगर काम नहीं करेगा तो उसको डर है कि हमारा ट्रांसफर करके इधर से उधर भेज देगा। यह जो सिस्टम चलता रहा है, इस सिस्टम को एबोलिश करने के लिए इलैक्टोरल रिफोर्म करना जरूरी है। इसमें चेंज करना बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री शरत पटनायक : मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

185 मिलियन लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे देश में नहीं पाते हैं, 130 मिलियन लोगों को हैल्थ फैसिलिटी नहीं है।

[अनुवाद]

पांच महिलाओं में से चार में खून की कमी पाई जाती है। विश्व में यह सबसे अधिक है।

[हिन्दी]

फूडग्रेन हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए रहता है, लेकिन हिन्दुस्तान के लोग भूखे सोते हैं, यह भी एक रिकार्ड है। हम सैल्फ सफीशिएंट हैं, यह हम गर्व से कहते हैं, लेकिन हमारे यहां के 40 भाग लोग रात को भूखे जाकर बैड पर सोते हैं, इसलिए मेरी इस सदन से

रिक्वैस्ट है कि जो तीन-चार सजेशन हैं, पापुलेशन कंट्रोल बिल एक जरूर आना चाहिए। चुनाव सुधार विधेयक भी जरूर आना चाहिए। इसके अलावा सिंचाई पर ज्यादा जोर देना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां केवल छः प्रतिशत एरिया ही सिंचित है। वहां हर साल दो-तीन लाख लोग पलायन करते हैं, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता। वे लोग आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में जीविका की तलाश में जाते हैं। भुखमरी और अकाल से लोगों की हालत बहुत खराब है। आज जब हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मिस्टर सैनाथ ने "हू लबज़ दि गुड ड्रॉट" नामक एक पुस्तक लिखी है। उसने देश के पचास जिले लिए हैं जो सबसे गरीब और पिछड़े हुए हैं। उनमें मेरा जिला बोलंगीर सबसे पहले है। वहां लोगों को खाना नहीं मिलता, दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता। एक मां अपने बच्चे को बीस रुपये में बेच देती है जिससे वह दूसरे घर में जाकर रह सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर प्राथमिकता से विचार किया जाए।



प्रो. अजित कुमार मेहता

[अनुवाद]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं अपने दल का नेता हूं। इसलिये मैं कम से कम पंद्रह मिनट अवश्य लूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, आपको केवल दस मिनट दिये जायेंगे। जो सदस्य यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी अवसर देना है। अतः इस प्रकार के विवाद में मत पड़िये आपको दस मिनट में खत्म करना ही है।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता : सभापति जी, आजादी की लड़ाई और देश की रक्षा में अपना बलिदान करने वाले लोगों की महान आत्माओं को मैं नमन कर उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम लोगों को आत्ममंथन करने का मौका दिया।

हमारे एक मित्र बोल रहे थे और उन्होंने रावी की चर्चा की। रावी तट पर लिए गए संकल्प की चर्चा की। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि रावी से आरम्भ कर हम कावेरी तक पहुंचे हैं। रावी पाकिस्तान में रह गई। शायद रावी तट पर लिया गया संकल्प भी छूट गया और हम कावेरी के जल विवाद में उलझ गए। यह भटकाव आरम्भ में हो गया था। जब हमारे नेता नेतृत्व करना छोड़कर जनप्रतिनिधि बन गए। नेता और जनप्रतिनिधि में बहुत फर्क है। नेता समाज के आगे चलता है और जनप्रतिनिधि बहुमत के पीछे चलता है। इसलिए यह भटकाव हो गया।

सभापति जी, पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय संधि के द्वारा गंगा के पानी का बंटवारा हुआ था। परंतु उस संधि की पोल पहले ही साल खुल गई। गंगा में जितने पानी का आकलन किया गया था, उतना नहीं निकला। हम इस संधि की लाज रखने के लिए एक सुझाव देना चाहते हैं। नेपाल से समझौता करके कोसी में बराह क्षेत्र में बहुउद्देशीय हार्ड डैम बनाया जाए। उससे यह फायदा होगा कि नेपाल की जो शर्त है कि उसे जल मार्ग मिले, तो वह मिलेगा। बिहार को यह फायदा होगा कि उसे पर्याप्त बिजली मिलेगी और उत्तरी बिहार के हर खेत को पानी मिलेगा। साथ-साथ कोसी में पानी अधिक रहने से जल मार्ग होगा। कलकत्ता के बंदरगाह को पानी की कमी नहीं होगी। बंगलादेश को तो हम पानी दे ही सकेंगे। ...*(व्यवधान)* गंगा-कावेरी को जोड़ दिया जाए। कई लोगों के दिमाग में है कि गंगा से सभी नदियों को लिंक कर दिया जाए।

मैं विकृति की बात कहना चाहता हूं। लोकतंत्र को खतरा है, अवारा पूंजी और जुआरी सभ्यता से जो एक दशक से चल रहा है। वह तो है ही, परंतु आंतरिक खतरा तो और बढ़ा है। आजादी के पहले ही सत्ता का सुख भोगने वाला वर्ग लोकतंत्र में बालिग मताधिकार के कारण जमीन से जुड़े हुए लोगों का सत्ता में प्रवेश पसंद नहीं करता। वह सब सत्ता हथियाने का षड्यंत्र करता रहता है। बालिग मताधिकार से साधारण तबके के लोग विशेषकर निम्न जाति और मध्यम जाति के लोग विधायिका में पहुंच गए हैं। इसलिए अब विधायिका का चेहरा उनके पक्ष में बदल गया है। नौकरियों में आरक्षण के कारण भी उनकी संख्या काफी हो गई है। परंतु न्यायपालिका में ऐसा नहीं हुआ है। न्यायपालिका तो पुराने ढर्रे पर चल रही है।

प्रातः 4.00 बजे

आज स्थिति यह है कि 200 परिवार सारे देश में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में तीन पीढ़ियों से काबिज हैं तो इसके लिए हमारा सुझाव है कि ज्युडिशियल कमीशन जिसकी संविधान में भी व्यवस्था है, बनाना चाहिए। जजों को उसी के माध्यम से बहाल किया जाए और तब यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों पर जिन लोगों की पकड़ है, वह कुछ ढीली होगी। यथास्थितिवादी लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में मौजदू हैं तथा बहुमत के आधार पर चुनी हुई सरकार के विरुद्ध यह तिकड़ी षडयंत्र करती रहती है। जनमत को आकर्षित करने में असफल होकर यह तिकड़ी लोकप्रिय व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाती रहती है, लोकप्रिय सरकार के भी विरुद्ध मुहिम चलाती रहती है। जब यह तिकड़ी षडयंत्र करे तो किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना आसान काम है और जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो स्थिर सरकार भी अस्थिर हो सकती है। इस स्थिति में लोकतंत्र कैसे चलेगा? यह सोचने की बात है।

न्यायपालिका के अलावा लोकतंत्र में दूसरे स्तम्भों का अधिकार क्षेत्र संकुचित कर कुछ व्यक्तियों के हाथों में सारे अधिकार केन्द्रित करने का प्रयास यह तिकड़ी करती रहती है। उच्च न्यायालय के मौखिक आदेश पर सी.बी.आई. द्वारा सेना की सहायता मांगना इसी षडयंत्र का एक हिस्सा है। ऐसा लगता है कि यह चाहती है कि न्यायपालिका विधायिका का काम करे। न्यायमूर्ति मंत्रियों का काम करें और वहां उपस्थित एडवोकेट भी इसी तरह की एम.पी. की भूमिका अदा करें। इस तरह से संविधान कैसे चलेगा? लोकतंत्र के संविधान में अभिभावक ही यदि अपने को संविधान से इतर संस्था के रूप में संविधान की अवहेलना करे तो यह लोकतंत्र कैसे चलेगा? न्यायपालिका की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हमारे मन में भी है परंतु न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के लिए उसको सीजर्स वाइफ की तरफ बेदाग होना होगा तभी उसकी प्रतिष्ठा कायम रह सकती है। क्या न्यायपालिका में करप्शन नहीं है? दुख की बात यह है कि आज अपराधी तत्व न्यायपालिका को दंड देने की संस्था नहीं मानते हैं, वे मानते हैं कि यह एक ऐसी संस्था है जो अपराध मुक्ति का प्रमाण-पत्र देती है और वहां खर्च करने की आवश्यकता है। भले ही हम किसी न्यायाधीश पर रिश्वत का आरोप लगाएं या नहीं लगाएं, वह अलग बात है परंतु इतना तो सोचें कि कोई एडवोकेट हाई कोर्ट में दस साल से मक्खी मारे और उसके बाद उसकी ऊपर तक पहुंच हो और किसी जज के खानदान से आता हो तो उसके लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता खुला रहता है। एक बात और है कि किसी बैंच में किसी खास जज के जाने के बाद मक्खी मारते हुए एडवोकेट की प्रतिभा में एकाएक वृद्धि हो जाती है और दूसरे ही दिन से उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। यह क्या भ्रष्टाचार नहीं है? उच्च पदों पर भ्रष्टाचार की चर्चा हम कर रहे हैं। हम राजनैतिक और नौकरशाह लोगों की बात कर रहे हैं। न्यायालय को भी उसमें जोड़ना चाहिए। न्यायालय की प्रतिष्ठा अगर गिरी, तो हम निराश होकर कहां जायेंगे। इसीलिए न्यायालय की प्रतिष्ठा कायम रहनी ही चाहिए। इस करप्शन की लपेट में अगर न्यायालय आता है, तो सबसे पहले लोगों का ध्यान जाना चाहिए। क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि अदालतों में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। छोटे-छोटे न्यायालयों में पेशी के रुपए अगर न दिए जायें, तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी मैं कुछ

[अनुवाद]

न्यायविदों की चर्चा करता हूं उन्होंने न्यायालयों के बारे में क्या कहा है। न्यायाधीशों के स्तर के बारे में कलकत्ता में सोली जे. सोरबाजी ने कहा:

> ''न्यायिक नियुक्तियां और अनुदान देने का साधन बन गई है ऐसे बहुत से न्यायाधीश हैं जो न्यायालय में सुबह आधा घंटा देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। ऐसे लोग जो कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, उन्हें उच्च न्यायालय की बेंच पर बैठने की अनुमति मिल जाती है।''

जस्टिस कृष्णास्वामी अय्यर ने 1982 में चेतावनी दी थी:

> ''न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल काल्पनिक है। यह कार्यपालिका और व्यापारिक घरानों के बीच होने वाले बहुत से गठबंधनों को नजर-अन्दाज कर देती है। न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है।''

[हिन्दी]

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायधीश ने अपने वर्तमान इन्टरव्यू में कहा था कि मोनिटरिंग कोर्ट के अनावश्यक रिमार्क्स से अधीनस्थ कोर्ट की जांच प्रभावित होती है। इससे निष्पक्षता नहीं रह सकती है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

न्यायपालिका और विधायिका की भूमिका के विषय में जैसा मैंने कहा, न्यायपाालिका चाहती है कि विधायिका भूमिका निभाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने

[अनुवाद]

संविधान पारित होने के बाद कहा था—पूरा का पूरा संविधान संसद की ही सृष्टि है। कोई भी न्यायालय या न्यायिक तंत्र तृतीय सदन के रूप में कार्य नहीं कर सकता।''

[हिन्दी]

इस संसद में पटना हाई कोर्ट के अनर्गल प्रलाप और हस्तक्षेप के बारे में सवाल उठे थे। इस संसद की मांग पर एक जांच समिति होम मिनिस्ट्री ने गठित की थी। उस पर पटना हाई कोर्ट ने परसों जो कुछ कहा है, उस पर ध्यान देने की बात है। सवाल यह उठता है कि हम संसद की मर्यादा की रक्षा कर सकेंगे या नहीं। अगर किसी तरह से कोर्ट के अनर्गल प्रयासों को सुनते रहें, तो मेरा सुझाव है कि इस तरह के प्रयासों को नजर-अन्दाज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है कि अधीनस्थ कोर्ट उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय इस तरह के अनर्गल प्रलापों का विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बन्द करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

प्रो. अजित कुमार मेहता : दो मिनट से ज्यादा नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

हमें अपनी विधायिका की गरिमा को, संसद की गरिमा को अपने बल पर कायम रखना होगा। इसके बारे में डा. अम्बेडकर ने कहा था—

[अनुवाद]

> ''मैं समझता हूं कि कोई भी संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह बुरा ही हो जाता है क्योंकि जिन्हें इस पर काम करने के लिये बुलाया जायेगा उन्हें यह बुरा ही लगेगा।''

[हिन्दी]

उसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपनी संसद की गरिमा को कायम रखने के लिए अगर सक्षम हैं, तब तो हम संसद की गरिमा कायम रख सकते हैं और अगर सक्षम नहीं हैं तो हम संसद की गरिमा कायम नहीं रख सकते हैं। हमारा अधिकार दिन-प्रति-दिन संकुचित होता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।



डा. रमेश चन्द तोमर

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : सभापति महोदय, आपने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। महोदय, पूरा देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मना रहा है। अध्यक्ष जी ने आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर विशष सत्र बुलाया है और संसद के इतिहास में सदन में सदस्यों को पहली बार सम्बोधित किया है। जब अध्यक्ष जी सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे तो उन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था जिससे हम देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निरक्षरता को दूर कर सकें।

सभापति जी, विशेष सत्र के दौरान अध्यक्ष जी ने बुनियादी समस्याओं और राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा कराने का एजेंडा तय किया था हम उनके हार्दिक आभारी हैं। आज आजादी का 50 साल का हमने लम्बा सफर तय किया है। इस सफर में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साइंस और टैक्नोलॉजी का क्षेत्र हो लेकिन इस विकास की गति धीमी रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र की तरफ नजर डालें तो आजादी के 50 साल बाद देश में 52 प्रतिशत साक्षरता है और 30 प्रतिशत से अधिक लोग अशिक्षित हैं। जहां निरक्षरता है वहीं गरीबी है, वहीं बेरोजगारी, कुपोषण है यह हमें अक्सर देखने को मिला है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता तो निरक्षरता की समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता था। महोदय, निरक्षरता मनुष्य के विकास में बाधक है और राष्ट्र के विकास में भी बाधक है। इसलिए राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए लोगों का साक्षर होना बहुत जरूरी है। आजादी के तुरंत बाद केवल नारी शिक्षा की समस्या को सुलझा लिया होता तो आज जनसंख्या की विभीषिका से छुटकारा मिल गया होता। निरक्षरता को दूर करने के लिए शिक्षा की अनिवार्यता जरूरी है।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा को मौलिक अधिकार की मान्यता दिलाने के लिए लोक सभा में बिल प्रस्तुत करने के लिए कहा है, यह बहुत खुशी की बात है। यदि हम प्रारम्भिक शिक्षा की तरफ देखें तो पता लगता है कि देश में साढ़े दस करोड़ बच्चे भर्ती योग्य हैं लेकिन साढ़े तीन करोड़ बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं और स्कूलों में साधनों के अभाव की वजह से 40 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। आजादी के 50 साल बाद देश में 26-28 प्रतिशत ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर कोई अध्यापक नहीं है और एक लाख 48 हजार 33 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक अध्यापक है और एक लाख 71389 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर दो अध्यापक हैं। अध्यापक और छात्र का 30-35 का जो अनुपात होना चाहिए वह बढ़ता जा रहा है। अध्यापक छात्र की पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसलिए जो हमारे आगे की शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है वह कमजोर होती जा रही है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए।

महोदय, शिक्षा के सुधार के लिए आजादी से पहले और आजादी के बाद कई समितियां, कई आयोग बने और जो आयोग तथा समितियों ने सुझाव दिए थे वे सुझाव लागू नहीं किए गए इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं हो पाया था। जैसे 1948 और 1949 में डा. राधाकृष्ण जी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग बना था। 1952 और 1953 में डा. ए. एल. मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था और 1958-59 में महिला शिक्षा संबंधी दुर्गाबाई देशमुख समिति बनी थी। 1966 से 1968 तक डा. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग बना था और 1986 में जब स्व. राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे तब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया गया था।

उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी ने सराहा था। उसमें तीन मुख्य लक्ष्य थे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजूकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सैकेंडरी एजूकेशन एंड स्पैसिलाइजेशन ऑफ हायर एंड टेक्नीकल एजूकेशन। लेकिन उन लक्ष्यों की प्राप्ति हम नहीं कर पाए, क्योंकि सरकारी स्तर पर संकल्प और इच्छा शक्ति का अभाव और धन का अभाव था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कम से कम जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत व्यय कम करना होगा, जिसकी मांग 1990 से पहले से की जाती रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे संबंधित शिक्षा की मांग के लिए 6 प्रतिशत धन भी कम होगा। अत: अब समय आ गया है इस पहलू पर विचार करने का कि क्या वर्तमान स्वरूप में शिक्षा को सोशल सेक्टर में रखते हुए शिक्षा के बढ़ते व्यय की हम व्यवस्था कर पायेंगे। यह कदापि सम्भव नहीं होगा। अत: मेरा सुझाव है कि शिक्षा को प्रोडक्टिव सेक्टर में रखा जाए और शिक्षा में होने वाले व्यय में सभी उत्पादक सेक्टर भी सहयोगी बनें।

जब हम उच्च शिक्षा पर विचार करते हैं तो एक तरफ आई.आई.टी. और केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो गुणवत्ता प्रदत्त संस्थान हैं उनके फर्स्ट रैंकिंग प्रोडक्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत छोड़ विदेशों में चले जाते हैं। आजादी से पहले गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाने के लिए हमने ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' नारा दिया था। आज हमारा बैस्ट टेलेंटिड साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर आदि विदेशी प्रलोभन में देश छोड़ रहे हैं। हमें इस बैस्ट टेलेंट को देश के निर्माण में जोड़ना होगा और इसके लिए हमें इन्हें सुविधाएं देनी होंगी। इसके लिए हमारी सरकार को आगे आना चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेन फंडिंग बॉडी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जिसके अन्तर्गत 207 विश्वविद्यालय और 9278 महाविद्यालय आते हैं। विश्वविद्यालय में 20 प्रतिशत छात्र शिक्षा पाते हैं जबकि महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत छात्र शिक्षा पाते हैं। लेकिन अनुदान की तरफ देखा जाए तो विश्वविद्यालयों को 80 प्रतिशत अनुदान तथा महाविद्यालयों को 20 प्रतिशत अनुदान मिलता है। हो सकता है कि विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला 80 प्रतिशत अनुदान उनके लिए कम हो लेकिन मेरा निश्चित मत है कि महाविद्यालयों को दी जाने वाली धनराशि उनके लिए बहुत कम है। धनाभाव के कारण महाविद्यालयों में छात्रों को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन वह नहीं मिल पाती है और उससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी गिरावट आती है।

मेरा मानना है कि जब तक महाविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा तब तक उच्च शिक्षा में समग्र सुधार नहीं हो सकता। मैं उच्च शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

एक, उच्च शिक्षा में धन का एलोकेशन बढ़ाया जाए और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में धन का अनुदान 50-50 प्रतिशत किया जाए।

दो, यू.जी.सी. अब तक कालेजों को डवलपमेंट ग्रांट देती है और उसके साथ कालेजों को मेनटेनेंस ग्रांट भी देनी चाहिए।

तीन, उच्च शिक्षा में भी शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान पदक की व्यवस्था की जाए, जिस प्रकार इस पदक की व्यवस्था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए है।

अत: मैं सभापति जी, सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा सत्र में इस तरह की व्यवस्था करें कि कुछ ही वर्षों में देश पूर्ण साक्षरता को प्राप्त कर सके, जिससे सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विश्व का सिरमोर बन सके। अंत मैं उन महान शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानिया दी हैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : महोदय, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी के सुझाव पर बुलाए गए सदन के इस विशेष सत्र में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसने नि:स्वार्थ भाव से देश की आजादी के लिये अपना सब कुछ बलिदान कर दिया का पुत्र होने के नाते मुझे इस ऐतिहासिक वाद-विवाद में भाग लेते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है।

महोदय, सबसे पहले तो मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिये अपने जीवन का बलिदान किया। इस सुअवसर पर मैं भारत माता के प्रति नतमस्तक होकर प्रतिज्ञा करता हूं कि इस देश की एकता और अखंडता की सदैव रक्षा करूंगा।

मैं स्वयं को देश की प्रगति के लिये पुनर्समर्पित करता हूं। इस पावन अवसर पर मैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं को नमस्कार करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया।

सम्माननीय सदन के अमूल्य समय को औपचारिकताओं में नष्ट न करके तथा समय सारणी सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विचारों को देश के शासनतंत्र पर पड़ने वाले दबावों तक ही सीमित रखूंगा बल्कि और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहूं तो शासन तंत्र की गिरती हुई साख के बारे में ही बात करूंगा।

महोदय, बड़े भारी हृदय से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि पिछले दो दशकों में भारतीय शासन व्यवस्था को बहुत ही भयंकर और कठिन दबावों का सामना करना पड़ा है जिससे देश का पतन आरम्भ हो गया है।

महोदय, आज हम देखते हैं कि एक दलीय सरकार का स्थान विभिन्न दलों की मिली जुली सरकार ने ले लिया है जिसमें हितों और मतों को लेकर आपस में विवाद चलते रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं जिसने इस देश को ''एक दलीय सरकार'' नियम के अधीन 40 साल तक एक

स्थायी और मजबूत सरकार प्रदान की। किन्तु असफल राजनैतिक गठबंधन का नई दिल्ली में क्या हश्र हुआ था, वह हम देख ही चुके हैं और 1977 से ही हमें इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है।

पिछले दो दशकों में हमने क्या अनुभव किया है? भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तम्भ धीरे-धीरे क्षीण होते जा रहे हैं।

आरम्भ में मैं कमजोर होती जा रही दलीय व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। कमजोर राजनैतिक दल सत्ता और शक्ति हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे है और इसी वजह से आज हमारी राजनीति और राजनैतिक दलों का अपराधीकरण हो रहा है। बहुत से वक्ताओं ने यहां बताया है कि लगभग चालीस संसद सदस्य तथा चार सौ के लगभग विधान सभाओं के सदस्य ऐसे हैं जो विगत में अपराधी रहे हैं। मैं दुबारा उस बिंदु पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि लगभग सभी प्रमुख हस्तियों ने इस चर्चा में भाग लिया है। उन्होंने इन अपराधियों के बारे में एक विस्तृत चर्चा की है। यह अपराधीकरण हुआ कैसे, यही मेरा प्रश्न है? यह कोई एक दिन में होने वाला काम तो है नहीं और ऐसा भी नहीं है कि यह राजनैतिक दलों और नेताओं की जानकारी के बिना हुआ हो। वास्तव में यह सब राजनैतिक नेताओं की जानकारी और अव्यक्त सहमति के आधार पर ही हुआ है। राजनैतिक तंत्र में गुंडागर्दी के घुस आने से होने वाली हानि और खतरे को राजनैतिक नेता देख नहीं पा रहे हैं किंतु जब हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के लोग हैं तो क्या यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है कि हम उन पर नियंत्रण रखें या उन्हें पार्टी से निकाल दें। किन्तु हमने ऐसा नहीं किया है। यह एक बहुत बड़ी भूल है। यह एक भयंकर खतरा है। यह निष्क्रियता हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत से अवसरों पर हमने जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया है और मैं फिर दोहराता हूं कि यह अकर्मण्यता और निष्क्रियता हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र की शत्रु है।

हमारे पास वोहरा समिति का प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन में राजनीतिज्ञयों के बीच होने वाले अपवित्र गठबंधन का पर्दाफाश किया गया है। क्या मैं अपने सहयोगियों से यह पूछ सकता हूं कि हममें से कितने लोगों ने वास्तव में इस प्रतिवेदन को पढ़ा है? और यदि हमने इसे पढ़ा है तो मैं इस सदन में अपने आदरणीय साथियों से पूछता हूं कि इस संबंध में हमने क्या किया है?

निर्वाचन की प्रक्रिया में सुधारों पर हमारे पास गोस्वामी समिति का भी एक प्रतिवेदन है। स्वर्गीय गोस्वामी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। वे इस सम्माननीय सदन के सदस्य थे। उस पुण्य आत्मा का साथ एक बार मुझे प्राप्त हुआ था। चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने गहन अध्ययन किया था। चुनाव सुधारों के संबंध में उनका योगदान और परामर्श महत्वपूर्ण है। हमने कुछ नहीं किया हम निर्वाचन प्रणाली को सुधारने में असफल रहे। यह एक अन्य खतरा है जिसका सामना हमारा लोकतंत्र कर रहा है।

मुद्रा शक्ति जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलु पर बहुत से वरिष्ठ सदस्यों द्वारा पहले से ही विचार व्यक्त किये जा चुके हैं तथा मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता आवश्यकता सिर्फ सुधार की है। यह वास्तव में दु:खद है कि हम प्रणाली में सुधार के लिए कुछ नहीं कर पाए।

साम्प्रदायिकतावाद तथा जातिवाद उग्र रूप धारण कर चुके हैं और स्वतंत्रता के पश्चात् हमने देश के बहुत से भागों में साम्प्रदायिक हत्याकाण्डों को देखा है। राजनीति को धर्म के साथ मिलाने से इसके भयंकर परिणाम होते हैं और इस भव्य सदन के हम सदस्यों को एक साथ बैठ कर विचार करना चाहिए कि साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद के इस शत्रु को हमारे राष्ट्र से कैसे पूर्णतया दूर किया जा सकता है।

जब कार्यपालिका कमजोर होती है तब यह स्वाभाविक ही है कि यह शून्यता न्यायपालिका द्वारा भरी जाती है अथवा जनसंचार माध्यम सार्वजनिक शिकायतों को उठाते हैं। संसदीय लोकतंत्र में सार्वजनिक मामलों तथा आम आदमी की समस्याओं से निबटने के लिए राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक नेता नेतृत्व करते हैं। परन्तु जब सत्तारूढ़ दल अपने प्रयासों में असफल रहते हैं तब न्यायपालिका सामने आती है तथा जनसंचार माध्यम गलतियों को प्रकाश में लाते हैं। यह हमारी असफलता है तथा यह हमारी गलती है परन्तु न हम विद्वेष कर सकते हैं और न ही हम शिकायत कर सकते हैं। यदि हम क्रीडास्थल का सही रूप में उपयोग नहीं कर सकते तो स्वाभाविक ही है कि लोग मैदान में आकर खेलेंगे। अब न्यायपालिका ही कर रही है। अत: न्यायपालिका के बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं होगी जो हमारे प्रशासनिक तंत्र में प्रबंध कर रही है।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तथा अन्य संगठनों ने कहा है कि भारत विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्रों में आठवें स्थान पर है। मेरे पास इस बारे में सही जानकारी नहीं है परन्तु मैं आपसे कहता हूं कि समाज के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार है। मैंने एक दिन इस सदन के कुछ प्रमुख सांसदों को भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हुए सुना। एक अथवा दो बहुत ही अनुभवी सांसदों ने कहा है कि भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यह केवल हमारी कार्यसूची का एक विषय है। इसका मैं पूर्णत: विरोध करता हूं। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। बल्कि यह एक बड़ा मुद्दा है। यह एक असाध्य कैंसर है जो राष्ट्र के प्राणाधार को खाए जा रहा है तथा इससे लड़ना चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले दो दशकों में भारत के राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार उन्मूलन में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। दूसरी ओर मैं कहूंगा कि राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट तत्व निगल रहे हैं। पांच सितारा संस्कृति तथा आरामदायक जीवन शैली ने राजनीतिज्ञों को उनके स्तर से नीचे गिरा दिया है। आप की वर्तमान राजनीति में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सभी प्रासंगिकता खो चुकी है। सभी राजनीतिज्ञों के शब्दकोष में नैतिकता एक भूला हुआ शब्द बन गया है। हम भारत में विशेषकर दिल्ली में पाते हैं कि सभी चीजों का निर्णय मूल्य के आधार पर हो रहा है और मूल्य के लिए बहुत कम कार्य किया जाता है। मुझे कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि हममें से कुछ राजनीतिज्ञों के दिल्ली में मूल्य निर्धारित हैं। इस कलंक को कौन मिटायेगा? केवल हम राजनीतिज्ञ ही यह कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को दूर रखना, भ्रष्ट तत्वों को दूर रखना एक उत्तर है और

ऐसे ही चलते रहने देना दूसरा उत्तर है। अगर हम स्वच्छ हैं तो मुझे विश्वास है कि हम प्रणाली को स्वच्छ बना सकते हैं।

एक अन्य पहलू जिस पर मैं विचार करने की इच्छा रखता हूं वह है निर्धनों में सबसे निर्धन व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रशासनिक असफलता। मुझे इस बात पर प्रसन्नता भी है और गर्व भी है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार सफलता प्राप्त की है। हम अपनी बहुत सी जटिल समस्याओं का समाधान कर पाए हैं। परन्तु क्या यह शर्म की बात नहीं है कि स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी हम अपने गांवों के अपने हजारों भाइयों को पेय जल उपलब्ध नहीं करा सके। इसी प्रकार से हम हमारे देश के दूर-दराज गांवों में रहने वाले अभागे बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने में बुरी तरह असफल हुए हैं।

यही स्थिति भोजन, आवास तथा वस्त्र की है। जहां तक इस देश के सैकड़ों एवं हजारों व्यक्तियों का संबंध है, अब तक यह एक दूर का स्वप्न है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें कुछ सकारात्मक कार्य करने चाहिए। हमें यह दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए। हमें यह दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए कि स्वतंत्रता अर्थपूर्ण है हमें आम आदमी को आश्रम, वस्त्र तथा भोजन मुहैया कराके स्वतंत्रता को अर्थपूर्ण एवं उद्देश्य पूर्ण बनाना चाहिए।

अब मैं संक्षेप में कहूंगा। इसके पहले कि मैं बात को समाप्त करूं मुझे एक टिप्पणी करते हुए खेद हो रहा है कि स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी इस भव्य सदन के सदस्यों को यह सिखाना पड़ता है कि इस सदन में उचित व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। वरिष्ठ सदस्यों ने कहा है कि हमें सदन में गरिमा बनाए रखनी चाहिए कि हमें प्रश्न काल में व्यवधान नहीं डालना चाहिए कि हमें सदन के बीचों बीच नहीं जाना चाहिए तथा यह कि जब राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हों तब हमें शिष्टाचार एवं गरिमा बनाए रखनी चाहिए। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी हमारे नेता हमें बता रहे हैं कि इस भव्य सदन में उचित व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, हमें निश्चित रूप से आमूल परिवर्तन करने होंगे। हमें निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन करने होंगे अन्यथा हमारे भविष्य का सत्यानाश हो जायेगा।

इस विषय विशेष का सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस संसद का विशेष अधिवेशन बुलाकर हमारे माननीय सदस्यों को अनुशासन की प्रारंभिक शिक्षा दी जाये। यह हम सांसदों को देखना है कि व्यवस्था कमजोर न हो जाये। यह मुख्यत: हमारी असफलता ही है जिससे हमारी व्यवस्था का विघटन हो गया है तथा जिस कारण नकारात्मक और खतरनाक संकेत मिलने लग गए हैं।

अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वे सभी उपाय करें जो व्यवस्था को बचाने के लिए आवश्यक हैं। अगर यह ऐतिहासिक अधिवेशन इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में दिशा ज्ञान दे सके तो यह एक महान उपलब्धि होगी। यह ऐतिहासिक अवसर हमारे लिए गंभीर आत्मचिंतन का समय है। हमें व्यवस्था को सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि हम व्यवस्था में गंभीरता से सुधार करना चाहते हैं तो हमें यह कार्य यहीं और इसी समय करना होगा। वरना इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा।



डा. बल्लभ भाई कथीरिया

[हिन्दी]

डा. बल्लभ भाई कथीरिया (राजकोट) : सभापति जी, आज़ादी की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आज संसद के विशेष अधिवेशन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं गुजरात प्रदेश से आया हूं। वहां के सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभभाई पटेल, सरदार श्री राणा और श्री रामकृष्ण वर्मा और ऐसे अनेक नामी शहीदों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

सभापति जी, पिछले पांच दिनों से इस सत्र में अनेक बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हो रहा है। एक डाक्टर और संसद सदस्य होने के नाते मैं इतना कहूंगा कि स्वास्थ्य के बारे में संसद में जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता। कल डा. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि साइंस और टेक्नोलोजी पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पिछले पचास सालों में तो स्वास्थ्य की परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। हम कहते हैं कि स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा धन है। संस्कृत में कहावत है कि – 'शरीर मार्दयं खडु धर्मसाधनं।' हमारी गुजराती में भी कहावत है कि – 'पहलू सोखते जाते नरिया।' यानी स्वस्थ और निरोगी शरीर ही धर्म और सुखी जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। मैं अपनी बात जन स्वास्थ्य सेवाओं पर सीमित रखूंगा। इसलिए कहूंगा कि पचास साल बाद भी हमें जितना ध्यान स्वास्थ्य पर देना चाहिए उतना नहीं दे सके हैं। और जो हमारे गरीब हैं उनके लिए एक काम यह भी नहीं हुआ कि हमारे देश की जनता को उन्होंने आरोग्य नहीं किया है। मेरा कहना यह है कि स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज बनता है और स्वस्थ समाज से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया

है। हमारे देश की जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी प्रगति अभी तक नहीं हुई है। कोई भी कल्याणकारी राज्य के पांच प्राथमिक साधन होते हैं जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इन पांच मुख्य जरूरीयात में आता है। फाइव ईअर प्लान में जब बजट एलोकेशन होता है या इसमें जो फंडिंग होती है उनमें कभी भी स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक से आठ तक जो फाइव ईअर प्लान निकले हैं, उनमें पहले पांच फाइव ईअर प्लान में हैल्थ के लिए 3.32 परसेंट इनवेस्टमेंट किया गया था। लेकिन एक के बाद एक फाइव ईअर प्लान में घटते-घटते आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह केवल 1.74 परसेंट हो गया है। यह कितने ताज्जुब की बात है कि स्वास्थ्य के लिए हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए, लेकिन जो प्रति वर्ष का बजट है उनमें भी 4.5 परसेंट से घटते-घटते यह तीन परसेंट रह गया है। 1993 की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसके बारे में मैं बताता हूं कि हमें कितना मैनपॉवर का लॉस हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में "डिस-एबीलीटी एडजस्टेड लाइफ इयर लॉस" इसको डेली बोलते हैं, हमारे देश में 21 परसेंट वर्ल्ड डेली लॉस है, जो कि 21 परसेंट तो हमारे ही देश में है। यानी कि हमारे देश में बीमारी के कारण हम 960 मिलियन जनसंख्या में से 292 मिलियन जीवन प्रत्येक वर्ष खो रहे हैं। इन आंकड़ों के साथ और दूसरे आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो हमारे देश की हैल्थ का स्टेट्स है उसको जो प्रॉयोरिटी देनी चाहिए वह अभी तक हम नहीं दे पाये हैं और आज हमारे देश में और उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। आज हम देखते हैं कि बहुत बड़े सुपर स्टेशलाइज्ड हास्पीटल बनाकर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हार्ट का बाई-पास ओपन सर्जरी भी कर रहे हैं। पोलियो पल्स इम्युनाइजेशन प्रोग्राम के आधार पर शायद हम दो हजार साल में पोलियो का उन्मूलन कर पायेंगे। इराडीकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स भी हो गया है। हमने जो लक्ष्य रखे हैं 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य यानी सन् दो हजार तक के साल तक सबको जनस्वास्थ्य का लक्ष्य हम पूरा करने में कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि अभी तो 21वीं सदी आ रही है, केवल तीन साल बाकी रह गये हैं और जो हमारा हैल्थ का प्रायोरिटी सैक्टर है वह हमारी गलत नीतियों के कारण और एक संवेदनहीन नेतृत्व के कारण हम उसे निश्चित नहीं कर सके हैं। हमारे देश में जो बीमारियां हैं उनमें 80 परसेंट बीमारियां ऐसी हैं जो प्रीवेंटेबिल डीसीसिज हैं। हमारे बजट का 80 परसेंट हिस्सा इंफ्रास्ट्रकचर, डाक्टर्स और उनके स्टाफ की पगार पर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। इसलिए हमारे देश के लोगों को जो दवाई मिलनी चाहिए या जो सेवा मिलनी चाहिए उसके लिए बजट पूरा नहीं होता है। दुनिया को देखेंगे तो केन्द्रीय बजट का 3 से 4 परसेंट स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। जबकि इंग्लैंड में 9.5, मलेशिया में 6.7, घाना में 7.3 और नामीबिया में 6.81 परसेंट हैं। इसलिए हमें जो प्राथमिकता देनी चाहिए उस पर अभी भी मैं कहूंगा कि आजादी के 50 वर्ष हो गये हैं बहुत से डाक्टर सांसद बने होंगे लेकिन एक भी सांसद को हैल्थ मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला है। क्योंकि जो डाक्टर सांसद हैल्थ मिनिस्टर होगा, जन स्वास्थ्य के लिए क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए, उसका उन्हें पता होगा। कोई भी देश के आरोग्य के लिए जो मानदंड बनाये गये हैं, देश के आरोग्य के बारे में जो प्रगति है उसके भी थोड़े आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा। उसमें सर्वप्रथम शिशु मृत्यु दर है। यानी शिशु की मृत्यु दर हमारे देश में अभी तक 72 प्रति हजार पर है। बाकी के जो देश हमारे साथ आजाद हुए हैं या जो दूसरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। उनमें काफी कम हैं थाइलैंड में 30 है, फिलीपीन्स में 35 है, श्रीलंका में कुल 15 है, मलेशिया में कुल 11 और चीन में केवल 38 है। दूसरे हमारे यहां मैटरनल मौर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। जिन माताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनका इन्डाइसेस हमारे देश में बहुत हाई है - पर थाउजैंड 460 है जबकि दूसरे देशों में, इजराइल में केवल 4 है, दक्षिण कोरिया में 41 है, आयरलैंड में केवल दो है, श्रीलंका में 140 है, पाकिस्तान में 340 है, ब्राजील में 220 है। इससे हम देखेंगे कि हमारे देश में मैटरनल मौर्टेलिटी रेट, दूसरे देशों की तुलना में काफी हाई है। इसी तरह जो माताएं एनिमिआ से सफर कर रही हैं, एनीमिआ के दर्द का शिकार हैं, ऐसी प्रिगनैंट मदर्स में से 70 पर्सेंट को अभी एन्टी नैटल केयर मिल रही है। उसी तरह अंडर फाईव ईयर्स यानी पांच साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का जहां तक सवाल है, इंडिया में 62 परसेंट लाइफ एक्सपैक्टैंसी है जबकि इसी ऐज के तुर्की में 98 बच्चे जिन्दा रहते हैं, श्रीलंका में 95 परसेंट और मैक्सिको में 85 परसेंट बच्चे जीवित रहते हैं लेकिन हमारे देश में 62 परसेंट बच्चे जीवित रहते हैं। उसी तरह जनरल एक्सपैक्टेंसी हमारे देश में बढ़ी है। जब हम आजाद हुए, हमारी औसत आयु 41 वर्ष थी लेकिन आज 61 वर्ष हो गई है। हमारे यहां बर्थ रेट भी घटा है, पहले 41.7 परसेंट था जो अब 28.3 परसेंट हो गया है। डैथ रेट भी 9 परसेंट घटा है, पहले 22.8 परसेंट था लेकिन आज 9 परसेंट रह गया है। इसीलिए हमारी आबादी इतनी अधिक बढ़ी है। जब हम आजाद हुए हमारी जनसंख्या 36 मिलियन थी लेकिन आज हम 96 मिलियन पर पहुंच गए हैं। इसका परिणाम है और हम देखते हैं रोगों पर कंट्रोल न होने और कुपोषण से आज अनेक मृत्यु हो रही हैं।

सभापति जी, एक बात मैं यहां संक्षेप में कहना चाहता हूं। हमारे यहां जो प्राइमरी हैल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, उसमें भी काफी गैप

मालूम पड़ता है। मैं समयाभाव के कारण आंकड़ों में जाना नहीं चाहूंगा परन्तु एक अच्छी बुक जो पार्लियामेंट की तरफ से प्रकाशित हुई है, उसके आंकड़ें मैंने देखे हैं जिनके मुताबिक प्राइमरी हैल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में काफी गिरावट आई है। हमारे देश में वन मिलियन से ज्यादा नर्सेज की कमी है। इसके अलावा फार्मेसिस्ट, लैबोरेटरी तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन आदि स्टाफ की भी कमी दिखाई देती है। क्या हमने इस तरफ ध्यान दिया है, इस कमी को दूर करने के लिए पग उठाए हैं, नए मैडिकल कालेज खोले हैं, कोई आयोजन किया है, नर्सिंग कालेज खोले हैं, लैबोरेट्री टैक्नीशियन, एक्स-रे टैक्नीशियन के नए कोर्स शुरू किए हैं ताकि इस देश की जनता को हम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकें? आज हम देखते हैं कि पी.एच.सीज. में डाक्टर नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं। यदि नर्स हैं तो टैक्नीशियन नहीं है। दस परसेंट पी.एच.सीज. ऐसे हैं जहां भवन नहीं है। चूंकि इस विषय पर बहुत कम भाषण हुए हैं, मैं चाहूंगा कि मुझे दो मिनट अधिक समय दिया जाए।

हैल्थ के साथ जो दूसरे विषय जुड़े हुए हैं, अब मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। हमारे देश में जितने नेशनल इरैडिकेशन प्रोग्राम हैं, जैसे मलेरिया इरैडिकेशन प्रोग्राम है, लिप्रौसी इरैडिकेशन प्रोग्राम है, ट्यूबरकौलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, ज्यादातर वे फेल हो गए हैं क्योंकि जैसी हमारी नीति है, हमारी प्लानिंग गलत है, यदि आप इनका इन्डाइसेज देखें तो हमारे देश में पहले 80 परसेंट कम्युनिकेबल डिसीजेज क्यूरेबल थीं परन्तु इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, आयोजन नहीं किया बल्कि हम एड्स और कैंसर जैसे रोगों के पीछे पड़ गए जो हमारे बजट का बहुत बड़ा भाग खा गए।

आरोग्य के साथ कई अन्य बातें जुड़ी हुई हैं। नेशनल ड्रग पौलिसी हमने अभी तक तय नहीं की है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने बहुत साल पहले बताया था कि असैन्शयल ड्रग्स की लिस्ट बनाई जाए, हमें ही नहीं हर कंट्री को असैन्शयल ड्रग्स की लिस्ट बनाने के लिए कहा। उनके मुताबिक हर देश में रिक्वायर्ड असैन्शयल ड्रग्स सभी जगह, उचित दाम पर, उत्तम गुणवत्ता वाली दवाइयां मिलें, ऐसा आयोजन करने के लिए हर देश को कहा गया लेकिन हमारे देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ 96 मैडिसिन्स ऐसी हैं, जो सारे विश्व में बैन हो गई हैं, यहां तक कि बंगलादेश में बैन हो गई हैं लेकिन हमने उस बारे में कुछ नहीं सोचा। मल्टी-नेशनल कम्पनियां विदेशों में बैन ड्रग्स अपने देश में लाकर बेचती हैं, यहां उनका बहुत बड़ा मार्केट है जबकि हमारे लोग आवश्यक दवाओं के अभाव में, बीमारी से मर रहे हैं। हमने अभी तक उन्हें बैन नहीं किया।

हैल्थ के साथ-साथ, एक ईश्यू और जुड़ा है - ब्लड डोनेशन और ब्लड बैंक। इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं ताकि सारे देश में ब्लड बैंक कम्पलसरीली खोले जा सकें। आज एक छोटी सी तहसील में ब्लड बैंक का लाइसेंस लेने के लिए दिल्ली आना पड़ता है जिसमें एक-दो वर्ष लग जाते हैं। मेरा सुझाव है कि लाइसेंस जारी करने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट को गाइड लाइन दी जाए क्योंकि यदि ब्लड बैंक का लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं देंगे, तो खून देने में दिक्कत पड़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंस देने का अधिकार दिया जाए। इस काम का विकेन्द्रीकरण किया जाए।

हास्पीटल मैनेजमेंट के लिए भी आस्ट्रेलिया ने एक अच्छी नीति अपनाई है। इस बारे में आस्ट्रेलिया की नीति को स्टडी कर के हम अपने देश में कुछ करें ताकि पर्यावरण न बिगड़े। इसके साथ ही साथ मैं यूनीफार्म मैडीकल एजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा कि हमें जो सिखाया जाता है वह पश्चिमी सिखाया जाता है। वहां 20 प्रतिशत बीमारियां हैं। उन्हीं के बारे में सिखाया जाता है जबकि हमारे यहां की जो बीमारियां हैं जिनका इलाज जल्दी और सस्ते तरीके से किया जा सकता है, उनके बारे में सिखाया नहीं जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे देश के डाक्टरों को प्रशिक्षण के समय ही इनके बारे में बताया जाए। यह प्रिवेंटिव सोश्यल मैडीसिन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और नैचुरोपैथी आदि के जो इंडीजीनस सिस्टम हैं उनके लिए भी बजट में ज्यादा प्रावधान किया जाए। एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रोहीबीशन आफ स्मोकिंग का जो नियम दिल्ली में बनाया गया है, वह बहुत अच्छा नियम है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके बारे में ऐसा नियम बनाया जाए कि पूरे देश में स्मोकिंग पर रोग लग सके। इसके साथ-साथ पापुलेशन कंट्रोल एक्ट भी बनाया जाए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करते हुए कहना चाहता हूं कि अपने देश में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और स्वास्थ्य को सामाजिक अंग के रूप में देखकर के, सबको साथ में जोड़कर के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहिए।



श्री रामबहादुर सिंह

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, चार दिनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज सुबह पौने पांच बजे आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे देश के 80 सैकड़ा लोग गांवों में बसते हैं। इसलिए गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था गांवों को स्वावलंबी बनाओ और स्वावलंबी गांव की उनकी कल्पना थी कि भोजन के मायने में, कपड़े के मायने में, मकान के मायने में, स्वास्थ्य के मायने में, शिक्षा के मायने में और सुरक्षा के मायने में गांव को किसी का मुखापेक्षी न होना पड़े।

सभापति जी, स्वावलंबन से आदमी का मनोबल ऊंचा होता है। आदमी का अभिक्रम जागृत होता है और जिस देश के नागरिकों का मनोबल ऊंचा हो, अभिक्रम जागृत हो। उस देश की अस्मिता के सामने कोई भी शक्ति चुनौती नहीं दे सकती है, और यदि चुनौती देती है, तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए गांधी जी ने यह भी कहा था कि अधिकारों का बंटवारा करो। गांवों को अधिकार दो जिससे वह अपने विकास की योजनाओं को तैयार करे, उनका कार्यान्वयन करे और उनके कार्यान्वयन के लिए धन भी इकट्ठा करो। वे चाहते थे कि सर्वाधिक अधिकार गांवों को मिले, उसके बाद जिले को मिले, फिर राज्य को मिले, फिर केन्द्र को मिले और अधिकारों का बंटवारा पिरामिड की शक्ल में होना चाहिए, लेकिन गांधी जी की इस परिकल्पना को नकार दिया गया यह कह कर कि गांव के लोग गंवार हैं, अनपढ़ और नवसीखुआ हैं।

सभापति जी, यह स्वयंसिद्ध सिद्धान्त है कि हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने बारे में बेहतर सोचता है और समझता है, लेकिन इस सिद्धान्त को भी नकारा गया और देश के इंतजाम की जिम्मेदारी, गांव को स्वावलंबी बनाने की जिम्मेदारी देश के सफेदपोश अफसरशाहों को सौंप दी गई, जिसका नतीजा है कि आज अपने एक देश में दो देश बने हुए हैं जहां-जहां मुट्ठीभर लोग अमीरी की कैलाश पर बैठे हुए हैं जिनके लिए दुनिया का हर साधन, हर सुख उपलब्ध है और दूसरी ओर करोड़ों हिन्दुस्तानी गरीबी के पाताल में नर्क का जीवन भोग रहे हैं जिनके लिए जीवन रक्षक वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा और सुरक्षा की न्यूनतम मात्रा भी उपलब्ध नहीं होती है।

सभापति जी, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जब यह नीति शुरू हुई थी उसके प्रारंभ में ही डाक्टर लोहिया ने इशारा किया था कि जो नीति चल रही है उस नीति का अंतिम परिणाम होगा कि हर पांच साल के अंदर कुछ लाख कमल की खेती होगी और बाकी कीचड़ रह जाएगा। आज परिणाम हमारे सामने है।

सभापति महोदय, आर्थिक नीति की बड़ी चर्चा होती है और मिसाल के रूप में कहा जाता है कि विदेशी मुद्रा भंडार भरा पूरा हो गया है लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार से एन.आर.आईज डिपाजिट निकाल दिया जाये, पोर्टफोलयो निवेश की राशि को निकाल दिया जाये, जिसकी की हर क्षण चंद संभावना है और अल्पकालीन जो ऋण दिया जाये, उसको निकाल दिया जाये तो अपना विदेशी मुद्रा भंडार कितना पानी में है, यह पता चल जायेगा। लेकिन मैं सरकार की इस बात को मान लेता हूं कि विदेशी मुद्रा भंडार अनुकूल है। विदेशी व्यापार अनुकूल है। भुगतान अनुकूल है, संतुलन अनुकूल है और विनियम बाजारों में रुपये का मूल्य भी अनुकूल है। फिर भी यह विकास की कसौटी नहीं है। विकास की कसौटी है कि रोजगार का क्षेत्र कितना व्यापक हुआ। कितने लोगों को रोजगार मिला। इसलिए कि रोजगार का सीधा संबंध भोजन से है, कपड़े से है, मकान से है, स्वास्थ्य से है, शिक्षा से है और सुरक्षा से है। यदि यह सब ठीक है तो सब ठीक है। यदि वे ठीक नहीं है तो सब ठीक नहीं है। यदि वह ठीक नहीं है तो देश की युवा पीढ़ी गुमराह होती है। अपराधी प्रवृत्ति की होती है और आज अपने देश में चारों तरफ जो उग्रवाद दिखायी पड़ रहा है, उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी के चलते भूख, प्यास, बेबसी, लाचारी और असुरक्षा का भाव है।

आज सारे देश में भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और असुरक्षा के भाव से त्रस्त है। चारों तरफ देश में बुराइयों का जंगल लगा हुआ है। 50 वर्षों की आजादी के बाद चारों तरफ दृष्टि डालने के बाद कई विकृतियों को सिर उठाने का मौका मिला है। उन विकृतियों को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि सत्ता की शक्ति को परिवर्तन का हथियार बनाया जाये ताकि विकृतियों का, बुराइयों का जो जंगल लगा हुआ है, उसको साफ किया जा सके। आज तक सत्ता की शक्ति को परिवर्तन का हथियार नहीं बनाया गया है। सत्ता की शक्ति को स्वार्थ की राजनीति में लिप्त करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करने की कोशिश की गयी है। मैंने सुना है और अपने बुजुर्गों से सीखा है कि राजनीति की दो बांहे हुआ करती हैं। एक का संबंध योग से है और दूसरे का संबंध भोग से है। योग की राजनीति शिक्षा देती है कि सत्ता की कुर्सी यदि कभी मिले तो शक्ति को परिवर्तन का हथियार बनाओ और देश की जनता के हक में उसका इस्तेमाल करो ताकि देश की धरती को पानी मिल सके। देश में भूख से मरने वालों को रोटी मिल सके। प्यास से मरने वालों को पानी मिल सके। लेकिन भोग की राजनीति कहती है कि इन तमाम बातों के लिए चिंता मत करो। चिंता करो तो अपनी कुर्सी की, अपनी स्वार्थ की सिद्धि की करो और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदि देश की अस्मिता को भी बेचना पड़े तो तुम्हारे मन में हिचक नहीं होनी चाहिए।

योग की राजनीति कहती है कि परिवर्तन को हथियार बनाने में सत्ता की कुर्सी अक्षम है तो कुर्सी को लात मारो। लात ही नहीं बल्कि यदि सर्वोच्च बलिदान भी करना पड़े तो तुम्हारे पांव पीछे नहीं हट सकते। देश को बदलने के लिए सत्ता की कुर्सी को परिवर्तन का हथियार बनाना पड़ेगा और परिवर्तन को हथियार बनाने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव है कि निश्चित समय सीमा के भीतर अधिकारों का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि सर्वाधिक अधिकार गांव के लोगों को मिले। उससे कम जिलों को मिले। उसके बाद राज्यों को मिले। उसके बाद केन्द्र को मिले और जो बंटवारा हो, वह पिरामिड की शक्ल का हो। यह भी करना पड़ेगा कि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाये। जब पानी की चर्चा होती है तो लोग बहुत हल्के-फुल्के ढंग से इसको लेते हैं।

श्री शिवराज पाटिल जी बोल रहे थे तो ऊपर से प्रक्षेपास्त्र हो रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि जिस देश में पीने का पानी नहीं है वहां प्रक्षेपास्त्र किस बात के लिए है। वह व्यंग्यात्मक स्वर में बोल रहे थे। लेकिन वह नहीं जानते हैं कि जब तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक आपके प्रक्षेपास्त्र कभी कारगर नहीं हो सकते।

सभापति जी, भोजन नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले, मकान नहीं मिले, पीने का पानी नहीं मिले तो गरीबों का दिल टूट जायेगा। गरीब उदासीन हो जायेंगे और जिस देश का नागरिक उदासीन हो जायेगा, जिस देश के नागरिकों का दिल टूट जायेगा तो उनके सामने एकता और अखंडता कोई मायने नहीं रखती है।

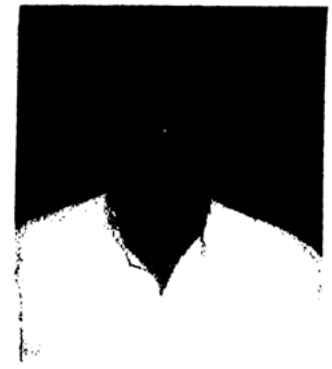
भूखे भोजन न होए गोपाला।
भूभूक्षितम् किमन करोति पापम्

भूख की ज्वाला ऐसी ज्वाला है कि इंसान को कोई भी पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए जिन लोगों ने कहा कि प्रक्षेपास्त्र छोड़ते हो लेकिन देश के लोगों के लिए पीने का पानी नहीं दे सकते, यह एक विडंबना नहीं सच्चाई है। लेकिन उनके मन में प्रक्षेपास्त्र के विरोध की भावना नहीं है। वे चाहते हैं कि प्रक्षेपास्त्र कारगर हों, उसकी धार, उसकी शान तेज रहे। यह जरूरी है कि प्यासे लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो। इसलिए मैंने कहा कि हमारे तमाम हथियारों के रहते हुए भी कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि सैनिक उपकरण के मामले में हम काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वे तमाम उपकरण उस दिन खोखले हो जाएंगे जिस दिन उदासीन लोग देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने से उदासीन हो जायेंगे।

तीसरा सुझाव है कि निश्चित सीमा के भीतर देश की तमाम धरती के लिए सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था की जाए। उसी तरह से निश्चित सीमा के भीतर एक भूमि सेना का गठन किया जाए ताकि बंजर जमीन को तोड़कर खेती के लायक बनाया जाए। इस देश में जितने भी क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना यदि कहीं है तो वह कृषि के क्षेत्र में है। कोई काम नहीं किया जाए, केवल सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था कर दी जाए और बंजर भूमि को तोड़ने के लिए भूमि सेना का गठन किया जाए तो मैं समझता हूं कि चपरासीगिरी से लेकर, किरानीगिरी से लेकर डाक्टरी एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में लाखों-लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों कामों को निश्चित समय-सीमा के भीतर करने का संकल्प लेना चाहिए।

मेरा चौथा सुझाव है कि जहां कहीं संभव नहीं हो, उसे छोड़कर उन तमाम जगहों में स्माल मशीन टैक्नोलोजी का जाल बिछा देना चाहिए। स्माल मशीन टेक्नोलोजी से कम पूंजी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं मॉडर्न टेक्नोलोजी का विरोधी नहीं हूं लेकिन अपने देश के लिए स्माल टेक्नोलोजी मौजूद है क्योंकि देश गरीब है, देश में पूंजी का अभाव है, श्रम की बहुलता है। इसलिए श्रम प्रधान उद्योगों को लगाना इस देश के हक में होगा। अपने देश का निर्यात भी ऊंची प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करता, उस पर टिका हुआ नहीं है। अपने देश का निर्यात व्यापार छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों पर टिका हुआ है, दस्तकारों पर टिका हुआ है, जिन कुटीर उद्योगों में परम्परागत वस्तुओं का निर्माण होता है, उन पर टिका हुआ है। इसलिए इसको तवज्जह देनी चाहिए जिसे आज तक तवज्जह नहीं दी गई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।



डा. बी. एन. रेड्डी

[अनुवाद]

डा. बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा): सभापति महोदय, आपको और सभी माननीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं यह महसूस कर रहा था कि क्या मैं संसद में बोले बिना ही अपने निर्वाचन क्षेत्र जाऊंगा। मैं एक बार फिर इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया गया है।

स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर हमें अपनी उन उपलब्धियों पर गौरवान्वित होना चाहिए जोकि हमने इन पचास वर्षों में खाद्य, वस्त्र, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा आदि के क्षेत्र में हासिल की हैं। किन्तु यदि हम जरा पीछे मुड़कर देखें कि क्या हमने उससे कहीं अधिक हासिल किया है कि जिससे निश्चित रूप से देश की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यह एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। क्या कारण है कि पचास वर्षों के बाद भी हम महसूस करते हैं कि हम बहुत से क्षेत्रों में पीछे हैं। मैं महसूस करता हूं कि जो निष्ठा, ईमानदारी, त्याग की भावना स्वतंत्रता से पहले थी, वह आज समाज में नहीं है।

प्रात: 5.00 बजे

आज हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि हमारे अंदर उस साहस और दृढ़ निश्चय की कमी है जो हमारे बुजुर्गों में थी। हम हमेशा बड़ी-बड़ी बातें करते हैं किन्तु जब बात हमारे ऊपर आती है तो हम गलती करते हैं। हम कानून बनाते हैं, किन्तु उन्हें स्वयं ही तोड़ते हैं। अत: यही समय है जब हमें इस संबंध में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

महोदय, यदि हम कालक्रमानुसार चलें तो नि:संदेह वही बात सामने आती है जिसके बारे में अधिकांश सदस्य बात कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि देश के विकास के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए। जब तक हम इस जनसंख्या पर जोकि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, रोक नहीं लगायेंगे, तब तक हम अपने देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य नहीं होंगे।

महोदय, हम आज स्वर्गीय संजय गांधी को और उन दिनों में की गई ज्यादतियों को याद करते हैं। किन्तु उन्होंने वास्तव में सोचा था कि बढ़ती जनसंख्या अन्य दिशाओं में हासिल की जा रही हमारी उपलब्धियों में बाधक सिद्ध होगी। इस प्रकार मैं कहूंगा कि हमें बढ़ती जनसंख्या

पर अधिकतम ध्यान देना चाहिए। हमें समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा जितना भी हो सके इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा प्रदूषण के बारे में है। हम महसूस करते हैं कि प्रदूषण की बढ़ती दर को देखते हुए यह हो सकता है कि एक दिन हम प्रदूषण में ही पैदा हों और हमारी भावी पीढ़ियां इस संसार में विलुप्त प्राय: हो जायें। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, हम सब भी ऐसा नहीं चाहेंगे, किन्तु जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, उससे लगता है ऐसा ही होगा।

महोदय, मेरा तीसरा मुद्दा पद के पीछे भागने से संबंधित है। हम सभी सत्ता और धन के पीछे हैं। यह बात नहीं है कि हममें से कुछ वास्तव में बहुत निस्वार्थी हैं किन्तु अभी भी हमारे दिमाग में वह समाज है, जहां हम सभी आर्थिक स्थायित्व के विकास के लिए इच्छुक हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किन्तु वास्तव में हम आर्थिक स्थायित्व का सही तरीका खोजने में असफल रहे हैं। हम धन कमाने के लिए सभी तरह के तरीके अपना रहे हैं और यही कारण है कि हम अपने देश की समस्याओं को नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए, कहीं यह सुनिश्चित करने के लिए हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है ताकि पता चल सके कि हम इसे क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं।

यदि मैं स्वयं से एक प्रश्न करूं, तो मुझे पता चलता है कि मैं अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी कई गलतियां करता रहा हूं। उदाहरण के लिए लेखा-जोखा देते समय, धन खर्च करते समय, आय की घोषणा करते समय। हम सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वास्तव में हम यह करना नहीं चाहते हैं। किन्तु व्यवस्था इतनी खराब है कि जब हम अपने आप से यह कहते हैं कि हम अपने आप में और अपने कार्य में ईमानदारी बरतें तो फिर भी हम अनजाने में गलती करते हैं। इसलिए, जब तक यहां कोई समुचित व्यवस्था नहीं लाई जाती, तब तक हम लगातार ये गलतियां करते रहेंगे और हमारे बच्चे भी इन गलतियों का अनुसरण करेंगे।

अब जरा चुनाव खर्च के बारे में सोचें। हम बात करते रहे हैं कि इसमें कुछ पारदर्शिता होगी, किन्तु हम वास्तव में यह हासिल नहीं कर पाये हैं। फिर भी हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम खर्च कुछ कर रहे हैं और घोषणा कुछ और कर रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए आइये हम अपना दिल खोलें, सच बोलें, अपने आप को टटोलें। हम सभी को सभी संसद सदस्यों को जो कानून बनाते हैं, उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम वह कानून बनाएं जिसका हम निष्पक्षता से पालन कर सकें और ऐसा कानून न बनाएं, जिनका हम उल्लंघन कर रहे हैं।

अब मैं सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के मुद्दे पर आता हूं। हम बड़ी परेशानियां झेलकर इन चीजों का निर्माण करते हैं और तब कुछ परिस्थितियों के कारण हड़ताल और अन्य आन्दोलनों के दौरान हम इन वस्तुओं को, कुछ सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट कर देते हैं जिनका हमने स्वयं निर्माण किया था। यह तोड़फोड़ सख्ती से बंद की जानी चाहिए।

कुछ सेवाओं को भी, विशेषकर जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति जो निश्चित रूप से हमारे विकास में सहायक हैं, आवश्यक सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं इस मुद्दे पर बार-बार बोलता रहा हूं कि हम खाद्य और वस्त्र में कुछ आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके हैं। यह इस कारण हुआ कि हमारी महान नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। इसलिए हमने खाद्य और वस्त्रों में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। किन्तु आज जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, तो प्रत्येक आदमी हमसे तीन वस्तुओं के बारे में बात करता है और वे हैं पानी, बिजली और मकान। अत: हम खाना, कपड़ा और मकान के बजाय पानी, बिजली और मकान कहें और इसके लिए काम करें। किसी भी विकास के लिए जिन आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वह है, पानी और बिजली। महोदय, हम वास्तव में इस बात पर शर्म महसूस करते हैं कि इन पचास वर्षों में हजारों करोड़ रुपये आवंटित और खर्च करके भी हम पीने और सिंचाई हेतु पानी तथा अपने और उद्योगों के लिए बिजली में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सके हैं।

हम महसूस करते हैं कि हमें पानी और बिजली संबंधी आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देनी है। हम जानते हैं कि आज बहुत-सी वस्तुओं पर 17,800 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जा रही है। यदि 17,800 करोड़ रुपये या यह कहें 18,000 करोड़ रुपये को हम पांच पंचवर्षीय योजनाओं से गुणा करें तो यह लगभग 90,000 करोड़ रुपये बैठता है। किन्तु इस साल हमने गेहूं और चावल के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। यदि आप एक मिनट के लिए सोचें तो मैं राजसहायता के विरुद्ध नहीं हूं। आवश्यक वस्तुओं के लिए राजसहायता दी जानी चाहिए। यदि गेहूं और चावल के लिए इस 8000 करोड़ रुपये के विवरण पर गौर करें तो 32 करोड़ लोगों को दिए जा रहे 8,000 करोड़ रुपये में यह प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 240 रुपये आता है, इसका अर्थ यह है कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 65 पैसे।

अत: जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इतनी गणना की जाए। जब हम प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपये की दर से 40,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं तो यह राशि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 65 पैसे आती है। अगर हिसाब लगाकर देखें, तो प्रत्येक एक लाख रुपये में से आम आदमी के पास केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। यह हो सकता है कि जनता के पास 10 पैसे भी न पहुंचें। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि 8,000 करोड़ रुपये का पांच गुणा अर्थात् 40 हजार करोड़ रुपये। भाखड़ा नांगल या नागार्जुन सागर जैसी योजना पर खर्च किया जाता है तो हम चालीस योजनाएं पूरी कर सकते हैं और तब हम बहुत सा रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, खाद्य और वस्त्र दे सकते हैं। इसलिए, मैं कहूंगा कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अंत में, मैं संसद पर एक कविता सुनाता हूं जिसे मैंने लिखने का प्रयत्न किया है:

[हिन्दी]

ए संसद, तुम तो पत्थर की मूर्ति की तरह मेरे एक भी सवाल का जवाब न दोगे।

तुम नहीं जानते मुझे अपनी प्रजा को किन-किन सवालों का जवाब देना पड़ता है।

तुम नहीं जानते हम अपनी प्रजा को क्या-क्या वादे करके आते।

हमने वादा किया कि पीने को शुद्ध पानी देंगे।

हमने वादा किया कि इनकी खेतीबाड़ी को बिजली देंगे।

हमने वादा किया कि बेघर को घर बनाके देंगे।

ये वादे एक-दो वोटर को नहीं, लाखों लाचारों को दिए हुए हैं।

तुम नहीं जानते ये हजारों भाई-बहन मुझे संसद तक भेजने के लिए क्या-क्या तकलीफ उठाएं।

कितने दिन खाने-पीने की परवाह नहीं की।

कितनी रात जागे और कितनी नींद खोए।

अगर इनके जमीर को थोड़ा पानी न दे सके,

अगर इनके आंसू को थोड़ा पोंछ न सके,

अगर इनके सर पर एक साया न दे सके,

ए संसद, तो फिर तुम किस काम के और हम संसद सदस्य किस काम के॥



श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, आज छठे दिन आपने बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

इस भारत के करोड़ों लोगों के सवाल को, जिनके दर्द को इस सदन ने काफी चिंता के रूप में लिया है, उस सवाल पर बोलने से पहले हम उनको नमन करते हैं। हम उस मानव को नमन करते हैं जिसने कुर्बानियां दीं और उस व्यक्ति के लिए जो भारत के गांवों में अस्सी फीसदी लोग बसते हैं और अभी भी रहते हैं। हम उस व्यक्ति को नमन करते हैं जिसकी नींव पर, जिसकी विरासत पर आज भी हम खड़े हैं और बोल रहे हैं चाहे वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी हों, चाहे भारत के अनेकों पुरुष जिन्होंने शहादत दी है, हम ऐसे व्यक्तियों का नमन करते हैं और बधाई देते हैं। हम सदन के उस विरोधी दल के नेताओं का भी नमन करते हैं जिन्होंने इस सवाल पर सदन के बीच चिंता जाहिर की और जिन्होंने उनके सवाल को समझा और समझकर इस सदन और देश की चिंता को सदन में रखने का काम किया है।

निश्चित रूप से हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में आज खड़े हैं। सबसे ज्यादा जल, प्राकृतिक सम्पदा, अद्भुत प्राकृतिक सम्पदाओं से भरा हुआ अलग सा जीवन इस भारत का रहा है जहां आयुर्वेदिक दवाओं से लेकर, जहां उत्तम मस्तिष्क वाले कवि से लेकर, आध्यात्म से लेकर जगतगुरु आचार्य जिस देश की विरासत रही है, इस देश के सवाल पर हम बोलने चले हैं। सदन में बड़े से बड़े सभी दल के लोगों ने आंकड़ों पर देश कहां था और कहां जा रहा है, कई सवालों को बिन्दुवार बातों के रूप में रखने का काम किया है। हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम किसी सवाल पर, समस्या पर ज्यादा नहीं जाना चाहते। हम आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि हम पचासवें वर्ष में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े हैं।

गरीबी, भुखमरी, बेरोजगार नौजवान, गरीब किसान—इन पर आज बहस कोई नई नहीं है। हम पुरानी बहस पर नए तरीके से बहस कर रहे हैं। इस सदन के जिन भी लोगों ने जिन बातों को रखा है, कल सवाल छोटा था, आज सवाल बड़ा है। कल भी हमारी विरासत वही थी, हमने संकल्प लेने में थोड़ी सी भूल जरूर की है। जिस वक्त हम आजादी के किनारे पर खड़े थे, यदि हमने उस वक्त थोड़ी सी जल्दी नहीं की होती, थोड़ी सी यदि राजनैतिक लड़ाई से हटकर आर्थिक लड़ाई की ओर गए होते तो पचास वर्ष में यह सवाल नहीं उठता और आज छ: बजे सुबह सदन में सदन के लोगों को बैठकर भारत की चिंता नहीं करनी पड़ती। यदि हमने आर्थिक लड़ाई लड़ी होती तो आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का सवाल नहीं होता और आज गरीबी, भुखमरी, नैतिकता और असमानता की बात नहीं होती। हम आज वहां पर खड़े हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या करना चाहते हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हैं। वहीं नंगे लोग खेत और खलिहानों में काम करने वाले 102-103 डिग्री का बुखार होते हुए भी काम करते हैं और नदी में कूद कर अपने बुखार को समाप्त कर लेते हैं। मैं उन्हीं लोगो के बारे में आज सदन में सवाल उठाना चाहता हूं। देखा जाए, तो पांच फीसदी लोगों को देखकर ही भारत का संविधान बना है। मैं 95 फीसदी लोगों को देखकर आपको बताना चाहता हूं कि आज उस बच्चे का क्या हश्र है जो बच्चा 102-103 डिग्री ताप में भी नदी में तैरने चला जाता है और उसका बुखार समाप्त हो जाता है। आज हम कहां हैं? आज स्थिति यह है कि इन बच्चों को दूध भी नहीं मिल पाता है। बच्चे जन्म तो लेते हैं, लेकिन उनको दूध नहीं मिल पाता है। उस भारत में जिस भारत में 60 से 90 फीसदी लोग, जिनके तन पर कपड़ा नहीं होता है, पौष्टिक आहार के चलते, हम बच्चों को दूध भी नहीं दे पाते हैं। दूसरी तरफ पांच प्रतिशत लोग अपने विलायती कुत्तों को दूध देते हैं। हम किस भारत की बात करना चाहते हैं? एक तरफ पांच फीसदी लोग, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रहने वाले लोग अपने विलायती कुत्तों को दूध देते हैं, उन्हें दूध नसीब होता है और गांव में रहने वाली उस मां के स्तन से बच्चों को दूध नसीब नहीं होता है और बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। आप किस भारत की बात करना चाहते हैं? उस भारत की, जिसके गांवों में पानी नहीं है और दिल्ली के चौराहों पर फव्वारे लगते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि फव्वारे नहीं लगने चाहिए, लगने चाहिए। आप लाखों की संख्या में फव्वारे लगायें, लेकिन उतनी ही राशि में हम भारत के कई गांवों में चापाकल और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। हम किस विरासत में जाना चाहते हैं? पानी की बात नहीं है, खेत और खलिहान में काम करने वालों का सवाल नहीं है, सवाल है जिन सवालों को बिन्दुवार यहां सदन में छेड़ा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या कभी उस ओर, उस परम्परा की ओर, उस संस्कृति की ओर या वह संस्कृति जो विरासत में मिली है या दिल्ली के चांदनी चौक के फव्वारे की जो विरासत है या गांव में बिना पानी के रहने वालों की जो विरासत है, मैं उसकी

ओर ले जाना चाहता हूं। आज जिस सदन में हम खड़े हैं, जो हाथ बिना विज्ञान के, जो हाथ बिना साइंस के, तराशी हुई ईंट बनाता है, जिस ईंट से यह मंदिर बना, चाहे वह बिरला मंदिर हो या टाटा मंदिर हो, आज हम उस विरासत को याद करते हैं। उस हाथ को जो मंदिर बनाता है, जो मस्जिद बनाता है, उस मंदिर से वंचित रह जाता है। जिस हाथ से बिना विज्ञान के और चाहे ज्ञान के प्याला बनाता हो, जिस गांव में रहने वाले 80 फीसदी लोगों ने घड़ा बनाया हो, हम घड़ा तो बनाते हैं, प्याला बनाते हैं, लेकिन उस प्याले में हमें पीने का अधिकार नहीं है। उसे बनाने के बाद हमें छूने का अधिकार नहीं है। जिस चीज को वह बनाता है, उसके अधिकार से वंचित हो जाते हैं। हमें दरिद्र कह कर ठेस पहुंचाई जाती है और दूर कर दिया जाता है। तप्ती और ठन्डी बरसात में जो खेत और खलिहान में काम करता है, यदि उस विरासत को याद करें, तो छुआछूत की बात कह कर परे कर दिया जाता है। हम किस भारत की बात करना चाहते हैं और हम किस रूप में आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से हमारे साइंस ने तरक्की की है लेकिन सिर्फ उन 7-10 प्रतिशत लोगों के लिए की है। हम सुई से एरोप्लेन पर सात प्रतिशत लोग चढ़े हैं, हम सुई से ट्रेन पर पांच प्रतिशत लोग चढ़े हैं। राजधानी में कौन चढ़ता है, हम किस की कल्पना करना चाहते हैं? हम किस विरासत और संस्कृति की बात करते हैं, किस खेत की बात करते हैं? इस हिन्दुस्तान में पूंजीपतियों का जहां-जहां ठप्पा लगा, जहां-जहां सामंतवादियों का ठप्पा लगा वह हमारी विरासत हो जाती है, वह हमारी परम्परा बन जाती है।

महोदय, सिर्फ खेलों को लीजिए। चाहे हमारी खो-खो हो, कबड्डी हो, गांव में हमारी परम्परागत गदगदीनता हो, चाहे आल्हा उदल के गीत हों, चाहे सत्यवादी राजा हरीश चन्द्र का नाटक हो, हम अपनी संस्कृति से कहां भागते चले जाएं? इस सदन में बैठने वाले कितने इस भारत के नौजवान हैं, अगर राजा हरीश चन्द्र का नाटक शुरू कर दिया जाए तो कई प्रतिशत लोग देखने को तैयार होंगे। हम क्यों अपनी उस कबड्डी के, खो-खो के और उस गदगदीन तथा अपनी पुरानी विरासतों को भूल गए? *...(व्यवधान)* हम किस भारत में खड़े हैं? हम उस संस्कृति की विरासत की बात करते हैं जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीता को जिस तरह से सम्मान मिला और उसी देश में मुंबई में माइकल जैक्सन के डांस पर पूरे महाराष्ट्र की बेटियां और बहनें थिरकने लगती हैं, हम उस विरासत की बात करते हैं। माइकल जैक्सन किस विरासत की बात करते हैं वह जिस तकिए पर सोता है उसकी कीमत दो लाख रुपए होती है। आप किस विरासत की बात करते हैं? वह जिस बैड पर सोता है उसका डाक तीन लाख रुपये का होता है। महोदय, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। मुझे तो बहुत तकलीफ है, *...(व्यवधान)* पार्टी में भी शोषण होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपको अपना भाषण समाप्त करने के लिए एक मिनट का समय और बचा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: महोदय, हम एक तरफ नारी मर्यादा की बात करते हैं, हम एक तरफ महिलाओं के परम्परा की बात करते हैं और दूसरी तरफ बंगलौर में नारियों का खुला चित्रण करते हैं। वहां नारियों की पीठ दिखायी जाती है, पेट दिखाया जाता है, नाक दिखाया जाता है। *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में यह शामिल नहीं होगा। वह जो भी असंसदीय शब्द प्रयोग करेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: महोदय, ठीक है। हम अंतिम बात यह कहना चाहते हैं, हम बोलना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन समय कम है इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम आपको चार चीज बताना चाहते हैं। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया इसे न दोहरायें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: महोदय, आप यह चार बातें हमारी सुन लें। हम सदन से गुजारिश करेंगे। चार बातों में एक बात यह है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया इसे न दोहरायें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: महोदय, हम चार बातों को नोट करा देते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने जो पहले कह दिया है उसे न दोहरायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: महोदय, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा के सवाल पर इस सदन ने चिन्ता जाहिर की है। यदि आप जाति प्रथा के सवाल पर कठोर दंड के उपाय कर लें, यदि जाति प्रथा को खत्म कर दें, पार्टी के लोग यह तय करें कि अंतरजातीय विवाह नहीं होगा तो टिकट नहीं मिलेगा। यह तय करें कि नौकरी उसको नहीं मिलेगी जो अंतरजातीय विवाह नहीं करेगा। इसके लिए कठोर दंड की बात हो। दहेजों के चलते भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता, जब हम अपनी बेटी और बहन को बेचते हैं तो उस पर भ्रष्टाचार बढ़ता है। किसानों के दो सवालों को मैं कह देना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो गया है।

[अनुवाद]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे सिर्फ एक मिनट का और समय दिया जाए।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

महोदय, यदि किसानों को बिजली और सिंचाई की गारंटी दे दें तो आज हमारे देश की विरासत समाप्त नहीं होगी। इसकी सुनियोजित गारंटी है। हम शिक्षा के लिए बहुन्मुख शिक्षा की बात करें। कोई मतभेद न हो, असमानता न हो ...*(व्यवधान)* तो भ्रष्टाचार खत्म होगा और हम सदन में इस बहस के लायक होंगे तथा हमारा देश विकसित होगा। इसलिए हम इस सदन और चेयर से आग्रह करना चाहेंगे कि जाति प्रथा पर कठोर दंड, दहेज प्रथा पर फांसी और बलात्कारियों को सात साल की सजा नहीं बल्कि फांसी होनी चाहिए।

ये सारी चीजें अगर दंड में निहित की जाएं तो हमारी सहमति है।

किसानों के सवाल को हमें मुड़कर देखना चाहिए। दिल्ली हमारी परम्परा नहीं है, हमारी परम्परा गांव है, हमारी परम्परा गांव में रहने वाले 80 फीसदी किसान हैं। इसलिए इस सदन को गांव की तरफ देखना चाहिए जो बिलखते रहते हैं। बाढ़ आ जाए तो किसान की फसल बह जाए। सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि सदन अगर भारत की परम्परा को देखना चाहता है तो सदन को एक बार वहां जाकर किसान के सवालों को देखना होगा और तब उनका मूल्यांकन करना होगा। सभापति महोदय, मैं आपका अभिनंदन करता हूं।



श्री राजू राणा

श्री राजू राणा (भावनगर): सभापति महोदय, इस विशेष सत्र के अवसर पर आपने बोलने के लिए जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने आजादी के 50 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष में यह सत्र बुलाया है। उस संबंध में यदि एक आकलन देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि 1857 से लेकर 1947 तक 6 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी सेनानियों ने या तो फांसी का फंदा चूमा, छातियों पर गोलियां खाईं, जेल गये, सत्याग्रह किया या देश निकाला भोगा है। ऐसे क्रांतिवीर सेनानियों को मैं प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से तीन क्रांतिकारियों जिनका संबंध गुजरात से रहा है और जिन्होंने विदेशी धरती पर रहकर भी क्रांति का नेतृत्व किया है। ये हैं पंडित स्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा और मेरे परम पितामह सरदार सिंह जी राणा को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं इंडस्ट्री तक ही अपने विषय को सीमित रखना चाहता हूं। इन 50 सालों में हमने क्या खोया है और क्या पाया है इसकी चर्चा बहुत से माननीय सदस्यों ने की है। मैं अपनी चर्चा का लेखा-जोखा पढ़ने के आधार पर नहीं करना चाहता हूं। आने वाले समय में हमारी औद्योगिक नीति और उसके साथ-साथ क्या हो, उसके विषय में चिंतन और दिशा के आधार पर अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता हूं। किसी भी देश की चाहे आर्थिक और औद्योगिक नीति हो या कोई और नीति हो, उसका आधार उस देश का चिंतन और दर्शन रहता आया है। मिसाल के तौर पर यदि अमरीका को लिया जाए, जापान को लिया जाए, ईजराइल को लिया जाए तो इस देश की कोई भी नीति, उन देशों की जड़ें चिंतन, दर्शन और मनन में रही हैं।

सबसे पहली बात तो यह है कि औद्योगिक नीति, उसकी सुख-सुविधाएं, भौतिक और आर्थिक प्रगति पाने के लिए हमको भारतीय दर्शन और चिंतन के आधार पर ही हमें औद्योगिक नीति बनानी चाहिए। अमरीका ने भी आज जो प्रगति की है वह अपने चिंतन और मनन के आधार पर, अपने जीवन मूल्यों के आधार पर की है। जापान ने भी यही किया है, ईजराइल ने भी यही किया है। हम लोगों ने जो भी आज तक किया है उससे पाया भी है लेकिन आगे आने वाले कल के लिए हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारी जड़ों की ओर जाना पड़ेगा, उसकी तरफ पहल करने की आवश्यकता है। एक बार गोल सैट हो जाता है तो उसके बाद हम उसकी व्यवस्था की बात सोच सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उद्योग के संबंध में जब भी सोचा जाता है तो मैनेजमेंट को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। आजकल हमारे भारत से जितने भी उद्योग, छोटे-बड़े उद्योग, लघु उद्योग या पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर जो भी रहे हैं, उनका आधार, उनका मैनेजमेंट का सिस्टम के ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वह या तो अमरीका रहा है या जापान रहा है। यह अच्छी बात है। हम लोग पहले से ही मानते हैं। पूर्व काल से मानते आ रहे हैं कि सभी दिशाओं से अच्छे विचार हम को प्राप्त हों। हम दकियानूसी नहीं रहना चाहते। दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वे लेनी चाहिएं। अमरीका ने अपने आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अमेरिकन मैनेजमेंट विश्व को दिया है। अमेरिकन परिस्थिति में, अमेरिकन सामाजिक मूल्यों में, अमेरिकन जीवन में यह प्रस्तावित मूल्य के आधार पर यह मैनेजमेंट सिस्टम बना है। यह उनके लिए अच्छा है। उनके अच्छे तत्व हम लें। पूरे के पूरे न लें। पीटर टर्कर्स और टॉम पीटर्स जो हमारे मैनेजमेंट के गुरु रहे हैं, उन्होंने अमेरिकन मैनेजमेंट का यह चिंतन दिया है। जापान ने भी दिया है लेकिन अपनी जड़ के मुताबिक अपने चिंतन दर्शन के आधार पर उन्होंने अपना मैनेजमेंट बनाया है। हम लोग जापानी स्टाइल अपने उद्योगों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमेरिकन मैनेजमेंट के तत्व अपने मैनेजमेंट में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मात्रा में हम कामयाब हो जाते हैं लेकिन कुछ मात्रा में नहीं होते क्योंकि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो जीवन मूल्य है, हमारी जो सामाजिक मनोदशा है और खास करके हमारी जो सोशल साइकी जिसे कहते हैं, सामाजिक मानसिकता जो है, चिंतन की जो दिशा है, हमारे जो मूल्य हैं, वे उन देशों से भिन्न होने के कारण इस बात पर कुछ हद तक तो जा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि प्रबंधन में आपका भारतीय लोकाचार क्या है? प्रबंधन में हमारे मानव मूल्य क्या हैं? इस दिशा की ओर हम को चिंतन और मनन करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जिस कम्पनी से जुड़ा हूं, वह ऐक्सल इंडस्ट्री लिमिटेड मुम्बई में 1941 में प्रस्थापित हुई। सी.सी. श्रौफ ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। वह इसके फाउंडर थे। उन्होंने भारतीय चिंतन, मनन और दर्शन के आधार पर मैनेजमेंट स्टाइल प्रस्थापित किया है। हमने इतने सालों के बाद उसके अच्छे फल पाए हैं। ऐसा नहीं कि हमने जापानी और अमेरिकन मैनेजमेंट का आधार नहीं लिया है लेकिन हमारा तत्व, आधार जो रहा है वह इंडियन रहा है। राम कृष्ण मिशन, डिवाइन लाइफ सोसायटी, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके सन्यासी आजकल पूरे देश और दुनिया भर में इसका प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडियन स्टाइल का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए जैसे अमेरिकन और जापानी मैनेजमेंट

प्रस्थापित हुआ है, ऐसे भारतीय मैनेजमेंट का चिंतन क्या हो इस दिशा में उन्होंने काफी कुछ चिंतन और क्रियान्वयन किया है। आई.आई.एम. कलकत्ता के प्रोफेसर श्री एस.के. चक्रवर्ती हैं। वह 20 साल से एक ही विषय लेकर इस में आगे बढ़ रहे हैं। वह पूरे देश और दुनिया को एक नया मैनेजमेंट और स्टाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। औद्योगिक नीति बनाते समय वे अगले आने वाले समय के बारे में जो चिंतन और मनन कर रहे हैं, उसमें उनसे मदद, मार्गदर्शन और सलाह ली जा सकती है।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि टैक्नॉलोजी आनी चाहिए। हमको पिछड़ा नहीं रहना है। जो टैक्नॉलोजी हमारे पास नहीं है, उनका उपयोग करने के लिए हमें बाहर से उसे लाना चाहिए। जब-जब हम टैक्नोलॉजी की चिंता और बात करते हैं और सोचते हैं तो हम ट्रैडिशिनल विजडम को भी नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। हमारा टैक्नॉलोजी प्लस ट्रैडिशनल विजडम जो है वह मिला दिया जाए और उसके आधार पर चिंतन-मनन करके नीतियां बनायी जाएं। खास करके जो औद्योगिक नीति बनती है, वह प्रोग्रैस और प्रॉसपैरिटी लाकर हमें अच्छे रास्ते पर ला सकती है।

मैं चौथी बात यह कहना चाहता हूं कि मल्टीनेशनल कारपोरेशन्स और कम्पनीज के आधार पर अभी प्रगति की जो चकाचौंध रोशनी हमें दिखायी पड़ रही है उसमें अगले कुछ सालों में धुंधलाहट आने लगेगी। उसके परिणाम आने अभी शुरू हुए हैं। भारत में छोटे उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग के आधार पर अपनी औद्योगिक नीति बनाएंगे उसका ऐसा मतलब नहीं कि हमें बड़े उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जहां यह टैक्नालाजी कम पड़ती है, वहां ये उद्योग आयें लेकिन रोजमर्रा की उत्पन्न वस्तुओं को लघु और कुटीर उद्योगों से लेना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि डबल ड्यूटी के माध्यम से हम पर मानसिक दबाव डाला गया है कि भारत में एक बड़ा बाजार है जबकि ग्लोबल मार्किट में उसका यह एक भाग है। भारत की पब्लिक मार्किट मान रहे हैं। क्या हम अपनी उद्योग नीति ऐसी बना सकते हैं जिसके आधार पर यह कह सकें, यह प्रस्थापित कर सकें कि हम मार्किट नहीं हैं। हमारा देश सबसे बड़ा बाजार नहीं है। लेकिन आज अपने यहां पापूलेशन पर चर्चा हो रही थी। क्या इस औद्योगिक नीति के आधार पर ऐसा हो सकता है? हमारे यहां विश्व के सबसे अधिक विनिर्माता हो सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब हम ट्रेडीशनल विजडम और स्माल स्केल इंडस्ट्री का महत्व समझें और लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग को मानें।

अंत में एनवायरमेंट एक अलग विषय है लेकिन इंडस्ट्री और एनवायरमेंट दोनों बिल्कुल जुड़े हुये हैं। एक बात और कहनी चाहिए जो हमारे चिन्तन में ऐसी है, एनवायरमेंट का एक्सप्लायटेशन आज की दशा को बता रहा है और वही हमारी समस्या का मूल कारण है। उसका एक्सप्लायटेशन न करके उसका दोहन करके अपनी इंडस्ट्री की नीति बनायेंगे तो आने वाले कल का भारत हमारे लिए मजबूत होगा।

सभापति महोदय, अंत में हमारे अतीत के गौरव और अनुभव के आधार पर वर्तमान की पीड़ा और समस्याओं का विश्लेषण करते हुए आने वाले भविष्य के लिए युगानुकूल समाज की रचना और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के भागीरथ कार्य को सम्पन्न करने में उद्योग को इस दिशा में हम लोग यदि प्रवृत्त करें तो आने वाला कल हमारे लिये उज्ज्वल होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।



श्री सौम्य रंजन

[अनुवाद]

श्री सौम्य रंजन (भुवनेश्वर): सभापति महोदय, मैं दो कारणों से आपका धन्यवाद करता हूं। एक तो इसलिए कि आपने मुझे एक अनूठा अनुभव दिया। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि सुबह 5.30 बजे मैंने कभी किसी से बात नहीं की। यहां तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने माध्यम से उपस्थित तथा यहां से जा चुके सदस्यों से और साथ ही समग्र देश से बात करने का मौका दिया। यह अनूठा अनुभव इस मायने में है कि मैं नवागंतुक हूं तथा पहली बार बोल रहा हूं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दस मिनट से अधिक का समय लूंगा। यह बात मैं सिर्फ आपकी जानकारी में ला रहा हूं।

पिछले एक वर्ष और चौदह माह के दौरान तथा आज इस विशेष सत्र के छठे दिन का मेरा जो अनुभव रहा है उससे बहुत कुछ पता लगा है। एक नए सदस्य के रूप में जब हम अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो कभी-कभी मैं यह महसूस करने लगता हूं कि शायद हम सही स्थिति को उजागर करने में असफल रहे हैं। सामान्यतया जब हम 40 से अधिक आयु के हो जाते हैं तो हमें साफ-साफ पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता होती है। तो कभी-कभी 40 वर्ष की आयु के बाद सही स्थिति को आंकने के लिए सही नजरिया नहीं बनाते हैं इसलिए हम आने की चेतावनी नहीं समझ पाते हैं।

परन्तु मैं पुन: हैरान हूं कि दलगत मतभेद और व्यक्तिगत विद्वेष होने के बावजूद हमने करीब 100 भाषण सुने होंगे। यदि हम पुराने भाषणों की बारीकी से जांच करें तो यह देखा जा सकता है कि लगभग 80 प्रतिशत मुद्दों पर हमारा मतैक्य रहा है। राजनैतिक दृष्टि से हम किसी के भी खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं परन्तु श्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अंत में दिये जाने वाले भाषण जो कि अब से कुछ ही मिनटों में दिये जायेंगे। आपको लगेगा कि 80 प्रतिशत लोग लगभग हर बात पर सहमत रहे। वे इस बात पर सहमत रहे कि जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। वे मानते हैं कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े और निर्धन लोगों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। वे इस बात से भी सहमत हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और पेय जल हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। वे इस पर भी सहमत हैं कि भारत की एकता और संसद की सम्प्रभुता सर्वोपरि है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि जब तक हम युवाओं, बेरोजगार और निर्धनों के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को एकजुट नहीं रख पायेंगे।

जहां हम बहुत सी बातों से सहमत हैं वहां माननीय अध्यक्ष के भाषणों में परिलक्षित विषमता और अन्तर्विरोध भी क्षुब्धकारी है। अध्यक्ष महोदय ने इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि हमारे देश में राजनीति और प्रजातंत्र किस तरह से सफल हुए। वर्ष 1952 में मात्र 45 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 1996 में 60 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्थिरता का मूक सूचक है। शायद यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा प्रजातंत्र परिपक्व हो चुका है परन्तु इसके साथ ही लगभग हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि राजनीतिज्ञों ने विश्वसनीयता खो दी है यहां तक कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी यह कहते हुए पत्र लिखा है कि हमें इस सभा की गरिमा पुन: प्रतिष्ठित करनी चाहिए। इस मुद्दे पर भी हम सभी सहमत हैं कि हम अध्यक्ष के आसन के पास नहीं जाएंगे हम प्रश्न काल में बाधा नहीं डालेंगे। हम अपनी संस्थाओं में बाधा नहीं डालेंगे और अस्थिरता नहीं आने देंगे। यह बहुत रोचक है कि एक तरफ हमारे सम्मुख जितने भी मुद्दे हैं हम उन सब पर सहमत हैं फिर भी हम अपने आचरण के विपरीत कार्य करते हैं तथा हम अपने आप पर भी शंका कर रहे हैं। यह एक विषमता है जो हर विचारशील व्यक्ति को क्षुब्ध करती है।

इस विषमता को कैसे समाप्त किया जाए? क्या किया जाना चाहिए आज हमारे सभी राजनीतिज्ञों सभी संस्थाओं ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है? एक वाक्य में हमारी राजनीतिक प्रणाली की मुख्य समस्या परम्पराओं को तोड़ना है। लगभग हर एक व्यक्ति परम्पराओं को भंग कर रहा है। तदर्थवाद हमारा नियम बन गया है। वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और बहुत ही कामयाब है जो नियमों को तोड़ सकता है न कि वह जो नियमों का पालन करता है यह एक नई प्रवृत्ति बन गयी है। यदि मैं कोई नियम नहीं तोड़ सकता तो मैं किस तरह का राजनीतिज्ञ हूं। यदि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं जो सामान्यतया संभव नहीं है तो मैं किस तरह से प्रभावकारी व्यक्ति हूं। यह नया नियम बन गया है। तदर्थवाद भी एक नया नियम है तथा पूरा देश इस संकट से आक्रान्त है।

संक्षेप में मैं कहूंगा कि देश प्रबंधकीय संकट से आक्रान्त है। हम किसी भी चीज की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं। हमारे पास वास्तविक समस्याएं हैं। हम मुद्दों पर जोर देते हैं। हमारे पास उपबंध भी हों परन्तु किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ गलत बात हो जाती है तथा हम स्थिति को संभालने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। नेतृत्व का संकट है। जवाबदेही का संकट है। ये सब चीजें हमारे सभी स्वप्नों को साकार करने के विरुद्ध जाती है।

मैं जो कि स्वाधीनता के बाद पैदा हुआ था वर्ष 1947 की भावना उस तरह से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हूं जिस तरह से अन्य चाहते हैं। मैं स्वयं यह कल्पना नहीं कर सकता हूं कि 1947 में इस सम्मानित सभा में क्या हुआ होगा। पहले हमने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस के कुछ भाषण सुने थे जो पुराना अनुभव देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरा अनुभव भिन्न है। वह मेरे लिए इतिहास है। मैंने इसे पुस्तकों से पढ़ा है।

मैं राजनीति शास्त्र पढ़ा रहा था परन्तु मैं आज राजनीति शास्त्र पढ़ाने से डरता हूं। यदि कोई आज मुझसे कहे कि विश्वविद्यालय में दुबारा जाकर पढ़ाओ तो मैं कहूंगा कि कृपया मुझे ऐसा करने के लिए न कहें ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जिन कक्षाओं में जो पढ़ा रहा था वह भिन्न था। यदि आज मैं वही विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो वे बस यही कहेंगे

[हिन्दी]

बकवास करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष के बारे में मैंने हमेशा अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया है कि अध्यक्ष वह होता है जो सबसे कम बोलता है। अब हम दूरदर्शन पर देखते हैं कि अध्यक्ष हमेशा व्यवस्था बनाये रखने के लिए बोलता है। वह सबसे अधिक बोलते हैं मैंने एक सप्ताह में आकलन किया और यह पाया कि अध्यक्ष महोदय सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को फुसलाने अथवा किसी पर दबाव डालने अथवा किसी को परामर्श देने अथवा चेतावनी देने के लिए इतनी अधिक बार बोले जितनी बार कोई भी सदस्य नहीं बोला। इसलिए सभी पद राज्यपाल की तरह के नहीं हैं जैसा कि पुस्तकों में पढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

गुरुजी जो पढ़ाते हैं वह तो होता नहीं। प्रधान मंत्री के बारे में किताबों में जो लिखा है वह तो होता नहीं है।

[अनुवाद]

उसमें एक विरोधाभास है। जो युवक इस देश को सम्मान देते हैं वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

अंत में बहुत कम लोगों ने राष्ट्र की एकता के बारे में उल्लेख किया है। यह कहना बहुत ही ठीक है देश एकजुट है अनेकता में एकता है, भारत का अतीत महान रहा है, इसकी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि असम के कुछ मित्रों के द्वारा किये गये कुछ उल्लेखों को छोड़कर वास्तव में हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे देश की एकता को किस बात से खतरा है। दिल्ली से बाहर के अधिकतर लोग यहां अपने आपको अकेला महसूस करते हैं ऐसे लोगों की अपेक्षा केवल यह कहकर नहीं कर सकते कि वे संकीर्ण विचारों के हैं और राष्ट्र विरोधी हैं अथवा वे ऐसे लोग हैं जो समस्या को नहीं समझ पाए हैं। अभी समस्या तो आकांक्षा की है। क्षेत्रीय आकांक्षा सिर उठा रही है क्योंकि उनकी बहुत सी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं।

केन्द्र राज्य के बीच संबंध, राज्य की वित्तीय शक्तियों, राज्यों के विकास करने हेतु अवसर की ओर देखें। सभा के इस ओर के लोग पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं। यहां लगभग प्रतिस्पर्धात्मक पिछड़ापन जैसा ही है। हम पिछड़ेपन के लिए मुकाबला कर रहे हैं; यदि मैं अपने आपको पिछड़ा कहूं, तो संभवत: मुझे अधिक से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन हम अभी तक व्याप्त क्षेत्रीय पिछड़ेपन के संबंध में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। मेरा केवल यही अनुरोध है कि सामाजिक पिछड़ापन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन से

ज्यादा क्षेत्रीय पिछड़ापन महत्वपूर्ण है। यदि एक सामाजिक व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ जाता है अथवा ऊपर उठ जाता है तो उससे क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता है। इसके विपरीत यदि आप पिछड़े क्षेत्र का विकास करते हैं तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का स्वत: ही विकास हो जायेगा। इसलिए उन लोगों का, जो पिछड़ेपन को सामाजिक पिछड़ेपन के रूप में ले रहे हैं, मुख्य मानदंड विकास संबंधी गतिविधि है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें पहले क्षेत्रीय पिछड़ेपन के बारे में सोचना चाहिए। आपके द्वारा सामाजिक पिछड़ेपन को प्रमुख स्थान देने पर राजनैतिक रूप से सभी कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी क्षेत्रीय पिछड़ापन बना रहता है तो सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं और भी कई बातें कही जा चुकी हैं।

मैं मुख्य विषयों के संबंध में संवैधानिक संशोधनों के बारे में एक मुद्दा और रोजगार के बारे में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। युवा लोग भाषण नहीं सुनना चाहते। अधिकांश युवा लोग बेरोजगार हैं। हम भाषणों में केवल यही कहते हैं कि 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं लेकिन कृषि का विकास नहीं किया जाता है। आप उर्वरक की प्रति व्यक्ति खपत, विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत और उर्वरता की प्रति व्यक्ति खपत को लीजिए। पंजाब और उड़ीसा अथवा यहां तक कि बिहार भी एक दूसरे से इतनी दूर हैं मानो वे दो भिन्न देश हों। वे कितना उर्वरक इस्तेमाल करते हैं और हम कितना करते हैं? कितनी सिंचाई की जाती है? कितने ट्रैक्टर हैं? कितना यंत्रीकरण किया गया है? लेकिन लोग अब और आगे कृषि नहीं करना चाहते। युवा भी नहीं, स्नातक युवक नौकरी पाने के लिए अपने स्थानों को छोड़कर शहर आते हैं। युवा लोगों को इसमें अवश्य सहयोजित किया जाना चाहिए।

अंत में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के पास पांच एकड़ भूमि है, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अनुपस्थित भूस्वामीवाद की प्रथा चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति भूमि का मालिकाना हक चाहता है। वे दोनों लाभ चाहते हैं। वहां उत्पादकता कम है। अधिकांश लोगों के पास भूमि का मालिकाना हक नहीं है। इसलिए अन्य कई ब्यौरों के बारे में सोचा जा सकता है।

अंत में, हमारे आर्थिक पिछड़ेपन की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या लागत का बढ़ जाना है। एक पुल का निर्माण किया गया है। एक मंत्री जी उसकी नींव रखते हैं। एक दूसरे मंत्री इसका निर्माण करवाते हैं और कोई और मंत्री संभवत: उसका उद्घाटन करते हैं। जबकि किसी भी प्रकार की परियोजना के निर्माण में तीन वर्ष से अधिक समय नहीं लग सकता।

[हिन्दी]

आपके पास जितना पैसा है उतना ही बनाइये। दो पुल बन सकते हैं, पहले तीन चार महीने कम्पलीट कीजिए।

[अनुवाद]

10 करोड़ रु. की एक परियोजना शुरू की जाती है और जब तक वह पूरी होती है वह बढ़कर 50 करोड़ रुपये अथवा 100 करोड़ रुपये अथवा 200 करोड़ रुपये की हो जाती है। सभी सिंचाई परियोजनाओं *सभी आधारभूत परियोजनाओं और उन सभी परियोजनाओं पर जिनके* बारे में हमने विचार किया है उनकी लागत बढ़ जाने से वे प्रभावित हुई है। उसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति जवाबदेह नहीं है।

[हिन्दी]

हम आये अपना कर दिये, कमीशन लिया और चल दिये, यह जो चक्कर है जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे इसका नतीजा बुरा होगा।

[अनुवाद]

आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे और आपके माध्यम से सभा के सभी सदस्यों से यह सोचने का आग्रह करता हूं कि युवा लोगों को किस प्रकार एक किया जाये, प्रादेशिक क्षेत्रों और उसके आस-पास के क्षेत्रों को किस प्रकार एक किया जाये और उन लोगों को कैसे एक किया जाये जो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण देश के शेष भागों से भिन्न सोच रहे हैं।



श्री राधा मोहन सिंह

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका प्रदान किया। मैं अपने मतदाताओं के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 11वीं लोक सभा में भेजकर यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त कराने में मुझे सहयोग दिया। आजादी के 50 वर्ष के बाद हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और उस अवसर पर विशेष रूप से हम यहां समवेत हुए हैं। 15 अगस्त, 1947 को अपने देश को आजादी मिली थी, लेकिन हम सब भूल गये हैं। लेकिन विचार करना पड़ेगा आजादी के 50 वर्ष के बाद कम से कम हमें जब आगे बढ़ना है तो पीछे भी देखना पड़ेगा।

सभापति जी, हमें सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है, तो वर्तमान में खड़े होकर हमें अपने अतीत की ओर भी झांकना होगा। 15 अगस्त, 1947 को देश को आजादी मिली थी, लेकिन खंडित आजादी मिली। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जब आजादी प्राप्ति के किनारे पर आए, तो उसके पूर्व देश के अंदर एक खास समुदाय के

लोगों ने आन्दोलन छेड़ा कि हमारे लिए एक अलग देश बनाओ जिसका परिणाम हुआ खंडित आजादी मिली। एक पाकिस्तान बना और दूसरा हिन्दुस्तान। दोनों के अपने-अपने संविधान बने। हिन्दुस्तान का संविधान बना, उसमें पहला वाक्य लिखा ''सर्वधर्म समभाव''। पाकिस्तान का संविधान बना, उसमें पहला वाक्य लिखा गया ''धार्मिक स्टेट'' ''पाकिस्तान इस्लामी राज्य है''। हिन्दुस्तान के संविधान में लिखा गया सर्वधर्म समभाव, यानी हम सब धर्मों का आदर करेंगे, तो कोई गलती हमने नहीं की और करते भी नहीं क्योंकि हमारी एक संस्कृति है जिसके अंदर सबके आदर का भाव है। हमारी संस्कृति सदियों पुरानी संस्कृति है। हमारी इस पुरानी संस्कृति का उदाहरण आज भी हमारे गांव में मिलता है कि हम साल में एक बार अपने दुश्मन को भी दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर नाग को दूध पिलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति जो आज गांवों में विद्यमान है उसी का परिणाम है कि हमने सबको आदर का स्थान अपने संविधान में दिया। हमारी माताएं जब घरों में रोटी बनाने के लिए बैठती हैं और जब आटा गूंथती हैं और यदि सामने से चींटी गुजरती है, तो आटे का टुकड़ा तोड़कर चींटी के सामने डाल देती हैं। यह हमारी संस्कृति और उसका परिणाम कि सभी धर्मों का आदर करने की बात हमने अपने संविधान में लिखी। अब जब अपना संविधान बना और जब अपना राज हुआ स्वराज हुआ, तो इस विरासत को हम भूलने लगे। तिलक को हम भूलने लगे, गोखले को हम भूलने लगे। हम भूलने लगे महात्मा गांधी को और 50 वर्ष आते-आते हम भूल गए सरदार पटेल को मौलाना अबुल कलाम आजाद को। हमारे ऊपर मानसिकता छाने लगी मैकाले की, हमारे ऊपर मानसिकता छाने लगी लार्ड क्लाइव और जार्ज पंचम की, जिन्ना की और हम अपनी संस्कृति को भूलते गए। हम फंसते गए भोगवादी संस्कृति में। बाबर की संस्कृति में औरंगजेब की संस्कृति में, आक्रमणकारियों की संस्कृति में, पाश्चात्य देश की भोगवादी संस्कृति में और उसी भोगवादी संस्कृति में फंसने का परिणाम आज भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है।

सभापति जी, पांच दिनों से हमें इस सदन में देश के सारे नेताओं को सुनने का अवसर मिला है। देश के प्रधान मंत्री को सोमवार को सुनेंगे। इन पांच दिनों में हमें अपने देश के तीन पूर्व प्रधान मंत्रियों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय नरसिंह राव जी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा लंबा-चौड़ा मार्गदर्शन से भरा हुआ उनका भाषण था। विदेश की चर्चा हुई, देश की चर्चा हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। स्वाभाविक है अपने देश की भी संस्कृति है। कोई भी पतिव्रता नारी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहती। चन्द्र शेखर जी ने भ्रष्टाचार की चिन्ता की थी। देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी चिन्ता नहीं की थी बल्कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर जिस भ्रष्टाचार के बारे में कहा था उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की थी और कहा कि हिन्दुस्तान विश्व का सबसे ईमानदार देश है। मैं इससे सहमत हूं क्योंकि यहां की 95 प्रतिशत जनता ईमानदार है, किन्तु इस 95 प्रतिशत जनता की ईमानदारी का कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि व्यापक जनता की यह ईमानदारी, पांच प्रतिशत लोगों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की कैदी बनी हुई है।

सभापति महोदय, सच तो यह है कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे वे अफसर हों या राजनीतिज्ञ, पांच प्रतिशत लोगों का भ्रष्टाचार 95 प्रतिशत मेहनतकश जनता की ईमानदारी पर ही पल रहा है। अभी हाल में ही इंडियन इंस्टीट्यट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन की प्रथम वक्ता श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा ने कहा कि देश की बिगड़ती हुई स्थिति के लिए राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं। इस देश की जनता को विदेशियों ने कई सौ साल तक लूटा उससे कहीं ज्यादा यहीं के शोषक ने मात्र 50 वर्षों में लूटा है। अब उसका परिणाम हमारे सामने है। भ्रष्टाचार के कारण देश के विकास की गति ठप्प है। आजादी के 50 वर्षों के बाद की यह उपलब्धि है। हम तो आजादी के वातावरण में पैदा हुए हैं, लेकिन बाप-दादाओं के मुंह से कहानी सुनते हैं कि जब यह देश गुलाम था, तो गांव का एक आदमी एक रुपया पाकेट में रखता था। हाट-बाजार जाता था और एक बोरा गेहूं खरीदकर लाता था। आज हमारी यह उपलब्धि है कि हम एक बोरा और एक रुपया लेकर जाएं, तो एक रुपये में एक बोरा भूसा भी मिलना मुश्किल है। बाप-दादा कहानी कहते हैं कि जब हम गुलाम थे, तो एक रुपये में पूरे तन को ढांकने के लिए हम बाजार से वस्त्र खरीद लेते थे, लेकिन आज पूरे बाजार में घूम जाएं, हमारी 50 वर्ष की आजादी की यह उपलब्धि है कि एक रुपए में नाक पोंछने के लिए एक रुमाल भी नहीं खरीद सकते हैं।

सभापति जी, यह हमारी कैसी आजादी है, देश के लाखों भाई, जो दवा बनाने की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके जवान बेटे, दवा के अभाव में तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। इसलिए नहीं कि दवाखाना नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि उनकी पाकेट में दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हमारे लाखों भाई जो सूरत और मुम्बई जैसे शहरों में कपड़ा बनाने के कारखानों में काम करते हैं, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों ऐसे कामगार हैं जो कपड़े बनाने की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन जब हम उनकी हालत देखते हैं, तो पाते हैं कि नंगे बदन सड़क पर घूमते हैं। इसलिए नहीं कि कपड़ा पहनना नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि उनकी पाकेट में पैसा नहीं है। यह पैसा है कहां? रत्नगर्भा यह देश, जहां दूध की नदियां बहती थीं, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। पैसा जा कहां रहा है? जो जनप्रतिनिधि है, जो उच्च पदों पर बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी पाकेट में जा रहा है। यह विषमता देश के अंदर है और इस विषमता का परिणाम हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो रहा है।

सभापति महोदय, बिलकुल साफ है कि कृषि के मामले में आज हमारी क्या स्थिति है। शासकीय भंडार में भी आज अनाज 2.75 लाख टन संग्रह हो गया और उसमें अब अधिक अनाज रखने की जगह नहीं है। शासन ने 45 लाख टन अनाज को निर्यात करने का निर्णय लिया है। एक लाख टन अनाज हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने नामिबिया को भी भेंट किया है, लेकिन गांव में लोग भूखे मर रहे हैं। कालाहांडी जिले में, वनांचल के इलाके में दोनों जून रोटी उपलब्ध नहीं हो रही है। देश की 75 प्रतिशत जनता कुपोषण से पीड़ित है। इसमें 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र के हैं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

डा. राधा मोहन सिंह: अभी तो पांच मिनट हुए हैं। इतना अन्याय न किया जाए। एक तो हम रातभर बैठे हैं।

सभापति महोदय: नहीं एक मिनट में खत्म कीजिए।

डा. राधा मोहन सिंह: सभापति जी, हमारी 50 साल की आजादी की क्या प्रगति है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। 1984 में प्रति व्यक्ति 346 किलोग्राम अनाज की उपलब्धता थी जो 1993 में घटकर 303 किलोग्राम रह गई है। देश में दाल की उपलब्धता 1952 में 75 ग्राम प्रति व्यक्ति थी जो 1994-95 में घटकर 34.8 ग्राम रह गई है। यह सारा धन कहां जा रहा है। हमारे देश की यह क्या हालत है। पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों हेतु आबंटित धन, कुल उपलब्ध राशि का 6.7 प्रतिशत था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में तीन प्रतिशत रह गया। उसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना में जो कुल निवेश था वह 11.5 प्रतिशत था, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 0.6 प्रतिशत रह गया है। हमारी 50 वर्ष की आजादी का यह दृश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रत्येक देश को सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम पांच प्रतिशत खर्च अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में केन्द्र एवं राज्यों का कुल स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.5 प्रतिशत है।

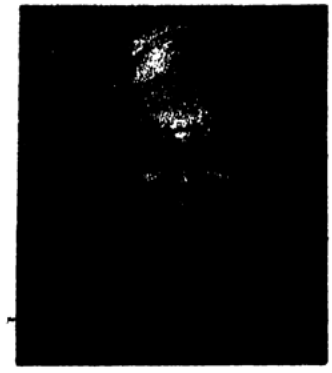
प्रातः 6.00 बजे

जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्यप्रद योजना खर्च 3.3 प्रतिशत है जो कि 1994-95 के केन्द्रीय योजना में घटकर 0.8 प्रतिशत रह गया। मैं आपके माध्यम से इस सदन और देश का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आज आई.एस.आई. की गतिविधियां देश में बहुत बढ़ रही है। इस पर हमें चिन्ता होनी चाहिए। 50 वर्ष आजादी को हो गये और हम अपने दुश्मनों को अपने देश के अंदर आने से नहीं रोक सके। सीमा की बात तो छोड़ दें। आज नेपाल उनकी गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इस देश के अंदर भागीरथ बड़ी तपस्या करके गंगा को धरती पर लाये थे। बंगलादेश के साथ जल समझौता किया गया और जिस बात की कभी कल्पना नहीं की थी कि गंगा भी सूख सकती है। आज पटना के किनारे जहां गंगा की गर्जना सुनाई पड़ती थी, कोसों दूर तक बालू के टीले दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल महीने में समरिया के अंदर गंगा को पैदल पार किया जा रहा है। इसकी कल्पना नहीं की थी। राजनेताओं ने पाप किया। बंगलादेश के साथ समझौता किया और उसका प्रायश्चित गंगा कर रही है।

आजादी के इस 50 वर्ष के अवसर पर मैं सदन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि उस समझौते को रद्द करे क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित गंगा करे, शायद यह देश के लिए दुर्भाग्य का दिन होगा। इसी के साथ मैं लोकपाल विधेयक की चर्चा करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय: आप समाप्त करिये।

श्री राधा मोहन सिंह: इस बार भी लोकपाल का विधेयक विस्तृत विचार के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके अध्यक्ष के पास देश भर से जो पत्र आये हैं, वह आंख खोल देने वाले हैं। लोग यह मानकर चलते हैं कि राजनेता भ्रष्ट होते हैं। ...*(व्यवधान)* उनकी मांग है कि प्रधान मंत्री से लेकर सभी सांसदों को, सभी राजनेताओं को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। लोकपाल को उनके बारे में छान-बीन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए और दोषी माने जाने पर इस राजनेता को दंड देने का अधिकार भी उस लोकपाल को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकपाल बैठकर उसकी रिपोर्ट सरकार को दे और सरकार आराम से सो जाये। यह होना चाहिए कि हर वर्तमान और भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों को सार्वजनिक रूप से ऐलान करना चाहिए था कि उन्होंने जब राजनीति में प्रवेश किया था तब उनकी आर्थिक हालत क्या थी और आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। इसके बाद लोकपाल सी.बी.आई. की मदद लेकर या अन्य जांच एजेंसियों की मदद लेकर सच का पता लगाने का प्रयास करे। भ्रष्ट राजनेताओं एवं अफसरशाही को अब स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि देश में नौजवानों की एक नयी पीढ़ी तैयार हो गयी है जो भ्रष्टाचार, बेईमानी और धोखाधड़ी बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी (श्रीनगर): चेयरमैन साहब, आदरणीय स्पीकर साहब ने भारत की आजादी की 50वीं सालगिरह पर जो स्पेशल सैशन बुलाया है, मैं उसके लिए उनको दिली मुबारकवाद पेश करता हूं। हम सभी यहां पर भारत की 50वीं सालगिरह पर पार्लियामेंट के इस स्पेशल सैशन में पिछले 50 वर्षों में हमने क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं।

अपने मुल्क की खुशहाली और तरक्की पर हम सब अपने-अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। इस तरफ खासकर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क हमेशा दुनिया में शांति और खुशहाली के लिए दावत देता रहा है। हिन्दुस्तान दुनिया के सभी मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता है। इसको बढ़ावा देने के लिए और भी जरूरत

है। हम सभी जानते हैं कि मुल्क की आजादी के बाद से लेकर अब तक 11 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं और कई बार सूबों के इलेक्शन भी हो चुके हैं। इसमें हमने देखा है कि अवाम धीरे-धीरे मुल्क को मजबूत करने के लिए बिना किसी खौफ के अपने ताऊन दे रही है। हिन्दुस्तान की 80 फीसदी आबादी किसान की है जोकि मुल्क की तरक्की के लिए अपनी पैदावार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार को भी पूरी मदद करने की जरूरत है ताकि मुल्क पैदावार के सैक्टर में खुशहाल हो। ये मुल्क बाहर से अनाज हासिल कर रहा था पर आज यह सूरते हाल है कि भारत दूसरे मुल्कों को अपना अनाज दे रहा है। भारत ने अनाज के मामले में काफी तरक्की की है जो एक फख्र की बात है। मेरा सुझाव है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए इकदामात करने की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ा सके।

जहां तक मुल्क की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ताल्लुक है, 1948 में केवल छः इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देश में थीं लेकिन आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि इस मामले में मुल्क ने काफी तरक्की की है। इसे बढ़ावा देने की तरफ खास तवज्जह देने की जरूरत है ताकि इससे बेरोजगारी का खात्मा हो सके और मुल्क तरक्की भी कर सके।

जहां तक मुल्क के तालिमयाफ्ता नौजवानों का ताल्लुक है, रोज-ब-रोज उनकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह मुल्क के लिए काफी तकलीफ की बात है। उनके लिए नौकरियों का पूरा बंदोबस्त करने की जरूरत है जिसकी तरफ सरकार को खास तवज्जह देनी चाहिए।

मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, आप सबको यह पता है कि उस रियासत की मिलिटैंसी की वजह से काफी तबाही हो चुकी है, काफी नुकसान हुआ है। इमारतें जलाई गई हैं, पुल जलाए गए हैं, रियासत में बेकारी और बेरोजगारी काफी हद तक बढ़ गई है। बेकार नौजवानों के रोजगार के लिए आज तक कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। मेरा मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर की इस रियासत की तरफ, जो मिलिटैंसी की वजह से बर्बाद हुई है, खास तवज्जह देने की जरूरत है। हुकुमत ने उसके लिए खास पैकेज का जो ऐलान किया था, आज तक वह पैकेज भी मुहैया नहीं किया गया है। उसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसे पूरे तौर पर मुहैया किया जाए।

जम्मू कश्मीर टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है। मरकजी हुकुमात के लिए मरकमजात जो रियासत में हैं, वे बंद पड़े हैं, उनको फिर से बहाल किया जाए जिससे वहां की बेकारी और बेरोजगारी दूर हो सके।

एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। जहां तक महिलाओं का ताल्लुक है, उनको हक देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है ताकि उनको एक खास मुकाम हासिल हो। उसकी तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं।



श्री अंचल दास

श्री अंचल दास (जाजपुर): माननीय सभापति जी, मुझे पांच दिन के बाद अधिवेशन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। 50 साल के बाद स्वर्ण जयन्ती मनाने के अवसर पर पहले देश की आजादी की लड़ाई में महापुरुषों के त्याग और कुरबानी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ऐसा अधिवेशन को आज छठा दिन पहुंचा है।

जो चर्चा हो रही है, इसमें देशवासियों के लिए अच्छा मैसेज जा रहा है। जब आगामी दिनों में इन सारी बातों पर कुछ काम किया जायेगा तब यह देश बदलने वाला है। हमारा देश गांवों का देश है, जहां 85 प्रतिशत लोग रहते हैं। गांधी जी का गांव पंचायत, जिला परिषद को आगे बढ़ाने के लिए जो सोच और सपना था, पिछले 50 साल में उसको अलग ढंग से लिया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने शहरों पर देश में ज्यादा ध्यान दिया और धनराशि खर्च की है, मगर गांव के लिए प्लानिंग करते वक्त जो कुछ धनराशि दी है, वह खर्च जो मजबूरी में हो सकता है, फिर वापस आकर शहर में लग जाता है। ग्रामांचल में प्लान और पेपर में खर्च दिखा देते हैं। शहर और गांव को देखने से यह पता चलेगा कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि डाउन ट्रॉडेन लोगों को ऊपर उठाने से देश आगे बढ़ेगा। उनका जो चिन्तन था वह सारा संविधान और कागज कलम में रह चुका है। जो लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वे अपनी मर्जी से काम चलाने का काम करते हैं, संविधान और कानून अपनी जगह पर रह जाते हैं। देश के लिए जिन लोगों ने जान दी है, वे लोग सिर्फ गांधी जी, विवेकानन्द, महात्मा बुद्ध, महावीर की नीति बोलते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जेब में पैसा ले जाने का काम करती है और देश के लिए झूठ-मूठ की बात करते हैं। अपने आप की पार्टी के लिए एक संगठन बनाते हैं, नारा लगाते हैं कि सारे जहां से अच्छा या सबसे ज्यादा जहां से बुरा, ऐसा करते हुये 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन काम अधूरे रह गये हैं। आजादी के बाद जिनको देश के लोग इण्टैलीजेंशिया और फार्वर्ड क्लास बोलते हैं, उन लोगों ने कभी भी अपनी तरफ से पिछड़े लोगों के लिए कभी भी कुछ मदद नहीं की। इसके बावजूद जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, इन लोगों के लिए दी गईं, इसका पूरा इस्तेमाल भी इन लोगों ने नहीं होने दिया, उल्टे लूटकर अपनी सम्पत्ति बढ़ाई है।

पिछले 50 साल के अन्दर देश की सम्पत्ति पर कुछ लोगों की इसलिए जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वे लोग अपनी शर्त से बचकर

पिछड़े लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करते तो आज भारतवर्ष की *स्वरूप अलग होता और जो मेरा भारत महान नारा लगाते हैं, भारत जो* जरूर महान है, लेकिन जो नारा लगाने को बोलते हैं, वह नहीं है। मगर इस देश का तथाकथित शिक्षित और अमीर समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अगर इनका कोई पड़ौसी भूखा मर रहा है तो आंख बन्द करके बोल रहे हैं कि इनके कर्म से ये भूखे मर रहे हैं। यह हमारी भिज्ञता, महानता और जातीयता की बंदना है, तब देश कैसे आगे बढ़ेगा। अमीर गरीब का बड़ा अन्तर रहेगा। लेकिन मानवता और महानता की असमानता समाप्त नही होगी।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महानतम तो देश के सभी लोगों को मिला नहीं पाये, आज तक गांव के रहने वाले पीने का पानी तालाब और गड्ढे से लेकर पीते हैं, एक-दो दिन में भी खाने को एक बार रोटी नहीं मिलती, शरीर ढकने को कपड़ा नहीं है, रहने को जगह और झुग्गी भी नहीं है। हमारे राज्य उड़ीसा में आज भी लोग भूख से मरते हैं, जंगल में नंगे भी रहते हैं। वहां बड़े प्रधान लोग आते रहते हैं, हमारे गरीब भाईयों की झोपड़ी टूट जाती है और बनवानी पड़ती है। भूमिहीन लोगों को जमीन देने में आज सरकार को 50 साल हो गये हैं, कितने परसेंट को दी है, सभी को मालूम है।

शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की ग्रामांचल में इतनी बुरी हालत है, फिर भी सरकार ने अपने बजट में दो परसेंट पैसा रखा है। उसमें शहर के बड़े-बड़े कालेज, मैडीकल फैसिलिटी, उद्यान ज्यादा रखते हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल में बच्चे को जन्म देने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है। अगर अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है। इससे मरीज की हालत खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता कि कितने दिन तक यह राज चलेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बारे में यहां भाषण करके कोरे आंसू बहाए जाते हैं। लेकिन किसी का काम करने को दिल नहीं करता। हमें आजाद हुए पचास साल हो गए हैं, लेकिन नौकरियों में आरक्षण हम पूरा नहीं कर पाए हैं, केवल दो से तीन प्रतिशत तक ही हम पहुंचे हैं। पता नहीं कितने साल और हमारे हक को पूरा करने में लगेंगे? यह आज की आवाज है, बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है, प्रमोशन का भी पूरा नहीं हो रहा है। एक्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग साइंस और तकनीकी में, इंजीनियरिंग में और डाक्टरी में योग्य हैं, लेकिन इंटरव्यू में गड़बड़ी करके बोल देते हैं कि सूटेबल केंडीडेट नहीं है इसलिए इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं, पता नहीं कितने दिन और यह नाटक चलेगा।

ज्यूडशरी में हम लोगों का आरक्षण होना जरूरी है। देश में जितने गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको एक्यूस्ड करके जेलों में बंद कर देते हैं। देश में सर्वे हो तो पता चलेगा कि कितने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के लोग जेलों में बंद हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 85 प्रतिशत ये गरीब लोग जेलों में कैद हैं। वे इसलिए बंद हैं, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिलता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वित्तीय निगम है, लेकिन उसमें भी बड़ा घपला है। लोन का क्राइटेरिया ऐसा है कि लोन देते नहीं हैं। *जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वे बैंकों से लोन लेते हैं और कुछ सालों* के बाद उनके लोन को राइटआफ कर दिया जाता है, क्योंकि वे कर्मचारियों को पैसा खिला देते हैं। इससे देश की अर्थनीति तबाह हो रही है।

हमारी सरकार साल में एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दे रही है। लेकिन उसमें से गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता है। गैस पर, पैट्रोल पर जो सब्सिडी दी जाती है, वह बड़े-बड़े लोगों के लिए होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए। इसलिए कि अर्थनीति जितनी बढ़ती जाती है, ग्रामीण अंचल में उतनी ही घटती जाती है। गांव में मेहनत करने वाले लोगों को रोटी नहीं मिलती, कमाई के लिए अवसर नहीं मिलते। मेहनती लोगों को कोई चांस नहीं मिलता। लिस्ट में भी मेहनती लोगों का नाम नहीं होता। इसलिए सरकार का इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है।

गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती पर और कुटीर उद्योगों पर निर्भर हैं और उससे अपना जीवनयापन करते हैं। लेकिन हम अभी तक गांधी जी के सपनों को साकार नहीं कर पाए हैं। उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हरियाणा, पंजाब में एक जिले में करीब एक लाख चालीस हजार लिफ्ट पाइंट हैं, लेकिन हमारे पूरे उड़ीसा राज्य में टोटल चालीस हजार भी लिफ्ट पाइंट नहीं होंगे। इसलिए हमारे राज्य में हर साल सूखा पड़ता है।

सरकारी नौकरी में हमारे लोग इंटरव्यू देते हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जो पैसे वाले आदमी होते हैं, उनसे पैसा लेकर उनका चयन कर दिया जाता है। इसी कारण देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आजकल समाज में बुरा काम करने वालों में इसी कारण हमारा पढ़ा-लिखा नौजवान मजबूरी में फंसता जा रहा है और उनको असामाजिक तत्व तक कहा जाता है। ये लोग मजबूरी में क्राइम के पेशे में आ जाते हैं और नेता लोग भी कभी-कभी इनकी मदद कर देते हैं। धीरे-धीरे ऐसे लोग राजनीति में आ जाते हैं। यहां काफी सदस्य राजनीति को अपराधीकरण पर बोल चुके हैं, लेकिन सारे दलों को इस पर सोचना चाहिए और इसके विरुद्ध लड़ाई करना जरूरी है।

इंडियन पिनल कोड प्रोसीजर का संशोधन करना जरूरी है। क्योंकि यह डिलेइंग प्रोसीजर है और एक्यूस्ड, एविडेंस और विटनेस को मैनिपुलेट किया जाता है इसलिए 95 प्रतिशत केस एक्विटल हो रहे हैं। सारे देश में शराब पीना बंद करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाना बहुत जरूरी है। देश में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, वे सब शराब पीने की वजह से हैं और इसी कारण से रेप, मर्डर, ल्यूमिलिएशन, डकैती आदि घटनाएं होती हैं तथा इसके कारण सारे नौजवान समाज विरोधी तत्व बन जाते हैं।

देश के कुछ राज्यों में शराब बंद हो चुकी है। उसे सारे देश में बंद होना चाहिए। आज जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, अगर सारे देश में इस संबंध में कोई नया कार्यक्रम चालू नहीं करेंगे तो हम *चीन से भी ज्यादा हो जाएंगे और समस्या इसमें वही पैदा होती है।* राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री जी ने सैन्ट्रल हॉल में घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी। सारे देश की धनराशि को विकास के लिए शामिल करना होगा। हम संसद के सांसद अपनी प्रोपर्टी लिस्ट सदन के सामने रखें जिससे पूरे देश को पता चलेगा कि देश के भ्रष्टाचार में कौन हैं? लोकपाल बिल को जल्दी से जल्दी लाकर पास करना चाहिए। जो भी समस्याएं पिछले पचास साल में हो चुकी हैं, उनको सामने रखकर और देश के नेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनको सामने रखना होगा और उनके सपनों को साकार करने के लिए, शपथ लेकर मानवता के विकास के लिए काम करना होगा।



डा. राम लखन सिंह

डा. राम लखन सिंह (भिंड): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे ऐसे समय में चुनकर भेजा है कि जब पूरा देश और यह सदन आजादी के बाद पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है। उसी के साथ आज इस पचासवें वर्ष में हमने कितना विकास किया और जो नहीं कर पाए हैं, वह क्यों नहीं कर पाए हैं, इसके ऊपर चर्चा चल रही है और उसमें हिस्सा लेने के लिए आपने जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही पार्टी के नेताओं ने मेरा नाम भेजा है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।

अंतुले जी ने एक बात कही थी कि कम से कम इस देश की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, वे लोग जहां-जहां के रहने वाले थे, जिस गांव के रहने वाले लोग थे, उन गांवों में कम से कम वहां पर उनके नाम का स्तम्भ या उनके नाम से कोई ऐसी चीज बननी चाहिए थी जो आगे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रहे। यह हमारा दुर्भाग्य है या जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उन लोगों का दुर्भाग्य है कि मैं जिस गांव से आया हूं, उस गांव के 101 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। उस गांव का यह दुर्भाग्य है या कुर्बानी देने वाले लोगों का दुर्भाग्य है कि आज तक उस गांव में रास्ता नहीं बन पाया है। वहां आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इससे बड़ा हमारा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? जहां एक तरफ कांग्रेसी मित्रों ने विकास की बहुत बात की है, मैं उन्हें बता सकता हूं कि विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि सारी दुनिया से जो हमने कर्जा लिया है और इस देश से जो हमने टैक्स के रूप में जनता के द्वारा पैसा लिया है, उस पैसे को एक तरफ रखें और दूसरी तरफ इस देश के विकास के नक्शे को रखें और फिर दोनों में तुलना करें कि उसमें कितना विकास हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर इसकी तुलना की जाएगी तो दस प्रतिशत से ज्यादा विकास नहीं हुआ है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में सात गांवों का दौरा किया है। मैं ज्यादा नहीं घूमा हूं। मैं पूरा प्रदेश नहीं घूमा हूं, देश की बात तो और है। उन गावों में एक भी गांव ऐसा नहीं है, जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हों। जैसे पीने के पानी की व्यवस्था है, जहां हम रहते हैं वहां आने-जाने का रास्ता, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, औषधालय का इंतजाम और विकास के लिए बिजली का इन्तजाम। किसी भी परिवार के विकास के लिए इन पांच बुनियादी चीजों की आवश्यकता होती है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में एक भी चीज ऐसी नहीं है, जो गांवों में पहुंच गई हो। पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो या पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो या स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो या आने-जाने के रास्ते ठीक हों—एक भी काम ठीक ढंग से नहीं किया गया है। पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, तो पता लगा कि टैंक तो बन गया है, लेकिन पाइप लाइन नहीं डाली है। पाइप लाइन डाली है, तो डी.पी. नहीं रखा है और डी.पी. रखा गया है, तो पता चला कि वह तीन सालों से फुका पड़ा है। कहीं पर आने-जाने का रास्ता बनाया है, तो वहां पर मिट्टी नहीं डाली है और अगर मिट्टी डाल दी है, तो वह बरबाद हो गई है। एक गांव में तो बीस साल से रोड बनी हुई है, लेकिन उस रोड पर एक पुलिया बनानी थी, उसका निर्माण नहीं हुआ है। इस कारण लोगों को पानी में से होकर जाना पड़ता है। हम संसद सदस्यों को जो इन कामों के लिए एक करोड़ रुपया मिलता है, उसमें से अब पैसा दिया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी काम किए गए हैं, वे ठीक मन से और ठीक ढंग से नहीं किये गये हैं। पैसा बराबर खर्च हुआ है।

महोदय, चम्बल घाटी डाकुओं के नाम से बहुत बदनाम हैं। मुरैना तो बहुत ही बदनाम है। वहां पर तीन सड़कें बनाने के लिए केन्द्र से पैसा दिया गया। जब मैं विधान सभा में था, दिसम्बर, 1994 को एक प्रश्न के माध्यम से मैंने पूछा था, वह सड़क 27 किलोमीटर लम्बी है, कि इस रोड पर कितना पैसा खर्च किया गया है और यह कब तक पूरी हो जाएगी? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उस 27 किलोमीटर लम्बी सड़क पर एक करोड़ 80 लाख रुपए दिसम्बर, 1994 तक खर्च हो चुके हैं। उस सड़क पर आज भी साइकिल से एक किलोमीटर नहीं जाया जा सकता है। रेविन्स रोड का कैसे निर्माण होना चाहिए, वह तो गांव का आदमी भी बता सकता है। एक तरफ चीफ इंजीनियर से लेकर नीचे तक सारे लोगों ने देखा, एस्टीमेट बना, काम हुआ, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वहां पर कल्वर्ट बनाने चाहिए। यह तो गांव का एक

साधारण आदमी भी बता सकता है। मैंने उनसे कहा, जब आपको पता नहीं है, अनुभव नहीं है कि रेविन्स पर रोड कैसे ले जानी है, तो पता किया जा सकता था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी काम किए गए, ठीक ढंग से नहीं किए गए। वैसे आदमी पैरों के बल चलता है, लेकिन यह सरकार सिर के बल चलती है। जो भी योजना बनीं, अधूरे मन से बनी और इस तरह से बनी कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा पैसा खाया जा सकता है। किसी भी काम के लिए हम संसद निधि से पैसा देते हैं। दसवीं लोक सभा से हमारे आदरणीय योगानन्द सरस्वती जी थे, उन्होंने भी पैसा दिया। इस बारे में चिट्ठी भी लिखी गई। प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हो पाई। तीन साल हो गए हैं, कई काम तो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। मेरा इस सदन से अनुरोध है कि कम से कम एक ही काम कर लें। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे भाषण दे रहे हैं। 15 अगस्त को भी भ्रष्टाचार के बारे में कहा है, अच्छी बात है। अपने प्रतिनिधि सम्मेलन में किसी कारण से दे नहीं पाए थे। अगर उनका मन साफ है तो इस 50वीं वर्षगांठ पर एक ही मामला तय कर लें कि कम से कम सांसदों को जो पैसा दिया जा रहा है उसकी मोनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था हो जाए। हम देख रहे हैं कि इसमें से 25 प्रतिशत पैसा भी नहीं लग रहा, हम जान रहे हैं उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टर को बार-बार चिट्ठी लिखते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। कहीं भी, कोई भी काम उठा कर देख लें, कहीं पर शिक्षा का मामला उठा कर देख लें तो पता चलेगा कि कहीं पर स्कूल हैं तो भवन नहीं है और भवन हैं तो छत नहीं है, अगर सब कुछ है तो पता चला कि मास्टर नहीं है और मास्टर हैं तो आते नहीं हैं।

महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले एक गांव में गया तो वहां कमरा बना हुआ था, उसमें ताला लगा हुआ था। उसके बीच में चिड़िया ने घोंसला रखा हुआ था। हमने पूछा कि यह कब से नहीं खोला तो कहा कि जुलाई में मास्टर साहब आए थे उसके बाद नहीं आए। हमने कहा कि इसको खोलो, हमने वहां देखा, सरपंच ने घोंसला उठाया उसमें चिड़िया के अंडे रखे थे। यह हालत शिक्षा की है। मुलायम सिंह जी बोल रहे थे कि मैं महिलाओं का बहुत शुभचिंतक हूं। कानपुर में अभी तीन लड़कियां जहर खाकर मर गई तो एक लाख रुपया दे आए तथा कहीं दूसरी जगह पर कुछ लोग मर गए तो 50 हजार रुपया दे आए। आप कितनी महिलाओं को एक लाख या 50 हजार देंगे। अगर स्थायी हल सोचना है, अगर मन में ईमानदारी है, आप सरकार में बैठे हैं आप किस से कह रहे हैं, किस को बता रहे हैं? आप सरकार में बैठे हैं आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप कोई कानून बनाइए। अभी कोई संशोधन विचार के लिए आया है उसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दी, लेकिन इसके करने से क्या होने वाला है? अभी आपके प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है? आज एक तरफ प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, पता नहीं कितनी एजेंसियां चला रखी हैं जिसमें करोड़ों रुपयों का फंड है। ...*(व्यवधान)* महोदय, एक-दो मिनट और बोलने के लिए दें, मैं दो रात से बैठा हूं।

महोदय, तीन करोड़ रुपया किसी जिले को जाता है और तीन व्यक्ति साक्षर नहीं होते। मेरा यह अनुरोध है कि जहां आप एक ओर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, आने वाली जेनरेशन के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो वहां आप आज प्रौढ़ों को पढ़ा कर क्या करेंगे? आप पढ़ा भी नहीं पाएंगे, सिर्फ यह फर्जी मामला चल रहा है, कागज पर चल रहा है। पूरा पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों की जेबों में जा रहा है। अगर ईमानदारी से करना है तो आप कर दो, यह तय कर दो कि पूरे देश की लड़कियों को अनिवार्य रूप से हाई स्कूल तक शिक्षा देंगे। अगर आपने यह कर दिया तो आपका पूरा समाज पढ़ कर तैयार हो जाएगा। आपके पूरे समाज की तमाम बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी, लेकिन यह सदन जो इतने दिन तक चार-पांच दिन तक लगातार दो रात तक बैठा है, अब जब सोमवार को यह सदन उठे तो कोई संकल्प लेकर उठे कि हम बुनियादी सवालों पर कोई फैसला करके उठेंगे और फिर कोई भी सरकार रहे, चाहे कोई स्थिर सरकार रहे या अस्थिर सरकार रहे लेकिन पूरे दुनिया के सवालों पर एकमत होकर हमेशा एक साथ चलेंगे, यह बात कह कर उठना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा। भिंड-मुरैना बहुत बदनाम जिले हैं लेकिन उसका एक ही पहलू इस देश की मीडिया ने पूरे देश के सामने रखा कि वहां पर डाकू पैदा होते हैं लेकिन किसी ने कभी यह सोचा कि डाकू क्यों पैदा होते हैं। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा दूसरा पहलू यह है कि भिंड जिले में किसी भी गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसका एक व्यक्ति मिलिट्री में, सेना में न हो और एक नाहरा गांव है वहां पर 1965 से लेकर 1971 तक 60 लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गये।

उन 60 विधवाओं में से कई महिलाओं के एक-एक बच्चा है और उन महिलाओं ने उस बच्चे को जवान होने पर सेना में भेजा है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां का यह पहलू कभी उजागर नहीं हुआ है, देश के सामने नहीं आया है।

मै एक बात और कहना चाहता हूं। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था तो एक सेना के अधिकारी की पत्नी ने हमें एम.पी. पहचानकर एक कांगज दिया, जिसमें उसने अनुरोध किया था कि उसका ट्रांसफर करा दो। मैंने कहा कि भई मेरी तो सरकार नहीं। उसने मुझे बताया कि मेरी शादी हुए 11 साल हो गये हैं लेकिन इन 11 सालों में मैं 11 दिन भी अपने पति के साथ नहीं रह पाई हूं। उसने बताया कि जहां पर मेरे पति होते हैं वहां पर सेंट्रल स्कूल तो होता है लेकिन वहां पर मेरा ट्रांसफर नहीं होता है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मुलायम सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग देश के लिए लड़ते हैं क्या उनके लिए मानवीय आधार पर इतना भर नहीं हो सकता। आप महिलाओं की बात करते हैं।

मेरा आखिरी सवाल है जिस पर मैं बोलना चाहूंगा। सरकार ने रोजगार देने के लिए कहीं भी प्रयास नहीं किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने चलाए गए हैं लेकिन कहीं पर भी आई.टी.आई. कालेज नहीं खोला जा रहा है जबकि कारखानेदार लोगों की पहली डिमांड यह रहती है कि तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए तभी हम उसे रोजगार देंगे।

लेकिन स्थानीय लोगों को तो रोजगार देते ही नहीं है, जबकि भिंड के विकास के नाम पर, पिछड़े जिलों के विकास के नाम पर करोड़ों-अरबों रुपये सब्सिडी के नाम पर खाए जाते हैं। सब्सिडी लेकर कारखाना डाला, सब्सिडी खा गये, उस जिले की बिजली खा गये, उस जिले के किसानों को मिलने वाला पानी पी गये, लेकिन उसके बाद भी वहां के लोगों के लिए रोजगार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें और कुछ कारगर कदम उठाएं।



श्री पवन सिंह घाटोवार

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़): सभापति महोदय, हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर यह ऐतिहासिक विशेष सत्र बुलाने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

यह खुशी मनाने, याद करने, चिन्तन करने, आगे बढ़ने तथा अपने महान राष्ट्र के प्रति स्वयं को समर्पित करने का समय है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपिता, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, गोपीनाथ बुर्डले, कनक लता और अनेक अन्य लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं। जिन्होंने हमारे महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है तथा कष्ट उठाए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में हमारी उपलब्धियों, हमारी कमियों के संबंध में आत्म विश्लेषण के बारे में बताया है तथा भविष्य के लिए हमारे लिए कार्यसूची निर्धारित की है। यदि हम अपने देश की उपलब्धियों की सूची बनायें तो इस देश के किसानों को धन्यवाद देना होगा जिन्होंने हमारे महान देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। खाद्यान्न हमारे आर्थिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीति के अनुसार गठित हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों का योगदान हमारी औद्योगिक सफलता का आधार स्तम्भ है। उदारीकरण के नाम पर हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

मेरे विचार से सरकार को हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त सहायता देते रहना चाहिए।

स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा उठाया गया एक मुख्य कदम बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। पहले धनी लोग बैंकों को चलाते थे और यह धनी लोगों के लिए ही होते थे किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक सीमान्त किसानों, लघु उद्योगों और अन्य लोगों की सहायता करने लगे हैं। महोदय, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। सरकार को इस नीति को गम्भीरता से लेना होगा तथा इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करना होगा।

हम देश के लिए किये गये इन सभी योगदानों को सदैव प्रसन्नता के साथ याद करते हैं किन्तु इसके साथ-साथ हमें अभी गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगरी, जनसंख्या विस्फोट और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार जैसी हमारी अनेक बुनियादी समस्याओं का समाधान करना है।

महोदय, हमारे स्वाधीनता के 50वें वर्ष में अभी भी 3230 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और लगभग 2260 लाख लोग प्रतीक्षा में हैं कि उन्हें पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। यही नहीं, हमारे देश में अभी भी 1970 लाख अशिक्षित नागरिक हैं। उद्योग एवं कृषि को अभी भी पर्याप्त बिजली की व्यवस्था करना बाकी है और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

महोदय, हमारे देश में सिंचाई एक मुख्य चिंता का विषय है क्योंकि अगले 10 से 12 वर्षों में हमें और 50 करोड़ लोगों का पेट भरना है। मेरे विचार से, हमें अपने कृषकों को और अधिक कृषि उत्पादन करने के लिए तैयार करना होगा और उन्हें प्रोत्साहित करना होगा।

महोदय, मेरे विचार से जनसंख्या विस्फोट हमारे देश की मुख्य असफलताओं तथा प्रबल समस्याओं में से एक है। जब मैं जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करता हूं तो मैं केरल के लोगों को बधाई देता हूं, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की समस्या का उपयुक्त तथा अधिक बेहतर तरीके से इसका समाधान किया है। आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में सभी चीन की बात करते हैं जबकि वास्तव में जनसंख्या के बारे में केरल का कार्यनिष्पादन चीन के कार्यनिष्पादन से अधिक बेहतर है। जनसंख्या नियंत्रण में मुख्य कारक महिलाओं को साक्षर करना है। चीन के 73 प्रतिशत की तुलना में केरल में महिला साक्षरता 86 प्रतिशत है जबकि पूरे भारत में यह 39 प्रतिशत है।

महोदय, यह मुख्य सामाजिक बुराइयों में से एक है कि हमारी जनसंख्या के लिंग-अनुपात में लड़कियों की संख्या घट रही है। दस साल पहले, 1000 पुरुषों की तुलना में हमारे यहां 934 महिलाएं थीं। परंतु कुछ ही वर्ष पहले 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 927 थी। यह सामाजिक पूर्वाग्रह हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। घटता हुआ लिंग अनुपात निश्चय ही एक खतरनाक संकेत है और इन सभी आंकड़ों के पीछे है, एक संकीर्ण सामाजिक तस्वीर।

स्वामीनाथन समिति ने 1981 और 1991 के बीच कुछ निराशाजनक स्थिति का जिक्र किया है। हमारे देश के चार राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश का हमारी जनसंख्या में 42 प्रतिशत योगदान है। मेरे विचार से इन राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थिति बहुत ही खराब है।

महोदय, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस गरिमायुक्त सदन का ध्यान अपने क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर आकर्षित करूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र कभी भी न तो मुगल शासन के अधीन रहा और न ही गुप्त शासन के अधीन। यह हमेशा स्वतंत्र रहा। वर्ष 1826 में यांदाबो संधि के पश्चात् यह ब्रिटिश शासन के अधीन आया। इससे पहले संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वाधीन था। 1947 में जब हमारे राष्ट्रीय नेता स्वतंत्रता समारोह मनाने की तैयारी कर रहे थे तब पूर्वोत्तर क्षेत्र के कांग्रेस नेता गंभीर विचार-विमर्श कर रहे थे क्योंकि उस समय कैबिनेट मिशन असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल के साथ मिलाने की योजना बना रहा था। उन्होंने इस चेष्टा का सशक्त विरोध किया था। जब वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास गए, तो उन्होंने कांग्रेस-नेताओं से पूछा, ''क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि न्याय के लिए कांग्रेस का भी विरोध करना?'' उन्होंने कांग्रेस नेताओं को प्रोत्साहित किया था और उन्होंने कैबिनेट मिशन की पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बंगाल में मिला देने की योजना को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। विभाजन के बाद स्थिति बहुत ही रोषपूर्ण हो गई थी।

इसके पश्चात् साइरिल रेडक्लिफ आयोग बनाया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता के तीन दिन पश्चात् चार थाने दिए थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हमेशा सहमत रहे हैं। विद्रोह की समस्या तो 1947 से ही आरंभ हो गई थी। वर्ष 1960 में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में नागा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और उन्होंने नागालैंड में शांति स्थापित करने की चेष्टा की। यह कहते हुए मुझे बहुत खेद है कि बहुत से लोग दिल्ली में इस बात को नहीं समझते कि जब हम अपने राज्य में जाते हैं तो हमें एक अन्य देश से गुजरना पड़ता है। जब हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलगाड़ी से जाते हैं तो हमें चिकन्स नेक से होकर गुजरना पड़ता है। केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र ही हमारे देश का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो चारों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। जैसाकि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंधी अनेक समस्याएं हैं। दिल्ली नेतृत्व ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्णरूप से नहीं सराहा है। इसी कारणवश पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग अप्रसन्न हैं। मैं लोगों द्वारा अस्त्र-शस्त्र उठाने, भूमिगत होने समस्याएं उत्पन्न करने और निर्दोष लोगों की हत्या करने का कभी भी समर्थन नहीं करता हूं परंतु सच्चाई यही है।

प्रत्येक वर्ष असम, एक बार नहीं परंतु तीन या चार बार, बाढ़ों से तहस-नहस हो जाता है। यदि हम पानी को रोक लें तो मेरे विचार से हम पूरे देश को जल-विद्युत दे पायेंगे। परंतु इस बात ने भी हमारे आयोजकों का ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस ओर से लोगों का इधर आगमन, मुख्य समस्याओं में से एक है। यह भय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मन में निहित है। वे यह महसूस करते हैं कि यदि सीमा के उस ओर से आगमन यूं ही होता रहा तो, वह अल्पसंख्य हो जाएंगे। भारत सरकार ने बंगलादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने का वादा किया था। लेकिन आज तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए, मेरा यह निवेदन है कि भारत सरकार को बाढ़ लगाने का कार्य पूरा करना चाहिए। उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त मंत्रिमंडल समिति स्थापित करनी चाहिए। यदि संविधान में किसी संशोधन करने की आवश्यकता हो, तो मैं समझता हूं कि उन्हें इस दिशा में कार्य करना चाहिए।

समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार का ध्यान पूरे भारत में बागान मजदूरों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनकी गिनती कृषि मजदूरों के बाद की जाती है। बागान श्रम अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए लगातार मांग की जाती रही है। जब मैं श्रम उप-मंत्री था तो मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था। वह अभी सरकारी फाइल में विचाराधीन है। इसे राज्य सभा द्वारा पहले ही पास किया जा चुका है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं और मांग करता हूं कि उसको बागान श्रम (संशोधन) विधेयक पास करना चाहिए। उन्हें कृषि मजदूरों के लिए कृषि श्रम विधेयक तथा निर्माण मजदूरों के लिए एक अन्य कानून बनाना चाहिए।

हमारे साथियों द्वारा निर्वाचन सुधार विधेयक, लोक-पाल विधेयक तथा अन्य सुधारों का जिक्र किया गया है। हमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, निरक्षरता, जनसंख्या नियंत्रण, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय के अनुसार बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों को भी बदला जाना चाहिए। हमें अपनी पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए और सही निर्णय लेने चाहिएं।

इस मुकाम पर मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू का उद्धरण देना चाहूंगा, उन्होंने कहा था:

> ''हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की अभिलाषा हर आंख के हर आंसू को पोंछना है। हो सकता है कि यह कार्य हमारे बूते से बाहर हो, लेकिन जब तक आंसू और कष्ट हैं तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा।''

इस महत्वपूर्ण क्षण में, आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम इस गरिमायुक्त संसद के सदस्य पूर्ण विनम्रता से भारत तथा उसके लोगों की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं और हम यह ध्यान रखेंगे कि यह प्राचीन भूमि संपूर्ण विश्व में उच्च स्थान प्राप्त करे और विश्व शांति तथा मानव-कल्याण की उन्नति के लिए अपना पूर्ण और स्वेच्छा से योगदान प्रदान करे। हम अपनी प्यारी मातृ-भूमि से गरीबी, बेरोजगारी भूख, बीमारी तथा निरक्षरता के संपूर्ण उन्मूलन के लिए भी प्रण करते हैं।



श्री रामशकल

[हिन्दी]

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले लोक सभा अध्यक्ष माननीय संगमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र बुलाकर खुले मन से सभी सांसदों को बोलने का मौका दिया। मैं उन सभी महापुरुषों और क्रान्तिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया।

आज आजादी के पचास सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर चिन्तन करने का अवसर है। अभी हमारे कांग्रेस के नेता उपलब्धियों की एक लंबी कहानी कह रहे थे। उनकी उपलब्धियों के बारे में चार पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा।

"वह सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा।
खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा।"

आज भी इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेकारी, भुखमरी और बेरोजगारी है। आज हम आम आदमी के पेट की भूख नहीं मिटा पाए हैं, झोपड़ियों को चिराग नहीं दे पाए हैं। जिस देश में लाखों लोग पेड़ की छाया में रहते हैं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक ही समय भोजन कर अपना गुजर-बसर करते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, अपार धन संपदा इस देश में थी लेकिन आज जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 9000 रुपये का कर्जा लेकर जन्म लेता है। आज कर्जे का ब्याज देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इस देश का प्रधान मंत्री कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता और सरकार में बैठे लोग जिन्होंने इस देश के ऊपर इतने वर्षों तक शासन किया। इसी देश में कश्मीर के ढाई लाख लोग दिल्ली में तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है? किस बात की सजा वे भुगत रहे हैं? आज पचास साल में हम गो-हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। गाय इस देश का बहुत बड़ा पशुधन है। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है और हम गाय की एक-एक चीज को पवित्र मानते हैं, लेकिन आज इस देश में लाखों गाय रोज काटी जा रही हैं, हजारों कत्लखाने इस देश में हैं। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं किसान का बेटा हूं और उनकी पीड़ा को जानता हूं। खून-पसीना एक करके किसान खेती करता है पर कभी पाला पड़ गया, कभी सूखा पड़ गया और कभी बाढ़ आ गई। मिलता क्या है? खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, पानी का दाम बढ़ा दिया गया। अपने उपज का लागत मूल्य किसान तय नहीं कर सकता। कोई दूसरा व्यापारी जो प्रोडक्शन करता है वह अपने प्रोडक्ट की लागत मूल्य तय करता है और मार्केट में लेकर भी जाता है। लेकिन किसान का दर्द समझने को कोई तैयार नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान को हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिएं, हर प्रकार की सब्सिडी मिलनी चाहिए, हर प्रकार की खाद और डीजल सस्ते दाम पर मिलने चाहिए। किसान इस देश का मालिक है, किसान इस देश का राजा है। अगर हम खेती को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम सही मायनों में किसान के साथ न्याय नहीं करेंगे।

सभापति जी, अभी हमारे सदन के नेता माननीय पासवान जी ने दलितों और पिछड़ों की बात कही। मैं बड़े साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि घृणित राजनीति करना बंद करो। जाति-बिरादरी के नाम पर समाज को बातों में मत बरगलाओ, तोड़ो मत। हम सब भारत माता की संतान हैं। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। सबकी धमनियों में एक ही रक्त प्रवाहित है। हम जानते हैं जिन बिरादरियों के बड़े लोग छोटे लोगों का बैठना पसंद नहीं करते। छोटे लोगों के यहां पानी पीना पसंद नहीं करते, छोटे लोगों के यहां शादी करना पसंद नहीं करते। लोगों के वोटों के नाम पर समाज को बरगलाने का और बांटने का काम बंद करो। यदि सही मायने में समाज के प्रति आपकी हमदर्दी है, आप जाति-बिरादरी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो कोई विद्यालय खुलवा दीजिए, धर्मशाला खुलवा दीजिए, कोई छात्रावास बना दीजिए। यदि आपमें हमदर्दी, वेदना और पीड़ा है तो जो माताएं और बहनें जलाई जा रही हैं, दहेज लेना बंद करो इस प्रकार के अनर्गल आलाप से समाज को बांटने का काम मत करो।

सभापति महोदय, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या इस देश की राष्ट्रीय समस्या है। कुछ बंधुओं को कष्ट होता है कि जनसंख्या पर रोक लगाना उनके कुरान शरीफ में नहीं लिखा है। क्या हमारी गीता में लिखा है। लेकिन यह देश की समस्या है इसलिए हमको इस समस्या के साथ लड़ना पड़ेगा। आगे आकर कठोरता के साथ इसको रोकना पड़ेगा और राष्ट्रीय भाव के साथ सहयोग करना पड़ेगा। शिक्षा को मौलिक अधिकार के साथ जोड़ना पड़ेगा और भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी को मिटाना होगा। कश्मीर के विस्थापितों को पुन: बसाना होगा। गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। कृषि को लघु उद्योग का दर्जा देना होगा। रोजगार को मौलिक अधिकार में जोड़ना होगा। छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से इस देश का विकास हम कर पायेंगे। पिछले वर्ष के लोक सभा के चुनाव में पूरे देश के लोगों को लगने लगा था कि भाजपा की सरकार होगी और देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। इस देश की तकदीर और तदबीर बदलेगी। लेकिन जो लोग एक दूसरे को गाली देते

थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, उन सारे लोगों ने भाजपा को रोका है। हमने तो श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही को भी देखा है, राजीव गांधी की लहर को भी देखा है, श्री वी.पी. सिंह के तूफान को भी देखा है और आज जो कुछ भी हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। अंतिम विजय हमारी ही होगी। हमने जहां पर ठोकर मारी है वहीं से पानी निकला है। इतना ही मेरा निवेदन है।



श्री महावीर लाल विश्वकर्मा

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग): माननीय सभापति महोदय, हम लोग कई दिनों से देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ उत्साहपूर्ण विचार भी आये हैं और कुछ ऐसे विचार भी है जो कि देश के लिए चिंता के विषय हैं। जब हम देश के विषय में सोचते हैं तो हमको और भी आगे तक का विचार करना होगा और वास्तव में जो अंग्रेजी में कहावत है-

[अनुवाद]

राजनीतिज्ञ आगामी चुनावों के बारे में सोचता है, लेकिन राजनेता अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है।''

[हिन्दी]

इसलिए हो सकता है कि आज हम कई चीजों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। आज कई चीजों में हमें अनुत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि हम अगली पीढ़ी पर चिंतन करेंगे तो अवश्य ही अनेक समस्याओं को सुलझा लेंगे और इसलिए जो राष्ट्र की अगली पीढ़ी को बनाने की चिंता करते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वही राष्ट्र वास्तव में दुनिया में अनेक संघर्षों से जीवित रहता है और प्रगति करता जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय के इंग्लैंड के प्रमुख चर्चिल महोदय थे। वे अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते थे और जर्मनी की सेना के कुछ गुप्तचर पता लगाया करते थे कि चर्चिल की आगे क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं। एक दिन जर्मन गुप्तचर ने देखा कि अनेक नावें इंग्लैंड से निकलकर बाहर किसी टापू की ओर जा रही हैं। उन लोगों ने पता लगाना चाहा कि आखिर इन नावों में क्या ले जाया जा रहा है, चर्चिल की आगे कौन सी योजना है। तो पता लगा कि उसमें कुछ छोटे बच्चों को बैठाया जा रहा है और उनके साथ कुछ शिक्षकों को भी भेजा जा रहा है। तो चर्चिल जैसी हिम्मतवाला आदमी जो 'वी' से विकटरी कहा करता था, जो इतने बड़े विश्व युद्ध में कहा करता था कि हम विजय प्राप्त करके रहेंगे।

प्रातः 7.00 बजे

सभापति महोदय, चर्चिल बड़ी हिम्मत से लड़ रहा था, लेकिन उसके मन में भी आया कि मान लिया किसी प्रकार की हमारी कमजोरी हो गई और हम हार गए, तो हमारी आगे की पीढ़ी यदि सुरक्षित रही, आगे की पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का भाव यदि जगा रहा, उसके अंदर देश की कल्पना जागृत रही, तो हम अवश्य इस युद्ध में आगे विजयी होंगे। इसलिए हमें आगे की पीढ़ी के लिए विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में जो शिक्षा की पद्धति चल रही है, उसमें खास कर के जो छोटे बच्चों की शिक्षा है, उसकी बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से जीतकर आया हूं उसमें बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं। मैं जब घूमता हूं, तो बड़ी चिन्ता होती है। वहां पर विद्यालयों का बहुत बड़े पैमाने पर अभाव है। छोटे बच्चे पढ़ने लिखने की बजाय बिलकुल घूमते-फिरते नजर आते हैं। स्कूल नहीं हैं। कहीं स्कूल हैं, तो 300 बच्चों पर एक शिक्षक है। कहीं पर स्कूल और शिक्षक है, तो वहां पर पानी की कमी है, छत की कमी है। यानी हर प्रकार की कमियां देहाती और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों के बारे में हैं। इस प्रकार से नई पीढ़ी की बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है। इसे हमें दूर करना चाहिए और हमें इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए और हमें इस पीढ़ी के विषय में चिन्ता करनी चाहिए। मनुष्य के समुचित विकास के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वास्तव में जब हम सोचते हैं कि हमें शिक्षा देनी है, तो शिक्षा तो हमें मनुष्य को देनी है। इस विषय में भी हमें हमारे महापुरुषों ने अनेक प्रकार से मार्गदर्शन दिया है कि वास्तव में मनुष्य के विकास का अर्थ क्या होता है।

सभापति महोदय, मनुष्य के विकास का अर्थ, जो शरीर हमें मनुष्य का दिखायी देता है केवल वही साधारण शरीर नहीं है। मनुष्य के विकास के अंतर्गत और भी चीजें हैं। जो मनुष्य हैं, हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे इन्द्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, इन ज्ञानेन्द्रियों के पीछे मन है और इस मन के पीछे बुद्धि है और बुद्धि के पीछे आत्मा है। इस प्रकार से जो हमारा शरीर है वह अनेक तत्वों से बना हुआ है। हमने यदि केवल शरीर का विकास किया, तो उससे भी हमारा विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए किसी मनुष्य के विकास के समय केवल उसके शारीरिक विकास का चिन्तन किया तो इससे उसका विकास संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य के शरीर के पीछे इन्द्रियां हैं। जैसे मान लिया कोई बहुत स्वस्थ है, लेकिन उसकी जीवट काम नहीं कर रही है, उसका स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है। तो समझना चाहिए कि स्वास्थ्य का जो वास्तविक आनन्द होना चाहिए, प्रकृति का असली आनन्द उसको नहीं मिलेगा, चाहे वह कितना भी स्वस्थ रहे। इसलिए इन्द्रियों का ठीक से विकास होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्द्रियां भटक सकती हैं, इन्द्रियां मनुष्य को भटका सकती हैं। इसलिए उन इन्द्रियों के ऊपर नियंत्रण करने वाली अगर कोई सत्ता है, तो वह मन है। सभापति महोदय, मन भी बहुत भटक सकता है। मन का भी सुख चाहिए, मन का भी विकास होना चाहिए। आज मान लिया किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर-सुंदर भोजन मिल गया और उसी समय यदि उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार की मुम्बई में मृत्यु हो गई, उसका पत्र आया। उस पढ़ को पढ़कर जो भोजन वगैरह सब बढ़िया मिल रहा

है, कपड़ा बढ़िया मिल रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मेरी मां का स्वर्गवास हो गया है, तो जो सारी चीजें सुख दे रही थीं, बाजा (रेडियो) सुख दे रहा था, खाद्य पदार्थ सुख दे रहे थे, वह उन सारी चीजों को छोड़ देगा और उसका जो मन है, वही वास्तव में उसको इस दिशा में ले जाता है। इसलिए बच्चों के मन का भी विकास होना आवश्यक है।

सभापति महोदय, अब इस मन के ऊपर नियंत्रण करने वाली सत्ता भी हमारे शरीर के अंदर है। वह है बुद्धि। कई बार ऐसा होता है कि मन के सुख के पीछे भी मनुष्य भागते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है। उसको रसगुल्ला खाने में बड़ा आनन्द आता है। उसका मन कहता है कि रसगुल्ला खाओ, लेकिन इस मन के ऊपर नियंत्रण कौन करेगा, कौन सी सत्ता हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर बुद्धि है। यदि बुद्धि ठीक रही, बुद्धि का ठीक से विकास किया, तो बुद्धि मनुष्य को भटकने नहीं देगी, मनुष्य को गलत काम करने की ओर नहीं जाने देगी। इसलिए बुद्धि का भी विकास होना चाहिए। इस बुद्धि के भी परे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। इन सारे तत्वों का यदि विकास किया, शरीर का यदि विकास किया, इन्द्रियों का ठीक से विकास किया, मन का विकास किया, बुद्धि का विकास किया और बुद्धि से परे, जो मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाली सत्ता है, आत्मा, इन सभी का ठीक प्रकार से विकास किया, और इन सबका क्रमिक विकास करने में हमने शिक्षा का सही उपयोग किया और उस प्रकार की शिक्षा की योजना बनाई, तो वास्तव में हम अपने देश के सामने आने वाली समस्याओं का ठीक प्रकार से विचार कर सकेंगे। देश के अंदर आज जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, उसको हम दूर कर पाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। मैंने सभापति महोदय, बिलकुल समय सीमा का पालन किया है।



श्री आर.एल.पी. वर्मा

श्री आर.एल.पी. वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके माध्यम से मैं अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि भारत की आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन्होंने विशेष अधिवेशन के द्वारा यह राष्ट्र चिन्तन, राष्ट्र के लिए विश्लेषण कराने का काम किया है और राष्ट्र के सारे सांसद विगत 26 तारीख से आज तक, दिन और रात इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि पचास वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या हमारी उपलब्धियां रहीं। जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा विकास निश्चित रूप से पिछले 50 वर्षों में हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमें असफलताएं भी मिली हैं और इसका साफ-साफ परिणाम हमारे सामने है। हमारी नजर में आता है कि 50 वर्षों की आजादी के बाद, जो आजादी के पहले आन्दोलन के समय आम जनता को बताया जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान, हर रोगी की दवाई, हर बच्चे की पढ़ाई, ये सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन 50 वर्षों के दरम्यान में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 35 करोड़ से ऊपर हो गई है। आजादी के समय यह संख्या 16 करोड़ 4 लाख के लगभग थी। आजादी के बाद आठ पंचवर्षीय योजनाएं हमने लागू की और उन योजनाओं में अरबों खरबों रुपए की प्लानिंग की और जब अपने पैसे से नहीं हुआ, तो विदेशों से कर्ज लेकर किया। सारे देश की जनता के ऊपर 3286 करोड़ रुपए का कर्ज आ गया और इतने कर्जे के बावजूद भी हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या नहीं घटी। यह एक साफ-साफ तराजू है, यह मापदंड है जिसके द्वारा लगता है कि अभी भी बहुत कमियां हैं। इसीलिए हमको लगता है कि जो हमारा लोकतंत्र है और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं है। हमने अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग किया है यह मानव विकास में इतना सहयोगी सिद्ध नहीं हो सका है। यही कारण है कि इतनी योजनाओं के बाद, इतनी प्लानिंग के बाद, हमारी स्थिति में जितना अपेक्षाकृत सुधार होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। इसीलिए हमें पुनर्विचार करना होगा कि देश के लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वे किस तरह से काम कर रही हैं, उनमें कहां डिफैक्ट है। इसका एक्सरे करना होगा। यही राष्ट्र चिन्तन और आत्मचिन्तन हम चार दिनों से कर रहे हैं और यह विचार-मंथन हुआ है। यहां पर जो चार-पांच दिनों में हमने चर्चा की वह हम सभी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कर रहे हैं। हमें इस पर विचार भी करना होगा कि अंतिम समय में कोई ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए और जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है और जो हमारी वर्तमान स्थिति है, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, ग्राम, ग्राम सभा, प्रखंड, जिला और प्रांत स्तर पर कुछ पावर देकर उन्हें स्वावलंबी और ताकतवर बनाना पड़ेगा, जो वहां पर एक तरह से लोकल सैल्फ-गवर्नमेंट की तरह हो ताकि जो चीज हमें विरासत में मिली है, हम लोगों ने जो संसदीय प्रणाली को अपना लिया है, लेकिन वहां की जो स्थानीय लोकल सैल्फ-गवर्नमेंट की प्रणाली थी, उसकी नकल हमने नहीं की। हमने कुछ आर्थिक व्यवस्था रशियन पैटर्न पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था से ली और फिर किसी दूसरे तरीके से जापानी खेती करने का तरीका लिया, जर्मनी का कोई तरीका लिया और इस प्रकार से हर देश का तरीका लेकर हमने अपने यहां भानुमती का पिटारा बनाया जिसके कारण हमारे देश की जो प्रगति अपेक्षित थी वह नहीं हो पाई। भारतीय संस्कृति को हमने भुला दिया है। महात्मा गांधी के लोकतंत्र को हमने भुला दिया। महात्मा गांधी के जो आर्थिक दृष्टिकोण थे, उसको हमने लागू नहीं किया और हम विदेशी घनचक्कर में, चकाचौंध में चले गये। इसी कारण से आज

परिणाम ठीक नहीं हो पाया है। अभी तक हमारे देश में 47 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। इतना बड़ा कलंक हुआ है। 50 वर्ष में हम इन लोगों को शिक्षित नहीं कर सके। नहीं दे सके तो इसका कारण क्या है? संविधान ने बताया था कि हम लोगों को लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटरनिटी, जस्टिस। यह जस्टिस हम लोगों ने कहां से लिया है? हमने जनता को नहीं दिया। इसका मतलब राजनेताओं ने, यहां के ब्यूरोक्रेट्स ने बेईमानी की और उस बेईमानी का परिणाम यह है कि आम जनता को जब यह फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल और बॉय दी पीपल है तो वह कहां है। अभी तक जनता की आजादी क्यों रोक रखी गयी है? इस आजादी को आम जनता तक पहुंचाने का दायित्व किसका है। हम लोगों को आत्मलोचन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और ईमानदारी से हम अगले 50 वर्षों के लिए योजना बनाये। 50 वर्ष के लिए अगर हम लेखा-जोखा, कार्यक्रम और नीतियां बनायेंगे तो नया मोड़ आ सकता है और देश की प्रगति हो सकती है। इस दृष्टिकोण से गुड ऑफ दी ग्रेट्स नम्बर यह होना चाहिए न कि शातांय सुखाय और शांताय हिताय होना चाहिए। इस भावना से आज तक इन लोगों ने भी किया है इसलिए यह दोषी हैं। इसके साथ-साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने भी इस भावना से इस देश का शोषण किया है। अभी हमारे साथी श्री राम लखन जी ने कहा कि वहां के जिलाध्यक्ष, जिलापदाधिकारी, बड़े-बड़े आई.ए.एस. अफसरों ने किस तरह से इस योजना का दुरुपयोग किया है। एम.पी. लैड की जो योजना बनायी गयी थी, जो बहुत ही उपेक्षित, अविकसित और जहां पर उपेक्षित इलाके हैं, उस इलाके में एम.पी., स्थानीय सांसद, स्थानीय विकास क्षेत्र की योजना के रूप में काम कर सकते हैं लेकिन अगर अधिकारियों को जहां तक हम लोगों ने देखा है कि 31 से 45 परसेंट एम.पी.लैड के पैसों में लूट मची हुई है और वह इतनी लूट खाते हैं। अगर इस प्रकार से पावर का करटेल नहीं किया गया तो भविष्य में किसी योजना का विकास नहीं होगा व उससे जनता को कोई लाभ नहीं हो सकता। इन अधिकारियों की जिला स्तर पर, पंचायतों पर या जिला परिषदों को पावर होनी चाहिए, वह पावर जिलाधिकारी एक नौकरशाही के रूप में दे रही है जो मंत्रियों से पावर लेते हैं और इस कारण से गांवों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। इसलिए इनके अधिकारियों का करटेल करना पड़ेगा। नई पद्धति से यह विचार करना पड़ेगा। जब तक आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के द्वारा अत्याचार और बेईमानी होती है उसको नियंत्रित नहीं किया जायेगा और पावर केवल ग्राम पंचायतों को, स्थानीय सांसदों को जिला स्तर के परिषदों को नहीं दिया जायेगा तब तक वहां का विकास असंभव है। इसलिए इस दृष्टि से होना चाहिए। सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी धन्यवाद देने के पात्र हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। 50 वर्षों के बाद भी जो स्वतंत्रता सेनानी सेल बना हुआ है उनमें उनको सम्मान पेंशन के आधे रुपये घूस में लिये जाते हैं तभी जाकर उनको पेंशन मिलती है। 50 वर्ष में यह कोई निर्णय नहीं किया गया कि कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर यह 50 वर्ष में नहीं हो सका तो क्या वह स्वतंत्रता सेनानी अभी भी पैदा हो रहे हैं। जब हमें आजादी मिली तब उन्होंने उस समय काम किया। मैं आपके द्वारा सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि 1997 के अंत तक जितने भी केस पेंडिंग हैं, उसे हर हालत में खत्म करें और जिसको देना है उसको दें और जिसको रिजैक्ट करना है, उसको रिजैक्ट करें, 12 वर्ष पहले 1800 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के केस कई गृह मंत्रियों के पास भेजा गया था लेकिन हर बार जवाब आता था कि हम दिखवा रहे हैं। इस बात को 10-12 वर्ष हो गये हैं। इसमें से 900 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो मर चुके हैं और बाकियों का भी अभी तक नहीं हो सका है। इसलिए इस प्रकार से पूरे देश में हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिनके बल पर हमें आजादी मिली उन लोगों का निश्चित रूप से वर्ष के अंत तक फाइनल कर देना चाहिए। उसके बाद किसी स्वतंत्रता सेनानी का केस विचार नहीं होना चाहिए।

भारतीय संस्कृति कुंठित हो रही है, उस पर आक्रमण हो रहा है, सैटेलाइट इनवेजन आन इंडियन कल्चर, अभी जो आकाशी आक्रमण हो रहा है, आज टेलीविजन, रेडियो, हर जगह नंग-धडंग और असल चित्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है, उससे भारत की संस्कृति कुंठित हो रही है, भारत का कल्चर बिगड़ रहा है। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में भारत में पाश्चात्य संस्कृति आ जाएगी। जब भी अंग्रेज आए, चाहे मुगल आए, उन्होंने सबसे पहले भारत की संस्कृति को मिटाया है। हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। यदि देखा जाए तो 2054 में विक्रम संवत, मुस्लिम संस्कृति का देखा जाए तो वह 1440 ईस्वी है। इसके अनुसार देखा जाए तो भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है। 5000-7000 वर्षों से सब लोग महाभारत काल और रामायण काल जानते हैं। कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, चीन आदि देशों में बुद्धिज्म और हमारे देश की रामायण, महाभारत का नाट्य होता है। यह हमारी संस्कृति की रीत है। लेकिन इससे दूसरे संस्कृतियों का अनुकरण रोका गया और देश को स्वच्छंद बनाया गया। यही कारण है कि विदेशी कल्चर के चलते हमारे देश में काम नहीं होता। ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग एंड चीटिंग, यह योजना भाषणों में होती है। ...*(व्यवधान)* इस तरह देश की आठ पंचवर्षीय योजनाओं का अरबों खरबों रुपये खाने की संस्कृति में जा रहा है।

जो पौपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, उसे आज तक क्यों नहीं रोका गया? आजादी के समय जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की आबादी 9 करोड़ थी जो अभी बढ़ते-बढ़ते 15 करोड़ हो गई है। बंगलादेश की आबादी 14 करोड़ हो गई है। ड्योढ़े से ज्यादा नहीं हुई। लेकिन क्या कारण है कि भारत की आबादी तीन गुना हो गई है। ...*(व्यवधान)* यहां की जनसंख्या 361 मिलियन से बढ़कर 961 मिलियन हो गई है। जब तक गंदी राजनीति की तुष्टिकरण की नीति से यह चलता जाएगा तब तक जनसंख्या की बढ़ोत्तरी दूर नहीं होगी। ग्रोथ ऑफ पौपुलेशन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी विपदा है। यदि परिवार नियोजन करना है तो 'हम दो हमारे दो' की नीति अपनानी चाहिए। यदि तीसरा बच्चा होता है तो उस परिवार पर 5000 रुपये जुर्माना किया जाए। ...*(व्यवधान)* उस पर परिवार नियोजन टैक्स भी लगाया जाए। इससे भी अधिक बच्चे हों तो टैक्स और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की उन्नति रोकी जाए। ...*(व्यवधान)*

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री नंदकुमार सिंह चौहान

श्री नंदकुमार सिंह चौहान (खंडवा) : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर आत्मविश्लेषण के लिए यह जो विशेष सत्र बुलाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आजादी के 50 साल बाद हमको जहां पहुंचना चाहिए था, जिस मुकाम पर हमें होना चाहिए था, दुर्भाग्य से हम वहां नहीं पहुंच सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वह आजादी के बाद हमारे देश से राष्ट्रीयता की भावना का लगभग समाप्त होना है। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव ही इसका सबसे मुख्य कारण है। और राष्ट्रीयता की भावना के अभाव का यदि हम कारण खोजें तो आजादी दिलाने के लिए हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए जिन शहीदों ने कुरबानियां दीं, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतना संघर्ष किया, इतना बलिदान दिया, उन लोगों को हमने समाज में राजनेताओं ने जितना महिमामंडित करना चाहिए था, उतना हमने उन्हें महिमामंडित नहीं किया। उन्होंने जितनी कुरबानियां दीं, उनकी जितनी पूजा हमारे देश में होनी चाहिए थी, उतनी पूजा उन लोगों की नहीं हुई और इसके कारण हमारी एकता की भावना में भारी गिरावट आई। इस देश में नैतिकता का, आदर्श का जो स्थान होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, वह नहीं होने के कारण समाज में सम्मान पाने की दौड़ में सब लोग धन कमाने में लग गये। धन की महत्ता बढ़ गई, शक्ति की महत्ता बढ़ती गई और शक्ति और धन कमाने के पीछे सारा समाज दौड़ पड़ा और उसके कारण इस देश में भ्रष्टाचार पनपा है। सत्ता और धन कमाने की, शक्ति कमाने का सबसे सरल माध्यम राजनीति को समझा गया। राजनीति में आकर शक्ति और धन कमाना सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से धन कमाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए लोग राजनीति में आने लगे। पहले जहां समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए लोग राजनीति में आते थे, अब राजनीति में आने का उद्देश्य लोगों को अधिकाधिक धन कमाना हो गया और इस बात को रोकने के लिए फिर से इस देश में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने के लिए हम हमारे उन शहीदों को, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए कुरबानियां दीं, जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, जैसे शहीदों को, क्रांतिकारियों को हम महिमामंडित करें, यह आज के समय में अति आवश्यक है। उसके लिए यह किया जाना चाहिए कि हमारे जितनी भी क्रान्तिकारी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दीं और क्रान्तिकारियों की ही नहीं, आजादी के बाद फौज में हमारे जितने फौजी इस देश की रक्षा के लिए मरे हैं, इस देश की रक्षा के लिए जिन्होंने जान दी, ऐसे फौजियों के नाम, ऐसे क्रान्तिकारियों के नाम हर गांव में जहां के वे रहने वाले हैं, वहां की शालाओं को उन क्रान्तिकारियों का, उन फौजियों का नाम देना चाहिए, जो इस देश के लिए जिये और इस देश के लिए मरे। उससे समाज में नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। वे प्रेरित होंगे और यही नहीं, आज आजादी के बाद यहां पर हमारे देश में कुछ गिने-चुने लोगों के ही नामों पर संस्थाओं के नाम दिये गये हैं। मैं नेहरू परिवार के बारे मैं कहना चाहूंगा, मैं उस परिवार का सम्मान करता हूं, लेकिन आज हम हिन्दुस्तान में देखेंगे कि आजादी के बाद जितनी भी बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, उनमें नेहरू परिवार का ही नामकरण किया गया।

इसके अलावा इस देश में जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए उस परिवार से अधिक कुरबानियां दीं, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को हमने भुलाया और इसके कारण समाज को जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, वह प्रेरणा नहीं मिल पाई। आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए आज हमें कदम उठाना होगा और उसके लिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए, राजनेताओं के लिए, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के लिए, पत्रकारों के भ्रष्टाचार के लिए इस देश में विशेष अदालतें स्थापित होनी चाहिये। जहां पर राजनेताओं पर, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार से सम्बन्धित जितने प्रकरण हों, उनका तमाम वहां पर फैसला एक महीने के अंदर हो जाये, इस प्रकार की विशेष अदालतें इस देश में पैदा होनी चाहिए, जिनको अधिक अधिकार हैं, जिसके पास में अधिक अधिकार हैं, ऐसे लोग ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको सामान्य व्यक्ति से सजा भी अधिक होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारे यहां के कानून में होनी चाहिए। जो देश को नेतृत्व देते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा यदि भ्रष्टाचार किया जाता है तो ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हमारे देश के कानून में होना चाहिए, तब जाकर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सकता है। आज हमारे देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है। उसके पीछे राजनेताओं की धन कमाने की लालसा, शक्ति कमाने की लालसा यह सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही है। धन से सत्ता और सत्ता से धन, इस कुचक्र को रोकने के लिए हमें कारगर उपाय सोचने चाहिए और उनको लागू करना चाहिए। हमें राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ बुनियादी कदम उठाने होंगे। इस सम्बन्ध में हमें अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए घातक होगा। इस देश में वर्क कल्चर पैदा करना होगा। काम के प्रति रुचि पैदा करनी होगी। कार्य संस्कृति का निर्माण करना होगा। उसके लिए हमें कठोर से कठोर कानून भी बनाने पड़ें तो झिझकना नहीं चाहिए। जो काम करें उसे पुरस्कृत किया जाए और जो मक्कारी करे, उसे सजा दी जाए। इस तरह का प्रावधान करके हम अपने देश में वर्क कल्चर को लागू कर सकते हैं।

इस देश की समृद्धि के लिए तीन-चार बुनियादी बातें हैं, जिनके माध्यम से हम देश को समृद्ध बना सकते हैं और विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है बिजली का उत्पादन। बिजली के उत्पादन के अभाव में हमारा औद्योगिक विकास रुक गया है। हमारे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति बहुत कम है। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे ही राज्य हैं, जहां चार-छः घंटे मुश्किल से बिजली मिलती है। उसके कारण वहां पर औद्योगिक

विकास नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं बिजली के अभाव के कारण वहां खेती की प्रगति भी रुकी हुई है। सिंचाई के लिए भी बिजली उतनी जरूरी है जितनी कि उद्योगों के लिए जरूरी है। बिजली के उत्पादन के लिए हमें विशेषरूप से प्रयास करना चाहिए।

हमारे देश की वन सम्पदा का जिस तेजी के साथ नुकसान हो रहा है, यह एक चिंतनीय विषय है। पिछले पचास साल में वह जितनी नष्ट हुई है, यह खतरे का निशान हमारे सामने है। यदि हम आज भी उसकी रक्षा के लिए सचेत नहीं होते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए वन संरक्षण के लिए हमें कठोर से कठोर कदम उठाकर कड़े कानून बनाने चाहिएं।

हमारे देश में जल संवर्धन के लिए मुख्य रूप से योजना बनानी चाहिए। भूमिगत जल भंडार बनाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। देश का पेयजल घट रहा है और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें इसके लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। पचास साल के बाद भी हमारे देश में सिंचाई का जितना प्रतिशत होना चाहिए, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। उसको बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देश में आज भी हजारों गांव प्यासे हैं, जहां गर्मी के दिनों में हमारी मां-बहनें कई-कई किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाती हैं। ऐसी समस्या के हल के लिए हमें अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, उसमें बदलाव लाकर बुनियादी शिक्षा और नैतिक शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। हर स्कूल में, प्राथमिक शाला से लेकर उच्च शिक्षा तक नैतिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखना चाहिए। इस प्रकार के प्रावधान की आज महती आवश्यकता है।

आज हमारे देश में जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, उसके कारण जो खतरा हमारे सामने खड़ा है उसके प्रति हमें सावधान होना चाहिए। उदारीकरण के नाम पर विदेशी कम्पनीज को हिंदुस्तान में आने की और चरने की खुली छूट हमने दे रखी है। ये आने वाले कल में हमारे देश के स्थानीय उद्योगों को निगल लेंगी। ऐसे समय पर हमें उदारीकरण नीति में कुछ इस प्रकार के प्रावधान करने चाहिए कि विदेशी कम्पनीज हमारे स्थानीय उद्योगों को नुकसान न पहुंचा सकें। पंडित जवाहर लाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे, वे यह कहते थे। पब्लिक सैक्टर के कारखाने और ये बड़े-बड़े बांध हमारे देश की आवश्यकता हैं लेकिन आज वही पब्लिक सैक्टर खतरे में पड़ा है। पब्लिक सैक्टर के जितने भी कारखाने हैं, वे आज बंद होने के कगार पर हैं या उन्हें बंद करने की साजिश रची जा रही है। इससे हमें आगाह होना पड़ेगा। पब्लिक सैक्टर को जिंदा रखने के लिए, स्थानीय उद्योगों को जिंदा रखने के लिए हमें कारगर उपाय करने होंगे। इसी के साथ हिन्दुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है, अब समय आ गया है कि हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएं और फैमिली प्लानिंग को सख्ती से लागू करें। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।



श्री सुरेन्द्र यादव

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, आजादी के स्वर्ण जयंती के वर्ष में बुलाए गए इस विशेष सत्र में बोलने का सौभाग्य प्राप्त होने पर मैं अपने खलीलाबाद क्षेत्र की उस महान जनता का आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहां चुनकर भेजा है। मैं माननीय स्पीकर साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यह विशेष सत्र बुलाकर देश की गंभीर समस्याओं के प्रति और हमने क्या खोया और क्या पाया, आगे हमारी मंजिल क्या होगी, इस पर चर्चा करने का एक विशेष अवसर दिया। हमारे देश के उन शहीदों ने जिन्होंने इस देश की आजादी को हासिल किया, मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं क्योंकि "मिट गए खुद, पर नहीं मिटने दिया वतन को" उनकी यह बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरदार भगत सिंह के उस प्रस्ताव को उनके जमाने के सभी नौजवान जो स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए लड़ रहे थे, उनसे बार-बार अर्ज कर रहे थे कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो देश की आज़ादी की लड़ाई को और कारगर ढंग से लड़ा जा सकेगा, आपको फांसी के फंदे से बचा सकेंगे और उसके लिए वकील करने चाहिए, पैरवी करनी चाहिए, हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए।

आज हमें गर्व हो रहा है कि उस महान व्यक्ति ने कहा कि नहीं यह गलत होगा। अगर हमें फांसी होती है तो हमारे देश का युवा वर्ग आंदोलन करेगा, गुस्से में आएगा और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कारगर लड़ाई लड़ेगा। आज वह प्रस्ताव हमारे सामने है। आज इस देश में जो भ्रष्टाचार और इस तरह की तमाम चीजों से हम चिंतित हैं, इसकी वजह यह है कि आज हमारे सामने इस तरह के आदर्श नहीं हैं। आज हमारे नेताओं के वे उत्कृष्ट विचार नहीं हैं जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी। इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने की जो भावना स्वतंत्रता सेनानियों में थी, वह वर्तमान नेताओं में नहीं हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने आज़ादी की इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर पचासवीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 24 मई को दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रशासन को पारदर्शी बनाने और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष अदालतों का गठन करने तथा 9 अगस्त को मुम्बई और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने का जो आह्वान किया है, वह निस्संदेह साहस का परिचय देता है। मुझे इस बात से कष्ट हुआ कि इस सदन के बहुत से मित्रों ने इस बात की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की लेकिन मैं कहता हूं कि

[अनुवाद]

'प्रत्येक और सभी कार्यों के प्रति समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया रही है।'

[हिन्दी]

किसी देश में जड़ से देश को खोखला करने की जो भ्रष्टाचार की बुराई है, अगर हमारे प्रधान मंत्री जी उसके लिए आवाज उठाते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं देशवसियों से इस सदन के माध्यम से अपील करूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कदम उठाया है, जो संघर्ष का आह्वान किया है, उसमें कदम से कदम मिलाकर साथ दें, ताकि यह देश तरक्की के रास्ते पर अपने उज्ज्वल भविष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दीमक की तरह चाटने वाली इस बुराई के खिलाफ हमें लड़ना ही होगा और हमें संकल्प करना ही होगा, नहीं तो हम निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार से निजात प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों को निर्देश देना चाहिए। राज्यों के लिए केन्द्र से आह्वान जाना चाहिए और वह निश्चित रूप से कम्पलसरी हो कि राज्यों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ वहां कारगर कदम उठाने जाने चाहिए। आपको मालूम है कि हर जिले में आई ए एस, आई पी एस और आई एफ एस तथा उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, जिला अधीक्षक होते हैं, उनको बंधी हुई रकम हर महीने भ्रष्टाचार के माध्यम से उनके कार्यालय में पहुंच जाती है। वह रकम एक लाख, दो लाख नहीं, दस लाख से कम नहीं होती है। इस सदन का ऐसा कोई सदस्य नहीं है, जो इस बात को नहीं जानता हो। पुलिस अधीक्षक को हर थाने से बंधी हुई रकम मिलती है। यह रकम आती कहां से हैं? गरीब लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा कर एस.आई. या सिपाही रकम वसूल करता है। पूरे जिले के जितने कार्यालय है, उन सभी विभागों से बंधी हुई रकम जिलों से आती है। भ्रष्टाचार अपना तांडव करता है। एम.पी.एल.ए.डी., फन्ड हो या चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, इनमें इंजीनियरों के माध्यम से जिला अधिकारी रकम वसूल करते हैं। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जिला अधिकारियों को उनके ठेकेदारों से बंधी हुई आधी रकम मिल जाती है और आधी रकम ठेकेदार तथा इंजीनियर ले जाते हैं। इन तमाम चीजों की तरफ हमारी नजर नहीं जाएगी, कलम नहीं चलाई जाएगी, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई कारगर नहीं हो सकेगी।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में अपराध करने वालों की बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं। नशाखोरी के खिलाफ हमारे देश के महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की थी। आज केवल दो प्रान्त ऐसे हैं, जहां मद्यनिषेध है। बाकी पूरे देश में राजस्व वसूल करने के नाम पर कि इससे ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिलता है, मद्यनिषेध नहीं है। सारे देश को पता है और छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता को पता है, चाहे वह कत्ल हो, डकैती हो, चोरी हो, मोटरकार या साईकिल की चोरी हो, चाहे बच्चों की किडनैपिंग हो, ये अपराध बिना शराब पीए नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूरे देश में मद्यनिषेध लागू करने के प्रयास करने चाहिए और राजस्व इकट्ठा करने के लिए दूसरे साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था है, पुलिस अधिकारियों की, पुलिस अधीक्षक की, इस पर मुझे एक शेर याद आता है ''निजामे मैकदा साकी बदलने की जरूरत है, बहुत सी हैं सफे जिनमें न मय आयी न जाम आया।'' इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो गरीब हैं, जिनके घर में चारपाई तक नहीं है, जाड़ों के दिनों में ओढ़ने के लिए रजाई तक नहीं है या कम्बल नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो शिक्षा में हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं है। जर्जर भवन, फटे हुए टाट-पट्टे, यह हमारे देश के गांव के बच्चों के दुर्भाग्य को पहले ही लिख देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल इसलिए दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे मजबूत आधार था। इसमें अंग्रेजी शिक्षा द्वारा स्वार्थों के रक्षण और पोषण का कार्य होता था। आज शिक्षा की हालत बदतर है और सबसे खराब हालत हमारी प्राथमिक शिक्षा की है। बहुत पहले माननीय गोपाल कृष्ण गोखले ने लेजिस्लेटिव असेम्बली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था जिसे अंग्रेजों ने नामंजूर कर दिया। प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान सरकार शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने का विचार कर रही है परन्तु प्राथमिक शिक्षा की मूल समस्या यह है कि जब तक यह शिक्षा अनिवार्य और समान नहीं होगी तब तक इसकी गुणवत्ता संभव नहीं है। प्राथमिक शिक्षा कहीं कानवेन्ट, कहीं किडर गार्डन, कहीं अंग्रेजी माध्यम है, कहीं क्षेत्रीय भाषा का माध्यम है। यह जो विषमता है इसे बदलना होगा और शिक्षा में समानता लानी होगी। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ कर आते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर आता है। हम जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो हमारे जो बच्चे गांव से आते हैं वहां इनफिरियरटी कॉम्पलेक्स होता है। अगर शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं किया गया तो हमारे देश के गांवों के नौजवान किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

महोदय, सभी यूरोपीय देशों में राष्ट्रपति और क्लर्क का बेटा एक ही स्कूल में अलग-अलग बैठ कर पढ़ते हैं लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। आज शिक्षा को प्राइवेट सैक्टर में भेज कर और भी अन्याय हो रहा है। आप दक्षिणी भारत में चले जाइए, मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज लोगों ने प्राइवेट खोल दिए हैं। 10-20 लाख डोनेशन मिलेगा तब एडमिशन देंगे। यहां मेधावी बच्चे गरीब घरों के हैं वे कैसे डाक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं? 25-50 लाख कौन देगा, वही देगा जो रोज 10 हजार या 20 हजार कमाता है, वही दे पाएगा और उसी का बेटा डाक्टर और इंजीनियर हो पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में समान शिक्षा लागू करने की जरूरत है अन्यथा हमारे देश में बहुत ज्यादा विषमता शिक्षा के क्षेत्र में होगी।

महोदय, कृषि के क्षेत्र में आज किसानों की जो दुर्गति है इसे कौन नहीं जानता? आप गोरखपुर में चले जाइए वहां पर किसी की जमीन ली जा रही है मगर उसको उचित पैसा नहीं दिया जा रहा है। घाघरा और राप्ती नदियों के किनारे हमारे दो बांध हैं पहला मदुरा बांध है और

दूसरा करमेनी बिलौनी है। जमीन तो ले ली गई लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। नीम, बबूल का पेड़ है उसको अगर हम काट लेते हैं और वह हमारी ही जमीन है तो इसके लिए मुकदमा कर देते हैं और वह मुकदमा तीन-तीन साल से चल रहा है। ...(व्यवधान) इस देश में किसानों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। हथकरघा सर्वेक्षण के मुताबिक नौ लाख बुनकर इस समय बेरोजगार हो गए हैं। देश के 86 लाख बुनकरों को धागा नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में गरीब को कपड़ा मिलने का प्रश्न ही नहीं, यह प्रश्न आज देश के सामने है। आखिर ये धागा जा कहां रहा है? सच तो यह है कि सरकार ने हर साल 2000 लाख किलोग्राम धागा निर्यात कर डाला है और पूछने पर पता चलता है कि यह निर्यात विदेशी मुद्रा के लिए किया गया।

महोदय, मुंबई के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि वहां के लोग सड़कों पर पटरियों पर सब्जियां बेच रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हमारे खलीलाबाद क्षेत्र में भी यही हालत है। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश और बिहार के बुनकरों ने अपनी खड्डियां दीवारों पर लटका रखी हैं। कुछ ने तो ईंधन के तौर पर उन्हें जलाना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश में काफी बुनकरों ने खुदकशी कर ली। योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मी चन्द जैन वहां गए और लोगों से पूछा कि उन लोगों ने आत्महत्या क्यों की, गांव वालों से मदद क्यों नहीं ली तो लोगों ने कहा कि बुनकर स्वाभिमानी हैं वे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। इंडिया टुडे ने जब कुछ माह पहले एक सर्वेक्षण किया तो पता चला कि भूख से उन बुनकरों की मौत हुई। सरकारी प्रतिनिधियों ने कहा कि बुनकर लम्बी उम्र के कारण मरे हैं।

तो इंडिया टुडे ने फिर कहा कि मरने वालों की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं थी और मरने वाले बुनकरों के पेट में चावल था। सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि यह तमाशा कब तक चलेगा। कुटीर-उद्योग, हस्तकला, शिल्प आदि उद्योग इस तरह से मर रहे हैं। हमारे साथियों ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत बातें कहीं कि जो सिविल कोड बना हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र यादव : उसका पालन देश में नहीं हो रहा है। आप धानों में चले जाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके लिए निर्धारित समय पूरा हो चुका है और अब यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र यादव : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।



डा. अमृत लाल भारती

डा. अमृत लाल भारती (चैल) : आज हम आजादी के 50 वर्षों के बाद स्वर्ण-जयंती के अवसर पर उन महान भारत के महापुरुषों को नमन करते हुए श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर हमें आजादी दी है। इस सत्र के दौरान हमें एक विशेष ऐतिहासिक अवसर मिला है तथा सभी सदस्यों को अपनी वाणी का स्वतंत्र प्रयोग, सदन के समक्ष रखने का अधिकार प्राप्त हुआ है और यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। आजादी के इन 50 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया। यदि सही मायनों में देखा जाए तो उपलब्धियों के बदले में हमने खोया कहीं ज्यादा है। आजादी के बाद जहां हमने तमाम क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा, उद्योग, विज्ञान और टैक्नोलोजी के क्षेत्र में विकास किया है, वहीं दूसरी ओर इस देश में भ्रष्टाचार, घोटाले, अशिष्टाचार, देश में बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी, बलात्कार, उग्रवाद आदि क्षेत्रों में भी हमने तरक्की की है। जब अंग्रेजों ने हमें आजादी दी, भारत छोड़ा, उस समय का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमारे देश को उन्होंने खोखला जरूर किया, लेकिन किसी देश का कर्जदार नहीं बनाया था। लेकिन क्या कारण है कि इस स्वतंत्र देश में इन 50 वर्षों में हम इतने कर्जदार हो गये। जो बच्चा आज अपनी मां के गर्भ में पल रहा है कल जब वह पैदा होगा तो 11 हजार रुपये का बोझा लेकर पैदा होगा। क्या कारण है कि आज हम कटोरा लेकर हरेक देश में भीख मांग रहे हैं। आज हम इतने कर्जदार हैं कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी विदेशों से कर्जा ले रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कहीं-न-कहीं हमारे में खामियां हैं, हमारी नीतियों में कहीं गड़बड़ी है।

सभापति महोदय, जहां भ्रष्टाचार का सवाल आता है, तमाम वक्ताओं ने उस पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं, और अपनी-अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मेरे अपने विचार से भारत के संविधान में परिवर्तन लाने की इस विषय पर आवश्यकता है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत में केवल दो-तीन पार्टियां थीं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इधर जनसंघ थी, उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। उस समय का यह इतिहास रहा है कि चुनाव के समय किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता था और वह सरकार स्थायी होती थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्वार्थवश जो व्यक्ति जहां रहा, वहां स्वार्थ पूरा न होने पर दूसरी बड़ी दूसरी पार्टी बना लेता है। आज देश की यह हालत हो गई है। आज पार्टियों की भरमार हो गई है—चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी के

रूप में हो या स्थानीय पार्टी के रूप में हो। इसके परिणाम आप देख रहे हैं। इस लोक सभा में चाहे किसी पार्टी का कोई सिंगल व्यक्ति क्यों न रहा हो, वह सरकार में शामिल हो गया। 14-14 पार्टियों ने मिलकर सरकार का गठन किया। क्या यह ठीक है? भारतीय जनता पार्टी से उनको भय है कि कहीं वह न आ जाए। इसलिए वे सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होना बुरी बात नहीं है। सरकार चलनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से चुनाव जल्दी-जल्दी हो रहे हैं। लोक सभा के एक चुनाव में लगभग 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। क्या भारत इस भार को बर्दाश्त कर सकता है? आज देश के चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है—चाहे वह पेय जल का संकट हो, बेरोजगारी का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। जहां निगाह उठाओ, वहां धन का अभाव लगता है। चुनावों के लिए कहां से पैसा आता है? अगर वह थोड़े-थोड़े जिलों में बांट दिया जाए तो बेकारी की समस्या और दूसरी समस्याएं दूर हो सकती थीं। यह चिंतन का समय है। हम स्वयं क्यों नहीं सोचते? अगर आप में राष्ट्रीय प्रेम है, राष्ट्रीय भावना जागृत है तो जातिवाद और पार्टी से ऊपर उठकर ऐसी राष्ट्रीय पार्टी का गठन करिए जिससे देश का हित हो सके।

पिछले एक दशक से नेताओं, राजनेताओं और सदन की गरिमा घटी है और उसकी विश्वसनीयता में कमी आई है। इसका क्या कारण है? आज हम सब यहां बैठे हुए हैं। यहां अलग-अलग पार्टी के लोग हैं। यहां पक्ष और विपक्ष के लोग हैं लेकिन हम एक दूसरे के बारे में नहीं समझते कि वह भी सदस्य हैं। अगर किसी पर ऊंगली उठायी जाती है तो हम खुश होते हैं। यह नहीं सोचते कि कल हमारी भी वही स्थिति होगी।

हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार पनपा है। इसमें सबसे बड़ा दोष ब्यूरोक्रेट्स का है। हमारे जैसे नेताओं को किसी ने कभी भ्रष्टाचार और घोटाले के बारे में नहीं सिखाया। यह ब्यूरोक्रेट्स से पनपा है। आज प्रशासनिक कार्य की क्षमता में गिरावट आई है और काम के पूरा होने में देरी होती है। नीचे से सुविधा शुल्क लेकर उसने धीरे-धीरे भ्रष्टाचार और घोटाले का रूप धारण किया। मैं यह समझता हूं कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप राजनेताओं पर लगे है उनमें से 10 रुपए में से 8 रुपए ब्यूरोक्रेट्स ने खाए हैं और दो रुपए नेताओं की झोली में गए हैं। नेताओं को इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हमें इसके बारे में एकत्र होकर कुछ सोचना होगा। संविधान में कानून की व्यवस्था करनी होगी।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमारे तमाम सदस्यों ने कहा और अभी यादव जी ने भी कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति और नीति गलत है। उसमें सब को समान अवसर मिलने चाहिए। मैं यह कहता हूं कि सरकार को अपने हाथ में शिक्षा का दायित्व लेना चाहिए। अगर हम दूसरी जगहों से धन लेकर या दूसरों से कर्जा लेकर शिक्षा और दूसरे संस्थानों में लगाते हैं तो शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे सरकार अपने हाथ में लेकर समान अवसर दे। आज जो भी वैज्ञानिक हों, तकनीकी लोग लोग हों, डाक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, उनकों यहां पर उचित रोजगार या उचित सम्मान नहीं मिलता है जिस कारण से वे विदेशों में चले जाते हैं। आज जब हम विदेश जाते हैं तो भारतीय ही वहां पर चिकित्सा करते हैं, भारतीय इंजीनियर्स ही अच्छे कारखानों के कलपुर्जे बनाते हैं या नई खोज करते हैं लेकिन हम उनको यहां पर अच्छी प्रतिष्ठा या अच्छा सम्मान नहीं दे पाने की वजह से ये लोग अपने हाथ से निकल जाते हैं। हमारे क्षेत्र में एक सोनकर नाम का आदमी है। उसने मछली पालन का काम किया हुआ है और सीप में मोती का निर्माण किया और वह मोती करोड़ों रुपये का है। यह एक मैगज़ीन में आया है। मेरे घर के पास है। सरकार को चाहिये कि उसे कायदे से सम्मान दे। जितना उसने लेबर किया है या शोध किया है, उसके मुताबिक उसको पैसा मिले। उसका टेलेंट बाहर न जाये और अपने ही देश में रह जाये। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, जहां तक बेरोज़गारी का सवाल है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, 11 मिनट हो गये हैं।

डा. अमृत लाल भारती : चूंकि मैं श्रम और कल्याण समिति का सदस्य हूं, मुझे अभी कानपुर जाने का अवसर मिला था। वहां पर तमाम कल-कारखाने जीर्ण अवस्था में हैं, उसमें अरबों रुपये की मशीनरी सड़ रही है, खराब हो रही है। सरकार की जो नीति है, उसके चलते वहां हजारों-लाखों श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। उनके बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं। जो हो रहा है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। मैं समझता हूं कि सही मायनों में ये इंडस्ट्री चल सकती है अगर इनको सरकारी संस्थानों का कार्य मिले जैसे आपकी मिलिट्री है, पी.ए.सी. है, अगर इनका कार्य मिले तो ये सिक इंडस्ट्री पुनर्जीवित हो सकती हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बार-बार टोका है, इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।



श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय सभापति महोदय, आज आजादी की 50वीं वर्षगांठ की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में 50 साल में क्या पाया, क्या खोया, इसकी समीक्षा करने के लिये यह विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें बोलने के लिये मुझे अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभार मानता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सदन के माध्यम से यहां पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति महोदय, आधुनिक विश्व गतिशील है। वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवेश में देश 21वीं

सदी की ओर अग्रसर हो रहा है। राष्ट्रीय वातावरण में दिन प्रतिदिन अनियमितितायें पनप रही हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। घटनाओं का पूरा अनुमान लगाना कठिन हो गया है ऐसी स्थिति में राष्ट्र को भी मानव विकास की ओर ले जाना और अधिकतम सूचनायें एकत्रित करना, उनका उपयोग करना काफी कठिन हो रहा है। आज राष्ट्र के सामने कई समस्यायें हैं। जैसे भावी मानवीय विकास तकनीक क्या होगी, आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक समीकरण किस प्रकार के होंगे, समाज के बदलते स्वरूप का राष्ट्र पर क्या प्रभाव होगा, सामाजिक दायित्व का निर्वहन राष्ट्र किस प्रकार करेगा और भारत में संसद किस प्रकार से प्रबंध स्वरूप लेगी आदि।

प्रात: 8.00 बजे

निश्चित रूप से मानव ही राष्ट्र की सृजनात्मक शक्ति है। अत: मानवीय साधनों की उपलब्धि और कुशलता के आधार पर ही आज साधनों का सदुपयोगृ संभव है। विज्ञान व तकनीक चाहे जितनी विकसित हो जाएं, मानव का विकल्प कोई भी उपकरण नहीं बन सकता है। निश्चय ही मनुष्य संपूर्ण प्रबंध प्रणाली का केन्द्र बिन्दु है और उसके उचित विकास प्रबंध से ही घनात्मक राष्ट्रीय व्यवहार व प्रभावी उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। मानवीय विकास अति प्राचीन काल से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में किसी न किसी रूप से गतिमान है। मानवीय विकास की प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, रोजगार, शिक्षा आवास आदि है, परंतु हमारा राष्ट्र इन आवश्यकताओं को पूरा करने में आज़ादी के पचास वर्ष बाद भी असमर्थ है। मानवीय विकास के अंतर्गत मनुष्य की व्यक्तिगत रुचियों, अधिकारों, नियमितताओं, आदतों आदि पर पूरा ध्यान भी अपेक्षित है।

मानवीय विकास का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का संपूर्ण विकास करे, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में उनका उपयोग करे। इसके अंतर्गत व्यक्ति के सही चिन्तन, समस्या निवारक क्षमता, सलाह प्राप्त करने की योग्यता, सूक्षम दृष्टि, तकनीकी एवं वैज्ञानिक कुशाग्रता, अध्ययन प्रवृत्ति, आत्मविश्लेषण, विरोध का सामना करने की क्षमता, सद्भावना, राष्ट्र के प्रति समर्थन आते हैं, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्र में सरकारों के पास मानवीय विकास हेतु कहे गए मूलभूत तत्व पूरी तरह से नदारद हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि उचित वातावरण के अभाव में लक्ष्यहीनता, नैतिक मूल्यों के पतन के कारण संपूर्ण मानवीय विकास संभव नहीं हुआ है। अत: मानवीय विकास हेतु उचित राष्ट्रीय संगठनात्मक वातावरण का विकास करना अति आवश्यक है जिससे कि निर्धारित कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करके वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकें। अभी सरकार आंकड़ों के माध्यम से मानवीय विकास को सिद्ध कर देगी पर वह वास्तविकता से बहुत परे है। अत: मानवीय विकास हेतु सुझाव अपनाएं जाएं जिससे ठोस आधार पर विकास संभव हो। कार्यक्रम का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, चिकित्सा, वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक, राजनैतिक, खेल जगत व संपूर्ण मानवता पर हो।

विकास की एक निश्चित गति होती है। गति में निरंतरता बनाए रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाएं। राष्ट्र के प्रत्येक मानव में विकास की भावना, उत्साह तथा लगन का संकल्प लिया जाए। राष्ट्र में निश्चितता अनुमोदन का वातावरण हो और विकास की ओर गतिमान हो। मानवीय विकास कार्य में पूर्ण विराम भी एक अंतराल के बाद होना चाहिए। प्रत्येक मानव को स्वतंत्र विचारों और उदार प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होना चाहिए। संपूर्ण विकास हेतु उचित वातावरण, विस्तृत एवं समन्वित कार्यक्रम, परंतु यथार्थता के साथ होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में कम से कम 80 प्रतिशत लोग किसान हैं जो ग्रामों में निवास करते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, कोई नयी योजना नहीं बनाई गई। आज पचास सालों बाद भी किसानों को समय से खेतों के लिए पानी नहीं मिल पाता। जब जरूरत नहीं होती है तो ढेर सारा पानी मिलता है। कुछ किसानों ने अपने खेतों पर ट्यूबवैल लगवा लिये हैं तो उन्हें चलाने के लिए समय से विद्युत नहीं मिल पाती है। अगर किसी कारण से समय से पानी नहीं मिल पाता है तो इन किसानों को नकली खाद दे दी जाती है। इस नकली खाद को किसान अपने खेतों में लगाते हैं, बड़ी आशा से खेती करते हैं, लेकिन नकली खाद से उनकी फसल खराब हो जाती है। इसमें सुधार होना चाहिए जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, आज हम देश में आज़ादी की पचासवीं वर्षगांठ स्वर्ण जयन्ती के रूप में मना रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश में सभी शिक्षित हैं? शिक्षित न होने का कारण हमारी गलत नीतियां हैं। हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की जनता को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी थे। वे अपने कार्यकाल में देश का भविष्य सुधारने के लिए नकल अध्यादेश लाए थे। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अध्ययन करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन वर्तमान के रक्षा मंत्री श्रीमान मुलायम सिंह यादव के आने के बाद वह नकल अध्यादेश समाप्त कर दिया गया। यह मात्र वोटों की खातिर अध्यादेश समाप्त कर दिया गया। अगर यह अध्यादेश लागू रहेगा तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अधिकांश बच्चे जो शिक्षित होकर निकलते हैं वे अधिकांश नकल करके डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और नौकरियों के लिए यहां-वहां भटकते रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनाएं गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए बनाई जा रही हैं इन योजनाओं की दो साल में एक बार मौके पर जाकर समीक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। इन सारी योजनाओं का पैसा अधिकारियों की जेब में चला जाता है। जैसा कि अम्बेडकर ग्राम में जो इंदिरा आवास की योजना है, उनके आबंटन में चार हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक

रिश्वत के रूप में लिये जा रहे हैं। गरीब लोगों को रोजगार हेतु आई.आर.डी. के अंतर्गत जो ऋण दिया जा रहा है उसमें मिलने वाली सब्सिडी बिचौलिये, बैंक तथा ब्लॉक के अधिकारी पहले ही काट लेते हैं। इन गरीब लोगों को जो ऋण दस हजार रुपये मिलना चाहिए वह केवल सात हजार रुपये मिल रहा है तथा अधिकारियों द्वारा भ्रम पैदा करके इन गरीबों से दोगुना पैसा वसूला जा रहा है। इनके पास पैसा न होने पर मकान या खेत को बेचकर यह ऋण अदा किया जा रहा है। जिसके कारण आज गरीब बेघर हो रहे हैं। इसलिए इन योजनाओं की समीक्षा होना जरूरी है। आज सारा देश भ्रष्टाचार की आग में झुलस रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। आज से 15-20 साल पहले अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों की जिले में बैठकर समीक्षा की जाती थी कि पूरे जिले में कौन अधिकारी या राजनीतिज्ञ भ्रष्ट है। कहीं इक्का-दुक्का अधिकारी देखने में आता था कि फलां भ्रष्ट है। लेकिन आज हम उल्टी समीक्षा करते हैं। आज की परिस्थिति में देखते हैं कि पूरे जिले में कौन सा अधिकारी और राजनीतिज्ञ ईमानदार है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमें स्वतंत्रता तो दिला दी, लेकिन हम उसे कब तक संभालकर रख सकेंगे, हमें विश्वास नहीं है। क्योंकि जिस देश के मुखिया भ्रष्टाचार के केस में अपनी जमानत करवाते हों तो भला इस देश के अन्य नागरिकों का क्या होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि इस समय आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई विदेशियों के बीच लड़ी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई हमें देशप्रेमियों के साथ इसी देश में लड़नी है। अंत में स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु दिये गये बलिदान के लिए मैं बुंदेलखंड-झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहेली छलकारीबाई को नमन करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को गंवाया था। मैं नमन करता हूं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो आज हमारे बीच में हैं। मैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी नमन करता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। इसके साथ ही सभापति महोदय मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, मेरी एक विनती है, मैं अपनी स्पीच विदड्रा करना चाहता हूं। सदन अगर इसकी इज़ाजत दे तो मैं बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई सदस्य दो बार नहीं बोल सकता। आप पहले बोल चुके हैं और आपका भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

श्री मोहन रावले : महोदय, मैं अपना भाषण वापस लेना चाहता हूं। कृपया आप मुझे ऐसा करने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : आपका भाषण पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। श्री मोहन रावले जी के भाषण का पूर्ण पाठ कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कर लिया गया है। आप दूसरी बार नहीं बोल सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। समय बहुत कम है। कृपया श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भाषण सुनें।



श्री शिवराज सिंह

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं तो आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिस संकल्प शक्ति के साथ आज आपने सदन का संचालन किया है। लगभग सात घंटे से तो आप एक आसन पर बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से आप इस सदन का संचालन कर रहे हैं, इसी संकल्प शक्ति के साथ यदि देश चलाया जाए, तो मुझे विश्वास है कि देश में कोई समस्या नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, शहीदों के प्रति सबने कृतज्ञता प्रकट की है और वास्तव में जिन्होंने अपने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनकी पूजा तो की जानी चाहिए। किसी कवि ने कहा है—

पूजे न गए शहीद, तो फिर यह मंत्र कौन अपनाएगा
तोपों के मुंह पर कौन अकड़कर छाती अपनी अड़ाएगा
चूमेगा फंदे कौन गोलियां वक्ष पर कौन खाएगा
अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा
पूजे न गए शहीद तो फिर यह बीज कहां से आएगा
धरती को मां कह कर माटी को माथे से कौन लगाएगा

इसलिए शहीदों की पूजा तो होनी चाहिए।

सभापति महोदय, यहां बड़ी चर्चाएं हुई हैं और चार-पांच दिनों से चल रही हैं, लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बड़ी निराशाजनक स्थिति है, अब कुछ हो ही नहीं सकता है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लोकतंत्र खतरे में है। अभी हमारे यहां का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं हुआ है और जो लोकतंत्र 1975 में जब आपातकाल था, तब खतरे में नहीं पड़ा और माननीय शरद पवार जैसे नेता भी जिसके घेरे में आए थे। तब

लोक तंत्र ने यह खतरा झेल लिया, तो आज लोकतंत्र कहां से खतरे में है। निश्चितरूप से हमें आजादी के बाद जितनी प्रगति करनी चाहिए थी वह प्रगति नहीं की। कई कदम हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन माननीय सभापति जी अनेकों ऐसे कारण थे जिनके कारण हमारा देश अपेक्षित प्रगति नहीं कर सका।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि यदि आज हम यह देखें, तो देश की आधी से ज्यादा आबादी, आजादी का मतलब ही नहीं समझती। गांव, गांव के गरीब, गांव के किसान, गांव के मजदूर से अगर पूछा जाए कि वह आजाद है, तो उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। यह सही है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने आजादी की पचासवीं वर्षगांठ भी नहीं मनाई और कई आदिवासी और गिरिजन तो ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं उनको आजादी का वास्तव में अर्थ ही मालूम नहीं है। इस स्थिति के लिए जवाबदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, इसको बताने में मैं समय नहीं लगाना चाहता। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जिम्मेदार है, तो हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं। हमारे पूरे के पूरे समाज का पतन हुआ है। मैं केवल राजनीतिक नेताओं की बात नहीं करता। हमारे राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हुआ है और उसमें अगर वैसे देखा जाए, तो हर क्षेत्र में आपको ईमानदार लोग मिल जाएंगे, ईमानदार आपको राजनीति में भी मिलेगें, ब्यूरोक्रेट्स भी आपको ईमानदार मिलेंगे, आपको किसान भी ईमानदार मिलेंगे, सब क्षेत्रों में ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन चारित्रिक पतन भी सब क्षेत्रों में हुआ है। अगर आप देखें, तो इलाज के अभाव में दम तोड़ते हुए लोगों को देखने, गरीबों का इलाज करने के लिए डाक्टर गांव में नहीं जाएगा। इंजीनियर मौका मिलते ही सीमेंट में रेत मिलाने की कोशिश करेंगे, विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं जाते। हर क्षेत्र में यह ह्रास हुआ है।

माननीय सभापति जी, देश के इस पतन के लिए यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, तो एक प्रकार से राजनीतिक नेतृत्व है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। लोग हमारे आचरण को देखते हैं। मुझे याद आ रहा है मैं एक बार इन्दौर से भोपाल बस में बैठकर आ रहा था। मैंने कंडक्टर को टिकिट के पैसे दे दिए, लेकिन कंडक्टर ने टिकिट नहीं दिया। मैंने जब टिकिट मांगा, तो कह दिया कि बैठे रहो, दे दूंगा। फिर एक घंटे बाद मैंने उनको फिर याद दिलाई कि टिकिट तो दे दो, पैसे ले लिए और टिकिट नहीं दिया, तो बोला कि भाई ले लेना। जब भोपाल ही आ गया और मैं उतरने लगा, तो उतरते समय मैंने फिर कहा कि भैया तुमने पैसे ले लिए और टिकिट नहीं दिया अब तो टिकिट दे दो। तो कंडक्टर कहने लगा कि उतर कर चले जाओ, कौन देखता है। वह जानता नहीं था कि मैं मैम्बर आफ पार्लियामेंट हूं। कौन देखता है, तुम चले जाओ। फिर मैंने कहा कि सरकारी पैसे तुम अपनी जेब में रखना चाहते हो। जनता का पैसा तुम खा रहे हो, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, तो कंडक्टर का यह कहना था कि मैं नहीं जानता भाई साहब आप कौन हैं। मुझ गरीब की वर्दी तो आप उतरवा दोगे, मैंने पचास रुपए आपके खाए हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के मंत्री, प्रधान मंत्री, करोड़ों रुपए खा गए, डकार तक नहीं ली। अगर इस देश का कुछ सुधार करना है, तो पहले उनकी कुर्सी छिनवाओ, तब काम बनेगा। अगर देश की सत्ता के शीर्षस्थ नेता उस कुर्सी पर बैठकर गलत काम करते हैं, तो उसका असर नीचे तक जाता है। अगर गंगोत्री में गंगा अपवित्र है, गन्दी है, तो फिर कानपुर और बनारस में शुद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की है।

सभापति महोदय, यह काम केवल भाषण से नहीं होगा, आचरण से होगा। आज आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हम ईमानदारी से काम करेंगे तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा दे सकेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि नहीं माना। दल के हित को सर्वोपरि माना है या नेताओं ने कुर्सी को सर्वोपरि माना है। जिनके पास कुर्सी नहीं है वे येन-केन-प्रकारेण कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं और जिनकें पास कुर्सी है वे किसी न किसी प्रकार से कुर्सी पर टिके रहना चाहते हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां भोपाल में इक्के चलते हैं। उनमें एक घोड़ा जुतता है। उस घोड़े की दोनों आंखों की तरफ तस्मे लगा देते हैं। वे तस्मे इसलिए लगाते हैं कि वह अगल-बगल नहीं देखे या आसपास के दृश्य देखकर बिदके नहीं। सीधा अपने रास्ते पर, लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। ऐसे ही हमारे यहां राजनीतिक नेताओं ने तस्मे लगा रखे हैं। उनको सामने केवल कुर्सी दिखाई देती है और जनता और उसकी समस्यायें नहीं। कुर्सी की तरफ वे बढ़े-बढ़े चले जाते हैं कि हे कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना। दूसरी बात यह है कि हममें हिम्मत नहीं रही, हममें साहस नहीं रहा। गलत बात का विरोध करने का। हम लोकप्रिय नारे देते हैं। हम ऐसी चीजें भी करते हैं, जिनको हम गलत मानते हैं। जिनको हम मानते हैं कि ये ठीक नहीं हैं, जनहित में भी नहीं हैं, लेकिन हमें कहने में डर लगता है कि कहीं जनता नाराज हो जाएगी। इसलिए भैया इस चीज का विरोध करो ही नहीं।

सभापति महोदय, मेरे पास एक सज्जन आए और इस मांग को लेकर के आए कि हमारे लड़के के पेपर बिगड़ गए। इसलिए हमारे लड़के के पेपर ठीक करवा दो, सांसद हो, नंबर बढ़वा दो। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती सांसद से नंबर बढ़वाने की बात करते हो। वह बोला इतना सा काम नहीं कर सकते। मेरे कार्यकर्ताओं ने बाद में कहा कि भाई साहब ऐसे डायरैक्ट मना नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? वे बोले बुरा लग जाता है। इसलिए यह कहना चाहिए कि देख लेंगे। हम में यह साहस ही नहीं है कि हम कह सकें कि यह गलत काम है। इसका हम विरोध करते हैं। यह राजनीतिक नेता का काम नहीं है। हमारा साहस समाप्त हो गया है। सही नेता वह है जो जनता को सही दिशा में चलाए। गलत काम का विरोध करना सिखाये।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी बेरोजगारी की बहुत चर्चा हुई। बेरोजगारी क्यों बढ़ी। मैं शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि शिक्षा के बारे में बड़ी व्यापक चर्चा हुई है। मैं गांव का रहने वाला हूं किसान हूं। आज

से 25 साल पहले गांव स्वावलम्बी थे, गांव में ही कई लोगों को रोजगार मिलता था। मेरे गांव में एक लुहार को रोजगार मिलता था, एक सुनार को रोजगार मिलता था, एक बढ़ई को रोजगार मिलता था, बसोड़ को रोजगार मिलता था। तेली कोल्हू चलाकर तेल पेरता था और शुद्ध तेल पूरे गांव को खिलाता था। आज वे सारे रोजगार और धंधे ठप्प हो गए हैं। मेरे गांव में एक मन्नू लुहार था। गांव का बहुत बढ़िया कारीगर था। आसपास के बीस-पच्चीस गांवों में ऐसा लुहार नहीं था। पूरे गांव के और आसपास के गांवों के किसानों के खेतों के औजार वह बनाता था। दो साल पहले जब मैं अपने गांव में गया, तो वह मन्नू लुहार भुट्टे और मिरची बेच रहा था। मैंने उससे पूछा कि भैया तुम तो अच्छे कारीगर थे। ये भटे और मिरची क्यों बेच रहे हो? तो कहने लगा भैया करें क्या? मैंने कहा कि तुम तो इतनी अच्छी, कुल्हाड़ी, तगाड़ी, फावड़े सब बनाते थे। कहने लगा कि अब तो लोग भोपाल जाते हैं वहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खुल गई हैं वहीं से गेंती लाते हैं, वहीं से फावड़े लाते हैं और वहीं से तगाड़ी लाते हैं। मेरा सामान खरीदेगा कौन।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि जब टाटा तेल बनाएगा और बाटा जूते बनाएगा, तो घाटा तो हिन्दुस्तान के चौआमोची, मम्मू, रम्भू लुहार और तेली को होगा। उनका रोजगार तो समाप्त होगा ही। यह स्थिति है। गांव के सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए, चौपट हो गए, यह वास्तविकता है। आज तो हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उदारीकरण की नीति के अंतर्गत आमंत्रण दिया है। विदेशियों के लिए हमने अपने देश के द्वार खोल दिए हैं। हिन्दुस्तान के नौजवान बेरोजगार नहीं होंगे तो और क्या होगा। आई.आर.डी.पी. योजना का लोन मिलता है, प्रधान मंत्री रोजगार योजना का लोन मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि एक लाख रुपए के लोन में से 35 हजार रुपए लेकर, कोई नौजवान रोजगार कर सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इतना बजट है कि अरबों रुपया तो विज्ञापनों पर खर्च करते हैं। वे साबुन बनाते हैं। हम टी.वी. खोलते हैं और एक विज्ञापन आता है - उसमें एक सिने तारिका आती है साबुन हाथ में लेकर कहती है - आप जानते हैं मेरी सुंदरता का राज क्या है - लक्स साबुन। तो लोग लक्स साबुन खरीदेंगे। शिवराज छाप साबुन कोई क्यों खरीदेगा। ऐसे नौजवानों के, जो छोटे-छोटे कामधंधे कर के अपना पेट भर सकते थे, सारे के सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हमारे देश में नष्ट होते गए।

सभापति महोदय, इसी तरह एक प्रमुख बात यह कहना चाहता हूं कि यदि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं तो वे चीजें जो बेरोजगार नौजवान अपने हाथ से बना सकता है, अपने घर में बना सकता है, कम बजट में बना सकता है उनको बड़े उद्योगों में बनाने पर पाबंदी लगाई जाए। तब वे कुटीर और लघु उद्योग चलेंगे। नहीं, तो इन उद्योगों के चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया जाये। शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो, शिक्षा ग्रामोन्मुखी हो और रोजगार का डिग्री से संबंध समाप्त हो। लोग डिग्री किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कि इससे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। रोजगार के लिए डिग्री। डिग्री का रोजगार से संबंध समाप्त करके रोजगार को योग्यता से जोड़ा जाए। मेहनत से बच्चे को एम.ए. कराएं, एम.काम. कराएं, एम.एस.सी. कराएं और इतना करवाने के बाद उसे क्लर्क ही बनाना है, तो दसवीं की शिक्षा बहुत है। शिक्षा के संचालन के लिए एक औटोनौमस बाडी हमारे देश में होनी चाहिए। सरकार क्यों शिक्षा का पूरा ठेका लिए हुए है। एक औटोनौमस बाडी हो, जो शिक्षा के बारे में विचार करे जिसमें शिक्षाविद् हों, समाजसेवी हों, शिक्षाशास्त्री हों, वे मिलकर सोचें कि देश की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करनी चाहिए तथा कुल बजट का दस प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना चाहिए।

सभापति महोदय, भाषानीति के बारे में बहुत बातें हुई हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। अंग्रेजी भाषा को तो इस देश से खदेड़ना पड़ेगा। उस दिन मुलायम सिंह जी ने काफी विस्तार से कहा। मैं उनकी बातों से अपने आपको संबद्ध करता हूं प्रशासनिक काम जन की भाषा में हो। आम जनता की भाषा में हो, गरीबों की भाषा में हो। चाहे वह तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हमारी राजभाषा हिन्दी हो, उसमें अगर हम शिक्षा देंगे, हिन्दी को यदि हम संपर्क भाषा बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जन का काम जन की भाषा में होगा। यह दीनदयाल जी ने कहा, यह लोहिया जी ने कहा, यह गांधी जी ने कहा, लेकिन उन बातों को हम सभापति जी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हिन्दी को वास्तविक अर्थों में राजभाषा का दर्जा देना होगा।

सभापति महोदय, यह जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर हमारे यहां चल रहा है कि किसी को स्पष्ट बहुमत केन्द्र में नहीं है। कई राज्यों में भी ऐसी स्थितियां बनी हैं जहां स्पष्ट बहुमत का अभाव है और आज भी सांसदों के गले पर तलवार लटकी हुई है और किसी को पता नहीं है कि लोक सभा चलेगी कब तक, यह सरकार चलेगी कब तक। राजनैतिक अस्थिरता के चलते कभी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के लिए स्थिरता आवश्यक है और स्थिरता लाने के लिए हमें अध्यक्षीय प्रणाली पर, राष्ट्रपतीय प्रणाली पर जरूर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अगर हम राजनैतिक स्थिरता अपने देश में लाना चाहते हैं, तो हमें राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति जी, मैं अंत में एक बात कहता हूं कि चारों तरफ अंधकार है, यह हम किस लिए सोचते हैं। यह अंधकार मिटेगा, दूर होगा। इस विचार पर मंथन चल रहा है। इससे निष्कर्ष निकलेंगे। सब दलों के नेता बैठकर एक संकल्प लें। हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हमारे हैं, वे वैचारिक मतभेद रहने वाले हैं। अपनी-अपनी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो आम सहमति के मुद्दे उभरें, उन आम सहमति के मुद्दों को हम लें, उनमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का मामला

है, राजनीति के अपराधीकरण का मामला है, रोजगार का सवाल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का मामला है, शिक्षा का मामला आता है और भी मामले आते हैं चाहे वह रोजगार का सवाल हो, उन सब पर क्या हम एक नीति नहीं बना सकते, कार्यक्रम नहीं बना सकते? क्या हम एक कार्यक्रम नहीं बना सकते? एक नीति बने, एक कार्यक्रम बने और फिर ईमानदारी से उस पर हम अमल करने का संकल्प लें तो मुझे विश्वास है कि हम इस देश का भला कर पायेंगे, नहीं तो भाषण के बाद यह स्पेशल सैशन समाप्त हो जायेगा। इस बार स्पेशल सैशन में हम कामयाब नहीं रहे, यही तो मैं अच्छा और तू बुरा, मैं अच्छा और तू बुरा, हरेक राजनीतिक दल यही करता है। अगर कोई अच्छा काम भी करे, तो भी हम उसकी बड़ाई नहीं कर सकते। अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति बुरा काम भी करता है, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि यह बुरा काम कर रहा है क्योंकि लोग कहेंगे कि तुम भी बुराई कर रहे हो तो इनकी स्थिति जनता में क्या बनेगी?

सभापति महोदय, इन सब चीजों को छोड़कर आम सहमति के मुद्दों पर हम एक राष्ट्रीय राय बनायेंगे, एक राष्ट्रीय सहमति बनायेंगे और ऐसे कार्यक्रम बनाकर उनको हम कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें। नेता वह नहीं है जो निराशा की बात करे, नेता तो वह है जो जनता को आशा का प्रकाश दे, विश्वास का प्रकाश दे। नेता वह है जो मुर्दों में भी प्राण फूक दे। नहीं सर, कुछ नहीं हो सकता, अब तो मर गया, हिन्दुस्तान तो गया जब हम यह कहेंगे तो देश का नौजवान क्या सोचेगा? अगर हम यह कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने मुंह की मक्खी भी हमसे नहीं उड़ेगी, वह भी पड़ौसी उड़ाने आयेगा। अगर हम संकल्प शक्ति के साथ तनकर खड़े हो जायें, मैं कहता हूं कि आज कुछ गड़बड़ है, आज हम नीचे जा रहे हैं, आज विकास की बहुत आवश्यकता है, आज हमारा देश बहुत पीछे है तो यह चुनौती तो है ही, साथ ही हमारे लिए कुछ करने का अवसर भी है। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प सब मिलकर लें तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। मुझे विश्वास है कि भारत आगे बढ़ेगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व को शाश्वत मानवता शांति के पथ का दिग्दर्शन, अगर कोई करायेगा तो हमारा भारत करायेगा, यह हिन्दुस्तान करायेगा। उस दिन के लिए इस हिन्दुस्तान को तैयार करें। निराशा की बातें छोड़ें, आशा के प्रकाश से भरें:

कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।

हम पूरे दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ उस पत्थर को उछालें तो हमारा प्यारा भारत और हमारा महान भारत आगे बढ़ेगा और एक दिन फिर से दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देगा। विश्व गुरू फिर से भारत बनेगा। इस तैयारी के साथ हम आगे बढ़ें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास उपलब्ध सभी दलों के वक्ताओं और सदस्य विशेष की सूची पूरी हो चुकी है। मैं सभी बोलने वाले सदस्यों के नाम पुकार चुका हूं। अब, इस प्रस्ताव पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

आज, जब हम वाद-विवाद समाप्त कर रहे हैं, यह अपने आप में एक रिकार्ड है। लोक सभा के इतिहास में अब तक का रिकार्ड है। इससे पहले लोक सभा की सबसे लम्बी बैठक 25.7.96 को हुई थी। वह रेल बजट पर की गई चर्चा थी जो अगले दिन सुबह 7.17 बजे तक चली थी। आज जब हम अपना वाद-विवाद समाप्त कर रहे हैं सुबह के 8.24 बजे हैं।

इसलिए माननीय सदस्यो, आपके सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : क्या आज भी रजिस्टर में साईन करने हैं? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही की पूर्ण सफलता के लिए एक और रात्रि बिना विश्राम कार्य करने के लिए मैं विशेष रूप से लोक सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं।

अब, सभा सोमवार, 1 सितम्बर, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रात: 8.24 बजे (31.8.97)

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 सितम्बर, 1997/10 भाद्र, 1919(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।